— अमर-शहीद —

# सरदार भगत सिंह

( एक-मात्र प्रामाणिक जीवनी )

भूमिका लेखक :

माननीय बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन

लेखक :

श्री० जितेन्द्र नाथ सान्याल, बी० ए०

अनुवादिका :

कुमारी स्नेहलता सहगल, एम० ए०

सम्पादक :

आर० सहगल

प्रकाशक :

कर्मयोगी प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

अगस्त, १९४७

मूल्य ६ रुपए ८ आने

मुद्रक : श्री० आर० सहगल

प्रकाशक : कर्मयोगी प्रेस, लिमिटेड

स्थान : रैन बसेरा, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण : अगस्त, १९४७

# विषय-सूची

## चित्र-सूची

# अकुशाङ्क के नाते---

चाहे आप इसे मेरी भूल कहें, चाहे दूरदर्शिता, पर मैं जीवन के प्रथम प्रभात से हिंसात्मक-सिद्धान्तों का पोषक तथा समर्थक रहा हूँ। आज हमारे देश में जो भी हो रहा है उसने मेरी इस धारणा को और भी पुष्ट कर दिया है। 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' सिद्धान्त का प्रेरक, चाणक्य, मूर्ख नहीं था। युद्ध में आक्रमण तथा आत्म-रक्षा के निश्चित-सिद्धान्तों का सृजन अभी तक नहीं हो सका है। युद्ध तथा प्रेम में सभी कुछ जायज़ है, (Everything is fair in love and war) वाली लोकोक्ति का निर्माण-कर्ता भी अवश्य ही कोई भुक्तभोगी रहा होगा। जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा पक्ष के प्रत्येक परिमाण में हम इस निश्चित-सत्य का अनुभव कर सकते हैं, अस्तु।

हमारे देश की एक-मात्र राष्ट्रीय संस्था की नीति परोक्ष रूप में अहिंसात्मक रही है। युद्ध-विद्या की विभिन्न चालों (Strategies) में से मैंने इसे भी एक प्रमुख चाल-मात्र समझा है; क्योंकि जिस कलुषित वातावरण से होकर हमारे देश को गुज़रना पड़ा है, उसको दृष्टि में रखते हुए कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। व्यक्तिगत रूप से मैंने ही नहीं, बल्कि मेरे द्वारा सम्पादित एवं सञ्चालित सभी पत्र-पत्रिकाओं ने आजीवन कॉङ्ग्रेस का समर्थन किया है और लाखों का बलि-

दान भी। जब-जब कॉङ्ग्रेस द्वारा सञ्चालित आन्दोलनों ने उग्र रूप धारण किया, तब-तब मुझे जेल-यात्रा करनी पड़ी और प्रचुर धन का नाश भी हुआ; पर मुझे इस बात का आन्तरिक सन्तोष है कि मैं, न तो कभी नमक बनाने के अभियोग में जेल गया और न झण्डा लेकर आम सड़क पर चलने के अपराध में! प्रत्येक बार मुझ पर भारतीय दण्ड विधान की धारा १२४-ए(बग़ावत) के मातहत अभियोग लगाया गया और मुझे इसका गर्व है, कि मैंने अपने इस सिद्धान्त की ईमान्दारी से आज तक रक्षा की है। मेरी तो निश्चित्-धारणा है कि आज इस देश में जो भी थोड़ा-बहुत राजनैतिक जागरण दिखाई देता है, उसका अधिकांश श्रेय महात्मा गाँधी के शब्दों में, उन मुट्ठी भर "गुमराह, उतावले, मूर्ख तथा पथ-भ्रष्ट" हुतात्माओं को ही है, जिनकी राजनीति ने बृटिश-साम्राज्य का नातक़ा बन्द कर दिया था—प्रत्येक अङ्गरेज़ की नींद हराम कर दी थी। मैंने सदैव इन मुट्ठी भर नवयुवक तथा नवयुवतियों की क़द्र की है—यथाशक्ति समय-समय पर इन की सहायता भी। इनकी निर्भीकता, साहस, त्याग एवं खड़े-खड़े बलिदान हो जाने की भावना ने मुझे इनका ग़ुलाम बना लिया था। इन्हीं सद्गुणों से प्रभावित होकर मैंने इनके लिए क्या नहीं किया? आज, जब कि देश का नव-निर्माण होने जा रहा है, मेरा कर्तव्य था, कि देश के कर्णधारों को इनकी सुध दिला दूँ और इसी धारणा से प्रेरित हो कर मैंने प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय किया और आज यह आपके सामने है। पुस्तक का संक्षिप्त इतिहास पाठक अन्यत्र देखेंगे ही। मेरी प्रार्थना है, कि इस पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ने के पश्चात् आप मुझे बतलाएँ, कि आज इतना उत्साह, इतना साहस और इस भाँति मर-मिटने की आरज़ू देश के कितने

नेताओं में है ? आज देश के कितने नेता हँसते-हँसते फाँसी के तख़्तों को चूमने की क्षमता रखते हैं ? इन-जैसी निर्भीकता, तत्परता तथा मृत्यु का सहर्ष आलिङ्गन करने का साहस कितने नेताओं में आप को मिलेगा ?- पर इस श्रेणी के बचे-खुचे नवयुवक आज भी राह के भिखारी हो रहे हैं। सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमाण्डर-इन-चीफ़ ( प्रधान सेनानायक ) स्वर्गीय चन्द्रशेखर आज़ाद की जननी आज जालौन के जङ्गलों में उपले पाथ कर और कण्डे बेच कर जीवन का बोझ हल्का कर रही है और इसके विपरीत देश के छटे हुए गुण्डे कॉङ्गरेस के नाम पर विलासिता की गोद में अठखेलियाँ करते प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं।

'चाँद' का 'फाँसी अङ्क' स्वर्गीय सरदार भगतसिंह तथा उनके सहयोगियों की ही देन थी जिसने देश में एक बार ही बिजली कौंदा दी थी। सन् १९२८-२९ में मुझे उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नाम तथा वेष बदल कर ऐसे कई कर्मठ नवयुवक उस समय मेरे निकटतम सहयोगियों में रहे हैं। 'कर्मयोगी' जब प्रकाशित हुआ है ( सन्-१९३८ )तब भी श्री० सुखदेव राज इसके प्रबन्धक तथा श्री० यशपाल इसके सम्पादकीय विभाग में थे; श्रीमती सुशीला देवी (दीदी), उनकी सहोदरा श्रीमती शान्ता देवी, स्वर्गीय भगवतीचरण की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा देवी (भाभी) तथा स्वर्गीया डॉक्टर लीलावती आदि महिलाएँ मेरे द्वारा सञ्चालित मातृ-मन्दिर में एक सुदीर्घ काल तक रह चुकी हैं जब कि उनकी गिरफ़्तारी के लिए हज़ारों रुपए के पारितोषक विघोषित हो चुके थे। ऐसी हालत में इनके प्रति मेरा पक्षपात होना स्वाभाविक हो सकता है, इसीलिए मैं इस सम्बन्ध में अधिक लिखना भी नहीं चाहता। पुस्तक के परिशिष्ट में लाहौर षड्यन्त्र

केस की जो मनोरञ्जक कार्यवाही दी गई है वह भी इन्हीं मित्रों की देन है, अतएव दुर्लभ तथा प्रामाणिक है और हर-कहीं प्राप्त भी नहीं हो सकती। इन पंक्तियों द्वारा पाठक बृटिश न्यायालयों की धूर्तता तथा बेईमानियों का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ ही यह भी देखेंगे, कि चाँदी के टुकड़ों तथा पद-लोलुपता की भावनाओं से प्रेरित होकर मुसल्मानों ने किस हद तक मुल्क-फ़रोशी का व्यवसाय किया है। इस मामले की 'जाँच' के लिए अङ्गरेज़ों ने ढूँढ-ढूँढ कर छटे हुए गुण्डों को एकत्र किया था, जिसका जीता-जागता प्रमाण आपको प्रत्येक पृष्ठ में मिलेगा; शायद इसीलिए पुलिस विभाग में मुसल्मानों का बहुमत आज भी हमें दिखाई देता है।

पुस्तक की सामग्री के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ और भी निवेदन करना है। सन् १९३१ में मेरे मित्र और स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के साथी श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल ने एक छोटी-सी पुस्तक अङ्गरेज़ी में लिखी थी। अङ्गरेज़ी में इसलिए, कि नेता जी, श्री० सुभाषचन्द्र बोस की सलाह थी, कि इसकी कुछ प्रतियाँ विलायत तथा अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में भेजी जायँ। प्रचार ( Propaganda ) हमारा उद्देश्य था। पुस्तक की ३०० प्रतियाँ बड़ी सावधानी से श्री० सान्याल के छोटे भाई श्री० भूपेन्द्रनाथ सान्याल कुछ प्रमुख क्रान्तिकारी केन्द्रों में बाँटने के उद्देश्य से ले गए थे पर मथुरा में पुलिस द्वारा पकड़ ली गईं; शेष बम्बई तथा कलकत्ते में अतएव थोड़ी-सी प्रतियाँ ही फैल सकीं। पुस्तक की ज़ब्ती जिस नाटकीय ढङ्ग से हुई, उसका विवरण पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे ही। प्रस्तुत पुस्तक की जीवनी वाले अंश का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह उसी पुस्तक के आधार पर लिखी गई है। शेष सामग्री, कुछ मेरे स्मरण-शक्ति की उपज है, कुछ

पत्र-पत्रिकाओं के आधार पर और अधिकांश मेरे 'भविष्य' के जगमगाते पन्ने हैं। लाहौर षड्यन्त्र की कार्यवाही का अधिकांश विवरण स्वयं उसके नायकों द्वारा सम्पादित है। जिन दिनों 'भविष्य' प्रकाशित हो रहा था उन दिनों भी इस षड्यन्त्र केस के कुछ फ़रार 'अभियुक्त' अपना नाम तथा भेष बदल कर इसके सम्पादकीय विभाग में काम करते थे, जिसका पता केवल मुझे, मेरी धर्मपत्नी तथा मेरी साली-मात्र को था। मेरे विश्वासघाती भाई, नन्दगोपाल सिंह-तक को इस बात का पता नहीं था, और यह ठीक ही हुआ, नहीं तो शायद मैं आज अण्डमन में होता। जिस प्रकार इस आस्तीन के साँप ने मेरा सर्वनाश किया, उसे देखते हुए वह यह अनिष्ट भी सहज ही कर सकता था। पाठकों को विस्मरण न करना चाहिए, कि वह ऑर्डिनेन्स-युग था। मुर्गी के अण्डों की भाँति उस ज़माने के वॉयसरॉय और गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलिङ्डन प्रायः नित्य ही एक नया ऑर्डिनेन्स प्रसव किया करते थे। मेरी कोठी के चारों ओर २४ घण्टे खुफ़िया पुलिस के भूत मँडराया करते। बाद में तो उन्होंने कोठी के सामने अपने खीमे-तक गाड़ लिए थे। कहीं भी कोई बम फटा अथवा कोई राजनैतिक-हत्या हुई, कि इलाहाबाद में सब से पहिले मेरी तलाशी हुआ करती थी। यदि मैं भूल नहीं करता, तो कुल मिला कर क़रीब ४० बार मेरे यहाँ पुलिस ने तलाशियाँ ली होंगी। किसी-किसी बार तो पुलिस के सैकड़ों सशस्त्र सिपाही तथा ऑफ़िसर मेरी कोठी का रातों-रात घेरा डाल लिया करते और दिन निकलते ही तलाशी शुरू हो जाती। 'भविष्य' के कई सम्पादक गिरफ़्तार हुए और इसके कई अङ्क ज़ब्त भी कर लिए गए। एक ऐसे कलुषित वातावरण में इस प्रकार की 'खतरनाक' सामग्री को सुरक्षित रखना कितना

कठिन है, पाठक इसकी कल्पना सहज ही कर सकते हैं। १५-१६ साल तक इन चीज़ों को जिस सावधानी से छिपा कर रक्खा गया है, वह मैं ही जानता हूँ पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा यह प्रयास निष्फल नहीं हुआ और आज एक वृहत् पुस्तकाकार देशवासियों के हाथ में सौंपी जा रही है। मैं कहना यह चाहता हूँ, कि मुक़दमों की कार्यवाही में कहीं-कहीं दैनिक विवरण खण्डित हो गया है। इसका कारण है कुछ कागज़ों का गुम हो जाना, कुछ पुलिस के हाथ पड़ जाना और कुछ दीमकों द्वारा नष्ट कर दिया जाना। पर जो भी थोड़ी-बहुत सामग्री बच सकी है, मेरा ख़याल है, वह इतिहास के विद्यार्थियों के बड़े काम की चीज़ सिद्ध होगी।

इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ छापने के लिए मुझे कागज़ के अभाव के कारण सचमुच ही तरसना पड़ा है और महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ी है; ऐसी हालत में मैं न तो इच्छानुकूल पुस्तक छाप सका और न चित्र ही; क्योंकि एक ओर आर्ट-पेपर नहीं मिला, दूसरी ओर स्याही तथा अन्य आवश्यक सामग्री का नितान्त अभाव रहा पर मुझे इस बात का सन्तोष है की पाठकों की पाचन-शक्ति आजकल ख़ूब जागृत है अतएव आशा है कि सड़े-गले मिलने वाले गेहूँ की भाँति पाठक इस प्रकाशन को भी सहज ही हज़म कर सकेंगे।

अपने प्रेस में कर्मचारियों के अभाव के कारण तथा पुस्तक शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित कर देने की लालसा से प्रेरित होकर, इस पुस्तक के अन्तिम क़रीब २५० पृष्ठ दूसरों के प्रेस में छपाना पड़ा, जो स्वयमेव अलग बोल रहे हैं। इनकी छपाई ख़राब होने के अतिरिक्त, कुछ भूलें भी रह गई हैं, पर इसका कोई इलाज ही नहीं था। इस पुस्तक के सम्पादन तथा छपाई-

सम्बन्धी व्यवस्था करने में चि० स्नेहलता के छोटे भाई, मास्टर नरेन्द्र सहगल से—जो इस समय बी० ए० (फ़ाईनल) का विद्यार्थी है—मुझे काफ़ी सहायता मिली है। पुस्तक का अधिकांश प्रूफ़ भी उसी ने देखा है अतएव उसकी पीठ पर हाथ फेर देना भी मेरा कर्तव्य है।

पुस्तक की अनुवादिका मेरी लड़की है, जिसने श्री० जितेन्द्र नाथ सान्याल की अङ्गरेज़ी पुस्तक के आधार पर इस क़िले का निर्माण किया है, अतएव उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना मेरे अधिकार की बात नहीं है। इस सिलसिले में मुझे केवल एक मनोरञ्जक घटना का उल्लेख-मात्र करना है। जब कि मेरी बच्ची ५-६ साल की थी और गर्ल्स हाई स्कूल (यूरोपियन) में पढ़ रही थी, उन दिनों एक बार स्वर्गीय भगत सिंह पधारे थे। मेरी एल्गिन रोड वाली कोठी की सड़क के दोनों ओर आम के वृक्ष थे, उनमें से एक में एक पतङ्ग आकर अटक गई थी। चि० स्नेह. ने उसे दिन से ही लख रक्खा था। शाम को मैं और भगत सिंह नित्य की भाँति बाग़ में टहल रहे थे, कि स्नेह फुदुकती हुई पहुँच गई और उसने पेड़ पर से पतङ्ग उतरवा देने की ज़िद की। मैं बातों की गम्भीरता में इतना डूबा हुआ था, कि सचमुच ही मैं उसे डाँटने वाला था। देखता क्या हूँ, कि भगतसिंह तुरन्त ही बन्दर की भाँति पेड़ पर चढ़ गया और गिलहरी की तरह उतर कर उसने पतङ्ग स्नेह के हाथ में पकड़ा दी और उसे प्यार भी किया। आम का वह वृक्ष मुझ से क़रीब २० फ़ीट आगे रहा होगा। जब कि ये सब कुछ हो चुका था, और जैसे ही मैं उस वृक्ष के नीचे पहुँचा, भगत सिंह बग़ल में था और बातों का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहाँ से वह टूटा था—मानों कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा बहादुर था

भगतसिंह। पतङ्ग पाकर स्नेह का आनन्द-विभोर हो जाना सर्वथा स्वाभाविक ही था। ५-६ वर्ष के बच्चे जिन मूक सङ्केतों द्वारा कृतज्ञता का प्रकाशन करते हैं, वैसे ही उसने भी किया था। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कि स्नेह ने उस ऋण से मुक्त होने का प्रयास किया है और श्रद्धेय टण्डन जी ने उसके इस प्रयास की भूमिका लिखकर उसमें सचमुच ही चार चाँद लगा दिए हैं। दोनों ही अपने है, इनके सम्बन्ध में लिखा भी क्या जा सकता है ?

रैन बसेरा
जुलाई २१, १९४७

—आर० सहगल




सरदार भगत सिंह के पार्थिव शरीर का नाश हुए १६ वर्ष से अधिक हो गया। आज भी उनका चित्र नगरों और ग्रामों के घरों और दूकानों में, कहीं अकेला और कहीं देश के दो-चार ऐतिहासिक पुरुषों, या देवताओं के चित्रों के साथ, लगा दिखाई देता है। उनका नाम देश के कोने-कोने में फैला है और श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। उनके बलिदान ने उनके नाम को देश की प्रिय-वस्तु बना दी है।

आज जब भारतवर्ष में बृटिश-शासन की समाप्ति के अन्तिम दृश्य हम देख रहे हैं, हमें भगतसिंह की बरबस याद आती है। हम भूल नहीं सकते, कि उस शासन की जड़ों को अपने क्रान्तिकारी कामों

आत्म-समर्पण से भगतसिंह ने गहरा धक्का दिया था और जनता के हृदय में उसके उखाड़ फेंकने की तीव्र भावना भर दी थी।

भगतसिंह युवावस्था में चले गए। उनकी भावनाओं की कुछ कल्पना उनके कामों और अदालत में दिए गए उनके बयानों से हम कर सकते हैं। मुझको याद है, कि केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंकने के अभियोग के उत्तर में जो बयान उन्होंने अदालत में दिया था उसका कितना गहरा प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा था।

इस पुस्तक में भगतसिंह के जीवन की कड़ियों को लड़ी में बाँधने का यत्न है। कई वर्ष हुए, श्री० जितेन्द्र नाथ सान्याल ने अङ्गरेज़ी में एक पुस्तक 'सरदार भगतसिंह' के शीर्षक से लिखी थी। उस पुस्तक का प्रकाशन गवर्नमेण्ट की आज्ञा से रोका गया था। कुछ महीने हुए हमारे प्रान्त की गवर्नमेण्ट ने उस रोक को हटाया है। इस पुस्तक के प्रकाशक श्री० रामरख सिंह सहगल की चिरञ्जीविनी, कुमारी स्नेहलता सहगल ने उसी पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक लिखी है, किन्तु इस पुस्तक में परिशिष्ट के रूप से सरदार भगत सिंह के सम्बन्ध में अधिक सामग्री दी गई है। हमारे देश के एक विशिष्ट पुरुष और उसके साथियों का विवरण होने के कारण यह पुस्तक देश के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में हिन्दी-प्रेमियों के लिए सहायक होगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ।

आज की स्थिति में यह पुस्तक सामयिक है। भगतसिंह और उनके साथियों का विश्वास देश-वैरियों की हिंसा के पक्ष में था। इस समय यह प्रश्न एक दूसरी पृष्ठ-भूमि में हमारे सामने है। हिंसा

अथवा अहिंसा—हमारे देश का पुराना दार्शनिक-प्रश्न है। हम में से हर एक के जीवन का रूप इस बात पर निर्भर करता है, कि वह किस रीति से हिंसा और अहिंसा का समन्वय करता है। जन-रक्षा और शासन से जिनका सम्बन्ध है, उनके सामने इन दो विरोधी-सिद्धांतों के समन्वय का प्रश्न हर समय व्यावहारिक रूप में रहता है। वास्तव में मनुष्य की प्रेरणाओं में और वाह्य प्रकृति की क्रीड़ाओं में रक्षा और संहार, दोनों शक्तियाँ साथ काम करती दिखाई देती हैं। प्रकृति हमें उत्पन्न करती है और हमारी रक्षा करती है, साथ ही अपनी एक हिलोर में हमारा नाश करती है। जिसके ऊपर समाज सञ्चालन का दायित्व रहता है उन्हें भी रक्षा और संहार, दोनों ही काम करने पड़ते हैं। इसी अर्थ का द्योतक भगवत-गीता का वह वाक्य है 'परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृताम्'। दुष्टों का नाश, संसार की प्रगति का आवश्यक अङ्ग है। यदि हमारी गहरी दृष्टि हो, तो उसे हिंसा में भी हमें अहिंसा दिखाई देगी। मैं किसी को मारता हूँ, तो इसका यह आवश्यक अर्थ नहीं है, कि मैं उसका बुरा चाहता हूँ, उसकी भलाई मेरे उस काम में निहित हो सकती है। हमारे हृदयों में भावनाओं का वैसे ही करुणापूर्ण संघर्ष होता है, जैसा अर्जुन के हृदय में हुआ था। सरदार भगत सिंह ने अपने लिए किस रूप में इस समस्या का हल ढूँढ़ा, यह हम इस पुस्तक से जान सकेंगे।

लखनऊ
बृहस्पतिवार, २६ आषाढ़ २००४ } —पुरुषोत्तमदास टण्डन

अमर-शहीद

# सरदार भगतसिंह

## पुस्तक की ज़ब्ती का मनोरंजक विवरण



अङ्गरेज़ी संस्करण का प्रकाशन, उसकी नाटकीय-ज़ब्ती, विभिन्न स्थानों की तलाशियाँ, गिरफ़्तारियाँ तथा मुक़दमे का ..
मनोरञ्जक विवरण



वर्तमान सिन्ध के पाकिस्तानी-गवर्नर, मि० आर० एफ़० मूडी
( जो सन् १९३१ में इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट
मैजिस्ट्रेट था ) की कलुषित मनोवृत्ति तथा
नीचता के कुछ प्रत्यक्ष नमूने
और उसका फ़ैसला :

अमर शहीद स्वर्गीय सर्दार भगत सिंह के राजनैतिक विचारों एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो अनेक भ्रान्तियाँ फैली हुई थीं, केवल उन्हें एक हद तक दूर करने के अभिप्राय से उनके अन्यतम सहयोगी एवं मित्र श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल ने उनकी एक संक्षिप्त जीवनी अङ्गरेजी में लिखी थी, जो सहगल जी द्वारा उनके फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज" ( चाँद-प्रेस ) में मुद्रित हुई थी; किन्तु वह संयुक्त प्रान्तीय गवर्नमेन्ट द्वारा ज़ब्त कर ली गई ! १२वीं जून, सन् १९३१ के प्रातःकाल संस्था पर पुलिस का धावा हुआ और सहगल जी को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित तालाशी का वॉरण्ट दिखाया गया। इस वॉरण्ट में एक विशेषता यह थी, कि तलाशी लेने की आज्ञा के अतिरिक्त, एक जुमला यह भी जोड़ दिया गया था, कि "यदि आवश्यकता समझी जाय, तो तालाशी के सिलसिले में 'बल-प्रयोग' भी किया जा सकता है।" संस्था में पुस्तक की केवल एक प्रति मिली, जिसे पुलिस ले गई, अस्तु।

दूसरे दिन, अर्थात् १३वीं जून, सन् १९३१ की शाम को पुलिस का एक सबल-दल संस्था में फिर पहुँचा, जिसमें ४-५ दारोग़ा, ख़ुफ़िया-पुलिस के कर्मचारी तथा १०-१५ सिपाही आदि थे। सहगल जी के पास इत्तिला भेजी गई कि पुलिस 'चाँद' तथा 'भविष्य' के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक को गिरफ़्तार करने आई है। श्री० त्रिवेणी प्रसाद जी, बी० ए० ने इस शुभ-


समाचार का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। चलते समय प्रेस तथा कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। उन पर फूलों की वर्षा की गई, हार आदि पहना कर वे पुलिस वालों के हवाले कर दिए गए। चूँकि सहगल जी के साथ उन्हें निजी मोटर में बैठने की आज्ञा नहीं दी गई, अतएव उन्हें जेल की लॉरी में ही बैठना पड़ा। प्रेस-कर्मचारियों ने "इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद" तथा "भगतसिंह ज़िन्दाबाद" आदि के नारों से मानों सिविल लाइन को सर पर उठा लिया।

जिस समय गिरफ़्तारी की रस्म अदा हो रही थी, उस समय संस्था के बग़ल वाले बँगले में अपनी मोटर में छिपे हुए मि० मूडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब सारा दृश्य देख रहे थे। सहगल जी स्वयं श्री० त्रिवेणी प्रसाद जी का आवश्यक सामान अपने साथ लेकर जेल तक गए; किन्तु डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर ने सामान लेने से, इसलिये इन्कार कर दिया, कि उन्हें अधिकारियों की ओर से आज्ञा नहीं मिली थी; बहुत कहने-सुनने पर २) उन्होंने दूध आदि के लिये स्वीकार किए, एक कम्बल, और तकिया भी ले लिया गया।

इसी समय मालूम हुआ कि श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल भी भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-ए के अनुसार गिरफ़्तार करके इसी जेल में लाए जा चुके हैं।

दूसरे रोज श्री० अखिल नाथ सान्याल, बार-एट-लॉ, श्री० जे० सी० मुकर्जी एडवोकेट हाईकोर्ट तथा सहगल जी जेल में 'अभि-


युक्तों' से मिलने गये; किन्तु पहिले मिलने की अनुमति देने से साफ़ इनकार कर दिया गया; यहाँ तक कि सहगल जो जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट के दुर्व्यवहार से खीज कर बाहर लौट आए; फिर थोड़ी देर के बाद साहब बहादुर अपना आगा-पीछा सोच कर स्वयं बाहर आए और बड़ी कृपा प्रदर्शित करते हुए 'अभियुक्तों' से मिलने की उन्हें तथा क़ानूनी सलाहकारों को आज्ञा दे दी गई! मिलने पर दोनों अभियुक्तों को सभों ने ख़ूब प्रसन्न-चित्त पाया। उनका कहना था, कि "सरदार भगतसिंह की जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण जेल आने से हमें जितना सन्तोष और प्रसन्नता हुई है, उसका अनुभव हम लोग ही कर सकते हैं—बाहर वाले नहीं" दूसरे दिन मुलाक़ात करने की आज्ञा, यह कह कर नहीं दी गई, कि जेल के नियमित कार्यों में बाधा होती है, केवल रविवार को भेंट की जा सकती है।

इधर श्री० अखिलनाथ सान्याल ने कलक्टर साहब को १४ जून, सन् १९३१ को इस आशय का पत्र लिखा, कि चूँकि मैं 'अभियुक्तों' का क़ानूनी सलाहकार नियुक्त हुआ हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि बिना मेरी जानकारी के कोई कार्यवाही न होनी चाहिये। दूसरे दिन कैम्प अमानगञ्ज (इलाहाबाद से लगभग २० मील दूर) से कलक्टर साहब का पत्र मिला कि "अभियुक्त १६ जून को मेरे सामने पेश किए जायँगे" न पत्र में यह लिखा था कि कहाँ पेश किए जायँगे—अमानगञ्ज में, डिस्ट्रिक्ट जेल में अथवा अदालत में; और न समय ही लिखा गया था।



शाम को सरकारी वकील से पूछने पर मालूम हुआ कि उन्हें अब तक कोई सूचना ही नहीं मिली है। दूसरे दिन सुबह जाँच की गई; पर कोई पता नहीं चला। १६ जून को दस बजे जेलर से पूछने पर मालूम हुआ, कि इस सम्बन्ध में उन्हें भी कुछ पता नहीं है !!

१६ जून की दोपहर को एकाएक किसी भले आदमी ने सान्याल साहब ( बैरिस्टर ) को हाईकोर्ट में सूचना दी कि 'अभियुक्त' अदालत में पेश हैं। मुकर्जी साहब को जरा पहले ही सूचना मिल गई थी, इसलिए वे पहिले से ही हाजिर थे। जब बैरिस्टर सान्याल अदालत में पहुँचे तो सरकारी गवाहियाँ लगभग समाप्त हो चुकी थीं। सरकारी गवाहों में सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, दारोग़ा और पेशकार आदि ही थे, जिन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी की आज्ञा तथा तलाशी आदि का समर्थन किया। इन गवाहों से 'अभियुक्त' श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल स्वयं इच्छानुकूल जिरह कर चुके थे !

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई, कि विचाराधीन क़ैदियों को भविष्य में हथकड़ी और बेड़ियों से न जकड़ा जाय, पर उन्होंने, यह कह कर प्रार्थना अस्वीकार कर दी, कि सान्याल बनारस षड्यन्त्र-केस में दण्डित हो चुका है। श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी के सम्बन्ध में कहा गया कि 'वह उनका साथी है।'

वकीलों की ओर से 'अभियुक्तों' को जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना की गई, जो तुरन्त अस्वीकृत कर दी गई और अगली



पेशी १ ली जुलाई के लिये स्थगित बतलाई गई। अभियुक्त जिस प्रकार आए थे, हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर वापिस भेज दिये गये। ये लोग 'सी' क्लास में ही रक्खे गए थे।

१७ वीं जून की शाम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज की अदालत में ज़मानत पर 'अभियुक्तों' के छोड़े जाने की दरख़्वास्त दी गई, पर उन्होंने १८ वीं जून की दोपहर को दरख़्वास्त पर विचार करने का 'हुक्म' लिख दिया। विश्वस्त-सूत्र से पता चल गया कि सरकारी वकील को गवर्नमेन्ट की ओर से इस दरख्वास्त के विरोध करने का आदेश दिया गया है।

लाहौर से समाचार मिला, कि इसी पुस्तक के सम्बन्ध में वहाँ १४ वीं जून को अनेक तलाशियाँ हुईं, जिनमें कुछ व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम ये हैं: मेसर्स रामकृष्ण एण्ड सन्स, अनारकली पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशक; कॉमरेड, रामचन्द्र, बी० ए० संयुक्त सम्पादक 'वीर भारत'; कॉमरेड क्रान्तिकुमार; लाला गनपतराय, बी०ए० सम्पादक 'बन्देमातरम्'; सरदार किशनसिंह जी, (स्वर्गीय सरदार भगतसिंह के पूज्य पिता) मेहता आनन्दकिशोर; मेसर्स वर्मा एण्ड कम्पनी; "अखिल भारतवर्षीय भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव स्मारक सङ्घ"; हिन्दोस्तानी सेवा दल; 'वीर भारत' कार्यालय; 'बन्देमातरम्' कार्यालय; सर्वेण्ट्स ऑफ़ दि पीपुल सोसाइटी आदि-आदि; किन्तु किसी भी स्थान से पुस्तक की



एक भी प्रति पुलिस वालों के हाथ नहीं लगी ! बेचारों को निराश होकर लौट जाना पड़ा !!

१ ली जुलाई को फिर मामले की पेशी हुई। श्री० अखिलनाथ सान्याल बार-एट-लॉ तथा श्री० जे० सी० मुकर्जी एडवोकेट ने इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया, कि चूँकि अभी बहुत से काग़ज़ात तथा प्रमाण संग्रह करने हैं, इसलिए थोड़ी और मोहलत मिलनी चाहिए। उन्होंने महात्मा गाँधी, पं० मदनमोहन मालवीय, 'पीपुल' तथा 'हिन्दोस्तान टाइम्स' के सम्पादक (क्रमशः) लाला फ़िरोज़चन्द तथा श्री० जे० एन० साहनी आदि कई गवाहों को तलब करने की प्रार्थना भी की थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना था, कि यदि इलाहाबाद के चन्द गवाह वे पेश करना चाहें, तो कर सकते हैं। शेष काग़ज़ात दाख़िल करने के लिये ६ जुलाई मुक़र्रर हुई और बहस के लिए ११ जुलाई, सन् १९३१। अदालत में ख़ुफ़िया पुलिस के कई अफ़सर भी उपस्थित थे।

११ वीं जुलाई, सन् १९३१ को फिर मामला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मि० मूडी की अदालत में पेश हुआ। अदालत का कमरा दर्शकों से खचाखच भरा था। प्रयाग विश्वविद्यालय तथा अन्य स्कूल तथा कॉलेजों के प्रगतिशील विद्यार्थियों की अपार भीड़ कचहरी के कम्पाउण्ड में 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' के


नारे लगा रही थीं। कुछ महिलाएँ भी मोटर तथा गाड़ियों में उपस्थित थीं, जिन्होंने अभियुक्तों के पहुँचते ही उन्हें तथा सहगल जी को स्नेहपूर्वक फूलों की मालाएँ पहनाई और बड़ा हर्ष प्रगट किया। महिलाओं के इस कार्य से दर्शकों में बड़ा जोश फैल गया और फल-स्वरूप मि० मूडी ने स्वयं टेलिफ़ोन करके पुलिस का एक जबर्दस्त दस्ता बुला भेजा। कई बार मूडी साहब को स्वयं दौड़-दौड़कर बाहर जाना पड़ा। एक बार उसके गाली देने पर दर्शकों ने नारा बलन्द किया "साला धोबी है" इस पर लाठी चार्ज की आज्ञा दे दी गई। कई व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए, बहुतों ने पुलिस की लाठियाँ छीन लीं। थोड़ी देर तक विभिन्न अदालतों की समस्त कार्यवाही रोक देनी पड़ी। ज़रा शान्ति होने पर नाक से फुङ्कारे छोड़ते हुए मूडी साहब ने पुनः आसन ग्रहण किया और ऐसे गर्म वातावरण में यह मुक़दमा पेश हुआ।

अभियुक्तों की ओर से, युक्तप्रान्तीय धारा-सभा तथा सर्वेण्ट्स ऑफ़ इन्डिया सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी, तथा केन्द्रीय एसेम्बली के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय पं० कृष्णकान्त मालवीय से, जो सफ़ाई पक्ष की ओर से गवाही देने आये थे, जिरह की गई।

## पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी

अभियुक्तों की ओर से बैरिस्टर श्री० अखिलनाथ सान्याल के पूछने पर पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी ने कहा कि हाल ही में अभियुक्त सान्याल ने मुझे 'सरदार भगतसिंह' की एक प्रति दी थी, उसे मैंने पढ़ा था। इसका अनुवाद भी मैंने पढ़ा था, जो 'भविष्य' में निकला करता था।

अभियुक्तों के वकील—क्या आप इस पुस्तक में ऐसा कोई वाक्य-समूह पाते हैं, जिससे सरकार के प्रति घृणा फैलना सम्भव हो ?

श्री० तिवारी जी ने कहा कि पुस्तक के पढ़ने पर ऐसा कोई भाव नहीं उत्पन्न होता।

इसके बाद सफ़ाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था—'जेलों में राजनैतिक क़ैदी अन्य क़ैदियों से अलग रक्खे जाते हैं।' वकील ने गवाह से पूछा, कि क्या वह अपने इस विचार का कारण बतला सकते हैं कि वह वाक्य-समूह सरकार के प्रति घृणा-भाव क्यों नहीं फैला सकता ?

गवाह ने कहा—उस वाक्य-समूह में जो कुछ भी कहा गया है, वह ७०,००० राजनैतिक क़ैदियों का अनुभव है, जो भद्र-अवज्ञा आन्दोलन के समय जेल भेजे गए थे, और इसी प्रकार


के वक्तव्य भी प्रकाशित किए गए हैं। स्वयं मेरा भी ऐसा ही अनुभव है।

श्री० तिवारी जी ने आगे कहा, कि जब पं० जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, उस समय मैं उनसे मिलने गया था। उस समय जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कहा कि प० जवाहरलाल नेहरू अपने बैरक से बाहर नहीं जा सकते हैं। वे वहाँ अकेले रक्खे गए हैं, और बैरक के बाहर घूमने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जब मैं स्वयं सज़ा पाकर जेल गया, तो पं० जवाहरलाल नेहरू से मुझे मालूम हुआ कि कुँवर महाराजसिंह (कमिश्नर) की आज्ञा से शाम और सुबह को उन्हें टहलने के लिए बाहर निकलने की आज्ञा दी गई है। जब पण्डित जी घूमने के लिए बाहर निकलते थे, तो उस समय अन्य सभी क़ैदी अपनी सेलों में बन्द रहते थे, और जब तक पण्डित जी लौट कर बैरक में वापस नहीं आ जाते थे, तब तक अन्य क़ैदी सेलों से नहीं निकाले जाते थे।

मैजिस्ट्रेट ने पं० जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी बातों के तज़करे को अनुचित समझा और इसलिए उसे नोट नहीं किया।

इसके बाद सफ़ाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया, जिसमें सरदार भगतसिंह को कोर्ट-रूम में मारने के सम्बन्ध का विवरण दिया



गया था, और पूछा कि उक्त वाक्य-समूह सरकार के प्रति असन्तोष उत्पन्न करता है या नहीं ?

श्री० तिवारी जी ने कहा कि इससे कुछ विशेष अफ़सरों को छोड़ कर, जो इस कार्य में शरीक थे, सरकार के प्रति असन्तोष का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता।

आगे सवाल करने पर गवाह ने कहा कि उक्त पुस्तक ऐसी भाषा और शैली में लिखी गई है, जिससे सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में उसकी भाषा बे-जान है और लिखने का ढङ्ग भी भद्दा-सा है। अगर लेखक चाहता तो पुस्तक बहुत ज़हरीली बन सकती थी।

सरकारी वकील के जिरह करने पर श्री० तिवारी जी ने कहा कि साधारण स्थिति के मनुष्य की हैसियत से, १२४-ए धारा में आने वाले 'hatred,' 'contempt' और 'dis-affection' शब्दों में मैं कोई अन्तर नहीं समझता। उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि 'discontent' और 'dis-affection' में कोई अन्तर नहीं है।

सफ़ाई-पक्ष के वकील—क्या आप 'revolution' और 'revolutionary' शब्दों का अर्थ जानते हैं ?

गवाह—हाँ! मैं एम० ए० हूँ।

वकील—किसी क्रान्ति में भाग लेने वाला मनुष्य क्या सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रखता है ?



गवाह—यह कुछ आवश्यक नहीं है। वह सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता।

वकील—सरकार के प्रति असन्तोष को छोड़ कर ऐसा और कौन भाव है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य क्रान्ति कर सकता है ?

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह का ध्यान निम्नलिखित वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया :

"Henceforth his life was part of a story of the revolutionary movement in India and it now behoves us to give some account of this revolutionary organisation to which Bhagat Singh dedicated his heart and soul."

अर्थात्—"अब से इनका जीवन भारतीय क्रान्ति की कहानी का एक भाग बन गया, और हमें अब उस क्रान्तिकारी सङ्गठन का कुछ विवरण देना उचित है, जिसके लिए सरदार भगतसिंह ने अपना हृदय और अपनी आत्मा समर्पित कर दी थी।"

सरकारी वकील—क्या यह सत्य नहीं है कि पुस्तक का रचयिता सरदार भगतसिंह की प्रशंसा करता है, और उन्हें उदाहरण-स्वरूप अपने पाठकों के सम्मुख, इस उद्देश्य से रखना चाहता है, कि वे उनका अनुसरण करें ?



गवाह—नहीं, मुझे तो ऐसा कोई भाव ज़ाहिर नहीं होता।

इसके बाद अदालत ने गवाह से जिरह की। अदालत के यह पूछने पर, कि समूची किताब को पढ़ कर क्या भाव उत्पन्न होता है, गवाह ने कहा—पुस्तक पढ़ते समय ऐसा कोई भाव मेरे हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे मालूम हो कि पाठकों के हृदय में इस पुस्तक से सरकार के विरुद्ध कोई भाव उत्पन्न होगा; बल्कि मेरे हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ, कि इस पुस्तक से सरकार के प्रति साधारण जनता के हृदय में, न तो कोई बुरा ही भाव उत्पन्न होगा और न अच्छा ही।

अदालत—इस पुस्तक को पढ़ कर लोग भगतसिंह को अच्छा समझेंगे या बुरा?

गवाह—भगतसिंह के सम्बन्ध में ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनका प्रभाव पाठकों पर पड़ सकता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगतसिंह-सम्बन्धी सारी बातों की लोग प्रशंसा ही करेंगे।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा—इस पुस्तक को पढ़ कर लोग भगतसिंह को, उनके कार्य करने का मार्ग दूसरा होते हुए भी, अच्छा समझेंगे।

अदालत—क्या इस पुस्तक में सरदार भगतसिंह के विरुद्ध कुछ लिखा गया है?



गवाह—जहाँ तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, न तो भगतसिंह के पक्ष में ही कोई बात लिखी गई है और न उनके विरुद्ध ही कोई बात लिखी गई है।

अदालत—यदि पाठक भगतसिंह को अच्छा व्यक्ति समझें, तो क्या उनके मन में यह ख़याल भी उत्पन्न होगा, कि उन्हें सरदार भगतसिंह के समान बनना चाहिए?

गवाह—यह आवश्यक नहीं है। जनता पर पुस्तक का साधारण प्रभाव इस ढङ्ग का नहीं पड़ता है, कि सरदार भगतसिंह का अनुकरण करने का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा—पुस्तक का प्रभाव न तो भगतसिंह के मार्ग के पक्ष में ही पड़ सकता है और न उसके विपक्ष ही में।

## (स्वर्गीय) पं० कृष्णकान्त मालवीय

अभियुक्तों की ओर के वकील के पूछने पर पं० कृष्णकान्त मालवीय ने कहा कि पढ़े गए वाक्य-समूहों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे सरकार के प्रति असन्तोष का भाव फैले।

एक दूसरे वाक्य-समूह को सुना कर वकील ने गवाह से पूछा—पुस्तक का रचयिता भगतसिंह को त्रासवादी के रूप में दिखलाना चाहता है या साम्यवादी के रूप में?

गवाह—साम्यवादी के रूप में।



आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि इस पुस्तक का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि लोगों ने इसके पहले भी समाचार-पत्रों में इन सब बातों को पढ़ लिया है।

जिरह किए जाने पर पं० मालवीय ने कहा—यह पुस्तक इतनी नम्र भाषा में लिखी गई है कि पाठकों के हृदय पर सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है।

सरकारी वकील—क्या आप जानते हैं कि भगतसिंह और सरकार एक-दूसरे के विरोधी थे ?

गवाह—हाँ !

वकील—पुस्तक पढ़कर, आप किन के साथ सहानुभूति करते हैं ?

गवाह—जो कष्ट सहन करता है, स्वभावतः वही सहानुभूति के योग्य होता है। भगतसिंह ने दुख सहा था, इसलिए उन्हीं की ओर सहानुभूति भी उत्पन्न होती है।

## दरख़्वास्त

सफ़ाई-पक्ष के वकील ने अभियुक्त श्री० सान्याल की ओर से एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें कहा गया था कि सरकारी वकील, या तो यह स्वीकार करें, कि पुस्तक में प्रकाशित वक्तव्य सच हैं, या सफ़ाई-पक्ष को यह साबित करने की आज्ञा दी जाय।


सरकारी वकील ने कहा, कि यह मामला राजद्रोह का है, मानहानि का नहीं; इसलिए उन वक्तव्यों की सत्यता प्रमाणित करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त दण्ड-विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अनुसार मुझसे उन वक्तव्यों की सत्यता के सम्बन्ध में पूछा जा सके। इसलिए मैं, न तो उन्हें असत्य ही कह सकता हूँ और न सत्य ही; किन्तु चूँकि सफ़ाई-पक्ष वाले उसे सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं, तो यदि अदालत यह स्वीकार कर ले, कि वे वक्तव्य सत्य हैं, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

श्री० सान्याल ने आज अपना वक्तव्य पेश किया। आगामी शनिवार को बहस की तारीख़ पड़ी।

## श्री सान्याल का वक्तव्य

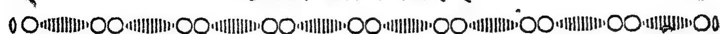
पुस्तक के रचयिता श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल ने ज़िला मैजिस्ट्रेट की अदालत में अपना निम्न-लिखित वक्तव्य पेश किया :

"मुझे पर सरदार भगतसिंह की जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण, भारतीय दण्ड-विधान की १२४-ए धारा के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। पुस्तक के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा गया है, कि मैंने उक्त पुस्तक में, सरदार भगतसिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों की प्रशंसा की है तथा एसेम्बली-बम-केस में दिए गए सरदार

हूँ कि स्वयं महात्मा गाँधी जी ने सरदार भगतसिंह की फाँसी को 'पाशविक शक्ति का प्रदर्शन' ठहराया था, सरदार पटेल ने सरदार भगतसिंह के मामले की कार्यवाही को अन्यायपूर्ण ठहराया था और जब मुझे कॉङ्ग्रेस के प्रस्ताव तथा नेताओं के वे भाषण स्मरण होते हैं, जो सरदार भगतसिंह-दिवस के अवसर पर दिए गए थे, तो मैं वास्तव में यह विश्वास करने लगता हूँ, कि विनम्र और संयत होने के कारण ही मैं सरदार भगतसिंह की जीवनी को वास्तविक रङ्ग में नहीं रँग सका।

"फिर इस अभियोग को देखते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि इस नम्रता और संयत-भाव का फल भी कितना विचित्र हुआ है! मैं यह अनुमान करने के लिए विवश किया जा रहा हूँ कि मुझ पर, इसलिए मामला नहीं चलाया जा रहा है, कि मैंने कुछ ऐसे वाक्य अपनी पुस्तक में लिखे हैं, जिन्हें खींच-तान कर विद्रोहात्मक बतलाया जा रहा है, बल्कि इसलिए, कि यह पुस्तक सरदार भगतसिंह की जीवनी है!

"मैं नहीं समझता कि उन वाक्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें विद्रोहात्मक बताया जाता है, मुझे अपनी सफ़ाई देने की आवश्यकता है। उनके सम्बन्ध में मैं सब से पहली बात यही कहना चाहता हूँ कि वे सभी बातें, जो विद्रोहात्मक बतलाई जाती हैं—पूर्णतया सत्य हैं। दूसरी बात यह है, कि उन बातों का वर्णन विद्रोह फैलाने की नीयत से नहीं किया गया है, किन्तु



उनका वर्णन, इसलिए किया गया है, कि वे बातें, सरदार भगतसिंह की जीवनी को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक थीं। उनके बिना पुस्तक में अपूर्णता रह जाती।

"अन्त में मैं, ऐसम्बली बम-केस में दिये गए सरदार भगतसिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सरदार भगतसिंह की जीवन-सम्बन्धी कोई भी पुस्तक उनके पूरे वक्तव्य के बिना अपूर्ण रह जाती। इस वक्तव्य से सरदार भगतसिंह का आन्तरिक भाव प्रगट होता है, और उससे उनके कई कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। यह कहना कि 'यह वक्तव्य राजद्रोह फैलाने के लिये ही प्रकाशित किया गया है' ग़लत है, क्योंकि यह वक्तव्य अब पुराना हो चुका है, और कोई नया उत्साह उत्पन्न करने की शक्ति अब इसमें नहीं रह गई है। यह वक्तव्य भारत के अनेक पत्रों में छप चुका है, जिनमें 'पॉयनियर' और 'सिविल एण्ड मिलिटरी गज़ेट' जैसे सरकार के हिमायती पत्र भी हैं। इसका अनुवाद भी देशी भाषाओं के अनेक पत्रों में छप चुका है। इसलिए इतने दिनों के बाद इसे प्रकाशित करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता।

"इस अभियोग के सम्बन्ध में, कि मैंने सरदार भगतसिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों को उचित ठहराया है; मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि मैंने इस प्रकार का कोई प्रयत्न अपनी पुस्तक में नहीं किया है। मैंने, न तो उनके कार्यों की प्रशंसा की



है और न निन्दा। क्योंकि मेरा यह विचार है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर फ़ैसला करना, एक इतिहासकार के क्षेत्र के बाहर की बात है। केवल घटनाओं और सच्ची बातों का चित्रण करके ही मैं सन्तुष्ट हुआ हूँ। स्थान-स्थान पर मैंने कुछ विशेष घटनाओं के मानस-शास्त्र सम्बन्धी कारण तथा घटनाओं के कारण और उनका नतीजा दिखाने की चेष्टा-मात्र की है।

# मुक़द्मे का फ़ैसला

## ( अदालती सर्टीफ़ाईड कॉपी का अक्षरशः अनुवाद )

जतीन्द्रनाथ सान्याल और त्रिवेणीप्रसाद पर "सरदार भगतसिंह : संक्षिप्त जीवन-चरित्र" नामक पुस्तक के लिए, जिसे जतीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा है और त्रिवेणी प्रसाद ने "फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज, इलाहाबाद" में मुद्रित किया है, इण्डियन-पीनल कोड की दफ़ा १२४-ए के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। इसके पूर्व कि अभियोग और सरकारी तथा अभियुक्त-पक्ष की दलीलों पर विचार किया जाय, यह आवश्यक है कि पुस्तक का सारांश जान लिया जाय।

भगतसिंह, जिसका जीवन-चरित्र सान्याल ने लिखा है, वास्तव में लाहौर के ऐसिस्टेण्ट पुलीस-सुपरिण्टेण्डेण्ट, मि० सॉण्डर्स का हत्याकारी है और वह उन दो आदमियों में से एक है, जिन्होंने अप्रैल, १९२९ में लेजिस्लेटिव एसेम्बली में बम फेंका था। पुस्तक के आरम्भ में भगतसिंह के वंश का परिचय दिया गया है। कहा गया है, कि उसके पूर्वजों ने महाराज रणजीतसिंह को "पश्चिम की तरफ़ उपद्रवी

पठानों के विरुद्ध और पूर्व की तरफ़ खतरनाक अङ्गरेज़ों के विरुद्ध सहायता दी थी।" इसके पश्चात् भारत के उग्र राजनीतिक आन्दोलन के साथ भगतसिंह के कुटुम्ब का सम्बन्ध बतलाया गया है। उसके चचा अजीतसिंह के सम्बन्ध में लिखा गया है, कि वे "लाला लाजपतराय को मातृ-भूमि की सेवा के राजनैतिक क्षेत्र में खींच लाए।" उनके लिए "बङ्ग-भङ्ग ईश्वरी देन के समान जान पड़ा" और वे "सन् १८१८ के तीसरे स्वेच्छाचारपूर्ण रेगुलेशन के अनुसार, जिससे बाद में सरकार को बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है" बर्मा को निर्वासित कर दिए गए। इन्हीं दिनों भगतसिंह के पिता और एक दूसरे चचा राजद्रोह के लिए क़ैद किए गए। उसी "शुभ-मुहूर्त में सरदार भगतसिंह का जन्म हुआ, जो अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे।" लेखक प्रश्न करता है "क्या यह केवल एक संयोग था अथवा कोई दैवी घटना ?"

आगे चल कर भगतसिंह की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। चौदह वर्ष की उम्र में "मातृ-भूमि की सेवा के उत्साह के फल-स्वरूप भगतसिंह का सम्बन्ध पञ्जाब की कुछ क्रान्तिकारी संस्थाओं से हो गया।" अपने पिता की गिरफ़्तारी, जिस पर "क्रान्तिकारियों को एक हज़ार रुपया सहायता देने का" अभियोग लगाया गया था; और "सन्. १९१४ और १९१५ के लाहौर षड्यन्त्र केसों में सिक्खों के वीरतापूर्ण बलिदान" के प्रभाव से वह "बब्बर अकालियों के उग्र क्रान्तिकारी मार्ग की तरफ़ अग्र-



सर होता गया।" पुलीस की निगरानी के कारण भगतसिंह कानपुर चला गया, जहाँ श्री० गणेश शङ्कर विद्यार्थी के साथ उसकी आजन्म मैत्री स्थापित हुई और वह "भारत के एक सुसङ्गठित क्रान्तिकारी दल का मुख्य अङ्ग बन गया।"

इसके पश्चात् भारतीय क्रान्तिकारी दल वालों की प्रारम्भिक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, कि किस प्रकार "आपस के विश्वासघात के कारण" "कुछ राजपूत और सिक्ख पल्टनों को उभाड़ कर भारत में सशस्त्र क्रान्ति मचाने की चेष्टा" असफल हो गई। सिङ्गापुर की ५ वीं लाईट इन्फ़ैण्टरी के "भयङ्कर बलवे" और बाद में सन्दिग्ध रेजिमेण्टों को "फ्रान्स के सब से कठिन रणक्षेत्रों" में भेजे जाने का भी वर्णन किया है। "बारदोली की हार" के पश्चात् गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलन जोरों से फैलने लगा और इलाहाबाद में "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन" (भारतीय प्रजातन्त्रवादी समिति) की स्थापना हुई, जिसमें भगतसिंह भी सम्मिलित हुआ। इसके फल से काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इस मुक़द्मे के बाद भगतसिंह लाहौर वापस चला गया। इस समय तक वह "इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका था, जिससे उसे शेष जीवन भर सामग्री प्राप्त होती रही" और "उसने रूसी क्रान्तिकारीयों के आदर्श पर एक "स्टडी सर्किल" (अध्ययन-समिति) की स्थापना की।" उसने "उपयुक्त साहित्य" का एक पुस्तकालय भी संग्रह किया जो "अभाग्यवश" पुलीस की निगरानी के कारण बर्बाद हो गया।



मिलने लगा, पर कलकत्ता कॉङ्ग्रेस के अवसर पर जब वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के पुराने नेताओं से मिले तो उनको पता चला, कि यद्यपि वे उनके सशस्त्र क्रान्ति मचाने के अन्तिम उद्देश्य से सहमत हैं, पर "पार्टी के प्रोग्राम में उपद्रवों के रक्खे जाने और रहस्यगोपन की आवश्यकता" के सम्बन्ध में उन्होंने मतभेद प्रगट किया। बङ्गाल के क्रान्तिकारी दल वाले बम का उपयोग करना पसन्द नहीं करते थे, पर भगतसिंह ने उनमें से एक को बम बनाना सिखाने के लिए राज़ी किया। इसका फल अप्रैल, १९२९ का एसेम्बली बम-काण्ड हुआ। लेखक ने इसे "एक बड़ा सुरञ्जित द्रश्य" बतलाया है, जैसा "देहली के बादशाही शहर को फिर देख सकना कभी नसीब न होगा।" "बहादुर कौन्सिल-मेम्बरों में से अधिकांश के भयभीत होने के हास्य-जनक द्रश्य" का वर्णन करके लेखक लिखता है—"पर देखो, सरकारी मेम्बरों की तरफ़, मुख्य द्वार और महिलाओं की गैलरी के बीच में दो नवयुवक दिखलाई पड़ते हैं, वे ऐसे निर्भय और शान्त हैं, मानो तन्मय हो कर किसी भावी स्वप्न को देख रहे हों। वे दो ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं—सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त। अपनी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इन दोनों क्रान्तिकारियों ने भागने की कोशिश नहीं की, वरन् उन्होंने 'क्रान्ति चिरञ्जीव हो' 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाए, जो कि शीघ्र ही भारतवर्ष के नवयुवकों की पुकार, बन गए।"



एसेम्बली बम-काण्ड को "केवल भगतसिंह के जीवन की ही नहीं, वरन् क्रान्तिकारी भारत के इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना" बतलाया गया है। क्रान्तिकारी दल अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में उत्तेजनापूर्ण ढङ्ग से घोषणा करना चाहता था। चूँकि सॉण्डर्स हत्याकाण्ड के लिए कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया था, इसलिए निश्चय किया गया, कि कोई दर्शनीय-उपद्रव किया जाय और उसके करने वाले अपने को पुलीस के हाथों में पकड़ा दें। आरम्भ में जिन लोगों से एसेम्बली बम-काण्ड करने को कहा गया था, उनमें भगतसिंह शामिल न था। पर जब एक मित्र ने उससे ऐसा करने को कहा तो उसने एक पत्र द्वारा "जो प्रेम और भावुकता के भावों से परिपूर्ण था" स्वीकृति दे दी।" अभाग्यवश यह पत्र अब पुलीस के क़ब्ज़े में है।

"एसेम्बली बम केस की कार्रवाई का क्रान्तिकारी दल के कार्य की वृद्धि करने के लिये पूर्णरूप से उपयोग किया गया" और अभियुक्तों ने वीरतापूर्वक अदालत के सामने बयान देकर अपना यह सन्देश दिया कि भारतवासियों के मज़दूर और किसान-दलों की स्थापना के लिए उद्योग करना चाहिए, जिससे जनता के लिए सच्चा स्वराज्य प्राप्त किया जा सके।" उन्होंने अपना यह "ऐतिहासिक बयान" सेशन्स-कोर्ट के सामने दिया। लेखक के मतानुसार "नवयुवकों के ऊपर इस बयान का बिजली का-सा असर पड़ा" और "अनेक समाचारपत्र और सार्व-

जनिक कार्यकर्त्ता नवयुवकों के उद्देश्य की सराहना करने लगे।"
नौवजवान भारत-सभा ने प्रकाशन कार्य के लिए सङ्गठन किया, जिससे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के इन दोनों प्रतिनिधियों का नाम हो गया" और "उनका इरादा पूरी तरह से सफल हुआ।"

इसके पश्चात् लेखक ने पञ्जाब की जेलों में क्रान्तिकारियों के अनशन का वर्णन किया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक क़ैदियों के साथ अधिक अच्छा बर्ताव करना था और जेल के व्यवहार के उदाहरण-स्वरूप बनारस षड्यन्त्र केस में सजा पाए ग्यारह अभियुक्तों में एक के पागल हो जाने और तीन के मर जाने का वर्णन दिया है। अनशन के समाप्त होने पर भगतसिंह और अन्य दो व्यक्ति "विचार करने लगे कि पार्टी के उद्देशों को किस तरह अधिक से अधिक सिद्ध किया जा सकता है" और उन्होंने निश्चय किया कि लाहौर कॉन्सपिरेसी केस की कार्रवाई को इस तरह किया जाय, जिससे उनके आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्य और कार्य-प्रणाली का खूब प्रचार हो सके।" अतएव वे लोग नियमित रूप से अदालत में जाते और कार्रवाई के शुरू में क्रान्तिकारी नारे लगाते। उनके आन्दोलन करने से मुक़दमे की कार्रवाई देखने को, जो कि लाहौर सेण्ट्रल जेल के भीतर था, कितने ही दर्शकों को आज्ञा दी गई। ये दर्शक "अदालत में जो कुछ सुनते थे उससे उत्साहित और उद्यत होते थे।" अभियुक्तों ने ऐसे किसी अवसर को हाथ से


नहीं जाने दिया, जिससे "उनकी चेष्टा के वीरत्व" और "उनकी कार्य-प्रणाली के विवरण" का प्रसार हो। इसके बाद लेखक ने "आठ ख़ूँख्वार पठानों" द्वारा भगतसिंह के पीटे जाने का वर्णन किया है, और बतलाया है कि किस प्रकार फिर भी भगतसिंह ने अपनी टेक न छोड़ी।

गवर्नमेण्ट ने "लाहौर कॉन्सपिरेसी केस से देश के नव-युवकों पर पड़ने वाले भीषण प्रभाव" को कम करने के लिए लाहौर कॉन्सपिरेसी केस ऑर्डिनेन्स बनाया। भगतसिंह ने इसे बहुत शुभ समझा, क्योंकि इससे "ब्रिटिश न्याय की पोल खुलती थी।"

इस अभियोग में सज़ा दिये जाने के बाद "लाहौर और हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े शहरों के निवासियों, ख़ास कर नव-युवकों, औरतों और विद्यार्थियों का जोश उमड़ पड़ा" और एक प्रस्ताव जिसमें "भगतसिंह और दूसरों को उनके वीरता-पूर्ण बलिदान के लिए बधाई दी गई थी, पास किया गया।" प्रिवी कौंसिल में अपील करने का आयोजन किया गया जिससे "विदेशों में प्रचार-कार्य हो सके" और सभ्य संसार को विदित हो जाय कि भारत के राजनैतिक "क़ैदियों को कैसा अमानुषिक व्यवहार सहन करना पड़ता है।" दूसरा उद्देश्य यह था, कि इङ्गलैण्ड के शत्रुओं को पता लग जाय कि भारत में एक साम्य-वादी क्रान्तिकारी दल मौजूद है।"


• भगतसिंह को फाँसी के विरुद्ध आन्दोलन, सन्धि हो जाने से रुक गया, "जो नवयुवकों की दृष्टि में सिवाय आत्म-समर्पण के कुछ न थी।" "कॉङ्ग्रेस के नेताओं ने एकाएक सार्वजनिक आन्दोलन को रोक दिया, गवर्नमेण्ट ने अवकाश पाकर साँस ली और और तब शान्ति के साथ फाँसी की सज़ाएँ कार्य रूप में परिणित की गईं।" लेखक पूछता है "क्या अपने विरोधियों के ऊपर अन्तिम शानदार विजय पाने के लिए परमात्मा भी भगतसिंह की सहायता कर रहा था?" फाँसी के सम्बन्ध में पण्डित जवाहरलाल का उद्गार—"पर जो अब नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान बना रहेगा और जब इङ्गलैण्ड हमसे बातें करेगा और समझौते के लिए कहेगा, तो हमारे बीच में भगतसिंह की लाश पड़ी होगी; जिससे कहीं हम उसे भूल न जायँ, कहीं हम उसे भूल न जायँ।"

अन्तिम अध्याय में, जिसका शीर्षक "संस्मरण और भावनाएँ" हैं, लेखक ने भगतसिंह के चरित्र और उद्देश्यों का वर्णन किया है। बतलाया गया है कि वह एक सुन्दर नवयुवक था, उसकी आवज़ सुरीली थी, वह भावपूर्ण ढङ्ग से गा सकता था और उसका हृदय भावुकता और सहानुभूति से भरा हुआ था। तत्पश्चात् लेखक ने उसकी साहित्यिक-रुचि और उसके नास्तिक मत स्वीकार करने का वर्णन किया है। बतलाया गया है, कि वह साम्यवादी था और सिवाय थोड़े से समय के, वह कभी आतङ्कवादी नहीं रहा, और "२३ मार्च के सन्धया-काल


तक, जब कि भगतसिंह अपनी काल-कोठरी से अन्तिम शानदार यात्रा के लिए बाहर निकला, जीवन भर कभी एक क्षण के लिए भी किसी तरह का निराशापूर्ण विचार उसके मस्तिष्क में नहीं आया।" अन्त में लेखक ने 'पीपुल' से यह उद्धरण देकर पुस्तक समाप्त की है—"वर्तमान समय की घटनाओं में किसी ने सर्वसाधारण के ध्यान को इतना अधिक आकर्षित नहीं किया, जितना कि भगतसिंह के वीरतापूर्ण चरित्र ने। उसका अभी से एक उपाख्यान बन गया है और वह एक पौराणिक वीर की भाँति माना जाने लगा है। भारत के नव-युवकों का उस पर अभिमान करना उचित ही है। उसका अनुपम साहस, उसका उच्च आदर्श, उसका निर्भयतापूर्ण भाव प्रकाश-स्तम्भ की तरह कितनी ही भूली-भटकी आत्माओं को मार्ग दिखलाता रहेगा......यद्यपि भगतसिंह मर गया, पर जब लोग 'क्रान्ति चिरञ्जीव हो' का नारा लगाते या सुनते हैं, तो दूसरा नारा 'भगतसिंह चिरञ्जीव हो' भी उसमें सदैव निहित रहता है।"

पुस्तक के अन्त में एक परिशिष्ट है, जिसमें एसेम्बली बम केस के सिलसले में सेशन्स जज की अदालत में दाखिल किया गया, भगतसिंह का बयान दिया गया है।

मैंने पुस्तक की चर्चा कुछ विस्तारपूर्वक की है, क्योंकि अभि-योग उसके कुछ खास् वाक्यों के लिए नहीं चलाया गया है, वरन् इसलिए, कि उस पूरी पुस्तक के पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता



है। अभियोग में पुस्तक के कुछ पन्ने उदाहरण-रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, पर लेखक ने भारत में क़ानून द्वारा स्थापित गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा विशेष रूप से इस प्रकार की है—(१) भगतसिंह और दूसरे उपद्रवकारियों के कामों का औचित्य सिद्ध करने और उनके प्रति पाठकों में सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा करके और (२) भगतसिंह ने जो बयान देहली के सेशन्स कोर्ट में दाखिल किया था उसे बिना किसी प्रकार की निन्दा, बल्कि अप्रत्यक्ष प्रशंसा के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित करके।

पहले अभियोग के सम्बन्ध में मि० सॉण्डर्स की हत्या (पृष्ठ ३७) "संसार को यह जतलाने के लिए की गई कि लाला जी के पीटने को भारत ने चुपचाप नहीं सह लिया" और इसलिए जो पुलीस अफ़सर "लाला जी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे" मार डाले गए। (पृष्ठ ३६) एसेम्बली बम-काण्ड के "ट्रेड डिसप्यूट बिल और पब्लिक सेफ़्टी बिल के अन्यायपूर्ण नियमों के प्रति अपना विरोध" प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। समस्त पुस्तक में कहीं पर एक भी ऐसा वाक्य नहीं जिससे पाठक यह समझें कि लेखक भगतसिंह और उसके सहकारियों के काम करने के ढङ्ग की निन्दा करता है और मैं सिर्फ़ एक वाक्य में कुछ ऐसी बात पा सका हूँ कि उपद्रव द्वारा क्रान्ति की नीति विचारणीय है। सातवें पृष्ठ पर लेखक ने यह स्वीकार करने के पश्चात्, कि बब्बर अकालियों



के उपद्रवपूर्ण ढङ्गों को बहुत से लोग पसन्द नहीं करते, कहा है, कि उनमें "कुछ लोग सचमुच बड़े उच्च चरित्र के थे।" यद्यपि यह सन्देहास्पद है कि इस अकेले वाक्य का आशय उपद्रवों की निन्दा करना है, पर यदि इसका आशय ऐसा हो भी तो वह समस्त किताब को देखते हुए बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि जब कि पुस्तक में उपद्रवकारियों के अपने कार्यों के लिए पेश किए गए कारणों और उज्रों को पूरी तरह से बयान किया गया है; उसमें दरअसल कोई भी ऐसी बात नहीं, जिससे यह प्रकट हो कि समझदार लोग उनके कामों की निन्दा करते हैं।

तमाम किताब को एक बार पढ़ जाने से अथवा मैंने जो सारांश दिया है, उससे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि इसका नायक भगतसिंह है। यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह उसके जीवन का पक्षपात-रहित और स्वतन्त्र वर्णन है, वरन् यह उसके उद्देश्यों और काम करने के ढङ्गों की प्रशंसा के समान है। इस बात का इशारा किया गया है कि उसका जन्म परमात्मा की खास इच्छानुसार हुआ था; उसे कई जगह एक उत्साही विद्या-व्यसनी और सुसंस्कृत व्यक्ति बतलाया गया है, जिसका कोमल हृदय सद्भावों से भरा हुआ था। आतङ्कवादियों के कामों के लिए बराबर प्रशंसा के पुल बाँधे गए हैं, उनको जगह-जगह वीर और देशभक्त दर्शाया गया है, जब कि उनकी शत्रु गवर्नमेण्ट का नाम शायद


ही कहीं बिना घृणा या निन्दा के लिया गया हो। सॉण्डर्स-हत्याकाण्ड को "सफलता" बतलाया गया है और भगतसिंह के लिऐ कहा गया है कि उसने अपनी मृत्यु द्वारा भी गवर्नमेण्ट पर एक विजय प्राप्त की, क्योंकि उससे उग्र विचार वालों का पक्ष मज़बूत बन गया। ऐसे उदाहरण और ज्यादा देना निरर्थक है। इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं कि तमाम किताब का कम से कम असर, ख़ास कर नौजवानों के अधूरे दिमाग़ पर, यही होगा कि वे भगतसिंह को श्लाघनीय दृष्टि से देखने लगेंगे और बहुत से उसके कार्यों की नक़ल भी करना चाहेंगे; और वे सरकार से घृणा करने लगेंगे, जिसने उसे मृत्यु-दण्ड दिया।

दूसरा क़सूर यह बतलाया गया है, कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बयान सेशन्स कोर्ट में दिया था, उसे छाप कर सान्याल ने गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा की है। इस बयान को जो महत्व दिया गया है वह पुस्तक के ५६ वें पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया है। लेखक के मतानुसार भगतसिंह इसे इतना महत्वपूर्ण मानता था, कि एसेम्बली बम-काण्ड का समस्त प्रदर्शन इसे उपयुक्त स्थान देने के लिए ही किया गया था। इसका प्रभाव बिजली के समान बतलाया गया है। भगतसिंह प्रचार-कार्य को जो महत्व देता था, उस पर पृष्ठ ९२ और ९३ में फिर से ज़ोर दिया गया है। इसलिए लेखक प्रचार की दृष्टि से इस बयान के मूल्य को भली-भाँति समझता है, और मुझे जान पड़ता है कि उसने इसको जो स्थान दिया है उसका आशय


यही है कि वह उसमें निहित विचारों के लिए पाठकों से सिफ़ारिश करता है। यह सच है कि उसने यह सिफ़ारिश कहीं पर स्पष्ट तौर पर नहीं की है, पर भगतसिंह के लिए उस ढङ्ग से, जिसका वर्णन मैं ऊपर कर चुका हूँ, अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने और यह बतलाने से कि भगतसिंह इस बयान का इतना अधिक महत्व समझता था कि इसे ऐसी परिस्थिति में प्रकट करने के लिए, जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार हो सके, वह लम्बी क़ैद की सज़ा भोगने को तैयार हो गया। सान्याल का आशय यही प्रगट होता है, कि वह चाहता था कि उसके पाठक इस बयान के पहले से ही अनुकूल हो जायँ और इसे पुस्तक का सब से महत्वपूर्ण अङ्ग समझें।

इसलिए इस परिशिष्ट पर विचार करना अवश्यकीय है। एसेम्बली बम-काण्ड के लिए कहा गया है कि वह "उस संस्था के प्रति एक क्रियात्मक विरोध था, जिसने अपने जन्म-समय से ही, न केवल अपनी निरर्थकता ही स्पष्ट रूप से प्रकट की है, वरन् अपनी हानि पहुँचाने वाली प्रभावपूर्ण शक्ति को भी प्रकट कर दिया है...... और जो हद दर्जे के उत्तरदायित्व-शून्य और निरङ्कुश शासन का नमूना है।" ( पृष्ठ ११६ ) "संक्षेप में ईमानदारी से खोज करने के बाद भी हम एक ऐसी संस्था का, जिसकी शान-शौकत हिन्दुस्तान के करोड़ों ग़रीबों के परिश्रमपूर्वक पैदा किए धन से बढ़ाई जाने पर भी जो एक कोरा तमाशा तथा दिखावटी ढोंग है, अस्तित्व क़ायम रखने का कोई उपयुक्त कारण



नहीं पा सके हैं।" (पृष्ठ ११७) आगे चल कर वे यह भी कहते हैं कि हिन्दुस्तान की परिश्रम करने वाली करोड़ों जनता एक ऐसी संस्था से किसी प्रकार की आशा नहीं कर सकती, जो कि लूटने वाले मालदारों की घातक शक्ति और असहाय श्रमजीवियों की गुलामी के लोभमय स्तम्भ के समतुल्य है।"

इस प्रकार की दशा का इलाज "काल्पनिक अहिंसावाद' द्वारा नहीं हो सकता है। "जब कि शक्ति का उपयोग आक्रमण के लिए किया जाता है तो वह उपद्रव है और इसलिए नैतिक दृष्टि से न्यायानुकूल होती है। पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त प्रयोजन के लिए दिया जाता है तो यह नैतिक दृष्टि से न्यायानुकूल होती है।" मानवजीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए इस बयान के देने वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने को जान-बूझ कर "साम्राज्यवादी लुटेरों" के सुपुर्द कर दिया है। इसके बाद उन्हों ने बतलाया है कि क्रान्ति से उनका आशय क्या है। यह कम्युनिस्ट ढङ्ग का लेख है, जिसका अन्त "क्रान्ति चिरञ्जीव हो" से होता है। इस प्रकार यह परिशिष्ट भारत-सरकार के शासन-अङ्गों और स्वयम् भारत-सरकार का ऐसे शब्दों में वर्णन करके जिनसे स्पष्टतया घृणा और अप्रीति उत्पन्न होती है, सशस्त्र क्रान्ति का समर्थन करता है, जिससे इस देश में कम्यूनिस्ट सरकार क़ायम की जा सके। यह वह बयान है जिसके महत्व पर पुस्तक में ख़ूब जोर दिया गया है।



इसलिए इस किताब को लिखने से लेखक का उद्देश्य यही मालूम पड़ता है कि आतङ्कवादियों और उनकी कार्य-प्रणाली की प्रशंसा हो और इस देश के लोग अथवा उतने लोग, जो इस पुस्तक को पढ़ें, उपद्रव द्वारा क्रान्ति करने को उत्तेजित हों। पर वह इससे इन्कार करता है और कहता है कि उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि यद्यपि एक समय भगतसिंह हिंसा का पक्षपाती था, पर अन्त में वह साम्यवादी बन गया। लेखक के कथनानुसार साम्यवाद से उसका आशय सामूहिक आन्दोलन से है, न कि अहिंसात्मक आन्दोलन से। इस कथन को सिद्ध करने के लिए अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से पृष्ठ २६ का निम्न-लिखित वाक्य पेश किया गया है—"काकोरी केस की फाँसियों ने उसे ( भगतसिंह को ) पक्का उपद्रववादी बना दिया था। पर भारतीय समस्याओं के सम्बन्ध में उसके गम्भीर अध्ययन ने, जिन्हें वह संसार की समस्याओं के समतुल्य ही मानता था, उसकी सम्मति को बदल दिया। नेशनल कॉलेज में अध्ययन करने से वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया और रूस के शासन को अपने आदर्श के बहुत कुछ अनुकूल मानने लगा।"

इसका अर्थ यह हो सकता है कि पहिले भगतसिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना था, पर बाद में उसका उद्देश्य सोवियट सरकार क़ायम करना हो गया। २८ वें पृष्ठ में लिखा है कि पुराना क़िला, दिल्ली की मीटिङ्ग में भगतसिंह ने "अपने को एक साम्यवादी कार्यकर्त्ता के रूप में प्रकट किया" और "पुलीस



नहीं पा सके हैं।" (पृष्ठ ११७) आगे चल कर वे यह भी कहते हैं कि हिन्दुस्तान की परिश्रम करने वाली करोड़ों जनता एक ऐसी संस्था से किसी प्रकार की आशा नहीं कर सकती, जो कि लूटने वाले मालदारों की घातक शक्ति और असहाय श्रमजीवियों की गुलामी के लोभमय स्तम्भ के समतुल्य है।"

इस प्रकार की दशा का इलाज "काल्पनिक अहिंसावाद द्वारा नहीं हो सकता है। "जब कि शक्ति का उपयोग आक्रमण के लिए किया जाता है तो वह उपद्रव है और इसलिए नैतिक दृष्टि से न्यायानुकूल होती है। पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त प्रयोजन के लिए दिया जाता है तो यह नैतिक दृष्टि से न्यायानुकूल होती है।" मानवजीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए इस बयान के देने वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने को जान-बूझ कर "साम्राज्यवादी लुटेरों" के सुपुर्द कर दिया है। इसके बाद उन्हों ने बतलाया है कि क्रान्ति से उनका आशय क्या है। यह कम्युनिस्ट ढङ्ग का लेख है, जिसका अन्त "क्रान्ति चिरञ्जीव हो" से होता है। इस प्रकार यह परिशिष्ट भारत-सरकार के शासन-अङ्गों और स्वयम् भारत-सरकार का ऐसे शब्दों में वर्णन करके जिनसे स्पष्टतया घृणा और अप्रीति उत्पन्न होती है, सशस्त्र क्रान्ति का समर्थन करता है, जिससे इस देश में कम्यूनिस्ट सरकार क़ायम की जा सके। यह वह बयान है जिसके महत्व पर पुस्तक में खूब जोर दिया गया है।



इसलिए इस किताब को लिखने से लेखक का उद्देश्य यही मालूम पड़ता है कि आतङ्कवादियों और उनकी कार्य-प्रणाली की प्रशंसा हो और इस देश के लोग अथवा उतने लोग, जो इस पुस्तक को पढ़ें, उपद्रव द्वारा क्रान्ति करने को उत्तेजित हों। पर वह इससे इन्कार करता है और कहता है कि उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि यद्यपि एक समय भगतसिंह हिंसा का पक्षपाती था, पर अन्त में वह साम्यवादी बन गया। लेखक के कथनानुसार साम्यवाद से उसका आशय सामूहिक आन्दोलन से है, न कि अहिंसात्मक आन्दोलन से। इस कथन को सिद्ध करने के लिए अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से पृष्ठ २६ का निम्न-लिखित वाक्य पेश किया गया है—"काकोरी केस की फाँसियों ने उसे (भगतसिंह को) पक्का उपद्रववादी बना दिया था। पर भारतीय समस्याओं के सम्बन्ध में उसके गम्भीर अध्ययन ने, जिन्हें वह संसार की समस्याओं के समतुल्य ही मानता था, उसकी सम्मति को बदल दिया। नेशनल कॉलेज में अध्ययन करने से वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया और रूस के शासन को अपने आदर्श के बहुत कुछ अनुकूल मानने लगा।"

इसका अर्थ यह हो सकता है कि पहिले भगतसिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना था, पर बाद में उसका उद्देश्य सोवियट सरकार क़ायम करना हो गया। २८ वें पृष्ठ में लिखा है कि पुराना क़िला, दिल्ली की मीटिङ्ग में भगतसिंह ने "अपने को एक साम्यवादी कार्यकर्त्ता के रूप में प्रकट किया" और "पुलीस


के अफ़सरों और मुख़बिरों की हत्या की बात पीछे पड़ गई।" पर यह बात पूर्ण रूप से न त्यागी गई होगी, क्योंकि यह मीटिङ्ग सितम्बर, १९२८ में हुई थी और मि० सॉण्डर्स उसी वर्ष दिसम्बर में मारे गए। इसके सिवाय ४४ वें पृष्ठ में वर्णित बम और उपद्रवों के उपयोग के सम्बन्ध में भगतसिंह और बङ्गाल के क्रान्तिकारियों का मतभेद भी हमको याद है। फिर परिशिष्ट में (पृष्ठ १२५) कहा गया है कि क्रान्ति में "व्यक्तिगत बदले" का कोई स्थान नहीं है। इन वाक्यों के होते हुए यह विश्वास कर सकना असम्भव है, कि लेखक का उद्देश्य इस पुस्तक के लिखने से यह था कि भगतसिंह ने आतङ्कवाद को त्याग दिया था। सम्भव है, उसने समझ लिया हो कि हत्याओं को ही उद्देश्य मानना निरर्थक है, पर किताब के अन्तिम भाग के अधिकांश में क्रान्तिकारी विचारों के फैलाने के लिए हत्याओं का महत्व ही सिद्ध किया गया है।

अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से यह दलील भी पेश की गई है कि यह किताब अप्रीति उत्पन्न नहीं कर सकती; क्योंकि इसकी सब बातें पहले प्रकट हो चुकी हैं और इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। परन्तु इस बात को छोड़ते हुए भी कि इस सम्पूर्ण पुस्तक को राजविद्रोहपूर्ण बतलाया गया है न कि इसके कुछ विशेष वाक्यों को; यह प्रश्न उठता है, कि लेखक ने इसे क्यों लिखा और वह किस उपाय से इसकी एक हज़ार प्रतियों को छपा सका। इसका उत्तर मुझे यही जान पड़ता है


कि इस मौक़े पर इस पुस्तक के प्रकाशित करने का उद्देश्य भगतसिंह की स्मृति को जीवित रखना था। मैं पं० जवाहरलाल नेहरू का उद्धहरण भी पेश करना चाहता हूँ जो पुस्तक के ९९ वें पृष्ठ पर दिया गया है, "कहीं हम भूल न जाएँ।"

यह दलील पेश की गई है कि पुस्तक में गवर्नमेण्ट के कार्य की किसी तरह की आलोचना नहीं की गई है। कितने ही अप्रत्यक्ष आक्षेपों के होते हुए भी यह ठीक है। पर दोष यह नहीं लगाया गया है कि पुस्तक गवर्नमेण्ट की आलोचना द्वारा अप्रीति उत्पन्न करती है, वरन् यह कि इसमें गवर्नमेण्ट के शत्रुओं की प्रशंसा करके ऐसा किया गया है।

अभियुक्त-पक्ष ने केवल तीन गवाहों को बुलाया था जिनमें से दो पेश हुए। मैं दरअसल उनकी गवाही को कुछ भी महत्व प्रदान नहीं करता, उनके उत्तर ज़रा भी साफ़ न थे और उनका ढङ्ग विश्वास करने के योग्य न था।

अन्त में मुझे यह कहने में किसी प्रकार की शङ्का नहीं है कि इस पुस्तक के लिखने से लेखक का उद्देश्य गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति उत्पन्न करना और आतङ्कवादियों तथा क्रान्तिकारियों के लिये अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करना था। केवल इतना ही नहीं, उसने सशस्त्र बलवे के विचार को फैलाने की भी कोशिश की है। इसलिए मेरा विचार है कि "सरदार भगतसिंह" का लेखक जितेन्द्रनाथ सान्याल और उसका प्रिण्टर त्रिवेणी-प्रसाद ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा १२४-ए के अनुसार दोषी हैं।

अब सजा का प्रश्न शेष रह जाता है। जतीन्द्रनाथ सान्याल नवयुवक है और उसकी नई उम्र से मुझे उसके साथ रियायत करने का ख्याल हो सकता था। पर यह किताब केवल अप्रीति और घृणा ही उत्पन्न नहीं करती, वरन् यह भी बतलाती है कि जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, उनके लिए उचित मार्ग, देश को आतङ्कवाद के प्रचार द्वारा पूरी तरह से तैयार करने के पश्चात् सशस्त्र क्रान्ति ही है। इसलिए इसका अर्थ बहुत बड़ी हानि पहुँचाना है, और इसे हत्या के लिए उत्तेजित करना कहा जा सकता है। इस लिए रियायत करना अनुचित होगा। इसमें निर्दोष व्यक्तियों की जान का सवाल है। इसलिए मैं जितेन्द्रनाथ सान्याल को दो वर्ष की कड़ी क़ैद का दण्ड देता हूँ।

त्रिवेणीप्रसाद का मामला भिन्न प्रकार का है। उसने फ़ाइन आर्ट प्रिण्टिङ्ग कॉटेज का चार्ज इसी वर्ष ९ अप्रैल से लिया था। यह किताब शायद उसकी पहली कृतियों में से है। वह मुझे कोई विशेष बुद्धिमान अथवा चरित्रबल का व्यक्ति नहीं जान पड़ता और सम्भवतः वह उस ख़तरे को भी नहीं समझता था, जिसे वह ले रहा था। इसलिए मैं त्रिवेणीप्रसाद को एक हज़ार रुपया जुर्माना, या उसे अदा न करने पर, छः महीने की कड़ी क़ैद की सजा देता हूँ।

- अमर-शहीद -

# सरदार भगतसिंह

# पहला परिच्छेद

## वंश-परिचय और बचपन

सरदार भगतसिंह ने लायलपुर ज़िले के एक प्रसिद्ध सिक्ख वंश में जन्म ग्रहण किया था। इनके पूर्वज महाराज रणजीतसिंह के समय में 'खालसा सरदार' के नाम से प्रसिद्ध थे। पश्चिम में ख़ूँख्वार पठानों और पूर्व में शक्तिशाली अङ्गरेज़ों के विरुद्ध, सिक्ख साम्राज्य फैलाने में, इन लोगों ने सिक्ख शासकों को यथेष्ट सहायता पहुँचाई थी। उनके लिए अपना ख़ून बहा कर इस परिवार ने पुरस्कार-स्वरूप काफ़ी जायदाद भी प्राप्त की थी।

भगतसिंह के पितामह स्वर्गीय सरदार अर्जुनसिंह पहले एक बड़े जमींदार थे। आपकी अवस्था ८० वर्ष की हो जाने पर भी आप ख़ूब हट्टे-कट्टे थे। लाहौर षड़यन्त्र केस में आप बड़े मनोयोग से भाग लिया करते थे। राष्ट्रीयता का भाव आप में कूट-कूट कर भरा था। सरदार बहादुरसिंह और दिलबाग़सिंह आदि इनके भाई-बन्धु सरकार की सेवा करने के कारण धनवान् हो गए थे और इस समय वे उच्च श्रेणी के रईसों में गिने जाते थे। परन्तु सरदार अर्जुनसिंह ने एक दूसरे ही पथ का अनुसरण किया, जिस से मनुष्य न, तो


ही बन सकता है और न नाम ही कमा सकता है। सरदार भगतसिंह की दादी श्रीमती जयकौर, हिन्दू परिवार की एक आदर्श महिला थीं। आप ही ने अपने पुत्रों और पौत्रों का पालन-पोषण किया था। आप एक वीर महिला थीं। आप प्रसिद्ध देशभक्त सूफ़ी अम्बा प्रसाद के विषय में अपने उद्गार प्रकट किया करती हैं। सूफ़ी अम्बा प्रसाद अर्जुनसिंह के यहाँ आए हुए थे, पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए आ धमकी, किन्तु इस वीर महिला ने बड़ी बुद्धिमानी से उन्हें बचा लिया।

सरदार अर्जुनसिंह के तीन पुत्र हैं—सरदार किशनसिंह, सरदार अजीतसिंह और सरदार स्वर्णसिंह। ये तीनों भाई अपने सच्चे देश-प्रेम के लिए सारे पञ्जाब में प्रसिद्ध हैं। क़ैद, निर्वासन तथा दरिद्रता के द्वारा इनकी देशभक्ति की कड़ी परीक्षा हो चुकी है।

कहा जाता है, कि सरदार भगतसिंह के चचा सरदार अजीतसिंह ने ही लाला लाजपतराय को राजनैतिक क्षेत्र की ओर आकर्षित किया था। सरदार अजीतसिंह अच्छे धनवान थे, किन्तु राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए पञ्जाब को सङ्गठित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने गार्हस्थ्य जीवन के सुखों पर लात मार दी। इसी समय, अर्थात् १९०४-५ के लगभग, दैवयोग से बङ्ग-भङ्ग हुआ। सारे बङ्गाल ने लॉर्ड कर्ज़न के इस कार्य का ज़ोरों से विरोध किया। बङ्गाल के इस आन्दोलन


से सुदूरस्थ पञ्जाब भी प्रभावित हो उठा। वहाँ भी लाला लाजपतराय, सरदार अजीतसिंह और इनके घनिष्ट मित्र सूफ़ी अम्बाप्रसाद, अपने ओजस्वी भाषणों से देश में उत्तेजना फैलाने लगे। इस आन्दोलन में सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह तथा उनके चचा सरदार स्वर्णसिंह ने भी उचित भाग लिया। सरदार किशनसिंह ने, यद्यपि सुवक्ता होने की ख्याति नहीं प्राप्त की थी, किन्तु देश में जागृति फैलाने के लिए आपने बहुत ठोस कार्य किए हैं। सरदार भगतसिंह के पिता और चचा लोग, राष्ट्रीय फ़गडों में उदारतापूर्वक चन्दे दिया करते और सरदार अर्जुन सिंह इस सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता प्रकट किया करते थे।

आधुनिक भारत के इतिहास में, पहले-पहल १९०७ में, १८१८ का तीसरा रेगुलेशन काम में लाया गया। उस समय से इस रेगुलेशन ने ब्रिटिश सरकार का बहुत उपकार किया है। बङ्गाल और पञ्जाब दोनों ही प्रान्तों में इस रेगुलेशन का भरपूर प्रयोग किया गया है। लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह को भी इस क़ानून की चपेट में आने का सम्मान प्राप्त हुआ। सरदार अजीतसिंह को, बिना उनके मामले की जाँच किए ही क़ैद की सज़ा दे दी गई। आप प्रायः एक वर्ष तक बर्मा में नज़रबन्द रक्खे गए। इसके बाद छूट कर पञ्जाब आ गए। इसी समय, सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह और उनके चचा सरदार स्वर्णसिंह राजद्रोहात्मक व्याख्यानों के लिए


ही बन सकता है और न नाम ही कमा सकता है। सरदार भगतसिंह की दादी श्रीमती जयकौर, हिन्दू परिवार की एक आदर्श महिला थीं। आप ही ने अपने पुत्रों और पौत्रों का पालन-पोषण किया था। आप एक वीर महिला थीं। आप प्रसिद्ध देशभक्त सूफ़ी अम्बा प्रसाद के विषय में अपने उद्‌गार प्रकट किया करती हैं। सूफ़ी अम्बा प्रसाद अर्जुनसिंह के यहाँ आए हुए थे, पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए आ धमकी, किन्तु इस वीर महिला ने बड़ी बुद्धिमानी से उन्हें बचा लिया।

सरदार अर्जुनसिंह के तीन पुत्र हैं—सरदार किशनसिंह, सरदार अजीतसिंह और सरदार स्वर्णसिंह। ये तीनों भाई अपने सच्चे देश-प्रेम के लिए सारे पञ्जाब में प्रसिद्ध हैं। क़ैद, निर्वासन तथा दरिद्रता के द्वारा इनकी देशभक्ति की कड़ी परीक्षा हो चुकी है।

कहा जाता है, कि सरदार भगतसिंह के चचा सरदार अजीतसिंह ने ही लाला लाजपतराय को राजनैतिक क्षेत्र की ओर आकर्षित किया था। सरदार अजीतसिंह अच्छे धनवान थे, किन्तु राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए पञ्जाब को सङ्गठित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने गार्हस्थ्य जीवन के सुखों पर लात मार दी। इसी समय, अर्थात् १९०४-५ के लग भग, दैवयोग से वङ्ग-भङ्ग हुआ। सारे बङ्गाल ने लॉर्ड कर्ज़न के इस कार्य का जोरों से विरोध किया। बङ्गाल के इस आन्दोलन


से सुदूरस्थ पञ्जाब भी प्रभावित हो उठा। वहाँ भी लाला लाजपतराय, सरदार अजीतसिंह और इनके घनिष्ट मित्र सूफ़ी अम्बाप्रसाद, अपने ओजस्वी भाषणों से देश में उत्तेजना फैलाने लगे। इस आन्दोलन में सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह तथा उनके चचा सरदार स्वर्णसिंह ने भी उचित भाग लिया। सरदार किशनसिंह ने, यद्यपि सुवक्ता होने की ख्याति नहीं प्राप्त की थी, किन्तु देश में जागृति फैलाने के लिए आपने बहुत ठोस कार्य किए हैं। सरदार भगतसिंह के पिता और चचा लोग, राष्ट्रीय फ़रडों में उदारतापूर्वक चन्दे दिया करते और सरदार अर्जुन सिंह इस सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता प्रकट किया करते थे।

आधुनिक भारत के इतिहास में, पहले-पहल १९०७ में, १८१८ का तीसरा रेगुलेशन काम में लाया गया। उस समय से इस रेगुलेशन ने ब्रिटिश सरकार का बहुत उपकार किया है। बङ्गाल और पञ्जाब दोनों ही प्रान्तों में इस रेगुलेशन का भरपूर प्रयोग किया गया है। लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह को भी इस क़ानून की चपेट में आने का सम्मान प्राप्त हुआ। सरदार अजीतसिंह को, बिना उनके मामले की जाँच किए ही क़ैद की सजा दे दी गई। आप प्रायः एक वर्ष तक बर्मा में नज़रबन्द रक्खे गए। इसके बाद छूट कर पञ्जाब आ गए। इसी समय, सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह और उनके चचा सरदार स्वर्णसिंह राजद्रोहात्मक व्याख्यानों के लिए


क़ैद किए गए। इस प्रकार ये लोग इस क्षेत्र में मार्ग-प्रदर्शक बने। सरदार स्वर्णसिंह की मृत्यु जेल ही में हो गई। उस समय उनकी अवस्था २८ वर्ष से भी कम थी। इसी समय, १९०७ के अक्टूबर में, शनिवार के प्रातःकाल सरदार किशनसिंह के दूसरे पुत्र सरदार भगतसिंह का जन्म हुआ। क्या यह केवल संयोग था अथवा लीलामय ईश्वर की कोई विचित्र लीला थी? सरदार भगतसिंह के बचपन के सम्बन्ध में अधिक बातें हमें मालूम नहीं हैं; किन्तु यह प्रसिद्ध है कि पाठशाला की तङ्ग कोठरियों की अपेक्षा, विस्तृत मैदान को वे अधिक पसन्द किया करते थे। वे अपने बड़े भाई जगतसिंह के साथ बाँगा नामक स्थान के एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती किए गए। यह स्थान उनकी जन्मभूमि लायलपुर ज़िले में ही है। ११ वर्ष की अवस्था में ही जगतसिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से बालक भगतसिंह के कोमल हृदय को बड़ा धक्का लगा। इसके बाद सरदार किशनसिंह नवाकोट चले आए। नवाकोट, लाहौर के समीप है। यहाँ उनकी कुछ ज़मीन-जायदाद थी। इस समय सरदार भगतसिंह को किसी हाई-स्कूल में भर्ती कराने की आवश्यकता थी। सिक्खों के लिए उस समय ख़ालसा हाईस्कूल में पढ़ना एक नियम-सा हो गया था, किन्तु उस स्कूल के अधिकारियों का झुकाव राजभक्ति की ओर अधिक होने के कारण, सरदार किशनसिंह को वह पसन्द न था। इसलिए सरदार भगतसिंह लाहौर के दयानन्द एङ्गलो-वैदिक स्कूल में भर्ती किए गए। यह घटना अति साधारण जान



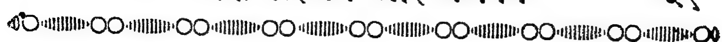
पड़ती है, किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि एक धर्मनिष्ठ सिक्ख होते हुए भी सरदार किशनसिंह ने केवल एक ही बात का विचार कर, अपने पुत्र को सिक्ख-स्कूल में न भेज कर आर्यसमाजी स्कूल में ही भेजना उचित समझा। इस स्कूल से सरदार भगतसिंह ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। इसके बाद आप नेशनल कॉलेज में पढ़ने लगे; जहाँ आजकल ब्रेडलॉ हॉल है। ९वीं श्रेणी में पढ़ते समय, आप कानपुर कॉङ्ग्रेस में गए थे। कॉलेज में सुखदेव और यशपाल से आपकी अन्तरङ्ग घनिष्टता हो गई थी।

इसी समय से सरदार भगतसिंह के हृदय में देशभक्ति के भाव उठने लगे। आपकी अवस्था अभी पूरी चौदह वर्ष की भी नहीं हुई थी कि आपने बड़े उत्साह से पञ्जाब की क्रान्तिकारी संस्थाओं में भाग लेना शुरु किया। १९२१ में असहयोग आन्दोलन की असफलता के पश्चात, अनेक नवयुवक महात्मा गाँधी के बताए हुए मार्ग को छोड़ कर अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग ढूँढ़ने लगे। इसी समय पञ्जाब में "बब्बर अकाली" नामक एक दल उठ खड़ा हुआ था। इस दल के लोग देश की स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रचार करते थे। जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया था, सम्भव है, बहुत लोगों को वह पसन्द न आए, किन्तु उनमें कुछ ऐसे लोग थे, जो सच्चे त्यागी कहे जा सकते हैं। १९१४ और १९१५ के लाहौर षड्यन्त्रों में सिक्खों ने जो अपूर्व आत्म-बलिदान किया



था, उसका प्रभाव भी उस समय के युवकों पर कम नहीं पड़ा। सरदार भगतसिंह के लेखों से पता चलता है कि उन पर भी सिक्खों के उस महान त्याग का पूरा प्रभाव पड़ा था। सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह १९१४ और १९१५ की क्रान्तिकारी संस्थाओं को बराबर अपने कार्यों से सहायता पहुँचाते रहे थे। सर माइकेल ओडायर ने "India as I knew it" नामक अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। बल्कि उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि सरदार किशनसिंह ने क्रान्तिकारी नेताओं को हज़ारों रुपए की सहायता पहुँचाई थी। इन्हीं अपराधों के कारण; डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया एक्ट ( Defence of India Act ) के अनुसार आप नज़रबन्द कर दिए गए। कहावत है, कि 'जैसा पिता वैसा पुत्र'। इस कारण इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि सरदार भगतसिंह भी बब्बर अकालियों के हिंसात्मक क्रान्ति के पथ की ओर अग्रसर हुए।

गुप्त संस्थाओं का पुलिस की नज़रों से बचना कठिन है। इस दल के सम्बन्ध में भी पुलिस को पता मिल गया और इसके अधिकांश सदस्य गिरफ़्तार कर लिए गए। इस कारण भगतसिंह ने पञ्जाब छोड़ दिया और वे कानपुर चले आए। ऐसा उन्होंने दो कारणों से किया; एक तो वे पुलिस की दृष्टि अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते थे और दूसरे, अपने लिए एक दूसरे कार्य-क्षेत्र की खोज में थे। कानपुर में स्वर्गीय गणेश शङ्कर विद्यार्थी



से उनकी जान-पहचान हो गई। दोनों की यह मित्रता आजीवन बनी रही। सरदार भगतसिंह के जीवन में यह समय बड़े महत्व का था। क्योंकि इसी समय से आप भारत की एक सुसङ्गठित क्रान्तिकारी संस्था का एक मुख्य अङ्ग बन गए। इसी समय से, आपका जीवन भारतीय क्रान्ति के इतिहास का एक अध्याय बन गया। अब हम उस क्रान्तिकारी संस्था के सम्बन्ध में कुछ लिखेंगे, जिसके लिए भगतसिंह ने अपने को अर्पण कर दिया था।

# दूसरा परिच्छेद

## 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन'

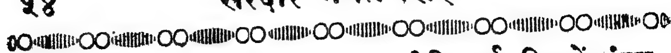
यहाँ पर हमारा अभिप्राय, भारत के विप्लव आन्दोलन का पूरा इतिहास देने का नहीं है। हम यहाँ उसका परिचय-मात्र देना चाहते हैं।

१९१४ तक भारत के अनेक प्रान्तों—विशेषतः बङ्गाल में अनेक गुप्त संस्थाएँ फैली हुई थीं। यूरोपीय महासमर के आरम्भ होने पर, अनेक विप्लवी संस्थाओं को भारत में क्रान्ति का झण्डा ऊँचा करने का अच्छा सुयोग मिला। इसी उद्देश्य से श्री० रास-बिहारी बोस, श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, श्री० शचीन्द्रनाथ सान्याल, श्री वी० जी० पिङ्गले, सरदार कर्तारसिंह, ठाकुर पृथ्वी-सिंह और बाबा सोहनसिंह आदि विप्लवी नेताओं ने कुछ सिक्ख और राजपूत रेजिमेण्टों को अपनी ओर मिलाकर भारत में क्रान्ति का डङ्का बजाने का षड्यन्त्र रचा। किन्तु ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। विश्वासघात के कारण यह षड्-यन्त्र सफल नहीं हो सका। केवल सिङ्गापुर में एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ, किन्तु उसे भी जापानियों ने दबा दिया। अधिका-रियों को ज्योंही क्रान्तिकारियों के षड्यन्त्र का पता लगा, त्योंही



उन्होंने उन सेनाओं के—जिन पर क्रान्तिकारियों के साथ मिल जाने का सन्देह किया जाता था—हथियार छीन लिए और उन पर यूरोपियन सेना का कड़ा पहरा बिठा दिया! इसके बाद उस सेना के सिपाही फ्रान्स के उन स्थानों में भेज दिए गए, जहाँ युद्ध ने भयङ्कर रूप धारण कर लिया था। साथ ही साथ डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया एक्ट की घोषणा कर दी गई और पञ्जाब, युक्त-प्रान्त तथा बङ्गाल में ७ हज़ार से अधिक मनुष्य गिरफ़्तार कर लिए गए। १९१६ तक तो क्रान्तिकारी संस्थाओं का केवल अस्थि-पञ्जर अवशेष रह गया।

इसी समय भारत के राजनैतिक-क्षेत्र में महात्मा गाँधी के रूप में एक नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। उनके आदर्श और त्याग ने युवकों पर बहुत प्रभाव डाला और अनेकों ने असहयोग आन्दोलन में उनका साथ दिया। किन्तु "बारडोली की पराजय" (जैसा कि क्रान्तिकारी कहा करते हैं) और उसके बाद असह-योग आन्दोलन की असफलता के कारण विप्लव आन्दोलन ने फिर ज़ोर पकड़ना शुरू किया। १९२४ तक फिर कई गुप्त संस्थाएँ स्थापित हो गईं। बङ्गाल के पुराने विप्लववादियों ने फिर अपना सङ्गठन करना शुरू कर दिया। किन्तु १९२५ के बङ्गाल ऑर्डिनेन्स ने उन पर कठोर प्रहार किया। युक्त-प्रान्त और पञ्जाब में श्री० शचीन्द्रनाथ सान्याल, श्री० योगेशचन्द्र चटर्जी, पं० रामप्रसाद 'बिस्मिल' आदि विप्लववादियों द्वारा सङ्गठित भिन्न-भिन्न संस्थाओं ने मिल कर एक दल बना लिया। इसी



समय इलाहाबाद में इन लोगों की एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें संस्था के लिए एक शासन-विधान का निर्माण किया गया और उसका नाम "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन" रक्खा गया। पञ्जाब छोड़ कर कानपुर आने के बाद सरदार भगतसिंह इसी संस्था में सम्मिलित हुए। दल में उनका नाम 'बलवन्त' रक्खा गया। इसी नाम से वह बहुधा पत्रों में लेख भी लिखा करते थे। दल के प्रधान सङ्गठनकर्ता थे, श्री० जगदीशचन्द्र चटर्जी और दल में मि० रॉय के नाम से ये पुकारे जाते थे। सरदार भगतसिंह इन्हीं की देख-रेख में काम करने लगे।

१९२६ में सुप्रसिद्ध काकोरी-ट्रेन-डकैती हुई। इस डकैती में, हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लखनऊ के समीप काकोरी नामक स्थान में चलती ट्रेन को रोक कर सरकारी खज़ाना लूट लिया था। पुलिस को, अनवरत जाँच-पड़ताल से, क्रान्तिकारी संस्था के विस्तार का पता चला, और पीछे काकोरी षड्यन्त्र केस में भी अनेक गुप्त बातें प्रकट हुईं। इसी समय के लगभग सरदार भगतसिंह लाहौर लौट गए।

# तीसरा परिच्छेद

## अध्ययन



ल्ली के एसेम्बली बम केस में अदालत के समक्ष अपने स्मरणीय वक्तव्य में सरदार भगतसिंह ने कहा था कि "हम नम्रतापूर्वक इतिहास के गम्भीर विद्यार्थी होने का दावा कर सकते हैं।" इसी वक्तव्य में आप ने अपने विस्तृत अध्ययन और ज्ञान का भी परिचय दिया था। १९२५-२६ में आपने अपने ज्ञान की इतनी वृद्धि कर ली, कि अपने आगामी जीवन में आपको बराबर उससे सहायता मिलती रही। लाला लाजपतराय द्वारा खोले हुए नेशनल कॉलेज में आप भर्ती हो गए और बड़े मनोयोग से इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने लगे। यहाँ श्री० सुखदेव और स्वर्गीय श्री० भगवतीचरण, ये दो इनके दृढ़ अनुयायी थे। इन तीनों ने कुछ औरों के साथ मिलकर रूसी क्रान्तिकारी चायकोव्स्की और क्रॉप्टकिन की तरह एक गुट्ट बना लिया था, जहाँ केवल अध्ययन-सम्बन्धी चर्चा हुआ करती थी। 'सर्वेण्ट्स ऑफ़ दी पिपुल सोसाइटी' द्वारकादास लाइब्रेरी में इन उत्साही युवकों के लिए



मनचाही पुस्तकें मँगाकर उनके अध्ययन में उदारतापूर्वक सहायता पहुँचाया करती थी।

सरदार भगतसिंह बड़ी उत्सुकता और लगन के साथ पुस्तकों का अध्ययन करते थे। इस सम्बन्ध में नेशनल कॉलेज के प्रोफ़ेसर छबीलदास और द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन श्री० राजाराम-जैसे व्यक्तियों के प्रमाण मौजूद हैं। नेशनल कॉलेज की लाइब्रेरी में भी सरदार भगतसिंह की देख-रेख में पुस्तकों का अपूर्व संग्रह हो चला। हमने सत्साहित्य का ऐसा अपूर्व संग्रह और कहीं नहीं देखा है। इटली, रूस और आयर्लैंण्ड की क्रान्ति सम्बन्धी नवप्रकाशित पुस्तकों का तथा रूसी-विप्लव आन्दोलन के प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी अनेक अमूल्य पुस्तकों का भी संग्रह किया गया था। किन्तु नेशनल कॉलेज की बार-बार तलाशी ली जाने के कारण, पुलिस अनेक पुस्तकें उठा ले गई, और अब केवल एक छोटा-सा संग्रह बचा हुआ है। किन्तु जो कुछ बचा हुआ है, उसी से सरदार भगतसिंह की प्रतिभा और परिश्रम का पता चलता है।

सरदार भगतसिंह राजनीति के बड़े उत्साही और अध्ययन-शील विद्यार्थी थे। किन्तु वे केवल किताबों में ही नहीं डूबे रहते थे, वरन् भिन्न-भिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया करते, क्रान्तिकारी दलों की सभाओं में जाया करते, युक्त-प्रान्त तथा बङ्गाल की गुप्त समितियों के सदस्यों से मिला करते और विप्लव आन्दोलन की प्रगति को विशेष सावधानी से लक्ष्य किया करते थे।



जिस समय काकोरी का षड्यन्त्र केस चल रहा था, उस समय वे कई बार लखनऊ आए और गुप्त रूप से उन्होंने जिला-जेल में षड्यन्त्र केस के विचाराधीन क़ैदियों से पत्र-व्यवहार किया। उन क़ैदियों ने सरदार भगतसिंह को इस बात की सलाह दी कि उनके जेल से छुड़ाने का उपाय किया जाना चाहिए। सरदार भगतसिंह उन लोगों के बचाने का उपाय करने लगे। इस काम में वे दो बार गिरफ़्तार होते-होते बचे। जब उन्हें सफलता नहीं मिली, तो वे कानपुर चले आए और वहीं कुछ दिनों तक रहे।

इसी समय १९२६ के आरम्भ में वे कानपुर में ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने को एक प्रतिभाशाली सङ्गठन-कर्त्ता होने का परिचय दिया। काकोरी षड्यन्त्र केस के फल-स्वरूप हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भङ्ग हो गई थी। सभी नेता जेल में थे, और थोड़े से अनुभव-हीन व्यक्ति जो बच गए थे, कुछ करने में असमर्थ थे। सरदार भगतसिंह कानपुर के विजयकुमार सिंह तथा लाहौर के श्री० सुखदेव के साथ, युक्त-प्रान्त और पञ्जाब में क्रान्तिकारी-दल को फिर से सङ्गठित करने लगे।



# चौथा परिच्छेद

## क्रान्तिकारी दल में प्रारम्भिक कार्य

सरदार भगतसिंह के जीवन में, १९२६ से १९२८ तक का समय अत्यन्त विक्षोभपूर्ण रहा है। काकोरी षड्यन्त्र केस में चार अभियुक्तों को प्राणदण्ड तथा अन्य अभियुक्तों को दीर्घ कारावास का दण्ड दिया गया था। युवक भगतसिंह का हृदय अपने प्यारे मित्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए उत्तेजित हो उठा। प्रतिहिंसा की प्रबल उत्तेजना से प्रेरित हो, १९२७ में उन्होंने अपने दिल की जलन मिटाने की चेष्टा की, किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई।

क्रान्ति के मैदान में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए दल के कार्यक्षम युवकों की एक सभा कानपुर में की गई, जिसमें दल को सुसङ्गठित और शक्तिशाली बनाने का निश्चय किया गया। सरदार भगतसिंह और विजयकुमार सिंह ने युक्त-प्रान्त और बिहार में भ्रमण कर, युवकों के सङ्गठन का भार अपने ऊपर लिया।

इस प्रस्ताव के अनुसार, कार्य का अभी श्रीगणेश भी नहीं हुआ था कि एक विचित्र घटना ने सरदार भगतसिंह के कार्य में बाधा उपस्थित कर दी।



१९२६ का साल था और अक्टूबर का महीना। लाहौर में दशहरा का मेला शुरू हो गया था। एक दिन की बात है, कि रामलीला के एक मेले में किसी ने एक बम फेंक दिया। पञ्जाब की पुलिस ने विचित्र तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया, कि यह काम विप्लववादियों का ही है। अब वह किसी ऐसे विप्लववादी को ढूँढ़ने लगी, जो उक्त घटना के समय लाहौर में मौजूद रहा हो।

इस मामले में पुलिस का मतलब सरदार भगतसिंह से सिद्ध हो जाता था। अतएव वे गिरफ्तार कर बोर्स्टल जेल में बन्द कर दिए गए। कई दिनों तक एकान्त कोठरी में बन्द रक्खे जाने के बाद भी, न तो वे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए और न उन्हें यही बतलाया गया, कि वे किस अभियोग में गिरफ़्तार किए गए हैं। एक बार उन्हें इस जेल को अच्छी तरह देखने-भालने का भी अवसर मिल गया। यह वही जेल था, जहाँ २½ वर्ष बाद उन्होंने तथा उनके मित्रों ने, राजनैतिक क़ैदियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कारण कठिन अनशन-व्रत धारण किया था।

अन्त में उन्हें बताया गया कि उन पर मेले में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने का अभियोग लगाया गया है। यह बात जान कर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे तो लड़कपन ही से यह बात अच्छी तरह जानते थे कि क्रान्ति-सम्बन्धी षड्यन्त्र में गिरफ़्तार किया जाना कोई बड़ी बात नहीं,



किन्तु यह ख़्याल उन्होंने स्वप्न में भी नहीं किया था, कि उन पर निरपराध स्त्री-पुरुषों की हत्या का अभियोग लगाया जायगा !

यह मामला बहुत दिनों तक चलता रहा। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर छोड़ने से पहले ६०,०००) का मुचलका माँगा। इतने रुपयों का प्रबन्ध करने में सरदार भगतसिंह के परिवार को कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। वे जमानत पर छोड़ दिए गए। बहुत दिनों तक मामला चलने के बाद हाईकोर्ट ने मैजिस्ट्रेट की मुचलका-सम्बन्धी आज्ञा को रद्द कर दिया। इस मामले का सारा क़िस्सा पुलिस की चालबाज़ी का भण्डाफोड़ है। इससे पता चलता है, कि उसने किस तरह सरदार भगतसिंह को एक ऐसे मामले में हैरान किया, जिससे उनका अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं था।

जिन दिनों वे मुचलके पर छूटे थे, उन दिनों वे दल के कार्यों में भाग नहीं ले सके। इस समय का उपयोग उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में किया। इस क्षेत्र में भी वे अग्रगण्य कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगें। इस समय उन्होंने नौजवान भारत-सभा के सङ्गठन में प्रमुख भाग लिया; और काकोरी षड्यन्त्र केस में फाँसी की सज़ा पाने वाले क्रान्तिकारियों की स्मृति में सार्वजनिक प्रदर्शन करने में भी उनका भारी हाथ था। नौजवान भारत-सभा पञ्जाब के युवकों की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था हो गई और कॉङ्ग्रेस के कार्यों पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। उक्त सार्वजनिक प्रदर्शन, काकोरी षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की फाँसी के एक

सालों बाद किया गया था, और वह 'काकोरी-दिवस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

जिस समय सरदार भगतसिंह 'काकोरी-दिवस' का प्रबन्ध कर रहे थे, उस समय उनके दिल में यह विचार उठा कि १९१५-१६ के लाहौर षड्यन्त्र में जिन युवकों ने आत्म-बलिदान किया है, इस अवसर पर व्याख्यान देकर उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला जाय। इस कार्य के लिए उन्होंने अनेक अज्ञात स्थानों से उन युवकों के चित्र इकट्ठे किए और मैजिक-लालटेन के लिए उनके स्लाइड बनवाए। इन लालटेन-स्लाइडों को साथ लेकर आपका विचार उत्तरी भारत में भ्रमण कर स्थान-स्थान पर व्याख्यान देने का था। यद्यपि वे सारे उत्तरी भारत में, अपने इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत नहीं कर सके, तो भी लाहौर में उन्हें काफ़ी सफलता मिली। पहली ही बार जब ब्रेडलाँ हॉल में लालटेन-लेक्चर दिया गया, तो हॉल में तिल धरने की भी जगह नहीं बची थी। लोगों ने बड़े ध्यान से व्याख्यान सुना। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है, कि सरदार भगतसिंह, मुचलके के कारण स्वयं व्याख्यान देने में असमर्थ थे। किन्तु वे अपने सहायक श्री० भगवतीचरण को सभी बातें समझा दिया करते और व्याख्यान के सम्बन्ध में नोट भी दे दिया करते थे। इन लालटेन-लेक्चरों का इतना अधिक प्रभाव लोगों पर पड़ा, कि पञ्जाब सरकार को इस सम्बन्ध में निषेधाज्ञा निकालनी पड़ी। यह वे ही भगवतीचरण थे, जो २६ जनवरी,

१९३१ से आरम्भ होने वाले लाहौर षडयन्त्र केस के प्रमुख व्यक्ति थे और जिनके विषय में यह कहा जाता है, कि रावी के किनारे बम बनाते समय एक भयङ्कर धड़ाका होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई! लाहौर षड्यन्त्र केस में, जिसमें सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त आदि अभियुक्त थे, ये फ़रार थे।

नौजवान भारत-सभा के सङ्गठन-सम्बन्धी सरदार भगतसिंह के विचार अध्ययन के विषय हैं। दरिद्रता की संसार-व्यापी समस्या पर विचार कर वे इस नतीजे पर पहुँचे थे, कि भारत को पूर्ण-स्वाधीनता के लिए, केवल राजनैतिक ही नहीं, बल्कि यहाँ की जनता की आर्थिक स्वाधीनता की भी आवश्यकता है। इसलिए नौजवान भारत-सभा की कार्य-प्रणाली कम्युनिस्ट ढङ्ग की बनाई गई थी। वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य था, मजदूरों और किसानों का सङ्गठन करना। इसी उद्देश्य से भारतीय युवकों का आह्वान किया गया था।

इस प्रकार हम सरदार भगतसिंह के विचारों में एक अद्भुत परिवर्तन पाते हैं। १९२६-२७ में वे त्रासावाद को क्रान्तिकारी दल के हाथों का एक प्रधान अस्त्र समझते थे। देश के अनेक प्रमुख व्यक्तियों के विरोध करने पर भी जब काकोरी षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को फाँसी दे दी गई, तब त्रासवाद (Terrorism) पर उनका विचार और भी दृढ़ हो गया। किन्तु जब उन्होंने भारतीय समस्याओं का



गम्भीर रूप से अध्ययन किया तो आपके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते समय वे धीरे-धीरे पक्के साम्यवादी बन गए, और रूस को आदर्श की दृष्टि से देखने लगे।



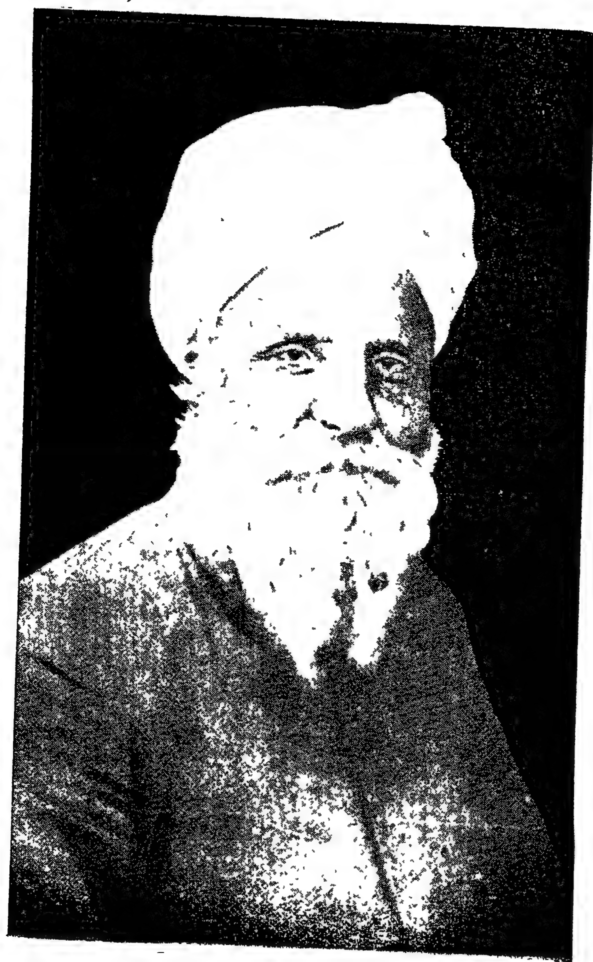
# पाँचवाँ परिच्छेद

## हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन

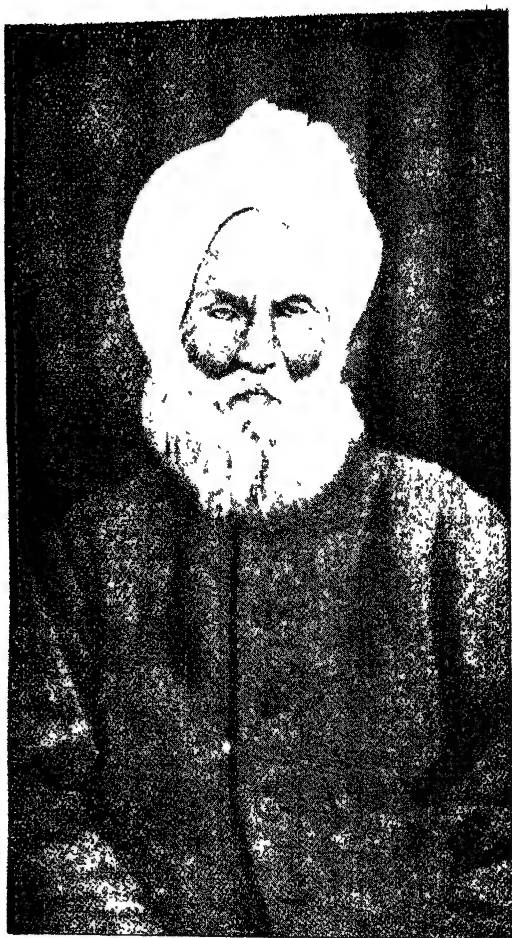
मुचलके के बन्धन से छूटने के बाद ही सरदार भगतसिंह फिर क्रान्ति के कार्य-क्षेत्र में कूद पड़े। इस समय क्रान्तिकारी-दल मरणासन्न अवस्था में था। कानपुर के प्रस्ताव का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था। सरदार भगतसिंह ने बहुत थोड़े समय में संस्था में नई जान डाल दी।

इस समय क्रान्तिकारी दल भिन्न-भिन्न शहरों में अलग-अलग दलों में विभक्त हो गया था और उन दलों के सामने कोई निश्चित कार्य-प्रणाली नहीं थी। लाहौर, दिल्ली, कानपूर, बनारस, इलाहाबाद तथा बिहार के कुछ स्थानों में इस प्रकार के छोटे-छोटे अनेक दल हो गए थे। अन्त में १९२८ के जुलाई महीने में कानपूर में एक सभा की गई और उसमें यह निश्चित किया गया कि उन दलों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की एक केन्द्रीय समिति स्थापित की जाय।

इस निश्चय के अनुसार सरदार भगतसिंह और श्री० विजयकुमार सिंह देश में भ्रमण करने लगे। १९२८ के सितम्बर



सरदार किशन सिंह



सरदार अर्जन सिंह



महीने में दिल्ली के पुराने क़िले में एक महत्वपूर्ण सभा की गई। इस सभा में बिहार, युक्तप्रान्त, पञ्जाब और राजपूताने के २-२ सदस्य सम्मिलित हुए थे। यह सभा दो दिनों तक होती रही। इस सभा में सरदार भगतसिंह ने क्रान्तिकारियों का ध्यान साम्यवाद की ओर अकर्षित किया। अन्त में उनकी जोरदार दलीलों से बाध्य होकर सभा ने साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार एक कार्य-प्रणाली तैयार की। इसके बाद से पुलिस के अफ़सरों तथा मुख़बिरों की हत्या का महत्व बहुत घट गया। अब ऐसे ही कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, जिससे जनता में जागृति फैले।

सरदार भगतसिंह ने यह प्रस्ताव भी पेश किया कि दल का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदल कर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रक्खा जाय। पहले तो युक्त-प्रान्त के प्रतिनिधियों ने इसका घोर विरोध किया। उनका कहना था कि संस्था का नामकरण श्री० रामप्रसाद बिस्मिल, श्री० शचीन्द्र नाथ सन्याल और श्री० योगेश चटर्जी-जैसे विख्यात विप्लववादियों का किया हुआ है, और इस नाम से संस्था बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है, अतएव नाम नहीं बदला जाय। किन्तु अन्त में सरदार भगतसिंह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

इसी सभा में यह भी निश्चित किया गया कि संस्था को दो दलों में विभक्त कर दिया जाय: एक दल में तो संस्था के



वास्तविक कार्यकर्त्ता रहें, और दूसरे दल में वे लोग रहें, जो वास्तविक कार्य नहीं कर सकते हैं, किन्तु संस्था के प्रति सच्ची सहानुभूति रखते हैं। यह भी निश्चित किया गया कि कार्य-कर्त्ताओं का दल अस्त्र-शस्त्र का संग्रह करेगा, त्रासवादी प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करेगा और दल की कार्यवाही को सार्वजनिक कार्यवाही के रूप में उन्नत करने की चेष्टा करेगा; और इस दल का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' रहेगा। दूसरे दल का काम होगा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक चन्दों से धन इकट्ठा करना, कार्यकर्त्ता-दल के सदस्यों के रहने का प्रबन्ध करना और प्रचार-कार्य करना।

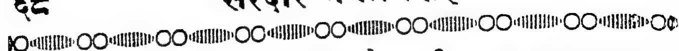
एक केन्द्रीय समिति भी स्थापित की गई, जिसमें युक्त-प्रान्त, पञ्जाब और बिहार के २-२ सदस्य तथा राजपूताना के एक सदस्य सम्मिलित किए गए। सरदार भगतसिंह समिति के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता थे, और श्री० विजयकुमार सिंह के हाथ में संस्था का अन्त-प्रान्तीय सम्बन्ध बनाए रखने का भार था। संस्था का हेडक्वॉर्टर झाँसी में स्थापित किया गया, और राज-पूताना के प्रतिनिधि श्री० कुन्दनलाल उसके प्रधान बनाए गए। कार्यकर्त्ता-दल अर्थात् सेना के अध्यक्ष बनाए गए, श्री० चन्द्र-शेखर आजाद, जो लगभग आधे दर्जन षड्यन्त्र केसों में फ़रार थे, (काकोरी षड्यन्त्र केस में भी ये फ़रार थे) और जिन्होंने २७वीं फ़रवरी, १९३१ को इलाहाबाद के एलफ्रेड पार्क (कम्पनी बाग़) में पुलिस वालों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध



करते हुए प्राण विसर्जन किया। सरदार भगतसिंह कार्यकर्त्ता-दल के तो एक कार्य-कुशल नेता थे ही, साथ ही प्रचार-कार्य भी ये जोरों के साथ करते थे।

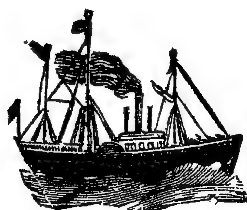
उपर्युक्त सभा में ही यह भी निश्चित किया गया था कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य घर-बार से सम्बन्ध त्याग दें और दल के कार्य की ओर अपनी सारी शक्ति लगा दें। इस सभा में धार्मिक साम्प्रदायिकता के बहिष्कार का भी प्रस्ताव किया गया था। इस कारण सरदार भगतसिंह को अपने धर्म के वाह्य चिह्न-स्वरूप लम्बे बालों को कटवा देना पड़ा और दाढ़ी भी बनवानी पड़ी।

कुछ समय के बाद हेडक्वॉर्टर झाँसी से हटा कर आगरे लाया गया। यहाँ दो मकान किराए पर लिए गए, और अनेक नवयुवक अपना घर त्याग कर यहीं रहने लगे। ये नवयुवक बराबर दरिद्रता की दशा में रहते थे, क्योंकि उस समय संस्था के पास रुपयों की बहुत कमी थी। एक बार तो तीन दिन और तीन रात तक, उनके भोजन के लिए एक-एक प्याली चाय के सिवा कुछ नहीं था। भयङ्कर जाड़े की रात में भी उन युवकों के पास, न तो बिस्तरा था और न ओढ़ने को काफ़ी कम्बल। ८-९ युवकों को केवल २ या ३ कम्बलों से काम चलाना पड़ता था। सरदार भगतसिंह इस प्रकार की तकलीफ़ें सहने के आदी न थे। वे घर पर विलासतापूर्ण जीवन बिता चुके थे।



परन्तु तो भी ऐसे अवसरों पर उन्होंने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया।

सरदार भगतसिंह में अध्ययन करने का उत्साह नित्य बढ़ता ही जाता था। आगरे में भी वे पुस्तकों का संग्रह करने लगे। इसी उद्देश्य से वे इधर-उधर भ्रमण किया करते और संस्था से सहानुभूति रखने वालों से किताबें माँग-माँग कर इकट्ठा करते। बहुत थोड़े समय में एक छोटा-सा पुस्तकालय स्थापित हो गया। पुस्तकालय में अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वे नित्य साम्यवाद का अध्ययन किया करते और उसी पर तर्क-वितर्क किया करते। उनका अध्ययन संस्था के किसी भी सदस्य से कम विस्तृत या गम्भीर नहीं था। साहित्य का अध्ययन करते समय वे कभी-कभी सुन्दर और हृदयग्राहिणी उक्तियाँ याद कर लिया करते थे। लाहौर षड्यन्त्र केस के समय जब वे जेल में बन्द थे, उन मनोहर उक्तियों को सुना-सुना कर अपने मित्रों को प्रसन्न रक्खा करते थे।



# छठा परिच्छेद

## सॉण्डर्स हत्या-काण्ड

अब हमें एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना है, जिसका सरदार भगतसिंह की मृत्यु से गहरा सम्बन्ध है। यहाँ पर 'साइमन कमीशन' और उसके बहिष्कार की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस, इतना ही कह देना काफ़ी होगा, कि साइमन कमीशन के बहिष्कार-सम्बन्धी प्रदर्शनों ने जनता में एक अपूर्व उत्साह उत्पन्न कर दिया था।

३० अक्टूबर, १९२८ को कमीशन लाहौर आने वाला था। यहाँ कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक भारी जुलूस सङ्गठित किया गया। किन्तु अधिकारियों ने १४४वीं धारा की घोषणा कर दी, और प्रदर्शनी को रोकने के लिए पुलिस को आज्ञा दे दी। फलतः जुलूस और पुलिस में मुठभेड़ हो गई और लाला लाजपतराय आदि अनेक कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आक्रमण किया। आहत लाला जी १७वीं नवम्बर को संसार से चल बसे। जनता का विश्वास था, कि पुलिस के द्वारा पीटे जाने के कारण ही लाला जी की मृत्यु हुई है। उक्त



जुलूस पर लाठी-प्रहार के लिए लाहौर-पुलिस के सीनियर सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० स्कॉट और लाला जी पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में पुलिस के सहायक सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० सॉण्डर्स ज़िम्मेदार ठहराए गए। १७वीं दिसम्बर, १९२८ की सन्ध्या के समय, ठीक पुलिस ऑफ़िस के सामने मि० सॉण्डर्स की हत्या की गई। चाननसिंह नामक एक कॉन्स्टेबिल भी, जिसने हत्याकारियों का पीछा किया था, मारा गया। हत्याकारियों का कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन सबेरे शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों में, मकानों की दीवारों पर पर्चे चिपके हुए पाए गए। पर्चे के ऊपर मोटे टाइपों में लाल रङ्ग में छपा था "दी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी।" इसके नीचे मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा था। "सॉण्डर्स मारा गया, लाला जी का बदला लिया गया।" आदि।

यह सॉण्डर्स हत्या-काण्ड का संक्षिप्त वर्णन है। लाहौर षड्यन्त्र-केस के मुख़बिर जयगोपाल के बयान के अनुसार सारी कहानी इस प्रकार बतलाई जाती है :

लाला लाजपतराय की मृत्यु के बाद से पञ्जाब के विप्लववादी उन पुलिस-अफ़सरों को मार कर लाला जी की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जो लाला जी पर आक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में ज़िम्मेदार थे। इसमें उनका एक उद्देश्य तो यह था, कि सार्वजनिक आन्दोलन को हिंसा की ओर आकर्षित किया जाय और दूसरा यह, कि संसार को यह दिखला दिया

जाय कि भारत लाला जी पर किए गए आक्रमण को सहन नहीं कर सकता।

इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह निश्चित किया गया कि सरदार भगतसिंह और श्री० शिवराम राजगुरु, मि० स्कॉट पर, रिवॉल्वर से आक्रमण करें। इस कार्य का भार पं० चन्द्रशेखर आज़ाद के हाथों सौंपा गया। ये ही आक्रमणकारियों के रक्षक नियुक्त किए गए।

सारा षड्यन्त्र बड़ी सावधानी से रचा गया, और इसके लिए यथेष्ट प्रबन्ध भी किया गया। पहले इन तीनों युवकों ने विचार किया था कि पुलिस के साथ प्राण का मोह त्याग कर घोर युद्ध किया जाय। इस सम्बन्ध में श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी और उनके साथियों के उदाहरण ने उन्हें बहुत उत्साहित किया। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना अनुचित नहीं होगा, कि १९१६ के लगभग श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने अपने साथियों सहित पुलिस से मोर्चा लिया था, और कुछ देर तक घोर युद्ध होने के बाद वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन युवकों ने भी ऐसा ही करने का विचार किया। उनका विश्वास था कि इस प्रकार प्राण त्याग करके वे युवकों को क्रान्तिकारी संस्था की ओर आकर्षित कर सकेंगे।

किन्तु यह षड्यन्त्र दो प्रकार से असफल हुआ। एक तो, मि० स्कॉट के बदले वे मि० सॉण्डर्स की हत्या कर बैठे। दूसरे पुलिस के पीछा नहीं करने के कारण वे उसके साथ युद्ध भी



नहीं कर सके। सॉण्डर्स को मारने के लिए जब गोली चलाई गई तो केवल एक पुलिस-अफ़सर, मि० फ़र्न, ऑफ़िस से बाहर निकले। किन्तु उनके सिर पर से जब दो गोलियाँ सनसनाती हुई निकल गईं, तो उन्होंने लौट ही जाना उचित समझा। केवल चाननसिंह ने उन युवकों का पीछा किया। आक्रमणकारियों ने उसे बार-बार लौट जाने के लिए कहा, किन्तु जब उसने लौटने से इन्कार किया, तो वह भी वहीं पर ठण्डा कर दिया गया।

इसके बाद तीनों युवक डी० ए० वी० कॉलेज के बोर्डिङ्ग हाउस में चले गए, जो पुलिस-ऑफ़िस के समीप ही था। वहाँ वे पुलिस वालों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। किन्तु जब कोई नहीं आया तो वे दो साइकिलों पर, अपने वास-स्थान की ओर चले गए। इनमें से एक साइकिल किसी साइकिल के व्यापारी से बल-पूर्वक उधार ली गई थी।

सरदार भगतसिंह और उनके साथियों के डी० ए० वी० कॉलेज के बोर्डिङ्ग-हॉउस से रवाना होने के बाद ही पुलिस दल-बल के साथ आ धमकी और बोर्डिङ्ग-हाउस चारों ओर से घेर लिया गया। आने-जाने के सभी रास्ते रोक दिए गए और कोने-कोने की तलाशी ली जाने लगी। केवल इतना ही नहीं, लाहौर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया गया, और रेलवे-स्टेशनों पर भी ख़ुफ़िया पुलिस की कड़ी निगरानी रहने लगी। लाहौर से बाहर जाने


वाले सभी युवकों पर कड़ी नज़र रक्खी जाती थी। किन्तु इन तीनों युवकों ने पुलिस के सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया और वे सकुशल लाहौर से बाहर चले गए।

लाहौर से निकल भागने के लिए सरदार भगतसिंह ने जो उपाय सोचा था, वह जितना ही चतुरतापूर्ण था उतना ही साहसपूर्ण भी। उन्होंने एक सरकारी अफ़सर की तरह कपड़े पहने; अपना नाम भी ख़ूब बड़ा-सा रख लिया, और उसी नाम के लेबल अपने ट्रङ्क और पोर्टमेण्टों पर लगवा लिए। उन्होंने पुलिस वालों की आँखों में धूल झोंकने के लिए एक सुन्दर युवती को भी अपने साथ लिया और उसी सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर, फ़र्स्ट क्लास के डब्बे में सवार हुए, जहाँ की ख़ुफ़िया पुलिस वाले मि० सॉण्डर्स के हत्यारों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। श्री० राजगुरु, सरदार भगतसिंह के अर्दली बने थे। अर्दली का वेष-भूषा बनाने के साथ ही साथ एक टिफ़िन कैरियर भी वे बराबर अपने हाथ में रखते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि ख़तरे के लिए विशेष रूप से सभी तैयार थे।

श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद ने सरल तरीक़ा ढूँढ़ निकाला। उन्होंने मथुरा के लिए तीर्थयात्रियों की एक टोली तैयार की, जिसमें केवल बूढ़े लोग थे। एक ब्राह्मण पण्डित का वेष धारण कर वे, इसी टोली के साथ हुए और सकुशल लाहौर के बाहर पहुँच गए!

❂

# सातवाँ परिच्छेद

## बाद की कार्यवाहियाँ

सरदार भगतसिंह से पुलिस वाले अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए .खुफ़िया पुलिस वालों ने अनुमान किया कि वे भी सॉण्डर्स हत्या-काण्ड में सम्मिलित रहे होंगे। इसी अनुमान के सहारे वे सरदार भगतसिंह की खोज करने लगे, किन्तु उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस-अफ़सरों को जो गुप्त आज्ञाएँ दी गई थीं, उनमें एक यह भी थी, कि सरदार भगतसिंह जहाँ कहीं भी पाए जायँ, तुरन्त गिरफ़्तार कर लिए जायँ। उनका पता लगाने के लिए कई स्पेशल पुलिस-अफ़सर नियुक्त किए गए। जो पुलिस-कॉन्स्टेबिल उन्हें पहचानते थे, वे बड़े-बड़े जङ्क्शनों पर तैनात किए गए, और रेलवे पुलिस ने भी कड़ी निगरानी रखनी शुरू की। इतने उपाय किए जाने पर भी सरदार भगतसिंह बिना रोक-टोक के चारों ओर भ्रमण किया करते थे।

सॉण्डर्स हत्या-काण्ड की सफलता ने, क्रान्तिकारी दल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी और इसने विद्यार्थियों के बीच भी



दशा सुधरने लगी। हत्या-काण्ड के पहले दल की आर्थिक अवस्था बहुत शोचनीय थी। जिस दिन हत्या-काण्ड हुआ था, उस दिन उन युवकों के पास इतने पैसे भी नहीं थे, कि रात को घर में चिराग़ जला सकें! किन्तु थोड़े ही दिनों में चन्दे मिलने लगे, और कुछ दिनों के लिए उनका अर्थाभाव दूर हो गया। इसी समय राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन कलकत्ते में होने वाला था। यह निश्चित किया गया कि सरदार भगत-सिंह और श्री० विजयकुमार सिंह, परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए वहाँ जायँ, और बङ्गाल के क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध स्थापित करें। काकोरी-षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में युक्त-प्रान्त में गिरफ्तारियाँ होने, तथा बङ्गाल में क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट के प्रचलित होने से, युक्त-प्रान्त और बङ्गाल के क्रान्तिकारी दलों का सम्बन्ध टूट गया था। देवघर षड्यन्त्र केस ने इस टूटे हुए सम्बन्ध को और भी छिन्न-भिन्न कर दिया।

बङ्गाल प्रान्तीय विप्लवी दल के अन्तरङ्ग सदस्यों से मिलने में सरदार भगतसिंह को कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। उन पर उस दल के उन वीर नेताओं का बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग जेल की चहारदीवारी के अन्दर बिताया था। किन्तु साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि युक्त-प्रान्त और पञ्जाब के विप्लवियों ने जिस मार्ग को ग्रहण किया है, उस पर उनका विश्वास नहीं है। केवल एक ही बात से वे सहमत थे, कि देश की स्वाधीनता


के लिए हिंसात्मक क्रान्ति की आवश्यकता है। किन्तु अन्य बातों में, जैसे साम्यवाद, दल के कार्य-क्रम में त्रासवाद का स्थान, गोपन की आवश्यकता आदि बातों में उनके विचारो में बहुत अधिक अन्तर था।

पुराने त्रासवादियों के साथ बातचीत करने से उन्हें पता चला कि बम बनाने की बड़ी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे, जो बम बनाने की कला में दक्ष हो और दल के सदस्यों को बम बनाना सिखाया करे। कुछ कठिनाई के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। किन्तु पहले उसने कहा कि बङ्गाल के क्रान्तिकारी नेताओं ने बम बनाने और उसका व्यवहार करने का विरोध किया है, अतएव संस्था का एक सदस्य होने के कारण, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। किन्तु सरदार भगतसिंह ने उसे विश्वास दिलाया कि यह बात बङ्गाल के लिए भले ही लागू हो सकती है, किन्तु युक्त-प्रान्त और पञ्जाब के लिए यह लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे यह भी विश्वास दिलाया, कि बम बनाने का कार्य केवल इन्हीं प्रान्तों तक परिमित रहेगा, बङ्गाल का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

इसी समय सरदार भगतसिंह ने, 'हिन्दुस्तान सोशलिशस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की बिहार-शाखा के नए सदस्यों से भी जान-पहचान कर ली। संस्था का एक नया बिहारी केन्द्र कलकत्ते में स्थापित किया गया। एक सदस्य उसके अध्यक्ष



बनाए गए। फ़रार अभियुक्तों को आश्रय देने के लिए यहाँ एक आश्रम भी खोला गया।

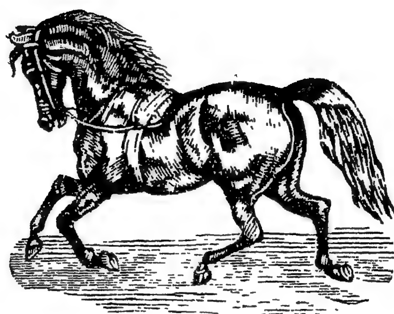
संस्था के प्रति व्यापारियों की सहानुभूति होने के कारण, बम बनाने के लिए रासायनिक द्रव्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती थी। इस कार्य के लिए आगरे में एक नया मकान किराए पर लिया गया था। यहीं बम तैयार करना निश्चित हुआ। बम-मास्टर भी निश्चित समय पर आ पहुँचे। बहुत थोड़े ही समय में चुने हुए सदस्यों के एक दल ने बम बनाना सीख लिया। अगले दो महीने तक यह दल इसी प्रकार का सामान तैयार करने में लगा रहा। आगरा के अलावा, लाहौर और सहारनपुर में भी बम बनाने के केन्द्र स्थापित किए गए।

आगरे में पहले-पहल जो बम तैयार किए गए थे, उनमें से दो झाँसी लाये गए, और वहाँ पटक कर उनकी परीक्षा ली गई। बम बनाने में सफलता प्राप्त करने पर, सदस्यों को बहुत ख़ुशी हुई।

इसी समय दल का एक सदस्य बीमार पड़ गया। पता चला कि उसे चेचक निकल आई है। सरदार भगतसिंह और उनके साथी रात-दिन उसकी सेवा किया करते थे। छूत लग जाने की उन्होंने ज़रा भी परवाह न की। इन लोगों की सेवा-शुश्रूषा से वह युवक शीघ्र ही निरोग हो गया। किन्तु यह



आश्चर्य की बात है कि वही युवक गिरफ़्तार होने पर सरकारी गवाह बन गया और उसने अपने उन्हीं साथियों को फँसाया, जिन्होंने उसकी रुग्णावस्था में, अपनी जान की परवाह न कर, उसकी सेवा की थी!



# आठवाँ परिच्छेद

## एसेम्बली में बम-काण्ड

दिल्ली में ८वीं अप्रैल, १९२९ को एक अपूर्व घटना हुई। कहा जाता है कि उस दिन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य एसेम्बली-भवन में, बिना किसी के देखे, घुस गए और उन्होंने सरकारी अफ़सरों की ओर दो बम फेंके! भीषण धड़ाके के साथ दोनों बम फट पड़े और सारा कमरा धुएँ से भर गया। वे बेञ्च, जिनके समीप ये बम गिरे थे, चूर-चूर हो गए, और सतह के एक हिस्से में भी एक गड्ढा-सा हो गया। किन्तु किसी को चोट नहीं आई।

इस समय एसेम्बली का दृश्य भी देखने ही योग्य था। उसके वीर सदस्यगण समीप वाले कमरे की ओर इस प्रकार भागे, मानो किसी भीषण जन्तु ने उनका पीछा किया हो! कहा जाता है कि कुछ लोग तो जान बचाने के लिए ग़ुस्लख़ाने में भी घुस पड़े थे! दर्शकों की गैलरी भी ख़ाली पड़ी थी।

इस अपूर्व दृश्य में, कुछ लोग ऐसे भी थे, जो अपनी जगहों पर निश्चल-भाव से डँटे रहे। इन लोगों में पं० मोतीलाल नेहरू, पं० मदनमोहन मालवीय और सर जेम्स क्रेरर भी थे। सेण्टल



गेट और महिलाओं की गैलरी के मध्य भाग में दो युवक स्थिर भाव से खड़े थे। ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति—सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वरदत्त थे!

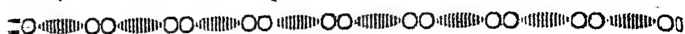
जिस अवसर पर, एसेम्बली में बम फेंका गया था, वह अवसर भी बड़ा महत्वपूर्ण था। इस समय बम्बई में मज़दूर आन्दोलन ज़ोरों पर था। उसकी सफलता से सरकार भयभीत हो उठी थी। इसी आन्दोलन को रोकने के लिए सरकार एसेम्बली में एक क़ानून बनाना चाहती थी।

जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन एसेम्बली के दरवाज़े पर पुलिस का कड़ा पहरा था। यह एक रहस्य है, कि सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त इस पहरे के बीच से एसेम्बली-भवन में कैसे चले गए! यह आश्चर्य और भी बढ़ जाता है, जब हमें मालूम होता है, कि वे केवल उसी दिन वहाँ नहीं गए थे, बल्कि घटना के ३-४ रोज़ पहले से वे वहाँ जाते-आते थे! यह दो कारणों से सम्भव हो सकता है; एक तो वे यूरोपियन वेषा-भूषा से सज्जित थे, इस कारण किसी को सन्देह करने का मौक़ा नहीं मिल सकता था, और दूसरे, उनके पास दर्शकों के टिकिट मौजूद थे। वे तीन रोज़ लगातार एसेम्बली-भवन में गए। वहाँ जाते समय, उनके एक पॉकेट में एक तैयार बम और दूसरे में भरा हुआ रिवॉल्वर रहता था! वे बराबर सुयोग की ताक में रहे, और जब मौक़ा हाथ लगा तो उन्होंने


अपने मन्सूबे को पूरा किया, मानो बम फेंकने और दियासलाई जलाने में कुछ अन्तर ही नहीं है !

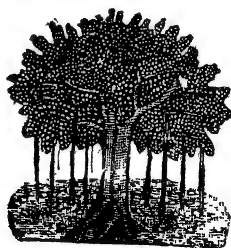
यहाँ पर हम ज़ोर देकर कह सकते हैं, कि यदि वे युवक चाहते, तो सकुशल वहाँ से निकल भागना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। उन्होंने अपनी इच्छा से पुलिस के हाथों आत्म-समर्पण कर दिया, और आनन्द-पूर्वक उस कठिन दण्ड को गले लगाने के लिए तैयार हो गए, जो इस प्रकार के अपराधों के लिए अपरिहार्य है !

दोनों युवकों के पास भरे हुए रिवॉल्वर थे। यदि वे चाहते, तो वे उन सरकारी अफ़सरों को मार सकते थे, जो बम फटने के बाद भय से इधर-उधर दौड़ रहे थे। किन्तु इस प्रकार का कोई घृणित कार्य उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए और पुलिस सार्जेण्टों के सामने, जो इस समय घटना-स्थल पर मौजूद थे, उन्हें सामने की कुर्सी पर रख दिया ! इसके बाद उन दोनों ने 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' तथा 'साम्राज्यवाद का नाश हो' (Down with Imperialism) के नारे लगाए। ये नारे भारत में पहले-पहल इन्हीं युवकों द्वारा लगाए गए थे। पीछे युवक-समाज के लिए इन नारों का लगाना एक साधारण-सी बात हो गई। नारे लगाते समय उन युवकों ने कुछ क्रान्तिकारी पर्चे भी बाँटने शुरू किए, इन पर्चों पर 'हिन्दुस्थान सोशलिस्ट-रिपब्लिकन आर्मी' लिखा हुआ था। इन पर्चों में एक अपील भी थी जो टाईप की हुई थी और जिसके



ऊपर लाल रङ्ग में एक शीर्षक लगा था। ये शीर्षक वह ही था, जो सॉण्डर्स हत्या-काण्ड के बाद निकाले गए पर्चों में थे। अपील के पर्चे को इस प्रकार शुरू किया गया था, "बहरे को सुनाने के लिए ज़ोर से कहना पड़ता है।" उसमें फ्रेञ्च विप्लवी वेलियन्त (Valliant) के कुछ उद्धरण देकर क्रान्तिकारी दल के कार्यों का समर्थन किया गया था और कहा गया था कि "जनता के प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के पास लौट जायँ और जनता को भावी विप्लव के लिए तैयार करें।"

पर्चे वितरण करने के बाद ही दो पुलिस सार्जेण्ट और कुछ कॉन्सटेबिल आगे बढ़े और उन्होंने सरदार भगतसिंह तथा श्री० बटुकेश्वरदत्त को गिरफ़्तार कर लिया। रङ्गमञ्च से अदृश्य होने के पहले, उन्होंने एक बार फिर, 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' और 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाए। इन नारों की ध्वनि से एसेम्बली-भवन गूँज उठा और भयभीत दर्शक आश्चर्य-चकित रह गए!



# नवाँ परिच्छेद

## बम-काण्ड के सम्बन्ध में—

असेम्बली का बम-काण्ड चूँकि सरदार भगतसिंह के जीवन में ही नहीं, वरन् भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में भी महत्वपूर्ण घटना है, अतः उसकी आलोचना तनिक विस्तार से करना ठीक होगा। पहले परिच्छेदों में जो कुछ कहा गया है, वह सामग्री तो साधारण इतिहास में भी मिल सकती है, परन्तु यहाँ ऐतिहासिक तारतम्य को स्पष्ट करने के लिए, उन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है, जो इस घटना की तह में निहित थीं और जिन पर अब तक प्रकाश नहीं पड़ पाया था।

"हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसिएशन" की केन्द्रीय समिति ने, मिस्टर स्कॉट की हत्या की आयोजना द्वारा उस महान् राष्ट्रीय नेता, लाला लाजपतराय, पर लाठी चलाने के घृणित व्यापार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बदला लेने के साथ ही साथ इस घटना के फल-स्वरूप होने वाली लड़ाई को भी विशेष महत्व दिया था। उसने भगतसिंह को वीरतापूर्वक लड़ने के पश्चात् पकड़े जाने पर पुलिस की गोलियों से बिंधा हुआ



देखने की कल्पना की थी। इसे इस घटना का आवश्यम्भावी परिणाम जान उसने तय किया था, कि भगतसिंह इस अवसर पर एक जोरदार वक्तव्य देंगे। उसमें क्रान्तिकारी दल के सिद्धान्तों की व्याख्या करते हुए, व क्रान्तिकारी मत को बार-बार दोहराते हुए, वे देश के नवयुवकों से इस क्षेत्र में उतर आने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसका विश्वास था, कि क्रान्तिकारी दल के उद्देश्य के प्रसार में इस प्रकार की अपील का यथेष्ट प्रभाव होगा।

जब इस एसोसिएशन ने मनोनीत परिणाम निकलते न देखा, तो उसने दूसरी ओर ध्यान दिया। उस समय बम्बई का मजदूर सङ्घ मिल-मालिकों के खिलाफ़ घोर आन्दोलन में जुटा हुआ था। भारत सरकार ने अवसर देख, अकस्मात्, साम्यवादी कार्यकर्त्ताओं से लड़ाई छेड़ दी। देश के भिन्न-भिन्न भागों के कई कार्यकर्त्ता जेल में ठूँस दिए गए और शीघ्र ही यह बात प्रगट हो गई, कि अधिकारियों का इरादा उन्हें मेरठ कॉन्सपिरेसी केस में फँसाने का था!

इन गिरफ़्तारियों से फैली हुई उत्तेजना अभी शान्त भी न हो पाई थी, कि सरकार 'ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल' लेकर सामने आई। मजदूर दल ने देखा, कि यदि यह बिल पास हो गया तो उसका मजदूर आन्दोलन पर अत्याधिक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा!



क्रान्तिकारी दल तो ऐसे अवसर की ताक में था ही। आगरे में 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोशिएशन' के हेडक्वॉर्टर में रोज़ ही इस विषय पर वाद-विवाद छिड़ा रहता था। भगतसिंह का विचार था, कि पार्टी को, इस अवसर पर ऐसा काम करना चाहिए, जिससे 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के मज़दूर एवं किसान आन्दोलन के साथ सहानुभूति की बात सब को प्रगट हो जाय। परिणाम-स्वरूप, दिल्ली में होने वाली समिति की बैठक ने निश्चय किया, कि बटुकेश्वर दत्त एक और आदमी के साथ बम लेकर 'लेजिस्लेटिव असेम्बली' पर धावा बोल दें।

हम नीचे, २६ नवम्बर, १९२९ को मैजिस्ट्रेट की अदालत में दिए गए, लाहौर कॉन्सपिरेसी केस के मुख़बिर हंसराज वोरा के बयान से कुछ उद्धरण देते हैं। इससे सारा मामला ठीक-ठीक समझा जा सकता है:

'असेम्बली में बम-काण्ड के दो या तीन दिन बाद सुखदेव नहर के पास, गवाह (मुख़बिर हंसराज) से फिर मिले। उस समय उन्होंने भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के चित्र दिखाए और साथ ही यह भी कहा कि दल की दिल्ली में होने वाली सभा ने निश्चय किया है, कि भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त अपने को पुलिस के हवाले कर दें, जिससे कोर्ट में बयान देते समय उन्हें क्रान्तिकारी सिद्धान्तों की व्याख्या करने का अवसर मिले। सुखदेव के कथनानुसार असेम्बली में बम फेंकने का


उद्देश्य, 'ट्रेड्स् डिस्प्यूट बिल' तथा 'पब्लिक-सेफ्टी बिल' के कुछ अवाञ्छित अंशों पर प्रतिवाद प्रगट करना था, किसी को मारना नहीं। उन बमों को जान कर कमजोर बनाया गया था, कि यदि उसके धड़ाके से सरकारी बेञ्चों को कुछ हानि पहुँचे भी, तो कॉङ्ग्रेसी-लीडरों का कुछ नुक़्सान न हो।"

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एसेम्बली बम-काण्ड में बटुकेश्वर दत्त के साथ जाने के लिए भगतसिंह को नहीं चुना गया था। भगतसिंह के एक घनिष्ट मित्र ही ने उनके जाने पर जोर दिया था। उनका कहना था, कि इस काम के लिए उनसे उपयुक्त व्यक्ति मिलना कठिन है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भगतसिंह ने अपने मित्र को जो उत्तर भेजा था, वह उनके व्यक्तित्व की कोमलतम भावनाओं पर प्रकाश डालता है। ऊपर से देखने में तो वे बड़े ही शुष्क तथा भावनाहीन व्यक्ति प्रतीत होते थे, परन्तु यह पत्र, जो उन्होंने अपने अन्तरङ्ग मित्र को लिखा था, उनकी स्नेहपूर्ण तथा सरस भावनाओं का प्रतीक था। उसे अपना अन्तिम पत्र जान उन्होंने उसमें अपने हृदय के समस्त कोमल उद्गारों को उड़ेल दिया था। इस पत्र को लिखते समय एक ओर उनका हृदय विचित्र स्नेह-भावना से डूबा हुआ था, तो दूसरी ओर उनके सामने कठोर कर्त्तव्य का प्रश्न भी था, अतः उसमें स्नेह और कर्त्तव्य का विचित्र द्वन्द मिलता है। उस पत्र में, उन्होंने अपने कर्त्तव्य को विस्तार से समझाते हुए अपनी प्रिय पुस्तक स्टेपनिएक की 'एक निहलिस्ट का जीवन-



चरित्र' (Stepniak's '*Career of a Nihilist*') से कई उद्धरण भी दिए थे। उसमें उन्होंने इस बात पर बार-बार ज़ोर दिया था, कि क्रान्तिकारी के जीवन में प्रेम एक रोड़ा है, क्योंकि कर्त्तव्य तथा प्रेम दो विरुद्ध भावनाएँ हैं। दुर्भाग्यवश, वह बहुमूल्य पत्र, लाहौर के मोज़ङ्ग हाऊस की बम-फ़ेक्टरी के छापे के समय पुलिस के हाथ पड़ गया और अब उसी के संरक्षण में है।

भगतसिंह की प्रतिभा से, असेम्बली बम-काण्ड के मुक़द्मे में सभा के उद्देश्य के प्रचार में आशातीत सफलता मिली। भगतसिंह तथा दत्त जी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने दिल्ली की अदालत में प्रथम बार 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' तथा 'जनता के राज्य की जय हो' (Long live Proletariat) के नारे लगाए। इसके परिणाम-स्वरूप अदालत ने, मुक़द्मे की पूरी सुनवाई तक दोनों को हथकड़ियाँ पहनाकर उपस्थित करने का हुक्म दिया। इतने पर भी दोनों ने अपने को क्रान्तिकारी दल का सदस्य घोषित कर दिया तथा अदालत में अपने बयान द्वारा हिन्दोस्तानियों को, मज़दूरों तथा किसानों का दृढ़ सङ्गठन स्थापित करने को ललकारा। उनके विचार से तभी जनसाधारण को स्वराज्य मिलना सम्भव था।

सेशन्स जज की अदालत में दिया गया यह वक्तव्य बड़ी चतुराई से चारों ओर फैला दिया गया था। इस ऐतिहासिक वक्तव्य के दिए जाने के पहले ही, इसकी 'टाईप की हुई प्रतियाँ



सभी बड़े-बड़े समाचार पत्रों में छपने के लिए भेज दी गई थीं। उसे तार-घर द्वारा नहीं भेजा गया; क्योंकि ऐसा करने से डर था, कि कहीं वह काँट-छाँट कर अथवा बिलकुल अर्थ का अनर्थ कर न भेज दिया जाय। इतनी रुकावटें होते हुए भी सारा का सारा वक्तव्य, एक साथ ही भारत के समस्त प्रमुख पत्रों में प्रकाशित हुआ। यही नहीं, वह भारत के बाहर भी पहुँचा दिया गया और उसके महत्त्वपूर्ण अंश पेरिस के 'ला ह्यूमनाइत्' (La Humanite) तथा रूस के 'प्रवदा' (Pravada) तथा आयर्लैंण्ड के पत्रों में छप गए।

इस वक्तव्य ने जनता में, विशेष कर युवक-समाज में, बिजली का काम किया। उन्हीं नेताओं ने, जिन्होंने, पहले इस काण्ड की जी खोल कर निन्दा की थी, अब अपने वक्तव्यों में सुधार करना शुरू किया। कई पत्रों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने उन युवकों के उद्देश्य की प्रशंसा करना भी प्रारम्भ कर दिया।

शीघ्र ही 'नौजवान भारत सभा' ने, जिसके संस्थापक स्वयं भगतसिंह थे, असेम्बली में बम-काण्ड की घटना के प्रचार का काम अपने हाथ में ले लिया। भगतसिंह तथा दत्त द्वारा दिए गए वक्तव्य की लाखों प्रतियाँ भारत के कोने-कोने में पहुँचा दी गईं; जिसमें दोनों युवकों के चित्र भी थे। कुछ प्रमुख पत्रों में दोनों के चित्रों के साथ उनकी संक्षिप्त जीवनी भी भेज दी गई। उन पत्रों ने प्रसन्नता से उसके प्रचार का बीड़ा उठाया।



संक्षेप में असेम्बली बम-काण्ड में उसके आयोजकों व 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की केन्द्रीय समिति को आशातीत सफलता मिली। 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' के दो सदस्यों को अत्याधिक ख्याति मिली तथा सारी पार्टी का यश चारों ओर फैल गया। इस काण्ड ने युवकों के हृदय में स्थान पा लिया तथा उनमें विचित्र जोश छा गया।

उस वक्तव्य के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण उसके कुछ उद्धरण पुस्तक के परिशिष्ट में दिए जा रहें हैं। वहाँ हमने भगतसिंह का वह जवाब भी दिया है, जो उन्होंने 'मॉडर्न रेव्यू' को उनके 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' को 'मूर्खतापूर्ण' ठहराने पर दिया था!

# दसवाँ परिच्छेद

## भूख-हड़ताल

सरदार भगतसिंह ने, असेम्बली बम-काण्ड के क़ैदियों को आजीवन कारावास का दण्ड दिए जाने के बाद ही राजनैतिक क़ैदियों की दशा में सुधार करने के लिए भूख-हड़ताल की घोषणा कर दी । इससे जनता पर उनका प्रभाव और भी बढ़ गया । इससे पहले भी राजनैतिक क़ैदियों ने भूख-हड़ताल की थी, जिनमें कुछ तो सङ्घातक भी सिद्ध हुईं ; परन्तु 'काकोरी कॉन्सपिरेसी केस' के क़ैदियों द्वारा की गई भूख-हड़ताल को छोड़ कर, बाक़ी सब कुछ विशेष माँगों के लिए ही की गई थीं । भगतसिंह की भूख-हड़ताल ने ही पहिली बार, सारे राजनैतिक वर्ग की साधारण दशा के सुधार की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया ।

सेशन्स-जज द्वारा इस दण्डाज्ञा को बहाल रखने से पहिले ही भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने राजनैतिक क़ैदियों के कठोर जेल-जीवन में सुधार के लिए भूख-हड़ताल करने का निश्चय किया । उन्होंने बड़ी सफ़ाई से अपने इस निश्चय की सूचना समाचार-पत्रों तक पहुँचा दी, जिसने तत्परता से उनकी माँगों का समर्थन किया ।



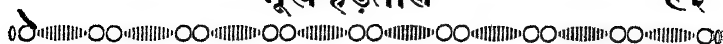
कदाचित्, साधारण पाठकों को जेल में क़ैदियों की दुरावस्था तथा क्लेश का ज्ञान नहीं है। केवल एक ही घटना से पाठकगण उनके क्लेश का अनुमान लगा सकते हैं। 'बनारस कॉन्सपिरेसी केस' (१९१६) के ग्यारह क़ैदियों में से तीन तो जेल ही में मर गए व एक पागल हो गया। लेखक को, जिसे उस मुक़दमे में सज़ा मिली थी, क़ैदियों से बर्ताव करने के लिए जेलों के इन्सपेक्टर-जनरल से समय-समय पर जो विशेष आज्ञाएँ (जो निश्चयतः गुप्त होती थीं!) मिला करती थीं, देखने का अवसर मिला है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनका आदेश था—उन्हें दिन और रात, हर समय, अन्य क़ैदियों से अलग रक्खा जाय। इसका आशय स्पष्ट ही है। चूँकि जेल में सभी तरह के क़ैदी भरे रहते हैं, अतः एक राजनैतिक क़ैदी को, अपने जेल-जीवन का सारा समय काल-कोठरी में अकेले ही बिताना पड़ता है। किसी मिलनसार व्यक्ति के लिए इससे भीषण दण्ड और हो ही क्या सकता है?

'अण्डमन में दस वर्ष' नामक पुस्तक के रचयिता ने, जिसे प्रसिद्ध 'बारीसाल कान्सपिरेसी केस' में सज़ा मिली थी, अण्डमन में राजनैतिक क़ैदियों पर किए गए पाशविक अत्याचार का वर्णन किया है। पुस्तक बङ्गला में प्रकाशित हुई थी। भगतसिंह को इन अत्याचारों की पूरी जानकारी थी। उन्हें अपने लिए कोई डर नहीं था। उनका विश्वास था, कि चाहे वे भारत के किसी भी जेल में भेज दिए जाएँ, उनसे कोई बुरा

व्यवहार न किया जायगा, उन्हें सभी तरह की रियायतें मिल जाँयगी। फिर, उन्हें आने वाले मुक़दमे की खबर मिल चुकी थी और शनाख्त के लिए की गई परेडों से वे समझ गए थे कि सरकार का अभिप्राय उन्हें सॉण्डर्स के हत्या-काण्ड में फँसाने का था। अतः उन्हें इस भूख-हड़ताल के सफल होने पर किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा न थी, वरन् उन्हें तो अपने उन साथियों से सहानुभूति थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने जीवन को अर्पण कर दिया था और जो सरकारी जेलों में पड़े सड़ रहे थे।

सज़ा पाने के दो दिन बाद तक भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दिल्ली जेल में साथ-साथ रक्खे गए। इसके बाद श्री दत्त जी की बदली 'लाहौर सेण्ट्रल जेल' में हो गई और भगतसिंह 'मियाँवाली' के भयानक क़ैदखाने में भेज दिए गए। दिल्ली जेल में उनके साथ वही व्यवहार किया जाता था, जो योरोपियन वर्ग को मिलता है। दिल्ली जेल को छोड़ने से पहिले उन्होंने एक बार फिर सरकार से लड़ाई छेड़ दी, जिससे आगामी चार महीने तक जनता की आँखें उन्हीं पर लगी रहीं।

राजनैतिक बन्दियों के प्रति सद्व्यवहार की माँग पेश करते हुए सरदार भगतसिंह ने जान-बूझ कर अपने मतालबात उसी हद तक सीमित रक्खे थे, जिनकी पूर्ति आसानी से हो सके; क्योंकि वे समय की प्रगति से पूर्णतया परिचित थे। कोई साधारण अथवा असम्भव माँग पेश करके वे व्यर्थ ही अपनी


हँसी उड़वाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनका उद्देश्य वास्तव में केवल इन अभागे बन्दियों को उस हद तक कुछ ठोस सुविधाएँ तथा सहूलियतें पहुँचाने का था, जिनसे वास्तव में वे थोड़ा-बहुत लाभ उठा सकें; इसीलिए वे एक आदर्शवादी नेता की भाँति किसी प्रकार की असम्भव, अथवा ऐसी माँग पेश करने के पक्ष में नहीं थे, जिसकी पूर्ति सम्भव न हो सके। जो मतालबात सरदार भगतसिंह ने पेश किए थे उनमें से प्रमुख माँग यह थी, कि हर प्रकार के ऐसे राजनैतिक बन्दियों को आपस में मिलने-जुलने तथा पठन-पाठन की सुविधाएँ दी जाएँ, उन्हें अपेक्षाकृत अच्छा भोजन मिलना चाहिए, जिन्होंने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि देशोन्नति की पवित्र भावना से प्रेरित होकर इस मार्ग का अनुसरण किया है। सरदार भगतसिंह की इस माँग के बहुत बाद अमर-शहीद जितेन्द्रनाथ दास ने अपनी वह ऐतिहासिक भूख-हड़ताल शुरू की थी, जिससे देशवासी पूर्णतयः परिचित हैं; किन्तु ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, त्यों-त्यों लड़ाई का रुख बदलता गया क्योंकि इस भूख-हड़ताल के फल-स्वरूप मुसीबतों तथा आत्म-कष्टों का बढ़ना स्वाभाविक ही था, अतएव धीरे-धीरे इस लड़ाई में आदर्शवादिता की बू आने लगी।

अधिकारियों को यह आशा न थी, कि मामला इतना तूल पकड़ जायगा। उनका ख्याल था, कि भूख की यन्त्रणा से भगतसिंह स्वयं इस इरादे को स्थगित कर देंगे। परन्तु भूख-

हड़ताल बिना रुके चलती रही । इस हड़ताल की घोषणा के बाद पूरा एक महीना बीत गया । अन्त में पञ्जाब सरकार ने इस मामले में झुकना शुरु किया। इसी बीच 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस' की जाँच शुरु हो गई । १३ जुलाई, १६२६ को इस केस के मुलज़िमों ने सरदार भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त से सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए भूख-हड़ताल शुरू कर दी ।

'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस' के मुलज़िमों द्वारा की गई इस भूख-हड़ताल की कथा पर एक अलग ही पुस्तक लिखी जा सकती है और लिखी भी जानी चाहिए । कुछ ही समय में सारे देश का ध्यान लाहौर के इन भूख-हड़तालियों की ओर खिंच गया। इस ज़बरदस्त जनमत तथा इस वीरतापूर्ण भूख-हड़ताल के सामने पञ्जाब सरकार को घुटने टेक देने पड़े। १४ जुलाई को, ठीक उसी दिन, जब सरदार भगतसिंह ने गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया के होम मेम्बर के पास एक ख़ास दरख़्वास्त भेजी थी, पञ्जाब गवर्नमेण्ट ने इस सम्बन्ध में अपना पहिला 'कम्यूनिके' निकाला। इसमें 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस' के मुलज़िमों को, स्वास्थ्य की बिना पर, भोजन-सम्बन्धी कुछ सुविधाओं की घोषणा की। यह सुविधाएँ कुछ भी न थीं । शीघ्र ही दूसरा सरकारी कम्यूनिके निकला, जिसके द्वारा पहिले वाले कम्यूनिके से 'स्वास्थ्य की बिना पर' शब्द निकाल दिए गए, तथा वे ही सुविधाएँ भगतसिंह तथा श्री दत्त को भी दे दी गईं।



२८ जुलाई, को जब यतीन्द्रनाथ दास की अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई तो भगतसिंह ने एक प्रतिष्ठित कॉङ्ग्रेसी सज्जन द्वारा उन के पास एक सन्देश भेजा, जिसमें उन्होंने बॉर्सटल जेल के विचाराधीन क़ैदियों से भूख-हड़ताल समाप्त करने की प्रार्थना की। उनका कहना था, कि इस लड़ाई को भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पर ही छोड़ दिया जाय। इसमें उनके आत्मत्याग की भावना की झाँकी मिलती है।

यतीन्द्र दास की दशा और भी खराब हो गई थी। उन्होंने एनीमा तक लेने से इन्कार कर दिया। उनके सारे शरीर में विष फैल गया था और वे आँखें भी ठीक से नहीं खोल सकते थे। इन भूख-हड़तालियों से समवेदना-रखने वालों, प्रतिष्ठित कॉङ्ग्रेसियों, तथा 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस' की डिफ़ेन्स कमिटी के सदस्यों ने उनसे इस भूख-हड़ताल को छोड़ने के लिए बहुत कुछ कहा पर वे किसी तरह भी न माने। पञ्जाब गवर्नमेण्ट के पास सन्देश भेजा गया कि यदि श्री दास किसी की बात सुन सकते हैं तो वह भगतसिंह ही हैं। अतः उनसे प्रार्थना की जाय कि वे श्री दास को एनीमा लेने के लिए मजबूर करें। गवर्नर ने इसे मान लिया। भगतसिंह तुरन्त बॉर्सटल जेल भेज दिए गए ताकि वे श्री दास पर दबाव डाल सकें। श्री दास पर भगतसिंह का प्रभाव शीघ्र ही प्रगट हो गया। उन्होंने उनकी बात मान ली और एनीमा लेना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार इस एनीमा के कारण ही श्री दास पन्द्रह

रोज़ तक और जीवित रह सके। इस काम को करने के लिए जेल के अधिकारियों ने बहुत कुछ हाथ-पैर मारे थे, अतः उसे इस प्रकार सहज ही होते देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। बॉर्सटल जेल के डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट, ख़ाँ साहब ख़ैरदीन साहब ने श्री यतीन्द्रदास से पूछा भी, कि आख़िर वही बात जिसके कराने के लिए हम सब परेशान थे, भगतसिंह के कहने से आप ने कैसे मान ली ? इस पर उन्होंने गम्भीरता से कहा, "ख़ाँ साहब आप नहीं जानते भगतसिंह कितना बहादुर आदमी है; मैं उसकी बात कभी नहीं टाल सकता।"

इसी प्रकार एक और अवसर पर भी उन्होंने यतीन्द्रदास को अपना कहना मानने के लिए विवश किया था। जब पञ्जाब जेल इन्कायरी कमिटी ( Punjab Jail Enquiry Committee ) का निर्णय क़रीब था; तब उन्होंने श्री दास को दवाई पीने के लिए तैयार कर लिया, जिसमें वे इस कमिटी के निर्णय को देखने तक जीवित रह सकें। श्री दास अटकते हुए बहुत धीरे-धीरे बोले, 'देखो भगतसिंह, मैं जानता हूँ, कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटना चाहिए, पर मैं तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकता। ख़ैर आगे मुझसे और कुछ मत माँगना।'

जब यह क़ैदी भूख-हड़ताल छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो भगतसिंह ने इस पर ज़ोर दिया, कि इसमें सब से पहिली शर्त यह है, कि सरकार श्री दास को बिना किसी शर्त पर छोड़



दे। 'जेल इन्कॉयरी-कमिटी' के सभी सदस्य इससे सहमत थे, पर सरकार ने इस शर्त को न माना। इस पर भगतसिंह, श्री दास तथा चार अन्य व्यक्तियों ने पुनः भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी। उनके इस कष्ट का कोई परिणाम न निकला और इसी बीच श्री दास की मृत्यु हो गई!

अब भगतसिंह तथा उनके साथियों ने सोचा, कि 'पञ्जाब जेल इन्क्वॉयरी कमिटी' जिन शर्तों को मानने के लिए तैयार है, वह इस पहिली लड़ाई के लिए काफ़ी है अतः उन्होंने भूख-हड़ताल स्थगित कर दी।

# ग्यारहवाँ परिच्छेद

## लाहौर कॉन्सपिरेसी केस

"लाहौर कॉन्सपिरेसी केस" की कार्यवाही को जितना निकट से देखा जाय, उतना ही भगतसिंह तथा उनके साथियों की राजनैतिक बारीकियाँ सामने आ जाती हैं। सरकार को 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस' बहुत मँहगा पड़ा क्योंकि उसके द्वारा सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों ने, वे सभी उद्देश्य सिद्ध कर लिए, जिनका सरकार को डर था! (परिशिष्ट भाग में दी गई अदालती कार्यवाही को पढ़कर पाठक सब कुछ सहज ही समझ लेंगे।)

जब भूख-हड़ताल समाप्त हो गई और उस केस की सुनवाई की आशा हुई तो भगतसिंह ने तीन आदमियों की एक छोटी-सी कमिटी जिसमें स्वयं वे, सुखदेव तथा विजयकुमार सिन्हा थे,—बनाई। इसका उद्देश्य था, कि किस प्रकार इस मुक़दमे द्वारा ही अपनी पार्टी के मत के प्रसार में सहायता पहुँचाई जाय, जिससे अपने सिद्धान्तों व कार्य प्रणाली को बड़ी सफ़ाई से जनता तक पहुँचा देने का अवसर मिल जाए।



सबसे पहिले तो उन्हें विचाराधीन क़ैदियों के प्राथमिक अधिकारों के लिए लड़ना था, क्योंकि अभी तक उनसे मामूली क़ैदियों-जैसा व्यवहार किया जाता था। इन वीर क़ैदियों ने बार-बार अपने अधिकारों के लिए लड़कर, जिसमें उन्हें भयङ्कर कष्टों का सामना भी करना पड़ा, अधिकारियों को कुछ सुविधाएँ देने के लिए विवश किया। उन्हें धीरे-धीरे बढ़िया कुर्सियाँ, टेबुल, अख़बार, और छोटे-छोटे तम्बू मिल गए, जिसका अर्थ यह था, कि सरकार ने उन्हें अपरोक्ष रूप से देशभक्त स्वीकार कर लिया।

दर्शकों को जेल के अन्दर आने की इजाज़त न मिलने के कारण उन लोगों ने सरकार से दूसरी लड़ाई ठानी। मुक़द्दमे की पेशी लाहौर सेण्ट्रल जेल की चहारदीवारी के भीतर होती थी और दर्शकों के अन्दर आने में इतनी बन्दिशें लगा दी गई थीं कि बहुत ही कम लोग भीतर आ सकते थे। यह बात स्पष्ट रूप से भगतसिंह तथा उनके साथियों के खिलाफ़ पड़ती थी, क्योंकि उनके विचार तो इस मुक़द्दमे की कार्यवाही द्वारा जनता को अपना सन्देश भेजने का था अतः पूरे एक महीने तक सरकार से झगड़ने के बाद, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के उपायों से काम लिया था, ये बन्दिशें हटा ली गईं और दर्शकों को मुक़द्दमें में उपस्थित रहने की आज्ञा मिल गई। हज़ारों दर्शक, जिसमें नवयुवकों तथा नवयुवतियों की ही संख्या अधिक थी, उसे देखने को टूट पड़े। हर रोज मुक़द्दमे की कार्यवाही, "इन्क़लाब

ज़िन्दाबाद" 'जनता के राज्य की जय हो', 'साम्राज्यशाही का नाश हो', के जोशीले नारों व राष्ट्रीय गान से शुरू होती थीं। दर्शकों पर इस मुक़द्मे का कैसा प्रभाव पड़ा, यह इसी बात से पता चलता है कि इसके बाद पञ्जाब में कम से कम आधे दर्जन कॉन्सपिरेसी केस हुए जिनसे यह सिद्ध हो गया कि उसमें भाग लेने वाले नवयुवक, 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस द्वारा ही प्रभावित हुए थे।

इस मुक़द्मे की विशेषता यह थी, कि मुलज़िम, गवाहों और विशेषकर मुख़बिरों से—स्वयं ही जिरह करते थे। इसमें उनका उद्देश्य मुख़बिरों के बयान की झूठी असङ्गत बातों पर प्रकाश डालना नहीं था, वरन वे इसके द्वारा अपनी पार्टी के सिद्धान्तों, ख़ास-ख़ास कामों के करने में उसका उद्देश्य, एवं साहस, उसकी कार्यप्रणाली को जनता तक पहुँचाना चाहते थे। इस प्रकार वे इस मुक़द्मे को नवयुवकों में उत्साह तथा वीरता फैलाने का साधन बनाना चाहते थे।

वे प्रदर्शन के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते थे, इसी लिए 'काकोरी दिवस' 'लेनिन दिवस' 'पहिली मई दिवस' 'लाजपत राय दिवस' तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा हङ्गरी में भूख-हड़ताल करते हुए एक राजनैतिक क़ैदी की मृत्यु पर उन्होंने खुली अदालत में प्रदर्शन किए। इन अवसरों पर वे सदा जनता को कोई न कोई सन्देश देते। अदालत ने इन सन्देशों को मुक़द्मे की कार्यवाही


में दर्ज हो जाने दिया। क्योंकि उसका ख़्याल था कि वह उन क़ैदियों को ही फँसाने में सहायक होंगे। इस प्रकार वे उन सन्देशों द्वारा उन क़ैदियों के ख़िलाफ़ ही 'प्रमाण' जुटाना चाहते थे। इधर क़ैदियों को इन 'प्रमाणों' व गवाहियों की कोई परवाह न थी, अतः वे ऐसे मौक़ों पर लाभ उठाने से कभी नहीं चूकते थे।

मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक स्मरणीय घटना तब हुई, जब अदालत ने उन क़ैदियों के हथकड़ियों में उपस्थित किए जाने की आज्ञा निकाली। घटना यों है,ः जयगोपाल, मुक़दमे का एक मुख़बिर था। जब वह अपना बयान देने कटघरे में आया तो उसका भाव बड़ा अपमानजनक था। उसने अपनी मूँछे मरोड़ते हुए मुलज़िम को ताने के कुछ शब्द कहे। जब और सब मुलज़िम 'शर्म, शर्म' चिल्ला रहे थे, तब उनमें से सब से छोटे मुलज़िम, प्रेमदत्त ने, अपनी चप्पल उतार कर उसकी ओर फेंकी। अदालत की कार्यवाही झट बन्द कर दी गई और इस आशय की एक आज्ञा निकाली गई कि मुलज़िम अदालत में हथकड़ी पहनाकर लाए जाएँ। भगतसिंह व उनके साथियों ने निश्चय किया, कि चाहे जो हो जाय, वे इस प्रकार के अन्याय के सामने सिर न झुकाएँगे और अदालत में तब तक नहीं जाएँगे, जब तक यह आज्ञा वापस नहीं ले ली जाती।

दूसरे दिन पुलिस पूरा ज़ोर लगाकर भी, एक भी मुलज़िम को अदालत में न ला सकी। सोलह आदमियों में से केवल

ज़िन्दाबाद" 'जनता के राज्य की जय हो', 'साम्राज्यशाही का नाश हो', के जोशीले नारों व राष्ट्रीय गान से शुरू होतीं थीं। दर्शकों पर इस मुक़द्दमे का कैसा प्रभाव पड़ा, यह इसी बात से पता चलता है कि इसके बाद पञ्जाब में कम से कम आधे दर्जन कॉन्सपिरेसी केस हुए जिनसे यह सिद्ध हो गया कि उसमें भाग लेने वाले नवयुवक, 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस द्वारा ही प्रभावित हुए थे।

इस मुक़द्दमे की विशेषता यह थी, कि मुलज़िम, गवाहों और विशेषकर मुख़बिरों से—स्वयं ही जिरह करते थे। इसमें उनका उद्देश्य मुख़बिरों के बयान की झूठी असङ्गत बातों पर प्रकाश डालना नहीं था, वरन वे इसके द्वारा अपनी पार्टी के सिद्धान्तों, ख़ास-ख़ास कामों के करने में उसका उद्देश्य, एवं साहस, उसकी कार्यप्रणाली को जनता तक पहुँचाना चाहते थे। इस प्रकार वे इस मुक़द्दमे को नवयुवकों में उत्साह तथा वीरता फैलाने का साधन बनाना चाहते थे।

वे प्रदर्शन के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते थे, इसी लिए 'काकोरी दिवस' 'लेनिन दिवस' 'पहिली मई दिवस' 'लाजपत राय दिवस' तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा हङ्गरी में भूख-हड़ताल करते हुए एक राजनैतिक क़ैदी की मृत्यु पर उन्होंने खुली अदालत में प्रदर्शन किए। इन अवसरों पर वे सदा जनता को कोई न कोई सन्देश देते। अदालत ने इन सन्देशों को मुक़द्दमे की कार्यवाही


में दर्ज हो जाने दिया। क्योंकि उसका ख़्याल था कि वह उन क़ैदियों को ही फँसाने में सहायक होंगे। इस प्रकार वे उन सन्देशों द्वारा उन क़ैदियों के ख़िलाफ़ ही 'प्रमाण' जुटाना चाहते थे। इधर क़ैदियों को इन 'प्रमाणों' व गवाहियों की कोई परवाह न थी, अतः वे ऐसे मौक़ों पर लाभ उठाने से कभी नहीं चूकते थे।

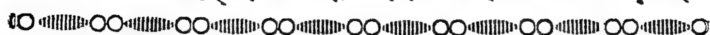
मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक स्मरणीय घटना तब हुई, जब अदालत ने उन क़ैदियों के हथकड़ियों में उपस्थित किए जाने की आज्ञा निकाली। घटना यों है,ः जयगोपाल, मुक़दमे का एक मुखबिर था। जब वह अपना बयान देने कटघरे में आया तो उसका भाव बड़ा अपमानजनक था। उसने अपनी मूँछे मरोड़ते हुए मुलज़िम को ताने के कुछ शब्द कहे। जब और सब मुलज़िम 'शर्म, शर्म' चिल्ला रहे थे, तब उनमें से सब से छोटे मुलज़िम, प्रेमदत्त ने, अपनी चप्पल उतार कर उसकी ओर फेंकी। अदालत की कार्यवाही झट बन्द कर दी गई और इस आशय की एक आज्ञा निकाली गई कि मुलज़िम अदालत में हथकड़ी पहनाकर लाए जाएँ। भगतसिंह व उनके साथियों ने निश्चय किया, कि चाहे जो हो जाय, वे इस प्रकार के अन्याय के सामने सिर न झुकाएँगे और अदालत में तब तक नहीं जाएँगे, जब तक यह आज्ञा वापस नहीं ले ली जाती।

दूसरे दिन पुलिस पूरा ज़ोर लगाकर भी, एक भी मुलज़िम को अदालत में न ला सकी। सोलह आदमियों में से केवल


पाँच आदमी लॉरी में बिठा कर जेल के फाटक तक लाए जा सके, पर उसके बाद उन्हें किसी भी तरह लॉरी पर से उतारा न जा सका। दूसरे रोज़ उन्होंने, इस शर्त पर हथकड़ी डलवाए हुए अदालत में जाना स्वीकार किया, कि अदालत अपनी इस आज्ञा को वापस ले ले। पर जब उन्होंने वहाँ ऐसा होते न देखा, तो चालाकी से काम लिया। खाने का समय आने पर उन्होंने अदालत से हथकड़ियाँ उतरवा लेने की प्रार्थना की, ताकि वे ठीक से खाना खा सकें। खाने के बाद जब पुलिस के अफ़सर उन्हें फिर हथकड़ी पहनाने आए, तो उन्होंने ऐसा कराने से इन्कार कर दिया। इस पर हाथापाई शुरु हो गई और अदालत में अच्छा-ख़ासा तमाशा हो गया। पठानों की पल्टन खास तौर पर बुलाई गई जिसने बड़ी बेदर्दी से मुलज़िमों को पीटना शुरु किया।

इसमें भगतसिंह पर ही सबसे अधिक मार पड़ी। आठ ख़ूनी-पठान उन पर टूट पड़े और जूतों की ठोकरों व लाठियों से उन्हें ख़ूब मारा। उपस्थित दर्शकों पर, जिनमें स्त्रियों की संख्या भी पर्याप्त थी, इस अमानुषिक व्यवहार का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसी दिन शाम को लाहौर में एक वृहत् सभा हुई, जिसमें पुलिस के इस काम की जी खोल कर निन्दा की गई। देश के समस्त राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी उनका साथ दिया।

पुलिस अदालत में ही उन्हें मार कर सन्तुष्ट न हुई। दोपहर में अदालत उठने पर उसने जेल की चहारदीवारी के भीतर उन्हें



बड़ी नृशंसता से मारा। परन्तु इस कष्ट-सहिष्णुता का परिणाम उनके इच्छानुकूल ही हुआ। पुलिस अधिकारियों ने जेल-अधिकारियों की सहमति से अदालत में एक रिपोर्ट दी, 'कि उन्हें पीटना—चाहे जान से मार डालना सम्भव है पर कोर्ट में लाना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं।' परिणाम-स्वरुप मैजिस्ट्रेट को अपनी आज्ञा बदलनी पड़ी।

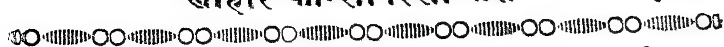
'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस' ने भारत के कोने-कोने में ही नहीं, वरन् भारत के बाहर भी असाधारण ख्याति पाई। दूर-दूर देशों से रुपये आने लगे। पोलैण्ड से एक स्त्री ने कुछ रुपये, इसलिए भेजे, कि उन्हें समय-समय पर इस मुक़दमे की पूरी कार्यवाही मिलती रहे। जापान, कनाडा और सुदूर-दक्षिणी अमेरिका से चन्दे आने लगे। देश के भिन्न-भिन्न भागों में 'भगतसिंह दिवस' मनाए गए तथा उनके चित्र कैलेण्डरों में खूब लगाए गए।

मैजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत से गण्यमान्य राष्ट्रीय नेता मुलज़िमों से मिले जिनमें श्री सुभाष चन्द्र बोस, बाबा गुरुदत्त सिंह, श्री के० एफ़० नारीमैन, कालाकाङ्कर के राजा साहब, श्री रफ़ी अहमद किदवई, श्री० मोहनलाल सक्सेना तथा हमारे माननीय नेता स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरु के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मोतीलाल जी दो बार उन से मिले, जिसमें दूसरी बार तो वे लगभग एक घण्टे तक कटघरे में उनके साथ रहे।

लेखक की इच्छा तो मोतीलाल जी तथा सरदार भगतसिंह के बीच हुई बातचीत के ख़ास-ख़ास अंश देने की भी थी, परन्तु वस्तु-स्थिति को देखते हुए इस मामले में अभी चुप रहना ही ठीक होगा। आशा है, वह समय भी शीघ्र आवेगा, जब उसे प्रकाशित करना सम्भव हो जायगा।

देश के नवयुवक समाज पर 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस' का इतना संक्रामक प्रभाव पड़ता देख कर सरकार का जी दहल गया और वह इस भयङ्कर स्थिति से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगी। अन्त में उसने 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस ऑरडिनेन्स' निकाला। भारत सरकार पहिले तो जनमत के विरोध के भय से पञ्जाब सरकार के इस प्रस्ताव को लागू करने को तैयार न हुई; परन्तु जब कॉङ्गरेस और भारत सरकार के बीच भी लड़ाई छिड़ गई, तो जनमत के विरोध का प्रश्न ही न रहा। एक के बाद एक निरङ्कुश ऑरडिनेन्स निकाले जाने लगे अतः यह अभूतपूर्व ऑरडिनेन्स भी सन् १९३० में ऑरडिनेन्स ४ के नाम से पास हो गया।

भगतसिंह व उनके साथियों ने देखा कि उन्हें बृटिश न्याय का खोखलापन दिखाने का अच्छा अवसर मिला है। वे क्रान्तिकारी दल के लिए काफ़ी प्रोपेगेण्डा करने में समर्थ हुए थे। बहुत विलम्ब के बाद इस प्रकार का अभूतपूर्व क़ानून पास कर सरकार ने अपने (शत्रु के) मन की ही बात की। अतः विचाराधीन क़ैदीयों की एक बैठक कर भगतसिंह ने प्रस्ताव



रक्खा, कि अपना विशुद्ध क्रान्तिकारी रुख अख़्तियार करते हुए उन्हें अब अदालत की पूर्णरूप से अवहेलना करनी चाहिए। इस पर बड़ी गरम बहस हुई, जिसमें दो विरुद्ध मत सुनने में आए। एक दल ने भगतसिंह के मत का समर्थन किया और दूसरे ने इसका विरोध करते हुए अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की सलाह दी। दूसरे दल का कहना था, कि इस प्रकार उन्हें साहस-पूर्ण बयान देने का अवसर मिलेगा जैसा कि उन्होंने असेम्बली केस में किया था। इसके विपरीत भगतसिंह का कहना था, कि यदि हम फाँसी तथा आजीवन कारावस-जैसे भयङ्कर दण्ड की अवहेलना तक करते हुए, इस मामले में एक दम उदासीन भाव ग्रहण कर लें, और सरकार की जो मर्ज़ी हो उसे करने दें, तो निश्चय ही नवयुवक समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे दल का कहना था, कि चूँकि क्रान्तिकारी दल के पास प्रोपेगेण्डा के लिए और कोई मञ्च नहीं है, अतः उसे अदालती कार्यवाही से ही लाभ उठाना चाहिए।

बड़े ही विचित्र ढङ्ग से यह झगड़ा तै हो गया। मैजिस्ट्रेटी अदालत की तरह, उन्होंने इस अदालत में भी क्रान्तकारी नारे लगाते हुए प्रवेश किया, तथा अदालत की कार्यवाही, तब तक शुरु न हो सकी, जब तक उन्होंने राष्ट्रीय गान न समाप्त कर लिया। अदालत के तीन जज इस बात को सह न सके, और तीन या चार दिन बाद उन्होंने राष्ट्रीय गान को समाप्त करते ही मुलज़िमों को हथकड़ियाँ पहना देने की आज्ञा निकाली।


नीचे की अदालत का दृश्य फिर उपस्थित हो गया और उस रोज़ के लिए अदालत की कार्यवाही स्थगित हो गई।

इस अपमानजनक व्यवहार ने दूसरे दल को भी भड़का दिया, अतः सब ने मिलकर अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। पुलिस तथा जेल-अधिकारियों ने अपने पहिले अनुभव के बल पर कह दिया, कि मुलज़िमों को अदालत में लाना किसी प्रकार सम्भव नहीं, मुलज़िमों की अनुपस्थिति में (Ex-parte) मुक़दमा लिया जाने लगा। इस प्रकार भगत-सिंह का अभिप्राय पूर्णतया सिद्ध हो गया। अपनी न्याय-प्रियता का स्वाँग रचने के लिए सरकार मुलज़िमों को अदालत में उपस्थित रहने के लिए तैयार करने का प्रयत्न करने लगी। वह इस विशेष अदालत के प्रेज़िडेण्ट को भी, जिसको मुलज़िमों ने इस मार-पीट तथा अपमान के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था, हटा देने को तैयार हो गई, परन्तु फल कुछ भी न निकला !!

# बारहवाँ परिच्छेद

## फ़ैसला और उसके बाद

विशेष अदालत की ओर से ७ अक्टूबर, सन् १९३० को सवेरे के समय एक ख़ास दूत सेन्ट्रल जेल आया। मुलज़िमों ने अदालत की कार्यवाही में कोई भाग न लिया था, अतः इसी विशेष दूत द्वारा अदालत का फ़ैसला उन तक पहुँचाया गया। इन फ़ैसलों में से तीन के चारों ओर काले बॉर्डर लगे थे, क्योंकि उनमें सुखदेव, शिवराम राजगुरु, तथा भगतसिंह को प्राण-दण्ड की आज्ञा दी गई थी!

इस मुक़दमे के फ़ैसले का दिन गुप्त रक्खा गया। तीन दिन पूर्व जेल में उन्हें आख़िरी बार दावत तथा अभिनन्दन-पत्र दिया गया, जिसमें कई जेल के अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बाद उत्सुकता तथा उत्तेजना के तीन और दिन बीते। जेल के भीतर के क़ैदियों ने सुना था, कि जेल के चारों ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। जिससे उन्होंने अनुमान किया कि शायद उन्हें किसी आकस्मिक सङ्कट के लिए बुला लिया गया है। भगतसिंह व उनके साथियों के प्राणदण्ड का


समाचार पल-भर में शहर में फैल गया। इस दुःखद समाचार से चारों ओर सनसनी फैल गई और तुरन्त ही दफ़ा १४४ लगा दी गई। इतने पर भी शहरी दरवाज़े के बाहर म्यूनिसिपैलिटी की ज़मीन पर बिना किसी पूर्व सूचना या प्रयत्न के एक वृहत् सभा की गई। वहाँ बड़े ओजस्वी भाषण दिए गए, जिसमें बिना मुलजिमों की उपस्थिति के मुक़दमा लिए जाने तथा इस प्रकार के अमानुषिक दण्ड देने के कारण सरकार की भरपूर निन्दा की गई। कई प्रभावशाली समाचार पत्रों के स्पेशल-नम्बर निकले, जिसमें लाहौर कॉन्सपिरेसी केस के सभी मुल-ज़िमों के चित्र छपे। इन चित्रों को देख पुलिस तथा जेल के अधिकारी दङ्ग रह गए, क्योंकि उनकी समझ ही में नहीं आता था, कि आख़िर यह चित्र उन्हें मिले कैसे ?

दूसरे दिन, बुधवार ८ अक्टूबर को लाहौर तथा देश के अन्य बड़े शहरों के लोगों का, विशेष कर, नवयुवकों तथा नवयुवतियों का का जोश देखने योग्य था। लाहौर के विद्यार्थी-सङ्घ ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उसने स्कूल और कॉलेजों में ही नहीं, सारे शहर में पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी। शहर के अधिकांश स्कूल तथा कॉलेज बन्द हो गए और जो बन्द नहीं हुए, वहाँ पिकेटिङ्ग की गई। इस सम्बन्ध में सत्रह नवयुवतियाँ, जिसमें 'माता जी' नाम से एक प्रसिद्ध सम्भ्रान्त महिला भी थीं, गिरफ़्तार कर ली गईं।

एक सार्जेन्ट तथा कुछ कॉन्सटेबलों ने लाहौर के डी० ए० वी० कॉलेज के एक प्रोफ़ेसर तथा अस्सी विद्यार्थियों को लाठियों से



ख़ूब पीटा। गवर्न्मेंएट कॉलेज के पास पिकेटिङ्ग करने के लिए आए हुए विद्यार्थियों तथा आम-जनता पर भी कई बार लाठियाँ चलाई गईं।

शाम को एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें थोड़ी-थोड़ी देर पर 'भगतसिंह ज़िन्दाबाद' 'सुखदेव ज़िन्दाबाद' 'राजगुरु ज़िन्दाबाद' के नारे लग रहे थे। 'ब्रे डलॉ हॉल' में केवल विद्यार्थियों तथा नवयुवकों की एक वृहत् सभा हुई, जिसमें भगतसिंह तथा उनके साथियों को उनके इस महान् आत्म-त्याग पर बधाइयाँ दी गईं। उसी दिन शाम को, ठीक उसी समय मोरीगेट के बाहर म्युनिसिपल ग्राऊण्डस् में स्वर्गीय लाला लाजपत राय की कन्या, श्रीमती पार्वती देवी के सभापतित्व में कॉङ्ग्रेसियों की एक विशाल सभा हुई, जिसमें लगभग बारह हज़ार आदमी एकत्रित हुए थे।

पञ्जाब के कई ज़िलों, तथा सम्पूर्ण भारत के बड़े-बड़े नगरों में एक साथ हड़तालें हुईं। अमृतसर में भी लाहौर ही की तरह का जोश देखने में आया। वहाँ भी पूर्ण-हड़ताल रही, यहाँ तक कि टाँगे तथा अन्य सवारियाँ भी बन्द रहीं। दिल्ली, बम्बई, कानपूर, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों में जनता ने सभाएँ कर भगतसिंह तथा उनके अन्य साथियों के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की।

विशेष अदालत (Special Tribunal) द्वारा फ़ैसला दिए जाने के बाद डिफ़ेन्स कमिटी ने इस ऑर्डिनेन्स के

अवैधानिक ( Ultra Virus ) होने के कारण उसको अपील प्रीवी काउन्सिल ( Privy Council ) में करने का निश्चय किया। यहाँ डिफ़ेन्स कमिटी के बारे में दो शब्द कह देना आवश्यक है।

जनता को जब यह प्रगट हुआ कि पुलिस लाहौर में एक बड़ा कॉन्सपिरेसी केस चलाने की ताक में है, तब कई राष्ट्रीय नेताओं ने, जिसमें हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान सभी लोग शामिल थे, इस मुक़दमे में उत्सुकता तथा इन मुलज़िमों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना आरम्भ किया। सन् १९२९ को जून के आसपास लाहौर में एक डिफ़ेन्स कमिटी बनाई गई, जिसमें इन लोगों की रक्षा तथा उनके पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए रुपया इकट्ठा करना प्रारम्भ किया। इस काम के लिए काफ़ी रुपया इकट्ठा करने में उसे कुछ भी देर न लगी। यहाँ पर यह बात स्मणीय है कि लग भग सारा का सारा रुपया निम्न-श्रेणी के लोगों द्वारा ही दिया गया था। ग़रीब लोगों ने ही अपनी परिमित आमदनी से थोड़ा-थोड़ा रुपया निकाल कर, स्वतन्त्रता के इन पुजारियों को भेंट किया। अनुमान किया जाता है कि प्रायः बीस से तीस हज़ार व्यक्तियोंने इस चन्दे में भाग लिया था।

इस डिफ़ेन्स कमिटी का मुख्य काम केवल विचाराधीन क़ैदियों को क़ानूनी सहायता देना ही नहीं था ( क्योंकि उन लोगों ने इस मामले में अपनी ओर से कुछ भी न कहने का


निश्चय किया था ) वरन् उन्हे बढ़िया-बढ़िया पुस्तकें भी देना था, क्योंकि वे सब के सब किताबें पढ़ने के बड़े शौक़ीन थे। यही नहीं, उसने भारत के दूर-दूर भागों से उनसे मिलने के लिए आए हुए उनके सम्बन्धियों के लिए ठहरने व खाने के इन्तज़ाम का भार भी लिया। स्वयं विचाराधीन क़ैदियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का तथा उनके ज़रुरतमन्द सम्बन्धियों को आर्थिक सहायता देने का भार भी अपने ऊपर ले लिया।

फ़ैसला होने के बाद डिफ़ेन्स कमिटी ने इसकी अपील प्रीवी काउन्सिल में करने का निश्चय किया। यह बात भगतसिंह तथा उनके साथियों द्वारा पहिले ही से तै कर दी गई थी। लोग उनके अभिप्राय को अन्यथा न समझ बैठे अतः भगतसिंह तथा उनके साथियों का प्रीवी काउन्सिल में अपील करने का उद्देश्य भी यहाँ बतला देना आवश्यक है।

इस अपील के करने में उनका प्रमुख उद्देश्य; निश्चय ही विदेशो में अपने मत का प्रचार करना था। वॉइसरॉय ने यह ऑर्डिनेन्स लगाते समय भूमिका-स्वरुप, मुक़द्मे के समय मुलज़िमों के चाल-चलन ( Conduct ) के सम्बन्ध में भी कई बातें कही थीं, जिससे उनके कथानुसार, इस ऑर्डिनेन्स के लगाने की आवश्यकता पड़ी। इस अपील में उन्हें इन बातों को झूठा साबित करने का अवसर मिलता। इन अभियोगों में उनकी लम्बी भूख-हड़तालों का अभियोग भी शामिल था,



जिसने मुक़दमे की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलने से बाधा पहुँचाई। इस अपील द्वारा भगतसिंह सभ्य संसार को दिखा देना चाहते थे, कि भारत में राजनैतिक कैदियों को किस प्रकार के अमानुषिक अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। इसके द्वारा वे संसार के सामने वीर जतिन्द्रनाथ दास का निःस्वार्थ त्याग भी रखना चाहते है।

इसमें उनका एक उद्देश्य और भी था। वे इङ्गलैण्ड के शत्रुओं का भारत के इस सोशलिस्ट क्रान्तिकारी दल की स्थिति की सूचना भी देना चाहते थे। अपने वकीलों को आज्ञा देते समय भगतसिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया था, कि इस मामले में यह दिखाने का प्रयत्न न किया जाय, कि भारत में क्रान्तिकारी हैं ही नहीं, तथा अङ्गरेजों द्वारा बनाए गए क़ानूनों की सहायता से अपने दण्ड में कमी करने का प्रयत्न भी न किया जाय।

अपील न करने का तीसरा कारण पहिले दोनों कारणों से कम आवश्यक नहीं था और यदि सच पूछा जाय, तो राजनैतिक-दृष्टिकोण से यह उनसे अधिक महत्वपूर्ण था। इस सिलसिले में यह बतला देना आवश्यक है, कि इस निर्णय पर पहुँचने में सरदार भगतसिंह, श्री० विजय कुमार सिन्हा के परामर्श से ही अधिक प्रभावित हुए थे, जिनकी राजनैतिक सूझ के सभी क़ायल थे। श्री० सिन्हा का परामर्श यह था, कि इन फ़ाँसियों को तब तक के लिए स्थगित करा देना चाहिए, जब



तक कि जनता में भरपूर जोश न फैल जाय। जिस समय की यह चर्चा है, उस समय, अर्थात् सन् १९३० के अक्तूबर में देशवासी प्रायः नित्य के 'लाठी-चार्ज', गिरफ्तारियों और सज़ाओं से विचलित हो उठे थे। ऐसे कोलाहलपूर्ण वातावरण में यदि ये फाँसियाँ हो जातीं तो सर्व-साधारण पर इतना कोई विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं थी। सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों को इस बात का भी भय था, कि ऐसी हालत में कहीं कॉङ्गरेस गवर्नमेण्ट से कोई अपमानजनक समझौता न कर बैठे; इसीलिए उन्होंने यही ठीक समझा, कि उन्हें तथा उनके साथियों को किसी ऐसे समय फाँसी के तख़्तों पर झुलाया जाय, जबकि ये फाँसियाँ 'आस्तीन के दाग़' सिद्ध हों और कॉङ्गरेस की राजनीति का खोखलापन तथा उसकी कमज़ोरियाँ भी सर्व-साधारण के समक्ष उपस्थित हो सकें और साथ ही सामयिक राजनीति की बागडोर उग्र-दल के नौजवानों के हाथ में आ जाए।

२३ मार्च, सन् १९३१ को यह अप्रिय कार्य सम्पादित हुआ; अर्थात् इन्हें फाँसी पर लटका दिया गया, यही वह उपयुक्त समय था, मरने वालों ने जिसका आवाहन किया था! सरदार भगतसिंह ने इस प्रकार अपनी अन्तिम अभिलाषा की भी पूर्ति करा के ही छोड़ी! उन्होंने मृत्यु के प्रश्न पर भी गवर्नमेण्ट पर विजय प्राप्त करके ही छोड़ी! आगे घटित होने

वाली घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए हमें इन नौजवान विप्लव-वादियों की राजनैतिक सूझ का लोहा मानना ही पड़ेगा !

# तेरहवाँ परिच्छेद

## फाँसियाँ

मङ्गलवार २४ मार्च का दिन भारत के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। सबेरे से ही भारत के कोने-कोने में विचित्र उत्तेजना के लक्षण दिखाई देने लगे। बिजली की तरह यह समाचार फैल गया कि भगतसिंह तथा उनके दो साथियों को फाँसी दे दी गई है! सबेरे के सभी अख़बारों में बड़े-बड़े हेडिङ्ग देकर तथा कुछ ने काले बॉर्डरों के बीच इस समाचार का समर्थन किया। पता चला, कि सरदार भगतसिंह, श्री० शिवराम राजगुरु तथा सुखदेव को सोमवार २३ मार्च को ही ७ बजकर ३३ मिनट पर लाहौर के सेन्ट्रल जेल में फाँसी पर लटका दिया गया था! उनके फाँसी पर चढ़ने के पन्द्रह मिनट पहिले से लेकर उसके बाद तक जेल से 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' के नारे सुनाई दे रहे थे!!

मृत्यु के समय भी भगतसिंह ने अपनी उसी वीरता तथा आत्म-संयम का परिचय दिया, जिसके लिए वे बचपन से ही प्रसिद्ध थे। फाँसी के तख़्ते पर चढ़ते हुए भी वे उसी प्रकार प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके दोनों साथी भी उसी प्रकार डट कर खड़े थे। फाँसी पर चढ़ाये जाने का दृश्य देखने के लिए एक



योरोपियन डिप्टी-कमिश्नर भी आए हुए थे। भगतसिंह ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा 'मैजिस्ट्रेट महोदय! आप वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं, जो आपको यह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कि किस प्रकार एक भारतीय क्रान्तिकारी अपने महान् आदर्श के लिए हँसते-हँसते मृत्यु का आलिङ्गन करता है।'

प्रीवीकाउन्सिल ने भी जब विशेष अदालत के फ़ैसले को बहाल रक्खा तब इस दण्ड में परिवर्तन कराने के लिए देशव्यापी सुसङ्गठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। कदाचित् लोगों को यह पता नहीं है, कि महात्मा गाँधी ने भी इन अभागे अपराधियों को फाँसी से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया था। देश के नवयुवक तथा नवयुवतियों ने न्याय के इस स्वाङ्ग के सामने सिर न झुकाने का निश्चय किया। वह सरकार को बता देना चाहते थे कि भारतवासी इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण अत्याचारों को होते देख कभी चुप नहीं बैठ सकते। अपनी इसी नाराज़गी को ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए।

भारत में अङ्गरेज़ी राज्य के इतिहास में यह पहिला ही अवसर था, जब किसी दण्डाज्ञा में परिवर्तन कराने के लिए इतना ज़बरदस्त तथा देशव्यापी आन्दोलन हुआ हो। इङ्गलैण्ड पर भी इस आन्दोलन का प्रभाव पड़े बिना न रहा। कहा जाता है कि इस ज़बरदस्त जनमत को देख कर वॉयसरॉय-तक दहल उठे थे। यही भगतसिंह चाहते भी थे।

इसी बीच भारत सरकार तथा कॉङ्ग्रेस में सुलह हो गई! क्रान्तिकारी दल के विचार से तो यह सरकार की पराजय ही थी। कॉङ्ग्रेस ने अपना जन-आन्दोलन स्थगित कर दिया और सरकार ने चैन की साँस ली और अवसर अच्छा देख चुपके से भगतसिंह आदि को फाँसी पर लटका दिया गया! भगतसिंह भी यही चाहते थे कि उन्हें उस समय फाँसी दी जाय, जब देश में शान्ति हो, जिससे जनता का ध्यान पूरी तौर से उन पर लग सके। मानो सरकार को नीचा दिखाने में भाग्य यहाँ भी उनका साथ दे रहा था।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन फाँसियों तथा उसके बाद की घटनाओं से सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों की चिर-सञ्चित आशा की पूर्ति हुई। सरदार भगतसिंह ने जीवित रहने की अपेक्षा फाँसी पर चढ़ कर ही अपने दल, अपने देश और समाज का अधिक कल्याण किया? इसे पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपने सुन्दर शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है—"पर जो अब नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान बना रहेगा और जब इङ्गलैण्ड हमसे बातें करेगा और समझौते के लिए कहेगा तो हमारे बीच में भगतसिंह की लाश पड़ी होगी, जिससे कहीं हम उसे भूल न जाएँ, कहीं हम उसे भूल न जाएँ।"

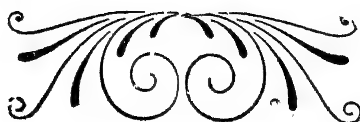
"...But there will also be pride in him who is no more. And when England speaks to us and talks of



settlement, there will be the corpse of Bhagat Singh between us lest we forget, lest we forget !"

भगतसिंह ने अपने छोटे भाई कुलतारसिंह को, जिसे वे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, अपने अन्तिम पत्र में लिखा था—"भोर के समुज्जवल प्रकाश के सामने, भाग्य के लेखे को कौन टाल सकता है ? यदि सारा संसार भी हमारे विरुद्ध उठ खड़ा हो तो हमें उसकी क्या परवाह ? प्रिय बन्धुओं ! मेरे जीवन का अवसान समीप है। प्रातःकालीन प्रदीप के प्रकाश के समान टिमटिमाता हुआ मेरा जीवन-प्रदीप भोर के प्रकाश में विलीन हो जाएगा। हमारा आदर्श, हमारे विचार, बिजली की कौंध के समान सारे संसार में जागृति पैदा कर देंगे फिर यदि यह मुट्ठी भर राख विनष्ट भी हो जाए तो संसार का इससे क्या बनता-बिगड़ता है !

"In the light of dawn, who can withstand destiny ? What harm even if the whole world stands against us ? ....Dear friends, the days of my life have come to an end. Like a flame of candle in the morning, I disappear before the light of the dawn. Our faith and our ideas will stir the whole world like a spark of lightning. What harm, if this handful of dust is destroyed !"



# चौदहवाँ परिच्छेद

## कुछ संस्मरण

सरदार भगतसिंह ५ फ़ीट १० इञ्च लम्बे, सुन्दर गठन वाले खूबसूरत नौजवान थे। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी, साथ ही वे अपने हृदय के समस्त भावों को गाने में उड़ेल देते थे। एक दिन असेम्बली बम-काण्ड के मुक़-दमे के फ़ैसले के ठीक बाद ही, उनके वकील श्री. आसफ़अली अपनी स्त्री के साथ उनसे मिलने गए। उस समय भगतसिंह बेड़ियों से जकड़े हुए जेल की काल-कोठरी में बन्द थे। उनकी कोठरी के पास पहुँचने पर श्री आसफ़ अली तथा उनकी स्त्री को किसी के गाने का मधुर तथा कोमल स्वर सुनाई पड़ा। वे धीरे-धीरे आगे बढ़े और वहाँ उन्होंने जो दृश्य देखा वह किसी भी पाषाण-हृदय को पानी-पानी कर सकता था! क्रान्तिकारी भगतसिंह उस समय भोले बालक के समान गा रहे थे; साथ ही अपनी बेड़ियों की झङ्कार से ताल भी देते जा रहे थे।

उनका भावुक हृदय सब के लिए समवेदना तथा प्रेम से परिपूर्ण था। यही नहीं, उपन्यास के काल्पनिक पात्रों तक में वे आसाधारण उत्सुकता तथा सहानुभूति प्रदर्शित करते थे। तथा



उनके सुख-दुःख को अपना समझ कर उससे प्रभावित होते थे। स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने लियोनॉयड एण्ड्रीव (Leonoid Andrieve) का 'सेवन दैट वर हैंग्ड्' (Seven that were Hanged) नामक सुन्दर उपन्यास हम लोगों के सामने जोर-जोर से पढ़ना शुरू कर दिया था। उस पुस्तक में एक पात्र ऐसा भी था, जो फाँसी के नाम से ही काँप उठता था। वह हर एक बात पर कहता था, 'मैं फाँसी पर नहीं लटकाया जा सकता'। यह बात उसके दिल पर ऐसी जम गई थी, कि जब वह कमजोर दिल का आदमी फाँसी की टिकटिकी पर ले जाया जाने लगा तब भी वह 'मैं फाँसी पर नहीं लटकाया जा सकता' ही चिल्लाता रहा। जब सरदार भगतसिंह इस पुस्तक के अन्तिम दृश्य तक पहुँचे, जिसमें इस घटना का चित्रण किया गया था, तो वे मुस्कुरा उठे तथा उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बह चली। मृत्यु के विचार पर विजय पाने वाले इस व्यक्ति को, मृत्यु-भय के आगे सिर झुकाने वाले व्यक्ति के लिए, इस प्रकार, करुणा से, आँसू बहाते देख हम दर्शकों का दिल भी हिल उठा था!

इतनी अवस्था में भगतसिंह ने बहुत-सी किताबें पढ़ डाली थीं। 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस' में पकड़े जाने वाले सब के सब नवयुवक मननशील व्यक्ति थे, परन्तु भगतसिंह अपनी बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के कारण इन सब से ही बढ़े-चढ़े थे। साम्यवाद


ही उनका प्रिय विषय था तथापि उन्होंने उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से लेकर १९१७ के अक्टूबर की क्रान्ति तक के रूसी क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास का भी गहन अध्ययन किया था। लोगों का ख्याल है, कि भारत में इस विषय के अध्ययन में बहुत ही कम आदमी उनके सामने ठहर सकते थे। बॉलशेविक राज्य में किए गए आर्थिक प्रयोगों में भी उनकी विशेष रुची थी।

वैसे तो वे सभी प्रकार के उपन्यास बड़े चाव से पढ़ते थे, परन्तु राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले उपन्यास ही उन्हें विशेष रूप से प्रिय थे। हाँ, वे उच्च-श्रेणी के लोगों के जीवन को चित्रित करने वाले तथा केवल प्रेम आदि मनोविकारों में लेकर चलने वाले उपन्यास अधिक पसन्द नहीं करते थे।

जेल में उन्होंने अङ्गरेज़ी के प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकेन्स के उपन्यासों को पढ़ना प्रारम्भ किया जो उन्हें ख़ूब पसन्द भी आए। उनकी कुछ प्रिय पुस्तकें थीं: उपटन सिङ्क्लेयर ( *Upton Sinclair* ) द्वारा लिखित, 'बोस्टन' ( *Boston* ) 'जङ्गल' (*Jungle*) 'ऑयल (*Oil*) तथा 'क्राई फ़ॉर जस्टिस' ( *Cry for Justice*); हॉल केन ( *Hall Caine*) की इटर्नल सिटी (*Eternal City*), जिसमें रामिली के कई कथन उन्होंने कण्ठस्थ कर लिए थे; रीड (*Reed*) की 'टेन डेज़ दैट शूक दी वर्ल्ड (*Ten days that shook the World*); रॉस्किन

(*Rosphin*) की 'व्हॉट नैवर हैपेण्ड' (*What Never Happen ed*) मेक्जिम गोर्की (*Maxim Gorky*) की मदर (*Mother*) स्टैपनियेक (*Stepniak*) की 'कैरिअर ऑफ़ ए निहिलिस्ट' (*Career of a Nihilist*); इसी लेखक की 'बर्थ ऑफ़ ए रशियन डिमॉक्रेसी (*Birth of a Russian Democracy*) को वे रूसी क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास की सबसे अच्छी पुस्तक बताते थे; ऑस्कर वाइल्ड (*Oscar Wilde*) की 'वीरा ऑर दी निहिलिस्ट (*Vera or the Nihilist*) आदि। जब से भगतसिंह ने कम्यूनिस्ट साहित्य पढ़ना आरम्भ किया, तब से वे अपने को कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करने लगे। क्रॉप्टकिन (*Kroptkin*) के मेमॉयर्स (*Memoirs*) का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा, परन्तु माईकेल बेकुनिन (*Michail Bakunin*) ने तो उनके विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। चूँकि भगवान की किसी भी रूप की कल्पना कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ती है अतः भगतसिंह ने भी भगवान् के अस्तित्व के विचार को अपने हृदय से निकाल देने का प्रयत्न किया। वे हमेशा अपने को नास्तिक ही कहते थे, परन्तु क्या वे वास्तव में ऐसे ही थे, यह अब निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कदाचित्, वे भगवान की कल्पना को अपने हृदय से निकाल देने में सफल हुए थे। उनके इन नास्तिक विचारों की परीक्षा तो सन् १९२६ में दशहरा बम काण्ड के सिलसिले में



पकड़े जाने पर हुई। उन्हें हर समय काल कोठरी में रक्खा जाता था, तथा उनके ऊपर अन्य अमानुषिक अत्याचार भी किए जाते थे अतः इस समय उनके नास्तिक विचारों में और भी दृढ़ता आ गई हो, तो क्या आश्चर्य है ? इसके तीन साल के बाद के उनके अध्ययन ने भगवान् के अनास्तित्व की उनकी धारणा को और भी पुष्ट कर दिया था।

स्वाभावतः भगतसिंह का झुकाव आतङ्कवाद की ओर न था। 'काकोरी कॉन्सपिरेसी केस' के देशभक्त वीरों के इस प्रकार अकारण फाँसी पर लटका दिए जाने की प्रतिक्रिया-स्वरूप ही वे कुछ दिनों के लिए आतङ्कवादी बन गए थे। उनका विचार था, कि जब तक किसी देश की जनता स्वयं अपनी माँगों के लिए लड़ने को तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी ठोस लाभ की आशा नहीं की जा सकती। उनका कहना था, कि कॉङ्ग्रेस ज़मींदारों, पूँजीपतियों तथा अमीर वकीलों की ही संस्था है, अतः उससे यह आशा करना, कि वह आम जनता को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकेगी, एक दुराशा-मात्र ही होगी। वे कहा करते थे, "गाँधी जी एक उदार-हृदय परोपकारी जीव हैं, परन्तु केवल परोपकार से ही जनता का कल्याण नहीं हो सकता; यहाँ तो ऐसी सञ्चालक शक्ति की आवश्यकता है जो सारे समाज में क्रान्ति तथा नवजीवन की ज्वाला फूँक दे।" उनके अनुसार निस्वार्थ भाव से काम करने



वाले नवयुवकों का दल ही सामाजिक क्रान्ति का सङ्गठन तथा सञ्चालन कर सकता है।

भगतसिंह के विचार से नवयुवक समाज अपनी स्वाभाविक जड़ता को दूर फेंक देश-सेवा के इस पवित्र अनुष्ठान में, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक उसे फाँसी की टिकटी पर से खड़े हो कर ललकारा न जाय। उन्होंने यह काम स्वयं अपने हाथ में लिया। असेम्बली बम-काण्ड के मुक़द्मे के सिलसिले में दिए गए अपने बयान द्वारा उन्होंने जनता में इसी प्रकार की जागृति फैलाने का प्रयास किया था और उसका प्रभाव भी जनता पर समुचित पड़ा। इस अपील ने हज़ारों नवयुवकों के ही नहीं, नवयुवतियों के हृदय में भी घर कर लिया।

जेल की काल-कोठरी में बन्द भगतसिंह अपना समय पढ़ने-लिखने में व्यतीत करते थे

पकड़े जाने पर भगतसिंह काल-कोठरी में बन्द कर दिए गए अतः उन्होंने पढ़ने तथा स्वतन्त्र रुप से लिखने को ही समय काटने का साधन बनाया। वहीं उन्होंने मातृभूमि पर प्राण-विसर्जन करने वाले वीर नवयुवकों की एक सूची बनाई, जिसमें उनके जीवन के आदर्श सिद्धान्तों पर टिप्पणी करते हुए, उनका संक्षिप्त जीवन-चरित्र भी लिखा उसमें उन्होंने इन देशभक्त वीरों के आदर्श वाक्यों को अपनी स्मरणशक्ति के बल पर ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया था। इस बात से भगतसिंह



के गहन अध्ययन का पता चलता है; साथ ही साथ यह इस बात का भी परिचायक है, कि वह केवल किताबें ही नहीं पढ़ा करते थे, वरन उनके सुन्दर तथा स्फूर्तिदायक अंशों को याद भी कर लेते थे। उन्हें रेवोल्यूशनरी ( Revolutionary ) नाम की अपनी पुस्तक के प्रथम खण्ड का प्रथम अङ्क जबानी याद था, जिसमें महीन टाइप के चार बड़े-बड़े पन्ने थे और जिसे 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन' ने प्रकशित किया था। उपरोक्त पुस्तक फ़रवरी सन् १९२५ में सारे भारत तथा बर्मा में बाँटी गई थी।

यही नहीं, उन्होंने जेल ही में, बड़े परिश्रम से भारतीय-क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तृत इतिहास भी लिख डाला था। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने जेल में ही बैठे-बैठे इतना निषिद्ध, पर दुर्लभ साहित्य कैसे प्राप्त कर लिया ? यह पुस्तक बहुत बड़ी है, और इसके प्रकाशित होने पर ही यह पता चल सकता है, कि भगतसिंह का ज्ञान इस दिशा में भी कितना बढ़ा-चढ़ा था। इसके लिए उन्हें बङ्गला भी सीखनी पड़ी थी। अतः इस पुस्तक में उन्होंने बङ्गला में प्रकाशित क्रान्तिकारी साहित्य का भी पूरा-पूरा उपयोग किया था।

जेल की काल-कोठरी से ही भगतसिंह सन् १९२९ के यूथ-लीग (Youth league) के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में अपना सन्देश भेजन्ने में समर्थ हुए थे। यही नहीं समय-समय



पर निकलने वाले 'क्रान्तकारी पर्चों' के लिए वे मसाला भी जमा कर देते थे, जिसमें 'फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ दी बॉम्ब'( Philosophy of the Bomb ) का नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है। फाँसी से कुछ ही समय पहिले उन्होंने 'नौजवान राजनैतिक कार्यकर्ताओं' के नाम एक सन्देश भेजा था, जो देश के नाम उनकी आख़िरी वसीयत कही जा सकती है। एक सच्चे साम्यावादी होने के कारण भगतसिंह का दृष्टिकोण हर एक मामले में अन्तर्राष्ट्रीय था। सभी क्रान्तिकारियों की तरह वे भी प्रान्तीयता की सङ्कीर्ण-भावना से ऊपर उठ चुके थे, पर भगतसिंह उनसे एक क़दम आगे ही थे। वे मनुष्यता के आगे राष्ट्रीयता को भी बहुत पीछे छोड़ चुके थे, भौगोलिक तथा भाषा सम्बन्धी सङ्कीर्णता की बू तक उनमें न थी। प्रायः सभी भारतीय क्रान्तिकारीयों में राष्ट्रीयता तथा देश-भक्ति की भावना में ही अधिक आकर्षण रहता है अतः भगतसिंह का राष्ट्रीयता के सङ्कीर्ण-बन्धन को इस प्रकार तोड़ कर, अन्तर्राष्ट्रीयता को अपनाना कुछ कम प्रशंसनीय कार्य नहीं था।

पकड़े जाने के समय से लेकर २३ मार्च तक, जब कि वे अपनी अन्तिम अगस्त्य यात्रा के लिए निकल पड़े, तब तक किसी प्रकार की उदासीनता, उनके उत्साह को शिथिल न कर सकी। उनके सम्बन्धियों तथा अनेकों सरकारी मुलाज़िमों ने उनको सरकार से क्षमा-प्रार्थना करने की सलाह दी, परन्तु



उन्होंने वीर-योद्धा के समान ऐसा करने से साफ़ इन्कार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रान्तीय सरकार के नाम एक शानदार चिट्ठी भी लिखी, जिसमें अपने को देश के पुनरुत्थान के लिए लड़ता हुआ एक क्रान्तिकारी सैनिक बताते हुए कहा—"यदि सरकार समझती है कि उसके तथा भारतवासियों के बीच सन्धि हो गई है तो उसका पहिला कर्त्तव्य देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले सैनिकों को छोड़ देना है। परन्तु यदि वह समझे कि स्वतन्त्रता की लड़ाई अभी चल ही रही है, तो वह हमें ख़ुशी से मार सकती है"। वे ख़ुशी से अपना बलिदान करने को तैयार थे; परन्तु उनकी एक प्रार्थना थी, कि सरकार उन्हें फाँसी पर लटकाने की जगह सैनिकों द्वारा गोलियों से मारे जाने की आज्ञा दे। क्योंकि किसी भी वीर सैनिक के लिए यही उचित मृत्यु है।

पीपुल (*People*) अख़बार ने उनके बारे में ठीक ही कहा है—"देश की स्वतन्त्रता के लिए एक ही नहीं, बल्कि हज़ारों वीरों ने अपने प्राणों की बलि दी है; हम भगत सिंह का का नाम उन्हीं शहीदों में जोड़कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं समझ सकते। भगतसिंह ही ऐसे शहीद हैं, जिन्होंने एक ही नहीं, हज़ारों देशवासियों के हृदय में स्थान कर लिया है। उनकी यह क़ुर्बानी, जब तक देश का एक भी बच्चा जीवित है, तब तक नहीं भुलाई जा सकती। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस प्रकार हँसते-हँसते मृत्यु को अपना सकेंगे? दो वर्ष के लम्बे

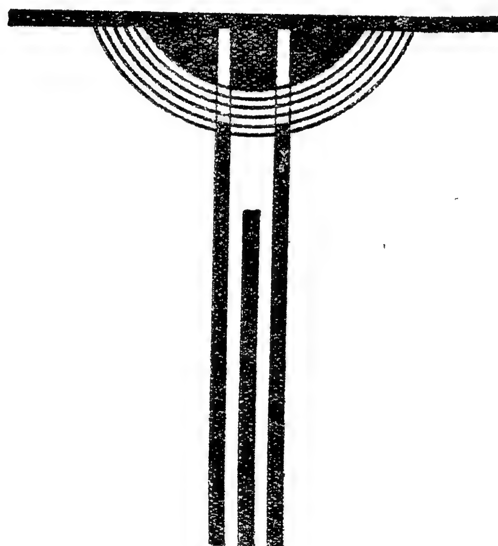

अर्से को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए, अपने उत्साह को पहिले ही की तरह क़ायम रखने वाले, शहीदों में भी कम ही मिलेंगे। केवल यौवन की क्षणिक उत्तेजना के वशीभूत होकर इस आदर्श को अपनाने वाले व्यक्ति, इतने लम्बे समय तक इस प्रकार की अग्नि-परीक्षा का सामना कर भी कैसे सकते थे? भगतसिंह अदालती अपीलों तथा फाँसी स्थगित कराने के प्रयास के समय भी उसी प्रकार उदासीन रहे, जिस प्रकार मुक़दमें के समय में दिखाई देते थे। इसके लिए एक शहीद की हिम्मत तथा जीवन के प्रति किसी दार्शनिक की-सी उदासीनता की आवश्यकता थी। भगतसिंह में तो इन दोनों गुणों का अभाव न था।"

लोगों के खयाल से, जनता पर, भगतसिंह के इस आदर्श बलिदान से अधिक, हाल में होने वाली अन्य किसी घटना का प्रभाव नहीं पड़ा। अभी से उन्हें परम्परागत महापुरुषों में स्थान मिल गया है। भारतीय युवक समाज को उन पर गर्व है और यह है भी ठीक ही। उनका वह अदम्य उत्साह, वह उच्च-आदर्श तथा किसी के आगे सिर न झुकाने वाली वह निर्भीकता, सदियों तक कितने ही पथ-भ्रष्ट लोगों को रास्ता दिखाएगा।

भगतसिंह के इस साहस तथा आत्म-बलिदान ने राजनैतिक वातावरण से घुसी जड़ता को दूर निकालने में बिजली का-सा



काम किया। उन्होंने 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' का नारा भारत के बच्चे-बच्चे के दिल में रमा दिया। उन्होंने यह नारा बृटिश अदालतों में सब से पहिले लगाया था, उसी का परिणाम यह है, कि आज यह नारा भारत की गली-गली में सुनने में आ रहा है। यह सच है, कि भगतसिंह हमारे बीच में नहीं हैं, परन्तु भारतीय जनता जब भी 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' का नारा लगाती है तो इसमें 'भगतसिंह ज़िन्दाबाद' का स्वर भी तो छिपा रहता है।



# परिशिष्ट

असेम्बली बम काण्ड के मुक़द्दमें के सिलसिले में, ८ जून, सन् १९३१ को दिल्ली के सेशन्स जज की अदालत में दिए गए सरदार भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के लिखित बयान की नक़ल :

'हमारे ऊपर भीषण अपराध लगाया गया है अतः अब यह आवश्यक है कि हम भी अपनी सफ़ाई में कुछ शब्द कहें :

हमारे कथित अपराध के सम्बन्ध में निम्न-लिखित दो प्रश्न उठते हैं।

( १ ) क्या वास्तव में असेम्बली में बम फेंके गए थे, यदि हाँ, तो क्यों ?

( २ ) नीचे की अदालत में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह सही हैं या ग़लत ?

इसके पहिले प्रश्न के पहिले भाग के लिए, हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, परन्तु साथ ही हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि कुछ तथाकथित गवाहों ने इस मामले में झूठी ही गवाही दी है। चूँकि हम अपने इस अपराध के, इस अंश को एकदम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतएव यहाँ इन गवाहों के बयान की सच्चाई की परख भी हो जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम यहाँ यह बता देना चाहते हैं कि सार्जेन्ट टेरी ने जो अपने


बयान में कहा है, कि उन्होंने 'हम में से एक के पास से पिस्तौल बरामद की' वह एक सफ़ेद झूठ-मात्र है, क्योंकि जब हमने अपने को पुलिस के हाथ में सौंपा था, तो हम में से किसी के पास भी कोई पिस्तौल न थी।

दूसरे गवाहों ने भी जो अपने बयान में कहा है कि उन्होंने हमें "बम फेंकते देखा था," वे भी झूठ बोलने से बाज़ न आए। न्याय तथा निष्कपट व्यवहार को ही सर्वोपरि मानने वाले लोगों को इन झूठी बातों से एक सबक़ लेना चाहिए। इसके साथ ही हम पब्लिक प्रॉज़िक्यूटर (*Public Prosecutor*) तथा क़ानून के मामले में नीचे की अदालत के रुख़ की प्रशंसा भी किए बिना नहीं रह सकते।

ऊपर दिए गए पहिले प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देने के लिए हमें ज़रा विस्तार की आवश्यकता है। उस बम-काण्ड-जैसी ऐतिहासिक घटना को हमने किस अभिप्राय से अथवा किस परिस्थिति के बीच किया, इससे जनता को परिचित कराने के लिए हमें सम्पूर्ण घटना का वर्णन करना ज़रूरी है।

जेल में हमारे पास कुछ पुलिस के अफ़सर आए थे, जिन्होंने हमें बताया कि लॉर्ड इर्विन ने इस घटना के बाद ही असेम्बली की दोनों सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन में कहा है, कि 'यह विद्रोह किसी व्यक्ति-विशेष के ख़िलाफ़ नहीं, वरन् सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था के विरुद्ध थी'। यह सुन हमें वास्तव में प्रसन्नता हुई, कि


लोगों ने इस काण्ड के करने में हमारा उद्देश्य क्या था, यह ठीक-ठीक समझा।

मनुष्यता की उपासना में हम किसी से भी घटकर नहीं हैं, अतः किसी व्यक्तिगत द्वेष से परे होने के कारण, हम प्राणी-मात्र को हमेशा आदर की दृष्टि से देखते आए हैं। हम न तो देश के कलङ्क-स्वरूप, बर्बरतापूर्ण उपद्रव करने वाले हैं, जैसा कि सोशलिस्ट कहलाने वाले दीवान चमनलाल ने कहा है और न ही हम पागल हैं, जैसा लाहौर के 'ट्रिब्यून' तथा कुछ अन्य अखबारों ने प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है।

## इतिहास के मननशील विद्यार्थी

हम नम्रतापूर्वक केवल अपने देश के इतिहास व उसके वातावरण तथा अन्य मानवीय आकांक्षाओं के मननशील विद्यार्थी होने का दावा कर सकते हैं। हमें सभी प्रकार के पाखण्ड तथा छल से हार्दिक घृणा है।

यह काम हमने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा विद्वेश की भावना से नहीं किया है; हमारा उद्देश्य केवल उस शासन-व्यस्था के विरुद्ध प्रतिवाद प्रगट करना था, जिसके हरएक काम से उसकी अयोग्यता ही नहीं, वरन् उसकी दुष्टता तथा निरङ्कुशता भी प्रकट होती है। इस विषय पर हमने जितना विचार किया उतना ही हमें इस बात का दृढ़ विश्वास होता गया, कि अब समय आ गया है जब हम संसार को दिखा दें कि भारत आज

किस लज्जाजनक तथा असहाय अवस्था के बीच गुजर रहा है; इसके द्वारा हम एक ग़ैर-जिम्मेदार तथा निरङ्कुश शासन की पोल भी खोलना चाहते थे।

जनता के प्रतिनिधियों ने एक बार ही नहीं, हजारों बार अपनी राष्ट्रीय माँगों को सरकार के सामने पेश किया, परन्तु उसने उन माँगों की सर्वथा अवहेलना करते हुए उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। असेम्बली में बड़ी गम्भीरता से इन माँगों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव पास भी किए गए परन्तु तथाकथित भारतीय पार्लामेण्ट ने तिरस्कार-पूर्वक उन्हें पैरों तले रौंद डाला। सरकार को, जनता के अधिकारों को कुचलने वाले तथा निरङ्कुशतापूर्ण उपायों को काम में लाने से रोकने के लिए अनेकों प्रस्ताव पास किए गए, परन्तु उन्हें सदा अवज्ञा की दृष्टि से ही देखा गया। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने गवर्न्मेंण्ट के जिन क़ानूनों तथा प्रस्तावों को अवाञ्छित तथा अवैधानिक बता कर रद्द कर दिया था; वही केवल क़लम हिला कर ही गवर्न्मेंण्ट ने पास कर लिए!

संक्षेप में, इस निकृष्ट सरकार को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। अपने स्वार्थ-साधन के लिए इसने ऊपर से तो बहुत शान-शौक़त तथा टीम-टाम बना रक्खी है, परन्तु भीतर से यह खोखली ही है। उसकी सारी शान-शौकत तेंतीस करोड़ भूखे-नङ्गे भारतवासियों की ख़ून-पसीने की कमाई के बल पर ही क़ायम है।


यह बात भी हमारी समझ में नहीं आती कि हमारे जनप्रिय नेता भी सरकार के धोखे में किस प्रकार आ जाते हैं और भारत की इस असहाय परतंत्रता की खिल्ली उड़ाने वाले इन प्रदर्शनों में जनता के समय तथा धन लूटने में सहायक होते हैं। हम इन्हीं प्रश्नों तथा मजदूर आन्दोलन के नेताओं की धर-पकड़ पर ग़ौर कर ही रहे थे कि इसी बीच सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल (*Trade Dispute Bill*) लेकर सामने आई। हम इसी सिलसिले में असेम्बली की कार्यवाही देखने गए और वहाँ हमारा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भारत की हजारों मजदूर-पेशा जनता की मुक्ति इस प्रकार की शासन-व्यवस्था द्वारा नहीं हो सकती, जिस का एक मात्र ध्येय केवल असहाय मजदूरों को गुलाम बनाना ही है और जिसका सारा पराक्रम जनशक्ति को कुचलने-मात्र में ही सीमित है।

सरकार इतने पर भी चुप न रही। अन्त में, उसने समस्त देश द्वारा निर्वाचित जनप्रिय सदस्यों का अपमान भी कर डाला, जो हमारी समझ में सर्वथा अमानुषिक तथा बर्बरतापूर्ण था। इस बिल द्वारा खून-पानी एक करके भी भूखों मरने वाली जनता के प्राथमिक अधिकारों तथा उनकी आर्थिक मुक्ति के एक-मात्र साधन पर भी कुठाराघात करने का प्रयत्न किया गया।

हमारी तरह, कोई भी ग़ैरतदार व्यक्ति, बलिदान की भेड़ों की भाँति पूँजीपतियों—और सब से प्रधान पूँजीपति स्वयं



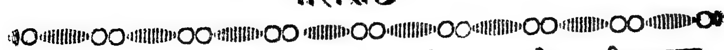
गवर्नमेण्ट है—के अर्थिक-स्वार्थ की बलिवेदी पर आए-दिन होने वाली मज़दूरों की इन मूक-क़ुर्बानियों को देख कर आँखें नहीं मूँद सकता—अपनी आत्मा के चीत्कार की उपेक्षा नहीं कर सकता! गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री० एस० आर दास ने, अपने प्रसिद्ध पत्र में अपने पुत्र को ठीक ही लिखा था कि इङ्गलैण्ड की निद्रा भङ्ग करने के लिए बम फेंकना आवश्यक था, इसलिए हमने असेम्बली के भवन में बम फेंके। उन असहाय मज़दूरों के मर्मान्तक क्लेश को सरकार तक पहुँचाने का हमारे पास और कोई साधन भी तो नहीं था। इसमें हमारा एक मात्र ध्येय बहरे को सुनाना तथा उन पीड़ितों की माँगों पर ध्यान न देने वाली सरकार को आख़िरी चेतावनी देनी थी।

हमारी ही तरह, दूसरों की भी परोक्ष धारणा है, कि हमारे विशाल देश में पाई जाने वाली गम्भीर एवं प्रशान्त महासागर की भाँति वर्तमान शान्ति किसी समय भी उठ खड़ा। होने वाले एक भीषण एवं भयङ्कर तूफ़ान की द्योतक है। हमने अपने इस कार्य द्वारा वही 'ख़तरे की घण्टी' बजाई है, जिससे इन आने वाली मुसीबतों की ओर से बेख़बर लोग भी अब चेत जायँ। इसके द्वारा हम लोगों को बता देना चाहते थे, कि 'कल्पित अहिंसा' (जून, सन् १९२९) का युग अब लद चुका है। उसकी व्यर्थता में आज की उठती हुई नई पीढ़ी को किसी


भी प्रकार का सन्देह नहीं रह गया है। मानवता के प्रति हार्दिक सद्भाव तथा अमित प्रेम रखने के कारण, व्यर्थ का रक्तपात बचाने के लिए (जिसे हम ही नहीं, हजारों आदमी आगे से ही देख रहे हैं!) हमने चेतावनी के लिए इस साधन का अवलम्ब लिया।

## कल्पित अहिंसा

पूर्व के प्रकरण में हमने 'कल्पित अहिंसा शब्द का प्रयोग किसलिए किया है, उसकी भी यहाँ व्याख्या कर देना आवश्यक है। किसी शत्रुता अथवा अन्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया गया पाशविक बल-प्रयोग हिंसा है, जिसका नैतिक दृष्टि से कुछ भी मूल्य नहीं है, परन्तु जब उसका उपयोग किसी वैध आदर्श के लिए किया जाता है, तो नैतिक दृष्टि से भी उसके औचित्य का निराकरण नहीं किया जा सकता; परन्तु सब प्रकार का बल प्रयोग, चाहे वह जिस उद्देश्य से किया गया हो, के नाश का प्रयत्न केवल कल्पित और अव्यवहारिक है, जो किसी भी नैतिक माप-दण्ड से खरा नहीं उतर सकता। इधर इस नए आन्दोलन ने, जो देश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और जिसकी पूर्व सूचना हम दे चुके हैं, गुरू गोविन्द सिंह, शिवाजी, कमाल-पाशा, रिजा खाँ, वाशिङ्गटन, गैरीबाल्डी, लाफायेट (*Lafayette*) और लेनिन के अमर सन्देशों से ही जीवन पाया है और उन्हीं के पद्-चिन्हों पर चल रहा है। विदेशी सरकार तथा स्वयं हमारे जनप्रिय नेता हमारे इस उद्देश्य की ओर से उदासीन हैं और जान-बूझ कर अपने कान बन्द करने का


प्रयत्न कर रहे हैं, अतः हमने यह चेतावनी देना ही अपना अन्तिम कर्त्तव्य समझा। हमारा विश्वास था, कि इस प्रकार दी गई चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती थी।

## हमारा अभिप्राय

अभी तक हमने इस घटना की तह में, हमारा मूल उद्देश्य क्या था, केवल यह बताया है अब यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है, कि इसके अतिरिक्त हमारे क्या उद्देश्य थे।

इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस घटना के सिलसिले में मामूली चोटें खाने वाले व्यक्तियों अथवा असेम्बली के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में कोई वैयक्तिक स्वार्थ अथवा विद्वेश की भावना नहीं थी। इसके विपरीत हमें यह बताते गर्व है कि हम प्राणी-मात्र को हमेशा इतने आदर की दृष्टि से देखते आए हैं, कि जिसको शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाने के स्थान पर हम मानव-जाति की सेवा में हँसते-हँसते प्राण विसर्जन कर सकते हैं। साम्राज्यशाही की सेना के 'किराये के टट्टू' सैनिकों के विपरीत, जिनका नर-हत्या ही व्यवसाय है, हम प्राणी-मात्र के जीवन की रक्षा का ही प्रयत्न करते आए हैं। तब भी हम यह बात स्वीकार करते हैं, कि हमने जानकर असेम्बली भवन में बम फेंके।

हमारा अभिप्राय बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है।



और किसी काम के उद्देश्य का अनुमान बाद की घटनाओं से ही लगाना चाहिए, अटकल अथवा संयोग की बातों से नहीं। गवर्नमेण्ट के निपुण-परीक्षक की गवाही के विरुद्ध हमें यह कहना है, कि असेम्बली भवन में फेंके गए बमों से विशेष हानि नहीं हुई। उससे वहाँ की एक खाली बेञ्च को नुक़सान पहुँचा, तथा क़रीब आधे दर्जन लोगों को मामूली सी चोटें आईं। गवर्नमेण्ट को वैज्ञानिकों ने कहा है, कि बम बड़े जोरदार थे, अतः इसे अनहोनी घटना ही कहना चाहिए, कि उससे ज्यादा नुक़सान न हुआ, पर हमारे विचार से तो उन्हें जान-बूझ कर ही वैज्ञापनक नीति से ऐसा बनाया गया था। पहिले तो दोनों बम बेंञ्च तथा डेस्कों की खाली जगह के घेरे में फूटे थे। दूसरे उनके फूटने की जगह से दो फ़ीट पर खड़े हुए लोगों को भी, जिसमें मि० राउ, मि० शङ्कर राव व सर जॉर्ज शुस्टर के नाम उल्लेखनीय है, या तो बिल्कुल ही चोट न आई अथवा मामूली खिरोंचे-मात्र आईं। यदि उन बमों में जोरदार पोटेशियम क्लोरेट तथा चेतन पिक्रिक भरा होता, तो इन बमों ने उस लकड़ी के घेरे को तोड़ कर कुछ गजों की दूरी पर खड़े हुए लोगों तक को उड़ा डाला होता। यदि उनमें कोई और भी अधिक सङ्घातक बारुद भरा जाता तो निश्चय ही वह लेजिस्लेटिव-असेम्बली के अधिकांश सदस्यों को उड़ा देने में समर्थ होता। यही नहीं, यदि हम चाहते, तो उस 'अभागे सर जॉन साइमन को भी उड़ा सकते थे, जिसके कमीशन ने



प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के दिल में, उसकी ओर से घोर नफ़रत पैदा कर दी थी और जो उस समय असेम्बली के अध्यक्ष के निकट ही बैठा था, पर हमारा तो यह उद्देश्य कदापि न था, अतः उन बमों ने वही काम कर दिखाया, जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया था। यदि उससे कोई अनहोनी घटना हुई तो वह यही, कि वे ठीक निशाने पर अर्थात निरापद स्थान पर गिरे।

इसके बाद हमने इस कार्य का दण्ड भोगने के लिए अपने को जान कर पकड़ा दिया। हम शोषक साम्राज्यशाही को यह बतला देना चाहते थे कि वह मुट्ठी भर आदमियों को मार कर किसी आदर्श को जड़-मूल से उखाड़ कर नहीं फेक सकती। सेना की दो तुच्छ टुकड़ियों के नाश से ही, किसी राष्ट्र को नहीं दबाया जा सकता। इतिहास से भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि लेटर्स दे कैचेद् ( Letters de Catched ) तथा बैसतीलिस (Bastilles ) फ्रा न्स के क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने में समर्थ नहीं हुए थे; फाँसी के तख्ते अथवा साइबे-रिया की खानें, रूसी क्रान्तिकारी आन्दोलन की आग न बुझा सकी थीं। क्या ऑर्डिनेन्स तथा जन-रक्षा के बिल भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम की लपटों को ठण्डा कर सकते हैं? सरकार षड्यंत्र केसों का पता लगाकर तथा उन मुक़दमों के अभियुक्तों को सज़ा देकर, अथवा उस महान आदर्श को अपने हृदय में स्थान देने वाले समस्त नवयुवकों को जेल में ठूस कर, क्रान्ति की



राह में रोड़े नहीं अटका सकती; पर समय पर चेतावनी देने से, यदि उसे हँसी में न उड़ा दिया जाय, तो लोगों की जान व माल अथवा अन्य क्लेशों से रक्षा हो सकती है।

## क्रान्ति क्या है?

भगतसिंह से नीचे की अदालत में पूछा गया कि क्रान्ति से उनका क्या मतलब है। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, कि क्रान्ति का मतलब केवल खूनी लड़ाइयों अथवा वैयक्तिक-वैर निकालना नहीं है। और न बम अथवा पिस्तौल का प्रयोग करना ही उसका एक-मात्र उद्देश्य है। क्रान्ति से हमारा अभिप्राय केवल उस अन्याय को समूल नष्ट कर देना है, जिसकी भित्ती पर वर्तमान शासन-प्रणाली का निर्माण हुआ है।

समाज का प्रमुख अङ्ग होते हुए भी किसान अथवा मज़दूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से भी वञ्चित रक्खा जा रहा है और उनकी गहरी कमाई का सारा धन पूँजीपति चख रहे हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान, आज अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए मुहताज हैं। संसार भर की मण्डियों के लिए सूत कातने वाला जुलाहा आज अपने तथा अपने बच्चों के शरीर ढँकने के लिए भी कपड़ा नहीं पा रहा है! राजगीर, लोहार तथा बढ़ई सुन्दर महलों का निर्माण भले ही करें पर उन्हें सूअर-सरीखे गन्दे बाड़े में ही जीवन की अन्तिम घड़ियाँ



तक व्यतीत करनी पड़ती हैं। इसके विपरीत पूँजीपति व समाज की जोंक के समान अन्य स्वार्थी मनुष्य आज जरूरत से ज्यादा सुखी हैं और जरा-जरा सी बात के लिए लाखों का वारा-न्यारा कर सकते हैं। इस प्रकार की दशा ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती; यह स्पष्ट है, कि आधुनिक धनिक समाज भयानक ज्वालामुखी से खेल रहा है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों के भोले बच्चों को तथा पीड़ित जनता के करोड़ों बच्चों को, पता नहीं कि जमाना किधर जा रहा है! सभ्यता का यह प्रसाद यदि समय पर न सँभाला गया, तो जल्दी ही ढह जायगा। देश को क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, जो लोग इस बात को महसूस करते हैं, उनका कर्तव्य है, कि 'साम्यवादी सिद्धान्तों' पर समाज का पुनर्निर्माण करें। जब तक यह नहीं किया जाता तथा जब तक एक आदमी दूसरे आदमी को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को लूटना (जो 'साम्राज्यशाही' के नाम से विख्यात है!!) बन्द नहीं करता, तब तक आज मानवता जिस क्लेश तथा प्राण-सङ्कट से गुजर रही है, उससे मुक्ति असम्भव है; तब तक यह कहना; कि लड़ाई बन्द हो गई तथा विश्व-शान्ति के युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, केवल ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्रान्ति से हमारा अभिप्राय उस सामाजिक सङ्गठन की स्थापना से है, जिसको उपरोक्त बाधाओं से किसी भी प्रकार का भय न हो और जिसमें जनता का ही आधिपत्य स्वीकार किया जाय। इस प्रकार की शान्ति के फल-स्वरूप होने वाला



विश्व-सङ्घ ही पीड़ित मानवता को पूँजीपतियों तथा युद्ध के भय तथा अन्य क्लेशों से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो सकता है।

## सामयिक चेतावनी !

यही हमारा आदर्श है और इसी आदर्श के प्रोत्साहन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सब को इस वस्तुस्थिति की चेतावनी ठीक समय पर दे दी है, ताकि सब कान खोल कर सुन लें, परन्तु इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया और वर्त्तमान शासन व्यवस्था उठती हुई जनशक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाने से बाज़ न आई तो क्रान्ति के इस आदर्श की पूर्ति के लिए यह निश्चित है, कि सभी प्रकार की बाधाओं को कुचलता हुआ, एक भयङ्कर युद्ध उठ खड़ा होगा। इसका नेतृत्व जनता के ही हाथ में रहेगा। क्रान्ति मानव-जाति का वह अधिकार है, जिसे कोई भी नहीं ठुकरा सकता; स्वतन्त्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है। मज़दूर ही समाज का वास्तविक पोषक है, तथा जनता का राज्य ही इन लोगों का अन्तिम लक्ष्य है। इस आदर्श के लिए, इस विश्वास के लिए, हमें जो भी दण्ड दिया जाय, उसका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। क्रान्ति की इस पूजा-वेदी पर हम अपना यौवन, नैवेद्य के रूप में लाए हैं क्योंकि इस महान् कार्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हमें क्रान्ति के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने में ही सन्तोष है। "इन्क़लाब ज़िन्दाबाद!"

— स्वर्गीय —

# सरदार भगत सिंह

— के —

## कुछ प्रमुख सहयोगियों

— का —

## संक्षिप्त परिचय



१—स्वर्गीय सरदार भगतसिंह की बहन अपने छोटे बच्चे के साथ २—स्वर्गीय राजगुरु की बहन तथा ३—उनकी माता

# स्वर्गीय श्री० सुखदेव

सरदार भगतसिंह के साथ फाँसी पर लटकाए जाने वाले, उनके अन्यतम साथी श्री० सुखदेव खास लायलपुर (पञ्जाब) के रहने वाले थे। आपका जन्म मि० फाल्गुण सुदी ७, सं० १८६२ को पौने ग्यारह बजे दिन को हुआ था। आपके जन्म से तीन महीने पहले ही आपके पिता का देहान्त हो चुका था, इसलिए आपकी परवरिश और शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध आपके चाचा लाला अचिन्तराम ने किया था।

पाँच वर्ष की उम्र में बालक सुखदेव को पढ़ने के लिए स्थानीय 'धनपतमल आर्य-हाई-स्कूल' में भरती किया गया। यहाँ आपने केवल सातवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद फिर लायलपुर सनातनधर्म हाई-स्कूल में भेजे गए और सन् १९२२ में इसी स्कूल से द्वितीय श्रेणी में इण्ट्रेन्स की परीक्षा पास की थी। श्री० सुखदेव बड़े मेधावी और तीव्र-बुद्धिशाली थे। किसी परीक्षा में कभी अनुत्तीर्ण न हुए, वरन् प्रति वर्ष अच्छे नम्बरों के साथ पास होते गए। आपका स्वभाव बड़ा ही शान्त और कोमल था, इसलिए आपके सहपाठी और शिक्षक सदैव आपका आदर और प्यार करते थे। कहते हैं, आपके स्वभाव पर आपकी माता के धार्मिक संस्कारों का विशेष प्रभाव पड़ा था। आपके स्वभाव में उदारता की मात्रा यथेष्ट थी। आप अपने सिद्धान्तों में बड़े


दृढ़ थे। जो दिल में समा जाती थी, उसे वह सारे संसार के विरोध करने पर भी छोड़ना नहीं चाहते थे। आप अपनी धुन के पक्के थे। सहपाठियों में जब किसी विषय को लेकर तर्क-वितर्क उपस्थित होता तो आप बड़ी दृढ़ता से अपना पक्ष-समर्थन करते और अन्त में आपकी अकाट्य युक्तियों के सामने प्रतिद्वन्दी को मस्तक झुका देना पड़ता। आर्य-परिवार में जन्म ग्रहण करने के कारण आपके विचारों पर आर्य-समाज का विशेष प्रभाव था। समाज के सत्सङ्गों में आप बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे। इसके सिवा हवन, सन्ध्या और योगाभ्यास का भी शौक़ था। कुछ दिनों तक आपने बड़े उमङ्ग से इन धार्मिक क्रियाओं का पालन किया था।

सन् १९१९ में पञ्जाब के कई शहरों में 'मार्शल लॉ' जारी था। उस समय श्री० सुखदेव की उम्र कुल १२ साल की थी और आप सातवीं कक्षा में पढ़ते थे। आपके चचा श्री० अचिन्तराम 'मार्शल-लॉ' के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। बालक सुखदेव के मन पर इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। लाला अचिन्तराम का कहना है, कि उन दिनों सुखदेव कभी-कभी जेल में मुझ से मिलने आया करता था और अक्सर पूछा करता था कि क्या आपको यहाँ बहुत तकलीफ़ दी जाती है? मैं तो किसी को भी सलाम न करूँगा।

उसी ज़माने में एक दिन शहर भर की सभी पाठशाला और विद्यालयों के विद्यार्थियों को एकत्र करके 'यूनियन-जैक'


( ब्रिटिश झण्डा ) का अभिवादन कराया गया था, परन्तु श्री० सुखदेव इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे और श्री अचिन्तराम के जेल से वापस आने पर उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि मैं झण्डे का अभिवादन करने नहीं गया।

सन् १९२१ में महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया। सारे देश में एक विचित्र जागृति की लहर दृष्टि गोचर होने लगी। श्री सुखदेव के जीवन में भी एक विचित्र परिवर्तन आरम्भ हुआ। स्वतन्त्र प्रकृति और उच्च विचार के होने पर भी श्री० सुखदेव को कपड़े-लत्ते का बड़ा शौक़ था। वे अच्छे और क़ीमती कपड़े बहुत पसन्द करते थे। हैट-कोट और टाई-कॉलर का भी शौक़ था; परन्तु इस आन्दोलन के आरम्भ होते ही उन्होंने विलायती और विलायती ढङ्ग के कपड़ों का सदा के लिए परित्याग कर दिया। पहनने के लिए कुछ खद्दर के कपड़े बनवाये और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपने हाथ से साफ़ कर लिया करते। इसके साथ ही इसी समय से हिन्दी भाषा सीखने और उसके प्रचार का भी शौक़ हुआ। वे अपने साथियों को हिन्दी भाषा की महत्ता और उसके सीखने की आवश्यकता बताया करते थे। उनका विचार था कि देश के उत्थान के लिए एक राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति केवल हिन्दी भाषा ही कर सकती है।

हम ऊपर लिख आए हैं कि असहयोग आन्दोलन ने श्री०



सुखदेव की कायापलट कर दी थी। सादगी उनके जीवन का ध्येय बन गया था और शायद राष्ट्र-सेवा ही जीवन का ध्येय भी बन चुकी थी। इधर माता और बहिन विवाह की चिन्ता करने लगीं, परन्तु चचा इसके विरुद्ध थे। क्योंकि आर्य-समाज के सिद्धान्त के अनुसार पचीस वर्ष की उम्र से पहले लड़के की शादी करना उन्हें पसन्द न था। माता जब कहतीं, कि सुखदेव, मैं तुम्हारी शादी करूँगी और तुम घोड़ी पर चढ़ोगे तो श्री० सुखदेव सदैव यही उत्तर देते कि मैं घोड़ी पर चढ़ने के बदले फाँसी पर चढ़ूँगा।

सन् १९२२ में श्री० सुखदेव के एन्ट्रेन्स की परीक्षा पास कर लेने पर लाला अचिन्तराम जेल में थे। उन्होंने वहीं से आज्ञा दी कि उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाहौर के डी० ए० वी० कॉलेज में नाम लिखा लो; परन्तु श्री० सुखदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चचा की इच्छा और आदेश के विरुद्ध 'नेशनल कॉलेज' में नाम लिखाया। यहीं उनका परिचय सरदार भगतसिंह आदि से हुआ। इनकी मण्डली में पाँच सदस्य थे। इन लोगों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। विद्यालय के अन्यान्य विद्यार्थी तथा कई शिक्षक इन्हें 'पञ्च पाण्डव' के नाम से याद किया करते थे।

श्री० सुखदेव को एक बार यूरोप की यात्रा करने की बड़ी इच्छा थी। इसी इच्छा से आप स्वामी सत्यदेव के साथ भी कुछ दिनों तक रहे और वहाँ के विभिन्न देशों की भाषाएँ


सीखने का विचार किया। परन्तु कई कारणों से आपको इसमें सफलता न मिली। फलतः तीन महीने के बाद आपने स्वामी सत्यदेव जी का साथ छोड़ दिया।

यूरोप-यात्रा के अतिरिक्त श्री० सुखदेव और उनके कई सहपाठियों को पहाड़ी सैर का भी बड़ा शौक़ था। फलतः सन् १९२० के ग्रीष्मावकाश में इन लोगों ने काङ्गड़ा के पहाड़ी प्रदेशों का पैदल भ्रमण करने का विचार किया। इस यात्रा में श्री० यशपाल भी इनके साथ थे। वापस आने के समय एक दिन इस पार्टी को दिन भर में ४२ मील की यात्रा करनी पड़ी और महीकरन से कुल्लू तक ३४ मील की यात्रा रात को एक बजे तक करनी पड़ी।

साइमन कमीशन के आने पर पञ्च-पाण्डव ने निश्चय किया कि एक समारोहपूर्वक प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए काली झण्डियाँ तैयार की जा रही थीं। सरदार भगतसिंह आदि पाँच-छः सज्जन अपने किसी मित्र के घर पर उक्त प्रदर्शन की तैयारी में लगे थे। लाला केदारनाथ जी सहगल भी थे। परन्तु उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। सरदार भगतसिंह ने कहा, मुझे भी नींद आ रही है। मैं भी थोड़ा सो लूँ। परन्तु मित्रों ने इन्हें सोने न दिया। इसी समय उन्हें इस बात का ख़्याल आया कि शायद पुलिस हमारे घर पर छापा मारे तो सुखदेव उस मकान में गिरफ़्तार हो जाएँगे। इसलिए एक आदमी श्री० सुखदेव को सावधान करने के लिए सरदार भगतसिंह के घर पर भेज दिया।



गया। थोड़ी देर के बाद उसने आकर खबर दी कि पुलिस सरदार भगतसिंह के मकान पर पहुँच गई है !

पुलिस ने श्री० सुखदेव से बहुत से प्रश्न किए। परन्तु इन्होंने किसी प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। अन्त में पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया और दिन के १२ बजे तक कोतवाली में बिठा रक्खा। इसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ जाकर इन्हें छुड़वाया। जब पञ्जाब में एक विप्लवी-पार्टी क़ायम करने की सलाह हुई, तो सरदार भगतसिंह और श्री० सुखदेव ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि पञ्जाब के नवयुवकों को राजनीतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सरदार भगतसिंह ने प्रचार का कार्य आरम्भ किया। इसके बाद यह कार्य श्री० सुखदेव को सौंपा गया और आप बहुत दिनों तक बड़ी सफलता के साथ यह कार्य करते रहे। आपका यह सिद्धान्त था कि *Mine the work and thine the Praise* अर्थात्—"मैं केवल कार्य करना चाहता हूँ, प्रशंसा नहीं चाहता !"

इसके बाद, १५ अप्रैल, सन् १९२९ को श्री० किशोरीलाल और प्रेमनाथ के साथ श्री० सुखदेव की गिरफ़्तारी हुई। इसके बाद का वर्णन सरदार भगतसिंह के परिचय में आ गया है, इसलिए उनके पुनरोल्लेख की आवश्यकता नहीं।

अन्त में ७ अक्टूबर, सन् १९३० को आपको फाँसी की सज़ा सुनाई गई और २३ मार्च, सन् १९३१ को २४ वर्ष की उम्र में आप फाँसी पर लटका दिए गए !

# स्वर्गीय श्री० शिवराम राजगुरु

इन्ही बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं।
हमें पागल ही रहने दो, कि हम पागल ही अच्छे हैं॥

—राजगुरु

वीर-भूमि महाराष्ट्र के विख्यात नगर पूना के पास 'चाकन' नाम का एक छोटा सा गाँव है। जिस समय महाराष्ट्र-केसरी छत्रपति श्री० शिवाजी महाराज ने अपना 'हिन्दू-राज्य' स्थापित किया था, उस समय तक 'चाकन' उस प्रान्त की राजधानी था। श्री० शिवाजी महाराज के प्रपौत्र श्री० साहू जी के राजत्व-काल में चाकन के एक पण्डित, कचेश्वर नामक ब्राह्मण ने सारे देश पर अपने पाण्डित्य का सिक्का जमाया था। एक बार राज्य-प्रबन्ध सम्बन्धी किसी कार्य के लिए श्री० साहू जी को चाकन आना पड़ा। वहाँ आप से उपर्युक्त पण्डित जी से भेंट हुई। आप उनकी विद्वत्ता पर इतने मुग्ध हुए कि उन्हें अपना गुरु मान लिया और 'राजगुरु' की उपाधि से विभूषित किया। उसी समय से 'राजगुरु' इस वंश की पदवी हो गई। श्री० शिवराम हरिजी राजगुरु इसी प्रतिष्ठित वंश के एक वंशधर थे।

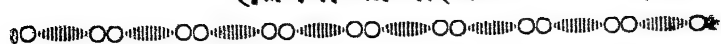
पण्डित कचेश्वर जी के सम्बन्ध में एक और किम्बदन्ती मशहूर है। कहते हैं, उन दिनों अवर्षण होने पर लोग पण्डितों



को जप करने के लिए विवश किया करते थे और जब तक वर्षा नहीं हो जाती थी, तब तक उनका पिण्ड नहीं छोड़ते थे। एक बार भीषण अवर्षण आरम्भ हुआ। सतारा के सभी बड़े-बड़े पण्डित जप कर चुके थे। अन्त में पण्डित कचेश्वर जी की बारी आई। विवश होकर उन्होंने भी जप आरम्भ कर दिया और आपके जप आरम्भ करने के दो-तीन दिन बाद ही पानी भी बरस गया। आसपास के चौरासी गाँवों में वर्षा हुई। इसे सब लोग पण्डित जी की किसी अलौकिक शक्ति की महिमा समझने लगे और दक्षिणा के रुप में एक ख़ासी रक़म पण्डित जी को प्राप्त हुई। उसी समय से इस 'राजगुरु' को अब तक प्रतिवर्ष कुछ न कुछ प्राप्त होता है। यह नियम श्री० साहूजी महाराज के समय से ही चला आता है।

पण्डित जी के दो पुत्र थे, जिनमें छोटे तो वहीं सतारा में ही बस गए और बड़े पूना के पास खेड़ा नामक गाँव में आकर रहने लगे। यही खेड़ा श्री० शिवराम का जन्म-स्थान है। आप के पिता श्री० हरि नारायण जी राजगुरु के दो स्त्रियाँ थीं। श्री० हरिनारायण जी की दूसरी स्त्री से दो लड़के हुए। जिनमें बड़े श्री० दिनकर हरिनारायण हैं और छोटे श्री० शिवराम राजगुरु थे।

श्री० शिवराम का जन्म सन् १९०९ में हुआ था। आप लड़कपन में बड़े ढीठ और ज़िद्दी थे। सन् १९१५ में जब शिवराम की उमर ६ वर्ष की थी, आप के पिता का देहान्त हो


गया। आपके बड़े भाई श्री० दिनकर जी उन दिनों पूना में नौकरी करते थे; इसलिए पिता की मृत्यु के बाद आप सपरिवार पूना में ही रहने लगे। श्री० शिवराम प्रारम्भिक शिक्षा के लिए एक मराठी पाठशाला में भेजे गए। परन्तु उनकी वहाँ तबीयत पढ़ने-लिखने में नहीं लगती थी। वे अपना अधिकांश समय अपने सहपाठियों के साथ खेल-कूद करने में ही बिताया करते थे। अभी मराठी की आठवीं श्रेणी में ही थे कि सन् १९२४ में, जब कि आपकी उमर चौदह वर्ष की थी, एक दिन बड़े भाई ने डाँट-डपट की कि खेल-कूद छोड़ कर पढ़ने-लिखने में जी लगाओ। इससे भयभीत होकर आपने पाठ्य-पुस्तक के एक उपन्यास को लेकर पढ़ना आरम्भ कर दिया। इस पर भाई और बिगड़े और कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो घर से निकल जाओ।

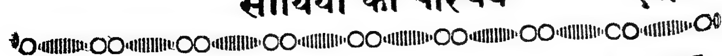
वही हुआ, श्री० शिवराम घर से निकल पड़े। उस समय जेब में केवल ९ पैसे थे। रात इन्होंने पूना-स्टेशन के मुसाफ़िरखाने में बिताई। सवेरे वहाँ से उठे और बिना सोचे-विचारे अपने जन्म-स्थान खेड़ा में पहुँचे। परन्तु गाँव में, इसलिए प्रवेश नहीं किया कि लोग पहचान लेंगे। सारी रात बिना खाए-पिए एक मन्दिर में पड़े रहे। दूसरे दिन नारायण नाम के एक दूसरे गाँव में पहुँचे और वहाँ भी गाँव से बाहर एक कुएँ पर रात बिताई। घर से जो ९ पैसे लेकर चले थे, उनके आम खरीद कर खा लिया था। तीसरे दिन भूख के मारे अँतड़ियाँ कुलकुला रही थीं। कुएँ के नीचे एक पक्षी का खाया हुआ आधा आम पड़ा



था। आपने उठाया और गुठली समेत निगल गए। इस गाँव के स्कूल-मास्टर को इन पर बड़ी दया आई। उन्होंने इन्हें पास रख लिया। परन्तु इन्हें अगर कहीं रहना ही होता तो घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? दूसरे दिन बिना कहे-सुने उठे और एक तरफ़ चल दिए। भूख लगने पर पेड़ों की पत्तियाँ चबा लेते और रात को किसी चट्टान या मैदान में सो जाते। एक दिन एक गाँव के बाहर मन्दिर के पास खेत में सो रहे थे, कि कुछ आदमियों ने दूर से देखा और प्रेत समझ कर ईंटें मारने लगे। जब उठे और पूछा कि मुझे क्यों मरते हो? तब उन लोगों का भ्रम दूर हुआ। अन्त में इन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ख़ैर, उन लोगों ने कुछ खाने को दिया। खा-पीकर आप आगे बढ़े और कई दिनों मे, इसी तरह १३० मील की यात्रा कर के नासिक पहुँचे। वहाँ एक साधु की कृपा से, एक क्षेत्र में एक वक़्त बराबर खाने का प्रबन्ध हो गया। रात को साधु स्वयं कुछ दे दिया करते। रात को सोने के लिए घाट की सीढ़ियाँ थीं।

इसी तरह चार दिन बीत गए। एक दिन पुलिस का एक सिपाही आया और पँकड़ कर थाने में ले गया। वहाँ पूछताछ होने पर आपने बताया कि मैं विद्यार्थी हूँ, और संस्कृत पढ़ने की इच्छा से यहाँ आया हूँ।

इस तरह जब वहाँ से छुटकारा मिला तो आपने नासिक भी छोड़ा और घूमते-फिरते झाँसी पहुँचे। परन्तु वहाँ भी तबीयत नहीं लगी, इसलिए बिना टिकट के ही रेलगाड़ी पर सवार होकर

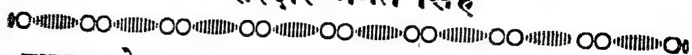


कानपूर चले आए। कानपूर के स्टेशन पर एक महाराष्ट्र सज्जन ने आपको भोजन कराया और अपने साथ लखनऊ ले गए। वहाँ से लखीमपूर-खेरी होते हुए आप पन्द्रहवें दिन काशी पहुँचे। यहाँ आपको कीचड़ में पड़ा हुआ एक पैसा मिला, जिसे उठा कर बड़े यत्न से धोती के कोने में आपने बाँध लिया।

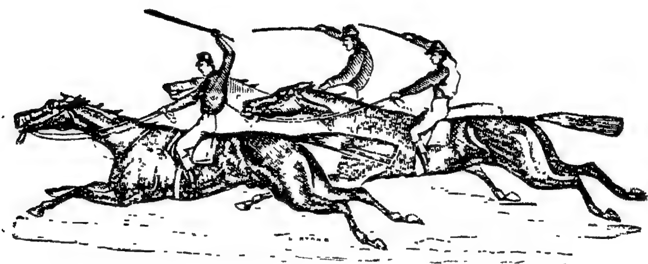
काशी आकर आप अहल्या घाट पर रहने लगे। कई दिनों के बाद एक क्षेत्र में भोजन का भी प्रबन्ध हो गया। एक पण्डित जी की पाठशाला में जाकर संस्कृत पढ़ने लगे और भाई को भी खबर दे दी कि मैं काशी आ गया हूँ और संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दिया है। भाई ने पाँच रुपये मासिक पढ़ाई के लिए भेजना आरम्भ कर दिया।

परन्तु क्षेत्र में भोजन करना आपको पसन्द नहीं था, इस-लिए भोजन का प्रबन्ध सहपाठियों के साथ कर लिया। परन्तु यह सिलसिला भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका; क्योंकि गुरू जी से अनबन हो जाने के कारण पाठशाला छोड़ देनी पड़ी। इसके साथ ही पढ़ने में दिल भी कम ही लगता था। पाठशाला छोड़ने पर अख़बार पढ़ने और कुश्ती लड़ने का शौक़ हुआ; परन्तु भोजन की फिर बड़ी तकलीफ़ हुई और यहाँ तक नौबत पहुँची, कि फिर घास और पत्तियों का आश्रय लेना पड़ा।

अन्त में काशी से तबीयत उचटी तो नागपूर पहुँचे। उद्देश्य था, लाठी और गदका के खेल सीखना। सन् १९२८ में फिर



कानपूर चले आए। अब तक राजनीति से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु यहाँ आने के थोड़े दिनों के बाद ही आपके विचारों में परिवर्तन हो गया और आप एकाएक लापता हो गए। अन्त में लाहौर षड्यन्त्र केस में गिरफ़्तार होने पर ही लोगों को आप का पता मिला।



# स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर 'आज़ाद'

काशी के बैजनाथ टोला में स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था पं० बैजनाथ। थोड़ी उम्र से ही उन पर अपने देश को आज़ाद करने की धुन सवार हो गई थी। १९२१-२२ में असहयोग आन्दोलन के समय वह अहिंसावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ्तार कर जब वे अदालत में लाए गए, तो मैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा—"तुम्हारा क्या नाम है?" आज़ाद ने अपनी आज़ादी के आवेश में उत्तर दिया—"मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम 'स्वतन्त्र' निवास स्थान?—जेलखाना—है!" भला खरेघाट; आई० सी० एस० जैसा नृशंस मैजिस्ट्रेट एक कोमलमति बालक के मुख से निकली हुई ऐसी बातें कैसे सहन कर सकता था? उसने आज़ाद को १५ बेंत लगाए जाने की आज्ञा दी। बेंत लगाने के लिए कोमल शरीर बाँधा जाने लगा; परन्तु उन्होंने कहा— "बाँधते क्यों हो? मारो, मैं खड़ा हूँ।" उस दृश्य के देखने वाले काँप गए। क्या सचमुच बेंत लगाए जायँगे? हाँ बात सच थी। सड़ा-सड़ बेंत पड़ने लगे और प्रत्येक वार पर आज़ाद के मुख से 'बन्देमातरम' 'गाँधी जी की जय' आदि के नारे निकलने लगे! परन्तु अन्त में वह कोमल बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा!! उस समय यह केवल चौदह वर्ष के थे। तभी से आप "आज़ाद" के नाम से विख्यात हुए।


इन बेतों का आघात उनके शरीर पर नहीं, वरन् उनकी आत्मा पर लगा और कहा जाता है कि वह उसी दिन से विद्रोही हो गये। इस अमानुषिक दण्ड का उनके मन पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा।

सन् १९२१ का असहयोग आन्दोलन शान्त था, पर कहा जाता है, आपने हिंसात्मक क्रान्ति की शरण ली। यहाँ राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी और शचीन्द्रनाथ बख्शी से उनकी मित्रता हुई। ये तीनों अन्तरङ्ग मित्र हो गए। प्रत्येक कार्य में इन तीनों का साथ रहता था।

सन् १९२६ वाले जगत-विख्यात काकोरी षड्यन्त्र केस में 'आज़ाद' का नाम एक प्रमुख षड्न्त्रकारी के रूप में आया था, किन्तु वह फ़रार थे। सारा बनारस छान डाला गया, किन्तु 'आज़ाद' आज़ाद ही रहा। युक्तप्रन्तीय सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दो हज़ार रुपयों का इनाम भी घोषित किया।

१५वीं दिसम्बर १९२८ को सॉण्डर्स हत्या-काण्ड हुआ। कहा जाता है, कि यह निश्चित किया गया था, कि भगतसिंह और राजगुरु सॉण्डर्स को मारेंगे और आज़ाद उनके पार्श्व-रक्षक के तौर पर पीछे रहेंगे। सॉण्डर्स के मार चुकने के बाद जब वह डी० ए० वी० कॉलेज के बोर्डिङ्ग हाउस में जा रहे थे, तब चन्ननसिंह ने उनका पीछा किया। 'आज़ाद' ने उसे चेतावनी दी, किन्तु इस पर भी जब वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो आज़ाद ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद से ही


पञ्जाब में आज़ाद की खोज होने लगी। आज़ाद, जो इस समय 'पण्डित जी' के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे, बड़ी सफ़ाई से ग़ायब हो गये।

१९२६ के दिसम्बर मास में, वॉयसरॉय की ट्रेन उलट देने का प्रयत्न किया गया। क्रान्ति के इतिहास में पहले-पहल बिना तार के, बम से काम लिया गया। इस सम्बन्ध में आज़ाद, यशपाल और एक फरार अभियुक्त का नाम लिया जाता है।

कहा जाता है कि लाहौर के दूसरे षड्यन्त्र में आज़ाद ने सरदार भगतसिंह और श्री० दत्त आदि को छुड़ाने के लिए षड्यन्त्र किया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बहावलपुर के मकान में धड़ाका हो जाने के कारण, यह षड्यन्त्र सफल न हो सका। उस धड़ाके के सिलसिले में बम की परीक्षा करते हुए एक प्रमुख क्रान्तिकारी श्री० भगवतीचरण की जान भी चली गई!

दिल्ली षड्यन्त्र केस में भी, स्वर्गीय आज़ाद का प्रमुख हाथ था, पञ्जाब गवर्नमेण्ट ने भी आपकी गिरफ़्तारी के लिए ५,०००) रु० का इनाम घोषित किया था और कहा जाता है, आपका चित्र प्रत्येक बड़े-बड़े स्टेशन पर चिपकाया गया था; पर सरकारी पुलिस के गुर्गे सन् १९२६ से २७वीं फ़रवरी के प्रातःकाल तक पता नहीं लगा सके थे। 'आज़ाद ने अन्त तक अपनी आज़ाद-प्रियता को निबाहा। उनकी जीवित अवस्था में पुलिस का कोई भी व्यक्ति उनका शरीर स्पर्श नहीं कर सका। २७वीं फ़रवरी, सन् १९३१ को दस बजे के लगभग इलाहाबाद के कम्पनी बाग़


में एक विश्वासघाती सहयोगी की नीचता के कारण पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी पुलिस के उपस्थित अफ़सरों को उनसे भय लगता था। समाचार-पत्रों को पढ़ने पता चलता है, कि मृत्यु के बाद भी केवल सन्देह के वशीभूत होकर पुलिस वालों ने बन्दूक़ और तमञ्चों के कई बाढ़ उनके शरीर पर दाग़े थे, तब कहीं वे पास फटक सके।

कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ सरकारी ख़ैरख़्वाहों ने उनके मृतक शरीर को लातों तक से ठुकराया, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक गोरे दर्शक का कुत्ता स्वर्गीय 'आज़ाद' के लगे हुए घावों में से निकला हुआ रक्त चाट कर अपने मालिक को अपनी वफ़ादारी और समझदारी का परिचय दे रहा था! कतिपय प्रमुख नागरिकों की यह तो आँखों देखी और कानों-सुनी घटना है, कि जब लाश को उठा कर लॉरी में रक्खा जा रहा था तो पुलिस वालों ने बड़ी निर्दयता से मृतक शरीर की टाँगें पकड़ कर घसीटी थीं। कुछ सिपाहियों को लाश मोटी होने की शिकायत थी और इसके लिए कहा जाता है, उनके शरीर को गालियाँ भी दी गई थीं; किन्तु 'आज़ाद' के जीवट की वे कभी-कभी कानों-कानों में प्रशंसा भी करते सुने गए थे। स्वयं सी० आई डी० के सुपरिण्टेण्डेट मि० ब्लन्डन तक ने, जो इस घटना के तुरन्त बाद ही सहगल जी की संस्था तथा उनके निवासस्थान की तलाशी लेने आए थे, सहगल जी से 'आज़ाद' के जीवट की प्रशंसा की। उनका कहना था कि ऐसे



सच्चे निशाने-बाज़ उन्होंने बहुत कम देखे हैं; ख़ासकर ऐसी शङ्कामय परिस्थिति में, ख़ासकर जब तीन ओर से उन पर गोलियों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि पहली गोली उनकी जाँघ में न लग गई होती, तो पुलिस का एक भी अफ़सर जीवित न लौटता, क्योंकि मि० नॉटबावर का हाथ पहले ही बेकाम हो चुका था, उन्होंने यह भी बतलाया कि 'आज़ाद' विप्लवी दल का कोई प्रतिष्ठित नेता—सम्भवतः कमाण्डर इन चीफ़ थे। अस्तु—

जिस पेड़ के पीछे स्वर्गीय 'आज़ाद' ने प्राण विसर्जन किया था वह वृक्ष फूलों से लदा था और पेड़ पर कई जगह ग़रीबों ने 'आज़ाद' पार्क आदि लिख दिया था, जिसकी विधिपूर्वक देहाती लोग पूजा किया करते थे और कुछ ही दिनों में वहाँ एक मेला प्रायः नित्य ही लगने लगा जिससे कुपित होकर अधिकारियों ने जड़-मूल से उस वृक्ष को उखड़वा कर जलवा दिया। जिस स्थान पर स्वर्गीय 'आज़ाद' का रक्त गिरा था, उसकी मिट्टी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उठा ले गए थे।



# स्वर्गीय श्री० हरीकिशन

२३ दिसम्बर, सन् १९३० को पञ्जाब विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन के समय पञ्जाब के गवर्नर पर पिस्तौल का हमला करने के अपराध मे, पेशावरी युवक श्री० हरीकिशन को ९ जून सन् १९३१ को, मियाँवाली जेल मे फाँसी दे दी गई।

श्री० हरीकिशन का जन्म सीमान्त के विख्यात नगर मर्दान से कई मील के फ़ासले पर ग़ल्लाढेर नामक गाँव मे हुआ था। इनके पिता का नाम लाला गुरुदासमल है, जो ग़ल्ला ढेर के एक अच्छे जमींदार और रईस हैं। आपके नौ सन्तान हैं, जिनमें श्री० हरीकिशन अन्यतम थे। हरीकिशन बड़े सुन्दर, तीक्ष्ण-बुद्धि और होनहार युवक थे। इन्होंने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी।

हरीकिशन का खानदान विख्यात देश-प्रेमी है और इसी देश-प्रेम के अपराध मे इनके भाई श्री० भगतराम एक सुदीर्घ काल तक पेशावर जेल में क़ैद रहे।

कहते हैं, भाई की क़ैद ने श्री० हरीकिशन को विशेष विक्षुब्ध कर दिया था और कभी-कभी वह अपने पिता से कहा करते थे, "मैं काकोरी के शहीदों की तरह मरना चाहता हूँ।" इस घटना के बाद से ही वह राजनीतिक पुस्तकें और समाचार-पत्र आदि बड़े ध्यान से पढ़ने लगे थे। श्री० हरीकिशन महात्मा गाँधी के



अनन्य भक्त थे और उन्हें देवता-तुल्य समझते थे। भारत की स्वतन्त्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत मानते थे।

विद्या-व्यसनी होने के अतिरिक्त श्री० हरीकिशन को शिकार का भी ख़ूब शौक़ था। बन्दूक़ और पिस्तौल का अचूक निशाना लगा सकते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने गाँव तथा देहात में यथेष्ट ख्याति प्राप्त की थी।

इन सद्गुणों के सिवा हरीकिशन को अपनी ज़मींदारी तथा गृहस्थी के कामों से भी ख़ासी दिलचस्पी थी। घर का काम-काज वे बड़ी तत्परता और मनायोग के साथ देखा करते तथा इन कामों में अपने पूज्य पिता को यथेष्ट सहायता पहुँचाया करते थे।

हरीकिशन का स्वभाव शान्त, शीलवान और प्रकृति गम्भीर थी; परन्तु अकस्मात् उनके स्वभाव में न जाने क्यों ऐसा परिवर्तन हो गया कि उन्होंने एक दिन चुप-चाप घर छोड़ दिया और लापता हो गए। घर वालों ने इधर-उधर बड़ी ढूँढ़-खोज की परन्तु कहीं पता न चला।

हम ऊपर कह आए हैं, कि २३ दिसम्बर '३० को पञ्जाब विश्वविद्यालय का पारितोषिक वितरण महोत्सव था। विश्व-विद्यालय के चान्सलर तथा पञ्जाब के गवर्नर साहब परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को पदवियाँ आदि प्रदान करने आए थे। विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। बिना टिकट के कोई विश्वविद्यालय-भवन के पास भी नहीं जा सकता



था। गवर्नर महोदय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रोफ़ेसर तथा अन्यान्य गण्य-मान्य सज्जन भी उपस्थित थे। सभा की कार्यवही निर्विघ्न समाप्त हुई। पदवी-वितरण के बाद गवर्नर महोदय तथा अन्यान्य वक्ताओं के भाषण हुए। अन्त में सभा विसर्जित करके जब गवर्नर महोदय बाहर जा रहे थे, तो एकाएक एक नवयुवक ने हॉल के भीतर से उन पर फ़ायर किया। गवर्नर महोदय की भुजा और पीठ पर दो गोलियाँ लगीं। इसके अतिरिक्त सरदार चननसिंह नामक एक सहकारी पुलिस-इन्स्पेक्टर, बधावनसिंह नामक एक खुफ़िया पुलिस-इन्स्पेक्टर तथा कुमारी मेक्डरमण्ड नाम की एक गोरी महिला को भी चोटें लगीं। इनमें सरदार चननसिंह की चोट करारी थी, इसलिए वह उसी दिन शाम को मेयो अस्पताल में जाकर मर गया। शेष सभी आहत बच गए। गवर्नर साहब को भी, साधारण चोटें लगी थीं, इस लिए मरहमपट्टी के बाद वे भी शीघ्र ही अच्छे हो गए।

गोली चलाने वाला नवयुवक अभी हॉल के बाहर बरामदे में खड़ा गोलियाँ चला ही रहा था, कि गवर्नर के बॉडी-गार्ड के सब-इन्स्पेक्टर मेहता दीवानचन्द ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह युवक श्री० हरीकिशन था।

इसके साथ ही श्री० गिरिधारीलाल नाम का एक और नवयुवक भी गिरफ़्तार किया गया, जो बी० टी० की डिग्री लेने आया था, परन्तु अन्त में पुलिस ने उसे छोड़ दिया।



जामा तलाशी में श्री० हरीकिशन के पास से एक पिस्तौल, छः गोलियाँ, एक चाक़ू और कुछ काग़ज़ बरामद हुए थे।

३री जनवरी सन् १९३१ को लाहौर के बोर्स्टल जेल में श्री० हरीकिशन के मुक़द्दमे की पहली पेशी हुई। हरीकिशन ने किसी प्रकार की सफ़ाई देने से इन्कार कर दिया। उनकी ओर से कोई वकील भी खड़ा नहीं किया गया था। ये बड़ी शान्ति से अदालत के कमरे में बैठे रहे। चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट या अशान्ति का कोई चिन्ह न था। अदालत की कार्यवाही में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया और न अदालत के किसी प्रश्न का उत्तर ही दिया। परन्तु अपना अपराध स्वीकार करते हुए उन्होंने इतना अवश्य कहा था—

"मैं यह नहीं बता सकता, कि मैं लाहौर में कब आया। परन्तु मैं यहाँ गवर्नर को मारने के लिए आया था। मैं यह भी नहीं बताना चाहता, कि मैं लाहौर में कहाँ ठहरा था। मैं २३ दिसम्बर को टिकिट के साथ युनिवर्सिटी हॉल में गया था मैंने कुल छः फ़ायर किए। वह गवर्नर पर किए और बाक़ी अपने को बचाने के लिए, न कि इस ख्याल से, कि इनसे कोई मारा जाय। अदालत में जो चीज़ें—पिस्तौल और गोलियाँ आदि—पेश की गई हैं, वे मेरी हैं। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता और न यह बताना चाहता हूँ कि मैंने यह कार्य क्यों किया। मैंने जो कुछ किया है, अपनी इच्छा से किया है।"



अदालत ने उसी दिन अभियुक्त को सेशन्स सुपुर्द कर दिया। इसके बाद ही श्री० हरीकिशन के पिता लाला गुरुदासमल्ल भी लाहौर आ गए। उस समय हरीकिशन ने भूख-हड़ताल कर रक्खी थी परन्तु पिता के अनुरोध करने पर उसे तोड़ दिया। इसके बाद पिता के कहने से मुक़दमे की 'पैरवी' के लिए वे भी तैयार हो गए।

२१ जनवरी सन् १९३१ को सेशन्स जज की अदालत में श्री० हरीकिशन के मुक़दमे की पेशी हुई। आपकी ओर से मि० आसफ़अली बैरिस्टर, मि० विश्वेश्वर नाथ तथा मि० रामलाल आनन्द पैरवीकार नियुक्त हुए। जूरी ने इन्हें चननसिंह की हत्या करने तथा गवर्नर और इन्स्पेक्टर बधावन पर आक्रमण करने के लिए भारतीय दण्ड-विधान की धाराएँ ३०२ और ३०७ के अनुसार अपराधी बताया। साथ ही इस बात की सिफ़ारिश भी की, कि इसकी कच्ची उम्र का ख्याल कर के दया की जाए। परन्तु सेशन्स जज ने दया करना अनुचित समझ, श्री० हरीकिशन को फाँसी की आज्ञा सुना दी। हरीकिशन ने सज़ा सुन कर गम्भीरता से उत्तर दिया—

"बहुत अच्छा!"

इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई, परन्तु नामञ्जूर हो गई और पता लगा कि श्री० हरीकिशन को सरदार भगतसिंह आदि के साथ ही फाँसी दे दी जायगी। परन्तु उनके पिता ने प्रिवी कौन्सिल में अपील करने के लिए दरख्वास्त दी कि फाँसी मुल्तवी


रक्खी जाय। अधिकारियों ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली परन्तु प्रिवी कौन्सिल से भी अपील नामञ्जूर हो गई।

इसके बाद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्रार्थना की कि वे सरकार से दया की प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए अपराधी को अभी फाँसी न दी जाए। परन्तु अधिकारियों ने इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।

८ जून '३१ को श्री० हरीकिशन के पिता आदि उनसे अन्तिम बार मिलने के लिए मियाँवाली जेल में गए थे। यद्यपि यह मिलन अन्तिम मिलन था, परन्तु हरीकिशन के सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं गया था। उन्हें यह भी मालूम न था, कि फाँसी किस रोज होगी। इस समय हरीकिशन के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उन्होंने अपनी यह अन्तिम इच्छा प्रकट की थी, कि मेरी लाश मेरे रिश्तेदारों को दे दी जाय। साथ ही, जैसा कि कहा जाता है, उन्होने इच्छा प्रकट की थी कि 'मेरा अन्तिम संस्कार वहीं हो, जहाँ सरदार भगतसिंह आदि का हुआ था और मेरा पुनर्जन्म इसी देश में हो, ताकि मैं मातृ-भूमि को गुलामी के बन्धन से मुक्त करने में भाग ले सकूँ।'

परन्तु दुख की बात है कि अधिकारियों ने उनकी अन्तिम इच्छाएँ भी पूरी न कीं। परिजनों के प्रार्थना करने पर भी लाश उन्हें न दी गई, यहाँ तक कि उन्हें जेल के पास भी न जाने दिया गया।



सब से बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री० हरीकिशन के बड़े भाई लाला जमनादास, जो शेख़ूपुरा की सरकारी कचहरी में नौकर थे, बरख़ास्त कर दिया गया! उनका अपराध शायद यही था कि वे श्री० हरीकिशन के सगे भाई थे !!

तत्कालीन पञ्जाब-सरकार की एक आवश्यक सूचना पाकर श्री० हरीकिशन के आत्मीय उनसे अन्तिम साक्षात् करने के लिए गत ८ जून को मियाँवाली पहुँचे। सरकार ने उनके बड़े भाई श्री० भगतराम को भी पेशावर जेल से बुला दिया था। जिस समय ये पेशावर से यहाँ लाए गए उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थीं।

श्री० हरीकिशन के आत्मीयों ने यहाँ पहुँच कर मैजिस्ट्रेट की सेवा में एक दरख़्वास्त देकर पूछा कि उन्हें फाँसी कब दी जाएगी? परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया कि वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते। आप लोग जेल वालों से पूछिए शायद उन्हें मालूम हो!

अन्त में ये लोग जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब की सेवा में पहुँचे; परन्तु उन्होंने भी इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। अवश्य ही उन्होंने यह बताने की कृपा की कि फाँसी हो जाने पर श्री० हरीकिशन का अन्तिम संस्कार हिन्दू धर्मानुसार किया जाएगा।

८ तारीख को ११ बज कर दस मिनिट पर इन लोगों को मुलाक़ात का अवसर मिला। जेल के बहुत से कर्मचारियों के


साथ जेल के दरोग़ा साहब हाथ में घड़ी लिए हुए वहाँ मौजूद थे और ज्यों ही साढ़े ग्यारह बजे, त्यों ही आपने उन्हें बाहर चले जाने को आज्ञा प्रदान की। क्योंकि मुलाक़ात के लिए कुल बीस मिनिट का समय दिया गया था।

इस मुलाक़ात के पहले एक और भी उल्लेखनीय बात हुई थी। शायद पाठकों को मालूम होगा, कि फाँसी की सज़ा पाया हुआ अपराधी, जब तक उसे फाँसी नहीं दे दी जाती, बहुधा एक निर्जन कोठरी में रक्खा जाता है। साधारणतया उसकी कोठरी के सामने थोड़ा सा सेहन होता है जो लोहे के मज़बूत छड़ों से घिरा होता है और उसमें भी कई ताले जड़े होते हैं। पहले श्री० हरीकिशन के रिश्तेदारों को उसी सेहन के बाहर से खड़े होकर मुलाक़ात कर लेने को कहा गया, परन्तु उन लोगों ने कहा कि इस तरह प्रायः दो सौ फ़ीट की दूरी पर इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर बातचीत करना कैसे सम्भव हो सकता है? तब कहीं अफ़सरों ने हाते के अन्दर जाकर मुलाक़ात करने की आज्ञा प्रदान की।

इस मुलाक़ात के समय श्री० हरीकिशन ने जो अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट की थी, उसका ज़िक्र हम ऊपर कर चुके हैं। उनकी यह इच्छा थी कि उनका शवसंस्कार उनके रिश्तेदारों द्वारा हो, परन्तु अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और जेल के पास ही एक क़ब्रिस्तान में ले जाकर लाश जला दी गई। यह क़ब्रिस्तान लावारिस मुसलमानों की लाशें दफ़नाने के लिए है और महाशय


राजपाल की हत्या करने वाले, अलमर्दीन की लाश यहीं दफ़नाई गई थी। इस घटना से वहाँ के हिन्दुओं और मुसलमानों में एक सनसनी-सी फैल गई थी। मुसलमानों के क़ब्रिस्तान मे हिन्दू की लाश जलाए जाने के कारण दोनों जातियों के लोग अप्रसन्न थे।

फाँसी हो जाने के थोड़ी देर बाद ही श्री हरीकिशन के पिता ने फूल के लिए मैजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दी थी, जिसके उत्तर में आज्ञा हुई की आप गवर्नमेण्ट को तार दें। तार दिया गया, परन्तु कोई उत्तर न मिला। अन्त मे, कहते है कि मैजिस्ट्रेट ने विश्वास दिलाया कि सरकारी आज्ञा का इन्तज़ार किया जाएगा और कल सुबह तक फूल का प्रवाह आदि न होगा! परन्तु अन्त में मालूम हुआ कि आधी रात को ही वह ठिकाने लगा दिया गया। अभी तक इस बात का भी पता नहीं लगा, कि अन्तिम संस्कार के लिए कोई ब्राह्मण बुलाया गया था या नहीं। जिस स्थान पर अन्त्येष्टि हुई थी, वहाँ बहुत दिनों तक पुलिस का पहरा पड़ता रहा।

फाँसी के पहले श्री० हरीकिशन का वज़न नौ पाउण्ड बढ़ा हुआ था। उनके भाई श्री० भगतराम को फाँसी का हाल पहले ही मालूम था, किन्तु वे भी बिल्कुल प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे।



# लाहौर षड्यंत्र

की

# मनोरंजक कार्यवाही

# मुक़दमों का संक्षिप्त इतिहास

लाहौर षड़यंत्र केस के लिए राय साहब पण्डित श्रीकृष्ण नाम के एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई थी जिसकी कार्यवाही १०वीं जुलाई, सन् १९२९ को उनकी अदालत में आरम्भ हुई। षड़यंत्र (*Conspiracy*) का यह मामला देश के चुने हुए २४ नौजवानों पर चलाया गया था जिनमें ५ लापता थे और जिनके विरुद्ध उनके पकड़े जाने पर बाद में एक नए षड़यंत्र केस का स्वाँग रचा गया था जो "दूसरे लाहौर षड़यंत्र केस" के नाम से प्रसिद्ध है। फ़रार अभियुक्तों मे से कुछ के पकड़े जाने पर फिर एक नया षड़यंत्र केस भी चलाया गया।

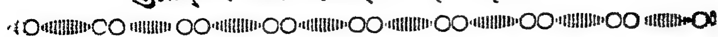
अभियुक्तों पर सन् १९२८ की १७वीं दिसम्बर को लाहौर के ऐसिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० सॉण्डर्स और हेड कॉन्स्टेबिल चनन सिंह की हत्या, लाहौर तथा सहारनपूर में बम-फ़ैक्टरियाँ स्थापित करने, सन् १९२९ की ८वीं एप्रिल को ऐसेम्बली में बम फेंकने और इसी प्रकार की अन्य षड़यंत्रकारी कार्यवाहियों के अभियोग लगाए गए थे। इन अभियोगों को साबित करने के अभिप्राय से गवर्नमेण्ट की ओर से ६०० गवाहों की एक लिस्ट पेश की गई थी।

इस मनोरञ्जक, किन्तु ऐतिहासिक मुक़दमे की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पहिले ही श्री० बटुकेश्वर दत्त तथा सरदार



भगतसिंह—जो इन मामलों के भी अभियुक्त बनाए गए थे, उस समय ऐसेम्बली बम-केस के निर्णय के अनुसार आजन्म काले-पानी की सज़ा भोग रहे थे—ने, राजनैतिक क़ैदियों के साथ जेल में दुर्व्यवहार होने के कारण अनशन ( भूख-हड़ताल ) शुरू कर दिया था। सहानुभूति में अन्य अभ्युक्तों ने भी अनशन शुरू कर दिया और फलतः इन अभियुक्तों की निर्बलता के कारण २६वीं जुलाई सन् १९२९ को मुक़दमे की सुनवाई मुल्तवी कर देनी पड़ी। इसी प्रकार की एक नई अड़चन पेश होने के कारण २४वीं सितम्बर, सन् १९२९ तक मुक़दमे की पेशी स्थगित होती रही। इन योद्धाओं के अनशन-व्रत ने समूचे देश में एक विचित्र हलचल उपस्थित कर दी। यहाँ तक कि स्वेच्छाचारी गवर्नमेण्ट तक को अन्त में परास्त होकर इन वीरों की माँगों के सामने नत-मस्तक होना पड़ा। इस ऐतिहासिक अनशन व्रत में घुल-घुल कर स्वर्गीय जतीन्द्र नाथ दास ने ६३ दिन के उपवास के बाद प्राण विसर्जन कर दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया से एक बार ही घबड़ा कर बृटिश गवर्नमेण्ट को जेल-सम्बन्धी क़ानूनों में परिवर्तन करना पड़ा जिसके परिणाम-स्वरूप ए, बी और सी क्लास की रचनाएँ हुई और इस प्रकार लाखों राजनैतिक बन्दियों ने जतीन्द्र नाथ दास के प्रत्यक्ष तथा अन्य वीर युवकों के मूक बलिदानों से लाभ उठाया !

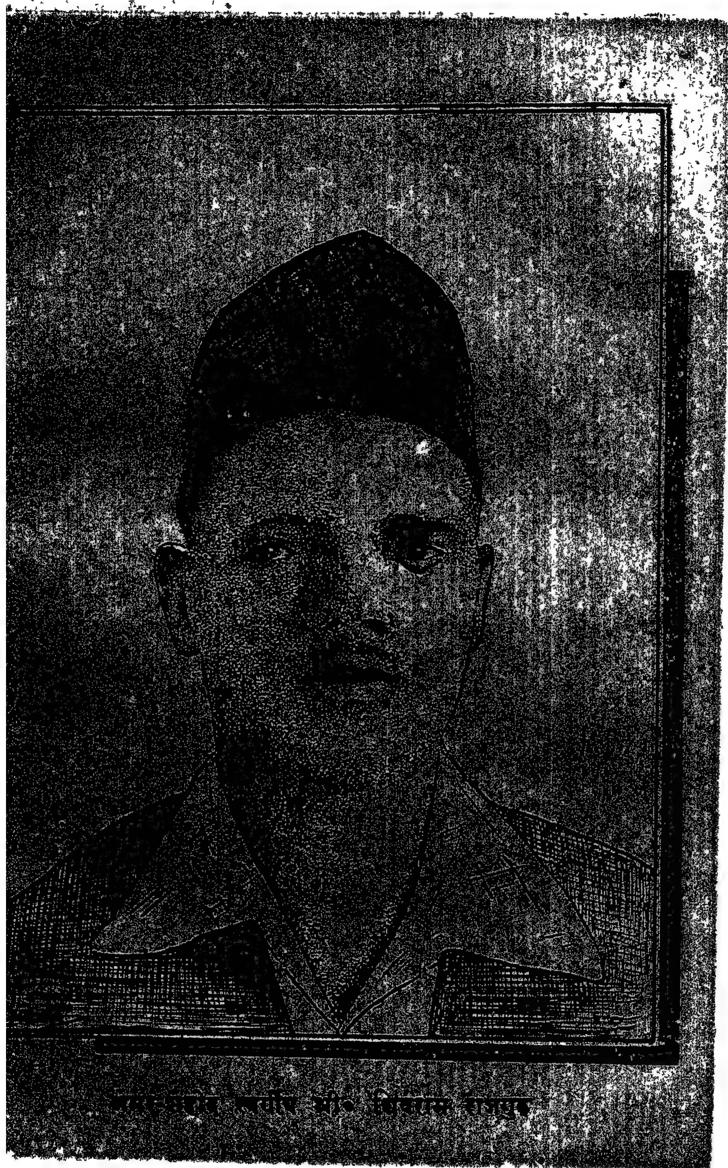
चौथी फ़रवरी, सन् १९३० को अधिकांश अभियुक्तों ने फिर अनशन प्रारम्भ कर दिया, इस कारण मामला फिर ८वीं मार्च


तक स्थगित कर देना पड़ा। इसके बाद एप्रिल के अन्त तक कार्यवाही नित्य-प्रति होती अवश्य रही पर उसको मुक़दमे की कार्यवाही न कह कर, यदि 'खानापुरी' कहा जाय, तो अधिक उपयुक्त होगा। किराए के सरकारी गवाहों के असली स्वरूप को देशवासियों के समक्ष उपस्थित करना और पुलिस वालों को हद दर्जे का पतित और मूर्ख सिद्ध करते रहना षड़यंत्र-केस के सारे अभियुक्तों का एक-मात्र उद्देश्य था, जिसे पूर्णरूपेण सफल बनाने में उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर उठा नहीं रक्खी, जैसा कि इस 'अदालती कार्यवाही' के दैनिक विवरण को पढ़ने से पाठकों को पता चलेगा।

अभियुक्तों की इन हरकतों से तङ्ग आकर पहली मई, सन् १९३० को वॉयसरॉय ने "सन् १९३० का तीसरा ऑर्डिनेन्स" नाम से एक आर्डिनेन्स पास कर के येन-केन-प्रकारेण इन नौजवानों को ठिकाने लगाने का निश्चय कर डाला और फल-स्वरूप हाईकोर्ट के तीन जजों का एक 'स्पेशल-ट्रिब्यूनल' बना कर इस षड़यंत्र-केस की समस्त कार्यवाहियों का अधिकार उसे सौंप दिया गया। इस ट्रिब्यूनल मे मि० जस्टिस टैप, मि० जस्टिस हिल्टन तथा जस्टिस सर अब्दुल क़ादिर रक्खे गए और मुक़दमे की 'कार्यवाही' धुआँधार चलने लगी। वॉयसरॉय का यह आतङ्कपूर्ण रवय्या तथा 'ट्रिब्यूनल' का रुख देख और समझ कर समस्त अभियुक्तों ने एक स्वर से अदालती 'स्वाँग' की कार्यवाही में भाग लेने से साफ़ इन्कार कर दिया। उन्होंने, न तो सरकारी



गवाहों से कोई जिरह की और न अपनी रक्षा के लिए कोई सफ़ाई ही पेश की, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक समझ चुका था कि क्या अनिष्ट होने जा रहा है! लोहे के विशेष रूप से निर्मित एक बड़े भारी पिञ्जड़े में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए अभियुक्त साधारण दर्शकों की भाँति बैठे-बैठे न्याय के नाम पर रचे गए इस ड्रामे का लुत्फ़ उठाते और क़हक़हे लगाते रहे। सन् १९३० की ७वीं अक्टूबर का इस क़ानून के नाम पर रचे गए ड्रामे का पटाक्षेप हो गया और इसके फ़ैसले के अनुसार सरदार भगतसिंह, श्री० सुखदेव और श्री० राजगुरू को फाँसी की सज़ा; सर्व श्री० किशोरी लाल, महाबीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव और कमल नाथ तिवारी को आजन्म कालेपानी की सज़ा तथा कुन्दन लाल और प्रेम दत्त को क्रमशः सात तथा पाँच वर्ष का कठिन कारावास दण्ड प्रदान किया गया!! इस निर्णय से विरुद्ध सारे देश में एक कुहराम-सा मच गया और बड़ी आशा से इस फ़ैसले के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में इसकी अपील की गई और अपील के कारणों (*Grounds*) में देश के प्रमुख वकीलों ने एक मत होकर बतलाया था, कि ट्रिब्यूनल का निर्माण तथा उसकी कार्यवाही 'गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट' की ७२वीं धारा के विरुद्ध थी; यह भी बतलाया गया था, कि चूँकि इस मामले में कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जिसके कारण 'ऑर्डिनेन्स' जारी करने की आवश्यकता प्रतीत हो, अतएव एक ऐसा घातक ऑर्डि-



[illegible] श्री० शिवराम राजगुरु

नेन्स जारी करना गवर्नर-जनरल के अधिकार के बाहर, अतएव सर्वथा ग़ैर-क़ानूनी था। चूँकि स्टेज पहिले से ही सेट हो चुका था, अतएव अपील के सम्बन्ध में मि० के० सी० प्रिट का वक्तव्य समाप्त होते ही और बिना सरकारी वकील को बुलाए ही, प्रिवी कौंसिल ने सरसरी ढङ्ग से अपील देखते ही ११वीं फ़रवरी, सन् १९३१ को खारिज कर दी!

इसके बाद देश भर के लगभग समस्त प्रभावशाली नेताओं तथा संस्थाओं ने गवर्नर-जनरल से इन नौजवानों के जीवन-दान की भिक्षा के लिए झोली पसारी पर परिणाम वही हुआ, जिसकी आशा थी। देशवासियों की सारी गिड़गिड़ाहट असफल रही और जीवनदान की भिक्षा के लिए पसारी हुई झोली में २३वीं मार्च, सन् १९३१ की सन्ध्या के साढ़े सात बजे तीन ठण्डी लाशें डाल दी गईं !!!

लाहौर के नए षड्यन्त्र केस में ४ एप्रूवर और २८ अपराधी जिनमें तीन महिलाएँ भी शामिल थीं। उन पर वॉयसरॉय की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयत्न करने, भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त तथा औरों को छुड़ाने का उद्योग करने, क्रान्तिकारी पर्चे बाँटने और पञ्जाब में बम चलाने आदि का अभियोग लगाया गया था।



# पहिले लाहौर षड्यन्त्र केस का फ़ैसला

जब यह मुक़दमा आरम्भ हुआ था तो इसमें कुल मिला कर २४ अभियुक्त थे। इनमें से भगवानदास को भुसावल षड्-यन्त्र केस में सज़ा हो चुकी है। पाँच अभियुक्त चन्द्रशेखर आज़ाद उर्फ़ परिडत जी, कैलाशपति उर्फ़ कालीचरण, भगवती-चरण, यशपाल और सतगुरुदयाल पकड़े नहीं जा सके। शेष अट्ठारह में से तीन; आग्याराम, सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय और बटुकेश्वर दत्त स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुक़दमा शुरू होने पर छोड़ दिए गए। तीन अभियुक्त फ़ैसला होने पर छोड़े गए और बाक़ी बारह को दण्ड दिया गया। इस षड्यन्त्र केस का फ़ैसला फ़ुलिस्केप साईज़ के ४०० पृष्ठों में टाईप किया गया था और इसकी प्रत्येक कॉपी २२५) रु० मूल्य लेकर अख़बार वालों को दी गई थी। इसी ऐतिहासिक फ़ैसले का सारांश-मात्र नीचे दिया जाता है :

## एप्रूवर

इस मुक़दमे में सात व्यक्ति एप्रूवर थे। इनमें से रामसरन-दास और ब्रह्मदत्त ने बाद में अपने बयान वापस ले लिए। शेष पाँच एप्रूवर फ़नीन्द्रनाथ घोष, ललितकुमार मुकर्जी, मनमोहन बनर्जी, जयगोपाल और हंसराज वोहरा थे। फ़नीन्द्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी ने विशेषकर बिहार और कलकत्ता की, ललितकुमार मुकर्जी ने इलाहाबाद और आगरा की, और जय-गोपाल तथा हंसराज ने पञ्जाब की षड्यन्त्र सम्बन्धी कार्रवाइयों का वर्णन किया।



इनके अतिरिक्त प्रेमदत्त, महावीरसिंह और गयाप्रसाद ने अदालत के सामने अपना दोष स्वीकार करके बयान दिया। गयाप्रसाद ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की।

## क्रान्तिकारी दल की वृद्धि

एप्रूवर फनीन्द्रनाथ के, जो बेतिया का निवासी है, बयान से मालूम होता है कि वह क्रान्तिकारी आन्दोलन में सन् १९१६ में सम्मिलित हुआ था। वह अनुशीलन समिति नाम की बङ्गाल की गुप्त सभा का मेम्बर था। १९१८ में उसे एक साल के लिए नज़रबन्द किया गया। १९१९ में उसकी पहिचान मनमोहन बनर्जी से हुई और उसके साथ वह तीन वर्ष तक बिहार में क्रान्तिकारी दल की स्थापना करने की चेष्टा करने लगा। १९२५ में उसने हिन्दुस्तानी सेवा-दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजनीतिक काम करना था।

## काकोरी केस

१९२६ के आरम्भ में वह बनारस गया और संयुक्त प्रान्तीय क्रान्तिकारी दल के कुछ मेम्बरों से मिला। उस समय इस दल के कितने ही सदस्य काकोरी डकैती केस में पकड़े गए थे और उसकी हालत कमज़ोर थी। फनीन्द्रनाथ इलाहाबाद में शचीन्द्र-नाथ सान्याल के भाई जतीन्द्रनाथ सान्याल से मिला और सन् १९२७ में उसे संयुक्त प्रान्तीय दल से कुछ रिवॉलवर मिले। इसी वर्ष उसने कमलनाथ तिवारी को अपने दल का सदस्य बनाया।

## बनारस में हत्या की चेष्टा

सन् १९२७ के अन्तिम भाग में जतीन्द्रनाथ सान्याल और विजयकुमार सिन्हा ने शिव वर्मा को बेतिया, इसलिए भेजा कि



वह फनीन्द्रनाथ से एक रिवॉलवर माँग लावे। फनीन्द्रनाथ खुद उसको लेकर बनारस आया और फिर यही १३ फ़रवरी १९२८ को सी० आई० डी० विभाग के राय बहादुर जे० एन० बनर्जी पर गोली चलाने के काम में लाया गया।

## पञ्जाब

इधर पञ्जाब में सुखदेव ने सन् १९२६ में क्रान्तिकारी दल का सङ्गठन करना आरम्भ किया। उसका हेड-क्वॉर्टर लाहौर में था। उस समय एप्रूवर जयगोपाल नेशनल स्कूल का विद्यार्थी था। उसने अपने यहाँ के एक मास्टर यशपाल की मार्फ़त सुखदेव से जान-पहिचान कर ली और नवम्बर १९२६ में वह उसकी पार्टी का मेम्बर बन गया। उसने स्कूल की लायब्रेरी से बिस्फोटक पदार्थ बनाने की एक अङ्गरेजी किताब, दो थर्मामीटर, दो बैटरी और कुछ बम बनाने का मसाला चुरा कर सुखदेव को दिया। सुखदेव का दूसरा साथी हंसराज बोहरा था, जो उसका रिश्तेदार भी था।

## पीला पर्चा

मेम्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक पीला पर्चा दिखलाया जिसमें उसकी पार्टी का कार्यक्रम और उद्देश्य बतलाए गए थे। इस संस्था का नाम उस समय 'हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र-समिति' था। इन सदस्य बनने वालों को सुखदेव क्रान्तिकारी पुस्तकें पढ़ने को दिया करता था। १९२७ में सुखदेव का परिचय भगतसिंह से भी हो गया।

## क़ैदी को छुड़ाने की चेष्टा

३री मार्च, १९२८ को फ़तेहगढ़ जेल में काकोरी केस के क़ैदियों से भेंट करने के लिए विजयकुमार सिन्हा और शिव



वर्मा ने अर्ज़ी दी। इन क़ैदियों में से एक जोगेशचन्द्र चटर्जी था। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को शक हुआ कि ये लोग जोगेशचन्द्र के छुड़ाने के लिए कोई षड्यन्त्र रचना चाहते हैं और इसलिए उसने मिलने की आज्ञा न दी। इन दोनों का पीछा पुलिस ने किया और मालूम हुआ कि शिव वर्मा जलालाबाद में गयाप्रसाद नामक एक डॉक्टर के यहाँ गया है। इसके साथ शिव वर्मा की पहिचान थोड़े दिन पहले कानपूर में हुई थी।

## छिपने का मुक़ाम

जुलाई १९२८ में कानपुर में एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें गयाप्रसाद, शिव वर्मा और सुखदेव मौजूद थे। इसके फल-स्वरूप सुखदेव, गयाप्रसाद को लाहौर ले गया। सुखदेव के कहने से गयाप्रसाद ने फ़ीरोज़पुर में डॉक्टरी की दुकान डॉ० बी० एस० निगम के नाम से खोली। जयगोपाल की गवाही से इस दुकान के खोलने के तीन उद्देश्य थे। पहला यह, कि पञ्जाब से अन्य प्रान्तों को जाने वाले या अन्य प्रान्तों से पञ्जाब आने वाले षड्यन्त्रकारी वहाँ ठहर कर अपनी पोशाक आदि बदल सकें। दूसरा यह, कि दुकान की मार्फ़त बम बनाने के मसाले ख़रीदे जाएँ और तीसरा यह, कि अगर कारबार जम जाय तो उससे पार्टी को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके।

## गुप्त मीटिङ्ग

अगस्त १९२८ में विजयकुमार सिन्हा बेतिया जा कर फनीन्द्रकुमार से मिला। उसने कहा कि उसका इरादा भिन्न-भिन्न प्रान्तों की पार्टियों को मिला कर एक बड़ी पार्टी का सङ्गठन करने का है। उसने यह भी कहा कि इस कार्य के लिए ८ और ९



वह फनीन्द्रनाथ से एक रिवॉलवर माँग लावे। फनीन्द्रनाथ ख़ुद उसको लेकर बनारस आया और फिर यही १३ फ़रवरी १९२८ को सी० आई० डी० विभाग के राय बहादुर जे० एन० बनर्जी पर गोली चलाने के काम में लाया गया।

## पञ्जाब

इधर पञ्जाब में सुखदेव ने सन् १९२६ में क्रान्तिकारी दल का सङ्गठन करना आरम्भ किया। उसका हेड-क्वॉर्टर लाहौर में था। उस समय एप्रूवर जयगोपाल नेशनल स्कूल का विद्यार्थी था। उसने अपने यहाँ के एक मास्टर यशपाल की मार्फ़त सुखदेव से जान-पहिचान कर ली और नवम्बर १९२६ में वह उसकी पार्टी का मेम्बर बन गया। उसने स्कूल की लायब्रेरी से बिस्फोटक पदार्थ बनाने की एक अङ्गरेज़ी किताब, दो थर्मामीटर, दो बैटरी और कुछ बम बनाने का मसाला चुरा कर सुखदेव को दिया। सुखदेव का दूसरा साथी हंसराज बोहरा था, जो उसका रिश्तेदार भी था।

## पीला पर्चा

मेम्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक पीला पर्चा दिखलाया जिसमें उसकी पार्टी का कार्यक्रम और उद्देश्य बतलाए गए थे। इस संस्था का नाम उस समय 'हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र-समिति' था। इन सदस्य बनने वालों को सुखदेव क्रान्तिकारी पुस्तकें पढ़ने को दिया करता था। १९२७ में सुखदेव का परिचय भगतसिंह से भी हो गया।

## क़ैदी को छुड़ाने की चेष्टा

३री मार्च, १९२८ को फ़तेहगढ़ जेल में काकोरी केस के क़ैदियों से भेंट करने के लिए विजयकुमार सिन्हा और शिव



वर्मा ने अर्ज़ी दी। इन क़ैदियों में से एक जोगेशचन्द्र चटर्जी था। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को शक हुआ कि ये लोग जोगेश-चन्द्र के छुड़ाने के लिए कोई षड्यन्त्र रचना चाहते हैं और इसलिए उसने मिलने की आज्ञा न दी। इन दोनों का पीछा पुलिस ने किया और मालूम हुआ कि शिव वर्मा जलालाबाद में गयाप्रसाद नामक एक डॉक्टर के यहाँ गया है। इसके साथ शिव वर्मा की पहिचान थोड़े दिन पहले कानपूर में हुई थी।

## छिपने का मुक़ाम

जुलाई १९२८ में कानपुर में एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें गया-प्रसाद, शिव वर्मा और सुखदेव मौजूद थे। इसके फल-स्वरूप सुखदेव, गयाप्रसाद को लाहौर ले गया। सुखदेव के कहने से गयाप्रसाद ने फ़ीरोज़पुर में डॉक्टरी की दुकान डॉ० बी० एस० निगम के नाम से खोली। जयगोपाल की गवाही से इस दुकान के खोलने के तीन उद्देश्य थे। पहला यह, कि पञ्जाब से अन्य प्रान्तों को जाने वाले या अन्य प्रान्तों से पञ्जाब आने वाले षड्यन्त्रकारी वहाँ ठहर कर अपनी पोशाक आदि बदल सकें। दूसरा यह, कि दुकान की मार्फ़त बम बनाने के मसाले ख़रीदे जाएँ और तीसरा यह, कि अगर कारबार जम जाय तो उससे पार्टी को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके।

## गुप्त मीटिङ्ग

अगस्त १९२८ में विजयकुमार सिन्हा बेतिया जा कर फनीन्द्र-कुमार से मिला। उसने कहा कि उसका इरादा भिन्न-भिन्न प्रान्तों की पार्टियों को मिला कर एक बड़ी पार्टी का सङ्गठन करने का है। उसने यह भी कहा कि इस कार्य के लिए ८ और ९



सितम्बर को दिल्ली में एक गुप्त मीटिङ्ग होने वाली है, इस मीटिङ्ग में पञ्जाब के कार्यकर्ता भगतसिंह और सुखदेव आदि, संयुक्त प्रान्त के शिव वर्मा और चन्द्रशेखर आज़ाद आदि सम्मिलित होंगे। उसने यह भी कहा कि वह अब जतीन्द्रनाथ की अध्यक्षता में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वह बहुत सुस्त आदमी है।

८ सितम्बर को फनीन्द्रनाथ दिल्ली पहुँचा, वहाँ विजयकुमार ने उससे कहा कि मीटिङ्ग कल होगी। ६ तारीख़ को सब सदस्य फ़ीरोज़शाह तुग़लक़ के क़िले में इकट्ठे हुए। उसमें षड्-यन्त्रकारी आन्दोलन का सञ्चालन करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें सात मेम्बर थे—भगतसिंह, सुखदेव, विजयकुमार, शिव वर्मा, फनीन्द्रनाथ, कुन्दनलाल और चन्द्र-शेखर आज़ाद।

इस मीटिङ्ग में यह भी निश्चित किया गया कि बङ्गाल की क्रान्तिकारी पार्टी से सम्बन्ध न रक्खा जाय, क्योंकि वह मार-काट के विरुद्ध है। सुखदेव पञ्जाब का इञ्चार्ज बनाया गया, शिव वर्मा संयुक्त प्रान्त का और फनीन्द्रनाथ बिहार का। चन्द्र-शेखर सैनिक-विभाग का मुखिया बनाया गया और कुन्दनलाल को, जो झाँसी में रहता था, सेण्ट्रल ऑफ़िस का प्रबन्ध सौंपा गया। भगतसिंह और विजयकुमार विभिन्न प्रान्तों में सम्बन्ध स्थापित रखने के लिए नियुक्त किए गए। निश्चय हुआ कि डकैती, हत्या आदि के कार्य, बिना सेण्ट्रल कमेटी की मञ्ज़ूरी के नहीं होंगे, पार्टी के हथियार और फ़ण्ड भी सेण्ट्रल कमेटी के अधिकार में रहेंगे।



जो आगरा जेल में था, छुड़ाने का निश्चय किया गया और उसके लिए प्रबन्ध करने का भार विजयकुमार को सौंपा गया। शचीन्द्रनाथ सान्याल को छुड़ाने का प्रस्ताव भी किया गया, पर इस सम्बन्ध में कोई निश्चत-चेष्टा नहीं की गई। साइमन कमीशन के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार भी किया गया और इसके लिए बङ्गाल से बम बनाने वालों को बुलाने का निश्चय किया गया। एक प्रस्ताव यह किया गया, कि काकोरी केस के एप्रूवरों को मार डाला जाय। डाका डालने के लिए किसी जगह को ढूँढने का प्रस्ताव किया गया और अन्त में बिहार में यह कार्य करना पक्का ठहरा।

## बक्स में पिस्तौलें

१७ नवम्बर, १९२८ को लाला लाजपतराय का देहान्त हुआ। इसके कुछ समय पश्चात् पण्डित जी (चन्द्रशेखर आज़ाद) एक बक्स लेकर लाहौर आया, जिसमें एक माऊज़र पिस्तौल और चार रिवॉलवरें थीं। उसी दिन सेण्ट्रल कमेटी के और भी कई मेम्बर आए। ४ दिसम्बर को पञ्जाब नेशनल बैङ्क पर डाका डालने का उद्योग किया गया। निश्चय हुआ कि भगतसिंह और महावीरसिंह टैक्सी गाड़ी लेकर शाम के तीन बजे बैङ्क पर पहुँचेंगे। कुछ मेम्बर चौकीदार और पहरे वालों को पकड़ लेंगे और जयगोपाल तथा किशोरीलाल खज़ाञ्ची से रुपया छीन लेंगे। नियत समय पर लोग तैयार थे, पर भगतसिंह और महावीरसिंह जिस टैक्सी में बैठे वह रास्ते में रुक गई और महावीरसिंह उसे न चला सका। फल यह हुआ कि सारी योजना विफल हो गई।



## सॉण्डर्स की हत्या

६ या १० दिसम्बर को "मोजङ्ग हाउस" ( जो क्रान्तिकारियों का अड्डा कहा जाता है ) में एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें लाहौर के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० स्कॉट को मारने की सलाह की गई, क्योंकि क्रान्तिकारी दल की सम्मति में उसीने लाला लाजपतराय को चोट पहुँचाई थी। जयगोपाल को मि० स्कॉट की गति-विधि का निरीक्षण करने को नियुक्त किया गया और इसके लिए वह कई दिन तक लगातार पुलिस के ऑफ़िस के अहाते के आस-पास चक्कर लगाता रहा। चन्द्रशेखर ने १७ दिसम्बर का दिन हत्या के लिए मुक़र्रर किया और उस दिन दो बजे इस सम्बन्ध में फिर एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें चन्द्रशेखर के अलावा भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु और जयगोपाल उपस्थित थे। इसके दो दिन पहले १५ दिसम्बर को भगतसिंह ने जयगोपाल और हंसराज को कुछ गुलाबी पोस्टर दिखलाया थे, जिनमें लिखा था—'स्कॉट मर गया।'

१७ तारीख़ को सुबह के दस बजे जयगोपाल पुलिस के ऑफ़िस की तरफ़ गया और उसने एक अङ्गरेज़ पुलिस अफ़सर को मोटर साइकिल पर भीतर जाते देखा था। उसने उसी को स्कॉट समझा और इसकी ख़बर चन्द्रशेखर को दी। दो बजे दोपहर को मीटिङ्ग में हथियार बाँट दिए गए। चन्द्रशेखर ने माऊज़र पिस्तौल, भगतसिंह ने ऑटोमेटिक पिस्तौल और राजगुरु ने रिवॉलवर लिया। यही तीनों व्यक्ति हत्या करने के लिए नियुक्त किए गये थे।

क़रीब ४ बजे शाम को मि० सॉण्डर्स मोटर साइकिल पर बाहर निकला। उसके साथ ही हेड कॉन्स्टेबिल चननसिंह था।

जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु सॉण्डर्स की तरफ़ बढ़ा और जैसे ही नज़दीक आया, उसने गोली चलाई। सॉण्डर्स घायल होकर मोटर साइकिल के साथ ही नीचे गिर गया और उसकी एक टाँग दब गई। इतने में भगतसिंह भी दौड़ कर वहाँ पहुँचा और उसने कई गोलियाँ चलाईं। इसके बाद ये दोनों, जयगोपाल के साथ भागे और चननसिंह और ट्रैफिक इन्सपेक्टर मि० फ़र्न उनको पकड़ने को दौड़े। भगतसिंह ने पीछे मुड़ कर गोली चलाई और मि० फ़र्न० बचने के लिए नीचे गिर पड़े। चननसिंह डी० ए० वी० कालेज के अहाते तक बराबर पीछा करता गया और वहाँ सम्भवतः चन्द्रशेखर ने उसे माऊज़र पिस्तौल से मार दिया।

## बम बनाए गए

जनवरी १९२७ में भगतसिंह और फनीन्द्रनाथ बम बनाना सीखने के लिए कलकत्ता गए। जतीन्द्रनाथ दास उनको कमलनाथ तिवारी के मकान में इस विषय की शिक्षा देता था। उन लोगों ने कितनी ही दुकानों से बम बनाने का बहुत-सा मसाला भी ख़रीदा। १४ फ़रवरी को ये लोग आगरा आकर हींग की मण्डी में एक मकान में बम बनाने लगे। ये बम गणेशचन्द्र चटर्जी को छुड़ाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो उन्हीं दिनों आगरे की जेल से लखनऊ भेजा जाने वाला था। १५ तारीख़ को जतीन्द्रनाथ दास ने एक बम बनाया। १६ तारीख़ की शाम को जोगेशचन्द्र चटर्जी आगरा से लखनऊ भेज दिया गया। भगतसिंह, विजयकुमार, चन्द्रशेखर आदि उसको हवालात से छुड़ाने के लिए कानपूर पहुँचे; पर वहाँ उनको पता लगा, कि वे हवालात से उसे छुड़ा नहीं सकते और इसलिए वे लौट आए।



## सॉण्डर्स की हत्या

९ या १० दिसम्बर को "मोजङ्ग हाउस" (जो क्रान्तिकारियों का अड्डा कहा जाता है) में एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें लाहौर के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० स्कॉट को मारने की सलाह की गई, क्योंकि क्रान्तिकारी दल की सम्मति में उसीने लाला लाजपतराय को चोट पहुँचाई थी। जयगोपाल को मि० स्कॉट की गति-विधि का निरीक्षण करने को नियुक्त किया गया और इसके लिए वह कई दिन तक लगातार पुलिस के ऑफ़िस के अहाते के आस-पास चक्कर लगाता रहा। चन्द्र-शेखर ने १७ दिसम्बर का दिन हत्या के लिए मुक़र्रर किया और उस दिन दो बजे इस सम्बन्ध में फिर एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें चन्द्रशेखर के अलावा भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु और जयगोपाल उपस्थित थे। इसके दो दिन पहले १५ दिसम्बर को भगतसिह ने जयगोपाल और हंसराज को कुछ गुलाबी पोस्टर दिखलाया थे, जिनमें लिखा था—'स्कॉट मर गया।'

१७ तारीख को सुबह के दस बजे जयगोपाल पुलिस के ऑफ़िस की तरफ़ गया और उसने एक अङ्गरेज़ पुलिस अफ़सर को मोटर साइकिल पर भीतर जाते देखा था। उसने उसी को स्कॉट समझा और इसकी खबर चन्द्रशेखर को दी। दो बजे दोपहर को मीटिङ्ग में हथियार बाँट दिए गए। चन्द्रशेखर ने माऊज़र पिस्तौल, भगतसिंह ने ऑटोमेटिक पिस्तौल और राजगुरु ने रिवॉलवर लिया। यही तीनों व्यक्ति हत्या करने के लिए नियुक्त किए गये थे।

क़रीब ४ बजे शाम को मि० सॉण्डर्स मोटर साइकिल पर बाहर निकला। उसके साथ ही हेड कॉन्स्टेबिल चननसिंह था।

जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु सॉण्डर्स की तरफ़ बढ़ा और जैसे ही नज़दीक आया, उसने गोली चलाई। सॉण्डर्स घायल होकर मोटर साइकिल के साथ ही नीचे गिर गया और उसकी एक टाँग दब गई। इतने में भगतसिंह भी दौड़ कर वहाँ पहुँचा और उसने कई गोलियाँ चलाईं। इसके बाद ये दोनों, जयगोपाल के साथ भागे और चननसिंह और ट्रैफ़िक इन्सपेक्टर मि० फ़र्न उनको पकड़ने को दौड़े। भगतसिंह ने पीछे मुड़ कर गोली चलाई और मि० फ़र्न० बचने के लिए नीचे गिर पड़े। चननसिंह डी० ए० वी० कालेज के अहाते तक बराबर पीछा करता गया और वहाँ सम्भवतः चन्द्रशेखर ने उसे माऊज़र पिस्तौल से मार दिया।

## बम बनाए गए

जनवरी १६२७ में भगतसिंह और फनीन्द्रनाथ बम बनाना सीखने के लिए कलकत्ता गए। जतीन्द्रनाथ दास उनको कमलनाथ तिवारी के मकान में इस विषय की शिक्षा देता था। उन लोगों ने कितनी ही दुकानों से बम बनाने का बहुत-सा मसाला भी खरीदा। १४ फ़रवरी को ये लोग आगरा आकर हींग की मण्डी में एक मकान में बम बनाने लगे। ये बम गणेशचन्द्र चटर्जी को छुड़ाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो उन्हीं दिनों आगरे की जेल से लखनऊ भेजा जाने वाला था। १५ तारीख को जतीन्द्रनाथ दास ने एक बम बनाया। १६ तारीख की शाम को जोगेशचन्द्र चटर्जी आगरा से लखनऊ भेज दिया गया। भगतसिंह, विजयकुमार, चन्द्रशेखर आदि उसको हवालात से छुड़ाने के लिए कानपूर पहुँचे; पर वहाँ उनको पता लगा, कि वे हवालात से उसे छुड़ा नहीं सकते और इसलिए वे लौट आए।

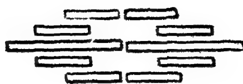


## एसेम्बली बम-काण्ड

क्रान्तिकारी दल ने साइमन कमीशन पर बम फेंकने का निश्चय किया था। पर बाद में खर्च की अधिकता के कारण यह स्कीम छोड़ दी गई और तय हुआ कि भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त एसेम्बली में बम फेंकें। चन्द्रशेखर, जयगोपाल और राजगुरु उनको वहाँ से बचा कर लाने को नियुक्त किए गए थे। पर वे इसमें सफल न हो सके और भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ८ अप्रैल को बम फेंकने के बाद पकड़ लिए गए।

## क्रान्तिकारियों की गिरफ़्तारी

१५ अप्रैल को जब सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल लाहौर में अपने स्थान "काश्मीर बिल्डिङ्ग" में बम बना रहे थे तो पुलीस ने धावा किया और उन तीनों को पकड़ लिया। जयगोपाल ने अपना क़सूर मञ्ज़ूर कर लिया और एप्रूवर बन कर षड्यन्त्र का सारा भेद खोल दिया। २ मई को हंसराज बोहरा पकड़ा गया और वह भी एप्रूवर बन गया। १३ मई को सहारनपूर के अड्डे का पता लगा और वहाँ शिव वर्मा तथा जयदेव छः बम, तीन बम के खोल, तीन भरी हुई रिवॉलवर और बहुत से बम बनाने के मसाले के साथ पकड़े गए। ७ जून को बिहार प्रान्त के मलोनियाँ नामक स्थान में क्रान्तिकारी दल के पूर्व निश्चय के अनुसार मनमोहन बनर्जी और उनके साथियों ने डाका डाला, जिसमें एक आदमी जान से मारा गया।



# स्पेशल ट्रिब्यूनल की दैनिक कार्यवाही

५ दिसम्बर, १६३० : स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख लाहौर के नए षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए। मुक़दमा सेण्ट्रल जेल के एक कमरे में, जो शहर से तीन मील के फ़ासले पर है, हुआ था। अदालत के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था और अन्दर प्रवेश करने के पहले दर्शकों और पत्र-प्रतिनिधियों की कड़ी तलाशी ली जाती थी। अभियुक्त पुलिस की लॉरियों में राष्ट्रीय नारे लगाते हुए अदालत में आए। अभियुक्तों के नाम ये हैं :

(१) कुन्दनलाल, जण्डियाला, ज़िला शेख़ूपुरा (२) जहाँगीरलाल, जण्डियाला, ज़िला शेख़ूपुरा (३) जयप्रकाश, जण्डियाला, ज़िला शेख़ूपुरा (४) धर्मवीर, लायलपूर (५) रूपचन्द, नेहसर, ज़िला रावलपिण्डी (६) अम्बिकासिंह, बरकीबादल, ज़िला रावलपिण्डी (७) गुलाबसिंह, बरकीबादल, ज़िला रावलपिण्डी (८) भगराम, शेख़ूपुरा (६) दयन्तराय, लाहौर (१०) हरीराम, रावलपिण्डी (११) गोकुलचन्द, शेख़पुरा (१२) कृष्णगोपाल, रावलपिण्डी (१३) नाथूराम, रावलपिण्डी (१४) नन्दलाल, लायलपुर (१५) हरनामसिंह शेख़ूपुरा (१६) बंसीलाल, चकवल, ज़िला झेलम (१७) कृष्णलाल, चकवल, ज़िला झेलम (१८) बिशनदास, रावलपिण्डी (१६) गुरबख्शसिंह, कोट-बरेखाँ, ज़िला गुजराँवाला (२०) सेवाराम, बूसल, ज़िला कैम्पबेलपूर (२१) सर्दारसिंह, कोट-बरेखाँ, ज़िला गुजराँवाला (२२) हरनामसिंह, सैयदकासराय ज़िला रावलपिण्डी (२३) महाराज किशन, चकवल, ज़िला झेलम (२४) भीमसेन, शेख़ूपुरा (२५) धर्मपाल, भूमल, ज़िला काँगड़ा (२६) बंसीलाल, चिनओट, ज़िला झङ्ग



## भागे हुए अभियुक्त

इस नए षड्यन्त्र केस के ये अभियुक्त लापता हैं : (१) यशपाल, भूमल, ज़िला काँगड़ा (२) हंसराज, लायलपुर (३) सुखदेवराज, दीनानगर, ज़िला गुरुदासपुर (४) विश्वनाथ राव वैशम्पायन ( झाँसी के सिविल सर्जन के ऑफ़िस का हेड क्लर्क ) (५) लेखराम, ढींग सराय, ज़िला हिसार (६) प्रेमनाथ, लाहौर (७) मुसम्मात परकाशो, लाहौर (८) मुसम्मात दुर्गादेवी, लाहौर (९) चन्द्रशेखर आज़ाद, बैजनाथ टोला, बनारस (१०) सीताराम, चकवल, ज़िला झेलम (११) मुसम्मात सुशीला, गुजरात (१२) प्रोफ़ेसर सम्पूर्णसिंह टण्डन, लाहौर।

उपर्युक्त अभियुक्तों पर दण्ड-विधान की धारा १२० के साथ ३०२, ३९५ और ३९६; दण्ड-विधान की १२० बी० के साथ, सन् १९०८ के एक्ट ६ की ५ वीं धारा ३, ४, ५, ६ और दण्ड-विधान की धारा १२० बी० के साथ १८७८ के दूसरे एक्ट की धारा १९ और २० के अभियोग लगाए गए थे।

पञ्जाब के क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार एक ट्रिब्यूनल, केस की कार्यवाही करेगा। अभियुक्तों के गवाहों को बयानों के साथ उनकी एक लिस्ट दी गई। इस लिस्ट की तैयारी के लिए ट्रिब्यूनल ने मुक़द्दमा १० दिन के लिए स्थगित कर दिया और मुक़दमा प्रारम्भ होने के पहले ७ दिन की छुट्टी दी। गवर्नमेण्ट की ओर से लगभग ५०० गवाह पेश किए जायँगे। गवर्नमेण्ट ने रायबहादुर ज्वालाप्रसाद और गोपाल लाल को सरकारी वकील नियुक्त किया है। अभियुक्तों के वकीलों का अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ।

अभियुक्तों ने, अदालत बरख़ास्त होने के पहले, ट्रिब्यूनल के



कमिश्नरों से समाचार-पत्रों तथा सप्ताह में एक बार सम्बन्धियों से उनकी सुविधा के अनुसार मिलने की आज्ञा मांगी। उन्होंने सोने के लिए पलङ्ग और मनोरञ्जन के लिए कुछ खेल के सामान की भी प्रार्थना की। कमिश्नरों ने अभियुक्तों को 'बी' क्लास में रक्खा है और जेल के नियम देख लेने के उपरान्त उनकी प्रार्थना पर विचार करने का वादा किया है।

अभियुक्तों की आयु १६ और ३० वर्ष के अन्दर है। उनमें से अधिकांश १८ और २५ वर्ष के बीच में हैं।

२ जनवरी, १९३१: लाहौर के सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने लाहौर के नए षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए। अभियुक्तों को कचहरी में चोर-दरवाज़े से लाया गया था। कचहरी के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। कचहरी के भीतर भी बहुत-सी पुलिस बन्दूक इत्यादि से सुसज्जित नियुक्त थी। सड़क पर पुलिस मोटरों में बैठ कर पेटरोल कर रही थी, आने-जाने वालों पर बड़ी कड़ी निगाह रक्खी जाती थी।

कचहरी में जाने के लिए अभियुक्तों के सम्बन्धियों-तक को पास दिए गए थे। प्रेस के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धियों की तलाशी लेकर कचहरी में जाने दिया जाता था। कई सज्जनों की पगड़ी तथा पाजामे तक उतरवा कर तलाशी ली गई!

## सरकारी गवाह

इस केस में पाँच सरकारी गवाह ( Approvers ) हैं। श्री० इन्द्रपाल, खैरातीलाल, शिवराम, सरनदास, और मदनगोपाल।

## भागे हुए अभियुक्त

पिछली पेशी पर बताया गया था, कि इस केस में १२



अभियुक्त भागे हुए हैं; परन्तु आज एक और का नाम बढ़ा दिया गया है। १३ फ़रार अभियुक्तों के नाम ये हैं :

(१) श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद, (२) श्री० यशपाल, (३) श्री० सुखदेवराज, बी० ए०, (४) श्री० प्रोफ़ेसर सम्पूर्णसिंह, एम० ए०, (५) श्री० हंसराज, (६) श्रीमती दुर्गादेवी, धर्मपत्नी श्री० भगवतीचरण, (७) श्रीमती सुशीला देवी, (८) श्रीमती प्रकाश देवी, (९) श्री० लेखराम, (१०) श्री० प्रेमनाथ, (११) श्री० सीताराम, (१२) श्री० विश्वनाथ राव; और (१३) श्री० बिहारी छबीलदास।

रायबहादुर ज्वालाप्रसाद इस केस में सरकारी वकील नियुक्त हुए हैं! अभियुक्तों की ओर से लाला श्यामलाल एडवोकेट, श्री० अमोलक राम कपूर और श्री० प्राणनाथ मेहता वकील पैरवी कर रहे हैं।

अभियुक्तों की ओर से लाला श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल को एक प्रार्थना-पत्र, इस आशय का दिया, कि १२८) रु०, जो दैनिक वकीलों के खर्च के लिए दिया जाता है, पर्याप्त नहीं है, अतएव ६४) रु० दैनिक और बढ़ा दिया जाय। हुक्म हुआ कि इस प्रार्थना-पत्र का फ़ैसला लीगल रिमेम्बरेन्सर करेगा।

## हमको इकट्ठा रक्खा जाय—

इसके पश्चात् अभियुक्तों ने कहा कि जेल में हम सब को इकट्ठा रक्खा जाय, क्योंकि हमको अपने केस की सफ़ाई के लिए आपस में मिल कर विचार करना पड़ता है। मि० ब्लैकर, प्रेज़िडेण्ट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसा कोई प्रबन्ध जेल में नहीं हो सकता।



## सरकारी वकील का वक्तव्य

सरकारी वकील ने इसके पश्चात् अपना वक्तव्य अङ्गरेजी में आरम्भ किया ही था, कि अभियुक्तों के विरोध करने पर उन्हें अपना वक्तव्य हिन्दी में ही देना पड़ा।

अपने वक्तव्य में सरकारी वकील ने कहा, कि यह केस बड़ा महत्वपूर्ण है। इस केस से कुल ३६ व्यक्तियों का सम्बन्ध है, जिनमें से १३ अभी तक गिरफ़्तार नहीं किए जा सके हैं। इस केस के अभियुक्तों ने सरकारी अफ़सरों की हत्या करने के लिए यह षड्यन्त्र रचा था। इस कार्य के लिए इन लोगों ने चन्दा माँग कर और डाके डाल कर धन इकट्ठा किया। यह एक बड़ा भारी षड्यन्त्र है और इस षड्यन्त्र में भाग लेने वाले २६ क्रान्तिकारी आपके सम्मुख खड़े हैं।

## भारत की क्रान्ति का इतिहास

भारतवर्ष की क्रान्ति का इतिहास वर्णन करते हुए सरकारी वकील ने कहा :

भारतवर्ष में क्रान्ति के विचार बङ्ग-भङ्ग ( Partition of Bengal ) के समय से आरम्भ हुआ है। चूँकि बङ्ग-भङ्ग सरकार ने जनता की सम्मति के प्रतिकूल किया था, इस कारण से हताश-बङ्गालियों में क्रान्ति के अङ्कुर उत्पन्न हुए। यह सब लॉर्ड कर्ज़न के समय में हुआ। षड्यन्त्र का सब से पहला मामला सन्, १६०८ में चला, जिसमें श्रीयुत अरविन्दो घोष तथा उनके भाई और कई दूसरे व्यक्ति सम्मिलित थे। दूसरा मामला सन्, १६१२ में चला, जब लॉर्ड हार्डिङ्ग पर बम फेंका गया। पुलिस ने लाख ढूँढ़ा, परन्तु बम फेंकने वालों का पता



न चला। सन्, १६१३-१४ में पञ्जाब में भी क्रान्ति की आग फैल गई और अङ्गरेज़ों की हत्या के लिए षड्यन्त्र रचे जाने लगे। सन्, १६१५ में देहली में एक बड़ा भारी षड्यन्त्र-केस चला।

यूरोपीय महायुद्ध के समय केलिफ़ोर्निया इत्यादि से सहस्रों क्रान्तिकारी लौटे। उनके आते ही देश में आग-सी लग गई। चूँकि उनमें अधिकतर पञ्जाबी सिक्ख थे, इस कारण से पञ्जाब पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। सरकार को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल भारत-रक्षा-क़ानून ( Defence of India Act ) के अनुसार बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में कई व्यक्तियों को फाँसी और कईयों को कालापानी की सज़ा दी। इस दमन के पश्चात् कुछ सयम तक क्रान्ति की लहर दब गई।

## विप्लववाद का पुनर्जन्म

सन् १६२५ में काकोरी षड्यन्त्र चला, जिसमें चार क्रान्तिकारियों को फाँसी लगी। इस मामले से पता चला कि भारतवर्ष में एक नए विप्लववादी-दल का निर्माण हुआ है, जिसका नाम "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रक्खा गया है। पं० चन्द्रशेखर आज़ाद काकोरी षड्यन्त्र केस का एक भागा हुआ अभियुक्त है, जिसका सम्बन्ध इस वर्तमान केस से भी है।

काकोरी के पश्चात् लाहौर का विख्यात षड्यन्त्र-केस चला, जिसमें सरदार भगतसिंह, श्रीयुत दत्त, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि अभियुक्त थे। पं० चन्द्रशेखर आज़ाद, श्रीयुत भगवतीचरण तथा श्री० यशपाल इस केस के भागे हुए अभियुक्त हैं, जिनका वर्तमान केस से भी सम्बन्ध है। श्रीयुत भगवतीचरण का बम



के फट जाने से रावी के किनारे पर देहान्त हो गया। इस षड्यन्त्र में पञ्जाब तथा संयुक्त-प्रान्त के व्यक्ति भी सम्मिलित थे।

वर्तमान केस में इन्द्रपाल एक महत्वपूर्ण सरकारी गवाह (Approver) है। इन्द्रपाल कोई एक वर्ष विप्लव-दल में रहा। इस विप्लव-दल के चन्द्रशेखर आज़ाद और भगवतीचरण मुख्य कार्यकर्त्ता थे। सितम्बर, १९२८ में विप्लव-दल का नाम "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" रक्खा गया। चन्द्रशेखर सेना-विभाग का मुखिया था।

जब पहले लाहौर षड्यन्त्र-केस का पुलिस को पता चला, तो बहुत से गिरफ़्तारी के वॉरण्ट जारी किए गए। भगवतीचरण तथा यशपाल, लाहौर से भाग गए। उन्होंने इन्द्रपाल को देहली बुलाया। इन्द्रपाल को बताया गया, कि वॉयसरॉय की गाड़ी को बम से उड़ाने की योजना हो रही है। इन्द्रपाल को साधु बना कर रेलवे लाइन पर रक्खा गया, कि वह स्थिति का निरीक्षण करता रहे।

कई कारणों से उन दिनों वॉयसरॉय पर आक्रमण न हो सका। फिर २३ दिसम्बर को वॉयसरॉय की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयत्न किया गया। परन्तु वॉयसरॉय बच निकला।

## महात्मा गाँधी का विरोध

गाँधी जी ने वॉयसरॉय पर बम चलाने वालों की निन्दा लाहौर काँङ्गरेस में की तथा एक लेख जिसका शीर्षक 'कल्ट् ऑफ़ बॉम' (Cult of Bomb) था, अपने पत्र 'यङ्ग-इण्डिया' में लिखा। इसके उत्तर में एक लेख, जिसका शीर्षक "बम की विशालता" (Philosophy of Bomb) था, इस पार्टी की ओर से बाँटा गया।



## भगतसिंह को छुड़ाने का उद्योग

इसके पश्चात् लाहौर षड्यन्त्र-केस के विख्यात अभियुक्त सरदार भगतसिंह को छुड़ाने की योजना की गई। हंसराज ने एक ऐसी गैस बनाने का प्रबन्ध किया, जिसके छोड़ने से सारे लोग बेहोश हो जायँ। परन्तु उसको सफलता न हुई। इस कारण से हंसराज फिर बम बनाने लग गया।

यशपाल ने इसी काम के लिए बहावलपुर रोड पर एक कोठी किराए पर ली। वहाँ पर भगवतीचरण, यशपाल, चन्द्रशेखर, दुर्गादेवी व सुशीला रहा करते थे।

## भगवतीचरण का देहान्त

उन्हीं दिनों २८ मई, १६३० को भगवतीचरण, सुखदेवराज तथा शिव बमसाज़ी का अभ्यास करने के लिए रावी के किनारे पर गए। परन्तु अचानक बम फट गया, जिससे कि भगवती-चरण तथा सुखदेव घायल हुए। भगवतीचरण का कुछ ही समय के पश्चात् स्वर्गवास हो गया। मरते समय भगवतीचरण ने कहा—"मैं मर रहा हूँ। मेरे पश्चात् काम करते रहना।" यशपाल ने पीछे इन्द्रपाल को बताया कि भगवतीचरण के शरीर को वहीं ज़मीन खोद कर धन्वन्तरि तथा चन्द्रशेखर ने दबा दिया।

इसके एक ही दो दिन पश्चात् कोठी में एक बम फटा, जिससे कि इनके काम में बहुत बाधा पड़ी। सब लोगों को लाहौर छोड़ कर भाग जाना पड़ा।

इसके पश्चात् लाहौर के क्रान्तिकारियों ने चन्द्रशेखर की सलाह से एक 'आतशी चक्कर' नामी दल की स्थापना की। कई शहरों में अपने आप फटने वाले बम रक्खे गए, जिससे कि गूजराँवाला में अहमददीन हेड कॉन्स्टेबिल मर गया।



सफ़दरअली सब-इन्स्पेक्टर अस्पताल में मरा। सन्तसिंह इन्स्पेक्टर घायल हुआ, इत्यादि।

३ जनवरी, १६३१: रायबहादुर ज्वालाप्रसाद सरकारी वकील ने लाहौर षड्यन्त्र केस में अपना प्रारम्भिक भाषण आज समाप्त किया। सरकारी वकील ने कहा, कि २३ जुलाई को देहली में एक विप्लव-दल की मीटिङ्ग हुई। इसमें यह तय पाया कि सहारनपूर के सरकारी खज़ाने पर डाका डाला जाय। यह प्रस्ताव श्री० चन्द्रशेखर का था। इस समय श्री० यशपाल, सुखदेवराज, गुलाबसिंह, अमरीकसिंह, हरनामसिंह, अमीरचन्द तथा इन्द्रपाल उपस्थित थे। गुलाबसिंह लाहौर से रिवॉल्वर लेकर सहारनपूर गया, परन्तु वहाँ पर डाका, इस कारण न डाला जा सका, क्योंकि वहाँ पुलिस बहुत थी।

२५ अगस्त को पार्टी ने यह तय किया, कि लाहौर के खज़ाने पर डाका डाला जाय। इस मीटिङ्ग में इन्द्रपाल, गुलाबसिंह, जहाँगीरीलाल, रूपचन्द, अमीरचन्द तथा दयानतराय थे। यह प्रस्ताव पास हो गया, परन्तु हंसराज ने कुछ सन्देह प्रकट किया और कार्य न हो सका। रावलपिण्डी में भी डाका डालने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता न हुई। इसके पश्चात् लाहौर के क्रान्तिकारियों ने थानों में बम रखने की योजना की। हंसराज ने बम तैयार किए, परन्तु बम ठीक समय पर नहीं फटे।

इसके पश्चात् सरदार हरदयालसिंह मैजिस्ट्रेट, रावलपिण्डी, को बम से उड़ा देने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता न हुई। इसी प्रकार से अभियुक्तों ने सरकाली गाँव तथा चकवाल में डाका डालने का निष्फल-प्रयत्न किया।



१ली सितम्बर को पुलिस को इस षड्यन्त्र का पता चला। इसी सम्बन्ध में जहाँगीरीलाल, रूपचन्द, कुन्दनलाल, इन्द्रपाल तथा गुलाबसिंह गिरफ्तार हुए। कृष्णगोपाल के सुराग़ देने पर एक घर की तलाशी ली गई, जहाँ से दो बम और एक पिस्तौल मिली।

## भागे हुए अभियुक्त

इसके पश्चात् सरकारी वकील ने कहा कि इस केस में १३ अभियुक्त फ़रार हैं। बहुत तलाश करने पर भी उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। इसलिए उनके विरुद्ध धारा ५१२ के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

लाला काशीराम इन्सपेक्टर सी० आई० डी० ने कहा कि मैंने श्री० सुखदेवराज, बी० ए०, सम्पूर्णसिंह एम० ए०, प्रेमनाथ, श्रीमती दुर्गादेवी, सुशीला तथा प्रकाशो की बहुत तलाश की, परन्तु कुछ पता नहीं चला।

मि० सलीम के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं श्री० सुखदेव की तलाश में लाहौर, अमृतसर, दीनानगर, पठानकोट, गुरुदास-पूर में गया, परन्तु कुछ भी पता न चला। प्रोफ़ेसर सम्पूर्णसिंह की तलाश कई स्थानों पर की गई, परन्तु कोई पता न चला। श्री० प्रेमनाथ की खोज काङ्गड़ा, लाहौर तथा अमृतसर में की। इसी ने प्रकाशवती को भी भगाया है। श्रीमती सुशीला की तलाश लाहौर, अमृतसर तथा गुजरात में की गई। श्रीमती दुर्गादेवी—पत्नी श्री० भगवतीचरण—की तलाश कई स्थानों पर की गई। आप श्री० सुखदेव के साथ चली गई हैं। मैं इन सब को खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ।



इन्सपेक्टर गुलाम मुहम्मद ने कहा, कि मैंने श्री० हंसराज की तलाश लायलपूर, चन्योट, झङ्ग, मुलतान, जालन्धर, पेशावर इत्यादि स्थानों में की, परन्तु कुछ पता नहीं चला।

सब-इन्सपेक्टर मन्सफ़अली ने कहा कि मैं श्री० लेखराम को खोज रहा हूँ।

हेड-कॉन्स्टेबिल इच्छनबेग ने कहा कि मैंने श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद को सारे भारतवर्ष में ढूँढ़ा है, परन्तु कोई पता ही नहीं चलता। मैं काकोरी-षड्यन्त्र के समय से इसकी खोज कर रहा हूँ, परन्तु सब बेकार। श्री० शिव, श्री० चन्द्रशेखर के साथ रहते हैं।

हेड-कॉन्स्टेबिल रामसरनदास ने कहा कि मैं श्री० यशपाल को पहचानता हूँ, परन्तु मुझे अभी तक उसकी कोई खोज नहीं मिली है।

पण्डित दीवानचन्द सब-इन्सपेक्टर तथा बख्शी सम्पूर्ण सिंह इन्सपेक्टर, श्री० छबीलदास तथा सीताराम की खोज करते रहे।

भागे हुए अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ५१२ के अनुसार कार्यवाही होगी। कहा जाता है सरकार की ओर से ३२ गवाह पेश किए जायँगे।

६ जनवरी १९३१ : लाहौर षड्यन्त्र केस के तीन अभियुक्तों—श्री० भीमसेन, गोकुलचन्द तथा कुन्दनलाल ने ट्रिब्यूनल को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया है कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए थे, वे उन्हें वापस लेना चाहते हैं।

९ जनवरी, १९३१ : आज बारह बजे सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए।

दर्शकों को आज्ञा लेकर तथा तलाशी देकर भीतर घुसने की आज्ञा थी। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। आरम्भ में श्री० कृष्णगोपाल ने कहा—"चूँकि श्री० धर्मपाल अभियुक्त बीमार है, इसलिए उसके बैठने का प्रबन्ध होना चाहिये। इस पर श्री० धर्मपाल को एक कुर्सी बैठने के लिए दे दी गई। लाला काशीराम सब-इन्सपेक्टर ने गवाही देते हुए कहा, कि मैंने चन्द्र-शेखर तथा दूसरे फ़रार अभियुक्तों की बहुत खोज की, परन्तु कोई पता नहीं चला। इस मामले के फ़रार अभियुक्तों में से श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद, यशपाल, सुखदेवराज, लेखराज, दसराज, श्रीमती दुर्गादेवी तथा प्रकाशवती को गिरफ़्तार करने के लिए पुरस्कारों का विज्ञापन दिया जा चुका है। बाक़ी पाँच के विरुद्ध वॉरण्ट जारी कर दिए गए हैं, परन्तु अभी तक वे गिरफ़्तार नहीं किए जा सके।"

इसके पश्चात् इक़बाली गवाह श्री० इन्द्रपाल कचहरी में लाया गया। उसने चुपचाप, पुलिस वालों के साथ, कमरे में प्रवेश किया। सिर पर एक बढ़िया कुल्ला तथा पेशावरी लुङ्गी और गले में मफ़लर लगाए था, परन्तु मुरझाया हुआ मुँह लेकर वह गवाहों के कटघरे में आकर खड़ा हुआ।

गवाह ने कहा—'मेरा असली नाम सङ्गतराम है।-पहले मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। फिर प्रेस में नौकरी करने लगा। मैंने प्रेस भी छोड़ दिया और हिन्दू सभा के 'सङ्गठन पत्र' में काम करने लगा। इस पत्र के सम्पादक श्री० कृष्णकुमार वर्म्मा थे! वहाँ मेरा यशपाल से भी परिचय हुआ। यशपाल मेरे दफ़्तर में आया करता था। वह उन दिनों नेशनल कॉलेज में पढ़ता था। बलदेवराज से उन्हीं दिनों मेरा परिचय हुआ। बलदेवराज समाज सुधारक था, परन्तु यशपाल क्रान्तिवादी


था। मुझे रावलपिण्डी में नौकरी मिल जाने के कारण छः मास 'सङ्गठन' में काम करने के पश्चात, मैं वहाँ चला गया। वहाँ अभियुक्त पं० रूपचन्द्र मैनेजर था। कृष्णगोपाल तथा सरनदास से मेरा परिचय वहीं पर हुआ। रावलपिण्डी में मैंने एक छोटा-सा लेख लिखा जिसका शीर्षक 'मञ्जिले-आज़ादी' था। इसका सारा खर्च मैंने स्वयं उठाया। अपना नाम मैंने लेखक के स्थान पर नहीं दिया, क्योंकि मुझे डर था कि पुलिस कहीं मेरे पीछे न लग जाय। लेखक के स्थान पर मैंने "आशिक़े-हिन्द" लिख दिया। इन्हीं दिनों मैंने अपना नाम भी मङ्गतराम छोड़ कर इन्द्रपाल रख लिया।

मि० सलीम (जज)—"तुमने नाम क्यों बदला?"

गवाह ने जवाब दिया—"लोग मुझे 'मँगतू' कह कर पुकारते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। दूसरे मैंने यशपाल के नाम की नक़ल की।" उसने फिर बयान प्रारम्भ करते हुए कहा—

१६२६ में जब मैं 'हिन्दू पत्र' में काम करता था, यशपाल मेरे पास आया करता था। एक बार सरदार भगतसिंह भी यशपाल के साथ आए और मेरा परिचय उनसे हुआ। सरदार भगतसिंह ने कहा कि परीमहल में नवयुवकों की एक सभा होने वाली है, तुम भी वहाँ आना। मैं वहाँ गया तो लाला केदारनाथ सहगल, सरदार भगतसिंह तथा कई और व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। वहाँ एक नवयुवकों की सभा स्थापित करने का निश्चय किया गया, जिसका नाम "नौजवान भारत सभा" रक्खा गया। इसका उद्देश्य नवयुवकों में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करना था। एक दिन यशपाल, सुखदेव को मेरे मकान पर ले आए, परन्तु मुझे उसका नाम नहीं बताया। वह मेरे पास एक बेग रख गए और दो सप्ताह के पश्चात् वे वह बेग वापस ले गए। मुझे



पता नहीं, उस बेग में क्या था। सुखदेव के नाम का मुझे उस समय पता लगा, जब वह गिरफ़्तार कर लिया गया। सरदार भगतसिंह को मेरे मकान का पता यशपाल ने दे दिया था। एक दिन सरदार भगतसिंह ने आकर काकोरी के शहीदों की तस्वीरों के नीचे कुछ कविताएँ मुझसे उर्दू में लिखवाईं और बताया कि वे 'कीरती' मे छपेंगी। मैंने यह काम कर दिया। सरदार भगत-सिंह ने और भी कई पोस्टर मुझ से लिखवाए, जिनके मैं उनसे पैसे नहीं लिया करता था। १७ नवम्बर को लाला लाजपतराय जी का देहान्त हुआ। लाला जी को पुलिस ने पीटा था, उसीके घावों से उनका प्राणान्त हुआ था। मैंने यशपाल से कहा कि हमें उसी पुलिस वाले को, जिसने लाला जी को पीटा था, मार कर बदला लेना चाहिए। यशपाल ने कहा कि इस प्रकार जोश में आने से हानि होती है, इसलिए तुम किसी गुप्त सोसाइटी से मिल कर काम करो। मैंने कहा कि मैं तो किसी गुप्त सभा को नहीं जानता। यशपाल ने कहा कि सुखदेव गुप्त सभा का प्रान्तीय सञ्चालक है। मुझे यशपाल की बातों से यह भी पता चला कि वह भी गुप्त समिति का मेम्बर है। एक मास पश्चात् जब मैं दफ़्तर में बैठा था, मैंने सुना कि लाला जी को पीटने वाले, पुलिस अफ़सर की हत्या कर डाली गई है। मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई।

८ अप्रैल, १९२९ को मैंने पढ़ा कि सरदार भगतसिंह तथा श्री० बटुकेश्वर दत्त ने असेम्बली में बम फेंका है। कुछ दिन पश्चात् यह समाचार पत्रों छपा, कि इन दोनों में से एक इक़बाली गवाह बन गया है। मैंने यह बात यशपाल से कही। उसने कहा कि इन दोनों में से कोई इक़बाली गवाह नहीं बनेगा और वे अदालत में एक महत्वपूर्ण बयान देंगे, जिसका बड़ा प्रभाव



पड़ेगा। उन दोनों ने पार्टी की आज्ञानुसार ही यह कार्य किया था और पार्टी के कहने पर ही वे बयान देंगे। यशपाल ने बताया, कि पार्टी का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' है।

१० जनवरी, १९३१ : अपना बयान जारी रखते हुए इक़बाली गवाह इन्द्रपाल ने कहा—"जब मैं पार्टी का मेम्बर बन गया, तो मैंने यशपाल से पूछा कि क्या सॉण्डर्स की हत्या हमारी पार्टी ने की है ? यशपाल ने उत्तर दिया कि पार्टी के मेम्बरों को भी सब बातों का पता नहीं दिया जाता। मेरे पूछने पर यशपाल ने बताया कि भारत की आर्थिक तथा राजनैतिक दशा बहुत बिगड़ गई है, और यह उस समय तक नहीं सुधर सकती, जब तक भारतवर्ष में विदेशी शासन है। हमारी पार्टी का कार्य-क्रम देश में आतङ्क फैलाना है जो महान् क्रान्ति की पहली सीढ़ी है। प्रचार करके पार्टी के मेम्बर बनाना, चन्दा इकट्ठा करके अथवा डाके डाल कर रुपया एकत्र करना तथा शस्त्र संग्रह करना—पार्टी के तीन प्रधान कार्य हैं। पार्टी की आज्ञा सब को माननी पड़ती है और जो व्यक्ति पार्टी का भेद खोलेगा उसे मृत्यु-दण्ड दिया जायगा। मैंने वचन दिया, कि मैं पार्टी के नियमों का पालन करूँगा। जब काश्मीरी बिल्डिङ्ग में बम-फ़ैक्टरी पकड़ी गई, तो यशपाल बाहर चला गया। यशपाल ने मुझे एक पत्र लिखा, जिसमें मुझे यह बताया गया था, कि जिस पत्र पर 'प्राणनाथ' लिखा हो वह पत्र मैं यशपाल की बहिन प्रेमवती को दे दिया करूँ। कुछ दिन पश्चात् मेरे पास एक और पत्र आया जिसमें 'प्राणनाथ' लिखा हुआ था। मैंने वह पत्र यशपाल की बहिन को दे दिया। इन्हीं दिनों मेरा विवाह होने वाला था। यशपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि क्रान्तिकारी दल के लोगों को



विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम में रुकावट पैदा होती है। मैंने उत्तर दिया कि मैं विवाह को रोकने का यत्न करूँगा। यशपाल ने मुझसे यह भी कहा कि भविष्य में जिन पत्रों पर 'आनन्दस्वरूप' लिखा हो, वे पत्र मैं उसकी बहिन को दे दिया करूँ। बाक़ी मैं स्वयं खोल लिया करूँ। कुछ दिनों के पश्चात् यशपाल की एक चिट्ठी आई जिस पर 'आनन्दस्वरूप' लिखा था। मैंने वह चिट्ठी श्रीमती प्रेमवती को दे दी। श्रीमती प्रेमवती ने मुझे एक चमड़े का बेग, जो बहुत भारी था और उसके साथ एक पत्र भी दिया। मैं दोनों चीज़ें लेकर दिल्ली आया, और यशपाल से क़िला फ़िरोज़शाह तुग़लक़ में मिला, और वे दोनों वस्तुएँ उसको सौंप दीं। यशपाल ने बेग खोला तो उसमें खाली बम रक्खे थे। यशपाल ने बमों को एक कमरे में बन्द कर लिया। जाते समय यशपाल ने कहा कि काम का समय आ गया है, इसलिए तैयार हो जाओ। मैं खाली बेग लेकर काम करने के लिए तैयार हो, लाहौर वापस लौट आया।"

१२ जनवरी, १९३१ : इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि "जब मैं लाहौर पहुँचा तो यशपाल की बहिन को खत देने के लिए गया। वह बीमार थीं और उन्होंने मुझ से कहा कि दो-तीन दिन में रुपये का बन्दोबस्त हो जाएगा। दो-तीन दिन के पश्चात् अभियुक्त धर्मपाल मेरे पास आया और मुझे बताया कि श्रीमती प्रेमवती बीमार होकर बाहर चली गई हैं, अतएव जो पत्र आए हों, वह श्री० भगवतीचरण की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा-देवी को पहुँचा आना। इसके पश्चात् यशपाल का एक पत्र आया, जिसमें यह लिखा था कि मैं श्रीमती दुर्गादेवी से रुपए लेकर देहली पहुँचूँ। मैं श्रीमती दुर्गादेवी को पहले नहीं जानता था। मैं पत्र उनके पास ले गया और राह के खर्च के लिए दस रुपए



उन्होंने मुझे दिए। मैं ४ सितम्बर को देहली पहुँचा। वहाँ यशपाल मुझे मिला। यशपाल के साथ हम लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला की ओर जा रहे थे कि रास्ते में श्री० भगवतीचरण से भेंट हो गई। मैं श्री० भगवतीचरण को पहचानता था, परन्तु वह मुझे नहीं पहचानते थे। वहाँ से हम यमुना-तट की ओर साइकिलों पर गए। यमुना-तट जाकर मुझको बताया गया कि पार्टी ने मुझको साधु बन कर बैठने के लिए बुलाया है। मैंने कहा, कि मैं तैयार हूँ।

"इसके पश्चात् यशपाल ने मुझे बताया कि देहली से ६ मील की दूरी पर रेलवे लाइन के पास मुझे अपना अड्डा जमाना पड़ेगा। यह स्थान देहली से मथुरा को जाने वाली सड़क के किनारे पर था और वहाँ पर एक पियाऊ भी था। ४॥ बजे हम लोग नए बाज़ार में गए। श्री० भगवतीचरण पहले ही से वहाँ हाज़िर थे। श्री० भगवतीचरण का नाम वहाँ पर हरिश्चन्द्र तथा यशपाल का नाम जगदीशचन्द्र रक्खा हुआ था। वहाँ सब लोगों को यह बताया गया था, कि हरिश्चन्द्र इन्श्योरेन्स का काम करते हैं तथा जगदीशचन्द्र के पिता सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस हैं। यशपाल के कहने के अनुसार मैंने अपने आपको जगदीशचन्द्र का छोटा भाई बताया! वहाँ पर इन लोगों ने एक नौकर रक्खा हुआ था, जिसका नाम परभाई था। उस मकान में दो फ़ौजी टोप भी रक्खे हुए थे। दूसरे दिन श्री० भगवतीचरण बाहर से एक बक्स लाए, जिसमें कि साधु बनने का सामान था। मैंने उनके कहने के अनुसार अपना सिर मुँड़वा लिया। सायँकाल के ७ बजे मैं क़िला फ़िरोज़शाह तुग़लक़ में गया और साधु का भेस बना कर अपने अड्डे पर चला गया। वहाँ पर मुझसे लोगों ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं तीर्थयात्रा


करके लौट रहा हूँ और यह स्थान अच्छा देख कर मेरा मन कुछ दिन यहाँ ठहरने को चाहता है।

"मैं गाँव में जाकर भीख माँग लाया करता था। एक दिन मैंने गाँव से केवल आध छटाँक आटा पाया। वह लाकर मैंने चींटियों को डाल दिया। लोगों ने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने उनसे कह दिया, कि यह भी शिव जी महाराज की सृष्टि हैं, इनका भी पालन करना हम लोगों का कर्त्तव्य है। इससे लोग मेरे बड़े भक्त हो गए और जाकर गाँव वालों से कह दिया कि जब भी बाबा जी गाँव में आवें तो इनको काफ़ी भिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि इनका गुज़र हो जाए।

"मेरे पास श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल भी वहाँ पर आया करते थे। लोगों के पूछने पर मैंने बताया कि यह देहली के सेठ हैं और यहाँ असामियों से रुपया वसूल करने आते हैं। मैंने एक बार इनके घर में एक स्त्री का इलाज किया था, इसी से यह मेरे बहुत भक्त हो गए हैं।

"इन्हीं दिनों यशपाल ने मुझे कहा, कि पियाऊ तथा रेलवे लाइन के भीतर का फ़ासला नापना और पता करना कि रात को गाँव वाले कहाँ पर सोते हैं और रात को कुत्ते कहाँ-कहाँ पर भूँकते हैं इत्यादि। रात को होने वाली सब बातों का ठीक-ठीक पता लगाऊँ। उसने मुझे बताया कि वॉयसरॉय २७ अक्टूबर को विलायत से आने वाले हैं उस दिन उनकी गाड़ी को बम से उड़ाया जायगा।

"रात के समय १२ बजे के लगभग यशपाल ने बम की परीक्षा की। बैटरी के साथ एक बल्ब लगाया गया। बैटरी के एक ओर कोई जल-पदार्थ (Liquid) तथा दूसरी ओर कोई पाउडर



लगा दिया गया। इस बैटरी के समीप थोड़ी-सी गन-कॉटन ( Gun-cotton ) रख दी गई। ठीक बारह बजे गन-कॉटन ( Gun-cotton ) भक से जल गई। इतने में नीचे से किसी ने पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। मैंने उठ कर देखा कि नीचे दो सिपाही खड़े हैं। मैंने यशपाल से कहा कि दो सिपाही आ गए हैं और सारा काम बिगड़ने वाला है। यशपाल ने कहा कि मैं अपनी पिस्तौल निकालता हूँ। परन्तु मैंने उसको कहा कि ठहरो मैं सिपाहियों से बात करता हूँ। मैंने सिपाहियों से कह दिया कि भाई यहाँ पर बाबा लोग रहते हैं। सिपाहियों के पूछने पर मैंने बताया कि मेरे पास मेरा एक भक्त बैठा है।" मामला कल पर स्थगित किया गया।

१३ जनवरी १९३१ : दस बजे स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने लाहौर षड्यंत्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए। इक़बाली गवाह इन्द्रपाल ने आरम्भ में ही जजों से प्रार्थना की, कि मैं पुलिस के क़ब्ज़े में नहीं रहना चाहता, इसलिए मुझे जुडीशियल हवालात मे भेज दिया जाय।

मि० सलीम ( जज )—तुम क्या चाहते हो ?

इन्द्रपाल—मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले-पहल पुलिस के सामने एक बयान दिया था। पुलिस ने वह बयान तोड़-मरोड़ कर मैजिस्ट्रेट के सामने दिलवाया। अब मुझे विवश किया जा रहा है, कि मैं वह झूठा बयान यहाँ भी दूँ। परन्तु मैं झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस समय तक मैंने जो बयान दिया है, वह सच है और आगे भी सच कहूँगा। पुलिस यह विचार न करे कि मैं विपक्षी हो गया हूँ। मेरे बयान में केवल २५ प्रतिशत मिलावट है। मैं यह नहीं चाहता, कि झूठ बोल कर किसी को फँसा दूँ।



मि० सलीम—आपने सच बोलने की शपथ खाई है, आप सच बोलिए।

गवाह—मुझे क़िले में दो महीने तक, बयान याद करने को दिया गया था। आज भी वह बयान मेरे कमरे में पड़ा है। इसके अतिरिक्त दूसरे इक़बाली गवाहों के बयान भी मुझको पढ़ने के लिए दिए गए थे, ताकि इक़बाली गवाहों के बयानों में परस्पर विरोध न हो जाय।

लाला श्यामलाल वकील ने कहा कि इस इक़बाली गवाह के कमरे की तलाशी शीघ्र ही ली जानी चाहिए, क्योंकि प्रायः इक़बाली गवाहों के बयान एक-दूसरे को पढ़ा दिए जाते हैं। और गवाह यह मानता है, कि सारे गवाहों के बयान उसके कमरे में पड़े हैं।

गवाह—मुझे पुलिस ने ये बयान इसलिए दिए थे, कि मैं परस्पर-विरोध को दूर करके, बयान दूँ।

वकील सफ़ाई—इन सब बातों को नोट करने के पश्चात्, अदालत को शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकारी वकील—इसने जो बयान दिया है वह कुछ-कुछ ठीक है। हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए, और न पुलिस के ही सम्बन्ध में कोई बुरी बात सोचनी चाहिए।

अभियुक्त—सी० आई० डी० के इन्सपेक्टर, ख्वाजा ताजदीन चाबियाँ लेकर क़िला में गए हैं, वे कमरे की तलाशी लेकर बयान वहाँ से उड़ा ले जाएँगे।

सरकारी वकील—हम यह नहीं चाहते कि गवाह कोई झूठी बात कहे, किन्तु जिस बात का इसे पता है, वही सच-सच कहे।



वकील सफ़ाई—जो कुछ गवाह ने कहा है, उसे अच्छी प्रकार से नोट कर लिया जाय।

मि० सलीम—तुम जब अदालत में आओ तो केवल वही बात कहो, जिसका तुम्हें पता हो और जो सच हो। यदि तुमको कोई शिकायत हो तो अदालत से करो।

## पुलिस का अत्याचार

गवाह—यदि मेरी निम्न शिकायत दूर कर दी जाय, तो बाक़ी मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी।

मेरी गिरफ़्तारी के दस-बारह दिन पश्चात् मैं बीमार हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत दुर्बल हो गया था। मैंने पुलिस को जो बयान दिया था, वह १६० पृष्ठ लम्बा था। अब १६ पृष्ठों का एक बयान मुझे रटने के लिए दिया गया है। चार पुलिस वाले प्रति दिन मुझको घेर कर बैठ जाते हैं, और मुझसे प्रश्न पूछते हैं। इस बकवाद से मेरा गला ख़राब हो गया है। आप किसी डॉक्टर को बुला कर मेरी परीक्षा करवा सकते हैं। बीमार होने पर भी मुझे प्रतिदिन कचहरी में ६ घण्टे तक खड़े रहना पड़ता है। कोई मनुष्य इस यातना को सहन नहीं कर सकता। शेष रहा मुझे पुलिस के क़ब्ज़े में भेजने का प्रश्न। पुराना अनुभव मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। पुलिस वाले मेरे दोनों हाथ पीठ की ओर हथकड़ी से बाँध कर, रात भर लिटाए रखते थे। और भी कई प्रकार की यातनाएँ मुझे देते थे। मैं अब पुलिस के पास नहीं रहना चाहता। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप मुझे ज़मानत पर छोड़ दें या मुझे दूसरे अभियुक्तों के साथ ही रख दें। मैं पुलिस के पास किसी तरह भी नहीं रहना चाहता।



वकील सफ़ाई—अदालत को चाहिए, कि जाकर स्वयं गवाह के कमरे की तलाशी ले।

इसके पश्चात् लाला अमोलक राम, दूसरे वकील सफ़ाई ने कहा कि जब एक गवाह, जो पुलिस के क़ब्ज़े में है, पुलिस पर दोषारोपण करता है, तो अदालत का कर्त्तव्य है, कि इस दोषारोपण की पूर्णतया जाँच करे।

मि० सलीम—( गवाह से ) आजकल तुम कहाँ हो ?

गवाह—शाही क़िले में।

जज—अकेले रहते हो ?

गवाह—नहीं, मेरे साथ पुलिस का एक हवलदार भी रहता है।

जज—तुम्हारे कमरे में क्या तुम्हारा बयान पड़ा है ?

गवाह—हाँ ! मेरे कमरे में मेरे बयान के साथ सरनदास, शिवराम, मदनगोपाल तथा खैरातीराम इत्यादि इक़बाली गवाहों के बयान भी पड़े हैं। और भी एक काग़ज़ वहाँ पड़ा है, जिसमें वे तिथियाँ लिखी थीं, जिनके अनुसार यह कहना था कि अमुक दिन मैंने पुलिस को अमुक मकान दिखाया। ये तिथियाँ मुझे प्रतिदिन याद करनी पड़ती हैं, ताकि मैं भूल न जाऊँ।

मि० सलीम—यह बयान तुमको क्यों दिए गए ?

गवाह—इसलिए कि सरनदास इक़बाली गवाह तथा मेरे बयानों में कुछ अन्तर है। मुझे इन बयानों को पढ़ कर उस अन्तर को दूर करना है। यह बात मुझको बरखुरदार सब-इन्सपेक्टर ने ( जो कि इस समय कचहरी ही में हैं ) कही थी। परन्तु उसने कहा था कि यह सब सरकारी वकील के कहने पर किया जा रहा है।

जज—तुमको बयान किसने दिए ?



१—सरदार किशनसिंह २—श्रीमती अमर कौर ३—श्रीमती सरला देवी और ४—स्वर्गीय राजगुरु की माता।
बैठा हुआ बालक स्वर्गीय सरदार भगतसिंह का प्रिय भाई सरदार कुलतार सिंह



गवाह—इसका प्रबन्ध स्वयं मलिक बरखुरदार सब-इन्सपेक्टर ने किया था और इनकी आज्ञा से दो हेड-कॉन्सटेबिल (जो इस समय कचहरी में उपस्थित हैं) यह बयान मुझे दे गए।

जज—जब से तुम्हारा बयान कचहरी में आरम्भ हुआ है, तब से तो पुलिस ने तुमको पट्टी नहीं पढ़ाई ?

गवाह—इक़बाली गवाहों के बयान मुझे दो-एक दिन से ही मिले हैं। पहले केवल मेरा अपना बयान ही मेरे पास था।

सरकारी वकील—मैं गवाह के इस बयान की परीक्षा करना चाहता हूँ।

अदालत—हम इसकी जाँच करेंगे और आपको समय दिया जायगा।

नाश्ते का समय हो रहा था, इस कारण यह प्रश्न उठा, कि इस समय गवाह को कहाँ रक्खा जाय। बहुत सोच-विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया, कि गवाह इस समय क्लर्क ऑफ़ कोर्ट के पास रहे।

सरकारी वकील ने लञ्च के पश्चात् कार्यवाही आरम्भ होने पर कहा, कि पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है, वह सब झूठ है। मैं समझता हूँ कि वकील सफ़ाई ने कल जो प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि इक़बाली गवाह को पुलिस के क़ब्ज़े से निकाल कर जुडीशियल हवालात में भेज दिया जाय, यह उसी का परिणाम है। पुलिस की डायरी से यह भी पता चलता है कि कल जहाँगीरीलाल अभियुक्त ने गवाह को यह कह कर डराया था, कि "समझ लेंगे।" मैं न्याय के दिन के लिए यह कहता हूँ, कि गवाह को ऐसे स्थान पर रक्खा जाय, जहाँ इसकी जान का कोई भय न हो।

इसके पश्चात् बहुत सोच-विचार करके यह निर्णय किया गया कि गवाह को सेण्ट्रल जेल भेज दिया जाय।



सेण्ट्रल जेल के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछा गया, क्या वहाँ गवाह को रखने के लिए कोई स्थान है ? उसने उत्तर दिया कि सेण्ट्रट जेल में केवल फाँसी की कोठरी खाली है, तब जजों ने यह निर्णय किया कि गवाह को सेन्ट्रल जेल में रक्खा जाय, परन्तु उसके साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए। यह भी आज्ञा हुई, कि किसी सम्बन्धी को अथवा पुलिस वाले को गवाह के पास न जाने दिया जाय।

इसके पश्चात् वकील-सफ़ाई ने एक प्रार्थना-पत्र और दिया, जिसका आशय था कि शेष इक़बाली गवाहों को भी पुलिस के क़ब्ज़े से निकाल लिया जाय।

## गोला फेंकने वाला

इन्द्रपाल ने सत्य कहने की शपथ खाई, और अपना बयान आरम्भ किया। गवाह ने कहा कि दोनों कॉन्स्टेबिल मकान के ऊपर चढ़ आए। मैंने उनको बताया था कि मेरा दूसरा साथी मेरा भगत है, परन्तु सिपाही एक दूसरे की पीठ पर सवार होकर पियाऊ पर चढ़ आए। उन्होंने यशपाल से कहा कि यह तो साधु महात्मा हैं, जङ्गल में रहते हैं, मगर तेरा यहाँ पर क्या काम ? यशपाल ने मथुरा की भाषा में उत्तर दिया, कि मैं मथुरा से आया हूँ। देहली नौकरी ढूँढ़ने जा रहा हूँ। यशपाल का सारा बमसाज़ी का सामान खुला पड़ा था, परन्तु उसने मुझे बताया था, कि ये बम केवल हाथ लगाने से नहीं फटेंगे। सिपाहियों को यशपाल पर शक हो गया और एक ने कहा, कि यह तो कोई बदमाश प्रतीत होता है, चलो इसको थाने ले चलें। यह सुनते ही यशपाल पहले सिपाहियों के, फिर मेरे पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं और मेरे बाल-बच्चे तो भूखे मर



जाएँगे। मैंने भी यशपाल को एक लात जमाई, और क्रोध से कहा—"बदमाश हम महात्मा लोगों को भी फँसाने आ जाता है।" एक सिपाही ने कहा, कि यह तो कोई गोला फेंकने वाला बदमाश प्रतीत होता है।

मैं सिपाहियों को नीचे ले गया, और उनसे पूछा कि यदि कहो तो मुट्ठी गरम कराऊँ। सिपाही ने उत्तर दिया—"अच्छा महाराज, आपकी कृपा। मैं ऊपर जाकर यशपाल की जेब से एक दस का नोट, दो रुपए तथा दो चवन्नी निकाल लाया और मैंने सिपाहियों के हाथ पर रुपए रख दिए, और फिर उनमें से एक चवन्नी यह कह कर निकाल ली, कि बाबा जी सुलफ़ा मँगाएँगे। फिर मैंने उनसे कहा, कि एक रुपया उसके लिए रहने दो, बेचारे के पास कुछ नहीं रहा। सिपाहियों ने एक रुपया और लौटा दिया। इसके पश्चात् सिपाही चले गए।

१४वीं जनवरी १६३१ : आज जब लाहौर षड्यन्त्र का मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो आरम्भ में वकील-सफ़ाई के कहने पर, सारे इक़बाली गवाहों को कचहरी में बुलाया गया। इक़बाली गवाहों ने कहा कि हम पुलिस के पास बड़े मज़े में रहते हैं। वकील-सफ़ाई ने कहा, कि इन्द्रपाल ने जो पुलिस पर आक्षेप किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं अदालत से यह प्रार्थना करता हूँ कि इक़बाली गवाहों को पुलिस के क़ब्ज़े से निकाल लिया जाय।

सरकारी वकील ने उत्तर दिया कि यदि इक़बाली गवाहों को पुलिस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर रक्खा गया, तो उनके प्राण हर समय सङ्कट में रहेंगे।

लाला अमोलक राम दूसरे वकील सफ़ाई ने कहा, कि हम



सेण्ट्रल जेल के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछा गया, क्या वहाँ गवाह को रखने के लिए कोई स्थान है? उसने उत्तर दिया कि सेण्ट्रल जेल में केवल फाँसी की कोठरी खाली है, तब जजों ने यह निर्णय किया कि गवाह को सेन्ट्रल जेल में रक्खा जाय, परन्तु उसके साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए। यह भी आज्ञा हुई, कि किसी सम्बन्धी को अथवा पुलिस वाले को गवाह के पास न जाने दिया जाय।

इसके पश्चात् वकील-सफ़ाई ने एक प्रार्थना-पत्र और दिया, जिसका आशय था कि शेष इक़बाली गवाहों को भी पुलिस के क़ब्ज़े से निकाल लिया जाय।

## गोला फेंकने वाला

इन्द्रपाल ने सत्य कहने की शपथ खाई, और अपना बयान आरम्भ किया। गवाह ने कहा कि दोनों कॉन्स्टेबिल मकान के ऊपर चढ़ आए। मैंने उनको बताया था कि मेरा दूसरा साथी मेरा भगत है, परन्तु सिपाही एक दूसरे की पीठ पर सवार होकर पियाऊ पर चढ़ आए। उन्होंने यशपाल से कहा कि यह तो साधु महात्मा हैं, जङ्गल में रहते हैं, मगर तेरा यहाँ पर क्या काम? यशपाल ने मथुरा की भाषा में उत्तर दिया, कि मैं मथुरा से आया हूँ। देहली नौकरी ढूँढ़ने जा रहा हूँ। यशपाल का सारा बमसाज़ी का सामान खुला पड़ा था, परन्तु उसने मुझे बताया था, कि ये बम केवल हाथ लगाने से नहीं फटेंगे। सिपाहियों को यशपाल पर शक हो गया और एक ने कहा, कि यह तो कोई बदमाश प्रतीत होता है, चलो इसको थाने ले चलें। यह सुनते ही यशपाल पहले सिपाहियों के, फिर मेरे पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं और मेरे बाल-बच्चे तो भूखे मर


जाएँगे। मैंने भी यशपाल को एक लात जमाई, और क्रोध से कहा—"बदमाश हम महात्मा लोगों को भी फँसाने आ जाता है।" एक सिपाही ने कहा, कि यह तो कोई गोला फेंकने वाला बदमाश प्रतीत होता है।

मैं सिपाहियों को नीचे ले गया, और उनसे पूछा कि यदि कहो तो मुट्ठी गरम कराऊँ। सिपाही ने उत्तर दिया—"अच्छा महाराज, आपकी कृपा। मैं ऊपर जाकर यशपाल की जेब से एक दस का नोट, दो रुपए तथा दो चवन्नी निकाल लाया और मैंने सिपाहियों के हाथ पर रुपए रख दिए, और फिर उनमें से एक चवन्नी यह कह कर निकाल ली, कि बाबा जी सुलफ़ा मँगाएँगे। फिर मैंने उनसे कहा, कि एक रुपया उसके लिए रहने दो, बेचारे के पास कुछ नहीं रहा। सिपाहियों ने एक रुपया और लौटा दिया। इसके पश्चात् सिपाही चले गए।

१४वीं जनवरी १९३१ : आज जब लाहौर षड्यन्त्र का मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो आरम्भ में वकील-सफ़ाई के कहने पर, सारे इक़बाली गवाहों को कचहरी में बुलाया गया। इक़बाली गवाहों ने कहा कि हम पुलिस के पास बड़े मज़े में रहते हैं। वकील-सफ़ाई ने कहा, कि इन्द्रपाल ने जो पुलिस पर आक्षेप किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं अदालत से यह प्रार्थना करता हूँ कि इक़बाली गवाहों को पुलिस के क़ब्ज़े से निकाल लिया जाय।

सरकारी वकील ने उत्तर दिया कि यदि इक़बाली गवाहों को पुलिस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर रक्खा गया, तो उनके प्राण हर समय सङ्कट में रहेंगे।

लाला अमोलक राम दूसरे वकील सफ़ाई ने कहा, कि हम


तो रात-दिन इधर-उधर घूमते हैं, परन्तु हमसे तो क्रान्तिकारी कभी कुछ नहीं कहते।

सरकारी वकील ने कहा कि बङ्गाल में एक इक़बाली गवाह जेल में मार डाला गया था। क्रान्तिकारियों का कुछ पता नहीं रहता, न जाने किस समय, कहाँ पर आक्रमण कर दें।

## वॉयसरॉय पर आक्रमण की योजना

इसके पश्चात् इन्द्रपाल ने बयान जारी रखते हुए कहा, कि जब पुलिस वाले चले गए, तो हम दोनों नीचे उतर कर रेलवे लाइन की ओर गए। हमने रेलवे लाइन के नीचे बम दबा कर, वॉयसरॉय की गाड़ी को उड़ाने का निश्चय किया था। रेलवे लाइन के नीचे से हमने दो पत्थर निकाले और उनके स्थान पर दो बम रख दिए। इस काम में हमको कोई पौन घण्टा लगा था। इतने में हमको एक माल गाड़ी आती हुई दिखाई दी। हम भाग कर लाइन से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। गाड़ी बमों के ऊपर से निकल गई, परन्तु बम फटे नहीं। गाड़ी के निकल जाने के पश्चात् हमने बमों को खूब अच्छी तरह दबा दिया और वापस लौट आए। कुछ दिन के पश्चात् यशपाल एक और बम लाया, वह बम भी हमने पहले स्थान पर ही रख दिया। एक दिन मैंने जाकर लाइन पर देखा कि एक बम गुम हो गया है। मैंने यह सूचना यशपाल को दे दी। यशपाल ने कुछ तार, जो वह अपने साथ लाया था, मुझे दिखाया और कहा कि अब एक्शन (Action) वायरलेस से नहीं, किन्तु तार बमों के साथ लगा कर किया जायगा। मैंने यशपाल के साथ जाकर बम के साथ तार जोड़ने में उसकी सहायता की। यशपाल ने मुझे बताया, कि तार के एक सिरे पर एक बैटरी लगा दी जायगी,



और तार का दूसरा सिरा बमों से जोड़ दिया जायगा। बैटरी से बिजली छोड़ी जायगी, जिससे बम फटेंगे। आक्रमण २७ अक्टूबर को निश्चित था, इसलिए मुझे यशपाल ने २६ को देहली चले जाने को कहा था। परन्तु जब २७ अक्टूबर को वॉयसरॉय की गाड़ी आई, तो उस पर कोई आक्रमण न किया गया। यशपाल ने मुझे बताया कि हमने आक्रमण का निश्चय कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि वॉयसरॉय भारतवर्ष के हित के लिए कोई घोषणा करने वाला है और जनता ऐसे समय में हमारा साथ न देगी। इस समय श्री० भगवती-चरण भी यशपाल के साथ थे। हम तीनों जाकर रेलवे लाइन से बम उठा लाए। देहली पहुँच कर कुछ समय तक मैं श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल के पास बैरा बन कर रहा।

१५ जनवरी १९३१ ई० को मामला फिर ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया। इक़बाली गवाहों को पुलिस के क़ब्ज़े से निकालने के प्रश्न पर बड़ी बहस हुई।

## पुलिस का अन्धेर-खाता

वकील-सफ़ाई ने कहा, कि इक़बाली गवाहों तथा पुलिस ने, आपस में समझौता कर रक्खा है। पुलिस के क़ब्ज़े में उनका रहना क़ानून के विरुद्ध है। पुलिस की इच्छा है, चाहे उनको कचहरी में पेश करे, चाहे न करे, चाहे उनको खाना दे, चाहे भूखों मारे। क़ानून का इस विषय में कोई बन्धन नहीं है। यह दशा देखकर मुग़ल समय की याद आ जाती है, जब सरकार इच्छानुसार जिसको चाहती थी जेल में बन्द कर देती थी। यह क़ानून-सङ्गत नहीं है। वकील ने इस विषय पर बहुत दलीलें दीं, कि किसी मनुष्य को १५ दिन तक पुलिस के पास



रक्खा जा सकता है, यदि इससे अधिक समय तक उसे रखना हो तो जेल के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं है। सरकारी वकील ने कहा, कि पुलिस परम्परा से ऐसा ही करती आई है। अदालत ने निर्णय किया, कि इक़बाली गवाहों को पुलिस के क़ब्ज़े में ही रहने दिया जाय।

## बैरा के वेश में

बयान जारी रखते हुए इक़बाली गवाह इन्द्रपाल ने कहा कि इस मकान में तीन दिन तक बैरा बन कर रहा। इन दिनों मुझे श्री० भगवतीचरण तथा श्री० यशपाल ने बताया, कि वॉयसरॉय १५ या १७ नवम्बर को कोल्हापुर जा रहे हैं, और उस समय उन पर आक्रमण किया जायगा।

कुछ दिन पश्चात् श्री० भगवतीचरण ने अखबार से पढ़ कर मुझे वॉयसरॉय की घोषणा सुनाई। मुझे स्थान का चुनाव करने के लिए भेजा गया। मैं जगह देख आया, परन्तु यशपाल मोटर से टक्कर खाकर घायल हो गया और हंसराज समय पर नहीं पहुँच सका, इस कारण आक्रमण इस बार भी स्थगित करना पड़ा।

जब वॉयसरॉय की गाड़ी पर आक्रमण न हो सका, तो श्री० भगवतीचरण १९वीं दिसम्बर को मेरे पास आए और मुझे नए सड़क वाले घर पर ले गए। यशपाल भी वहीं पर था। उसने मुझे बताया कि उसकी बहिन का देहान्त हो गया है। अब चूँकि मेरे लिए देहली में कोई काम न था, इस कारण मुझे लाहौर लौटने की आज्ञा मिल गई।

## रहस्यमय युवक

लाहौर आने के दूसरे दिन मैं लायलपूर गया, क्योंकि वहाँ हंसराज को यशपाल की चिट्ठी देनी थी। २० नवम्बर का दिन


था। लायलपूर ४॥ बजे प्रातःकाल पहुँचा। मैं स्टेशन से सीधा हंसराज के मकान पर गया। मैंने हंसराज को कई आवाजें दीं, परन्तु उस समय घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं घर के सामने ही बैठ गया। इतने में एक और नवयुवक आया, और उसने हंसराज को बाहर बुलाया। हंसराज ने बाहर आकर इस नवयुवक से कुछ बातचीत की। मैं चूँकि कुछ दूर खड़ा था, इस कारण मैं बातचीत नहीं सुन सका। जब यह दोनों बातचीत कर रहे थे, तो मैंने हंसराज से कहा, कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। उसने मुझे ठहरने को कहा। जब वह नवयुवक चला गया तो मैंने हंसराज से कहा, कि मैं प्राणनाथ के पास से आया हूँ। उसने आपको कहला भेजा है, कि भविष्य में इस प्रकार आलस्य न किया करो। इस बार तुम्हारे आलस्य के कारण सारा काम बिगड़ गया है।

जब मैं हंसराज को सन्देशा देकर स्टेशन लौटा तो मैंने देखा कि वही नवयुवक स्टेशन पर टहल रहा है। पर उसे उस दिन से पहले कभी न देखा था। हंसराज ने मुझे बताया था कि यह नवयुवक कृषि-कॉलेज में पढ़ता है। जब गाड़ी चलने लगी, तो वह नवयुवक अगले डब्बे में बैठ गया। मैं पीछे के एक डब्बे में बैठ गया।

रास्ते में इस नवयुवक ने मुझे कई बार देखा, और मैंने उसे। मैंने सोचा, यह कोई सी० आई० डी० का आदमी है। वह नवयुवक बादामीबाग़ स्टेशन पर उतर गया और मैं लाहौर जाकर उतरा। जब मैं घर जा रहा था, तब मैंने फिर उसी नवयुवक को 'अमृतधारा' के पास देखा। मैं एक गली में घुस गया ताकि उसको सन्देह न हो। उसी सन्ध्या को मैं श्रीमती दुर्गादेवी के घर पर गया। वहाँ मैंने जाकर देखा कि वही नव-



युवक यहाँ पर भी हाज़िर है। मुझे विश्वास हो गया कि यह नवयुवक भी कोई मेरे जैसा ही है। इसलिए हम दोनों ने एक-दूसरे को देख कर हाथ मिलाया। पीछे मुझे पता चला कि इस नवयुवक का नाम सुखदेव है।

श्रीमती दुर्गादेवी से मेरी कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मुझ से कहा, कि सुना है कि तुम्हारे विवाह की तैयारी हो रही है, इसलिए ज़रा सोच-समझ कर काम करना। उनके पूछने पर मैंने उनको बताया कि श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल दोनों कुशलपूर्वक हैं।

गवाह ने कहा कि मुझे पता नहीं, सुखदेव लायलपूर क्यों गया था।

लायलपूर से लौट कर आने के पश्चात् मैं गुलाबसिंह से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं क्रान्तिकारी दल का मेम्बर हूँ। इन्हीं दिनों अमीरचन्द अभियुक्त मेरे पास आया और मैंने उसे श्रीमती दुर्गादेवी से काश्मीर बैली में मिलाया। श्रीमती दुर्गादेवी के कहने पर, मैंने अमीरचन्द को अपने पास ठहरा लिया। श्रीमती दुर्गादेवी ने कहा, कि वह व्यय के लिए रुपए धर्मपाल अभियुक्त के हाथ भेज दिया करेंगी। १३ दिसम्बर को मेरा विवाह हुआ। गुलाबसिंह तथा अमीरचन्द ने मेरे विवाह में भाग लिया। इन्हीं दिनों हंसराज मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि मैं जब ताँगे में आ रहा था, तो मेरे सूट केस से गैस निकलनी आरम्भ हो गई जिसके कारण ताँगे में बैठे दूसरे सब व्यक्ति बेहोश हो गए। परन्तु हंसराज ने यह सब गप हाँकी थी।

हंसराज को साथ लेकर मैं १६ दिसम्बर को देहली पहुँचा। नए बाज़ार वाले मकान में, मैं श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल



से मिला। वहाँ पर एक और भी व्यक्ति था, जिसे वे 'जाट' कहा करते थे।

यशपाल ने मुझसे कहा कि २३ दिसम्बर को जब वॉयसरॉय कोल्हापुर से लौटेंगे, तब उन पर आक्रमण किया जावेगा।

दो दिन पश्चात् श्री० भगवतीचरण 'जाट' को साथ ले जाकर रेलवे लाइन पर बम फ़िट कर आए।

१६ वीं जनवरी १६३१ : जब मामला पेश हुआ तो सरकारी वकील ने मामला स्थगित करने के लिए प्रार्थना की। सरकारी वकील ने कहा, कि चूँकि श्री० सीताराम फ़रार अभियुक्त सक्खर में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, इस कारण जब तक वह लाहौर न लाए जाएँ मामला स्थगित कर दिया जाय।

२६ जनवरी १६३१ : आज षड्यंत्र केस अभियुक्तों को ठीक दस बजे कचहरी में लाया गया। अभियुक्तों ने आते ही 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' 'भगत सिंह ज़िन्दाबाद' इत्यादि क्रान्ति-कारी नारे लगाए।

## इन्द्रपाल का बयान

इक़बाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि रात्रि के समय श्री० भगवतीचरण, यशपाल, जाट तथा मैंने जाकर रेलवे लाइन के नीचे बम गाड़ दिए। हम घर से दस बजे गए थे और प्रातःकाल ४ बजे हम सारे काम से निश्चिन्त होकर लौटे। उस रात को बहुत ठण्ड पड़ रही थी। इसलिए कोई मनुष्य उस समय उस स्थान पर नहीं आता-जाता था। हम बहुत से तारों के गुच्छे साथ ले गए थे। इनकी लम्बाई लगभग ३०० फ़ीट होगी। कुहरे के मारे कुछ सूझ नहीं पड़ता था। ज्यूँ-त्यूँ करके हमने बमों को दबा दिया और तार का एक सिरा


उनके साथ जोड़ दिया। तार का दूसरा सिरा हमने कुएँ की मेंड़ के पास लाकर छोड़ दिया, और तार महीन घास इत्यादि से ढाँप दिया। यह सब हमने २१-२२ की रात को किया। जब हम मकान पर वापस आए तो हंसराज तथा अमीरचन्द वहाँ पर उपस्थित थे।

मि० सलीम (जज)—आपके पहले बयान में लिखा है कि अमीरचन्द अभियुक्त सबेरे नौ बजे आया।

इन्द्रपाल—यह मेरा बयान नहीं है, यह पुलिस ने स्वयं जोड़ दिया होगा।

गवाह ने कहा कि २२ दिसम्बर को हंसराज ने स्विच फ़िट किए। हंसराज बाज़ार से एक दर्जन बैटरियाँ मोल ले आया था। वह बैटरियाँ एक बक्स में लगा कर तार के साथ एक स्विच से फ़िट कर दी गईं। हम बक्स लेकर रेलवे लाइन पर गए, और सारे बन्दोबस्त का फिर से निरीक्षण किया। रात के नौ बजे हम नई देहली में वापस लौटे। वहाँ अमीरचन्द इत्यादि सब सामान बाँध कर सोए थे।

उसी रात को एक व्यक्ति आसफ़ नामी आया और यशपाल से बातें करके चला गया। जब हम रात को बातें कर रहे थे तो हंसराज ने शीशी निकाल कर दिखाई और कहा कि आक्रमण करने के समय यदि कोई देख ले तो इस शीशी को खोल देना। सब बेहोश हो जाएँगे। मुझे पता नहीं, कि आक्रमण के लिए कौन चुना गया था, परन्तु मेरा अनुमान है, कि यशपाल को यह काम सौंपा गया था।

## वॉयसरॉय पर आक्रमण

२३ दिसम्बर को मैं और हंसराज लाहौर वापस लौट आए।



दूसरे दिन हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि वॉयसरॉय की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया है, परन्तु वॉयसरॉय बच निकला।

इन्हीं दिनों मेरी भेंट सरनदास अभियुक्त से हुई। उसकी बातचीत से मुझे पता चला कि वह क्रान्तिकारी विचारों का है। उसने मुझे ऐसी पुस्तकें मोल लेने को कहा, जिनमें क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया गया हो। मैंने 'बन्दी-जीवन', 'विजया' आदि पुस्तकें मोल ले लीं।

२८ दिसम्बर को श्रीमती दुर्गावती ने मुझे एक पत्र दिया। वह पत्र अमीरचन्द के लिए था, परन्तु बहुत ढूँढ़ने पर भी वह मुझे न मिला। मैंने इसे फाड़ कर पढ़ा। इसमें साईकिल के सम्बन्ध में कुछ लिखा था। कुछ दिन के पश्चात् अमीरचन्द मुझे मिला तो मैंने उसे पत्र के सम्बन्ध में सब कुछ बता दिया।

२ जनवरी को मैंने पञ्जाब प्रिन्टिङ्ग प्रेस के पीछे एक मकान ले लिया। इस मकान में मैं अपने छोटे भाइयों के साथ रहा करता था। पण्डित रूपचन्द ग्वालमण्डी वाली बैठक ही में रहने लगा।

## श्रीमती दुर्गा का पत्र

एक दिन धर्मपाल अभियुक्त श्रीमती दुर्गावती का पत्र लेकर मेरे पास आया। उसमें लिखा था कि सनातन-धर्म कॉलेज के सामने सन्ध्या के समय एक मनुष्य मुझे मिलेगा। मैं इस आज्ञानुसार नियत स्थान पर पहुँच गया। वहाँ मेरी श्रीयुत भगवतीचरण जी से भेंट हुई। श्री० भगवतीचरण ने मुझे बताया कि यशपाल को पञ्जाब प्रान्त का सञ्चालक बना दिया गया है, इस कारण से वह पञ्जाब में मेरे पास ठहर कर काम करेगा। मैंने उसको अपने पास आश्रय देना स्वीकार कर लिया। इसके



पश्चात् मैं तथा हंसराज वहाँ से लौट आए। श्री० भगवतीचरण, यशपाल, जाट तथा अमीरचन्द मेरे मकान पर ही रहे।

इन्हीं दिनों यशपाल ने मुझे बताया कि वॉयसरॉय पर आक्रमण के लिए उसको क्यों चुना गया था। श्री० भगवतीचरण, चूँकि सारे दल के सञ्चालक थे, इस कारण यह काम यशपाल को, जो केवल प्रान्तीय सञ्चालक था, सौंपा गया था। दूसरे वह फ़ौजी वर्दी, जो कि आक्रमण के समय काम में लाई जाने वाली थी, यशपाल के अतिरिक्त किसी दूसरे को पूरी न आती थी।

श्रीयुत भगवतीचरण तथा यशपाल इन दिनों मेरे मकान पर रहा करते थे। इन्हीं दिनों श्रीयुत चन्द्रशेखर भी मेरे पास आए और दूसरे क्रान्तिकारियों से मिले। मुझे श्रीयुत भगवती-चरण ने बहुत-सी हिदायतें कीं, कि काम किस प्रकार से करना चाहिए।

३० जनवरी १९३१ : इक़बाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि श्रीयुत भगवतीचरण के साथ बातचीत करने के बाद मैंने श्री० यशपाल का ठहराना स्वीकार कर लिया। २ जनवरी को श्रीमती दुर्गादेवी ने श्री० धर्मपाल के द्वारा मुझे अपने मकान पर बुलाया और कहा कि सन्ध्या के छः बजे एक व्यक्ति रेशमी रूमाल हाथ में लिए गोलबाग़ में तुम्हें मिलेगा। उसका नाम शिव होगा। वह जो कुछ पूछे बता देना। मैं सन्ध्या को नियत स्थान पर पहुँचा। कुछ काल तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् एक व्यक्ति हाथ में रेशमी रूमाल लिए हुए आया। उसने मुझसे श्रीयुत भगवतीचरण तथा श्रीयुत यशपाल का पता पूछा, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दो-तीन दिन में इनका पता बताऊँगा।

कुछ दिन पश्चात् श्री० यशपाल लाहौर आया तो मैंने उसे

श्री० शिव की बाबत बताया, परन्तु मुझे पता चला कि वह उससे पहले ही मिल चुका है।

## विप्लव-दल का सङ्गठन

श्री० यशपाल ने मुझे बताया कि जब कोई घोषणा "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" की ओर से की जाती है, तो उसके नीचे बलराज के हस्ताक्षर रहते हैं। यदि कोई घोषणा "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन" की ओर से की जाती है, तो उसके नीचे प्रेजिडेण्ट "कर्तारसिंह" के हस्ताक्षर रहते हैं! 'बलराज' को कमाण्डर-इन-चीफ़ और 'कर्तार सिंह' को प्रेजिडेण्ट लिखा जाता है। रिपब्लिकन एसोसिएशन का काम क्रान्तिवाद का प्रचार करना है। 'रिपब्लिकन आर्मी' का काम 'एक्शन' करना है। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का मेम्बर हिन्दुस्तान आर्मी का मेम्बर भी हो सकता है। मेम्बर बनने के तीन स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में व्यक्ति सहायक होता है, फिर धीरे-धीरे उसको 'सदस्य' होने के पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं।

## "फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ बॉम"

श्रीयुत यशपाल अपने साथ बहुत से परचे पञ्जाब में बाँटने के लिए लाया था। जिनका शीर्षक "फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ बॉम" था। मैंने यशपाल से पूछा कि इतने परचे तुमने कहाँ से लिए हैं। उसने कहा कि पार्टी का एक प्रेस कलकत्ता में है, वहाँ पर एक पुस्तक भी छप रही है, जिसका नाम "वार ऑफ़ इण्डिपेण्डेन्स" है। यह पुस्तक सरकार द्वारा ज़ब्त थी।

कुछ दिनों के पश्चात् मैं और श्री० यशपाल रावलपिण्डी गए और वहाँ पर "फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ बॉम" नामक परचे बाँट



दिए। वहाँ पर हमारी भेंट श्रीयुत सरनदास, श्रीयुत हरीराम पहलवान तथा श्रीयुत गोपालकृष्ण से हुई।

२ फ़रवरी, १६३१ : आज सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नए षड्यन्त्र-केस के अभियुक्तों को पेश किया गया। अभियुक्तों ने कचहरी में आकर राष्ट्रीय गीत गाए और क्रान्तिकारी नारे लगाए।

इक़बाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि जब श्रीयुत यशपाल कराची से वापस आया तो वह मुझे श्रीयुत गुलाबसिंह की बैठक पर मिला। उसके पास एक सूट-केस था, जिसमें बहुत-सी शीशियाँ थीं। मुझे श्रीयुत यशपाल ने बताया, कि यह सामान इस्लामिया कॉलेज से चुराया गया है।

कुछ समय के बाद श्रीयुत यशपाल, श्रीयुत अमीरचन्द तथा एक और नवयुवक एक मोटर-साइकिल लाए। श्रीयुत यशपाल ने कहा कि इस मोटर-साइकिल कि मरम्मत करवाना है। श्री० अमीरचन्द वह मोटर-साइकिल मरम्मत के लिए मिस्त्री को दे आया।

फ़रवरी के अन्त में श्री० यशपाल ने मुझे लायलपूर भेजा। मैं वहाँ जाकर पुरानी सराय में ठहरा। रात के समय मुझसे श्री० हंसराज मिलने आया।

मैंने एक बण्डल, जो श्री० यशपाल ने मुझे दिया था, श्री० हंसराज को दे दिया। मैंने श्री० हंसराज को यह भी बताया कि श्री० यशपाल ने गैस बनाने वाली दवाई का प्रबन्ध कर लिया है। श्री० हंसराज के साथ एक और नवयुवक भी मुझे मिला था, परन्तु वह इस समय अभियुक्तों के कटघरे में नहीं है। मैं जब पुलिस की हिरासत में भी तो पुलिस वालों ने मुझे



श्री० धर्मवीर अभियुक्त को शिनाख्त करने को कहा था। तब मैंने पुलिस के डर से ऐसा ही किया।

जज—क्या तुम्हें कहा गया था, कि श्री० धर्मवीर की शनाख्त करो ?

गवाह—हाँ, मुझे पुलिस अफ़सरों न कहा था, कि उनकी शनाख्त करनी है।

जज—आपने ऐसा क्यों किया !

गवाह—मुझे वादा-मुआफ़ी का लालच दिया गया था। इसलिए मैंने ऐसा किया।

मैंने इक़बाली गवाह बनना, इसलिए स्वीकार नहीं किया था, कि मैं झूठी गवाही देकर निर्दोष नवयुवकों को धराऊँ। परन्तु उस समय यदि मैं शनाख्त न करता तो मेरी शामत आ जाती। पुलिस वाले मार-मार कर मेरा कचूमर निकाल देते।

जज—क्या आपने गिरफ़्तारी से पहले कभी श्री० धर्मवीर अभियुक्त को देखा था ?

गवाह—नहीं।

जज—आपने श्री० धर्मवीर अभियुक्त को कब देखा ?

गवाह—पहले-पहल मुझे श्री० धर्मवीर क़िलाशाही में बड़ी दूर से दिखाया गया। वहाँ से मैं उसे अच्छी तरह से नहीं देख सका। इसलिए मैंने पुलिस-अफ़सरों को कहा कि इसे मेरे पास लाया जाए। चुनान्चे पुलिस वाले मेरे पास आए और मैंने उसे सहज ही में शनाख्त कर लिया।

जज—क्या आपने तकलीफ़ों से डर कर यह बयान दिया था ?

गवाह—मैंने तकलीफ़ों से डर कर बयान नहीं दिया था, बल्कि मेरे साथ वादा-मुआफ़ी की प्रतिज्ञा की गई थी, इसलिए



मैंने ठीक-ठीक बयान दे दिया था। मुझे यह कदापि ज्ञात नहीं था, कि प्रतिज्ञा करने पर भी मुझे झूठ बोलने को विवश किया जायगा।

वकील सफ़ाई—अभियुक्त श्री० धर्मवीर का बयान भी ले लिया जाय। जिससे यह सिद्ध हो सके, कि वहाँ पर अभियुक्त को इक़बाली गवाह को दिखाया गया था।

सरकारी वकील—इस समय अभियुक्त का बयान लेना उचित नहीं। इक़बाली-गवाह से जिरह करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि उसने अभियुक्त श्री० धर्मबीर को देखा था।

## श्री० धर्मवीर का बयान

इक़बाली गवाह को कचहरी से बाहर भेज दिया गया और अभियुक्त श्री० धर्मवीर का बयान आरम्भ हुआ।

अभियुक्त ने कहा कि मैं वह स्थान दिखा सकता हूँ, जहाँ पर मुझे इक़बाली गवाह को दिखाया गया था। क़िले में एक बेरी का वृक्ष है, पास ही एक घर है, जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं। उसके दाहिनी ओर शौचालय है। मुझे सैयद अहमद-शाह हथकड़ी लगा कर ले गया था।

इक़बाली गवाह ने अभियुक्त के इस बयान का समर्थन किया। अपना बयान जारी रखते हुए गवाह ने कहा—श्री० प्रेमनाथ फ़रार अभियुक्त मेरे मकान पर आया करता था। वह प्रायः वैज्ञानिक यन्त्र तथा दवाइयाँ खरीद कर लाया करता था। कई बार गैस बनाने का उद्योग किया गया, परन्तु सफलता नहीं हुई।

एक दिन एक व्यक्ति, जिसका पार्टी-नाम 'आसफ़' था, मेरे मकान पर आया। आसफ़ का असली नाम मुझे विदित नहीं।



श्रीयुत भगवतीचरण तथा हंसराज उस समय मेरे मकान पर थे। आसफ़ को एक सप्ताह पहले मैंने अपनी बैठक में देखा था। वह व्यक्ति मुसलमान नहीं था; क्योंकि मैंने कभी उसे अल्लाह का नाम लेते नहीं सुना था। इसकी आयु २४-२५ वर्ष के लगभग थी। वह पञ्जाबी और उर्दू अच्छी तरह नहीं बोल सकता था, अङ्गरेज़ी बहुत तेज़ी से बोलता था। वह श्री० यशपाल के लिए चाय पीने के बर्तन लाया था।

३री फ़रवरी १९३१: इक़बाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुये कहा, कि मार्च के अन्तिम सप्ताह में यशपाल मुझे लायलपूर ले गया। वहाँ पर हम हंसराज से मिले। हंसराज ने हमको एक गुलदस्ता दिखाया और बताया, कि इस गुलदस्ते का ऊपर का भाग काट कर नीचे के भाग से बम का खोल बनाया जायगा। इस खोल को साठ भागों में विभाजित किया जायगा। जब बम चलेंगे तो इसके सात टुकड़े हो जायँगे। हमने गुलदस्ते की स्कीम को पसन्द किया और दूसरे दिन लाहौर वापस आ गए।

## सरदार भगत सिंह को छुड़ाने का उद्योग

इन दिनों भी यशपाल मेरे ही साथ रहता था। एक दिन यशपाल ने मुझे कहा कि पार्टी ने जेल-एक्शन करने की आयोजना की है। जेल-एक्शन का अर्थ यशपाल ने मुझे बताया, कि सरदार भगतसिंह, श्रीयुत दत्त और इनके अन्य साथियों को छुड़ाना है। इस एक्शन के लिए एक ऐसी गैस तैयार करनी थी, जिससे सारे पहरेदार, सिपाही और जज लोग बेहोश हो जायँ। अभियुक्तों को दूसरी गैस सुँघा कर होश में रखने का विचार था।



## "गोली से उड़ाया जायगा"

यशपाल ने मुझे बताया, कि उन अभियुक्तों को, जिन्होंने लाहौर षड्यन्त्र केस में इक़बाली बयान दिए हैं या किसी दूसरे प्रकार से पुलिस की तफ़तीश में सहायता की है, उनको गोली से उड़ा दिया जायगा। जिन अभियुक्तों को प्राण-दण्ड दिया जाना था, उनमें श्रीयुत सुखदेव, जिनको फाँसी का दण्ड मिला है, का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अमीरचन्द अभियुक्त को कचहरी का निरीक्षण करने के लिए, कई बार भेजा गया। मैं भी प्राय: उसके साथ जाया करता था। हमने कचहरी का एक नक़्शा तैयार किया। परन्तु गैस बनाने में असफलता हुई। इसलिए जेल-एक्शन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। गवाह ने कहा कि निम्न-लिखित अभियुक्तों को छुड़ाने का निश्चय था। सरदार भगत सिंह उर्फ़ रणजीत, श्री० प्रतापसिंह उर्फ़ कुन्दनलाल, श्री० डॉक्टर गयाप्रसाद, श्री० कमलनाथ तिवारी, श्री० जितेन्द्र-नाथ सान्याल, श्री० अजय कुमार घोष, मास्टर आज्ञाराम, श्री० विजय कुमार सिन्हा, श्री० किशोरीलाल, श्री० प्रेमदत्त, श्री० महाबीर सिंह, श्री० राजगुरु, श्री० बकुटेश्वर दत्त। बाक़ी अभियुक्तों को गोलियों से उड़ाने का निश्चय किया गया था।

एक दिन श्री० हंसराज मेरे पास आया और उसने कहा कि यशपाल मुझ पर कुछ नाराज़ है। इसलिए मुझे किसी सीनियर मेम्बर से मिलाओ। मैंने उसे श्री० भगवतीचरण से मिला दिया। यशपाल मुझ पर बहुत नाराज़ हुआ और मुझे गोली से उड़ा देने की धमकी दी।

## सरदार भगतसिंह को विप्लव-दल का वचन

श्री० भगवतीचरण ने हमें एक दिन बताया, कि जब



श्री० सरदार भगतसिंह तथा श्री० बटुकेश्वर दत्त को एसेम्बली में एक्शन के लिए भेजा गया था तो उनसे कहा गया था, कि तुमको बलपूर्वक पुलिस के कब्जे से निकाल लिया जायगा। पार्टी जो वचन दे चुकी है, उसे पूरा करने का विचार कर रही है। इसलिए यह कार्य शीघ्र ही किया जायगा।

४थी फ़रवरी १६३१ : आज इक़बाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि मेरे मकान पर श्री० भगवतीचरण, यशपाल, शिव तथा मेरा छोटा भाई दीनानाथ रहते थे। कभी-कभी श्री० दुर्गादेवी, श्री० धनवन्तरी तथा सिराजउद्दौला आया करते थे। सिराजउद्दौला श्री० सुखदेवराज का पार्टी-नाम था। श्री० प्रेमनाथ भी कभी-कभी वहाँ आया करता था। मैंने उस मकान पर आना-जाना बन्द कर दिया, क्योंकि वहाँ सारा दिन साइकिलों का ताँता लगा रहता था।

एक दिन मैंने उस मकान पर एक लड़की को देखा। यशपाल ने कहा, इस लड़की को बहुत छुपा कर लाहौर के बाहर कहीं रक्खा जायगा। मैं प्रेम के साथ रावलपिण्डी लड़की का प्रबन्ध करने गया, परन्तु सफल न हुआ। एक दिन मैंने एक और अपरिचित लड़का, जिसकी आयु १६-१७ वर्ष की होगी, मकान पर देखा। उसको "लॉट" के नाम से पुकारा जाता था। कुछ दिनों बाद, श्री० भगवतीचरण के आदेशानुसार श्री० हंसराज से बम के खोल लेने के लिए गया। श्री० हंसराज, श्री० अमीरचन्द और मैं तीन बक्सों में सामान बन्द कर के लाहौर लाए। उस समय मकान पर श्री० भगवतीचरण तथा अन्य मेम्बर उपस्थित थे। सब ने बम के खोल देखे और पसन्द किए।

६वीं फ़रवरी १६३१ : आज ट्रिब्यूनल के सम्मुख लाहौर



षड्यन्त्र-केस की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर इन्द्रपाल ने कहा, कि हंसराज ने मुझसे कहा, कि मुझे चन्द्रशेखर आज़ाद और भगवतीचरण ने पञ्जाब का सञ्चालक नियुक्त किया है।

## पुलिस ने अभियुक्तों के बयान लिखे

कुछ दिनों के बाद हरिराम और कृष्णगोपाल अभियुक्त लाहौर आए और मुझसे मिले। मैंने जो यह बयान दिया था, कि वे पार्टी-सम्बन्धी कार्य से लाहौर आए थे, ग़लत है। बात यह थी, कि पुलिस ने बयान लिखे थे और मैंने वे ही मैजिस्ट्रेट के सामने दुहरा दिए थे।

मि० सलीम—क्या तुम्हारा मतलब यह है कि कृष्णगोपाल, हरिराम, जहाँगीरीलाल और महाराजकिशन पार्टी के मेम्बर नहीं थे।

मुख़बिर ने कहा कि बाद में जहाँगीरीलाल पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। मैं महराजकिशन को नहीं जानता। हरिराम और कृष्णगोपाल पार्टी के सदस्य नहीं थे। क्योंकि वे पार्टी के नियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित नहीं किए जा सकते थे।

प्र०—फिर वे गिरफ़्तार क्यों किए गए थे?

उ०—पुलिस ने ऐसे ही एक व्यक्ति को अपने जाल में फँसाने की कोशिश की थी, जिसका थोड़ा भी सम्बन्ध पार्टी के किसी सदस्य से था।

मि० सलीम—पुलिस ने तुम्हारे और रूपचन्द के भाई को क्यों गिरफ़्तार नहीं किया?

उ०—मेरा भाई सरकारी गवाह बना लिया गया था और इस प्रकार वह पुलिस का मतलब सिद्ध कर सकता था। रूपचन्द का भाई उम्र में बहुत छोटा था।



प्र०—तुम यह किस प्रकार कहते हो कि हरिराम और कृष्णगोपाल पार्टी के सदस्य नहीं बनाए जा सकते थे ?

उ०—पार्टी में सम्मिलित होने के लिए सदस्य की आयु १८ और २५ वर्ष के अन्दर होनी चाहिए, परन्तु हरिराम की उम्र उससे ज्यादा थी। एक नियम यह भी था कि कोई सरकारी नौकर पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। कृष्णगोपाल सरकारी नौकर था और इसलिए वह पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था।

इसके बाद मुखबिर ने कहा, कि कोई भी सदस्य पार्टी में ३५ वर्ष की आयु तक रह सकता था। नियम प्रकाशित नहीं किए गए थे, सञ्चालक के पास रहते थे। लाहौर षड्यन्त्र-केस के बाद नियमों में परिवर्तन किया गया था और उन परिवर्तित नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य उन्हीं बातों के सम्बन्ध में जान सकता था, जिनका उससे खास सम्बन्ध था। यह नियम इसलिए बनाया गया था कि यदि कोई सदस्य गिरफ़्तार हो जाय तो वह पार्टी के अन्य सदस्यों की कार्यवाही का भण्डा न फोड़ सके, जैसा कि पहले षड्यन्त्र-केस में हंसराज और फणीन्द्रनाथ मुखबिरों ने किया था। नियम बड़ी सख्ती से पाले जाते थे।

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि शिव, जो लापता है, मेरे पास आया, मुझसे बम और रिवॉल्वर लाने के लिए कहा। मैं जहाँगीरीलाल के घर गया और मैंने एक ट्रङ्क में एक रिवॉल्वर और आठ बम बन्द करे, वह शिव को दे दिया। २८ वीं मई को जब मैं एस० डी० स्कूल अपने भाई को देखने जा रहा था, तब शिव रास्ते में मुझसे मिला और उसने मुझसे कहा कि भगवतीचरण, सुखदेवराज और शिव के साथ रावी



के तट पर एक बम की परीक्षा करने गया था। बम भगवती-चरण के हाथों में ही फट पड़ा था और वह उससे सख्त घायल हो गया था। सुखदेव को भी चोट पहुँची थी। मैं शिव के साथ रावी के उस पार ६७ नम्बर के पत्थर (सीमा) के पास गया और वहाँ भगवतीचरण को हाथ में एक पिस्तौल लिए घायल पड़ा देखा। भगवतीचरण ने अपने चङ्गे होने की निराशा प्रकट की। मैं शिव की बाईसिकल पर भगवतीचरण के लिए दवाई और रुई लेने शहर आया। मैंने अपनी आत्म-रक्षा के लिए शिव से एक रिवॉल्वर भी ले लिया था। गुलाबसिंह, हंसराज और अन्य व्यक्ति बैठक में थे और शिव से घटना का हाल सुन चुके थे। आवश्यक सामान लेकर मैं गुलाबसिंह और रूपचन्द के साथ वापस गया। हंसराज पार्टी का सञ्चालक था और इसलिए वह मेरे साथ नहीं गया।

जलपान के पश्चात् अपना बयान प्रारम्भ करते हुए इन्द्रपाल ने कहा, कि एक दिन मैंने दो ऑफ़िसरों को हरिराम के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए सुना। एक ऑफ़िसर ने कहा कि हरिराम हिन्दू-मुस्लिम दङ्गे में बच गया था, उसे इस मामले में अब अवश्य फँसाना चाहिए। फिर उसने उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में कहा, कि मेरे साथी भूल कर मिण्टो-पार्क में चले गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तब एक कॉन्स्टेबिल ने उनसे उनके वहाँ बैठने का कारण पूछा। मैंने उसे एक सिगरेट देकर वहाँ से हटा दिया। सवेरे शिव मेरे पास आया और उसने कहा, कि मेरे आने के एक घण्टे बाद भगवतीचरण की मृत्यु हो गई। शिव ने यह भी कहा, कि उसका शव जङ्गल में दफ़ना दिया गया है। उसने यह भी कहा कि भगवतीचरण के साथ सुखदेव रावी गए थे और दोनों ने अपनी साईकिलें मल्लाह के पास छोड़ दी थीं। सुखदेवराज का



नाम सुनने का यह मेरा पहला अवसर था। शिव ने मुझसे मल्लाह के पास से साइकिलें लाने और उसे कुछ इनाम देने के लिए कहा। मैंने साइकिलें लाकर सुखदेव को दे दीं। मैं जहाँगीरीलाल के यहाँ गया और उसे भगवतीचरण की मृत्यु का सारा हाल सुना दिया।

१७ वीं फ़रवरी, १६३१ : आज जब लाहौर षड्यन्त्र केस का मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो अभियुक्तों की ओर से वकील-सफ़ाई ने एक प्रार्थना-पत्र, इस आशय का दिया, कि चूँकि सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही इस मामले में आवश्यक है, इस कारण से इन तीनों नवयुवकों की फाँसी रोक दी जाए।

प्रार्थना-पत्र इस प्रकार था :

"अभियुक्तों की ओर से १६वीं फ़रवरी को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया गया था, कि गत लाहौर षड्यन्त्र-केस के तीन अभियुक्त सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव, जिनको फाँसी-दण्ड दिया जा चुका है, इस मामले में आवश्यक गवाह-सफ़ाई हैं, अतएव उनकी फाँसी को रोकने का प्रयत्न किया जाए, ताकि उनकी गवाही इस मामले में हो सके।"

अदालत ने उस प्रार्थना-पत्र पर विचार करके वकील-सफ़ाई से यह पूछा था, कि किन-किन विषयों पर इन व्यक्तियों की गवाही आवश्यक है ? उसी आज्ञानुसार, हम यह बताना चाहते हैं, कि सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही निम्न-लिखित विषयों पर आवश्यक है :

( १ ) सरकारी गवाहों ने जो हिन्दुस्तान सोशिलिस्ट



रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा आर्मी का इतिहास, सङ्गठन तथा प्रणाली बताई है, उसे झूठ सिद्ध करने के लिए ;

( २ ) सरकार के इस कथन को झूठ सिद्ध करने के लिए, कि नए षड्यन्त्र-केस के अभियुक्तों ने उस दल से मिलकर सरकारी अफ़सरों को मारने के लिए षड्यन्त्र रचा ;

( ३ ) उक्त दल द्वारा पञ्जाब में जो कार्य किए गए बताए जाते हैं, उनको झूठ सिद्ध करने के लिए ;

( ४ ) इक़बाली गवाह-इन्द्रपाल के उस कथन को झूठ सिद्ध करने के लिए, जिसमें उसने यह बताया है, कि नौजवान भारत-सभा क्यों बनाई गई ;

( ५ ) यह पता लगाने के लिए, कि जिन अभियुक्तों को फ़रार बताया जाता है, वह सचमुच ही फ़रार हैं, अथवा उनका अस्तित्व कपोल-कल्पित है ;

( ६ ) यह पता लगाने के लिए, कि अभियुक्तों के जो उपनाम बताए जाते हैं, वह ठीक हैं या झूठ, और सरकारी गवाहों के बयानों में कोई सचाई भी है, कि नहीं ;

( ७ ) यह पता लगाने के लिए, कि विप्लव दल के दो भागों में बट जाने की कहानी, जो इन्द्रपाल ने बयान की है, वह सत्य है या झूठ ;

( ८ ) इन्द्रपाल के उस कथन की वास्तविकता की जाँच करने के लिए, जिसमें उसने बताया है, कि विप्लव-दल के नियम सन् १९२९ में बदले गए थे ;

( ९ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्या कोई सम्बन्ध इस केस के अभियुक्तों तथा पिछले षड्यन्त्र-केस के अभियुक्तों में रहा है ;



( १० ) यह पता लगाने के लिए, कि कभी सरदार भगतसिंह की भेंट इन्द्रपाल इक़बाली गवाह से हुई थी ;

( ११ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्या कभी सरदार भगतसिंह काकोरी के शहीदों की फ़ोटो के नीचे, इन्द्रपाल इक़बाली गवाह से कविता लिखवाने के लिए गए थे ;

( १२ ) यह पूछने के लिए, कि क्या श्री० सुखदेव वास्तव में पञ्जाब के सञ्चालक थे ;

( १३ ) यह पता लगाने के लिए, कि सरदार भगतसिंह तथा श्री० बी० के० दत्त को छुड़ाने का जो प्रयत्न किया गया था, क्या वह सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों की सलाह से किया गया था ;

( १४ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्या सचमुच ही श्री० सुखदेव और यशपाल ने इक़बाली गवाह के पास वह सूट-केस रक्खा था, जिसमें कि बम पड़े हुए थे ;

( १५ ) यह पता लगाने के लिए, कि वॉयसरॉय की स्पेशल ट्रेन पर जो बम फेंका गया था, क्या वह वास्तव में श्री० भगतसिंह की सलाह से फेंका गया था ?

इसके सिवाय और भी कई ऐसे विषय पर सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि अभी तक पहले इक़बाली गवाह इन्द्रपाल का ही बयान समाप्त नहीं हुआ, इस कारण यह बताना सम्भव नहीं है, कि किस-किस विषय पर उनकी गवाही की और आवश्यकता पड़ेगी। यह प्रार्थना-पत्र इस समय इस कारण से दिया गया है, क्योंकि यह पता चला है, कि तीनों गवाहों—सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव को, शीघ्र ही फाँसी लगने वाली है। सफ़ाई के लिए इनमें से



प्रत्येक की गवाही आवश्यक है। यदि अभियुक्तों के इस प्रार्थना-पत्र पर ध्यान न दिया गया, तो अभियुक्त अपनी सफ़ाई ठीक प्रकार से न दे सकेंगे।"

ला० श्यामलाल वकील-सफ़ाई ने कहा कि अदालत को इस बात का निश्चय करना होगा, कि क्या श्री० भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही इस मामले में आवश्यक है। फाँसी रोकने का अधिकार केवल प्रान्तीय सरकार को है। इस कारण अदालत कृपया इस प्रार्थना-पत्र को अपने अनुमोदन सहित प्रान्तीय सरकार को भेज दे।

सरकारी वकील ने उत्तर दिया, कि यदि सरदार भगतसिंह और उनके साथियों की गवाही आवश्यक है, तो वह गवाही शीघ्र ही फाँसी लगने के पूर्व ले लेनी चाहिए।

वकील-सफ़ाई—जब तक वादी अपना केस समाप्त नहीं कर लेता, गवाह-सफ़ाई पेश करना क़ानून-विरुद्ध है।

## अदालत का फ़ैसला

अदालत ने फ़ैसला किया, कि यह प्रार्थना-पत्र प्रान्तीय सरकार के पास भेज दिया जाए, क्योंकि अदालत को फाँसी रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

## इक़बाली गवाह का बयान

इसके पश्चात् इन्द्रपाल इक़बाली गवाह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, कि मैं और जहाँगीरीलाल ग्वालमण्डी के मकान पर जाकर बम फ़िट कर आए। मनोहर उसी मकान पर रहा, परन्तु हम वापस लौट आए। दूसरे दिन सवेरे बम फटने की योजना की गई थी। मुझे पता नहीं, कि बम फोड़ने के लिए मोमबत्ती किसने जलाई थी।



१८वीं फ़रवरी इक़बाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि १८ जून की रात को ग्वालमण्डी वाले मकान में बम फ़िट किए गए थे। श्री० मनोहरलाल ने अपनी जेब से पाँच घोषणाएँ, जिनका शीर्षक था "आतशी-चक्कर मैदाने-कारेज़ार में" निकाल कर बम के नीचे रख दिए। सवेरे हम बैठक पर लौटे। वहाँ पर दल के दूसरे सभासद भी उपस्थित थे। साढ़े सात बजे मैं और श्री० गुलाबसिंह ग्वालमण्डी वाले मकान की ओर गए। उस समय मकान में से धुआँ निकल रहा था, और लोग तरह-तरह की गप्पें हाँक रहे थे। कोई कहता था—'बम फट गया।' कोई कहता था—'गोली चल गई।' मैंने समझ लिया, कि छोटे बम ने, जो पुलिस को बुलाने के लिए रक्खा गया था, अपना काम किया है। उस समय तक वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं थी। आधे घन्टे के पश्चात् मैं फिर वहाँ गया, तो पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। मैं सीधा मकान पर न जाकर, एक हलवाई की दूकान पर गया, और वहाँ से दही की छाछ बनवा कर पीने लगा। हलवाई की दूकान पर बैठ कर मैं दूसरे बम के चलने की प्रतीक्षा कर रहा था।

कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात् मैं अपने काम पर 'शेर खालसा' के दफ़्तर में चला गया। सन्ध्या के समय मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि अमृतसर, लाहौर, लायलपूर, गुजरानवाला, शेख़ूपुरा तथा रावलपिण्डी में एक ही समय बम चल गए हैं। मैंने यह भी पढ़ा, कि कुछ पुलिस वाले बम चलने से घायल भी हुए हैं।

### "टके सेर बम"

१६ जून को जब मैं बैठक पर गया, तो वहाँ पर दल के



दूसरे सदस्य भी उपस्थित थे। श्री० रूपचन्द ने कहा कि अब तो टके सेर बम बिकने लगे हैं। एक ही साथ छः शहरों में बम फट गए हैं।

प्रश्न—समाचार-पत्रों ने दल के इस कार्य को किस दृष्टि से देखा था ?

उत्तर—'मिलाप' ने एक अग्रलेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 'देशघातक' जिसमें हम लोगों को बुरा-भला कहा गया था।

२२ जून को श्री० हंसराज मेरे पास आया और उसने मुझे 'मिलाप' के अग्रलेख का उत्तर लिखने को कहा। मैंने एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था "आतशी चक्कर मैदाने कारेज़ार में" मैंने वह लेख श्री० हंसराज को दिखाया और उसने उसे बहुत पसन्द किया।

२५ जून को श्री० हंसराज उसी लेख को बहुत सी कॉपियाँ छपवा कर ले आया। यह घोषणाएँ हम लोगों ने शहर में चिपका दीं।

एक दिन श्री० रूपचन्द ने मुझसे पूछा कि जिन-जिन स्थानों पर बम फटे हैं, वहाँ पर घोषणाएँ भी पाई गई हैं। क्या यह कार्य किसी दल की ओर से किया गया है ? मैंने उसे बताया कि यह काम 'आतशी चक्कर' नामी दल की ओर से किया गया है और मैं उस दल के प्रेस-ब्रांच में काम करता हूँ।

## श्री० भगवतीचरण का स्मृति-चिन्ह

एक दिन मैं और श्री० हंसराज रावी के किनारे उस स्थान पर गए, जहाँ पर श्री० भगवतीचरण जी का देहान्त हुआ था। श्री० हंसराज ने मुझसे कहा था, कि वह वहाँ श्री० भगवती-चरण की आत्मा को बुलाएगा। परन्तु उसे सफलता न मिली।



हमने वहाँ पर हड्डियों का एक ढेर देखकर यह सोचा, कि यह हड्डियाँ श्री० भगवतीचरण की हैं। उस ढेर में से मैंने एक जबड़ा उठा लिया। वहाँ एक गड्ढा था, जिसमें कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे। मैंने यह सोचा, कि यह कपड़े भी श्री० भगवतीचरण के होंगे। मैंने जबड़ा कपड़े में लपेट कर अपने सन्दूक में स्मृति-चिह्न स्वरूप रख लिया।

एक दिन मैं और श्री० हंसराज रावी के किनारे बम की परीक्षा करने के लिए गए। रास्ते में हमको सरदार गुलाबसिंह मिल गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया—चूँकि अब १२ बज चुके हैं, तुम्हारा कोई क़सूर नहीं है।

जज—बारह बजने से तुम्हारा क्या मतलब है ?

गवाह—साधारण तौर पर सिक्खों को बारह बजे के नाम से छेड़ा जाता है। क्योंकि यह बात बहुत प्रसिद्ध है, कि १२ बजे के पश्चात् गर्मी के मारे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह मैंने उससे मज़ाक़ किया था।

इस मज़ाक पर सरदार गुलाबसिंह मेरे साथ हाथा-पाई करने लगा, तो मैंने उसे बता दिया कि मेरे पास बम हैं, और यदि छेड़खानी की तो दोनों मर जाएँगे। सरदार गुलाबसिंह भी मेरे साथ हो लिया। हम तीनों साइकिलों पर चढ़ कर दरिया-रावी की ओर चल दिए।

२२वीं फ़रवरी : मुख़बिर ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि जुलाई के आरम्भ में हम दरिया के किनारे पर बम की परीक्षा करने गए। वहाँ पर हमने एक उपयुक्त स्थान ढूँढ़ कर बम फेंका, जो गिरते ही फट गया। फिर हम वापस लौट आए।



कुछ दिनों के पश्चात् हंसराज ने मुझे बताया कि दल ने उसे गैस तैयार करने के लिए कहा है, ताकि उसके द्वारा सरदार भगतसिंह को छुड़ाया जाय।

मैंने हंसराज के कहने पर दल के वैज्ञानिक-यन्त्र उसे दे दिए। वह सामान मेरे मकान पर पड़ा हुआ था। कुछ दिन पश्चात् हंसराज ने मुझे बताया, कि जब वह गैस बनाने की तैयारी कर रहा था, तो अकस्मात् धड़ाका हो गया। इसलिए गैस तैयार नहीं हो सकी!

## सूट-केस में बम फटा

२५वीं जुलाई को सरदार अमरीकसिंह मेरे पास घबराया हुआ आया। ११ बजे का समय था, सरदार के शरीर पर कुछ घाव भी लगे हुए थे, और वह बहुत परेशान था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि हंसराज ने उसे एक सूट-केस देकर बादामी बाग़ भेजा था, परन्तु सूट-केस में रास्ते में ही धड़ाका हुआ और बहुत-सा धुआँ बाज़ार में फैल गया। इस पर वह लोगों की आँख बचा कर भाग आया। सूट-केस को वहीं पर छोड़ आया था। उसने मुझसे कहा कि हंसराज ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मुझे पहले नहीं बताया था, कि इस सूट-केस में बम रक्खा है।

अगस्त के दूसरे सप्ताह में हंसराज ने मुझे बताया कि सुखदेवराज लाहौर आया है और वह मुझसे मिलना चाहता है। चूँकि दल को यह पता चला है, कि मुझे पुलिस ढूँढ़ रही है, इस कारण से सुखदेवराज इसका पता लगाने आया है। हंसराज ने यह भी कहा कि दल ने १६,०००) रु० खर्च करके मुझे विलायत भेजने का निश्चय किया है, ताकि मैं वहाँ जाकर विज्ञान का अध्ययन करूँ।



इन्हीं दिनों यशपाल मेरे पास आया। यशपाल ने मुझे बताया कि वह दल को छोड़ कर भाग आया है। पूछने पर यशपाल ने मुझे बताया कि क्योंकि उसने विवाह कर लिया है, इस कारण दलवाले उससे नाराज़ हो गए हैं। यशपाल को चन्द्रशेखर आज़ाद ने बुलाया था, परन्तु चूँकि यशपाल को पता लग चुका था कि दलवालों ने उसे दल के नियम भङ्ग करने के अपराध में प्राणदण्ड दिया है, इसलिए वह आज़ाद के पास न जाकर लाहौर भाग गया था।

यशपाल ने मुझे कहा, कि तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूँ। मैंने उसे बताया कि सुखदेवराज तुम्हारे विरुद्ध प्रचार कर रहा है। इस पर यशपाल ने मनोहर और हंसराज से मिलने की इच्छा प्रकट की। मैंने दोनों को उससे मिला दिया।

दूसरे दिन यशपाल ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वह मुझे साथ लेकर जैशीराम ग्राउन्ड में गया। वहाँ पर श्री० धन्वन्तरि और श्री० शव हमको मिले। श्री० धन्वन्तिर ने मुझसे पूछा कि क्या सचमुच सुखदेवराज यशपाल के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम दल की सेन्ट्रल कमिटी के सामने यह बात कहने को तैयार हो। जब सेन्ट्रल कमिटी का अधिवेशन होगा तो तुमको बताया जाएगा।

दूसरे दिन यशपाल मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि तुम दल का साथ दोगे या मेरा। पूछने पर यशपाल ने मुझे बताया कि दल के सदस्यों का विचार है, कि श्री० भगवतीचरण की मैंने हत्या की थी। इसलिए मुझे गोली से उड़ा देने का फ़ैसला किया गया है। उसने मुझसे सहायता की प्रार्थना की। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा।



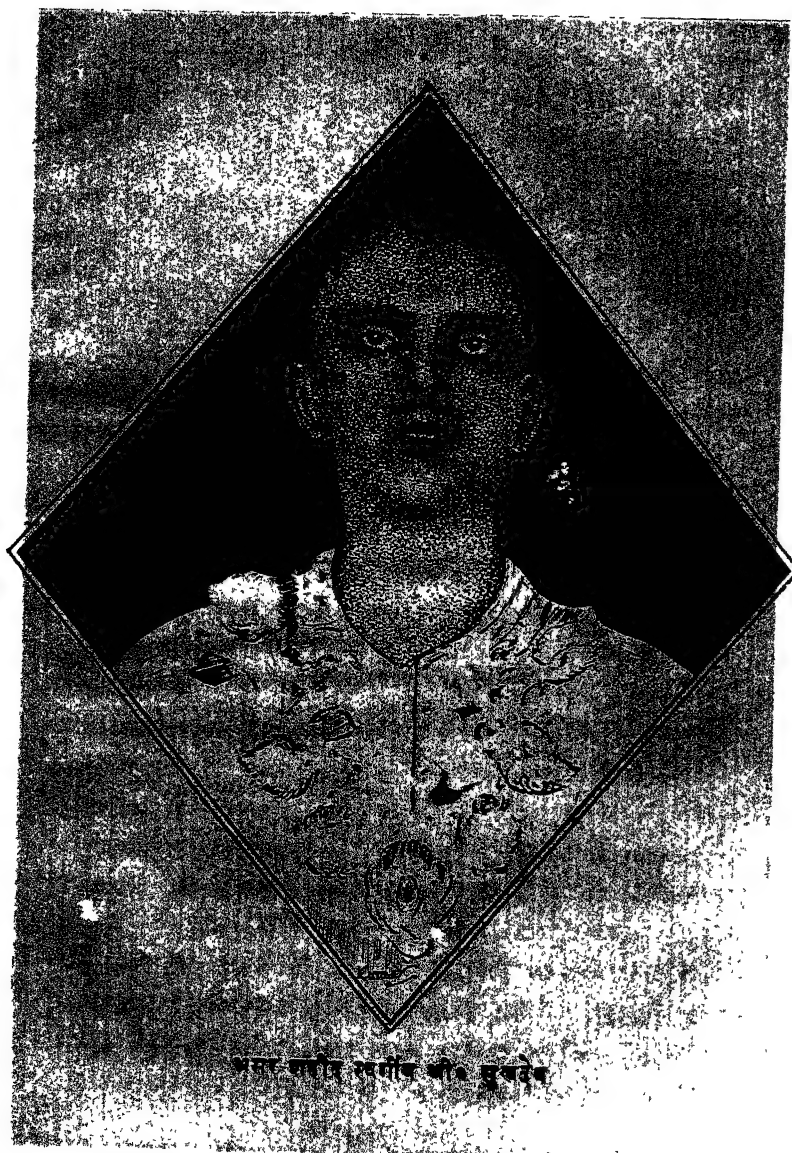
२६वीं फ़रवरी १६३१ : आज स्पेशल ट्रिब्यूनल की अदालत में, मुखबिर इन्द्रपाल का बयान समाप्त हो गया।

मुखबिर ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देते हुए नीचे लिखे स्थानों की शनाख्त की :—

( १ ) वह दूकान, जहाँ से उसने यशपाल के लिए चीजें खरीदी थीं। ( २ ) श्रीमती दुर्गादेवी ( श्रीमती भगवतीचरण ) का घर। ( ३ ) यूनीवर्सिटी ग्राउण्ड का वह स्थान, जहाँ यशपाल ने मुखबिर को रिवॉल्वर से मारना चाहा था, क्योंकि मुखबिर ने क्रान्तिकारी दल के नियमों का उल्लङ्घन किया था। ( ४ ) वह स्थान, जहाँ मुखबिर और हंसराज ने, बम फेंकने की परीक्षा की थी। ( ५ ) वह स्थान, जहाँ दल के सदस्य, भगतसिंह और अन्य अभियुक्तों की लॉरी आने की प्रतीक्षा में, बैठकर ताश खेला था। ( ६ ) वह स्थान, जहाँ चन्द्रशेखर आज़ाद और यशपाल उस दिन ठहरे थे। ( ७ ) सुतर मण्डी में नन्दलाल का मकान। ( ८ ) फ़रार प्रेमनाथ का मकान। ( ६ ) वह स्थान, जहाँ यशपाल की बहिन रहती थी। ( १० ) ग्वाल मण्डी में वह घर, जहाँ १६वीं जून १६३० को बम फटा था।

मुखबिर ने अन्य स्थानों की भी शनाख्त की। उसने उन स्थानों की भी शनाख्त की, जहाँ पुलिस ने झूठी गवाहियाँ दी थीं। उसके बाद उसने कहा कि उसने शहद्रा, रावलपिण्डी, लायलपूर और दिल्ली के भी अनेक स्थानों की शनाख्त की है।

वह चौकीदार, जिसे यशपाल ने दो आने पैसे दिए थे, गवाह को नहीं पहचान सका। पुलिस ने चौकीदार से मुखबिर को शनाख्त करने के लिए कहा, और यह भी कहा, यही षड्यन्त्र-केस में भी गवाह था।



अमर शहीद स्वर्गीय श्री० सुखदेव



जहाँगीरीलाल, जयप्रकाश, कुन्दनलाल, धरमपाल अमीरचन्द, गुलाबसिंह, अमरिकसिंह, रूपचन्द, दयानतराम, भीमसेन, हरिराम, महाराजकिशन और अभियुक्त बंसीलाल को गवाह जानता था। पुलिस ने उससे धर्मवीर की शनाख्त करवाई। उसने धर्मवीर को लाहौर फ़ोर्ट में देखा था।

गवाह ने लाहौर के कई स्थानों को क्षमा किए जाने के पहले ही शनाख्त किया था। अन्य स्थानों को क्षमा के बाद उसने शनाख्त किया।

पब्लिक प्रॉसीक्यूटर रायबहादुर ज्वालाप्रसाद ने कहा कि गवाह ने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, उससे इस बयान में अन्तर है।

लाला श्यामलाल ने कहा कि गवाह विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने सारी कहानी कह दी है। मैजिस्ट्रेट के सामने जिस समय उसने बयान दिया था, उस समय वह पुलिस के दबाव में था। इस समय वह उस दबाव से स्वतन्त्र है।

२७ वीं फरवरी, १९३१ : आज लाहौर के नए षड्यन्त्र का मामला फिर शुरू हुआ। आज मुखबिर इन्द्रपाल से प्रतिवादी दल के वकील ने जिरह किया।

## गिरफ़्तारी की कहानी

लाला श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर इन्द्रपाल ने कहा, वह पुरानी अनारकली में अपने मकान पर गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस के उच्च-कर्मचारी वहाँ मौजूद थे। गवाह को हथकड़ी दे दी गई, और उसे मोटर में बैठा कर लाहौर फ़ोर्ट में लाया गया। दूसरे दिन से पुलिस, उसे फुसला कर उसका बयान लेने लगी। २८वीं अगस्त को मुखबिर को हथकड़ियाँ



पहना दी गईं, और वह अपनी कोठरी से, डी० एस० पी० सैयद अहमदशाह के सामने लाया गया, जिन्होंने उससे १६वीं जून के बम के धड़ाके के सम्बन्ध में पूछा, किन्तु गवाह ने उनसे कुछ नहीं कहा।

## यातनाओं का आरम्भ

इसके बाद गवाह ने कहा कि उसे एक हेड-कॉन्स्टेबिल ने गालियाँ दीं, और तब से उसे यातनाएँ दी जाने लगीं। डी० एस० पी० के सामने ही वह पीटा गया और अनेक प्रकार के कष्ट उसे दिए गए। अन्त में उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं, और उसका हाथ चारपाई से बाँध दिया गया। उसे रात भर सोने नहीं दिया गया और अपने किसी सम्बन्धी से भी उसे नहीं मिलने दिया गया। गवाह को एक छोटे कमरे में बन्द कर दिया गया, और वहीं उसे अपने नित्य-कर्म भी करने पड़ते थे। उसे ज़रा भी हिलने-डोलने नहीं दिया जाता था। गवाह को बुखार हो आया। उसके साथ ऐसा व्यवहार ५वीं ६ठी तारीख़ तक रहा। इसी समय गवाह ने सैयद अहमदशाह से कहा कि यदि उसे माफ़ कर दिया जाय तो वह इक़बाली गवाह बन जायगा।

गवाह ने कहा कि यदि थोड़ा और कष्ट उसे दिया गया होता तो उसकी मृत्यु हो गई होती। सैयद अहमदशाह ने गवाह से कहा था कि गुलाबसिंह मुख़बिर हो गया है, और उसने यह कहा है, कि उसकी (गवाह की) स्त्री और बहिन भी षड्यन्त्र में शामिल हैं, और वे बम बनाने में निपुण हैं। सैयद अहमदशाह ने कहा कि यदि गुलाबसिंह ने अपना बयान दिया तो गवाह की स्त्री और बहिन को जेल जाना पड़ेगा। अपनी स्त्री


और बहिन को इस बेइज्जती से बचाने के लिए गवाह ने मुखबिर बनना स्वीकार किया।

पुलिस ने गवाह से कहा, कि उसका बयान शुद्ध नहीं है, और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के एक हफ़्ता पहले, गवाह को एक लिखा बयान याद करने के लिए दिया गया। गवाह ने उसे अक्षरशः याद कर लिया, और वही बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दिया। जब कभी वह कुछ भूल जाता था, तो मलिक बरखुरदार अली उसे याद दिला देता था। बयान देते समय दो पुलिस के कर्मचारी गवाह के साथ रहते थे।

६ मार्च, १९३१: आज स्पेशल ट्रिब्युनल के सामने लाहौर के नवीन षड्यन्त्र-केस की पेशी हुई। अभियुक्तों के अन्यतम-वकील लाला रामलाल के प्रश्न के उत्तर में इक़बाली गवाह ने कहा, कि मुझे डी० एस० पी० सय्यद अहमदशाह मोटे-मोटे सवालों का जवाब बता दिया करते हैं।

वकील—वह कौन से मोटे-मोटे सवाल हैं, जिनका जवाब आपको बताया जाता था? और आप क्यों इक़बाली गवाह बने?

गवाह—क्योंकि पार्टी के सभी मेम्बरों ने सारी गुप्त बातें प्रकट कर दी थीं; इसलिए मैंने भी भेद खोल दिया और इसीलिए मैं इक़बाली गवाह बना लिया गया। दूसरा सवाल जो मुझे पुलिस अफ़सर ने पढ़ाया था, वह यह था कि अभियुक्तों से दोस्ती और हमदर्दी जाहिर करना। किसी से दुश्मनी न जाहिर करना।

वकील—बयान देने से पहले किसी व्यक्ति को आपने शनाख्त किया था?

गवाह—नहीं।



वकील—आपको पुलिस ने किसी प्रकार की धमकी दी ?

गवाह—मुझे अपना बयान पुलिस के सामने देने के बाद कहा गया, कि अब तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो और अगर तुम बयान न देते तो तुम्हारे भाई, बहनों और स्त्री को गिरफ़्तार कर लिया जाता और उन्हें भी मुक़द्दमे में शामिल कर लिया जाता।

वकील—तुम्हें इससे किसी प्रकार का डर पैदा हुआ ?

गवाह—मुझे डर था कि मेरा भाई दीनानाथ अभियुक्त बना लिया जायगा। परन्तु मुझे दूसरे रिश्तेदारों के लिए कोई डर न था; क्योंकि वे तो मेरा काम करते ही न थे।

वकील—आपने बयान किस लिए दिया ?

गवाह—मैंने बयान इसलिए दिया था, कि मुझे माफ़ी देने का वचन दिया गया था। दूसरी वजह यह थी, कि मैं समझता था कि अगर मैं बयान दे दूँ तो मैं भी बच जाऊँगा और मेरे रिश्तेदार भी गिरफ़्तार न होंगे।

वकील—गिरफ़्तारी के बाद आपका कौन-सा रिश्तेदार शाही क़िले में मिला ?

गवाह—मेरी स्त्री १५ सितम्बर को मुझसे शाही क़िले में मिली थी।

वकील—आपको किस समय मालूम हो गया, कि आपका कोई रिश्तेदार गिरफ़्तार नहीं हुआ है ?

गवाह—मुझे बयान देने से पहले पता लग गया था।

वकील—तुम्हारी इच्छा स्त्री से मिलने की थी या वही तुमसे मिली ?

गवाह—वह मुझसे ख़ुद ही मिली।

वकील—दीनानाथ शाही क़िले में आपसे कब मिला था ?



गवाह—सितम्बर के अन्त में उसने मुझसे बतलाया कि वह मुलाक़ात से एक दिन पहले लाहौर आया है।

वकील—आपने दीनानाथ को बाहर क्यों भेज दिया था?

गवाह—हंसराज ने मुझे बतलाया था, कि हमारी गिरफ़्तारी की सम्भावना है, इसलिए मैंने दीनानाथ को गाँव पर भेज दिया, क्योंकि मुझे डर था, कि वह भी गिरफ़्तार कर लिया जायगा।

वकील—आपने अपनी स्त्री से, जब वह क़िले में मिली थी, क्या कहा था?

गवाह—मैंने उससे कहा था कि अब दीनानाथ की गिरफ़्तारी का खटका नहीं है, इसलिए वह वापस आ जाए क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन यहाँ आने में कष्ट होगा और वह बराबर आकर मुझसे मिल सकता है।

वकील—इसके सिवा आपने स्त्री से और क्या कहा था?

गवाह—मैंने उसको बतलाया था कि मैं इक़बाली गवाह बन गया हूँ।

वकील—१५ सितम्बर से पहले आपने कौन-सी जगह की पहचान की थी?

गवाह—जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उस वक़्त तक भगवती-चरण की मौत की जगह की पहचान की थी।

वकील—आपने लाहौर के दूसरे स्थानों की कब पहचान की?

गवाह—माफ़ी का वचन मिलने के बाद।

वकील—आपने कितनी बार पहचान की?

गवाह—केवल एक बार मैजिस्ट्रेट के सामने।



वकील—रावलपिण्डी में भी आपने कई स्थानों की पहचान की थी?

गवाह—हाँ।

वकील—कौन-कौन यहाँ से गए थे?

गवाह—मि० महमूद, मैजिस्ट्रेट, खाँ साहब अताउल्लाह इन्स्पेक्टर, मलिक बरखुरदार, सब-इन्स्पेक्टर, मियाँ मोहम्मद, हेड-कॉन्स्टेबिल, मेरे साथ लायलपूर गए थे।

वकील—आप लोग किस तारीख को रावलपिण्डी गए थे?

गवाह—याद नहीं। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद।

वकील—क्या आप खैरातीराम की कार पर बैठ कर लायलपूर गए थे?

गवाह—नहीं।

वकील—फिर किस की मोटरकार में गए थे?

गवाह—मि० चमनलाल की कार में जो मि० महमूद के दोस्त थे क्योंकि सी० आई० डी० की मोटर खराब थी।

वकील—वह जगह जहाँ पर आपने खाना खाया था, उस दूकान को ढूँढ़ने के लिए पैदल गए थे, या मोटर पर?

गवाह—मैं पैदल गया था। जब वह दूकान न मिली तो पुलिस ने ज़बरदस्ती मुझ से एक सिक्ख की दूकान शनाख्त करवा ली।

वकील—उस वक्त पुलिसवालों ने उससे क्या सवाल किया और उसने क्या जवाब दिया?

गवाह—पुलिसवालों ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि जिस वक्त की आप बातें करते हैं, उस वक्त मेरी दूकान वहाँ न थी।



वकील—उस सिक्ख दूकानदार ने या आपने उस दूकानदार की शनाख्त की ?

गवाह—न उसने मुझे शनाख्त किया और न मुझसे उसकी शनाख्त कराई गई।

वकील—आपने कितने कारखाने पुलिस को दिखलाए ?

गवाह—एक मैंने अपनी जानकारी से और दूसरा पुलिस के कहने पर दिखाया।

वकील—आप शेखूपूरा कब गए और किस कार में गए और कौन-सा मैजिस्ट्रेट आपके साथ था ?

गवाह—मैं शेखूपूरा मैजिस्ट्रेट के दौरे के समय गया और मिस्टर महमूद के साथ गया।

वकील—वहाँ पर कौन था ?

गवाह—उस मकान में, जिसमें बम का चलना बयान किया गया है, एक बुढ़िया थी।

वकील—उसने आपकी शनाख्त कब की ?

गवाह—२५ दिसम्बर को, लेकिन उसने पुलिस के कहने पर शनाख्त की।

वकील—पहले खैरातीराम सरकारी गवाह बने या तुम ?

गवाह—खैरातीराम।

वकील—आपने मुक़दमे के दौरान में शाही क़िले में किस मुल्ज़िम को देखा ?

गवाह—मैंने जयप्रकाश और भीमसेन को दो-तीन दफ़े देखा—उनको इस वक्त़ हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और वे चारपाइयों से बँधे हुए थे। इस समय मैं भी हथकड़ियों से जकड़ा और चारपाई से बँधा हुआ था।

वकील—क़िले में कितनी हवालातें हैं ?



गवाह—दस-बारह !

वकील—क्या आपका भाई आपसे कभी-कभी मिलता था ?

गवाह—हाँ।

वकील—आपके भाई का बयान किस तरह लिया गया और किस अफ़सर ने लिया ?

गवाह—सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी०, सी० आई० डी० ने मेरे बयान से कुछ ऐसा बयान निकाल लिया था, जो मेरे बयान की ताईद करता था—और वह क़ानूनी पकड़ में नहीं आ सकता था। उन्होंने ही मुझसे कहा कि मेरा भाई दीनानाथ क़ानूनी पकड़ में न आएगा। मुझसे कहा गया कि मैं उससे अदालत में वह बयान देने को कह दूँ, जो सय्यद अहमद-शाह ने लिखा था।

वकील—आपसे सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० ने क्या कहा था ?

गवाह—मुझसे कहा था, कि सरदार गुलाबसिंह को सरकारी गवाह मुआफ़ी के वादे पर बना लिया जावेगा और वह मेरे बयान की पूरी तरह ताईद करेगा।

वकील—क्या आपको मैजिस्ट्रेट के मकान पर रोज़ाना ले जाया जाता था ?

गवाह—ख़ाँ साहब मिस्टर अताउल्ला, मलिक बरखुरदार अली, मियाँ मुहम्मद, हेड-कॉन्स्टेबिल रोजाना मुझे मैजिस्ट्रेट के बँगले पर ले जाते थे।

वकील—क्या पुलिस अफ़सर आपका बयान साथ ले जाते थे ?

गवाह—हाँ।



वकील—आप अपना बयान ख़ुद ही देते थे या मैजिस्ट्रेट के सवालों का जवाब ?

गवाह—मैजिस्ट्रेट ने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया।

वकील—मलिक बरख़ुरदार और तुम कहाँ बैठे रहते थे ?

गवाह—एक कोच पर।

वकील—क्या मलिक बरखुरदार आपका पुलिस वाला बयान हाथ में रखते थे ?

गवाह—हाँ।

वकील—आपको कभी मलिक साहब ने मैजिस्ट्रेट के पास अकेले छोड़ा ?

गवाह—एक मिनिट के लिए भी मुझे मैजिस्ट्रेट के पास अकेला नहीं छोड़ा गया।

वकील—क्या जो बयान आप मैजिस्ट्रेट के रूबरू देते थे वह पुलिस अफ़सर क़िला शाही में ले जाते थे ?

गवाह—हाँ, दूसरे दिन आख़िरी सफ़ा ले आते थे जिसके आगे मेरा बयान शुरू कर दिया जाता था। जब मैजिस्ट्रेट साहब लञ्च के लिए जाते थे तो मैं मलिक बरख़ुरदार अली से मोटी-मोटी बातें पूछ लिया करता था। मुझे मेरा बयान पढ़ कर नहीं सुनाया गया। लेकिन आख़ीर में मैजिस्ट्रेट साहब ने लिख लिया था, कि "पढ़ कर सुनाया गया। दुरुस्त तसलीम किया गया।" इस रोज़ ८ तारीख थी। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे १०वीं नवम्बर लिखवा लिया। मेरे दिल में विचार आया कि मैं कोर्ट में जाकर इन मैजिस्ट्रेटों की चालाकी बयान कर दूँगा।

वकील—आपने उस वक़्त मैजिस्ट्रेट साहब से क्यों नहीं कहा, कि आज ८वीं तारीख़ है और मुझसे १०वीं नवम्बर लिखा रहे हो।



गवाह—अगर मैं ऐसा करता तो मेरे कान अच्छी तरह खींचे जाते और पुलिस मुझे मारती। यहाँ पर मौक़ा है; इसलिए मैं साफ़ बयान कर रहा हूँ।

अपना बयान खतम करने के बाद मुझे न मैजिस्ट्रेट के आगे ले जाया गया और न बयान पढ़ कर सुनाया गया।

वकील—बयान देने के बाद आपके बयान में कोई तब्दीली शाही क़िला में हुई ?

गवाह—मेरे बयान में बहुत-कुछ तब्दीलियाँ की गईं जिसमें से एक मुझे याद है। मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान से एक सफ़ा उड़ा लिया गया और उसकी जगह दूसरा लिख कर रख दिया गया था।

इसके बाद अदालत लञ्च के लिए बरखास्त हुई।

## जलपान के उपरान्त जिरह फिर प्रारम्भ हुई

गवाह—पहले मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, कि १६ दिसम्बर को काकोरी-दिवस मनाया गया। इस जलसे के सभापति पं० हृदयनारायण थे। भगवतीचरण ने व्याख्यान देते हुए १८५७ के 'ग़दर' शब्द का इस्तेमाल किया। सभापति ने कहा कि ग़दर की जगह 'जङ्गे आज़ादी' इस्तेमाल किया जावे। मैंने यह भी बतलाया था, कि मिस्टर भगवतीचरण ने मैजिक लैंण्टर्न से तस्वीरें दिखलाई थीं और तस्वीरों के हालात भी सुनाए थे।

इसके बाद जब यह बयान पुलिस के हाथ आया तो पुलिस ने अपना काग़ज़ निकाल कर देखा कि इस जलसा के सभापति मिस्टर एम० ए० मजीद थे और तस्वीरें मि० केदारनाथ सहगल ने दिखाई थीं। इसलिए पुलिस ने इसके बारे में आपस में


सलाह की। बयान तब्दील करने के लिए मेरे सामने खाँ साहब सय्यद अहमदशाह डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, खाँ साहब शेख नियाज़ अहमद, डी० एस० पी०, खाँ साहब मिर्ज़ा अताउल्ला इन्स्पेक्टर और मलिक बरखुरदार अली ने सलाह की। इसके बाद उन्होंने एक पृष्ठ मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की फ़ाइल से निकाला। दूसरे दिन पुलिस अफ़सर एक पृष्ठ मेरे बयान का ठीक कर के मेरे पास लाया। यह मजिस्ट्रेट के हाथ का लिखा हुआ दिखलाई देता था। जो पृष्ठ मेरे बयान से निकाला गया वह जला दिया गया और जो पृष्ठ दुरुस्त करके लाया गया था वह बयान में शामिल कर दिया गया। इसकी ताईद मेरे बयान से होती है, क्योंकि मैंने अपने बयान में तारीखवार सब बातें बतला दी हैं। दिसम्बर के माह में १८ अप्रैल का बयान है।

जिस जल्से का मैंने ऊपर ज़िक्र किया है, यह असल में 'काकोरी-दिवस' का जल्सा नहीं था, बल्कि लाहौर में एक जल्सा अप्रैल में हुआ था। इसका विवरण मैंने ग़ल्ती से 'काकोरी-डे' के जल्से के ज़िक्र में कर दिया और क्योंकि इससे पहले मैंने यह बयान भी दिया था, कि मैंने भगवतीचरण को लाहौर के जल्सों में व्यांख्यान देते देखा था, इसलिए पुलिस के अफ़सरों ने यह फ़ैसला किया कि मेरे बयान में काकोरी-डे के विवरण का ज़िक्र अप्रैल वाले जल्से में कर दिया जावे और काकोरी-डे के विवरण को बढ़ा दिया जावे इसलिए दूसरे वर्क़ में जो पुलिस दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट से लिखा कर लाई, पुलिस की इच्छानुसार परिवर्तन थे।

प्रश्न—इस बयान में जो परिवर्तन किए गए हैं उसे ज़रा फ़ाइल में दिखला दो जिसको बाद में पुलिस ने दुरुस्त करके


लिखा था। गवाह ने वह बयान दिखला दिया जो पृष्ठ ५ पर था। फिर बयान किया कि जब दोनों बयानों को आपस में मिलाया गया तो इसमें से कई शब्द छूटे हुए थे—उन्हें एक काग़ज़ पर लिखा गया और बाद में मैजिस्ट्रेट साहब से ठीक करवा दिया गया। मैजिस्ट्रेटी बयान में ये शब्द कोने पर लिखे हुए दिखलाए गए।

वकील—इस बयान में कब तब्दीली हुई थी ?

गवाह—मुझे पूरी तरह याद नहीं कि यह तब्दीली मेरे बयान होने के बीच में ही हुई, या बाद में। मुझे जो बयान याद करने के लिए दिया गया था उसमें मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान को भी और बढ़ाया गया था।

वकील—इस बयान के बढ़ाने को तुम भूल समझते हो या बेईमानी ?

गवाह—पञ्जाब पुलिस को मैं बेईमान समझता हूँ। इससे मैं यह नतीजा निकालता हूँ कि पुलिस ने बेईमानी से ही ऐसा किया। मुझे दिसम्बर में मैजिस्ट्रेटी बयान को याद करने के लिए उसकी नक़ल दी गई थी। बाद को यह कॉपी ले ली गई और साइक्लोस्टाइल से छपी हुई दी गई। पुलिस ने कई बार मेरी परीक्षा ली, पर मैं हर बार सफल रहा।

दूसरे सरकारी गवाहों के बयान मुझे १० जनवरी की शाम को दिए गए। वे साइक्लोस्टाइल से छपे हुए थे। एक दिन मेरे सामने किसी पुलिस अफ़सर ने सरनदास गवाह का बयान दिया, जिसमें मैंने पढ़ा कि ७वीं जून को लाहौर में हंसराज, इन्द्रपाल और गुलाबसिंह मेरी मौजूदगी में बम बनाते थे और रावी नदी के किनारे पर गए थे, लेकिन मेरे बयान में इसके विरुद्ध था इसलिए पुलिस अफ़सरों ने आपस में सलाह करके



मौजूदगी के पहले 'अदम' लफ़्ज़ बढ़ाना तय किया और जब मुझे साइक्लोस्टाइल से छपी हुई कॉपी दी गई तब उसमें यह शब्द जोड़ा हुआ था।

सफ़ाई के वकील ने अदालत से यह बयान लेकर देखा तो उसमें 'अदम' शब्द वास्तव में बढ़ा पाया। इसकी ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया और अदालत से प्रार्थना की गई, कि इस बात को नोट कर ले कि यह शब्द स्पष्टतः बाद में बढ़ाया हुआ दिखलाई देता है।

१६ मार्च, १६३१ : श्री० श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि पुलिस ने उसे सरकारी गवाहों की एक सूची और अन्य घटनाओं सम्बन्धी तारीख आदि, इसलिए पहिले ही दे दी थी, ताकि मुखबिर उसे ज़बानी याद कर ले ! मुखबिर का कहना था, कि ट्रिब्यूनल के सामने उसका बयान जिन दिनों हो रहा था, उन दिनों में भी पुलिस उसे बराबर अपनी मनचाही बातें कहने के लिए सिखलाती रही।

प्र०—साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था ?

पुलिस के इस प्रश्न पर आपत्ति करने पर श्री० श्यामलाल ने कहा, कि वे यह बात केवल इसलिए स्पष्ट कराना चाहते हैं, कि साइमन कमीशन के विरोध के सम्बन्ध में ही पञ्जाब में हिंसात्मक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ था, जिसके लिए गवर्नमेण्ट सर्वथा ज़िम्मेदार है। इस पर कोर्ट ने इसी प्रश्न को अन्य रूप में रखने की अनुमति दे दी।

प्र०—उस समय जनता की मनोभावनाएँ क्या थीं ?

उ०—इस गोरी-कमीशन के प्रति जनता में बड़ा असन्तोष फैल रहा था। ( स्वर्गीय ) लाला लाजपतराय के पीटे जाने पर यह असन्तोष और भी अधिक बढ़ गया था।



३१ मार्च, १९३१ : आज नियमानुसार लाहौर के सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने द्वितीय लाहौर षड्यन्त्र वाले मुक़दमे की सुनवाई आरम्भ हुई। अभियुक्त ठीक दस बजे अदालत के कमरे में लाए गए। उन्होंने आते के साथ ही 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' 'भगतसिंह ज़िन्दाबाद' 'श्री० सुखदेव ज़िन्दाबाद' और 'श्री० राजगुरु ज़िन्दाबाद' के नारे लगाए। इसके बाद "लाहौर के अभियुक्त ज़िन्दाबाद" का गगन-भेदी नारा लगा और फिर विलय-गान गाया गया। इसके बाद अभियुक्तों के अन्यतम वकील श्री० अमोलकराम ने इक़बाली गवाह इन्द्रपाल से जिरह आरम्भ की। वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा—जब कैलाश और मैं 'बम की फ़िलॉसफ़ी' शीर्षक इश्तहार बाँटने के लिए रावलपिण्डी गए थे तो वहाँ खाना खाया था। मैंने रावलपिण्डी में ज्ञानचन्द्र मेहरा की तलाश करके पुलिस के सामने उस दूकान की पहचान की थी। यह पहचानं पुलिस के दबाव से की गई थी। इसी जगह मैंने और सरदार गुलाबसिंह ने खाना खाया था। मैंने ज्ञानचन्द्र का नाम पुलिस को नहीं बतलाया था। दरअसल मैंने और सरदार गुलाबसिंह ने वहाँ पर कभी खाना नहीं खाया था। पुलिस-अफ़सर ने मुझे बतलाया था, कि यह पहचान १५ जून के सिलसिले में कराई जा रही है। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सराय की पहचान मैजिस्ट्रेट के समाने की थी तो सराय के मुन्शी को बुलाया गया था, मैंने मुन्शी की पहचान की थी। वास्तविक बात यह है, कि सराय के मुन्शी ने मुझे कभी शनाख्त नहीं किया। मैं उस मुन्शी का नाम नहीं जानता।

इसी अवसर पर अभियुक्त शिवराम ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है; सिर में पीड़ा हो रही है। मुझे जेल में वापस भेज



दिया जाय। इसके बाद हरवंशलाल, वंशीलाल और मलिक कुन्दनलाल ने भी कहा कि हमारी तबीयतें खराब हो रही हैं; हमें भी जेल भेज दिया जावे और हमारी ग़ैर-हाज़िरी में जो कार्रवाई होगी, वह हमें मञ्ज़ूर है। इस पर सब अभियुक्त वापस भेज दिए गए।

इसके बाद मुख़बिर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा— मैंने शेख़ूपुरा में भी कई स्थानों की पहचान की थी। ये सभी स्थान पुलिस ने मुझे पहले ही दिखा दिए थे और ज़बरदस्ती पहचान कराया था। वास्तव में मैं इससे पहले कभी शेख़-पुरा नहीं गया था। गिरफ़्तारी के बाद मैंने शाही क़िले में भीम-सेन और जयप्रकाश को चारपाइयों से बँधे हुए देखा और ये कराह रहे थे। मैं उन्हें आसानी से देख सकता था, क्योंकि उन दिनों मुझे भी चारपाई से बाँध दिया जाता था। यह कमरा मेरी जगह से ४० गज़ के फ़ासले पर था।

शाही क़िले में ही स्पेशल स्टाफ़ ने हमारे मुक़द्दमे की भी बुनियाद रक्खी है। लाहौर के शाही क़िले में १५० के क़रीब अफ़सर, सब-इन्स्पेक्टर, हवलदार और सिपाही रहते हैं। आम-तौर से जब मुझसे किसी आदमी की पहचान कराई जाती थी तो उस आदमी को, जिसे मुझे पहचानना होता था, पुलिस कॉन्स्टेबिलों में बुलाया जाता था। पुलिस कॉन्स्टेबिल शाही क़िले के ही होते थे। कई दफ़ा कुछ पुलिस कॉन्स्टेबिल और दूसरे आदमी भी शामिल किए जाते थे। शाही क़िले में मेरी हजामत पाँचवें-सातवें रोज़ हो जाती थी।

मि० एम० सलीम (ट्रिब्यूनल के एक जज)—कैसी हजामत? जूतियों से या उस्तुरे से अथवा मार-पीट द्वारा? (हँसी)

गवाह—कभी जूतियों से और कभी उस्तुरे से। (हँसी)



एक बार जब मेरी शनाख्त-परेड हो रही थी, तो एक लड़का वहाँ पर मुझे शनाख्त करने आया। उसने उपस्थित पुलिस अफ़सरों से पूछा, कि किधर से छठा नम्बर है? एक पुलिस अफ़सर ने कहा—दाहिनी ओर से। इससे मैंने अनुमान किया, कि पुलिस शनाख्त से पहले बता देती है। यह वही लड़का था, जिसकी दूकान पर, मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान में फ़ालूदा खाने का ज़िक्र आता है। बाज़ शनाख्त-परेड के समय गवाह को खास निशान बता दिया जाता था, जैसा कि मेरे चेहरे पर एक छोटा-सा निशान है। इस निशान को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह निशान मुझे पुलिस वालों ने दिखाया था! इस पर मैंने आईने में देखा तो वास्तव में निशान है।

प्रश्न—क्या आप बता सकते हैं, कि चन्दगीलाल ने क्यों शनाख्त नहीं किया?

उत्तर—पहले गिरधारीलाल और रामसरूप मेरी पहचान नहीं कर सके। इस पर खाँ साहब सईद अहमद शाह ने नाराज़ होकर कहा कि अगर इन्होंने सरकारी गवाह होकर भी शनाख्त नहीं किया तो इनकी ज़मानतें ली जाएँ और इनके स्थान पर दूसरे गवाह बनाए जायँ। इसलिए चन्दगीलाल ने मुझे शनाख्त नहीं किया। इसके बाद अदालत लञ्च के लिए उठ गई।

लञ्च के बाद अभियुक्तों ने अदालत से कहा कि हम थक गए हैं, हमें बैठने के लिए कुर्सियाँ दी जाएँ। इस पर उन्हें कुर्सियाँ दे दी गईं।

गवाह कहने लगा—मि० महमूद पुलिस की उस्तादियों को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए पुलिस वाले पहचान के समय उन्हीं को लाया करते थे। पुलिस वाले जो कुछ लिखवाना चाहते थे, उनसे लिखवा लेते थे। इसलिए मेरे दिल में खयाल पैदा



हुआ कि मैजिस्ट्रेट पुलिस के हाथों की कठपुतली थे। जैसे पहले तीन-चार रोज़ तक मेरा बयान अधूरा-क़लमबन्द किया जाता था, परन्तु इसके बाद मलिक बरखुरदार अली के कहने पर मैजिस्ट्रेट साहब ने पूरा बयान लिखना आरम्भ किया। मैजिस्ट्रेट महमूद जान-बूझ कर कभी साइनबोर्ड पढ़ने लगते और कभी सिगरेट पीने में लग जाते थे।

मदनलाल इक़बाली गवाह कभी मेरे मकान पर नहीं ठहरा। यह वास्तविक बात है, कि मेरे बयान में पुलिस ने बहुत-सी बातें बढ़ा दी हैं। यह ठीक है कि हम वॉयसरॉय की गाड़ी उड़ाने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि सिर्फ़ वॉयसरॉय को ज़ख्मी करने का इरादा था। हम वॉयसरॉय की ट्रेन को उड़ा सकते थे। अगर हम चाबी को पुल पर दबा देते तो मुमकिन है वॉयसरॉय की गाड़ी नदी में गिर जाती और उसमें की एक चिड़िया भी न बचती। लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य हत्या करने का नहीं था। वह सिर्फ़ आतङ्क जमाना चाहती थी।

१ अप्रैल, १९३१ : लाहौर के सेण्ट्रल जेल में उपर्युक्त मुक़द्मे की पेशी फिर स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने हुई। अभियुक्तों ने नित्य नियमानुसार अदालत के सामने आते ही 'इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद' आदि नारे लगाए और "हिन्दियो, अब दिन गए तक़रीर के तहरीर के" यह गाना गाया। आज फिर इक़बाली गवाह इन्द्रपाल की जिरह आरम्भ हुई। गवाह ने कहा—यशपाल के साथ मैं व्यायामशाला में गतका खेलना और लाठी चलाना सीखने जाया करता था। वहाँ पर नौ-दस आदमी सीखने आया करते थे जिनमें शान्तिस्वरूप और भीमसेन के नाम मुझे याद हैं। वहाँ पर गतका चलाना यशपाल सिखाया करते थे।

मुझे इस बात का पता नहीं कि यह इन्तज़ाम किसकी ओर



से था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, यशपाल ने मुझे बताया था कि इसका इन्तज़ाम डॉ० गोपीचन्द के सुपुर्द है। मैं "दैनिक भीष्म" में फ़रवरी १९२७ से जनवरी १९२९ तक रहा। मेरी मौजूदगी में, लक्ष्मणसिंह आज़ाद, स्वामी प्रकाशानन्द, पण्डित मेलाराम जी वफ़ा, लाला राजनारायण अरमान, लाला करमचन्द और प्रिन्सिपल गुलशन राय, "दैनिक भीष्म" के सम्पादक रह चुके हैं। मुझसे सरदार भगतसिंह और मि० सुखदेव को शनाख्त नहीं कराया गया था। सरदार भगतसिंह भी अक्सर मेरे पास कुछ मज़मून और शहीदों की तस्वीरों पर शेर लिखवाने के लिए आया करते थे। इन दिनों पण्डित रूपचन्द मेरे साथ रहा करते थे।

जब साइमन कमीशन लाहौर में आया तो उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा जुलूस तैयार किया गया था, जो 'साइमन गो बैक' 'साइमन गो बैक' के नारे लगाता था। इस जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपतराय करते थे। इसके सिवा मौलाना ज़फ़रअली खाँ एडीटर और मालिक अख़बार 'ज़मींदार' और प्रो० सन्तराम भी इस जुलूस के साथ गए थे। मैं तारीख़ नहीं बता सकता। जब रेलवे स्टेशन पर पुलिस के अफ़सरों ने लाला जी पर लाठियाँ बरसाईं तो लाला जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़े रहे थे। मेरे सामने पुलिस अफ़सर ने, जो कि अङ्गरेज़ था, लाला जी पर लाठियाँ चलाईं। मैं नहीं कह सकता कि उसने लाला जी को क्यों मारा। लाला लाजपतराय के अलावा और भी बहुत लोगों को चोटें आई थीं। मेरे कोई चोट नहीं लगी। मैं उस पुलिस अफ़सर को नहीं पहचान सकता, जिसने लाठियाँ चलाई थीं।

मैंने मि० यशपाल से पूछा था, कि यह कौन पुलिस-अफ़सर


है, जिसने लाला जी पर लाठियाँ चलाई हैं? उसी रोज़ एक महती सभा हुई थी। मुझे याद नहीं कि यह बताया गया था या नहीं, कि किस अफ़सर ने लाला जी पर लाठियाँ चलाई थीं। यशपाल से मिलने से पहले भी मेरे दिल में पुलिस के प्रति असन्तोष था।

यशपाल ने मुझे उस पुलिस अफ़सर का नाम नहीं बतलाया था, परन्तु यह कहा था कि वह सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑफ़ पुलिस था। इसके बाद भी मैंने पुलिस-अफ़सर के नाम का पता लगाने की कोशिश की थी। यह ठीक है, कि कमीशन के आने के दिन जिस पुलिस अफ़सर ने लाला जी पर लाठियों की वर्षा की थी, उसकी हत्या के षड्यन्त्र में मैंने भाग नहीं लिया था।

यशपाल से परिचय होने से पहले मैंने किसी क्रान्तिकारी दल का नाम नहीं सुना था। क्रान्तिकारी दल के संयोजक से जब किसी का परिचय होता था, तो उससे उनका असली नाम नहीं बतलाया जाता था बल्कि पार्टी का नाम बतलाया जाता था। मुझे याद नहीं कि मैं यशपाल से साँण्डर्स की हत्या के दिन मिला था या नहीं।

एक रोज़ यशपाल ने मुझसे पोटेशियम क्लोरेड और एमोनियम कारबोनेट मँगवाए थे। जब मैं ये चीज़ें खरीद कर ले आया तो ईश्वरदास ने, जो कि डी० ए० वी० कॉलेज में पढ़ता था और साइन्स का विद्यार्थी था, कहा कि ये तो भड़कने वाली चीज़ें हैं और बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने कहा, मुझसे किसी आदमी ने दवाई बनवाने के लिए ये चीज़ें मँगवाई हैं।

जब सरदार भगतसिंह और मि० बी० के० दत्त ने एसेम्बली हॉल में बम फेंका, उसके तीन-चार रोज़ बाद अखबार में मैंने



पढ़ा कि सरदार भगतसिंह और मि० बी० के० दत्त गिरफ़्तार हो गए हैं। मैंने यशपाल से पूछा कि क्या उनमें से कोई इक़बाली गवाह बन गया है तो उन्होंने बतलाया कि उनमें से कोई इक़बाली गवाह नहीं बनेगा। बल्कि वह इक़बाली बयान देंगे, जिसमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, जो कि खराब हो चुकी हैं।

१५ अप्रैल को जो बम-फ़ैक्टरी पकड़ी गई थी उसकी पहचान मैंने नहीं की। यशपाल उस दिन लाहौर में ही था, जिस दिन सुखदेव, जयगोपाल और किशोरीलाल गिरफ़्तार किए गए थे। इनमें से जयगोपाल इक़बाली गवाह बन गया था। मैं दिल्ली में साधू बन कर तीन महीने रहा। वहाँ पर मैं भीख माँग कर गुज़ारा करता था। मुझे याद नहीं कि दिल्ली के किसी आदमी ने मेरी पहचान की थी, जिसने मुझे भीख दी थी। आमतौर पर औरतें और बच्चे मेरे स्थान पर मुझे भीख दे जाया करते थे।

जिस वक़्त भगवतीचरण मेरे पास आया, उस वक़्त चिराग़ गूजर मेरे पास बैठा हुआ था और यशपाल उसके बाद आया। उस समय रक्खाराम जेलदार मेरे पास मौजूद था। मैंने देवीसहाय गूजर को पुल पर से गाड़ी ले जाते हुए कई बार देखा था। मुझे यशपाल से हिदायत मिली थी कि मैं पता लगाऊँ कि रात के वक़्त कौन-कौन पुल पर से जाते-आते हैं।

मुझे याद नहीं कि शनाख़्त-परेड में देवीसहाय ने मुझे शनाख़्त किया था या नहीं। मैंने कोई बमसाज़ी की किताब नहीं पढ़ी। कई कॉन्स्टेबिल मेरे पास कभी-कभी प्याव पर आया करते थे। २७ अक्टूबर को जब वॉयसरॉय की गाड़ी वहाँ से गुज़री तो मैंने पुलिस वालों को लाइन के पास खड़ा देखा था। जब


मैं दोबारा दीवाली के रोज़ गया तो अपने साथ कुछ मिठाइयाँ लेता गया था। देवीसहाय चौकीदार ने शाही क़िले में मेरी पहचान नहीं की थी।

२ अप्रैल, १६३१ : आज उपर्युक्त मुक़दमे की फिर पेशी हुई और अभियुक्तों के वकील ने इक़बाली गवाह इन्द्रपाल की जिरह आरम्भ की। गवाह ने बयान दिया—मैंने यशपाल के पास हिन्दुस्तानी रिपब्लिकन आर्मी की नियमावली देखी थी, वह अङ्गरेज़ी ज़बान में थी। जब मैंने मोटर-साइकिल के लिए ट्यूब मोहम्मद याक़ूब की दूकान से खरीदा था, तो उसका 'कैशमीमो' भी लिया था। यह ट्यूब यशपाल की मोटर साइकिल के लिए खरीदे गए थे। मैंने यह कैशमीमो मिस्त्री को लौटा दिया था। क्योंकि मुझे उसकी कोई आवश्यकता न थी। इसके बाद मैंने फिर मोटर-साइकिल मरम्मत के लिए मिस्त्री को दे दी। इसके बाद मोटर-साइकिल को मैंने शाही क़िले में देखा था। जब मैं लायलपूर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सराय में गया था, तो मैंने असली नाम की जगह अपना नाम रामलाल बताया था। मैंने मुक़दमे के दौरान में किसी रजिस्टर पर अपना दस्तखत नहीं देखा। सराय में मेरा कोई जानकार नहीं था। मैंने ज़हरीली गैस तैयार नहीं की। गिरफ़्तारी से पहले मुझे उस आदमी का पता नहीं लगा, जिससे यशपाल मई में युनिवर्सिटी ग्राउण्ड में मिला था और जिसको वह विश्वास न करने योग्य खयाल करता था। गिरफ़्तारी के बाद मुझे पता लगा, कि वह आदमी नरायन था, जो किसी षड्यन्त्र के मामले में अभियुक्त है। जब अमीर-चन्द अभियुक्त भगतसिंह वग़ैरह का मुक़दमा सुनने आया था तो मैंने उसे अन्दर जाने की दरख्वास्त लिख दी थी। वह अपने साथ शीशियाँ ले गया था; जिनमें अरक़ और शर्बत थे। मैंने



अङ्गरेज़ी किसी स्कूल में नहीं पढ़ी; परन्तु अगर दो आदमी आपस में अङ्गरेज़ी बोलते हों तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। यशपाल मुझे अङ्गरेज़ी में चिट्ठियाँ लिखा करता था। लेकिन मैं उसे हिन्दी में लिखता था। मैंने यशपाल को कई दफ़े अङ्गरेज़ी में चिट्ठियाँ लिखते देखा है। इसके अलावा हंसराज, भगवतीचरण, सुखदेव और राजगुरु को भी अङ्गरेज़ी में चिट्ठियाँ लिखते देखा था। पं० चन्द्रशेखर आज़ाद और प्रेम को भी अङ्गरेज़ी में लिखते देखा था। 'जेल-एक्शन' के बारे में कुछ काग़ज़ात यशपाल ने मेरी उपस्थिति में ही लिखे थे; उन पर उन आदमियों के और पार्टी के सदस्यों के नाम थे, जिनको अदालत के कमरे में गोली से मार डालने का इरादा थे। काग़ज़ के दूसरे हिस्से पर जो तैमूर, स्वामी और एस० लिखा है, इसका मतलब यह है, जब सरदार भगतसिंह और उनके दूसरे साथियों को 'जेल-एक्शन' करके छुड़ाया जाय तो इनका इन आदमियों के पास ठहरने का इन्तज़ाम किया जाय। इसके लिए यशपाल ने कई दूसरे आदमियों के नाम भी लिखे थे।

इसी समय अभियुक्त सरदार गुलाबसिंह ने अदालत से प्रार्थना की कि मेरे दाँतों में दर्द हो रहा है और ख़ून भी आ रहा है, इसलिए मुझे जेल भेज दिया जाए। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार कर ली।

गवाह फिर वकील के प्रश्नों का उत्तर देने लगा—मैंने गुरुदत्त-भवन के नज़दीक उस मकान की पहचान की थी, जहाँ पर मैंने अभियुक्त किशनगोपाल को शादी के दिन ठहरे हुए देखा था। डुप्लीकेटर के दाम मैंने अपनी पॉकेट से दिए हैं। 'एक्शन' का काम पार्टी, सेण्ट्रल पार्टी की आज्ञा से किया करती थी। कोई सरकारी नौकर सेण्ट्रल पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता था।



परन्तु मेरी जानकारी में अब तक सिर्फ़ एक सरकारी आदमी रक्खा गया था। इसका नाम मि० विजयकुमार सिन्हा और पार्टी-नाम बच्चू था। इसको ऑल इण्डिया सोशल रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य, इसलिए बनाया गया था, कि वह सी० आई० डी० की तमाम रिपोर्टें और कार्रवाइयों की नक़ल पार्टी को दे दिया करे क्योंकि वह सी० आई० डी० का इन्फ़ॉर्मर ( गोइन्दा, भेदिया ) था। इसको आजीवन क़ैद की सज़ा सरदार भगतसिंह आदि के साथ दी जा चुकी है। वह अखबारों का रिपोर्टर भी था। मैंने ख्वाजा ताजदीन और खाँ साहब सय्यद अहमद शाह को हरीराम पहलवान के बारे में बातें करते सुना था। वे कह रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम उपद्रवों के दिनों में तो हरीराम पहलवान मुसलमानों को मार कर बच गया है, अब इसे भी इस मामले में घसीट लो। मुहम्मददीन मल्लाह ने कभी मेरी पहचान नहीं की। 'जेल-एक्शन' के दिन मैं अपने भाई दीनानाथ और रूपचन्द को साथ लाया था। परन्तु मैंने उनको यह भेद नहीं बताया था कि हम लोग भगतसिंह आदि को छुड़ाने आए हैं। वहाँ पर हमारे साथ एक जेल के वार्डर ने ताश खेला था। उसने कभी मेरी पहचान नहीं की। पुलिस ने इक़बाली गवाह मदनगोपाल को शनाख्त-परेड से पहले ही मुझे दिखा दिया था और मुझसे कहा था, कि इसे मैजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त करना और कहना कि इसे भी 'जेल-एक्शन' के दिन चन्द्रशेखर आज़ाद के साथ देखा था। 'जेल-एक्शन' के सम्बन्ध में जिस दूसरे सिक्ख को पुलिस ने मुझे दिखाया था, उसके सम्बन्ध में कहा था, कि यह मोटर-ड्राइवर था। परन्तु वास्तव में वह व्यक्ति दोनों में से कोई भी नहीं था। इस सिक्ख को टहलसिंह कहते थे। मदनगोपाल और टहलसिंह को मुझे पुलिस ने एक ही दिन दिखाया था। शनाख्त-



परेड होने से पूर्व मुझे कई आदमी दिखाए गए थे। मुझे याद नहीं कि मैं कितने आदमियों को दिखाया गया था। ४ तारीख़ को मैं कई आदमियों को दिखाया गया था। माराजदीन को मैं नहीं जानता। परन्तु उसने मेरी पहचान की थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं क़यास कर सकता हूँ कि मैं पहले माराजदीन को दिखाया गया था। अक्टूबर के आरम्भ में मैं कई आदमियों को दिखलाया गया था लेकिन मैं उन्हें देख सकता था क्योंकि वे उस कमरे में थे, जिसके दरवाज़े पर सिरकियाँ लगी हुई थीं। उस दिन मुझे पुलिस-अफ़सर ने बुलाया; परन्तु जब मैं वहाँ गया तो उसने कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया, बल्कि राजेन्द्रपाल को बुलाया है। यह भी एक तरीक़ा मुझे उन्हें दिखाने का था।

इसके बाद अदालत लञ्च के लिए उठ गई। लञ्च के बाद गवाह ने कहा—जब मैं और हंसराज खैरातीराम इक़बाली गवाह को देखने के लिए शाहदरा गए थे तो उसके साथ दो-तीन नौजवान थे। खैरातीराम ने हंसराज को रुपए नहीं दिए। यह सब बातें ग़लत हैं, कि हमने रावलपिण्डी में अभियुक्त किशन-गोपाल के घर पर गनकॉटन तैयार किया था। मैं शेखूपुरा भी नहीं गया और न वहाँ बम मारा था। वह बिल्कुल ग़लत है। मुझे पता नहीं कि पुलिस ने क्यों मेरे बयान में ये बातें जोड़ दीं। नारायणी देवी, रामनाथ और बुड्ढे को मैं पहले दिखाया गया था। मैं शेखूपुरा के किसी आदमी को नहीं जानता। मुझे पता नहीं कि शेखूपुरा में बम मारने का काम किसे सौंपा गया था? मैं १६ जून को रावलपिण्डी से लाहौर आ गया और अभियुक्त रूपचन्द को १६, १७, १८ और १६ जून को लाहौर में ही देखता रहा। १८ जून को सुबह, क़रीब आठ बजे, मैं जहाँगीरीलाल के मकान पर गया।



६ जून, १९३१ : आज नियमानुसार लाहौर के सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नवीन लाहौर षड्यन्त्र केस की फिर पेशी हुई। जेल के अधिकारियों ने अदालत की आज्ञा को ठुकरा कर इस मुक़दमे के अन्यतम अभियुक्त श्री० सुखदेवराज को अभियुक्तों से अलग कर दिया था, इसलिए रायज़ादा, जहाँगीरीलाल, सरदार गुलाबसिंह, मि० अमीरचन्द, मि० वंशीलाल और श्री० धर्मपाल आज अदालत में नहीं आए थे। बाक़ी २१ अभियुक्त उपस्थित थे। अभियुक्तों ने अदालत-गृह में प्रवेश करते ही 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' 'सरदार भगतसिंह ज़िन्दाबाद' 'शहीदाने-वतन ज़िन्दाबाद' 'ग़द्दाराने-वतन मुर्दाबाद' के नारे लगाए और सम्मिलित स्वर से जातीय गीत गाया।

वादी की ओर से रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद और राय-साहब गोपाल लाल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर तथा प्रतिवादियों की ओर से लाला श्यामलाल एडवोकेट, मेहता अमरनाथ, लाला अमोलकराम कपूर और मेहता प्राणनाथ पैरवीकार थे।

## गुपचुप बातें

मुक़दमे की कार्रवाई आरम्भ होने से पहले जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट और उनके असिस्टेण्ट अदालत में आए और कमिश्नरों से एकान्त में कुछ बातें कीं। कमिश्नरगण अदालत में वापस आए तो अभियुक्तों के वकील लाला श्यामलाल ने पूछा कि क्या जेल के अधिकारियों ने श्री० सुखदेवराज को अलग करने का कोई कारण बताया था?

प्रेज़िडेण्ट ने बताया, कि इस मामले के सम्बन्ध में अभी तक कोई बात मालूम नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने कहा कि हम अभियुक्तों को हाज़िर होने के लिए एक ताज़ा वारण्ट जारी



कर सकते हैं और उनके आने पर मुक़दमे की सुनाई आरम्भ हो सकती है।

## शिकायतों का ढेर

इसके बाद अदालत ने एक वारण्ट जारी किया। इसी अदालत के सामने अभियुक्त सरदार गुलाबसिंह की एक दरख्वास्त पेश हुई, जिसमें लिखा था कि हमने सरकार से प्रार्थना की थी, कि हमें अपने मुक़दमे में सफ़ाई देने के लिए ३००) प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएँ; ताकि हम कोई अच्छा वकील कर सकें। अदालत ने भी इसके लिए सिफ़ारिश कर दी थी, परन्तु सरकार ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। स्वयं तो वह इस मामले में अपने वकीलों के लिए ३००) से अधिक प्रतिदिन खर्च करती है। पुलिस ने अपना सारा बल लगा दिया है। रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और हमें सिर्फ़ १२८) दिए जाते हैं। इसके सिवा हमारे प्रार्थना करने पर भी हमारे अत्यन्त आवश्यक गवाह सरदार भगतसिंह को फाँसी पर लटका दिया गया। हालाँकि हाईकोर्ट ने हमारी दरख्वास्त पर कह दिया था, कि इनको फाँसी नहीं हो सकती। हमने सरकारी गवाहों को जेल में भेजने के लिए प्रार्थना की तो सरकार ने शाही क़िले को ही जेल क़रार दे दिया। अन्त में जब हाईकोर्ट ने आज्ञा दी तो सरकारी गवाह जेल में रक्खे जाने लगे, परन्तु जेल को ही क़िला बना दिया गया; अर्थात् वहाँ भी वे पुलिस से घिरे रहते हैं। अन्त में जब हमने हाईकोर्ट की शरण ली तो सरकार ने अपनी ग़लती स्वीकार की। परन्तु इतने पर भी रक्षा के बहाने उनके पास उसी तरह से पुलिस का जमघट लगा रहता है। अब, जबकि प्रो० सुखदेवराज को अदालत ने हमारे साथ रहने की आज्ञा दे दी है तो भी सरकार ने उन्हें हमसे अलग रक्खा दिया है।



## "सरकार हमें फाँसी पर लटकाना चाहती है"

इन बातों से मालूम होता है, कि सरकार हमें सफ़ाई का अवसर नहीं देना चाहती और हमें फाँसी पर लटका देना चाहती है। उसे न तो इन्साफ़ से कुछ ग़र्ज़ है, न अदालत की आज्ञा की परवाह है! वह अपने ही हाथों अपने क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रही है!

इसलिए हम श्री० सुखदेवराज के अपने से अलग किए जाने के प्रतिवाद में अदालत में उस समय तक न आएँगे, जब तक कि हमें सन्तोषजनक उत्तर न दिया जाएगा। इसके बाद एक और दरख्वास्त, चार और ग़ैरहाज़िर अभियुक्तों की ओर से दी गई। उसमें भी सरकार की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों की निन्दा की गई थी।

अदालत ने आज के लिए मुक़दमे की सुनवाई स्थगित कर दी और अभियुक्तों के वकील, अभियुक्तों से मिलने तथा उन्हें समझा-बुझा कर अदालत में लाने के लिए जेल गए।

दूसरे दिन नियमानुसार फिर उपर्युक्त मामले की पेशी हुई। आज अदालत में वे पाँचों अभियुक्त भी हाज़िर थे, जो कल नहीं आए थे। परन्तु उनके वकील ने कहा कि हम उन्हें समझा-बुझा कर किसी तरह लाए हैं, अगर श्री० सुखदेवराज के अलग करने का सन्तोषजनक कारण नहीं बताया जाएगा, तो वे कल से फिर नहीं आएँगे।

## सरकारी गवाह का बयान

इसके बाद सरकारी गवाह खैरातीराम ने अपने बयान का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गोलबाग़ की मीटिङ्ग के बाद हंसराज ने मुझसे पूछा कि मकान वाले से सब बातें तय हुई या नहीं? हमने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि मकान ठीक हो

गया। इसके बाद हम लोग रामलीला के चौबारे में चले गए और वहीं जाकर सो गए। जब हम सो कर उठे थे मलिकराज ने हमें रोटी खिलाई। १२½ बजे हंसराज ने आकर इशारा किया, जिसका मतलब यह था, कि हंसराज बुला रहा है। जब हम लोग वहाँ से चले तो रास्ते में कुन्दनलाल ने मुझसे कहा कि रामलाल को अलग कर दो। मैं रामलाल को छोड़ कर उस मकान में गया, जिसे रूपचन्द ने ठीक किया था।

## "आतशी चक्कर" के अद्भुत करश्मे

वहाँ पर रूपचन्द और हंसराज मौजूद थे और जो ट्रङ्क इनके पास था, वह खुला हुआ था। मैंने वहाँ पर तीन सन्दूकचियाँ देखीं। इनके अलावा रिब्ट सिलेण्डर और कुछ भड़कने वाली चीजें भी देखीं। मेरे सामने ही हंसराज ने एक सिलेण्डर के अन्दर एक टीनकेस रक्खा और उसके इर्दगिर्द रिबटें भी रख दीं। इसके बाद हंसराज ने एक सिगरेट के ढक्कन में एक सूराख किया और उसमें आतशी पलीता का एक सिरा रख दिया। इसके बाद उसने इन पर पतरियाँ और ताँबे चढ़ाए। इसके बाद उसने मुझसे बताया कि यह बम तैयार हो गया। जब बम बिल्कुल तैयार हो गया तो हंसराज ने आग जलाने की अँगीठी पर उसे रख दिया और उसको उस पलीता के एक सिरे से लगा दिया, जिसका सम्बन्ध मोमबत्ती के साथ था। इसके बाद उसने एक ग्लेस्को का डिब्बा उठाया और उसमें पहले की तरह एक बम तैयार किया। परन्तु जब दूसरा बम तैयार हो गया, तो रिबटें खतम हो गईं। इससे रूपचन्द दूसरी रिबटें बाजार से खरीद लाया। जब यह दूसरा बम भी बन कर तैयार हो गया तो हंसराज ने एक काली सन्दूकची को खोल डाला। इसमें दो



बैटरियाँ लगी हुई थीं? हंसराज ने एक बल्ब लगा कर बैटरियों की परीक्षा की कि वह ठीक काम कर रहीं हैं या नहीं। इसके बाद उसने सन्दूक़ची को उठा कर आलमारी में रख दिया और उसके नीचे एक इश्तहार लगा दिया, जिस पर लिखा था "आतशी चक्कर युद्ध-क्षेत्र में!" इससे बाद लकड़ी वाले बक्स में एक दूसरा बम रख कर उसके और बिजलों के तारों के बीच में गनकॉटन रक्खा। इसके बाद सन्दूक़ची का ढकना इस तरीक़े से रक्खा गया, कि देखने वाला यह न समझ सके, कि इसका मुँह किधर है।

## पुलिस वालों को मारने का षड्यन्त्र

जिस समय हंसराज बम फ़िट कर रहा था, उसी समय मलिक कुन्दनलाल भी वहाँ आ गया। इसके बाद हंसराज ने हम लोगों को बताया कि छोटे बम पर एक मोमबत्ती रक्खी जाएगी और जैसे ही वह जल कर समाप्त होगी, वैसे ही पलीते में आग लग जायगी। इसके बाद गनकॉटन में आग लगेगी। तब वह छोटा बम फट जाएगा। जिसके फटने के बाद पुलिस आएगी। उसने यह भी बताया कि मोमबत्ती, इसलिए रक्खी जायगी, ताकि आग लगाने वाला आदमी बच जावे। जब बम फटेगा तो पुलिस वाले आएँगे और तलाशी लेना आरम्भ करेंगे, जब यह इश्तहार देखेंगे तो उसे उठाएँगे। जिसके लिए अवश्य ही पहले सन्दूक़ची उठानी पड़ेगी। बस, बम फट जाएगा और पुलिस वाले घायल होकर मर जायँगे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ बोतलें भी रक्खी गईं और ज़मीन पर एक चटाई बिछा दी गई। बक्स ८-९ इञ्च के क़रीब लम्बा और ५-६ इञ्च चौड़ा था।



एक काले रङ्ग का बक्स दिखाने पर गवाह ने कहा, वह ऐसा ही था। 'आतशी चक्कर' शीर्षक इश्तहार मैंने पहले भी शाहदरा में देखा था। जब दोनों बम फ़िट हो गए तो सलाह हुई कि हम लोगों को बारी-बारी से कम्पनी बाग़ में जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग कम्पनी बाग़ में मिले।

अदालत के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ। इस पर एक अभियुक्त ने कहा, नहीं, तुम अङ्गरेज़ी पढ़े हुए हो। इस पर बड़ी हँसी हुई।

मुख़बिर फिर कहने लगा—हम लोग कुछ देर तक कम्पनी बाग़ में बैठे रहे और रामलाल चला गया। इसके बाद हंसराज ने कहा, कि २६ जून को कुन्दनलाल और धर्मवीर बमों में आग लगाएँगे। शाहदरा में ही हंसराज ने मुझे बताया था कि मलिक कुन्दनलाल और धर्मवीर पार्टी के सदस्य हैं। हंसराज ने मुझे यह भी बतलाया कि पार्टी ने उसकी ड्यूटी गुजराँवाला और साँगला-हिल में बम फ़िट करने की लगाई है। परन्तु तुम रुपए नहीं लाए, इसलिए हमको लाहौर जाकर रुपए लाने पड़ेंगे। इसके बाद हंसराज ने कहा कि अब तुम अलहदा हो जाओ। इसी दरमियान में रामलाल आ गया। इसके बाद रामलाल और मैं वहाँ से चले आए। रास्ते में झङ्ग बाज़ार के पास हमें गुरुचरण मिल गया। वह सिनेमा देखने जा रहा था। हम लोग भी उसके साथ सिनेमा देखने चले। रात का हमें जागना पड़ा, इसलिए सवेरे की गाड़ी से हम लाहौर नहीं जा सके। इसके बाद हम लोग एक बजे की गाड़ी से शेख़ूपुरा चले गए, ताकि जाते वक़्त एक बार रामप्रताप को देख लें। शेख़ूपुरा में हमें वंशीलाल मिला। १६ जून को मैं शेख़ूपुरा में ही रहा। १७ को शाहदरा आ गया। वंशीलाल १६ जून को



ही लाहौर चला गया था। १८ जून को हंसराज फिर मुझसे मिला। उसने मुझे एक डिब्बा दिखा कर कहा, कि इसे किसी ऐसी जगह रक्खो कि मौक़े पर फ़ौरन मिल जाय। इसके बाद हंसराज ने मुझसे अपना कोट बदल लिया। कोट बदलने का कारण यह बताया, कि लाहौर में कोई पहचान न ले। इसके बाद वह डिबिया मैंने सत्यनारायण मन्दिर के हाते में गाड़ दी। हंसराज लाहौर चला आया।

१६ जून को सवेरे फिर मुझे हंसराज मिला। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दो जगह बम फटे हैं, परन्तु मुझे उन स्थानों के नाम याद नहीं हैं। इसके साथ ही उसने मुझे यह भी बतलाया कि आनन्दस्वरूप (इन्द्रपाल) रावलपिण्डी और सरदार गुलाबसिंह गूजराँवाला में बम फ़िट करने गए थे। जिस समय ये बातें हो रही थीं, उस समय वहाँ केवल हमीं दो आदमी थे। इसके बाद वंशीलाल आया और हंसराज को लेकर लाहौर चला गया।

इसी दिन शाम को हंसराज और वंशीलाल फिर शाहदरा वापस आ गए और छः-सात रोज़ तक वहाँ रहे। ये दोनों प्रति दिन कहीं चले जाते और शाम को फिर वापस आ जाते। पूछने पर हंसराज ने बताया कि हम लोग रोज़ लाहौर जाते हैं। जब मैं और हंसराज लायलपूर जा रहे थे, तो वंशीलाल ने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया कि कहीं एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ।

## मुख़बिर की मज़ेदार बातें

१६ जून की शाम को जब हंसराज और वंशीलाल आए थे, तो हंसराज नहाने चला गया था। उस वक़्त वंशीलाल ने



बताया, कि पञ्जाब के छः स्थानों में जो बम फटे हैं, वह सब काम हमीं लोगों ने किया है। हंसराज ने मुझे पार्टी का मेम्बर भी बना लिया है और पार्टी का सारा भेद मुझे बता दिया।

इन्हीं दिनों हंसराज ने मुझे क्लोरोफ़ॉर्म की एक शीशी दी थी और मैंने उसे विशनदास को दे दी थी।

इसी समय ट्रिब्यूनल के सदस्य मि० सलीम ने गवाह से प्रश्न किया—आपने विशनदास को यह शीशी, इसलिए दे दी थी, कि इस मामले में उसकी गवाही हो या आपके पास कोई जगह न थी, अथवा आप उसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे ? ( इस पर बड़ी हँसी हुई )

उत्तर—मैंने बिना किसी मतलब के शीशी उसके पास रख दी थी।

हंसराज ने मुझे बताया कि मैं एक ऐसा गैस तैयार कर रहा हूँ कि वह जिसके मुँह पर रख दिया जाएगा, वह फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। इसके बाद एक रोज़ हंसराज ने मुझे एक पोस्टर और वही "आतशी चक्कर" वाला विज्ञापन दिया और कहा कि इसे लायलपूर में कुन्दनलाल और धर्मवीर के पास पहुँचा दो। इन दिनों जगन्नाथ शाहदरा आया था। वंशीलाल ने मेरे सामने ही पोस्टरों का बण्डल उसे देकर कहा कि इसे कुन्दनलाल को दे देना।

## मुख़बिर की तमाशबीनी !

लायलपूर से वापस आने पर जगन्नाथ ने हंसराज को एक बन्द लिफ़ाफ़ा दिया। दूसरे रोज़ हंसराज वहाँ से चला गया, उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जिस रोज़ हंसराज मेरे यहाँ से गया था, उसके दूसरे रोज़ अमरीकसिंह मेरे पास आया


और कहा कि हंसराज ने जो डिब्बी तुम्हें दी है, उसे मुझे दे दो। मैंने वह डिब्बी अमरीकसिंह को दे दी। वंशीलाल को इस बात का कुछ भी पता न था। इसके बाद कुन्दनलाल आया और पूछने लगा कि हंसराज कहाँ गया है। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। मेरे पूछने पर कुन्दनलाल ने बताया कि धर्मवीर उस मकान में गए थे और बम में आग लगा कर चले आए। जब बम फट गया तो मैं भी तमाशबीन की तरह वहाँ खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। इसके बाद कुन्दनलाल शाहदरा से चला गया। इसके बाद मेरे पास बिशनदास आया और उसने पूछा कि हंसराज कौन है और कहाँ काम करता है? मैंने उसे बताया कि वह किसी प्रेस में काम करता है। परन्तु उसे मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने उसे बताया कि वह हिन्दुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी का मेम्बर है। मैंने पार्टी का तमाम भेद बिशनदास को बता दिया। हंसराज ने लौटने पर सुना तो बहुत नाराज़ हुआ। मैंने बिशनदास को 'आतशी चक्कर' वाला इश्तहार भी दिखला दिया था। इसके बाद तीन-चार रोज़ तक हंसराज मेरे पास नहीं आया।

एक रोज़ वंशीलाल, भीमसेन आदि मेरे पास आए। वंशीलाल हंसराज की तलाश में था। मैंने वंशीलाल से पूछा कि वह क्यों हंसराज की तलाश में है, तो उसने बतलाया कि चिनिवट में एक स्थान पर बहुत-सा रुपया मिल सकता है। हंसराज को वहाँ पर ले जाकर डाका डालने का मसवदा ( Plan ) तैयार करना है।

इस पर जहाँगीरीलाल अभियुक्त ने कहा—ज़रा ज़ोर से बोलो।

कुन्दनलाल ने कहा—ज़रा सुर से बोलो ( हँसी )।



मुखबिर ने कहा—यह थिएटर नहीं है, कि सुर में बोलूँ (हँसी)।

गवाह फिर कहने लगा—इसके बाद वंशीलाल और भीमसेन लाहौर चले गए। इसके दूसरे रोज़ वंशीलाल और हंसराज आए, पर भीमसेन उनके साथ न था। हंसराज ने अपना सारा सामान उठा लिया और कहा कि चिनिबट जा रहा हूँ। वंशीलाल ने मुझे बताया कि जो रुपए वहाँ लूटे जायँगे वे पार्टी को दे दिए जाएँगे। पार्टी खुल्लम-खुल्ला काम करेगी। परन्तु हंसराज से इस सम्बन्ध में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई।

११ जून, १६३१ : आज सरकारी गवाह खैरातीराम ने फिर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि १५ तारीख़ को मैं अपने मकान से सत्यनारायण वाली बैठक में जा रहा था। रास्ते में मैंने अमरीकसिंह को बिशनदास के पास खड़े देखा। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने अमरीकसिंह को एक रुक़्क़ा देते देखा। अमरीकसिंह उसी रुक़्क़े पर बिशनदास से जवाब लेकर चला गया। पूछने पर बिशनदास ने बतलाया कि हंसराज ने कुचला माँगा था।

इसके बाद मैं बीमार हो गया और रावलपिण्डी चला आया। फिर जब अच्छा हुआ तो शाहदरा आया। वहाँ से ५ सितम्बर को पुलिस मुझे गिरफ्तार करके शाही क़िले में ले गई। ६ सितम्बर को मैंने बयान देना आरम्भ किया और सात को समाप्त कर दिया।

## मुखबिर की आत्म-कहानी

२ सितम्बर को जब मैं रावलपिण्डी आया तो बिशनदास मुझसे मिलने आया। तब उसने मुझे बतलाया कि सरदार



अमरीकसिंह गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद ५ सितम्बर को पुलिस ने मेरे मकान पर छापा मारा और मैं गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुझसे इस तरीक़े से पूछना आरम्भ किया कि मानो उसे सब बातें मालूम हैं। इसलिए मैंने बयान दे दिया। २० अक्टूबर को पुलिस-अफ़सर ने मुझसे कहा, कि मैं तुम्हें माफ़ी दिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मर्ज़ी हो तो दिलवाइए, न मर्ज़ी हो तो मत दिलवाइए।

प्रश्न—( मि० सलीम ) जब तुमने पुलिस में बयान दिया था तो यह तय कर लिया था या नहीं, कि अगर मुझे अभियुक्त बनाया जाएगा तो अदालत में जाने पर इस बयान से इन्कार कर दूँगा ?

उत्तर—मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया था ?

गवाह ने फिर कहना आरम्भ किया—मुझे २० अक्टूबर को माफ़ी का वादा दे दिया गया। उसके बाद पुलिस मुझे लायलपूर ले गई। वहाँ पर मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने उन स्थानों की शनाख़्त की, जहाँ बम फ़िट किए गए थे, जहाँ मैंने रामलाल को अलग किया था और उस कमरे का शनाख़्त किया, जहाँ बम फटे थे।

शाही क़िले में मैंने अभियुक्तों को शनाख़्त किया था और मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, वह दुरुस्त है।

मि० सलीम—जब हंसराज ने तुम्हें सदस्य बनाया, तब तुम जानते थे कि पार्टी का मेम्बर कौन-कौन है ?

गवाह—जब हंसराज ने मुझे बताया कि मैं क्रान्ति-पार्टी का मेम्बर हूँ, तो उसने यह भी बतलाया कि मलिक कुन्दनलाल भी मेम्बर है।



मि० सलीम—जब तुम्हें पार्टी का मेम्बर बनाया गया तो तुम्हें पार्टी के कोई नियम भी बताए गए थे ?

गवाह—मुझे तीन रूल जबानी बता दिए गए थे।

मि० सलीम—वह कौन-कौन से रूल हैं ?

गवाह—( १ ) बलपूर्वक अङ्गरेजी राज्य को हिन्दुस्तान से निकाल देना, ( २ ) किसी से पार्टी का भेद न बताना, और (३) कोई पार्टी का भेद बताए तो उसकी सजा क़त्ल है। पार्टी की मदद के लिए आवश्यकता पड़े तो अपना सारा काम भी छोड़ देना प्रत्येक मेम्बर का कर्तव्य है।

इसके बाद मैंने किसी मेम्बर से पार्टी के सम्बन्ध में कोई बातचीत न की।

प्रश्न—पार्टी के रूल के सम्बन्ध में तुमने बिशनदास से बातचीत की थी ? और उसका भेद भी बताया था ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—क्या इसकी सजा भी मौत है ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—फिर क्यों बताया ?

उत्तर—मैं उसके विचार जानना चाहता था।

प्रश्न—जिस समय तुमने बिशनदास से पार्टी का भेद बताया तो क्या उसे पार्टी का मेम्बर बनाने की कोशिश की ?

उत्तर—नहीं। मैंने उससे कहा था कि अगर पार्टी की बातें कहोगे तो उसकी सजा मौत होगी।

प्रश्न—जिस वक्त रामलाल तुम्हारे साथ लायलपूर गया था, उस समय वह क्या काम करता था, कहाँ रहता था और उसके खाने-पीने का इन्तजाम क्या था ?



उत्तर—उस वक्त रामलाल कोई काम नहीं करता था। वह शाहदरा में अपने बहनोई के पास रहता था और वहीं खाता-पीता था !

प्रश्न—जब हंसराज ने तुमसे पार्टी का भेद बतलाया तो क्या उसने तुमको मजबूर किया कि मेम्बर बन जाओ ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं।

## गवाह से मज़ेदार जिरह

प्रतिवादी पक्ष के वकील की जिरह में गवाह ने कहा—मुझे पता नहीं, कि मेरा बाप लेन-देन का काम करता है या नहीं ? मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे बाप के पास कितनी ज़मीन है ? वह इनकम-टैक्स देता है, परन्तु मुझे उसकी तादाद नहीं मालूम है। मेरा बाप तिजारत का काम नहीं करता। मेरा एक बड़ा भाई मोहनलाल है, जिसकी उम्र ३० वर्ष की है। मेरे चचा के भी एक लड़का है। उसका नाम बनवारीलाल है और उसकी उम्र २३ साल के क़रीब है। मेरे पास अलग कोई पूँजी नहीं है। मोहनलाल और बनवारीलाल की बात मैं नहीं जानता। मेरे पिता के पास कई मुनीम हैं ! मैं उनकी तादाद नहीं जानता। एक-दो के नाम बता सकता हूँ। उनमें कुछ के नाम गुलाम मुहम्मद, मूलचन्द, हरदत्तराम, हरिकृष्ण आदि हैं। जिन दिनों में मैं स्कूल में पढ़ता था, उन दिनों हमारा मकान शाहदरा में था। मैं अपने पिता से स्कूल का खर्च लेता था। मेरे बाप के पास मोटर, ताँगा और साइकिल है। शाहदरा में हमारे तीन-चार मकान हैं। हमारे रहने का मकान मन्दिर की बैठक से दो-तीन फ़र्लाङ्ग पर है। मेरा चचा बिहारीलाल भी कोई काम नहीं करता। मोहनलाल और बनवारीलाल भी कोई काम नहीं



करते। मोहनलाल खेवड़ा में काम नहीं करता था। शङ्करशाह दिसम्बर, सन् १९२६ में मर गए। शाहदरा में सत्यनारायण का मन्दिर उन्होंने ही बनवाया था। इस मन्दिर की चाबियाँ मेरे पास रहती थीं। जब मैं डी० ए० वी० कॉलेज में भर्ती हुआ तो मैंने चाबियाँ अपने पिता को दे दीं और स्वयं बोर्डिङ्ग में चला गया। मन्दिर के पुजारी का नाम मैं नहीं जानता। उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया है। मैं किसी मज़हब का क़ायल नहीं हूँ क्योंकि मुझे फ़रार होना पड़ता तो मुसलमानों के यहाँ भी खाना पड़ता था। इसलिए मैं मन्दिर में पूजा के लिए नहीं जाता था। जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों मैं, न तो कॉङ्गरेस का मेम्बर था और न किसी राजनीतिक सभा में भाग लेता था। इन दिनों मुझे इन्क़लाबी किताबें पढ़ने का शौक़ न था क्योंकि उस समय मेरे विचार क्रान्तिकारी न थे। लायलपूर के कॉलेज में दाख़िल होने के लिए मेरी सिफ़ारिश डिप्टी कमिश्नर ने की थी।

प्रश्न—तुमने लायलपुर का कृषि-कॉलेज क्यों छोड़ा ?

उत्तर—मुझे कुश्ती लड़ने का शौक़ था और जब मैं क्लास में जाता था, तो मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए मैंने ख़याल किया कि माता-पिता का रुपया व्यर्थ न खोना चाहिए। इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया।

मैं कुन्दनलाल को लायलपूर आर्य-समाज के सालाना जलसे से पहले नहीं जानता था। उस दिन मेरी कुन्दनलाल और दास-राम से किसी राजनीतिक विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। मैं भाई बालमुकुन्द का व्याख्यान सुनने गया था। परन्तु उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। मैंने कोई व्याख्यान नहीं सुना था। सन् १९२६ की कॉङ्गरेस के बाद से मेरे विचार राजनीतिक हो गए। इससे



पहले मैंने राजनीतिक विषयों पर दासराम, चरनदास और कुन्दनलाल से कोई बात-चीत न की थी।

मैं विज़िटर (दर्शक) और डेलीगेट (प्रतिनिधि) में कोई फ़र्क़ नहीं समझता। मैं कॉङ्गरेस-पण्डाल में २५) का टिकिट लेकर गया था। मुझे मालूम नहीं टिकट पर क्या लिखा था? जब कोई प्रस्ताव पास होता था तो जिधर अधिक आदमी होते थे, उधर ही मैं हाथ उठा देता था! उस दिन वॉयसरॉय को बधाई देने का प्रस्ताव पेश होकर पास हो गया। मैं आज तक नौजवान भारत-सभा का मेम्बर नहीं बना। वैसे मैंने अखबारों में सभा का नाम कई बार पढ़ा था।

कॉङ्गरेस के अवसर पर ही मेरे विचार ऐसे हो गए थे कि अगर वॉयसरॉय को मारना ही है तो मारने दो, इसमें हमारा क्या हर्ज है। कॉङ्गरेस के दिनों में मलिक कुन्दनलाल शाहदरा में मेरे पास आया था। वॉयसरॉय को बधाई का प्रस्ताव दिन को पास हुआ था। मैंने खासकर किसी की स्पीच नहीं सुनी; साधारण लोगों का उत्साह देख कर मेरे विचारों में परिवर्तन हो गया था। मैंने हंसराज को भी कॉङ्गरेस के पण्डाल में देखा था। सब से पहले राजनीतिक विषय पर मेरी बातचीत दुर्गादास से हुई थी।

मैं नज़ीर मुहम्मद को जानता हूँ। उसने कॉलेज में कोई ज़हरीली चीज़ खाकर आत्म-हत्या कर ली थी। उसके पास एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि मैंने आत्म-हत्या कर ली है, क्योंकि मुझे खैरातीराम से खौफ़ है। इसके लिए पुलिस ने मुझे कई बार थाने में बुलाया था।

इस प्रश्न पर सरकारी वकील ने एतराज़ किया और कहा कि इस मुक़दमे से इस प्रश्न का कोई सरोकार नहीं है।



प्रतिवादी के वकील ने कहा, कि मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूँ, कि गवाह को इस मुक़दमे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वह इस मुक़दमे से बचने के लिए सरकारी गवाह बना है।

इसके बाद प्रतिवादी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा—कृषि-कॉलेज छोड़ने के बाद मैं शर्म से अपने पिता से रुपए माँगने नहीं गया। हंसराज ने मुझसे मेम्बर बनाने से पहले रुपए नहीं माँगे थे।

मि० सलीम—जब तुम्हें अपने पिता से रुपए माँगने में शर्म मालूम होती थी, तो तुम किससे रुपए लेना चाहते थे ?

गवाह—अपने भाई मोहनलाल से लेने का इरादा था।

कृषि-कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कोई काम करना आरम्भ नहीं किया ! मैं हंसराज के मकान पर उससे भी मिलने नहीं गया। हंसराज ने कृषि-कॉलेज में मुझसे रुपया नहीं माँगा था। जब मैं लायलपूर गया तो वंशीलाल पुलिस में नौकर थे। परन्तु उसके दूसरे ही रोज़ डिसचार्ज कर दिए गए। मैंने वंशीलाल से वादा किया था, कि तुम्हें हरिकृष्ण कौल के दफ़्तर में नौकर करा दूँगा। मेरे और दुर्गादास की मौजूदगी में शाहदरा में कोई कॉङ्ग्रेस वॉलण्टियर नहीं आया। इसके बाद मैं शाहदरा से लाहौर आकर राजनीतिक सभाओं और जुलूसों में शामिल होने लगा। इसके बाद मैंने दुर्गादास से किताबें लेकर पढ़ीं, इससे मेरे दिल में और भी परिवर्तन हुए। दुर्गादास ने मुझे नहीं बताया कि वह कितने दिनों तक शाहदरा में ठहरेगा। जिस रोज़ महात्मा गाँधी की गिरफ़्तारी हुई थी, उस रोज़ लाहौर में हड़ताल थी। जुलूस निकले और सभा हुई। मैं और दुर्गादास इनमें शामिल थे। दुर्गादास के आने के बाद उससे



मुझसे बातचीत हुई तो उसने कहा कि मुल्क की आज़ादी में तुम्हें कुछ हिस्सा लेना चाहिए। दुर्गादास के आने के दो-तीन दिन बाद जगन्नाथ आया। उसके विचार भी क्रान्तिकारी थे, वह दिन भर मेरे पास रह कर फ़ीरोज़पूर चला गया और वहाँ से लौट कर बताया कि वहाँ भी क्रान्तिकारी दल है और मैं उसका मेम्बर हूँ! इसके सिवा दुर्गादास ने मुझसे और किसी क्रान्तिकारी दल का पता नहीं बताया। मैं जानता हूँ कि पिकरिक एसिड बम बनाने के काम में आता है। एक बार दुर्गादास पिकरिक एसिड लाया था। परन्तु इसके बाद फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं लाया।

## मुख़बिर के बयानों में समता

मुख़बिर खैरातीराम की जिरह के समय सफ़ाई के वकील ने अदालत से कहा, कि मुख़बिर ने अपनी गिरफ़्तारी के समय पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उसका प्रत्येक शब्द उस बयान के प्रत्येक शब्द से मिलता है, जोकि उसने अपने पहले बयान के डेढ़ मास पश्चात् मैजिस्ट्रेट की अदालत में दिया था। इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सलीम ने मुख़बिर से इसका कारण पूछा।

सबूत के वकील ने मुख़बिर के पुलिस के सामने दिए हुए बयान पर जिरह करने में क़ानूनी आपत्ति पेश की। परन्तु कई घण्टों की बहस के बाद ट्रिब्यूनल ने सफ़ाई-पक्ष की बात मान ली।

१३ जून, १९३१ : लाहौर सेन्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने श्री० सुखदेवराज, बी० ए० पेश किए गए। सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने, अभियुक्त सुखदेवराज की



अर्ज़ी, जोकि उसने हरीकिशन की फाँसी के सम्बन्ध में अदालत के नाम लिखी थी और जिसे जेल के अधिकारियों ने रोक रक्खा था, आज ट्रिब्यूनल के सामने पेश की और कहा कि यह अर्ज़ी केवल प्रचार के अभिप्राय से लिखी गई थी। यह अर्ज़ी अखबारों में न छपने देनी चाहिए।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह अर्ज़ी जेल के अधिकारियों ने मुझसे ली थी, इसलिए वह मुझको ही मिलनी चाहिए। अर्ज़ी मिल जाने के बाद मैं इस बात पर विचार करूँगा, कि वह अदालत में पेश की जाय या न की जाय ?

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अर्ज़ी अभियुक्त को न मिलनी चाहिए। यदि अभियुक्त यह अर्ज़ी अदालत में नहीं पेश करना चाहता, तो उसे जेल के अधिकारियों के पास वापस कर देनी चाहिए।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्त अर्ज़ी को अदालत में पेश करने या न करने के विषय में अपना मत परिवर्तन कर सकता है। अभियुक्त को उसकी अर्ज़ी उसे मिल जाना आवश्यक है। सम्भव है, कि वह अदालत में पेश करने के पहले अपने वकील से इस बात की सलाह लेना चाहता हो, कि अर्ज़ी पेश की जाय या नहीं ? जेल के अधिकारियों को यह निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, कि अदालत में पेश की जाने वाली कौन सी वस्तु आपत्तिजनक है और कौन सी ग़ैर-आपत्ति-जनक है। आइन्दा से अब उन्हें अर्ज़ियों को सीधे अदालत में भेज देना चाहिए।

मि० सलीम—मान लीजिए कि अभियुक्त अपने वकील की सलाह से अर्ज़ी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील—यह तो ठीक है, परन्तु उस दिन अभियुक्त


का कहना था, कि मैं तब तक अदालत की कार्रवाइयों में भाग न लूँगा, जब तक कि मेरी अर्ज़ी के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो जायगा।

## सरकारी वकील की बौखलाहट

मि० सलीम—अदालत अभियुक्त को अपने उसी मत पर आज भी स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

इस पर सरकारी वकील ने इस बात को ज़ोर देकर कहा कि अर्ज़ी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास लौटा दी जाय। सम्भव है कि सबूत-पक्ष को अभियुक्त की लिखावट प्रमाणित करने या उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए उसकी ज़रूरत पड़े। अदालत इसे अपनी मिसिल में दर्ज कर ले या कम से कम उसकी जाब्ते की नक़ल ले ली जाय।

मि० श्यामलाल ने कहा कि यदि यही बात है तो सबूत-पक्ष अर्ज़ी के प्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अभियुक्त को अर्ज़ी के मिसिल में दर्ज हो जाने का कोई डर नहीं है।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य, रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा, कि यद्यपि अभियुक्त ने उस दिन कहा था, कि जब तक अर्ज़ी का निर्णय न हो जायगा, तब तक मैं अदालत की कार्रवाई में भाग न लूँगा, फिर भी उसे अपनी अर्ज़ी वापस लेने का अधिकार है।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि वह चाहे तो अपनी अर्ज़ी नष्ट कर सकता है।

सरकारी वकील ने कहा—मैंने उसे अदालत की आज्ञा से पेश किया है।



अर्ज़ी, जोकि उसने हरीकिशन की फाँसी के सम्बन्ध में अदालत के नाम लिखी थी और जिसे जेल के अधिकारियों ने रोक रक्खा था, आज ट्रिब्यूनल के सामने पेश की और कहा कि यह अर्ज़ी केवल प्रचार के अभिप्राय से लिखी गई थी। यह अर्ज़ी अखबारों में न छपने देनी चाहिए।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह अर्ज़ी जेल के अधिकारियों ने मुझसे ली थी, इसलिए वह मुझको ही मिलनी चाहिए। अर्ज़ी मिल जाने के बाद मैं इस बात पर विचार करूँगा, कि वह अदालत में पेश की जाय या न की जाय ?

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अर्ज़ी अभियुक्त को न मिलनी चाहिए। यदि अभियुक्त यह अर्ज़ी अदालत में नहीं पेश करना चाहता, तो उसे जेल के अधिकारियों के पास वापस कर देनी चाहिए।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्त अर्ज़ी को अदालत में पेश करने या न करने के विषय में अपना मत परिवर्तन कर सकता है। अभियुक्त को उसकी अर्ज़ी उसे मिल जाना आवश्यक है। सम्भव है, कि वह अदालत में पेश करने के पहले अपने वकील से इस बात की सलाह लेना चाहता हो, कि अर्ज़ी पेश की जाय या नहीं ? जेल के अधिकारियों को यह निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, कि अदालत में पेश की जाने वाली कौन सी वस्तु आपत्तिजनक है और कौन सी ग़ैर-आपत्तिजनक है। आइन्दा से अब उन्हें अर्ज़ियों को सीधे अदालत में भेज देना चाहिए।

मि० सलीम—मान लीजिए कि अभियुक्त अपने वकील की सलाह से अर्ज़ी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील—यह तो ठीक है, परन्तु उस दिन अभियुक्त



का कहना था, कि मैं तब तक अदालत की कार्रवाइयों में भाग न लूँगा, जब तक कि मेरी अर्ज़ी के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो जायगा।

## सरकारी वकील की बौखलाहट

मि० सलीम—अदालत अभियुक्त को अपने उसी मत पर आज भी स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

इस पर सरकारी वकील ने इस बात को ज़ोर देकर कहा कि अर्ज़ी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास लौटा दी जाय। सम्भव है कि सबूत-पक्ष को अभियुक्त की लिखावट प्रमाणित करने या उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए उसकी ज़रूरत पड़े। अदालत इसे अपनी मिसिल में दर्ज कर ले या कम से कम उसकी जाब्ते की नक़ल ले ली जाय।

मि० श्यामलाल ने कहा कि यदि यही बात है तो सबूत-पक्ष अर्ज़ी के प्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अभियुक्त को अर्ज़ी के मिसिल में दर्ज हो जाने का कोई डर नहीं है।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य, रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा, कि यद्यपि अभियुक्त ने उस दिन कहा था, कि जब तक अर्ज़ी का निर्णय न हो जायगा, तब तक मैं अदालत की कार्रवाई में भाग न लूँगा, फिर भी उसे अपनी अर्ज़ी वापस लेने का अधिकार है।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि वह चाहे तो अपनी अर्ज़ी नष्ट कर सकता है।

सरकारी वकील ने कहा—मैंने उसे अदालत की आज्ञा से पेश किया है।



रायबहादुर गङ्गाराम—परन्तु वह अभियुक्त की तरफ़ से पेश हुई समझी जायगी।

सरकारी वकील—नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। अगर अर्ज़ी अदालत में पेश न की जाय, तो वह जेल-अधिकारियों के पास वापस भेज देने के लिए मुझे मिल जानी चाहिए। वह मेरे अधिकार में है और मेरे विश्वास पर दी गई है।

रायबहादुर गङ्गाराम—परन्तु आपका अधिकार अनुचित है। उसका हक़दार अभियुक्त है।

इस पर मि० सलीम ने सरकारी वकील से कहा, कि जब अभियुक्त कहता है कि मैं अर्ज़ी पेश करूँगा, तब आप कहते हैं कि वह पेश नहीं होनी चाहिए और अब जब वह कहता है कि मैं नहीं पेश करूँगा तब आप कहते हैं कि उसे ज़रूर पेश करनी चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं समझने में असमर्थ हूँ।

सरकारी वकील ने कहा—जेल-अधिकारी अर्ज़ी को वापस चाहते हैं। वे उसे अभियुक्त के आमालनामा (History Ticket) में दर्ज कर सकते हैं या उससे और कोई लाभ उठा सकते हैं।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि जेल के नियमों का इस रीति से प्रयोग न होना चाहिए कि अभियुक्त की सफ़ाई में बाधा पड़े। यदि अभियुक्त यह समझ लेगा कि जेल में उसकी लिखी हुई कोई भी अर्ज़ी उसके वकील के देखने के पहले ही अदालत या सबूत-पक्ष देख सकता है, तो अभियुक्त के लिए कोई भी अर्ज़ी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जायगा। अदालत और सरकारी वकील को अभियुक्त और उसके वकील के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।



## सफ़ाई के वकील की अर्ज़ी

मि० श्यामलाल ने अभियुक्त की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निम्न-लिखित अर्ज़ी अदालत के सामने पेश की।

(१) १० जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने जेल में अदालत के सामने पेश करने के लिए कुछ अर्ज़ियाँ लिखी थीं।

(२) जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन अर्ज़ियों को अदालत में पेश करने की इजाज़त नहीं दी।

(३) अभियुक्त ने अदालत आने पर सुपरिण्टेण्डेण्ट के इस कार्य का विरोध किया। इस पर अदालत ने उन अर्ज़ियों के पेश करने का हुक्म जारी किया।

(४) हुक्म पर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एक अर्ज़ी तो भेजी, किन्तु दूसरी रोक ली।

(५) अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की कि सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास से आई हुई अर्ज़ी मुझे दे दी जाय, जिससे अदालत के सामने पेश करने के पहले मैं उस पर विचार कर लूँ।

(६) दूसरी अर्ज़ी के सम्बन्ध में, जिसे जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने रोक रक्खी थी, अदालत ने सुपरिण्टेण्डेण्ट को एक नोटिस दिया जिसमें उनसे अभियुक्त की अर्ज़ी रोक रखने का कारण पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि भविष्य में ऐसी अर्ज़ी रोकने के लिए तुमसे कैफ़ियत तलब क्यों न की जाय?

(७) इस पर १३ जून को सरकारी वकील ने वह अर्ज़ी पेश की और कहा कि ग़लती से जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने वह अर्ज़ी रोक ली थी।

(८) इस पर अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की, कि


अर्जियाँ मुझे वापस मिल जायँ, जिससे मैं अदालत में पेश करने के पहले उन पर अपने वकील की सलाह ले सकूँ।

( ६ ) सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अर्जियाँ जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पास वापस भेज दी जायँ, अर्जियों में लिखी हुई बातें अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाण-रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

( १० ) अब अभियुक्त की सफ़ाई के सम्बन्ध में एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस अर्ज़ी को जेल के सुपरिण्टे-ण्डेण्ट ने रोक रक्खी थी, उसकी ज़रूरत केवल १० जून तक थी, उसके बाद किसी दूसरी तारीख़ को पेश करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अभियुक्त उपर्युक्त तारीख़ को अर्ज़ी उपस्थित करने से रोक लिया गया, परन्तु फिर भी सबूत-पक्ष उस अर्ज़ी का, अभि-युक्त के विरुद्ध सबूत के लिए उपयोग करना चाहता है।

( ११ ) क़ानून के मुताबिक़ अभियुक्त को उसकी सफ़ाई के लिए पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। यह अदालत जेल के उन नियमों के प्रयोग की इजाज़त न दे, जिनसे अभियुक्त की सफ़ाई में बाधा पड़ती हो।

( १२ ) अगर अदालत या सबूत पक्ष अभियुक्त और उसके वकील के बीच किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने लगे तो अभियुक्त के लिए कोई अर्ज़ी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जायगा।

( १३ ) ऐसी कठिनाइयाँ सम्भवतः आगे भी पड़ सकती हैं, इसलिए अभियुक्त अदालत से निम्न-लिखित हुक्म जारी कर देने की प्रार्थना करता है :

( क ) यह कि अभियुक्त को लिखी हुई अर्ज़ी साथ लाने, अदालत और सबूत-पक्ष को अर्ज़ी में लिखी बातों को न जानने



देने और अदालत के सामने अर्ज़ी पेश करने के पहले वकील से सलाह लेने का अधिकार रहे।

(ख) यह कि जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को ऐसी अर्ज़ी रोक लेने का कोई अधिकार नहीं है।

(ग) किसी भी हालत में जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार नहीं है, कि इस तरह की अर्ज़ियों को सबूत-पक्ष को दे दे।

## सरकारी वकील का विरोध

सरकारी वकील ने इस अर्ज़ी का विरोध किया और कहा कि इसका एक-मात्र तात्पर्य समाचार-पत्रों में प्रचार के लिए छपाना है।

मि० श्यामलाल ने कहा—मैं सरकारी वकील के इस आक्षेप का, कि हमारा उद्देश्य केवल प्रचार-कार्य करना है, अभियुक्तों के हितों की रक्षा करना नहीं है, ज़बर्दस्त विरोध करता हूँ।

इस पर ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सरकारी वकील को सफ़ाई के वकील के प्रति कहे हुए शब्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

सरकारी वकील—मेरे कथन का उद्देश्य मि० श्यामलाल पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं है।

मि० श्यामलाल ने कहा, कि मैं सरकारी वकील के उद्देश्य को माने लेता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी अर्ज़ी का उद्देश्य अभियुक्त की स्थिति को अदालत के सामने बिल्कुल स्पष्ट करना मात्र है।

इसके बाद आपने हाईकोर्ट के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा, कि जेल के अधिकारी अगर अभियुक्त की सफ़ाई में



किसी प्रकार की बाधा डालते हों तो अदालत को अख्तियार है कि वह अभियुक्त के हितों की रक्षा करे।

मि० सलीम—आप अदालत से क्या चाहते हैं?

मि० श्यामलाल—मैं चाहता हूँ, कि अर्ज़ियाँ सुखदेवराज को लौटा दी जायँ और सुपरिण्टेण्डेण्ट को इस बात की हिदायत कर दी जाय, कि आगे से वह ऐसी अर्ज़ी रोक न रक्खें।

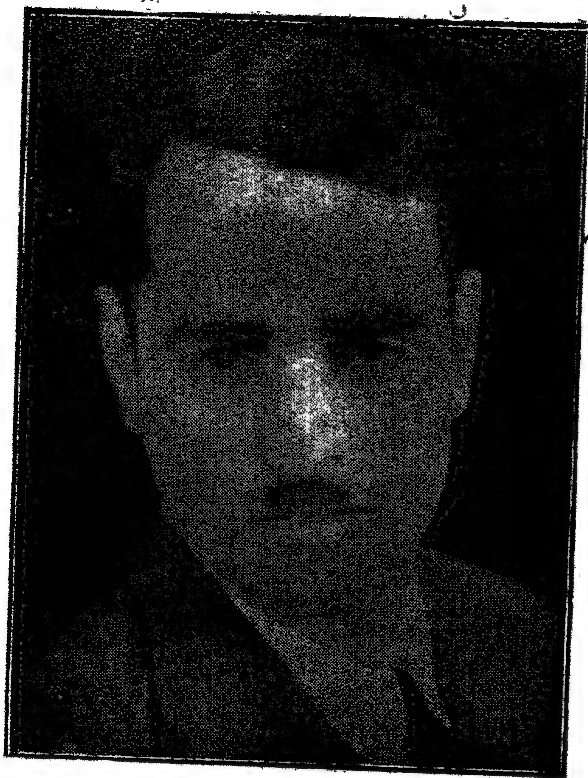
इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप इस अर्ज़ी को क्यों रख लेना चाहते हैं?

सरकारी वकील—सबूत-पक्ष के लिए यह एक गवाही का कार्य करेगी। मैं इसके द्वारा प्रमाणित करूँगा, कि अभियुक्त क्रान्तिकारी है, क्योंकि अर्ज़ी में वह श्री० हरीकिशन को अपना साथी कहता है और उसके कार्यों की प्रशंसा करता है।

## "मुझे क्रान्तिकारी होने का गर्व है"

मि० श्यामलाल—मैं फिर से इस बात पर ज़ोर देता हूँ, कि अभियुक्त को अपनी अर्ज़ियाँ वापस पाने का अधिकार है। अभियुक्त अपने आपको क्रान्तिकारी स्वीकार करने से डरता नहीं। इधर-उधर के हवालों से क्रान्तिकारी साबित करने की क्या आवश्यकता है? मैं अभियुक्त की तरफ़ से अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश करने वाला हूँ, जिसमें उसने अपने आपको क्रान्तिकारी स्वीकार किया है और उसके लिए उसे गर्व है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं, कि वह अपनी अर्ज़ी वापस पाने के क़ानूनी हक़ से वञ्चित रहे।

इसके बाद मि० श्यामलाल ने श्री० सुखदेवराज के हाथ की लिखी हुई निम्न-लिखित अर्ज़ी अदालत के सामने पेश कर दी।



श्री० सुखदेवराज, बी० ए०
जिन्होंने ट्रिब्यूनल तथा पुलिस द्वारा की गई बेईमानियों की अदालत में धज्जियाँ उड़ा दी थीं



## "सबूत-पक्ष की घृणित चालें"

"शुरू गिरफ़्तारी के समय से ही सबूत की तरफ़ से जैसी घृणित चालें मेरे साथ चली जा रही हैं और उनसे मेरी सफ़ाई के प्रबन्धों में जैसी बाधाएँ पहुँचाई जा रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं निम्न-लिखित बातें अदालत के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूँ :

( १ ) ३री मई को गिरफ़्तार होते ही मैं तुरन्त लाहौर फ़ोर्ट पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। मैंने अपने वकील से मिलने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी, परन्तु पुलिस अधिकारियों ने साफ़ नामञ्ज़ूर कर देने तक की कृपा नहीं दिखलाई। मेरी और मेरे वकील की अर्ज़ियाँ पड़ी रहीं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। यदि मेरी ओर से इस अदालत ने हस्तक्षेप न किया होता, तो शायद अब तक भी मैं पुलिस की हिरासत में ही पड़ा रहता।

( २ ) पुलिस ने १५-१५ दिन के बीच में दो बार मैजिस्ट्रेट की अदालत से मुहलतें लीं। पहली दफ़ा मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की मुहलत की दरखास्त एक मिनट में ही मञ्ज़ूर कर ली। उन्होंने अभियुक्त की बात को धैर्य देकर सुनना भी अनुचित समझा। दूसरी दफ़ा पुलिस की मुहलत की दरख्वास्त मेरी ग़ैर-मौजूदगी में ही मञ्ज़ूर करके बाद में उसकी खबर मेरे पास पहुँचा दी गई!

## मैजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत दर्ज करने से इन्कार

( ३ ) शनाख्त-परेड के समय मैजिस्ट्रेटों ने, परेड के समय की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों के विरुद्ध मेरी जो शिकायत थी, उसे बार-बार प्रार्थना करने पर भी लिखने से इन्कार कर



दिया। मैजिस्ट्रेटों ने शनाख्त-परेड के समय मेरे वकील को उपस्थित रहने की भो इजाजत नहीं दी। व्यवहार से मैजिस्ट्रेट पुलिस अफ़सरों के मातहत मालूम पड़ते थे, स्वतन्त्र विचार के नहीं। ऐसी शासन-प्रणाली में, जिसमें न्याय-विभाग कार्यकारिणी के हाथ का यन्त्र हैं, अमन और क़ानून की रक्षा का जैसा-रुख होना चाहिए वैसा ही उनका था। बेचारा मैजिस्ट्रेट दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करे या रोटी देने वाली कार्यकारिणी की इच्छाओं का पालन करे।

(४) २री जून को पुलिस की दोनों मुहलतों के बीत जाने पर मैं न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया और साथ ही अदालत की ओर से हिदायत कर दी गई कि मैं इस केस के अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, जिससे सफ़ाई के सम्बन्ध में पारस्परिक परामर्श करने में सुविधा हो परन्तु जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इन आज्ञाओं का उल्लङ्घन करना ही उचित समझा और मुझे १४० नं० के कमरे में बन्द करने की इज्जत प्रदान की, जिसमें सरदार भगतसिंह और राजगुरु अपनी फाँसियों के थोड़े ही पहले रह चुके थे। ४थी जून को जाकर कहीं मैं अपने केस के अन्य सहयोगी अभियुक्तों के साथ रक्खा गया।

(५) ६ ठी जून को पूर्वाह्न के समय, जब कि मेरे सहयोगी अभियुक्त अदालत में हाज़िर थे, मैं जेल के फाटक पर मुलाक़ात करने के लिए कह कर बुलाया गया। परन्तु वहाँ आने पर मुलाक़ात के बजाय, मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि मैं दण्ड-गृह में पहुँचाया जा रहा हूँ। डिप्टी-जेलर ने मुझसे कहा कि अदालत से भी उच्च राजसत्ता के हुक्म के मुताबिक़ अदालत


का वह हुक्म, जिसके अनुसार तुम्हें अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त दे दी गई थी, हटा लिया गया। उच्च राजसत्ता ने, जिसका अर्थ प्रान्तीय गवर्नमेण्ट है, मेरे लिए कालकोठरी का भी हुक्म दिया है, क्योंकि मेरी कोठरी के ५० गज़ इर्द-गिर्द कोई भी राजनीतिक या अन्य प्रकार का बन्दी नहीं आ सकता।

उपरोक्त बातों से यह साफ़ जाहिर है कि गवर्नमेण्ट ईमानदारी का बर्ताव नहीं कर रही है। इस केस में हम लोगों को दण्डित करने के लिए उसे अपने पक्ष की प्रबलता पर विश्वास नहीं है। वह निन्दनीय उपायों से सफ़ाई के कार्यों में बाधाएँ उपस्थित करके हम लोगों को दण्डित करना चाहती है। सबूत-पक्ष मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध चलने वाले केस की कमज़ोरी से भली-भाँति परिचित है, इस कारण उसने नीच प्रकार की चालों का आश्रय ग्रहण किया है। सफ़ाई का सङ्गठित प्रबन्ध होने पर यह केस ताशों द्वारा बने हुए घर की तरह नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है। अदालत के यह फ़ैसला कर देने के बाद, कि मैं अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, सबूत-पक्ष का प्रान्तीय गवर्नमेण्ट द्वारा अदालत के हुक्म को बदलवा देने का कार्य निश्चय ही सम्मानपूर्ण नहीं कहा जा सकता। श्रीमान, मेरा तो कथन है कि सबूत-पक्ष क़ानून को अपने हाथों में उठाए ले रहा है। उसका जो भाव है वह अदालत की तौहीन करने का एक स्पष्ट केस है। मुझे अन्य अभियुक्तों से अलग रखने के मामले में सबूत-पक्ष जब अदालत द्वारा असफल हुआ, तब उसने अदालत के हुक्म का अतिक्रमण करने का एक दूसरा उपाय सोचा और उसमें सफलता प्राप्त कर ली। यह ऐसा उद्धत कार्य है, जो भलमनसाहत से दूर है!



## "मुक़दमा महज़ पाखण्ड है"

गवर्नमेण्ट ने अपनी उद्धत-नीति के द्वारा यह बात साबित कर दी है कि यह मुक़दमा निरा पाखण्ड है। वह इस अदालत के फ़ैसले को तभी तक मानेगी, जब तक वह उसके हितों के विरुद्ध नहीं है। अपने विरुद्ध फ़ैसला होने पर वह उस फ़ैसले को शून्य बना देने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह उसने अभी दिखला दिया है। अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले कमज़ोर, परन्तु सच्चे विद्रोहियों को कुचल डालने के लिए सम्पूर्ण शासन-यन्त्र का प्रयोग करने तक से वह नहीं हिचकती। मैं क्रान्तिकारी हूँ और मुझे क्रान्तिकारी होने का गर्व है। सबूत-पक्ष को ईमानदारी से काम लेना चाहिए, अन्यथा इस मुक़दमे से फ़ायदा ही क्या है? अदालत में अभियुक्तों के सहयोग की आवश्यकता ही क्या है? अदालत द्वारा अभियुक्तों के छोड़ दिए जाने पर भी सबूत-पक्ष उन्हें छोड़ने से इन्कार कर देगा और सम्भव है कि सन् १८१८ के तीसरे रेगूलेशन के अनुसार उन्हें रोक रक्खा जाय।

मैंने अपना केस जहाँ तक सम्भव था, स्पष्टता के साथ प्रकट कर दिया है। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि वह सबूत-पक्ष की ग़ैर-क़ानूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध अपनी शक्ति का परिचय दे और अभियुक्तों के हित की रक्षा करे। यदि मुक़दमा न्याय से होना है, तो दोनों दलों को अदालत के प्रभुत्व को मानना चाहिए, अन्यथा सब व्यर्थ है।

आशा है कि मेरी शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया जायगा।

इसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि सुखदेवराज की अर्ज़ी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास सुखदेवराज को लौटा देने



के लिए भेज दी जाय। आगे के लिए अदालत ने कहा कि मौक़ा पड़ने पर हुक्म दिया जायगा।

१६ जून, १६३१ : आज जलपान के बाद अदालत के बैठने पर श्री० सुखदेवराज की फिर पेशी हुई। दर्शकों को गैलरी खचाखच भरी हुई थी।

अभियुक्त सुखदेवराज ने अपने सहयोगी अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के विरोध में जो अर्ज़ी दी थी, उसी पर अभियुक्त की तरफ़ से मि० श्यामलाल ने आज बहस की।

अर्ज़ी में कहा गया था, कि अभियुक्त अदालत के २री जून वाले हुक्म के अनुसार न्याय-विभाग की हिरासत में कर दिया गया था। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को बहस सुन लेने के बाद यह भी सिफ़ारिश की थी कि अभियुक्त सुखदेवराज अपने केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रक्खा जा सकता है। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत की सिफ़ारिश का पालन किया; परन्तु ६ जून को अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से फिर अलग कर दिया गया, जिसका कारण जेल के नियमों का कोई उल्लङ्घन नहीं था, बल्कि प्रान्तीय सरकार का हुक्म था !! अर्ज़ी में यह भी कहा गया था कि अभियुक्त जेल के अन्य क़ैदियों से बिल्कुल अलग एक कालकोठरी में रक्खा गया है। अभियुक्त ने ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की, कि वह सरकारी वकील से गवर्नमेण्ट द्वारा जारी किए गए इस हुक्म का कारण पूछे, जो यदि सन्तोषजनक न समझ पड़े, तो ट्रिब्यूनल अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दे। यदि ट्रिब्यूनल की आज्ञाओं या सिफ़ारिशों का पालन न हो सके, तो अभियुक्त को जमानत पर ही छोड़ दिया जाय।



## अर्ज़ी ख़ारिज

मि० श्यामलाल ने अदालत से पूछा कि क्या सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के कारण के विषय में जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट का कोई उत्तर आया है ?

प्रेज़िडेण्ट ने कहा, कि इस विषय में वहाँ से कोई खबर नहीं आई है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि क़ैदियों के अलग रखने के विषय में स्त्री-पुरुष-भेद का या श्रेणी-भेद का विचार किया जाता है। अदालत से दण्डित हो जाने वाले क़ैदी तक आपस में मिलने-जुलने से वञ्चित नहीं किए जाते। यदि किसी श्रेणी में केवल एक ही क़ैदी होता है, तो उसे अन्य श्रेणी के क़ैदियों से मिलने-जुलने दिया जाता है।

मि० सलीम—आपका मतलब यह है कि सुखदेवराज को अलग रखना अनिश्चित समय तक के लिए काल-कोठरी में रखने के बराबर है ?

मि० श्यामलाल—जी हाँ, क़ैदी के लिए एकान्तवास से बढ़ कर और कोई दण्ड नहीं हो सकता। केस के अधिक समय तक चलने की सम्भावना है। यह सम्भव है, कि इस एकान्तवास का अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह से बिल्कुल अलग रखने से उसकी सफ़ाई में भी बाधा पड़ेगी। ऐसी हालत में, जब कि अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो और उसकी सफ़ाई में बाधा पड़ती हो, अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि इस सम्बन्ध में मैं हाईकोर्ट में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ५६-ए के अनुसार कार्रवाई करने वाला हूँ। अदालत से मेरी प्रार्थना है, कि वह इस केस की



सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दे। इस पर ट्रिब्यूनल ने २२ ता० तक के लिए केस स्थगित कर दिया।

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के मुखबिर खैरातीराम की जिरह स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आज भी जारी रही।

मि० श्यामलाल के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा, कि लाहौर फ़ोर्ट में अभियुक्तों की शनाख्त होने के समय मैं नहीं जानता था कि मुझे माफ़ी मिल जायगी। लायलपूर की कुछ जगहों के पते बतलाने पर मुझे माफ़ी मिली थी। पहरा देने वाले के हाथ मैंने सी० आई० डी० अफ़सरों के पास एक खबर भेजी थी, जिसका अभिप्राय यह था कि वे सरकारी वकील से कह कर मेरी तरफ़ से अदालत में एक ऐसी अर्ज़ी दाखिल कर दें, जिससे मैं जेल की हिरासत से बदल कर लाहौर-फ़ोर्ट की हिरासत में कर दिया जाऊँ, क्योंकि जेल में मेरा स्वास्थ्य बराबर खराब होता जा रहा था। यह खबर मैंने लाहौर सेन्ट्रल जेल में आने के एक सप्ताह बाद भेजी थी। चार कॉन्स्टेबिल, नूर हुसेन नाम के हेड-कॉन्स्टेबिल के साथ मेरे पहरे पर तैनात थे। लाहौर फ़ोर्ट में हेड-कॉन्स्टेबिल तो दिखलाई पड़ता था, परन्तु वे चार कॉन्स्टेबिल वहाँ नहीं थे। खबर भेजने के बाद मुझसे कोई पुलिस अफ़सर नहीं मिला, सिर्फ़ सरकारी वकील और एक मैजिस्ट्रेट जेल में मुझसे मिलने के लिए आए थे।

## मुखबिर की अर्ज़ी

मि० अमोलकराम कपूर के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा, कि जिस दिन मुझसे सरकारी वकील और मैजिस्ट्रेट मिले थे, उस दिन मैंने एक काग़ज़ पर हस्ताक्षर किया था। काग़ज़ मुझे मैजिस्ट्रेट ने दिया था। उसे पढ़ लेने के बाद मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। सरकारी वकील से मेरी


कोई बातचीत नहीं हुई। वह काग़ज़ मेरी ओर से लिखी हुई अर्ज़ी थी, जिसमें लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य जेल में बराबर ख़राब होता जा रहा है, इसलिए जेल से बदल कर मैं लाहौर-फ़ोर्ट में कर दिया जाऊँ या ज़मानत पर छोड़ दिया जाऊँ। अर्ज़ी में यह भी लिखा था, कि सेन्ट्रल जेल में मुझे जान का ख़तरा मालूम होता है।

## फ़ोर्ट में

आगे जिरह करने पर मुख़बिर वह तारीख़ या महीना नहीं बतला सका, जब उसके पिता और भाई जेल में उससे मिले थे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मुझे यह याद नहीं, कि वे मुझसे मैजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान हो जाने के पहले मिले थे या बाद। मैं अदालत में १४ जनवरी, सन् १६३१ को हाज़िर हुआ था। मेरे पिता और भाई मुझसे इसके पहले ही मिल चुके थे। १४ जनवरी के बाद मैं उनसे दो बार मिला था। किन्तु मिलने की तारीखें मुझे याद नहीं हैं! लाहौर फ़ोर्ट में मैं अपनी कोठरी में रहा करता था। शौच क्रियादि और स्नान के समय के अतिरिक्त कोठरी के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिली थी। माफ़ी मिल जाने के बाद, दिन और रात दोनों वक़्त मैं कोठरी में ही रक्खा जाता था। माफ़ी मिलने के पहले दिन के वक़्त मैं कोठरी के अन्दर हथकड़ियाँ डाल कर और रात के वक़्त एक हाथ में हथकड़ी डाल कर, जिसकी ज़ञ्जीर कॉन्स्टेबिल की चारपाई से बँधी रहती थी, खुले में रक्खा जाता था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

आज ही मुख़बिर इन्द्रपाल की उस अर्ज़ी पर भी विचार हुआ, जिसमें कहा गया था, कि मुख़बिर को क़ानूनी सलाहकार



से मिलने की इजाज़त दी जाय, क्योंकि हाईकोर्ट में वह ज़मानत पर छोड़े जाने के लिए एक अर्ज़ी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील ने कहा, कि अदालत किस क़ानून के अनुसार मुख़बिर को क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त दे सकती है? जेल के नियमों के अनुसार अदालत अभियुक्त को केवल गवाही के लिए बुला सकती है; दूसरे किसी भी कार्य के लिए वह उसे नहीं बुला सकती। अदालत में हाज़िर होने के वक्त भी अभियुक्त जेल-अधिकारियों की हिरासत में रहता है।

इस पर रायबहादुर गङ्गाराम ने कहा कि यदि अदालत अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ सकती है, तो क्या वह अदालत में क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती?

इस पर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अदालत को इन मामलों में वहाँ तक अख़्तियार है, जहाँ तक किसी जेल-नियम का उल्लङ्घन नहीं होता। इस केस में इन्द्रपाल के विरुद्ध कोई मामला नहीं चल रहा है और न वह कोई अभियुक्त ही है। वह सबूत-पक्ष का एक गवाह है, जिसका बयान अभी समाप्त नहीं हुआ है।

अदालत ने अर्ज़ी मञ्ज़ूर कर ली और क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त दे दी गई।

१७ जून, १९३१: आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नए लाहौर षड्यन्त्र केस का मामला फिर पेश हुआ। अभियुक्त बिशनदास बीमार होने के कारण आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। उसने अपनी उपस्थिति का अधिकार अपने वकील को दे दिया था।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर से, जिरह के उत्तर में, मुख़बिर ख़ैरातीराम ने कहा, कि मैं अपनी गिरफ़्तारी


के बाद लाहौर के बाहर केवल लायलपूर भेजा गया था। मुझे नहीं मालूम कि २० अक्टूबर, १६३० तक मुझे माफ़ी क्यों नहीं मिली। मुझे यह भी नहीं मालूम कि दल का नाम "आतिशी चक्कर पार्टी" के अतिरिक्त और भी कोई है या नहीं। इस केस की जाँच के समय मैंने किसी बम की शनाख्त नहीं की थी।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम ने कहा—इस अदालत के सामने अपने बयान में तुम कह चुके हो कि हंसराज ने शाहदरा में तुमसे कहा था कि मलिक कुन्दनलाल और धर्मवीर लायलपूर में "आतिशी चक्कर" के पर्चे बाँटने वाले थे। यह बात न तो तुमने अपने पुलिस के सामने दिए गए बयान में कही है और न मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कही है। क्या इसका कोई कारण बतला सकते हो?

मुख़बिर—अगर जो आप कहते हैं वह ठीक है, तो उन बयानों में उस बात के न कहने का कारण यह है कि मुझे उस समय इसका ख़याल नहीं रहा। मुझे याद नहीं कि पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए किसी बयान में वह बात मैंने कही थी या नहीं।

## अफ़सरों की हत्या का उद्देश्य

इसके बाद मि० अमरनाथ मेहता एडवोकेट के जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि हंसराज ने मुझसे कहा था कि "आतिशी चक्कर पार्टी" के उद्देश्यों में एक यह भी है, कि जिस दिन भगतसिंह और उनके साथियों को फाँसी दी जाय, उस दिन उच्च यूरोपियन अफ़सरों के बङ्गलों पर बम फेंके जायँ।

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि दुर्गादास द्वारा क्रान्तिकारी विचारों में परिणत किए जाने पर मैंने दल के कार्यों में भाग लेने का प्रण कर लिया। मैं क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य, हिंसक



उपायों से शासन में बाधा डालना समझता था। हंसराज ने मुझसे दल का उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को भारत से निकाल बाहर कर देना और पुलिस तथा फ़ौजी शक्तियों को, जिनके आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट भारत में राज्य कर रही है, नष्ट कर देना बतलाया था। दुर्गादास ने मुझसे कहा था कि दल को उच्च अफ़सरों की हत्या करनी चाहिए, जैसा कि भगतसिंह और दूसरों ने किया था। मैं नहीं कह सकता कि हंसराज ने मुझमें कौन-सी ख़ूबी देख कर कहा था कि नवयुवकों को भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे याद नहीं कि मैंने पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने अपने किसी बयान में कहा था कि हंसराज ने मुझसे कहा था कि गुलाबसिंह और मलिक कुन्दनलाल शाहदरा गन-कॉटन बनाने के लिए आए थे। जब मैंने हंसराज को उनके कार्य में सहायता देने का वचन दिया था, तब मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि मुझे किस प्रकार की सहायता देनी होगी।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुख़बिर ख़ैरातीराम का बयान समाप्त हुआ।

सफ़ाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मलिक कुन्दनलाल ने जो मुझसे कहा था कि १६ जून, सन् ३० को सवेरे मैं और धर्मवीर दल के उस मकान में गया था, जहाँ बम फ़िट करके रक्खे हुए थे, वह ठीक है। बत्ती जला कर वे भाग आए थे। बमों के फट जाने के बाद वे वहाँ तमाशा देखने के लिए गए थे। वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गए थे। जब हंसराज ने मुख़बिर इन्द्रपाल के हाथ से एक बम लेकर मुझे दिखलाया तो मैंने समझा कि


हंसराज का भी षड्यन्त्रकारी दल से कोई सम्बन्ध है। मैं षड्यन्त्रकारी दल के सदस्य और सहायक का भेद नहीं बतला सकता। लाहौर फ़ोर्ट में मेरा बयान सब-इन्स्पेक्टर "मेहर जी" ने लिखा था। मैं नहीं जानता कि "मेहर जी" मेरे पिता को जानते हैं या उन्होंने मेरी माफ़ी के लिए कोई प्रयत्न किया है।

मि० प्राणनाथ मेहता के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि लाहौर में कॉङ्ग्रेस-अधिवेशन के समय मेरी कुन्दनलाल से किसी राजनीतिक विषय पर बातचीत नहीं हुई। हंसराज ने मुझसे कुन्दनलाल, अमरीकसिंह, गुलाबसिंह और रूपचन्द के अतिरिक्त और किसी भी दल के सदस्य का नाम नहीं बतलाया था। मैं भावलपुर रोड की बम-घटना और रावी-तट पर एक सदस्य के मर जाने की घटना के अतिरिक्त दल की और किसी भी कार्रवाई को नहीं जानता।

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद के फिर प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में पुलिस ने मुझे कुछ सिखलाया नहीं। हंसराज के पिता का नाम गिरधारीलाल है, परन्तु मैंने उन्हें कभी देखा नहीं।

१६ जून, १६३१ : आज स्पेशल ट्रिब्यूनल में बड़ी सनसनी रही। आज तीसरे मुखबिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हुई। गवाह के कठघरे में मुखबिर मदनगोपाल के आने पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि इस मुख़बिर की गवाही क़ानूनन् जायज़ नहीं है, क्योंकि इसकी माफ़ी ट्रिब्यूनल बन जाने के बाद और केस उसके अधिकार में सुपुर्द हो जाने के बाद मिली थी। मि० श्यामलाल ने इस सम्बन्ध में सन् १६३० के ऐक्ट चतुर्थ की नवीं दफ़ा की ओर ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित किया।



परन्तु ट्रिब्यूनल ने आपके तर्क को स्वीकार नहीं किया और मुख़बिर का बयान प्रारम्भ हो गया।

## मुख़बिर का बयान

शपथ लेने के लिए कहे जाने पर मुखबिर ने कहा कि जो कुछ मैं कहूँगा, सच कहूँगा; परन्तु यह ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ मैं पुलिस के कहने से पहले कह चुका हूँ और जो ठीक नहीं था, उसे भी इस वक्त दुहराऊँ।

सरकारी वकील, रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि मैं अजमेर के यादव स्थान का निवासी हूँ और मैंने सन १९२६ में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की थी। सन् १९२६ में जब से मैंने समाचार-पत्रों में एसेम्बली बम-घटना और भगतसिंह और दत्त के विषय की बातें पढ़ीं, तब से मुझे क्रान्तिकारियों से सहानुभूति हो गई। अजमेर में मेरी एक गोशाला थी। केशवचन्द्र नाम का व्यक्ति मुझसे राजनीतिक मामलों की चर्चा किया करता था। वह भगतसिंह और दत्त के कार्यों की प्रशंसा किया करता था और मुझसे कहा करता था कि प्रत्येक नवयुवक का कर्तव्य है कि वह भारत को स्वतन्त्र करने का प्रयत्न करे। एक दिन चन्द्रशेखर आज़ाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुझसे कहा कि मैं चन्द्रशेखर आज़ाद से तुम्हारा परिचय करा दूँगा। उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं उसी दल का सदस्य हूँ। उसके यह कहने के समय मैंने अनुमान लगाया कि मैं भी दल का सदस्य हो गया हूँ।

## तीन विभाग

मुख़बिर ने कहा, कि केशवचन्द्र ने मुझसे बतलाया था कि दल तीन विभागों में विभक्त है। पहले विभाग में कार्य करने


वाले लोग रहते हैं, जिनका काम हत्याएँ करना और डाके डालना रहता है, दूसरा विभाग प्रचारकों का है। इस विभाग का काम नवयुवकों में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करना और उन्हें सदस्य बनाना रहता है। तीसरा विभाग क्रान्तिकारियों से सहानुभूति रखने वालों का है। इस विभाग के व्यक्ति फ़रार अभियुक्तों और दल के सदस्यों को शरण देते और दल को आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। उसने मुझसे बतलाया था कि क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य वर्तमान शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना और उसके स्थान पर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन शासन क़ायम करना है। उसने मुझसे यह भी बतलाया था कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में बाधा डालने वाले पुलीस अफ़सरों की हत्या कर दी जाय। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे पोस्ट-बॉक्स का काम लूँगा अर्थात् मेरे पत्र तुम्हारे पते से आया करेंगे।

## दल का साहित्य

आगे प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि केशवचन्द्र मेरे पास एक रिवॉल्वर, यह कह कर छोड़ गया कि अपने पास रखने में आजकल डर मालूम हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के मकानों की तलाशियाँ हो रही हैं, जो मजदूर-आन्दोलन में भाग लेते हैं। रिवॉल्वर के साथ उसने कुछ कारतूस भी दिये थे। मैंने उन्हें अपने गोशाला में घास के ढेर के नीचे रख लिया था। कुछ समय बाद मैंने पिस्तौल और कारतूस उन्हें लौटा दिए। इसके बाद विमलप्रसाद और कान्तिप्रसाद से, जो कि दल के सदस्य थे, मेरा परिचय हुआ। इसके दस या पन्द्रह दिन बाद कान्तिप्रसाद ने मुझे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन" शीर्षक एक पर्चा दिखलाया, जिसमें लिखा था कि यदि दल का



सदस्य, दल का कोई भी भेद किसी पर प्रकट करेगा तो वह मार दिया जायगा। प्रत्येक सदस्य को अपने ज़िले के सङ्गठन-कर्ता की आज्ञा माननी पड़ेगी। सदस्यों का कर्तव्य है, कि वे दल के कार्यों को अपने निजी कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्व दें। मुख़बिर ने कहा कि उस पर्चे में यह भी लिखा था कि केन्द्रीय कमिटी को, फ़ौजी शिक्षा के लिए नवयुवकों को विदेश भेजने का प्रबन्ध करना है, जिससे जब भारतवर्ष में विप्लव फैले तो दल देश का नेतृत्व कर सके। उस पर्चे में मैंने यह भी पढ़ा था कि प्रचार-विभाग गुप्त और प्रत्यक्ष दो शाखाओं में विभक्त है। उसमें लिखा था कि प्रत्यक्ष प्रचार का कार्य नौजवान भारत-सभाएँ और सेवा-समितियाँ कर रही हैं। गुप्त प्रचार का मतलब ऐसे राजद्रोहात्मक साहित्य को प्रकाशित करना है जो साहित्य खुलेआम नहीं छापा जा सकता। उस पर्चे में लिखा था कि ज़िले के सङ्गठनकर्ताओं के पास हथियार रहा करेंगे, परन्तु बिना केन्द्रीय कमिटी की आज्ञा के वे किसी दूसरे सदस्य को न दिए जा सकेंगे। कान्तिप्रसाद के पास 'बम की फ़िलॉसफ़ी' शीर्षक एक दूसरा पर्चा भी था। कान्तिप्रसाद ने कहा कि इस पर्चे का उद्देश्य महात्मा गाँधी द्वारा 'यङ्ग इण्डिया' में लिखे गए एक लेख का उत्तर देना था। यह पर्चा हिन्दुस्तान भर में बाँटा गया था।

इसके बाद मुख़बिर ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि कान्तिप्रसाद ने तार द्वारा मई, सन् १९३० में मुझे दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में 'बड़े भैया' अर्थात् चन्द्रशेखर आज़ाद से क्वीन्स गार्डन में मेरा परिचय हुआ।

इसके बाद अदालत जल-पान के लिए स्थगित हो गई।



## "बड़े भय्या"

जल-पान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर ने कहा कि क्वीन्स गार्डन में आपस में बातचीत होने के बाद 'बड़े भैया' (चन्द्रशेखर आज़ाद) हम लोगों से अलग हो गए और मैं कान्तिप्रसाद उर्फ़ कैलाशपति के साथ विमलप्रसाद के घर चला गया। रास्ते में कान्तिप्रसाद ने मुझसे कहा कि मैं बड़े भैया के साथ लाहौर जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद बड़े भैया एक चमड़े का सन्दूक़ लिए हुए वहाँ पहुँचे। बड़े भैया और कान्ति-प्रसाद फ्रन्टियर-मेल से लाहौर के लिए रवाना हो गए। बड़े भैया सेकण्ड क्लास के डब्बे में और उसके बग़ल वाले 'सरवेण्ट' वाले डब्बे में मैं बैठा। लाहौर रेलवे-स्टेशन पर शिव हम लोगों को लेने के लिए आए थे। वे हम लोगों को सिविल लाइन्स के एक मकान में ले गए, जहाँ भगवतीचरण, एम० जी० शुक्ल उर्फ़ 'प्रान' भी उपस्थित थे। इतना कहने के बाद मुख़बिर ने कहा कि मैंने अपने पहले के बयान में पुलिस के कहने से एम० जी० शुक्ल का वास्तविक नाम यशपाल बतलाया था। भगवती-चरण, यशपाल और बड़े भैया ने आपस में कुछ परामर्श किया। मैं भगवतीचरण के मकान पर क़रीब दो दिन ठहरा था। दो दिन के बाद 'प्रान' मुझे भावलपुर रोड पर के एक बङ्गले पर ले गया। वह दिन ता० ९३ मई, सन् १९३० का था।

## मुख़बिर 'बैरा' बनाया गया!

भावलपुर रोड के मकान पर मुझसे बैरा का काम करने और सूरज के रसोईदार का काम करने के लिए कहा गया।

इसी बीच में अदालत के सामने यशपाल की फ़ोटो पेश की गई, जिसकी मुख़बिर ने शनाख्त की। इसके बाद मुख़बिर ने


कहा कि मैंने और सूरज ने बड़े भैया के आदेशों के अनुसार मकान की सब चीज़ें ठिकाने कीं। उस मकान में मैं २ जून, सन् ३० तक रहा। मेरे रहने के वक़्त उस मकान में सूरज, प्रान, दीदी और भाभी नाम से पुकारी जाने वाली दो औरतें और राज रहते थे। बड़े भैया उस मकान से रात के वक़्त चले जाया करते थे। वे केवल २७ मई की रात को उस मकान में सोए थे। २५ और २८ मई की रातें भी उन्होंने उसी मकान में बिताई थीं। २८ मई को रात को उस बङ्गले में एक धनी नाम का व्यक्ति सोया था। ३० मई को बङ्गले में आसफ़ नाम का एक व्यक्ति आया था। एक दूसरा व्यक्ति, जिसे लोग सरदार कहते थे, ३०-३१ मई और पहली जून को आया था। "जाट" नाम का भी एक व्यक्ति बङ्गले में आया था।

## बम की परीक्षा

मुख़बिर ने कहा कि 'भाभी' भगवतीचरण की स्त्री थीं। २८ मई, सन् १९३० को लगभग चार-पाँच बजे शाम को सूरज ने मुझे तैयार होने और राज को कहीं ले जाने के लिए कहा। राज के पैर में ताँगे से चोट आ गई थी। बाहर जाते वक़्त मैंने राज को बङ्गले के एक कमरे में पड़ा हुआ देखा। दीदी उसके बाएँ पैर में पट्टी बाँध रही थीं। मैंने ख़ुद उसकी चोट नहीं देखी थी। मैंने शिव को बड़े भैया से यह कहते हुए सुना था कि शिव और भगवतीचरण किसी बम की परीक्षा करने के लिए कहीं गए थे, वहीं बम के फट जाने से भगवतीचरण और राज घायल हो गए थे, जिसमें भगवतीचरण अधिक घायल हुए थे।

इस बीच में ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर से कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने तुमने जो बयान दिया था, उसमें तुमने दाहिने पैर में—



चोट लगने की बात कही थी, परन्तु इस वक़्त के बयान में तुमने कहा है कि चोट बाएँ पैर में लगी थी। इस पर मुख़बिर ने कहा कि मैं भूल गया, चोट दाहिने पैर में लगी थी, बाएँ में नहीं।

## मैजिस्ट्रेट के सामने का बयान

मि० सलीम—पुलिस के सामने दिए गए बयान में तुमने कहा था कि चोट ३ इञ्च लम्बी थी, परन्तु इस वक़्त के बयान में तुमने उसका कोई ज़िक्र नहीं किया ?

मुख़बिर—मैजिस्ट्रेट के सामने जब मेरा बयान हो रहा था, उस समय कुछ शब्द मैं कहता था और कुछ शब्द पुलिस-अफ़सर जोड़ दिया करता था। मैजिस्ट्रेट हम दोनों के सम्मिलित वक्तव्य को लिखता जाता था। ३ इञ्च की चोट की बात जो मेरे बयान में आई है, वह पुलिस-अफ़सर की लिखाई हुई है। पुलिस-अफ़सर के यह लिखाते समय मैं चुप था। पुलिस के सामने जब मेरा बयान लिखा जा रहा था, तब पुलिस ने उपरोक्त बात अपने आप लिख ली थी। लिखते समय मझसे कहा गया कि यह बात जानी हुई है कि ३ इञ्च की गहरी चोट लगी थी। इस पर मैंने पुलिस से कहा कि मैं झूठ न बोलूँगा। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के समय मैं चुप था, पुलिस-अफ़सर बोल कर लिखाता गया। उस समय मैंने इसका विरोध नहीं किया और न इस विषय में मैजिस्ट्रेट का ध्यान ही आकर्षित किया। जहाँ कहीं मैं कुछ भूल जाता था, वहाँ पुलिस-अफ़सर पुलिस के सामने दिए हुए मेरे बयान की नक़ल देख कर, जोकि उस वक़्त उसके पास ही थी, बोल देता था।

इसके बाद अन्य प्रश्नों के उत्तर में मुख़बिर ने अपनी गवाही में आगे कहा कि पुलिस इन्स्पेक्टर के० एस० मिर्ज़ा



अताउल्ला शाह मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं गए, यद्यपि मैजिस्ट्रेट उनका बयान लिख रहे थे। मुखबिर ने कहा कि बयान देने के लिए पुलिस लाहौर फ़ोर्ट से मुझे मैजिस्ट्रेट की अदालत में केवल दो रोज़, ६ और ७ दिसम्बर को ले गई थी। इसके बाद, यद्यपि मेरा बयान अभी पूरा न हुआ था, वह मुझे मैजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं ले गई। मैं इस ख्याल में था कि बयान देने के लिए मैं फिर कभी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाऊँगा। परन्तु १४ या १५ दिसम्बर को के० एस० मिर्ज़ा अताउल्ला शाह ने मुझसे कहा कि हम लोग तुम्हें दो रोज़ मैजिस्ट्रेट की अदालत में सिर्फ़ क़ानूनी रस्म पूरी करने के लिए अदालत ले गए थे, नहीं तो मैजिस्ट्रेट हम लोगों का दोस्त है।

## जेल में बयान रटाने की शिक्षा

इस बीच में अदालत के उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए मुखबिर ने अदालत के सामने अपने जूते के अन्दर से काग़ज़ का एक टुकड़ा निकाल कर पेश किया और कहा कि परसों जेल में पुलिस के एक डी० एस० पी० ने मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नक़ल दी और कहा कि इसे ज़बानी याद कर लेना। मैंने उस बयान को पढ़ा, इसके बाद डी० एस० पी० उसे ले गया। कल फिर वही पुलिस-अफ़सर जेल गया और जेल के एक क्लर्क के द्वारा मुझे बुलवा कर बयान की नक़ल दी। उस पुलिस-अफ़सर के हाथ में दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुखबिर कैलाशपति के बयान की भी एक नक़ल थी। पुलिस अफ़सर ने मुझसे कहा कि होशियार रहना, मुख़बिर कैलाशपति द्वारा कही हुई बातों का कहीं खण्डन न हो। बयान पढ़ लेने के बाद वह मुझसे ले लिया गया। लेकिन मैजिस्ट्रेट



के सामने मैंने जो बयान दिया था, उसकी नक़ल मेरे पास रहने दी गई। उसी नक़ल से मैंने जो नोट तैयार किए हैं, उन्हें जूते में छिपा कर अदालत के सामने पेश करने के लिए लाया हूँ। डी० एस० पी० अफ़सर ने चेतावनी देते हुए मुझसे कहा था, कि अगर बयान में कहीं ग़लती की तो माफ़ी छिन जायगा। जूते के अन्दर लाने के कारण काग़ज़ फट गया है और उसका कुछ अंश अब भी जूते में चिपका हुआ है। इतना कह कर मुखबिर ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों को अपना जूता दिखला दिया।

## पुलिस की चिन्ता

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि मैं अपने बयान की नक़ल ट्रङ्क में बन्द करके रख आया हूँ। ट्रङ्क की कुञ्जी बिस्तर में है। सरदार प्रतापसिंह डी० एस० पी० ने मुझसे पूछा था कि कुञ्जी कहाँ है? मैंने कहा, कमरे में है। अदालत के हाते में जेल के क्लर्क ने आकर मुझसे, पुलिस अफ़सरों के जेल में जाकर मिलने की बात अदालत से न कहने के लिए कहा। उसने कहा कि इस बात के मालूम हो जाने से मैं बरख़ास्त कर दिया जाऊँगा। क्लर्क से कुञ्जी के विषय में पूछने पर मालूम हुआ कि कुञ्जी नहीं मिली। परन्तु अदालत के जल-पान के समय कोई इन्सपेक्टर ने आकर मुझसे पूछा कि बयान की नक़ल का पहला पृष्ठ कहाँ है। मुखबिर ने अदालत से कहा कि नक़ल को ट्रङ्क में रखते समय उसका पहला पृष्ठ निकाल कर मैंने अन्यत्र रख दिया था। इन्सपेक्टर के पूछने से मुझे शक़ होता है, कि ट्रङ्क से नक़ल निकाल ली गई है। जो काग़ज़ मैंने अदालत में पेश किया है, उसमें नक़ल के प्रथम ३८ पृष्ठों के वाक्य और लाइनों



के नम्बर दर्ज हैं। काग़ज़ में जो संख्या दी हुई है, वह लाइनों की है।

जूते के तल्ले का निरीक्षण करने पर काग़ज़ का एक और छोटा-सा टुकड़ा निकला।

## सफ़ाई के वकील ने जाँच की माँग पेश की

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने अदालत से इस घटना की जाँच करने की प्रार्थना की।

अदालत के पूछने पर मुखबिर ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की नक़ल का प्रथम पृष्ठ, जो मैंने छिपा कर रक्खा है, उसे पेश करने की आशा रखता हूँ। परन्तु यदि पुलिस उसे पा गई होगी तो मैं लाचार हूँ।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि यदि ट्रिब्यूनल ने मुझसे पूछा न होता तो अदालत के उठने के ५-६ मिनट पहले मैंने स्वयं ही सब बात बतलाई होती।

अदालत के उठने पर अदालत का क्लर्क मुखबिर के साथ बोर्स्टल जेल में जाँच करने के लिए गया।

आज की कार्रवाई में कॉमरेड क्रान्तिकुमार ने, जो कि अभियुक्त धर्मवीर से मुलाक़ात करने के लिए गया था, दर्शकों की गैलरी से अदालत को सम्बोधित करते हुए चिल्ला कर कहा कि पुलिस ने अदालत के अन्दर आने के समय मेरे जेब से एक पत्र ले लिया था, जो कि अब तक मुझे नहीं लौटाया गया।

इस पर अदालत ने इन्स्पेक्टर डेविडसन से मि० क्रान्तिकुमार को गैलरी से निकाल बाहर करने का हुक्म दे दिया।

मि० क्रान्तिकुमार के हटाए जाने के समय दर्शक नन्दलाल ने, जोकि अभियुक्त जहाँगीरीलाल के भाई हैं, ट्रिब्यूनल से



निवेदन किया कि पुलिस इन्स्पेक्टर मि० क्रान्तिकुमार को पीट रहे हैं।

इस पर अभियुक्त जहाँगीरीलाल तथा अन्य अभियुक्तों ने ट्रिब्यूनल से कहा कि यदि हम लोगों के रिश्तेदारों और दर्शकों को इस तरह से अपमानित किया जायगा तो हम लोग अदालत में हाज़िर होने से इन्कार कर देंगे। दर्शकों पर इसलिए कड़ाई की जाती है, जिससे वे अदालत में आना छोड़ दें। यह तो असहनीय है।

इस पर दर्शकों की गैलरी में बैठे हुए लोग विरोध-स्वरूप अपनी-अपनी सीटें छोड़ कर बाहर चले गए।

प्रेज़िडेण्ट ने इन्स्पेक्टर डेविडसन से पूछा कि क्या मि० क्रान्तिकुमार के साथ बुरा व्यवहार हुआ? इन्स्पेक्टर ने कहा, जी नहीं, दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मैंने केवल कोर्ट की आज्ञा का पालन किया है।

अभियुक्त कुछ बोलना चाहते थे, परन्तु मि० श्यामलाल, अमोलकराम कपूर आदि के कहने से वे चुप रहे।

१६ जून, १६३१ : की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने प्रारम्भ में अदालत के क्लर्क ख़ान गुलमोहम्मद ख़ाँ का बयान दर्ज किया। ख़ान गुलमोहम्मद ख़ाँ को ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार उसके छिपाए हुए काग़ज़ को लाने के लिए जेल भेजा था। उसने अपने बयान में कहा कि मैं स्पेशल ट्रिब्यूनल की आज्ञा से बोर्स्टल जेल के फाटक पर कल शाम को चार बज कर पाँच मिनट पर पहुँचा। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट उस वक़्त मौजूद नहीं थे। क़रीब चार बज कर १५ मिनट पर मैं अन्दर बुलाया गया और प्रवेश-द्वार के बग़ल वाले एक कमरे में, जोकि शायद जेल का ऑफ़िस था, बैठा दिया गया। मुख़बिर



भी वहीं बुला लिया गया। इसके बाद जब मुख़बिर को जेल के कर्मचारी उसके कमरे की ओर ले जाने लगे तब मैंने भी मुख़बिर के साथ जाना चाहा परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मदनगोपाल काग़ज़ स्वयं ही लेता आएगा, अगर कोई होगा। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुख़बिर के साथ असिस्टेण्ट जेलर को भी भेजा था। मैं ऑफ़िस में बैठा उनके आने का रास्ता देखता रहा। क़रीब पन्द्रह मिनट के बाद मुख़बिर ने आकर काग़ज़ मुझे दे दिया, जिसे मैं अदालत में पेश कर चुका हूँ। उस काग़ज़ पर मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल और असिस्टेण्ट जेलर के हस्ताक्षर करा लिए थे।

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अदालत के इस गवाह ने सबूत-पक्ष के विरुद्ध गवाही दी है। इसलिए मुझे इस गवाह से जिरह करने का समय दिया जाय।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि नियम के अनुसार इस गवाह से जिरह करने का पहला अधिकार मेरा है। अदालत ने मि० श्यामलाल की बात मान ली।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि बोर्स्टल जेल के फाटक पर पहुँचने पर मुझे फाटक का पहरेदार मिला। मैंने उससे कहा कि अदालत ने मुझे जेल के अन्दर जाने की इजाज़त दी है, परन्तु उसने फाटक खोलने और अन्दर जाने की इजाज़त देने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि साहब ही आपको अन्दर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। मैं मोटर पर बैठा बाहर इन्तज़ार करता रहा। असिस्टेण्ट जेलर दोस्त अलीशाह से पूछने पर, जोकि मुख़बिर को उसके कमरे तक पहुँचाने गए थे, मालूम हुआ कि बिना जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को



आज्ञा के जेल के अन्दर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। मैंने उनसे जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट तक ख़बर पहुँचा देने के लिए कहा। असिस्टेण्ट जेलर ने क़रीब साढ़े चार बजे लौट कर कह दिया कि मुझे जेल के अन्दर कुछ उपयोगी कार्यवश देरी हो गई। साथ ही यह भी कहा कि बिना सुपरिण्टेण्डेण्ट की इजाज़त के आप अन्दर नहीं जा सकते। इस पर मैंने उनसे यही बात लिख कर देने के लिए कहा। इस पर उन्होंने अदालत के हुक्म पर सही कर दी। परन्तु मैंने कहा कि केवल आपकी सही पर्याप्त नहीं है, इस पर जेलर सुपरिण्टेण्डेण्ट की सही भी होना आवश्यक है। इस पर असिस्टेण्ट जेलर अदालत का आज्ञा-पत्र लेकर जेल के अन्दर चले गए। पाँच बज कर १० मिनट पर जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट बाहर आए, मुझे अन्दर लिवा ले गए और ऑफ़िस में एक कुर्सी पर बैठा दिया। मैं मुख़बिर के साथ उसके कमरे तक जाना चाहता था, परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। इसके क़रीब पन्द्रह मिनट बाद मुख़बिर लौट आया। उसने कहा कि मेरी ट्रङ्क का ताला तोड़ दिया गया है और यह कह कर उसने मुझे अपनी तालियों का गुच्छा देना चाहा, परन्तु मैंने कहा कि तालियों के गुच्छे के लिए मुझे अदालत से कोई हुक्म नहीं मिला। मुख़बिर ने कहा कि ट्रङ्क से मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नक़ल भी ग़ायब कर दी गई है।

इसके बाद सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि पहले मुख़बिर ने मुझे तालियों का गुच्छा देना चाहा, फिर उसने अपनी ट्रङ्क का ताला टूटने की शिकायत की। इसके बाद उसने वह काग़ज़ दे दिया, जिसके लेने के लिए मैं अदालत की तरफ़ से भेजा गया था।



मेरे यह पूछने पर कि कोई और काग़ज़ भी तो नहीं है, मुख़बिर ने कहा था कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काग़ज़ नहीं है, दूसरे काग़ज़ जो थे वे ग़ायब कर दिए गए हैं। यह काग़ज़, जोकि उसने दिया था, पुराना और फटा हुआ था। मैं नहीं जानता कि मुख़बिर मदनगोपाल वह काग़ज़ कहाँ से लाया था, न इस विषय में किसी शख़्स ने मुझे कोई बात बताई और न मैंने किसी से पूछा ही क्योंकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म मुझे नहीं दिया था। मुख़बिर की कोठरी तक मेरे न जाने का कारण यह नहीं था, कि अदालत से उस विषय में कोई हुक्म नहीं मिला था, बल्कि न जाने का कारण जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट का हस्तक्षेप था। यदि अदालत ने मुख़बिर की कोठरी तक जाने का स्पष्ट आदेश दिया होता तो मैं सुपरिण्टेण्डेण्ट से मुख़बिर के साथ उसकी कोठरी तक जाने का आग्रह करता।

अदालत के क्लर्क की गवाही हो चुकने के बाद मुख़बिर मदनगोपाल पेश किया गया।

मि० श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की कि काग़ज़ के सम्बन्ध में अगर मुख़बिर की भी गवाही इसी वक़्त हो जाय तो अच्छा हो।

अदालत के प्रश्न करने पर मुख़बिर ने कहा कि कल शाम के वक़्त मैंने अपने बयान का प्रथम पृष्ठ अदालत के क्लर्क को दिया था। उसे मैंने जेल में अपनी कोठरी के बाहर ज़मीन के अन्दर से निकाला था। अदालत में जो कुछ मैंने कहा था उसका प्रमाण देने के लिए मैंने उस काग़ज़ को ज़मीन के अन्दर सुरक्षित करके रख लिया था। जेल की कोठरी में मेरे दो सूट-केस थे। कल अदालत से जेल जाने पर मैंने देखा कि एक सूट-केस, जिसमें मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की नक़ल



रक्खी हुई थी, ग़ायब है। कल बोर्स्टल जेल पहुँचने पर अदालत के क्लर्क को, जिसे अदालत ने मेरे साथ अपने हुक्म से भेजा था, जेल के अधिकारियों ने जेल के फाटक पर ही रोक लिया और मुझे जेल के अन्दर ले गए। वहाँ वॉर्डर ने, जिसे लोग 'शाह जी' कहते हैं, मुझसे पूछा कि बयान का प्रथम पृष्ठ कहाँ है? मैंने कहा कि अदालत के किसी ज़िम्मेदार अफ़सर की अनुपस्थिति में मैं वह पृष्ठ किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता। इसके बाद वॉर्डर ने मेरे सूट-केस की ताली माँगी, जिसे देने से मैंने इन्कार कर दिया। इस पर वॉर्डर ने सूट-केस का ताला तोड़ डाला, परन्तु उसमें कुछ मिला नहीं। एक दूसरा काग़ज़ मैंने अपनी कोठरी के एक दराज़ में रख दिया था, परन्तु मेरी ग़ैर-मौजूदगी में पुलिस ने उसे भी ग़ायब कर दिया था।

## भगवतीचरण की मृत्यु

इसके बाद मुख़बिर की षड्यन्त्र-सम्बन्धी गवाही प्रारम्भ हुई। सरकारी वकील ने अदालत के सामने एक जूता पेश किया, जिसकी मुख़बिर ने शनाख्त की और कहा कि यह जूता वैसा ही है जैसा राज पहना करता था। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि 'बड़े भैया' ने कहा था कि वह बम इतना भयानक था कि तीस गज का फ़ासला होने पर भी वह राज की पुस्तक के आर-पार निकल गया। घायल हो जाने के बाद भगवतीचरण भावलपुर रोड वाले मकान पर नहीं लाए गए थे। भगवती-चरण के घायल होने के दिन 'बड़े भैया', धनी, प्रान और सूरज मकान से बाहर जाते समय भगवतीचरण के यहाँ जाने के लिए कह गए थे। ग्यारह बजे रात को उन सब के लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि भगवतीचरण की मृत्यु हो गई। २८ मई,


सन् १९३० को सवेरे वे लोग फिर घर से निकल गए और शाम को ६ बजे वापस आए। उनकी बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि वे भगवतीचरण को रावी-तट के किसी ज़खीरे में दफ़न कर आए हैं। प्रान ने मुझसे साइकिलें लाने के लिए कहा। राज ने मुझसे साइकिलों के लाने के लिए नहीं कहा था। मुखबिर ने कहा कि मैंने पुलिस के कहने से इस सम्बन्ध में राज का नाम लिया था। उसी दिन शाम को दल के उपयोग के लिए शिव दो साइकिलें लाया था। भावलपुर रोड हाउस में हर वक्त दो-चार साइकिलें मौजूद रहती थीं। ता० २९ या ३० मई को 'बड़े भैया', सरदार, प्रान और जाट एक मोटर लॉरी पर आए और जेल पर आक्रमण करने की स्कीम पर विचार हुआ।

## जेल पर आक्रमण

मुखबिर ने कहा कि पहली जून सन्, १९३० को 'बड़े भैया' से मालूम हुआ कि आज जेल पर आक्रमण किया जायगा। इस सम्बन्ध मे ३० ता० की रात को कुछ रिवॉल्वर निकाल कर साफ़ कर लिए गए थे। ३१ मई को तीन बम स्वयं प्रान और 'बड़े भैया' ने भर कर तैयार किए थे। उस वक्त कमरे में शिव बैठा हुआ था और राज सो रहा था। मैंने भगवतीचरण की मृत्यु के पहले कुछ बम आलमारी में रक्खे हुए देखे थे। वे टेनिस की गेंद के आकार के थे। इसी बीच अदालत में मुखबिर के सामने सरकारी वकील ने एक बम पेश किया, जिसे देख कर मुखबिर ने कहा कि वे बम इसी प्रकार के थे। ३१ मई को मैं शिव के साथ एक धुलाई की दूकान के पास गया, जहाँ से शिव एक छोटी-सी सन्दूक़ ले आए। मैंने शिव से यह नहीं पूछा कि उसमें क्या है। १ जून को 'बड़े भैया' ने मुझे और सूरज को



बुलाया और सूरज से कहा कि हम लोग जेल पर आक्रमण करने जा रहे हैं, मेरे साथ चलो। सूरज ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस पर 'बड़े भैया' ने मुझे चलने को कहा। 'बड़े-भैया' ने बग़ल के कमरे से एक रिवॉल्वर लाकर मुझे दे दिया। यह फ़ौजी रिवॉल्वर था। मैंने पहले कभी रिवॉल्वर नहीं चलाया था। हवाई पिस्तौल से निशानेबाज़ी का अभ्यास किया था। जेल पर आक्रमण करने के लिए मोटर लॉरी पर मैं, प्रान, 'बड़े भैया', शिव और सरदार जी जाने वाले थे। हम लोग घर से २ बजे मोटर लॉरी पर रवाना हो गए। आसफ़, दीदी, भाभी और राज बङ्गले पर रहे। लॉरी हम लोगों को लेकर एक बाग़ में पहुँची, जहाँ हम लोगों ने ताश खेलना प्रारम्भ कर दिया। थोड़ी देर में दो व्यक्ति एक-एक करके साइकिल पर आए, जिनसे प्रान ने बातें कीं। दूसरे व्यक्ति के रवाना होने के बाद हम लॉरी पर बैठ गए। लॉरी तेज़ी से जेल की ओर रवाना हो गई। बोर्स्टल जेल से दो फ़र्लाङ्ग की दूरी पर एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने लॉरी खड़ी कर दी। वहाँ से बोर्स्टल जेल का मुख्य फाटक दिखलाई पड़ता था। मैंने जेल के फाटक के सामने एक जेल-लॉरी खड़ी देखी।

## इशारा

शिव बाँसुरी बजाने लगा। मैंने समझा कि भगतसिंह और दत्त को इस बाँसुरी के द्वारा इशारा किया जा रहा है कि उनको जेल से छुड़ाने वाला दल आ गया है। 'बड़े भैया' ने कहा कि बम फेंकना ठीक न होगा, क्योंकि सम्भव है कि उससे भगतसिंह और दत्त को भी चोट लग जाय। मेरे और शिव के लिए निश्चय हुआ था कि हम लोग भगतसिंह के साथ वाले कॉन्स्टेबिलों पर गोली



चलाएँ और पिस्तौल भगतसिंह और दत्त को दे दें। प्रान के लिए निश्चय हुआ था कि यदि कोई पुलिस अफ़सर हम लोगों की ओर गोली चलाए तो वह उनका उत्तर दे। 'बड़े भैया' ने अपने लिए सब-इन्स्पेक्टर और मोटर ड्राइवर को गोली मारने की ड्यूटी निश्चय की थी। भगतसिंह और दत्त को छुड़ा कर दल ने उन्हें मोटर में एक घर की तरफ़ ले चलने का विचार किया। हम लोगों ने भगतसिंह और दत्त को एक जेल-लॉरी में जाते हुए देखा और भगतसिंह और दत्त ने भी हम लोगों को देखा। 'बड़े भैया' पर हम लोगों की असफलता का बड़ा आघात पहुँचा। 'बड़े भैया' ने कहा कि यह कार्य हम लोग कल फिर करेंगे। इसलिए हम लोग भावलपुर रोड वाले मकान पर वापस चले आए और मकान में रहने वाले साथियों से असफलता की बात कह दी। 'बड़े भैया' ने कहा कि इस कार्य के लिए बहुत रुपए की आवश्यकता है। मि० आसफ़ ने रुपए के लिए प्रबन्ध करने का वचन दिया। भाभी ने कहा कि आप लोग हमारा ज़ेवर बेंच कर इस कार्य की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। दीदी ने भी अपने ज़ेवर बेचने की इच्छा प्रगट की।

## भावलपुर रोड की बम-घटना

रात को हम सब लोग उसी मकान में सोए। दूसरे दिन, २ जून को सवेरे साढ़े पाँच बजे मकान में बम फटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं जल्दी से 'बड़े भैया' के पास दौड़ गया। उन्होंने कहा कि दल के दूसरे सदस्य मकान से दल का सामान हटाने के लिए गए हैं, क्योंकि बम फटने की ख़बर पुलिस में अवश्य ही पहुँचेगी। अगर सामान जल्दी नहीं हटाया जाता, तो दल का सब सामान पुलिस के हाथ में पड़ जायगा। 'बड़े



भैया' ने मुझे एक छोटी-सी सन्दूक़, एक रिवॉल्वर और कुछ कारतूस दिए, मैं इन्हें लेकर यूनिवर्सिटी के मैदान में चला आया और वहाँ से पालनपुर के लिए रवाना हो गया। फिर पालनपुर से अजमेर पहुँचा। उस समय रिवॉल्वर और कारतूस मेरे पास थे। सन्दूक़ मैंने प्रान को दे दिया था। मैं अजमेर ६ जून को पहुँचा था। जुलाई सन् ३० में मैं कान्तिप्रसाद के निमन्त्रण पर उनसे दिल्ली में मिला। मैंने अपना रिवॉल्वर कान्तिप्रसाद को दे दिया। कान्तिप्रसाद ने मुझसे एक 'भाई साहब' नाम के व्यक्ति का परिचय कराया और मुझसे अपने साथ अजमेर ले जाने के लिए कहा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि 'भाई साहब' भी दल के सदस्य हैं और इस केस के फ़रार अभियुक्त हैं।

इसके बाद अदालत जल-पान के लिए स्थगित हो गई।

## सुखदेवराज का क़ानूनी विरोध

जल-पान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुख़बिर ने ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि मैं १३ नवम्बर, सन् १९३० को गिरफ़्तार हुआ था। परन्तु उसी दिन रात को छोड़ भी दिया गया था। इसके बाद १५ नवम्बर को फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली से फिर लाहौर पहुँचाया गया, जहाँ मेरा बयान हुआ। मैं पुलिस को अजमेर ले गया, जहाँ से मैंने एक रिवॉल्वर और तीस कारतूस बरामद कराए। मुख़बिर ने अदालत में रक्खे हुए रिवॉल्वर की शनाख़्त की। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मुझे क्षमा प्रदान की गई।

इसके बाद उसने मुख़बिर इन्द्रपाल की शनाख़्त की। इसी समय अदालत में अभियुक्त सुखदेवराज भी शनाख़्त के लिए



पेश किए गए। अन्य अभियुक्तों के साथ मिलाए जाने के समय सुखदेवराज ने अदालत से पूछा कि मैं क्यों बुलाया गया हूँ? अदालत ने कहा कि तुम मुखबिर द्वारा शनाख्त कराए जाने के लिए बुलाए गए हो। सुखदेवराज ने अपनी शनाख्त किए जाने का यह कह कर विरोध किया, कि मेरा मामला इन अभियुक्तों से अलग चलेगा, इसलिए मेरी शनाख्त की कार्रवाई मेरे अलग मामला चलने के समय ही होनी चाहिए। यदि मेरी शनाख्त की कार्रवाई इस केस के साथ ही की गई, तो इस ट्रिब्यूनल और दोनों पक्ष के वकीलों की हैसियत गवाहों की हो जायगी, और फिर इस ट्रिब्यूनल और इन वकीलों को मेरा अलग मामला करने का अधिकार न रह जायगा।

सरकारी वकील ने सुखदेवराज के कथन का विरोध किया। परन्तु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सुखदेवराज के कथन को मान लिया और उन्हें वापस भेज दिया।

## धमकी

इसके बाद मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि पहले मैंने बयान देने से इन्कार कर दिया था, परन्तु जब पुलिस ने धमकाया कि तुम्हारे पिता, जो कि पोस्टल विभाग में नौकर हैं, उनकी नौकरी में हस्तक्षेप किया जायगा, तब मैंने बयान देना स्वीकार कर लिया। एक दिन एक पुलिस अफ़सर ने मुझे माफ़ी दिला देने के लिए कहा। मैं राज़ी हो गया और मुखबिर बन गया। पुलिस ने माफ़ी दिलाने की बात मुझसे ३ दिसम्बर, सन् १९३० में कही थी। इसके दूसरे दिन वह मुझे कसूर ले गई और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। पुलिस के सामने बयान दर्ज होने के समय जो बात मैं नहीं जानता था



और जिसे पुलिस मुझसे कहलाना चाहती थी, उसके विषय में उपस्थित पुलिस अफ़सर कह देते थे कि ऐसी बात भी हुई है, अपने बयान में इसे शामिल कर लेने में कोई हानि नहीं है। मुझे यह नहीं बतलाया गया था कि मेरे बयान में उन बातों के शामिल करा देने से पुलिस को क्या लाभ होगा ?

२२ जून १६३१ : को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फिर शुरू हुई। अभियुक्त भीमसेन ने अदालत से कहा कि आज मेरे पेट में दर्द है। दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने का मैं विरोध करता हूँ। मैं आज अदालत की कार्रवाई में भाग लेने में असमर्थ हूँ। इस पर ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त को जेल वापस जाने की इजाज़त दे दी। दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने के विरोध-स्वरूप अभियुक्त ने अपनी ग़ैर-मौजूदगी के लिए वकील को अपना प्रतिनिधि बनाने से इन्कार कर दिया। इसलिए केस कल के लिए स्थगित हो गया।

## मुख़बिरों की हिरासत

इसके बाद अभियुक्तों की ओर से सफ़ाई के वकील ने ट्रिब्यूनल के सामने निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की :

( १ ) मुख़बिर मदनगोपाल के ता० १६ जून और २० जून के बयानों से साफ़ ज़ाहिर होता है कि मुख़बिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनका पालन नहीं हो रहा। वास्तव में मुख़बिर अब भी पुलिस के हाथ में हैं।

( २ ) अभियुक्तों को इस बात का विश्वस्त-सूत्र से पता चला है कि असिस्टेण्ट जेलर बी० दौलतअली शाह ख़ुफ़िया-विभाग के



आदमियों से मिले हुए हैं। मुखबिर की गवाही तथा अन्य परिस्थितियों से भी यही बात प्रकट होती है। वास्तव में सी० आई० डी० विभाग की सिफ़ारिश से बी० दौलतअली शाह मुखबिरों के ऊपर तैनात कर दिये गए हैं। जेल से सभी वॉर्डर बी० दौलत-अली शाह और सी० आई० डी० के आदमियों के हाथ में हैं और यह बात अब बिलकुल स्पष्ट हो गई है, कि मुखबिरों पर जो नए २० वॉर्डर तैनात किए गए हैं, उनका काम मुखबिरों की जानों की हिफ़ाज़त करना नहीं है, बल्कि सी० आई० डी० अफ़सरों को उनके बयानों के रटाने के कार्य में सहायता पहुँचाना है। मुखबिरों के सेण्ट्रल जेल से बोर्स्टल जेल में ले जाने का भी यही उद्देश्य था। सेण्ट्रल जेल में अभियुक्त उनकी कार्रवाइयों को तोड़ सकते थे। बोर्स्टल जेल में अब उनकी कार्रवाइयों का पता नहीं चल सकता।

( ३ ) इस अदालत के सामने बी० दौलतअली शाह ने जो यह रिपोर्ट दी है, कि सी० आई० डी० के आदमी अभियुक्तों से नहीं मिल पाते, झूठ है। सफ़ाई के वकील ने पहले जो वक्तव्य दिया था कि मुखबिरों के सम्बन्ध का प्रबन्ध सन्तोषजनक हो गया है, वह ग़लत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। मालूम होता है, कि मुखबिरों पर से पुलिस का प्रभाव एक मिनट के लिए भी नहीं हटा। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट तक का मुखबिरों पर कोई अधिकार नहीं है।

( ४ ) मुखबिर मदनगोपाल की गवाही से मालूम होता है, कि बी० दौलतअली शाह और सी० आई० डी० के अफ़सर जेल-नियमों के भङ्ग करने, झूठी गवाही देने के लिए उकसाने और अदालत की तौहीन करने के दोषी हैं।

( ५ ) सी० आई० डी० के अफ़सर अदालत के हुक्मों का



अप्रत्यक्ष ढङ्ग से उल्लङ्घन करके न्याय का हनन करने के लिए सरकार की व्यापक कार्यकारिणी शक्ति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मुख़बिरों की रक्षा के बहाने गवर्नमेण्ट से कह कर उन्होंने अफ़सरों और वार्डरों का एक विशेष दल नियुक्त करा लिया है, जोकि मुख़बिरों को बयान सिखलाने का कार्य करता है। अगर गवर्नमेण्ट को अपने बनाए क़ानूनों के लिए कुछ भी इज़्ज़त है तो उसे चाहिए कि बी० दौलतअली शाह और सी० आई० डी० अफ़सरों को, जोकि इतने गम्भीर दोषों के अभियोगी हैं, तुरन्त सज़ा दे। अभियुक्तों को यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम है, कि इन अपराधियों को निर्दोष साबित करने लिए कोई न कोई उपाय मिल ही जायगा।

( ६ ) सी० आई० डी० के आदमी केवल जेल के अन्दर ही नहीं, वरन् अदालत के हाते के अन्दर भी मुख़बिरों से मिलते हैं। उस वक्त मुख़बिरों पर पहरा रखने वाली पुलिस अपने आपको सी० आई० डी० के आदमियों का मातहत समझती है। ज़रा सी बात पर जनता के किसी भी व्यक्ति की शिकायत कर देने के लिए वह तैयार रहती है, परन्तु सी० आई० डी० के आदमियों को वह निस्सङ्कोच मुख़बिरों से मिलने देती है।

( ७ ) घर से चलने के समय से लेकर अदालत छोड़ने के समय तक प्रत्येक सबूत के गवाह को, पुलिस अपने क़ब्ज़े में रखती है। जल्दी से जल्दी समन जारी करने के बहाने उसने गवाहों को बुलाने आदि का भार, क़ानून के विरुद्ध, अपने ही ऊपर ले लिया है। उन्हें जगह देने और शहर तथा अदालत के हाते के अन्दर हर तरह की सुविधा पहुँचाने का कार्य भी, उसने बिना किसी के कहे, अपने ऊपर ले लिया है। परिणाम-



स्वरूप कोई भी सबूत का गवाह पुलिस के प्रभाव से बाहर नहीं रहने पाता।

( ८ ) बी० दौलतअली शाह ने अदालत की आज्ञाओं का उल्लङ्घन भी किया है। अदालत ने मुखबिर मदनगोपाल के साथ अपने क्लर्क को कुछ काग़ज़ात लाने के लिए जेल भेजा था, परन्तु बी० दौलतअली शाह ने क्लर्क को मुखबिर मदन-गोपाल के साथ उसकी कोठरी तक नहीं जाने दिया।

( ९ ) अभियुक्तों को मालूम होता है कि जेल-विभाग के कुछ अफ़सर सी० आई० डी० के आदमियों से डरते हैं, इसलिए वे क़ायदे-क़ानून के मुताबिक़ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते।

( १० ) इसलिए अभियुक्त न्याय की रक्षा के लिए अदालत से निम्न-लिखित हुक्मों के जारी करने की प्रार्थना करते हैं।

( क ) मुखबिर फिर से सेण्ट्रल जेल में भेज दिए जायँ।

( ख ) सरकार से अनुरोध किया जाय, कि वह बी० दौलतअली शाह और सी० आई० डी० के अफ़सरों को जेल-नियमों के भङ्ग करने, चोरी करने और झूठी गवाही देने के लिए उकसाने के लिए उन्हें दण्ड दे।

( ग ) बी० दौलतअली शाह मुखबिरों पर निगरानी रखने के पद से तुरन्त हटा दिए जायँ।

( घ ) जब तक उपरोक्त प्रबन्ध न हो जाय और हाईकोर्ट के हुक्मों का पूर्णतया पालन न हो, तब तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

( ङ ) अदालत के हाते के अन्दर मुखबिरों पर पहरा रखने वाली पुलिस को आज्ञा दे दी जाय कि वह किसी भी सी० आई० डी० अफ़सर को मुखबिरों के पास न जाने दे।



( च ) इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले सी० आई० डी० अफ़सर अदालत के हाते के अन्दर केवल गवाही देने के लिए आ सकें, परन्तु अदालत के कमरे में बैठने की इजाज़त तो उन्हें किसी हालत में न मिलनी चाहिए।

( छ ) कोर्ट-इन्स्पेक्टर को हुक्म दिया जाय कि वह मुख़बिरों तक सी० आई० डी० अफ़सरों के सन्देशा पहुँचाने का कार्य न करे।

## नोटिस जारी

मि० सलीम—अगर सी० आई० डी० के अफ़सर जेल के नियमों को भङ्ग करके मुख़बिरों से मिलते हैं तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुख़बिरों की हिरासत के लिए जो प्रबन्ध किया गया है, वह प्रबन्ध दूषित है। केवल उस प्रबन्ध के दुरुपयोग के सम्बन्ध में आपकी शिकायत हो सकती है।

मि० श्यामलाल—हमारा अभिप्राय तत्व से है, छाया से नहीं। हम केवल यह चाहते हैं कि सी० आई० डी० के अफ़सर मुख़बिरों की गवाहियों में बेजा दबाव न डाल सकें, जैसा कि हाईकोर्ट के नियमों का भी अभिप्राय है।

प्रेज़िडेण्ट—जेल तथा सी० आई० डी० के अफ़सरों के अपराधों के विषय में हम केवल ज़िला-मैजिस्ट्रेट को सूचना भेज सकते हैं, जो कि जाँच-पड़ताल के बाद जो उचित कार्रवाई समझें, कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं ?

मि० श्यामलाल—अब तक अधिकारियों ने जो अपराध किए हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करे, परन्तु हमें तो आगे के लिए भी अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करना है। अभी दो



और मुखबिरों की गवाही होनी बाक़ी है। अदालत को चाहिए कि वह पुलिस के अनुचित दबाव से उनकी रक्षा करे। अगर असिस्टेण्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह मुखबिरों की निगरानी के कार्य में बने रहें, तो मुखबिर पुलिस के अनुचित दबाव से बचे नहीं रह सकते। मेरी प्रार्थना है, कि वे इस कार्य से तुरन्त हटा दिए जायँ। उन्होंने इस अदालत के हुक्म की अवज्ञा की है, अदालत के क्लर्क को जेल के बाहर खड़ा रक्खा और उस बीच में उस काग़ज़ को अपने क़ब्ज़े में कर लेने का प्रयत्न किया, जिसको अदालत माँग चुकी थी।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सी० आई० डी० के अफ़सर सरकार की कमज़ोरी से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने ग़लत रिपोर्टें भेज-भेज कर सरकार द्वारा मनमाने हुक्म जारी करा लिए हैं। अभियुक्त केवल इतना ही चाहते हैं कि मुखबिर सी० आई० डी० अफ़सरों के अनुचित दबाव से स्वतन्त्र रहें।

इस पर अदालत ने सरकारी वकील और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा कि अभियुक्तों की उपरोक्त अर्ज़ी क्यों न मञ्जूर कर ली जाय? इस अर्ज़ी पर बहस करने के लिए अदालत ने २५ ता० नियत की।

२३ जून, १९३१: आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर अभियुक्त भीमसेन, जिसके पेट में एक रोज़ पहले से दर्द था, जेल के दो वॉर्डरों के सहारे अदालत के कमरे में लाया गया। उससे एक बेञ्च पर लेट जाने के लिए कह दिया गया।

अभियुक्त जहाँगीरीलाल ने ट्रिब्यूनल से कहा कि भीमसेन अब अदालत में हाज़िर होने में असमर्थ है। इस दर्द के कारण इतने थोड़े समय में उसका वज़न ४ पौण्ड घट गया है।



## जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट का बयान

प्रारम्भ में ट्रिब्यूनल ने भीमसेन के स्वास्थ्य के विषय में सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर सोंधी का बयान लिया। आपने कहा कि मैंने अभियुक्त की सवेरे परीक्षा की थी, उससे मेरा ख्याल था कि वह अदालत में हाज़िर होने लायक़ है।

अदालत के कहने पर मेजर सोंधी ने अभियुक्त को अदालत में एक बार और देखा और देख कर कहा कि अभियुक्त की हालत सवेरे की अपेक्षा बुरी नहीं है। वह अदालत की कार्रवाई में भाग ले सकता है।

अभियुक्त भीमसेन ने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस पर उसे बैठने के लिए एक आरामकुर्सी दी गई। अभियुक्त ने प्रेज़िडेण्ट से कहा कि आप स्वयं आकर देख सकते हैं कि मुझे कितना अधिक दर्द हो रहा है। इसके बाद अभियुक्त ने कहा कि कल मैंने अदालत के सामने जो शिकायत की थी, उसी कारण से मेजर सोंधी मेरे विरुद्ध हो गए हैं और आज अदालत में हाज़िर होने की समर्थता के विषय में इतना ज़ोर दे रहे हैं। वास्तव में मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे लिए बैठना भी असम्भव है।

कुछ मिनटों के बाद अभियुक्त कुर्सी से नीचे गिर पड़ा।

## सुनवाई स्थगित

मुख़बिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में खड़ा था और कार्रवाई प्रारम्भ होने ही वाली थी, कि अभियुक्त जहाँगीरीलाल ने ट्रिब्यूनल के सामने एक अर्ज़ी पेश कर दी। अर्ज़ी में लिखा था कि मुख़बिर की गवाही समाप्त हो चुकी है, अब सफ़ाई की ओर से उसकी ज़िरह होने वाली है। मुख़बिर से जिरह होने के



पहले हम सात अभियुक्त, जहाँगीरीलाल, दयानतराय, कुन्दन-लाल, गुलाबसिंह, भागराम, धर्मपाल और रूपचन्द, जिरह के सम्बन्ध में कुछ सलाह करने के लिए अभियुक्त सुखदेवराज से मिलना चाहते हैं।

अदालत ने अर्ज़ी मञ्जूर कर ली और इसके लिए एक घण्टे का समय दिया। सफ़ाई के वकील मि० प्राणनाथ मेहता की उपस्थिति में अभियुक्तों ने सुखदेवराज से सलाह की।

२४ जून, १६३१: स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर सफ़ाई के वकील, मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुखबिर मदनगोपाल ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने मेरा बयान लिखने के बाद मुझे पढ़ कर सुनाया नहीं था। मैजिस्ट्रेट के सामने मैंने किसी चीज़ की शनाख्त भी नहीं की थी। पुलिस ने इन्द्रपाल और दो दूसरे नवयुवकों को दिखला कर मुझसे उनकी शनाख्त करने के लिए कहा था। मिरज़ा अताउल्ला ने दो नवयुवकों को दिखला कर मुझसे कहा कि ये ही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने तुम्हें पालनपुर भेजने का प्रबन्ध किया था, इनकी शनाख्त कर दो। मिरज़ा ने मुझसे उनके नाम केवल कृष्ण और देवराज बतलाए थे। उन नवयुवकों के दिखलाए जाने के समय मैं एक चिक की आड़ में था। मैं उन्हें देख सकता था, परन्तु वे मुझे नहीं देख सकते थे। यह घटना मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के कुछ दिन पहले की है। मैंने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उनकी शनाख्त नहीं की। जब मैं चन्द्रशेखर आज़ाद और शिव के साथ पहले-पहल लाहौर गया था, तब पुरानी अनारकली में इन्द्रपाल के मकान में ठहरा था।



इसके बाद मुखबिर को अदालत में एक कोट दिखलाया गया, जिसे उसने चन्द्रशेखर आज़ाद का बतलाया।

मुखबिर ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की अङ्गरेज़ी नक़ल दी गई थी। मैं उर्दू नहीं जानता। बयान की नक़ल मेरे पास एक महीने तक रही, जिसे मैं कण्ठस्थ करने के लिए बाध्य किया गया। वह नक़ल मेरे ट्रङ्क में थी, परन्तु न्यायालय की हिरासत में रक्खे जाने के समय पुलिस उसे निकाल ले गई।

## प्रीवी कौन्सिल में अपील

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में मुझसे कहा गया कि इन्द्रपाल ने अपने बयान में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिसके लिए उसे उपयुक्त दण्ड दिया जायगा। लाहौर फ़ोर्ट से न्यायालय विभाग की हिरासत में लाए जाने के दिन जब मैं अदालत में लाया गया, तो पुलिस अफ़सरों ने मुझसे कहा कि डरने की बात नहीं है। हम लोग हाईकोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध प्रीवी-कौन्सिल में अपील करने जा रहे हैं। उन पुलिस अफ़सरों में सरदार प्रतापसिंह डी० एस० पी० और सरदार खड्गसिंह सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग मुखबिरों का तबादला लाहौर फ़ोर्ट में फिर से करा देंगे। इसके बाद हम लोग सेण्ट्रल जेल पहुँचाए गए, जहाँ हम लोगों के पहरे पर वही पुलिस के आदमी तैनात किए गए, जोकि लाहौर फ़ोर्ट में थे। सेण्ट्रल जेल में जब-तब सी० आई० डी० के अफ़सर भी हम लोगों से मिला करते थे।

प्रश्न—क्या खैरातीराम ने तुमसे यह नहीं कहा था कि



उससे पुलिस के अफ़सरों ने कहा, कि तुम लाहौर फ़ोर्ट से सेण्ट्रल जेल में बदल जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दो ?

उत्तर—निस्सन्देह खैरातीराम ने मुझसे कहा था कि पुलिस इस सम्बन्ध में मेरी ओर से एक अर्ज़ी पेश कर चुकी है।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि खैरातीराम के साथ जेल में विशेषतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। मैंने पुलिस से इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की कि जेल में मेरी जान खतरे में है। इस समय भी मुझे इस बात का कोई डर नहीं है।

## मुखबिरों के लिए इनाम

आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि पुलिस-गार्ड के अफ़सरों ने मुझे धमकाया नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे पहले वाले षड्यन्त्र केस में जिन मुखबिरों ने पुलिस के कहे मुताबिक़ बयान दिए थे, उन्हें हज़ारों रुपए इनाम में मिले थे, परन्तु जिन लोगों ने अपने बयान बदल दिए थे, उन्हें दण्ड दिया गया था। उन्होंने मुझसे कहा, कि जयगोपाल को एक तमग़ा और ६ हज़ार रुपए इनाम में मिले थे। इसी प्रकार फनी घोष, ललितकुमार और मनमोहन बैनर्जी को दो-दो हज़ार रुपए और आत्म-रक्षा के लिए एक-एक तमञ्चे दिए गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि गवर्नमेण्ट ने सब से अच्छी गवाही देने वाले मुखबिरों को ५,०००) रुपए और एक-एक तमग़ा देने का निश्चय किया है। उन्होंने मुझसे यह भी बतलाया कि मुखबिर ब्रह्मदत्त और रामसरन दास पर, जिन्होंने पहले लाहौर षड्यन्त्र केस में अपने बयान बदल दिए थे, मामला चलाया गया और बहुत बुरी तरह से दण्डित किए गए थे। इसके बाद मुखबिर-



ने कहा कि सी० आई० डी० के सब-इन्सपेक्टर सरदार खड्गसिंह सेण्ट्रल जेल में मुखबिरों से मिलने आया करते थे, इनके लिए मिठाइयाँ और फल लाया करते थे तथा और भी अनेक प्रकार से उन्हें सुविधाएँ पहुँचाते थे।

## बोर्स्टल जेल

बोर्स्टल जेल के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर मुखबिर ने कहा कि जेल में दो फाटक हैं। सी० आई० डी० के डी० एस० पी०, खाँ साहब सय्यद अहमदशाह मुझसे मिलने के लिए फ़िरोज़पूर रोड की तरफ़ जो फाटक है, उससे होकर आया करते थे। फाटक के बग़ल वाले ऑफ़िस में वे मुझसे मिलते थे। बाबू दौलतअली शाह इस ऑफ़िस के इनचार्ज थे। पहले-पहल मुझसे मिलने के लिए सय्यद अहमदशाह साढ़े नौ बजे रात को आए थे। मैंने दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैलाशपति के अपूर्ण बयान की नक़ल देखी थी। उस बयान की नक़ल में ४८ पृष्ठ थे, जिनमें सब में मुहर लगी हुई थी।

इतना कहने के बाद मुखबिर ने अदालत के सामने कैलाश-पति के बयान के कुछ अंश अपनी याद से उद्धृत करके सुनाए।

आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि जब इन्स्पेक्टर प्रतापसिंह अदालत के कमरे के बाहर मेरे सूट-केस की ताली माँग रहे थे, उस समय दो पुलिस कॉन्स्टेबिल मौजूद थे, जिनमें एक सजावल खाँ नाम का कॉन्स्टेबिल इस समय अदालत में उपस्थित है। बयान का पहला पृष्ठ माँगते समय भी वे दोनों कॉन्स्टेबिल मौजूद थे।

## "मैंने शिकायत नहीं की"

मुखबिर ने कहा कि दल के सदस्य दल के अन्दर की भिन्न-



भिन्न शाखाओं की सम्पूर्ण कार्रवाइयों से परस्पर परिचित नहीं रहते। जब केशवचन्द्र ने मुझसे अपने पते से पत्र मँगाने के लिए कहा था, उस समय मैं दल के प्रति केवल सहानुभूति रखता था।

कान्तप्रसाद ने मुझे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" का पर्चा दिखलाया था। पर्चा दिखलाने में उसका उद्देश्य मुझे दल के नियमों से परिचित कराना था। मुझे यह नहीं मालूम कि भावलपुर रोड वाला बङ्गला किराए पर कब लिया गया था। मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही उसमें दल के लोग मौजूद थे। मैंने उस व्यक्ति का चित्र देखा है, जिसको हम लोग भावलपुर रोड वाले बङ्गले पर धनी के नाम से पुकारते थे। वह चित्र मैंने सरकार की ओर से प्रकाशित एक घोषणा-पत्र में देखा था, जिसमें उसका नाम धन्वन्तरि दिया गया था।

प्र०—मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय जब पुलिस के अफ़सर अपनी तरफ़ से उस बयान में बातें जोड़ते जाते थे, तब तुमने इस बात की शिकायत मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं की ?

उत्तर—मैंने मैजिस्ट्रेट से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैजिस्ट्रेट और पुलिस अफ़सरों में उस समय परस्पर जो बातें हो रही थीं, उससे मालूम होता था कि वे एक-दूसरे के मित्र हैं।

## पुलिस अफ़सर के नोट

इसके बाद मुख़बिर के सामने वह काग़ज़ पेश किया गया, जिसे अदालत ने अपना क्लर्क भेज कर जेल से मँगवाया था। मुख़बिर ने कहा कि यह काग़ज़ मैजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया था, उसकी नक़ल का प्रथम पृष्ठ है। बोर्स्टल जेल में मैंने ज़मीन खोद कर उसे निकाला था, जिसे अदालत के क्लर्क ने यहाँ आकर पेश किया था।



एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि इस काग़ज़ पर पेन्सिल से जो तारीखें लिखी हुई हैं, उनके लेखक खाँ साहब सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० हैं। उन्होंने काग़ज़ पर ये तारीखें मेरी मौजूदगी में लिखी थीं। डी० एस० पी० ने मुझसे इन तारीखों को कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा था।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से डी० एस० पी० को अदालत में बुलवाने और उनकी लिखावट ले लेने के लिए प्रार्थना की।

अदालत ने मि० श्यामलाल की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

## पुलिस अफ़सर का बयान

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सी० आई० डी० के डी० एस० पी० खाँ साहब सय्यद अहमदशाह, जिन्होंने इस केस की जाँच की थी, अदालत के सामने गवाह की हैसियत से पेश किए गए। सफ़ाई के वकील ने आपको मुख़बिर के बयान का प्रथम पृष्ठ दिखलाया। उसे देख कर खाँ साहब सय्यद अहमदशाह ने स्वीकार कर लिया कि काग़ज के हाशिया में पेन्सिल से जो तारीखें लिखी हुई हैं, वे मेरी ही लिखी हुई हैं।

## बयान में परिवर्तन

इसके बाद मुखबिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में फिर पेश किया गया।

मि० अमोलकराम की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि उस दिन बोर्स्टल जेल से काग़ज़ लाने के लिए मेरे साथ अदालत का जो क्लर्क भेजा गया था, वह जेल के फाटक पर ही



रोक लिया गया था। केवल मैं सीधे जेल के अन्दर पहुँचाया गया था। इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए कसूर ले जाते समय खाँ साहब मिरज़ा अताउल्लाशाह मेरे साथ थे। केस ५ दिसम्बर को प्रारम्भ होने वाला था, इसलिए पुलिस ने लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आने का रास्ता नहीं देखा। पुलिस के सामने बयान देते समय पुलिस मेरे बयान में अपनी तरफ़ से कुछ बातें जोड़ती जाती थी। बयान के बाद भी उसमें परिवर्तन किए गए थे। बयान के कुछ पृष्ठ हटा कर उनके स्थान पर महीन लिखावट के नए पृष्ठ रख दिए गए थे। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय अगर पुलिस बराबर उपस्थित न होती, तो मैंने सच्चा बयान दिया होता। अप्रैल, सन् १६३१ में कुछ शनाख़्त-सम्बन्धी कार्रवाइयों के लिए मैं लाहौर से दिल्ली भेजा गया था। जब मैं मैजिस्ट्रेट को भिन्न-भिन्न जगहें बतला रहा था, तब खाँ साहब मिरज़ा अताउल्ला खाँ और कुछ कॉन्स्टेबिल मेरे साथ थे। आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि दल के लोगों ने भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ा कर किस स्थान में ले जाने का निश्चय किया था। भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के सम्बन्ध में अजमेर में कान्तप्रसाद के पूछने पर मैंने उन्हें दल के नियमों की याद दिलाई थी। दल का यह नियम है, कि दल के रहस्यों को कोई सदस्य दूसरे सदस्य से न बतलाए। मैंने इस नियम का पालन अपनी गिरफ्तारी के समय तक किया था। कान्तप्रसाद से गाडोदिया स्टोर्स की डकैती के सम्बन्ध में कुछ पूछना मेरी ग़लती थी।

## दल के रहस्य

मि० अमरनाथ मेहता की जिरह के उत्तर में मुख़बिर ने



कहा कि केशवचन्द्र गुप्त से एक महीने तक राजनीतिक विषयों की बातचीत होते रहने के बाद मैं क्रान्तिकारी दल का सदस्य बनाया गया था। एक महीने के बीच में मैंने केशवचन्द्र गुप्त या चन्द्रशेखर आज़ाद से दल के सदस्य होने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, न मैंने दल के नियमों के सम्बन्ध में ही कभी उनसे पूछा। केशवचन्द्र गुप्त ने दल के नियमों को मुझे ज़बानी बतलाया था। कान्तप्रसाद ने भी दल के कुछ नियम बतलाए थे, जो मुझे याद नहीं हैं। यह बात ठीक है कि दल के नियमानुसार दल के रहस्य केवल उन्हीं लोगों को बतलाए जाते थे, जो किसी कार्य-विशेष में भाग लेते थे। कान्तप्रसाद द्वारा बतलाए हुए नियम दल के केन्द्र-कमिटी सम्बन्धी नियम थे, जिन्हें प्रत्येक सदस्य को जानने की आवश्यकता नहीं थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों का परिचय केवल उन्हीं सदस्यों को दिया जाता था, जिन्हें उनके साथ मिल कर कोई कार्य-विशेष करना होता था। आवश्यकता पड़ने पर दल का दूसरी शाखाओं के सदस्यों से भी परिचय हो जाया करता था। मेरा और भगवतीचरण का परिचय दल के सदस्यों के नाते हुआ था। भगवतीचरण मेरे साथ अजमेर में रहने के लिए आने वाला था।

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है, कि जो लोग मौजूदा शासन-प्रणाली के विरुद्ध हैं, वे सहानुभूति रखने वाली शाखा के सदस्य समझे जाते हैं?

उत्तर—हाँ, यह बात ठीक है!

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है कि जब कोई क्रान्तिकारी किसी सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति के पास आर्थिक सहायता के लिए जाता है, तब वह राष्ट्रीय कार्य के नाते सहायता माँगता है, दल के नाम पर नहीं?


उत्तर—हाँ, परन्तु सहानुभूति रखने वालों को क्रान्तिकारी दल के नियम मालूम रहते हैं। वे उनकी सहायता माँगने की बात समझते हैं।

इस सम्बन्ध में आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि जब कोई क्रान्तिकारी सहानुभूति रखने वालों से कोई आर्थिक सहायता माँगता था, तो वह उनसे अपने को क्रान्तिकारी नहीं बतलाता था, बल्कि वह उनसे कहता था कि मातृ-भूमि के स्वतन्त्रता-सम्बन्धी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। इस प्रकार के सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति दल की किसी शाखा के सदस्य नहीं थे। सहानुभूति रखने वाले दो प्रकार के हुआ करते थे। एक वे जो दल के सदस्य थे, दूसरे वे जो सदस्य नहीं थे। दल के व्यवहारिक कार्य करने वाली शाखा के सदस्यों को शरण देना ऐसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों का कार्य था, जो कि दल के सदस्य भी हुआ करते थे। मुखबिर ने कहा कि राष्ट्रीय आन्दोलन का मतलब मैं देश को स्वतंत्र करने वाला आन्दोलन समझता हूँ, चाहे वह आन्दोलन हिंसामय या अहिंसामय हो। मैंने कहा था कि दल का उद्देश्य ऐसे अफ़सरों की हत्या करना भी है, जोकि राष्ट्रीय आन्दोलन में 'बाधाएँ' डालते हैं। 'बाधाओं' से मेरा मतलब अफ़सरों की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों से है।

## ज़िले का सङ्गठनकर्त्ता

ज़िले के सङ्गठनकर्त्ता को अपने ज़िले भर के सदस्यों की जानकारी रहती है। शस्त्र और कारतूस वग़ैरह ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता के अधिकार में रहते हैं। केन्द्र-कमिटी की इजाज़त से वह शस्त्र और कारतूस वग़ैरह सदस्यों को वितरित करता है। ज़िले से बाहर जाते समय सदस्यों को ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता



से आज्ञा लेनी पड़ती थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों की भर्ती, ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता की सिफ़ारिश पर केन्द्र-कमिटी किया करती थी। नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों से ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता का परिचय सीनियर सदस्य के नाते कराया जाता था। परन्तु बाद में, सदस्यों की सच्चाई की परीक्षा हो चुकने के बाद उन्हें ज़िले के सङ्गठन-कर्त्ता का वास्तविक पद बतला दिया जाता था। कैलाशपति ने मुझे वे नियम बतलाए थे, जिनसे नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों की सच्चाई की परीक्षा ली जाया करती थी। सब से प्रथम उनके सदाचार की परीक्षा ली जाती थी। पता लगाया जाता था कि वे शराबी, जुआरी आदि तो नहीं हैं।

२५ जून, १९३१: आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सफ़ाई की ओर से ता० २२ जून को पेश की गई उस अर्ज़ी पर बहस हुई, जिसमें बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह को मुख़बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से अलग कर देने और मुख़बिरों को बोर्स्टल जेल से सेण्ट्रल जेल में भेज देने के लिए प्रार्थना की गई थी।

## सरकारी वकील का बयान

सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अभियुक्तों की ओर से अर्ज़ी में कही हुई बातों के उत्तर में एक विवरणात्मक लिखित वक्तव्य अदालत के सामने पेश किया। सबूत की ओर से आपने कहा कि मुख़बिर इस समय जेल-अधिकारियों की हिरासत में और पुलिस के दबाव से बाहर हैं। इसके अतिरिक्त मुख़बिर मदनगोपाल का बयान अभी जारी ही है, ऐसी हालत में पुलिस के विरुद्ध जो कुछ उसने कहा है, उसे ठीक मान लेना



अमर-शहीद स्वर्गीय श्री० हरीकिशन


न्यायतः खतरनाक है। बाबू दौलतअली शाह और सी० आई० डी० अफ़सरों के विरुद्ध जो अभियोग लगाए गए हैं, वे ग़लत हैं। सबूत के गवाहों के प्रति अनावश्यक सेवा-भाव दिखलाने का पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है वह भी ग़लत है। सी० आई० डी० के आदमी गवाहों को बुलाने आदि का कार्य अदालत के हुक्म के अनुसार करते रहे हैं।

## अभियुक्तों की ओर से बहस

मि० श्यामलाल ने अभियुक्तों की ओर से बहस करते हुए कहा कि हमारा कहना यह है, कि मुखबिर अब भी पुलिस के दबाव में हैं। हम चाहते हैं कि इसके रोकने का कोई प्रबन्ध किया जाय। एक सरकारी गवाह ने सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ गम्भीर दोषारोपण किए हैं।

आपने कहा कि मेरा कहना यह नहीं है, कि मुख़बिर ने अपने बयान में अब तक जो कुछ कहा है, वह प्रमाणित मान लिया जाय। मेरा कहना है कि जो कुछ मुखबिर ने कहा है, उस पर ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और उसे ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे पुलिस के आदमी मुख-बिरों पर क़िसी प्रकार का दबाव न डाल सकें और उन्हें बयान न सिखा सकें। पुलिस वालों ने अदालत के हाते के अन्दर मुखबिर से तालियों का गुच्छा और बयान का प्रथम पृष्ठ माँगा था। अदालत को न्याय की रक्षा करनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने इस सम्बन्ध में अपने फ़ैसले में कहा था कि मुखबिरों को पुलिस के दबाव से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वे स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने बयान दे सकें। परन्तु हाईकोर्ट की इन आज्ञाओं का सी० आई० डी० के अफ़सरों ने उल्लङ्घन किया है। सी०-



आई० डी० विभाग के ख़ाँ साहब सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० मुख़बिर से मिले थे, इस बात का सबूत-पक्ष ने खण्डन नहीं किया है। अगर यह बात ग़लत थी तो मुख़बिर से तालियों के ले लेने का प्रयत्न क्यों किया गया था और उसके सूट-केस का ताला क्यों तोड़ दिया गया था? सरकार अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अभियुक्त तो जेल-विभाग, सी० आई० डी० विभाग और गवर्नमेण्ट को एक ही वस्तु समझते हैं। जब तक इस सम्बन्ध में अदालत स्वयं सन्तुष्ट न हो जाय, तब तक मुख़बिरों की गवाही बन्द रहनी चाहिए। अगर अदालत मुख़बिर मदनगोपाल के कथन को बिल्कुल निरर्थक न समझ कर उसे सारयुक्त समझती है, तो उसे कोई ऐसा प्रबन्ध कर देना चाहिए, जिससे कि मुख़बिर पुलिस द्वारा किसी प्रकार दबाए न जा सकें।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अपनी बहस में उन परिस्थितियों का ज़िक्र किया, जिनमें मुख़बिरों की हिरासत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी। उस समय अभियुक्तों की ओर से हाईकोर्ट में हलफ़नामे पेश करने पड़े थे। अगर फिर कहीं हाईकोर्ट जाना पड़ा तो उनका पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो जायगा। एक सरकारी गवाह शपथपूर्वक कह चुका है कि न्यायालय विभाग की हिरासत की हालत में उसे केवल उसके बयान की नक़ल नहीं दी गई, बल्कि कैलाशपति के बयान की भी नक़ल दी गई थी। मुख़बिर ने जो दोषारोपण किए हैं, वे अत्यन्त गम्भीर हैं और उनके प्रमाण के लिए काग़ज़ी सबूत भी मौजूद हैं। डी० एस० पी० ने यह बात स्वयं ही स्वीकार की है कि बयान के प्रथम पृष्ठ पर पेन्सिल से लिखी हुई तारीखें उन्हीं के हाथ की लिखी हुई हैं। ट्रिब्यूनल को चाहिए कि



इस सम्बन्ध में जाँच करे और जाँच के वक्त तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खे। न्याय की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ट्रिब्यूनल इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई ज़ोरदार कार्रवाई करे।

## सरकारी वकील का उत्तर

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने सफ़ाई-पक्ष की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार जाँच करने का अधिकार केवल जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। व्यक्तिगत मुझे ट्रिब्यूनल द्वारा जाँच होने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु क़ानूनन् अदालत को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय स्थगित रक्खा।

इसके बाद मुख़बिर मदनगोपाल की जिरह प्रारम्भ हुई।

सफ़ाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि जहाँ तक सम्भव होता था, विवाहित व्यक्ति दल के सदस्य नहीं बनाए जाते थे। नया भर्ती होने वाला व्यक्ति दल का साधारण सदस्य समझा जाता था। इसकी सचाई की परीक्षा हो लेने के बाद वह व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा का सदस्य बना लिया जाता था। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को ग़ैर-क़ानूनी दण्ड देने वाले अफ़सरों की हत्या का निश्चय, इसलिए किया गया था, कि गवर्नमेण्ट ग़ैर-क़ानूनी कार्य करने के लिए उन्हें दण्डित नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए वह उन्हें उत्साहित किया करती थी। नौजवान भारत सभाएँ और सेवा-समितियाँ क्रान्तिकारी दल की शाखाएँ नहीं हैं।

प्रश्न—पुलिस ने तुम्हारे बयान में जो बातें अपनी तरफ़ से जोड़ी थीं, क्या वे तुम्हें याद हैं?



उत्तर—हाँ, याद हैं। पुलिस ने निम्न-लिखित बातें मेरे बयान में जोड़ी थीं :

( १ ) दीदी, भाभी और धनी ( धन्वन्तरि ) उपस्थित थे, जब बम भरे जा रहे थे। दीदी और भाभी खाली बम देती जाती थीं। राज चारपाई पर लेटा हुआ था।

( २ ) भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय दीदी, भाभी, धनी और आसफ़ को तमञ्चे दे दिए गए थे।

( ३ ) प्रान दीदी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा था। ( यह बात क्रान्तिकारियों को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई थी। )

( ४ ) प्रान भाभी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा था और भावलपुर रोड वाले बङ्गले पर बम-घटना होने का कारण यह था कि उनके हँसी-मज़ाक़ के बीच में भाभी से कहीं बम छू गया।

( ५ ) भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय प्रान ने "बड़े भैया" ( चन्द्रशेखर आज़ाद ) से कहा कि शिव एक लड़की से प्रेम करने लग गया है। इस पर आज़ाद ने कहा कि शिव का चरित्र भी प्रान की तरह भ्रष्ट हो गया है।

इस समय मुझे उपरोक्त बातें ही याद हैं। मेरे बयान में इन बातों को जोड़ कर पुलिस क्रान्तिकारी दल को बदनाम करना और जनता की दृष्टि में उसे गिरा देना चाहती थी।

इसके बाद अदालत के एक प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि जो कुछ मैंने ट्रिब्यूनल के सामने कहा है, वह सच कहा है।

बयान समाप्त हो जाने के बाद मुख़बिर ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों से प्रार्थना की, कि मुझे अदालत में सप्ताह में एक बार

हाज़िर होने की इजाज़त दे दी जाय, क्योंकि मुझे डर है कि इस प्रकार के बयान देने के बाद सम्भव है, मुझे दण्ड दिए जायँ। यदि अदालत में सप्ताह में एक बार मैं आ सकूँगा तो किसी प्रकार की शिकायत होने पर मैं उसे अदालत के सामने पेश कर सकूँगा।

२६ जून, १६३१ : आज लाहौर हाईकोर्ट में दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज की, जिनका मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अलग से हो रहा है, उस अर्ज़ी पर विचार हुआ जिसमें उन्होंने जेल में अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने का विरोध किया था और कहा था कि या तो मुझे अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या ज़मानत पर छोड़ दिया जाय।

अभियुक्त की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द, मि० श्यामलाल, मि० अमोलकराम कपूर थे। सरकार की ओर से सरकारी वकील रायसाहब पण्डित ज्वालाप्रसाद थे। अदालत का कमरा दर्शकों और वकीलों से भरा हुआ था। सी० आई० डी० विभाग के डी० आई० जी० पुलिस भी अदालत में उपस्थित थे।

मि० सुमेरचन्द ने अभियुक्त की ओर से बहस करते हुए कहा कि सुखदेवराज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस का अभियुक्त है, जिसका विचार एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में हो रहा है। वह पहले से ही षड्यन्त्रकारी घोषित हो चुका था और उसकी गिरफ़्तारी दूसरे लाहौर षड्यन्त्र के प्रारम्भ होने के पाँच महीने बाद हुई थी। इसलिए सरकार ने उसके मामले को अन्य अभियुक्तों से अलग चलाने की आज्ञा दी थी। फिर भी उसके विरुद्ध अभियोग वे ही थे, जोकि अन्य अभियुक्तों के


विरुद्ध थे और इस समय उसका विचार भी उसी ट्रिब्यूनल में हो रहा है, जिसमें अन्य अभियुक्तों का हो रहा है। पुलिस की हिरासत से हटा कर वह न्यायालय विभाग की हिरासत में दिया गया था। अदालत ने अपनी दूसरी जून की आज्ञा द्वारा सिफ़ारिश की थी कि अभियुक्त दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रक्खा जाय। ४ जून को अदालत की आज्ञा का पालन हुआ, परन्तु ६ जून को वह फिर वहाँ से हटा कर एकान्त कोठरी में कर दिया गया, जहाँ किसी व्यक्ति को उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी।

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस प्रकार बिल्कुल अलग रखने से अभियुक्त के स्वास्थ्य और उसकी सफ़ाई की तैयारी में बाधा पहुँचेगी। हम लोगों ने जेल-अधिकारियों से एक पत्र द्वारा सुखदेवराज के अलग हटाए जाने का कारण पूछा था, परन्तु बहुत दिनों तक उनका कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने इस सम्बन्ध में अर्ज़ी दी, परन्तु वह खारिज हो गई। वहाँ से खारिज होने के बाद अब इस हाईकोर्ट के सामने अर्ज़ी पेश की। हाईकोर्ट में अर्ज़ी पेश होने के बाद जेल के अधिकारियों ने ट्रिब्यूनल के पास अपना उत्तर भेजा। उत्तर अभियुक्त के वकीलों के पास न भेज कर, ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट के पास भेजा गया। उसमें लिखा था कि गवर्नमेण्ट सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने का कोई कारण नहीं बतलाना चाहती। अभियुक्त के वकील ने "प्रिज़न एक्ट" की २७ और २८ वीं दफ़ाओं का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्थापक सभा ने जो व्यवस्था दी है, उसके अनुसार केवल दण्डित अभियुक्त अकेले बन्द किए जा सकते हैं, विचाराधीन अभियुक्त नहीं। क़ानून में कहीं नहीं कहा गया



कि विचाराधीन अभियुक्त अलग एकान्त में बन्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट की जो आज्ञाएँ निकल चुकी हैं, उनमें भी कहा गया है कि विचाराधीन अभियुक्तों के साथ उतनी ही सख्ती की जानी चाहिए, जितनी उन्हें हिरासत में रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। विचाराधीन अभियुक्त अदालत के अधिकार में रहते हैं, जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को उन्हें हिरासत में रखने का अधिकार अदालत से ही प्राप्त होता है। सरकार की कार्यकारिणी को विचाराधीन अभियुक्तों के सम्बन्ध में दस्तन्दाज़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत से दण्ड न पाए हुए क़ैदियों पर पूर्ण अधिकार केवल अदालत को है।

जेल-अधिकारियों के नाम अदालत ने जो पत्र लिखा था, उसके सम्बन्ध में अभियुक्त के वकील ने कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल जेल-अधिकारियों के पास केवल अपनी सिफ़ारिशें भेज रही थी। परन्तु जब अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से अलग हटाया जा रहा था, तब उससे कहा गया कि तुम एक ऐसी अधिकार-शक्ति की आज्ञानुसार अलग किए जा रहे हो, जोकि अदालतों से ऊपर है। सफ़ाई के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि क्या, बीसवीं शताब्दी में अदालतों की स्थिति इस दर्जे पर पहुँच गई है, कि अदालतें सरकार के कार्यकारिणी विभाग से नम्र-निवेदन किया करें, उनके यहाँ अर्ज़ियाँ भेजा करें, परन्तु वे यह तक न बतलाएँ, कि किसकी आज्ञानुसार और किस कारण से वह कार्य हुआ। सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जेल भेजा जाता है, उसे जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट अपने जेल में ले लेने के लिए बाध्य है, वह इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु



जेल के अन्दर प्रवेश करते ही वह व्यक्ति जेल के तमाम नियमों और प्रतिबन्धों के आधीन हो जाता है।

इस पर जस्टिस भिडे ने कहा—परन्तु उसके साथ विचाराधीन क़ैदी-सा व्यवहार होना चाहिए। अदालत को यह अधिकार है कि वह उस पर अनावश्यक सख्तियाँ न होने दे।

सरकारी वकील ने कहा कि यह ठीक है। सुखदेवराज के साथ बी० क्लास के क़ैदी का-सा व्यवहार किया जाता है, साधारण क़ैदी का नहीं।

इसके साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि कुछ विशेष कारणों से अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खा गया है, जो कि मैं अदालत को बताने के लिए तैयार हूँ, परन्तु सर्वसाधारण को नहीं बतलाए जा सकते। इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि जेल में वह प्रचार का कार्य न कर सके।

२६ जून, १६३१ : आज की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्तों की ओर से दी हुई उस अर्ज़ी का फ़ैसला सुनाया, जिसमें अभियुक्तों ने असिस्टेण्ट जेलर को हटा देने और मुखबिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनके पूर्णतया पालन किए जाने का अनुरोध किया था।

ट्रिब्यूनल का फ़ैसला इस प्रकार है :

"मुखबिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा है कि इस अदालत में गवाही प्रारम्भ होने के एक दिन पहले सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सय्यद अहमदशाह ने असिस्टेण्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह की साज़िश से, जो कि मुखबिरों पर देख-


रेख करने के लिए तैनात हैं, रात के समय जेल के अन्दर अनुचित ढङ्ग से प्रवेश किया और मुखबिर मदनगोपाल को बयान की नक़लें देकर उन्हें कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा। सफ़ाई के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि सी० आई० डी० के अफ़सर मुखबिरों से मिलने न पाएँ, परन्तु डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सय्यद अहमदशाह की कार्रवाई से मालूम होता है कि उस हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के हुक्मों के पालन न होने और दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं सरकार के नियमों के उल्लङ्घन होने में बहुत अन्तर है। जो हो, हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि मुखबिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जा सका, जिससे क़ानून का या किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्त्तव्य का उल्लङ्घन करना असम्भव हो जाय।

"अगर यह मान भी लिया जाय, कि मुखबिर मदनगोपाल ने अपने बयान में जो कुछ कहा है, वह ठीक है, फिर भी उससे यह नहीं प्रकट होता कि सरकार की ओर से मुख़बिरों के लिए जो प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आई० डी० के अफ़सरों के लिए मुख़बिरों से मिलने की व्यवस्था बनी रहने दी गई है। मुख़बिरों के लिए जैसा प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आई० डी० अफ़सर, बिना स्वयं अपने कर्त्तव्य का उल्लङ्घन किए और जेल के किसी अफ़सर से न्याय-विरुद्ध साज़िश किए किसी मुख़बिर से मिल ही नहीं सकता। हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन कराने के लिए इससे बढ़ कर और क्या गारण्टी हो सकती है कि जो व्यक्ति उन हुक्मों के उल्लङ्घन करने की चेष्टा करेगा, वह दण्डित किया जायगा ?



"सफ़ाई के वकील का कहना है कि वे किसी जेल-अधिकारी या पुलीस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट को दण्ड नहीं दिलाना चाहते, वे केवल कुछ ऐसा प्रबन्ध चाहते हैं, जिससे मुख़बिरों से सी० आई० डी० के आदमियों का मिलना असम्भव हो जाय। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमें नहीं मालूम कि ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा सकता है। अर्ज़ी में कहा गया है कि मुख़बिरों को सेण्ट्रल जेल में भेज दिया जाय। परन्तु यह उपाय हमें जँचता नहीं, क्योंकि इस बात की क्या गारण्टी है कि जैसे बोर्स्टल जेल में असिस्टेण्ट जेलर ने अपने कर्तव्य का उल्लङ्घन किया है, वैसे ही सेण्ट्रल जेल का अफ़सर अपने कर्तव्य का उल्लङ्घन न करेगा ?

"अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर अपने पद से हटा दिए जायँ। हम लोगों के लिए ऐसी कोई बात करना असम्भव है, जब तक कि हम लोगों को इस बात का निश्चय न हो जाय कि दौलतअली शाह ने कोई अपराध किया है।

"सफ़ाई के वकील ने कहा है कि हम लोग इस मामले की जाँच करें, परन्तु हमारा ख़याल है कि इस सम्बन्ध में आपत्ति की जा सकती है। एक तो यह, कि केस के बीच में ही मुख़बिर की गवाही के किसी अंश पर हो फ़ैसला दे देना सबूत या सफ़ाई-पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का यह स्पष्ट मत है कि हमारी अदालत इस बात के लिए नहीं है कि वह ऐसी बातों की जाँच करे। यह मान लेने पर भी कि मुख़बिर मदनगोपाल ने जो कुछ कहा है वह सच है, दौलतअली शाह और सय्यद अहमदशाह के कार्य, सम्भवतः "प्रिज़न एक्ट" की ४२वीं दफ़ा के अनुसार या किसी और



क़ानून के अनुसार अपराध कहे जा सकते हैं। इन अपराधों की जाँच करना लाहौर ज़िले के किसी फ़स्र्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की अदालत का कार्य है। वे अपराध ऐसे नहीं मालूम होते जिनकी जाँच यह अदालत कर सकती हो। इस कथन में, कि प्रबन्ध ऐसे हैं, जिनमें मुखबिरों से सी० आई० डी० के अफ़सरों के मिल सकने की व्यवस्था है और इस कथन में कि किसी सी० आई० डी० के अफ़सर ने क़ानून का उल्लङ्घन करके किसी मुखबिर से मिलने का उपाय कर लिया, अन्तर है। सम्भवतः पहले कथन के सम्बन्ध में जाँच करना हमारे लिए उचित है। परन्तु हमें उस अदालत के अधिकार अपहरण करने का कोई हक़ नहीं है, जिसे कि इस सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार है।

"इसलिए इस सम्बन्ध में हम लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित करना उचित समझते हैं। अगर वे उचित समझें तो अर्ज़ी में लिखी बातों की जाँच कर सकते हैं।

## सी० आई० डी० के अफ़सर

"अर्ज़ी में यह भी प्रार्थना की गई है, कि अदालत में मुखबिरों से सी० आई० डी० के अफ़सर न मिलने पाएँ। इस सम्बन्ध में हम अपना ज़बानी हुक्म पहले ही निकाल चुके हैं। अब एक लिखित हुक्म निकाल कर हम फिर से उस बात का समर्थन करते हैं। अब से गवाहों के कमरे में कोई भी पुलिस अफ़सर बिना अदालत की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वे ही पुलिस अफ़सर उस कमरे में जा सकेंगे, जिन्हें स्वयं गवाही देनी है, परन्तु जिन्होंने केस की जाँच में कोई भाग नहीं लिया है; या वे पुलिस अफ़सर जा सकेंगे, जिन्हें अदालत में मुखबिरों की देख-रेख रखने का कार्य दिया गया है।


"आखीर में हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि मुख़बिर मदनगोपाल की गवाही के किसी भी अंश पर हम अपना कोई भी निर्णय नहीं दे रहे हैं।"

३ जुलाई, १९३१ : दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज ने, अन्य अभियुक्तों से अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने जो अर्ज़ी दी थी, उसका फ़ैसला अभियुक्त के विरुद्ध हुआ था। इस पर अभियुक्त की ओर से फ़ैसले के विरुद्ध लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पेश की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने उस पर अपना फ़ैसला देते हुए कहा है कि "इस मामले में मुख्य विचारणीय बात यह है कि विचाराधीन क़ैदी के साथ जेल में होने वाले व्यवहारों की शिकायत की जाँच करना अदालत के अधिकार की बात है या नहीं। अभियुक्त की प्रार्थना पर ट्रिब्यूनल ने जेल-अधिकारियों के पास सूचना भेज कर, अभियुक्त को दूसरे अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रखने की सिफ़ारिश कर दी थी। ट्रिब्यूनल ने इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट करते हुए जेल-अधिकारियों के पास यह भी सूचना भेज दी थी कि अभियुक्त की प्रार्थना उचित है और ट्रिब्यूनल को, उस प्रार्थना के स्वीकार कर लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु ट्रिब्यूनल ने सिफ़ारिश कर देने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में और कोई कार्रवाई नहीं की। सिफ़ारिश के अनुसार कार्य न होने पर एक बार उसने, सफ़ाई-पक्ष के कहने पर जेल-अधिकारियों से उसका कारण पूछा था। इस विषय में ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ़ से स्वयं अपने सन्तोष के लिए कुछ नहीं पूछा। ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में कहा है कि इसके आगे कोई कार्रवाई करना हमारे अधिकार-परिधि के बाहर है। उसने



अभियुक्त की ज़मानत भी नामञ्ज़ूर कर दी है। ट्रिब्यूनल का फ़ैसला यदि ठीक मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा, कि अदालत विचाराधीन क़ैदी की शिकायत दूर करने का कोई उपाय नहीं कर सकती। परन्तु हम नहीं समझते कि अदालत की स्थिति ऐसी निरुपाय है। हमारी समझ में अभियुक्त ने अपनी अर्ज़ी में जो बातें कही थीं, उनका अभियुक्त की ज़मानत से सम्बन्ध था और इसलिए कम से कम इतना पता लेना आवश्यक था कि अर्ज़ी में लिखी बातें कहाँ तक ठीक हैं, जेल-अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, वह क़ानून के अनुसार है या उसके विरुद्ध है और उस कार्रवाई के करने में कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं रहा।

"यदि पता लगाने पर मालूम होता कि अभियुक्त की कही बातें ठीक हैं और जेल-अधिकारियों द्वारा की हुई कार्रवाई ग़ैर-क़ानूनी है, तो उस हालत में ट्रिब्यूनल को कम से कम अभियुक्त की ज़मानत के प्रश्न पर तो विचार करना ही चाहिए था, चाहे दूसरे किसी उपाय से अभियुक्त की शिकायत दूर करना ट्रिब्यूनल की सामर्थ्य के बाहर होता।

"जो हो, हमारी समझ से ट्रिब्यूनल का यह कहना ठीक नहीं है कि इस मामले में अदालत को कोई अधिकार ही नहीं है। सन् १९०० के प्रिज़न ऐक्ट की तीसरी दफ़ा के अनुसार जेल का अफ़सर उन सब व्यक्तियों को जेल में दाख़िल करने और रखने के लिए बाध्य है, जिन्हें किसी अदालत ने नियमानुसार हिरासत में रखने के लिए भेजा हो। इसका तात्पर्य यह कि जब अदालत किसी व्यक्ति को विचाराधीन क़ैदी की हालत में रखने के लिए जेल भेजे तो जेल का अफ़सर प्रिज़न ऐक्ट के अनुसार उसे विचाराधीन क़ैदी मानने और उसके साथ वैसा ही व्यवहार



करने के लिए बाध्य है। इस पर यदि कोई क़ैदी अदालत से शिकायत करता है कि मेरे साथ उपरोक्त नियम के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाता और नियम-विरुद्ध दण्ड दिया जाता है, तो क्या यह कहा जायगा कि अदालत को इस मामले में जाँच करने या यह जानने का कि क़ैदी के साथ अदालत के वॉरण्ट के अनुसार व्यवहार होता है या नहीं, अधिकार नहीं है? मेरी समझ से अवश्य ही अदालत को यह जानने का अधिकार है कि क़ैदी के साथ अदालत के वारण्ट के अनुसार व्यवहार होता है या नहीं। विद्वान् चीफ़ जस्टिस सर अब्दुल क़ादिर के एक फ़ैसले से भी उपरोक्त बात की पुष्टि होती है। आपके सामने जो मामला पेश था, उसमें कहा गया था कि जेल में मुख़बिर, अदालत की आज्ञा के विरुद्ध, पुलिस की हिरासत में रक्खे गए हैं। पहले तो सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना देने से इन्कार कर दिया, परन्तु बाद में यह बात मान ली गई कि अदालत को, यह जानने के लिए कि उसकी आज्ञाओं का पालन होता है या नहीं, सम्पूर्ण बातों के पूछने का अधिकार है। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में मातहत अदालतों की स्थिति भिन्न कैसे हो सकती है। आख़ीर में सरकारी वकील को इस मामले में स्वीकार करना ही पड़ा कि अदालत को यह जानने का अधिकार है कि विचाराधीन क़ैदी के साथ जेल में क़ानून के अनुसार व्यवहार किया जाता है या नहीं। अभियुक्त की अर्ज़ी के विरोध में सरकारी वकील ने सिर्फ़ इतना ही कहा कि इस सम्बन्ध में जो जाँच हो वह सार्वजनिक न हो। उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार उन कारणों को बतलाने के लिए तैयार है, जिनसे बाध्य होकर उसने अभियुक्त को अलग रखने का आदेश दिया था, फिर भी सार्वजनिक हित के विचार से उन



बातों को प्रकट करना ठीक न होगा। जो हो, मामले की मुख्य बात से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे मामले में सार्वजनिक जाँच पर ज़ोर देने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी अदालत ऐसी जाँच पर ज़ोर नहीं दे सकती, जिससे सार्वजनिक हित में बाधा पहुँचने की सम्भावना हो।

## कोर्ट को जाँच के बाद कार्रवाई करने का अधिकार है

"इस मामले में दूसरी विचारणीय बात यह है, कि जाँच के बाद अदालत कौन-सी कार्रवाई कर सकती है। निस्सन्देह जेल के अन्दर बन्द .कैदी जेल-क़ानून के आधीन हैं। जेल-क़ानून के अनुसार .कैदियों के साथ व्यवहार होने पर अदालत को जेल-अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु यह मालूम होने पर कि उनका कार्य जेल-नियमों के विरुद्ध है, अदालत को इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। निस्सन्देह जेल सम्बन्धी नियमों के विषय में अदालत और जेल-अधिकारी दोनों ही बाध्य हैं, परन्तु मेरी राय में, जेल-नियमों को बिना भङ्ग किए यदि अदालत न्याय की रक्षा के लिए कुछ आवश्यक हुक्म जारी करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। जेल मैनुअल के नियमों को देखने से भी मालूम होता है कि अदालत को इस प्रकार के हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ पञ्जाब जेल मैनुअल के ८११वें पैराग्राफ़ में लिखा है कि अगर मैजिस्ट्रेट का हुक्म हो तो .कैदी अपने साथ के अन्य .कैदियों से अलग रक्खा जा सकता है। सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कहा है, कि यह अपवाद है, परन्तु हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। और भी ऐसे मामले हैं, जिनमें न्याय की रक्षा के लिए अदालत को अपना


हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ क़ानूनी सलाहकारों से क़ैदियों के मिलने के सम्बन्ध में आई० एल० आर० ५० बम्बई, पृ० ७४१ में नज़ीर दर्ज है। यद्यपि उपरोक्त उदाहरण पुलीस की हिरासत में रहने वाले क़ैदियों पर लागू होता है, फिर भी कोई कारण नहीं है कि वही सिद्धान्त जेल में बन्द विचाराधीन क़ैदियों पर क्यों न लागू हो। निस्सन्देह अदालत अपना हुक्म जारी करते समय जेल-नियमों का खयाल रक्खेगी ही।

"विचाराधीन क़ैदी अदालत के अधिकार में रहते हैं, यह बात हाईकोर्ट ने न्याय-विभाग की हिरासत के सम्बन्ध में जो नियम बनाए हैं उनसे भी प्रकट होता है। न्याय-विभाग की हिरासत में जेल के उन स्थानों की भी गणना है, जहाँ विचाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं। यद्यपि जेल के अन्दर न्याय-विभाग की हिरासत का प्रबन्ध जेल-अधिकारी ही करते हैं, फिर भी सेशन्स जजों को उसके निरीक्षण का अधिकार रहता है। इस सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों को सेशन्स जजों के पास कुछ मासिक विवरण भी भेजना पड़ता है।

"निस्सन्देह अदालत जेल-शासन के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहती है। जेल-अधिकारियों की कार्रवाई बिल्कुल ग़ैर-क़ानूनी और अनुचित होने पर ही वह न्याय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी। इस वक्त जो मामला मौजूद है, उसमें हम यह तो नहीं मानते कि अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रहने का अधिकार है, परन्तु यह बात माननी पड़ेगी कि अभियुक्त जिस ढङ्ग से एकान्त कोठरी में रक्खा जा रहा है, वह प्रिज़न एक्ट के अनुसार दण्ड है, यद्यपि उसने जेल का कोई नियम नहीं भङ्ग किया। पञ्जाब जेल


मैनुअल के नियमानुसार विचाराधीन क़ैदी के साथ केवल उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए, जितना कि जेल के नियम और अनुशासन की रक्षा के लिए आवश्यक हो। इस दृष्टि से इस मामले पर विचार करने से मालूम होता है कि अभियुक्त की शिकायतों की जाँच होनी ज़रूरी है। इसलिए हम अभियुक्त की अर्ज़ी मञ्ज़ूर करते हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल इस मामले की जाँच करेगा और उसके बाद फ़ैसला किया जायगा।"

४ जुलाई, १९३१ : आज मि० सुमेरचन्द एडवोकेट ने हाई-कोर्ट के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की ओर से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४३५ और ५६१-ए के अनुसार निम्नलिखित अर्ज़ी पेश की :

( १ ) अभियुक्तों के विरुद्ध स्पेशल ट्रिब्यूनल में भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए मामला चल रहा है।

( २ ) इस केस में ६ मुखबिर हैं।

( ३ ) मामला चलते समय पहले मुखबिर पुलीस की हिरासत में थे, बाद में १८ एप्रिल के हाईकोर्ट के हुक्म के अनुसार वे न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए।

( ४ ) न्यायालय विभाग की हिरासत में रक्खे जाने के बाद अभियुक्तों ने इस हाईकोर्ट के सामने एक अर्ज़ी पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मुखबिरों पर सेण्ट्रल जेल में पहरा देने वाले पुलीस के आदमी हैं और पुलीस के अफ़सर मुखबिरों से मिला करते हैं।

( ५ ) जिस समय उपरोक्त अर्ज़ी पर हाईकोर्ट में बिचार हो रहा था, उस समय सरकारी वकील ने हाईकोर्ट के सामने एक वक्तव्य पेश किया था, जिसमें हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया गया था, कि मुखबिरों के लिए स्थायी प्रबन्ध कर दिया जायगा,



पुलीस का पहरा हटा लिया जायगा और पुलीस के अफ़सर न तो मुखबिरों से मिल सकेंगे, न उन पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे।

( ६ ) सबूत-पक्ष के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस सर शादीलाल और सर अब्दुल क़ादिर ने अभियुक्तों की अर्ज़ी २३ मई सन् १६३१ को खारिज कर दी। उस सम्बन्ध में आप लोगों ने जो विचार प्रगट किए थे, वे इस प्रकार हैं :

"ऐसी हालत में अब इस बात का भय नहीं रहा, कि केस के जाँच करने वाले अफ़सर मुखबिरों पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे। अभियुक्तों को अब इस सम्बन्ध में तब तक किसी प्रकार की शिकायत करने का मौक़ा नहीं है, जब तक कि वे यह न प्रमाणित कर दें कि अफ़सरों को मुखबिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने के अवसर मिलते हैं।"

( ७ ) हाईकोर्ट के उपरोक्त हुक्म के निकलने के बाद मुखबिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हुई। उसने अपनी गवाही में कहा है कि सी० आई० डी० के अफ़सर असिस्टेण्ट जेलर दौलतअली शाह की सहायता से अब भी मुझसे मिलते और लिखित बयान को कण्ठस्थ करने के लिए कहते हैं। मुखबिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के समर्थन में अदालत के सामने एक काग़ज़ भी पेश किया था। इससे ज़ाहिर होता है कि मुख़बिर अब भी पुलिस के दबाव से बाहर नहीं हैं और सरकारी वकील ने हाइकोर्ट को जो विश्वास दिलाया था, उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

( ८ ) अभियुक्तों ने ता० २२ मार्च, सन् १६३१ को ट्रिब्यूनल से शिकायत की, कि मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सर



और असिस्टेण्ट जेलर मिलते और उन पर दबाव डालते हैं और हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन नहीं किया जा रहा है। परन्तु ट्रिब्यूनल ने २५ जून, सन् १६३१ को अभियुक्तों की अर्जी यह कह कर खारिज कर दी, कि यह अदालत इस मामले में जाँच नहीं कर सकती और न उसे रोकने का कोई उपाय ही कर सकती है।

## ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था ?

( ६ ) छोटी अदालत का यह कहना, कि वह मुखबिरों से सी० आई० डी० अफसरों का मिलना नहीं रोक सकती, ग़लत है। छोटी अदालत का यह देखना फर्ज़ है कि हाईकोर्ट के हुक्मों का शब्दों और भावों, दोनों प्रकार से पालन होता है या नहीं। शिकायतों की ओर केवल लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित कर देने और उनसे यह कह देने से कि यदि वे उचित समझें तो शिकायतों की जाँच करें, कोई लाभ नहीं हो सकता क्योंकि जब तक वे इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने का विचार करेंगे, तब तक मुखबिरों की गवाही समाप्त हो जायगी। ट्रिब्यूनल को मुखबिरों के लिए प्रबन्ध में कुछ ऐसा परिवर्तन करने का हुक्म देना चाहिए था, जिससे निष्पक्ष न्याय की रक्षा होती। ट्रिब्यूनल को मुख़बिरों की गवाही तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि मुख़बिर पुलीस के दबाव से बिलकुल स्वतन्त्र न हो जाते।

( १० ) जो हो, इस हाईकोर्ट को १८ अप्रैल, सन् १६३१ के हुक्म के पालन कराने के लिए आवश्यक हुक्मों के निकालने, अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग रोकने और न्याय की रक्षा करने का पूरा हक़ है।



( ११ ) बाबू दौलतअली शाह मुखबिरों की देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ और मुखबिर बोर्स्टल जेल से हटा कर सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ।

( १२ ) प्रार्थना है कि हाईकोर्ट के १८ अप्रैल की आज्ञा का पालन कराया जाय, जिससे सी० आई० डी० के अफ़सर मुखबिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने का अवसर न पा सकें। बाबू दौलतअली शाह मुखबिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ। मुखबिर बोर्स्टल जल से हटा कर सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष न्याय के लिए हाईकोर्ट जो अन्य उपाय उचित समझे, उनका प्रबन्ध करे। जब तक यह प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

८ जुलाई, १९३१ : ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेण्ट मि० ब्लैकर के छुट्टी ले लेने के कारण दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई १० रोज़ के लिए स्थगित हो गई थी। आज तारीख़ ८ जुलाई को सुनवाई होने वाली थी।

अदालत में सफ़ाई के वकील और कुछ सबूत के गवाह उपस्थित थे। ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने अदालत में उपस्थित लोगों को सूचना देते हुए बतलाया कि झेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण श्रीनगर और रावलपिण्डी के बीच के कोहला और दूसरे पुल बह गए हैं जिससे मि० ब्लैकर लाहौर नहीं पहुँच सके। इसलिए अदालत शनिवार तक के लिए स्थगित हो गई।

आज लाहौर हाईकोर्ट ने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की ओर से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४३५ और ५६१-ए के अनुसार दी हुई उस अर्ज़ी पर विचार किया, जिसमें



हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी, कि मुखबिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो पहले हुक्म जारी किया था, उसका पालन कराया जाय और सी० आई० डी० अफ़सरों को मुखबिरों से मिलने और उन पर किसी प्रकार के दबाव डालने का मौक़ा न दिया जाय। अर्ज़ी में यह भी प्रार्थना की गई थी कि बाबू दौलतअली शाह मुख़बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ और मुख़बिर बार्स्टल जेल से सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ। इसके अतिरिक्त और जो उपाय हाईकोर्ट निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक समझे, कर सकती है। यह भी कहा गया था, कि जब तक मुखबिरों के सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

अभियुक्तों की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द और मि० श्यामलाल उपस्थित थे।

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस केस में ६ मुख़बिर हैं। चार महीने तक वे पुलीस की हिरासत में रहे। बाद में अभियुक्तों की ओर से यह शिकायत होने पर कि पुलीस मुख़बिरों पर बेजा दबाव डालती है, हाईकोर्ट ने उन्हें पुलीस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर देने का हुक्म जारी कर दिया। यह इस मामले का प्रथम अध्याय था। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक़ मुख़बिर पुलीस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए। परन्तु पुलीस का पहरा ज्यों का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट से इसकी शिकायत की गई, जिसके परिणाम-स्वरूप गवर्नमेण्ट ने पुलीस का पहरा हटा लेना स्वीकार कर लिया। यह इस मामले का द्वितीय अध्याय था। इसका तीसरा अध्याय



इस वक्त हाईकोर्ट के सामने उपस्थित है। बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह, जिन्हें मुख़बिरों की देख-रेख रखने का कार्य दिया गया था, पुलीस से मिले हुए हैं। वे सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सैयद अहमद शाह को जेल के पीछे के रास्ते से ले जाकर मुख़बिरों से मिलाया करते थे। यह अर्ज़ी अभियुक्तों ने ऐसी कार्रवाइयों के रोकने के लिए पेश की है।

## मुख़बिर के बयान

मि० सुमेरचन्द ने मुख़बिर मदनगोपाल के बयान का वह अंश अदालत के सामने पढ़ कर सुनाया, जिसमें उसने कहा था कि डी० एस० पी० सैयद अहमदशाह बोर्स्टल जेल में मेरी कोठरी में आए, मुझे दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैलाशपति के बयान की अङ्गरेज़ी नक़ल दी और उसकी उन बातों को कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा, जोकि दिल्ली और लाहौर षडयन्त्रों से मिलती-जुलती हों। उन्होंने मुख़बिर से कहा कि बयान में परस्पर विरोधी बातें न होनी चाहिए।

जस्टिस टैप—मुख़बिर को काग़ज़ देख कर अपनी याददाश्त ताज़ी करने का अधिकार है। इसमें हर्ज ही क्या है ?

वकील—हर्ज कोई नहीं है। परन्तु क़ानूनन् वह अदालत में ही याददाश्त ताज़ी कर सकता है।

जस्टिस भिडे—अदालत में जाने से पहले भी वह अपनी याददाश्त ताज़ी कर सकता है। सम्भव है, डी० एस० पी० इजाज़त लेकर जेल के अन्दर गया हो, उसमें दोष ही क्या है ?

वकील—क़ानूनन् डी० एस० पी० जेल के अन्दर मुख़बिर के पास नहीं जा सकता। सबूत-पक्ष का तो कहना है कि डी०


एस० पी० के जेल में जाने और मुखबिर से मिलने आदि की बातें ग़लत हैं।

जस्टिस भिडे—क्या सबूत-पक्ष का कहना है कि डी० एस० पी० वहाँ गया ही नहीं ?

वकील—जी हाँ।

जस्टिस टैप—मुख़बिर ने डी० एस० पी० के हाथ का लिखा एक काग़ज़ पेश भी किया है।

वकील—जी हाँ!

जस्टिस भिडे—यह अर्ज़ी लेकर हाईकोर्ट में आने की आपको ज़रूरत ही क्या है, जब इस तरह का बयान मिसिल में दर्ज है ? यह तो सबूत-पक्ष को साबित करना चाहिए, कि ऐसी कोई बात नहीं हुई।

जस्टिस टैप—इस वक्त मिसिल में एक ऐसी बात दर्ज है, जिसका सबूत की ओर से विरोध नहीं हुआ। यह आपके पक्ष के लाभ की बात है। आप अर्ज़ी पेश करके अपने विरोधी को उस बात के काटने का अवसर क्यों देते हैं ? गवाही के ऊपर छाए हुए बादल को आप स्वयं ही क्यों हटाना चाहते हैं ?

व०—हम इस मुखबिर के सम्बन्ध में कोई कारंवाही नहीं चाहते। हम केवल दूसरे मुख़बिरों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक प्रबन्ध चाहते हैं।

जजों ने, यह कह कर अर्ज़ी ख़ारिज कर दी, कि इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट की तरफ़ से आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं। इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं है।

११ जुलाई, १६३१ : को स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० एच० ए० सी० ब्लैकर के श्रीनगर से लाहौर आ जाने पर, जो कि



झेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण रुक गए थे, दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से प्रारम्भ हुई।

आज अभियुक्त एक वर्दी में केसरी रङ्ग के साफ़े बाँधे भूरी रङ्ग की क़मीज़ें और नीले रङ्ग के निकर पहने अदालत में उपस्थित हुए।

कार्रवाई प्रारम्भ होने पर सब से पहले सबूत की ओर से फ़िरोज़पूर शस्त्रागार के केप्टेन मिलर की गवाही हुई। केप्टेन मिलर ने अपनी गवाही में कहा कि अमृतसर रेलवे स्टेशन की सराय में मैंने एक बम की परीक्षा की थी। मैंने उसे छुआ नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि छूने से वह कहीं भड़क न उठे।

इसके बाद अमृतसर के सरयाली पुलीस-चौकी के सब-इन्स्पेक्टर ज़ुलफ़िकारअली शाह की गवाही हुई। ज़ुलफ़िक़ारअली शाह जून सन् १६३० में सिविल लाइन्स के हल्क़े में थे। आपने अपनी गवाही में कहा कि १६ जून सन् १६३० को सवेरे साढ़े ६ बजे सराय रनजोधसिंह के मुन्शी अब्दुल हकीम ने पुलीस-चौकी में आकर कहा कि सराय के दूसरे नम्बर के कमरे में एक बम फटने की घटना हुई है। उसने कहा कि रात में एक नव-युवक ने उस कमरे को किराए पर लिया था। बम फटने के बाद कमरे को धुएँ से भरा हुआ देख कर वह नवयुवक सराय से चला गया। घटना की रिपोर्ट लिख लेने के बाद मैं सराय गया, वहाँ कमरे से धुआँ निकल रहा था। ताला खोल कर अन्दर देखने से मालूम हुआ कि दीवार पर नुक़सान पहुँचा है। इस बात से मैंने अनुमान किया कि कोई बम की घटना हुई है। मैंने कमरे की आलमारी में एक काले सन्दूक़ में एक और बम रक्खा हुआ देखा था। मैंने देखा कि काले सन्दूक़ के नीचे कुछ काग़ज़ भी रक्खे हुए हैं। मैंने किसी व्यक्ति को


उसे छूने नहीं दिया। इसके बाद मि० नील तथा दूसरे अफ़सरों ने आकर घटनास्थल और बम का निरीक्षण किया। मैंने ज़मीन पर बिखरी हुई कीलों को एकत्र करके उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली। इसके बाद गवाह ने अदालत में पेश एक क़मीज़ और एक काले सन्दूक़ की शनाख्त की।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि सराय के रजिस्टर को मैंने घटना के कुछ दिन बाद क़ब्ज़े में किया था। एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि रजिस्टर में जहाँ तक लिखा जा चुका था, उसके आखीर में मेरे दस्तखत नहीं हैं।

इसके बाद रनजोधसिंह-सराय के मैनेजर अब्दुल हकीम क़ुरेशी की गवाही हुई। आपने कहा कि रजिस्टर में सराय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिख लिया जाता है। १८ जून को सराय में एक नवयुवक आया था, उसका नाम रजिस्टर में लिख लिया गया था। मैं उस नवयुवक को पहले से नहीं जानता था। वह २ नवम्बर के कमरे में ठहरा था। वह सूर्यास्त के समय अकेले आया था। उसके आने के कुछ मिनटों बाद एक सिक्ख भी आया था, जो कि उसके कमरे में चला गया। वह सिक्ख रात में नहीं रहा, क़रीब पौन घण्टा के बाद वह चला गया था।

इसके बाद गवाह ने कहा कि दूसरे दिन सवेरे क़रीब ६ बजे २ नम्बर के कमरे में एक बम फटा। मैंने कमरे के अन्दर से बहुत अधिक धुआँ निकलते हुए देखा। इसके बाद मैंने इस मामले की पुलीस में रिपोर्ट कर दी।

गवाह की जिरह के बाद सुनवाई स्थगित हो गई।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज की



भी पेशी हुई थी। सुखदेवराज के अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में जो अर्ज़ी पेश की गई थी, उसके फ़ैसले के अनुसार ट्रिब्यूनल के प्रज़िडेण्ट ने सरकार के नाम एक नोटिस निकालने की सूचना दी।

अभियुक्त के वकील लाला श्यामलाल एडवोकेट ने अदालत से नोटिस के जवाब के लिए शीघ्र तारीख़ रखने की प्रार्थना की। आपने कहा कि अभियुक्त को एकान्त कोठरी में रखते एक महीना से अधिक का समय हो गया है।

इसके बाद अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सेन्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के द्वारा सरकार को नोटिस दी कि अभियुक्त सुखदेवराज ने एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में जो शिकायत की है, वह ठीक है या नहीं और उसका इस प्रकार रक्खा जाना क़ानून से उचित है या नहीं। इस बात का उत्तर देने के लिए अदालत ने १८ तारीख़ नियत की।

१५ जुलाई १९३१ : का लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अमृतसर सराय को बम-घटना के सम्बन्ध में गवाही जारी रही।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अमृतसर रेलवे स्टेशन के कुली फ़ज़ल मुहम्मद से बहुत देर तक जिरह की। गवाह ने कहा कि जब रेलवे स्टेशन से सराय की तरफ़ मैं दो नवयुवकों का सामान लिए हुए जा रहा था, तब रास्ते में मुझे केवल एक सिक्ख मिला था। मैं नहीं जानता कि पुलीस ने अपने बयान में दो सिक्ख क्यों बतलाए हैं। मैं उसी ट्रेन से आया था, जिस ट्रेन से सराय के मुन्शी लाहौर फ़ोर्ट में उन नवयुवकों की शनाख्त करने के लिए आए थे। इसके पहले मैं मुन्शी को नहीं जानता था। मुझे याद है कि शनाख्त की कार-


वाई के समय मुझे बुलाने के लिए पुलीस का एक आदमी गया था। मैंने रेल का खर्च अपनी जेब से दिया था, परन्तु बाद में शनाख्त की कार्रवाई हो जाने के बाद पुलीस ने मुझे रेल का खर्च दे दिया। शनाख्त के समय मैंने मैजिस्ट्रेट से कहा था, कि इन्हीं लोगों का सामान मैंने स्टेशन से सराय तक पहुँचाया था।

अमृतसर रेलवे स्टेशन के एक दूसरे क़ुली, चननदीन ने कहा कि मैंने फ़ज़ल मुहम्मद को दो नवयुवकों के साथ उनका सामान ले जाते हुए देखा था।

जब गवाह से उन दो नवयुवकों की शनाख्त करने के लिए कहा गया, तो उसने अभियुक्तों के कठघरे में ग़लत व्यक्तियों को बतलाया, जोकि अभियुक्त जयप्रकाश और हरनामसिंह थे।

अदालत ने गवाह से पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का निश्चय है कि फ़ज़ल मुहम्मद के साथ तुमने इन्हीं दो नवयुवकों को देखा था?

मि० श्यामलाल ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध किया और कहा कि यह बिल्कुल झूठा गवाह है।

अदालत ने मि० श्यामलाल की बात नहीं मानी।

गवाह ने कहा कि समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मुझे निश्चय नहीं है।

इसके बाद मि० श्यामलाल और मि० अमोलकराम ने गवाह से जिरह की।

## सम्बन्धियों से मिलने का प्रश्न

मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्तों ने अदालत से प्रार्थना की थी, कि गुजरानवाला से आए हुए सबूत के गवाहों की गवाही



होने के पहले उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त दे दी जाय। अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से मिल कर अपने शनाख्त के सम्बन्ध में कुछ सलाह करना चाहते थे। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि गूजरानवाला के गवाहों की गवाही तब तक के लिए स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से न मिल लें।

अदालत ने अभियुक्तों की प्रार्थना मान ली और अभियुक्तों से उनके रिश्तेदारों के मिलने के लिए कल की तारीख नियत की। तब तक गूजरानवाला के गवाहों की गवाही स्थगित रक्खी जायगी।

सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि मुझे अदालत की आज्ञा में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरी प्रार्थना है कि गुजरानवाला के गवाहों में से एक गवाह की गवाही हो जाने के लिए आज्ञा दे दी जाय। वह गवाह विशेष महत्व-पूर्ण नहीं है और उससे अभियुक्तों की शनाख्त की कार्रवाई से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अदालत ने सरकारी वकील की बात नहीं मानी और अपने पहले के निश्चय पर दृढ़ रही।

## मुख़बिरों की गवाही

इसके बाद सफ़ाई के वकील ने मुखबिर सरनदास और शिवराम की गवाही तुरन्त ही प्रारम्भ कर देने के लिए अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश की। अर्ज़ी इस प्रकार थी :

( १ ) सी० आई० डी० पुलीस के आदमी मुख़बिरों पर बेजा दबाव डालने के लिए जैसी-जैसी धमकियाँ और यातनाएँ दे रहे थे, उसके सम्बन्ध में इस अदालत के सामने एक अर्ज़ी



पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुख़बिरों की गवाही तब तक के लिए स्थगित की जाय, जब तक कि हाईकोर्ट से इन ज़्यादतियों के रोकने का कोई उपाय न कर दिया जाय। उस अर्ज़ी के अनुसार इस अदालत ने ८ जुलाई तक के लिए मुख़बिरों की गवाही स्थगित कर दी थी।

(२) हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की अर्ज़ी पर ८ जुलाई, सन् १६३१ को अपना फ़ैसला सुना दिया था।

(३) सबूत-पक्ष अन्य गवाहों की गवाहियाँ ले रहा है, परन्तु मुख़बिरों की गवाही जान-बूझ कर रोके हुए है।

(४) अभियुक्तों को इस बात का भय है कि पुलीस इस बीच में मुख़बिरों पर पहले की ही तरह बेजा दबाव डालने का प्रयत्न कर रही है। बेगुनाह व्यक्तियों के विरुद्ध मुख़बिरों के विचार-स्वातन्त्र्य में बिल्कुल अनुचित और ग़ैर-क़ानूनी दबाव डाल कर न्याय के मार्ग में बाधा उपस्थित की जा रही है।

(५) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बोर्स्टल जेल के असिस्टेएट जेलर और एक दूसरे पुलिस-अफ़सर के विरुद्ध, जिसने असि-स्टेएट जेलर की साज़िश से जेल में मुख़बिर मदनगोपाल से ग़ैर-क़ानूनी ढङ्ग से भेंट की थी और जिनके विरुद्ध अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रिज़न एक्ट के अनुसार क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा था, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

(६) अभियुक्तों में से रावलपिण्डी वाले अभियुक्त बहुत अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्हें जहाँ तक हो, जल्दी यह मालूम हो जाना आवश्यक है कि सबूत-पक्ष ने उनके विरुद्ध क्या दोषारोपण किए हैं।

(७) इस अर्ज़ी में लिखी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तों की प्रार्थना है, कि अदालत उन मुख़बिरों के पेश



करने और उनकी गवाही प्रारम्भ कर देने का शीघ्र हुक्म जारी कर दे, जिनकी गवाही अभी तक नहीं हुई है।

अर्ज़ी पर बहस सुन लेने के बाद अदालत ने अर्ज़ी ख़ारिज कर दी।

## जेल में मुलाक़ात और सरकारी गवाह

अभियुक्तों की ओर से ट्रिब्यूनल के सामने एक और अर्ज़ी पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि पहले अभियुक्त अपने सम्बन्धियों से जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के ऑफ़िस में किसी जेल-अधिकारी की उपस्थिति में मिला करते थे, परन्तु कल सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह से कहा गया कि वे अपने सम्बन्धियों से सीख़चों के अन्दर से मिल सकते हैं। सीख़चों के अन्दर से मिलने की यह जगह जेल के सामने की मुख्य सड़क से साफ़ दिखलाई पड़ती है। मिलने के लिए यह जगह बिल्कुल अनुचित और असुविधाजनक थी। अभियुक्तों के सम्बन्धियों को, जिनमें स्त्री-पुरुष और बच्चे सभी थे, इस गर्मी के ऋतु में धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा। इस प्रकार की मुलाक़ातों का उद्देश्य सबूत के गवाहों को अभियुक्तों को पहचानने का मौक़ा देना था।

अभियुक्तों को लाहौर फ़ोर्ट में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर उपरोक्त बातों की शङ्का की गई है।

सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह ने सीख़चों के अन्दर से जेल के फाटक पर डी० एस० पी०, सरदार प्रतापसिंह और कोर्ट-इन्स्पेक्टर मि० केदारनाथ को गूजरानवाला के दो सबूत के गवाहों के साथ खड़े हुए देखा था। इन्हीं गवाहों ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की लाहौर के क़िले में शनाख़्त की थी।



यह सब देख कर अभियुक्तों को सी० आई० डी० के आदमियों की चाल की आशङ्का हो गई, इसलिए उन्होंने उन परिस्थितियों में अपने सम्बन्धियों से मिलना अस्वीकार कर दिया। अभियुक्तों की प्रार्थना है कि अदालत अभियुक्तों को जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के दफ़्तर में हफ़्ते में दो बार अपने सम्बन्धियों से मिलने की इजाज़त दे।

अदालत ने यह अर्ज़ी मञ्ज़ूर कर ली और जेल-अधिकारियों का डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के ऑफ़िस में मुलाक़ात का प्रबन्ध करने के लिए हिदायत दी।

१६ जुलाई, १६३१ : दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

गूजरानवाला के ताँगा हाँकने वाले ने अपनी गवाही में कहा कि जून सन् १६३० में मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में बम-घटना का समाचार सुना था। बम-घटना के दूसरे दिन पुलीस ने बुला कर मुझसे पूछा कि क्या तुम अपने ताँगे में दो सिक्खों को स्टेशन से लेकर ब्रह्म-अखाड़ा गए थे ? मैंने कह दिया—हाँ, मैं अपने ताँगे में लेकर गया था।

इसके बाद गवाह से थोड़ी देर के लिए अदालत के बाहर चले जाने के लिए कहा गया। इधर अदालत में कुछ सिक्ख नवयुवक अभियुक्तों की सी पोशाक पहना कर अभियुक्तों के साथ खड़े कर दिए गए। फिर गवाह को बाहर से बुला कर अदालत ने उससे उन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाख्त करने के लिए कहा, जिनको वह स्टेशन से ताँगे पर ब्रह्म-अखाड़ा ले गया था। गवाह शनाख्त नहीं कर सका। उसने कहा कि वे नवयुवक इन अभियुक्तों में नहीं हैं। इसी गवाह ने मैजिस्ट्रेट की अदालत में उनकी शनाख्त की थी।



जिरह करने पर गवाह ने कहा कि हाँ, यह बात ठीक है, कि मेरा नाम पुलीस में बदमाशों के रजिस्टर में लिखा है।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं उन अभियुक्तों की शनाख्त, इसलिए नहीं कर सका, कि वे सिक्खों में मिला दिए गए हैं और उनकी पोशाकें एक-सी हैं। क़िले में शनाख्त करते समय अभियुक्त एक तरह की पोशाक में नहीं थे और जो बाहरी व्यक्ति उनके साथ मिला दिए गए थे, उनमें अधिकांश सिक्ख नहीं थे। गवाह ने कहा कि वे कई दलों में करके खड़े किए गए थे, वे यहाँ की तरह एक लाइन में नहीं खड़े किए गए थे।

## पुजारी का बयान

ब्रह्म-अखाड़ा के पुजारी मोहकुमचन्द ने कहा कि १६ जून, सन् १६३० को ब्रह्म-अखाड़ा के ६ नम्बर के कमरे में एक बम फटा था। कमरा खोलने पर वह धुएँ से भरा हुआ पाया गया और अन्दर से गन्धक की बू आ रही थी। मैं इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट के संयुक्त मन्त्री के पास गया। वहाँ से लौटने पर मैंने देखा कि बहुत से पुलीस अफ़सर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर भी घटना-स्थल पर मौजूद थे। मैंने सुना कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे में एक और बम फटा था, जिससे एक पुलीस अफ़सर घायल हो गया। वह पुलीस अफ़सर मेरे सामने अस्पताल पहुँचाया गया। गवाह ने कहा कि इस कमरे में दो सिक्ख नवयुवक ठहरे थे। वे १७ जून, सन् १६३० को आए थे।

इसके बाद गवाह ने कहा कि मैंने लाहौर फ़ोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने उन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाख्त की थी। पुलीस



मर-शहीद स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर 'आज़ाद'



ने इन नवयुवकों को शनाख्त की कार्रवाई के तीन दिन पहले मुझे लाहौर में पुलीस की हिरासत में दिखला दिया था। सब-इन्स्पेक्टर ने उन नवयुवकों को दिखलाते हुए मुझसे कहा था कि अच्छी तरह देख लो, शनाख्त करनी होगी।

सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि यह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध हो गया है, इसलिए इससे जिरह करने की आज्ञा दी जाय।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम ने, यह कहते हुए इसका विरोध किया, कि किसी गवाह के सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ कह देने से ही वह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध नहीं हो जाता। परन्तु अदालत ने सरकारी वकील को जिरह करने की आज्ञा दे दी।

सरकारी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में शनाख्त की कार्रवाई प्रारम्भ होने के पहले मुझे एक पुलीस अफ़सर लाहौर ले आया था। उसी ने मेरे टिकट का मूल्य दिया था और मेरे भोजन का प्रबन्ध किया था। जिस पुलीस चौकी में यह अफ़सर मुझे ले गया था और अभियुक्तों को दिखलाया था, उसके सामने एक कुआँ है। मैं अदालत को वह जगह बतला सकता हूँ।

## पुलीस की बेईमानियाँ

गवाह ने कहा कि पुलीस से बहुत डरने के कारण मैंने उस पुलीस अफ़सर के साथ गूजरानवाला से लाहौर आने में इन्कार नहीं किया। गूजरानवाला से लाहौर आते समय तीन और गवाह मेरे साथ थे, जिनमें एक ताँगा हाँकने वाला मेहरदीन, लक्ष्मीदास और ब्रह्म-अखाड़ा के मैनेजर थे। साथ में एक कॉन्स्टेबिल भी था। हम लोग एक कमरे में बैठा दिए गए थे,



वहीं अभियुक्त लाकर दिखलाए गए। इसके बाद हम लोगों को वापस जाने का टिकट-खर्च दे दिया गया। तीसरे दिन हम लोग अभियुक्तों की शनाख्त करने के लिए फिर बुलाए गए। जिस पुलीस अफ़सर ने हम लोगों को अभियुक्तों को दिखलाया था, वही रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए मौजूद था। उसके साथ एक मैजिस्ट्रेट भी थे।

प्रश्न—तुमने यह बात मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं बतलाई ?

उ०—मैजिस्ट्रेट ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, इससे मैंने उनसे कुछ नहीं कहा।

प्र०—क्या आज तुम अदालत में इस बात को प्रकट करने के इरादे से आए थे ?

उ०—नहीं, अगर मुझसे यह बात न पूछी जाती तो मैंने उसको प्रकट न किया होता।

मि० सलीम—सरकारी वकील के किस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें इन बातों को प्रकट करना पड़ा ?

गवाह—सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि मैजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्तों की शनाख्त करते समय तुम्हें यह निश्चय था, कि तुम अभियुक्तों की ठीक शनाख्त कर रहे हो ? इसके उत्तर में मैंने कहा कि अभियुक्त मुझे पहले से दिखला दिए गए थे। मैंने थाने में अभियुक्तों को केवल पाँच मिनट तक देखा था।

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह से उन अभियुक्तों की शनाख्त करने के लिए कहा, जो कि उसे पुलीस चौकी में दिखलाए गए थे। गवाह कठघरे के पास गया और चारों तरफ़ देख कर कहा कि मैं अभियुक्तों की शनाख्त नहीं कर सकता।

इस पर अदालत ने सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह को खड़े होने के लिए कहा और गवाह से उनकी

ओर सङ्केत करते हुए पूछा कि ये वही व्यक्ति हैं या नहीं, जिनको पुलीस ने तुम्हें दिखलाया था? गवाह ने कहा, हाँ ये वही व्यक्ति हैं। सरदार अमरीकसिंह की ओर इशारा करते हुए गवाह ने कहा कि सम्भवतः मैंने इसी व्यक्ति को ब्रह्म-अखाड़ा से १६ जून को सवेरे निकलते हुए देखा था।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि अदालत में सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह की शनाख्त मैं क्यों नहीं कर सका। गवाह ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में शनाख्त की कार्रवाई के समय अभियुक्तों की पोशाकें भिन्न प्रकार की थीं, इस समय उनकी पोशाकें एक-सी हैं।

१७ जुलाई, १९३१ : सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वाला-प्रसाद ने गूजराँवाला के श्री० मोहकमचन्द से जिरह जारी रक्खी। गवाह ने कहा कि ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट में २६ सदस्य हैं। लाला जगन्नाथ मोंगा, जो कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गिरफ्तार हुए थे, ट्रस्ट के सदस्यों में से हैं। गवाह ने कहा कि जेल से उनके छूटने पर मैं उनके घर पर उनको बधाई देने के लिए नहीं गया। मुझे नहीं मालूम, कि लाला बिहारीलाल १६ जून के पहले गिरफ्तार हुए थे या बाद में, और न मुझे यह मालूम है, कि वे इस षड्यन्त्र केस में गिरफ्तार हुए थे या नहीं।

प्रश्न—क्या यह बात सच है, कि इस केस में तुमने लाला जगन्नाथ और लाला बिहारीलाल के दबाव के कारण सबूत-पक्ष के विरुद्ध गवाही दी है?

उत्तर—नहीं, यह बात सच नहीं है।

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि दो नवयुवक सिक्ख ब्रह्म-अखाड़ा में साढ़े आठ बजे रात को आए थे। अगर पुलीस ने अभियुक्तों



को न दिखलाया होता, तो मैं शनाख्त न कर सकता। गवाह ने कहा, कि मैं उस पुलीस अफ़सर की शनाख्त कर सकता हूँ, जिसने अभियुक्तों को दिखलाया था।

इस पर सी० आई० डी० के सब-इन्सपेक्टर सरदार खड्गसिंह अदालत में लाए गए। उनको देखते ही गवाह ने कहा कि ये वही पुलीस अफ़सर हैं, जिन्होंने अभियुक्तों को दिखलाया था। इन्होंने मेरा बयान भी लिखा था। गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि बम-घटना के दिन ब्रह्म-अखाड़ा में कितने आदमी थे। मैं कभी कॉङ्गरेस की सभाओं में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि एक तो कॉङ्गरेस की सभाओं में कॉङ्गरेस वालों पर पुलीस आक्रमण करती है, दूसरे मैं गवर्नमेण्ट की राजभक्त प्रजा हूँ।

इसके बाद सबूत के दूसरे गवाह, पथरवाली गाँव के ज्ञानसिंह की गवाही हुई। गवाह ने कहा कि १७ जून, सन् १९३० को मैं गूजराँवाला एक मुक़दमे के सम्बन्ध में गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज की अदालत में चल रहा था। मैं ब्रह्म-अखाड़ा में ठहरा था। १९ जून को सबेरे मैं बाज़ार गया था, तब मैंने ब्रह्म-अखाड़ा की बम-घटना की बात सुनी थी। घटना के बाद अखाड़ा जाते समय पुलीस ने मुझे बाहर रोक लिया था। इसके बाद मैं अपने गाँव वापस चला गया। जाँच के समय गूजराँवाला की पुलीस ने मुझे नहीं बुलाया। तीन महीने के बाद मैं लाहौर फ़ोर्ट में अभियुक्तों की शनाख्त के लिए बुलाया गया था। मैंने शनाख्त की कार्रवाई के समय दो सिक्खों की शनाख्त की थी, जिन्हें मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में देखा था।

इस बीच में अभियुक्त अमरीकसिंह और गुलाबसिंह कुछ बाहरी सिक्खों के साथ मिला दिए गए। उन्हें पोशाक भी अभि-



युक्तों को-सी पहना दी गई और एक लाइन में खड़े कर दिए गए। गवाह ने कुछ हिचकिचाहट के बाद दोनों अभियुक्तों की शनाख्त कर दी।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने दोनों अभियुक्तों को १७ जून को एक साथ देखा था। मैं और मेरा भाई और ये दो अभियुक्त छत पर सोए थे। ता० १६ जून को सवेरे बम-घटना की खबर सुनने के बाद जब मैं ब्रह्म-अखाड़ा गया था, तब अमरीकसिंह वहाँ मौजूद थे। मैंने घटना के विषय में किसी से कोई बात नहीं पूछी। जब शनाख्त के लिए मैं लाहौर-फ़ोर्ट में बुलाया गया था, उस समय मुझे उन व्यक्तियों का कोई ख्याल नहीं था, जिनकी शनाख्त करनी थी। अभियुक्तों को देखने पर मुझे ख्याल हो आया कि मैंने इन्हें ब्रह्म-अखाड़ा में देखा था।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के जेल में अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के प्रश्न पर जो बहस हो रही थी, वह जारी रही।

सरकारी वकील के बहस प्रारम्भ करने के पहले मि० श्यामलाल ने अदालत का ध्यान ए० क्लास के क़ैदियों के सम्बन्ध में रूल नं० १ की ओर आकर्षित किया। आपने कहा कि ए० क्लास के क़ैदी आपस में अलग नहीं किए जाते। अभियुक्त सुखदेवराज की हैसियत वाले विचाराधीन व्यक्तियों को ए० क्लास की सुविधाएँ पाने का अधिकार है। इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज बी० क्लास के विचाराधीन क़ैदियों से अलग नहीं रक्खा जा सकता। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने सरकारी वकील का ध्यान, प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ४६ में एकान्त कोठरी के विषय में दी गई परिभाषा की ओर आकर्षित किया।



सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में कल मैंने जेल के नियमों का जो हवाला दिया था, वही आज भी दे सकता हूँ। इसके समर्थन में इसके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि क्या आप उन कारणों को बतलाना चाहते हैं, जिनसे अभियुक्त सुखदेवराज अलग रक्खा गया है?

सरकारी वकील ने कहा कि उन कारणों को मैं मि० श्यामलाल की उपस्थिति में ट्रिब्यूनल के सदस्यों के सामने प्रकट कर सकता हूँ, परन्तु अभियुक्तों की उपस्थिति में नहीं प्रकट कर सकता।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सरकारी वकील द्वारा प्रकट किए हुए कारणों को मैं सर्वसाधारण पर तो न प्रकट करूँगा, परन्तु अभियुक्त से मैं नहीं छिपा सकता; क्योंकि सम्भव है अभियुक्त उन बातों के विरोध में कुछ कहना चाहें।

प्रेज़िडेण्ट ने सरकारी वकील से कहा कि, यद्यपि ट्रिब्यूनल को हाईकोर्ट की आज्ञानुसार प्रारम्भिक कार्रवाई गुप्त रखने का अधिकार है, फिर भी अभियुक्तों की अनुपस्थिति में मैं वह नहीं कर सकता।

इसके बाद इस बात पर बहस हुई कि सुखदेवराज को क़ैदियों के साथ किस हद तक रहने का अधिकार है।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने अपनी राय देते हुए कहा कि सुखदेवराज को इस षड्यन्त्र के दो या तीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी जाय।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सुखदेवराज को क़ैदियों के साथ रहने का जितना क़ानूनी हक़ है, उसमें मैं किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं स्वीकार कर सकता। अभियुक्त सुखदेवराज के

लिए उनकी श्रेणी के अभियुक्तों को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती।

रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अपनी राय देते हुए कहा कि सुखदेवराज को दयानतराय से मिलने की इजाज़त दे दी जाय। परन्तु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकील का ध्यान जेल-मैनुअल की दफ़ा ५७६ की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि दयानतराय नाबालिग़ है, इसलिए सुखदेवराज उसके साथ नहीं रह सकता।

सरकारी वकील ने गवर्नमेण्ट और जेल के अधिकारियों से सलाह करने के लिए ट्रिब्यूनल से कुछ समय देने के लिए प्रार्थना की।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकील पं० ज्वालाप्रसाद से कहा कि जेल-अधिकारियों से सलाह करके बिल्कुल निश्चित बात बतलाइए कि सुखदेवराज के लिए क़ैदियों के साथ रहने का क्या प्रबन्ध हो सकता है।

१८ जुलाई, १६३१ : जलपान के बाद स्पेशल ट्रिब्यूनल के बैठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला प्रारम्भ हुआ। अभियुक्त सुखदेवराज शालामार बाग़ में गोली चलने की घटना के बाद ३ मई को गिरफ़्तार हुआ था। सरकारी वकील राय-बहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज उस षड्यन्त्र का सदस्य है, जिसका उद्देश्य सरकारी अफ़सरों में आतङ्क फैलाने के लिए अपराध करना और क़ानून द्वारा स्थापित गवर्नमेण्ट को उखाड़ फेंकने के लिए अस्त्र-शस्त्र और धन एकत्र करना था।

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवाहियों द्वारा यह प्रमाणित करूँगा कि अभियुक्त सुखदेवराज एक षड्यन्त्रकारी है और



मुख्य षड्यन्त्र से उसका सम्बन्ध है। वह समय-समय पर षड्यन्त्रकारी दल के कार्यों में भाग लिया करता था। १६ नवम्बर, सन् १६२६ को मुख़बिर इन्द्रपाल ने जो बयान दिया था, उसमें उसने कहा था कि वॉयसरॉय की ट्रेन घटना के सम्बन्ध में यशपाल का एक सन्देश लेकर मैं लायलपूर हंसराज के पास गया था। उस समय सुखदेवराज हंसराज के पास बैठा हुआ था। इन्द्रपाल को सन्देह हुआ था कि सुखदेवराज सी० आई० डी० का आदमी है।

लायलपूर से इन्द्रपाल लाहौर आया था और बाग़बानपुरा में ठहरा था। उसने देखा कि सुखदेवराज भी उसी ट्रेन से आया था। इसके बाद इन्द्रपाल, भगवतीचरण और सुखदेव-राज से यूनिवर्सिटी के मैदान में मिला। वहाँ उसे मालूम हुआ कि सुखदेवराज भी दल का एक सदस्य है। इन्द्रपाल से शिव ने कहा था कि रावी नदी के किनारे बम की परीक्षा करने में भगवतीचरण की मृत्यु हो गई थी और सुखदेवराज घायल हो गया था। मुख़बिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार सुखदेवराज भावलपूर रोड के मकान पर घायल लाया गया था। जब दीदी, चन्द्रशेखर आज़ाद, आसफ़, यशपाल और धनवन्तरि उस मकान में जेल से भगतसिंह को छुड़ाने के विषय में विचार कर रहे थे, तब सुखदेवराज भावलपूर रोड के मकान पर ही था और उसके जख्मों की दवा हो रही थी। भावलपूर रोड का मकान सरदार भगतसिंह और श्री० बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए किराए पर लिया गया था। उन लोगों का षड्यन्त्र कार्य में परिणत नहीं किया जा सका। परिस्थितियों को अनुकूल न देख कर वे बोर्स्टल जेल के फाटक से ही लौट गए थे।

आखीर में रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि सुखदेवराज के विरुद्ध षड्यन्त्र का अभियोग सिद्ध करने के लिए सबूत-पक्ष की ओर से ४७ गवाह पेश किए जायँगे।

## फ़रार अभियुक्त गिरफ़्तार

इस बीच में सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि मुझे एक विश्वस्त-सूत्र से मालूम हुआ है, कि इस केस का फ़रार अभियुक्त छैलविहारी दास, जिसका दूसरा नाम सूरज है, पटना में बम-घटना के सम्बन्ध में हज़ारीलाल के साथ, जो कि दिल्ली षड्यन्त्र केस का फ़रार अभियुक्त है, गिरफ़्तार हो गया है और वह शीघ्र ही लाहौर लाया जायगा।

सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं मालूम है।

सुखदेवराज ने कहा कि इस विषय में सी० आई० डी० के आदमी अच्छी तरह जानते होंगे।

सरकारी वकील ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तो सुखदेवराज का अन्य अभियुक्तों के साथ रक्खे जाने का प्रश्न हल हो जायगा और मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित रखनी पड़ेगी।

२० जुलाई, १६३१ : आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने क़रीब १२ बजे दोपहर को अभियुक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुआ। ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज के जेल में एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में अपना फ़ैसला सुनाया। फ़ैसले में कहा गया है कि अभियुक्त सुखदेवराज का अलग कोठरी में रक्खा जाना ग़ैर-क़ानूनी है, अब आगे से वह अलग कोठरी में



न रक्खा जाय और दूसरे क़ैदियों के साथ रहने की उसे आज्ञा मिल जानी चाहिए। फ़ैसले में जेल के अधिकारियों से हिदायत की गई है कि वे अदालत के इस हुक्म के अनुसार कार्रवाई करके एक हफ़्ते के अन्दर अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें।

पूरा फ़ैसला इस प्रकार है :

सुखदेवराज सरकार बनाम कुन्दनलाल और दूसरे अभियुक्तों के विरुद्ध चलने वाले षड्यन्त्र केस का फ़रार अभियुक्त था। परन्तु २ जून, सन् १९३१ तक हमारे सामने हाज़िर न होने के कारण हमने उसका विचार अलग से करने का हुक्म निकाला था। सफ़ाई के सम्बन्ध में इस षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से सलाह करने की आवश्यकता के कारण अभियुक्त सुखदेवराज ने इस अदालत से प्रार्थना की थी कि उसे अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय। इस सम्बन्ध में हमारा विचार था, कि हम जेल-अधिकारियों को कोई आज्ञा नहीं दे सकते, परन्तु अभियुक्त की प्रार्थना न्यायोचित समझ कर हमने जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को सूचना दे दी कि हमें अभियुक्त की प्रार्थना में कोई आपत्ति नहीं है और हम उसे उचित समझते हैं। इस सिफ़ारिश को जेल के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया।

१५ जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें कहा गया था कि या तो अभियुक्त को जेल के अन्य क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या वह ज़मानत पर छोड़ दिया जाय। इस अर्ज़ी में यह नहीं कहा गया था कि अभियुक्त का अलग कोठरी में रक्खा जाना ग़ैरक़ानूनी है; बल्कि उसमें इतना ही कहा गया था कि वह उसके स्वास्थ्य और मामले की सफ़ाई पेश करने के लिए हानिकारक है।

## सी० आई० डी० और अभियुक्त का पारस्परिक बर्ताव

उपरोक्त अर्ज़ी पर विचार करने के बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे थे कि विचाराधीन क़ैदी के सम्बन्ध में अदालत को, उसके हिरासत में रक्खे जाने और आवश्यकता पड़ने पर पेश किए जाने के अतिरिक्त और कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी राय थी कि क़ैदियों के क़ानून-विरुद्ध रखने के सम्बन्ध में या तो "हैबियस कॉरपस" के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है या क़ानून-विरुद्ध हिरासत में रखने के लिए ताज़ीरात हिन्द के अनुसार मामला चलाया जा सकता है या दीवानी की अदालत में ग़ैर-क़ानूनी हिरासत को रोक देने की प्रार्थना की जा सकती है। हम उन अदालतों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, जिनको इन मामलों में विचार करने का अधिकार था। इसलिए हमने एक संक्षिप्त आज्ञा निकाल कर कह दिया कि हमें इस विषय में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

ज़मानत के सम्बन्ध में अभियुक्त सुखदेवराज को देखने से हमें मालूम हुआ कि वह केवल स्वस्थ और प्रसन्न ही नहीं था, बल्कि वह अपने पहरेदारों और सी० आई० डी० के अफ़सरों से भी प्रसन्न था। हमने उसे अदालत के अन्दर उनके साथ बातचीत और विनोद करते हुए देखा था। हमारी राय में अभियुक्त के अलग रक्खे जाने का, उस समय तक उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला किया था कि ज़मानत पर छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण नहीं हैं।

हमारा फ़ैसला स्वीकार नहीं किया गया और उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अर्ज़ी पेश की गई। हाईकोर्ट ने निर्णय किया, कि



हम ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकते थे और हस्तक्षेप करना चाहिए भी था। इस निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट ने इस ट्रिब्यूनल को जाँच करने और उस पर अपना निर्णय देने के लिए कहा।

## गुप्त जाँच की आवश्यकता नहीं

अभियुक्त की अर्ज़ी पर फिर से विचार करने के समय अभियुक्त-पक्ष के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि अब इस ट्रिब्यूनल के सामने इस प्रश्न पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के दण्ड के बराबर है या नहीं, क्योंकि इस बात को हाईकोर्ट में सरकारी-पक्ष स्वीकार कर चुका है। मि० श्यामलाल ने यह भी कहा था कि ट्रिब्यूनल अभियुक्त सुखदेव-राज को दूसरे अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा देने के लिए बाध्य है, क्योंकि ट्रिब्यूनल इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका है। सबूत-पक्ष ने कहा था कि सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के लिए अनेक कारण मौजूद हैं, जिनको कि गुप्त रूप से बतलाया जा सकता है। हम उपरोक्त तीनों ही बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। पहली बात के सम्बन्ध में हाईकोर्ट का यह निर्णय नहीं है, कि अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्खा जाता है। हाईकोर्ट ने केवल यह कहा था कि ऐसा कहा गया है कि अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्खा जाता है। वस्तु-स्थिति दूसरी होने पर ट्रिब्यूनल वकील के कथन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात के विषय में ट्रिब्यूनल ने जो कुछ कहा था, वह निर्णय के रूप में नहीं था क्योंकि हम लोगों ने



केवल इतना ही कहा था कि इस ट्रिब्यूनल की राय में अभियुक्त की प्रार्थना न्याय-सङ्गत है। हम लोगों ने इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया था कि वह मञ्जूर किए जाने के लायक़ है या नहीं। जो प्रबन्ध सोचा गया है, उसके अनुसार अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से सलाह करने का यथेष्ट अवसर मिलता रहेगा। तीसरी बात के सम्बन्ध में, यद्यपि जस्टिस भिडे ने कहा था कि ट्रिब्यूनल गुप्त रूप से जाँच कर सकता है, परन्तु इसका अर्थ हम यह नहीं समझते कि हम इस मामले की जाँच अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में करें। इसलिए हमने अभियुक्त और उसके वकील को अनुपस्थिति में सरकारी वकील की तरफ़ से, अभियुक्त सुखदेव-राज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के सम्बन्ध में पेश किए जाने वाले कारणों पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। सरकारी-पक्ष अब तक अभियुक्त और अभियुक्त के वकील की उपस्थिति के विषय में राज़ी नहीं हुआ। जो हो, अगर अभियुक्त की हिरासत वास्तव में ग़ैर-क़ानूनी है, तो सरकार की शासन-नीति की दृष्टि से उचित होते हुए भी, वह ग़ैर-क़ानूनी है।

## अभियुक्त की हिरासत

अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत की हालत का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए हम लोगों ने अभियुक्त और उसके वकील की उपस्थिति में उसकी कोठरी की जाँच की। उस जाँच के आधार पर हमारा विचार है कि अभियुक्त को हिरासत में कोई विशेष कष्ट नहीं है। कभी-कभी अभियुक्त ऊब सकता है, परन्तु हमारे ख़याल से एकान्त से अभियुक्त में मानसिक अव्यवस्था



का कोई खतरा नहीं है। कोठरी आराम देने लायक़ है, जिसके साथ एक छोटा-सा खुला हुआ आँगन है, जिसमें एक दरवाज़ा बना हुआ है, परन्तु दरवाज़े नहीं लगे। कोठरी के बाहर जेल के मैदान में एक वृक्ष के नीचे उसे बैठने की इजाज़त है, जहाँ से वह सामने जेल-जीवन का सम्पूर्ण दृश्य देख सकता है। उसे कोठरी के बाहर कुछ निश्चित गज़ों के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उसकी देख-रेख रखने के लिए एक वॉर्डर है और दो क़ैदी अफ़सर हैं, जिनके साथ बातचीत करने की उसे पूरी इजाज़त है। सप्ताह में एक बार वह २० मिनट के लिए अपने सम्बन्धियों या मित्रों से मिल सकता है और सप्ताह में एक बार वह दो घण्टे के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ रह सकता है। इन बातों को अभियुक्त ने हमारे सामने स्वीकार किया है।

## क़ानून की दृष्टि से ग़ैर-क़ानूनी

परन्तु यद्यपि सम्भव है कि अभियुक्त को कोई कष्ट न हो और उसे अन्य अभियुक्तों से सलाह करने का काफ़ी अवसर भी मिल जाता है, फिर भी सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए हम अनिच्छापूर्वक यह निर्णय करने के लिए विवश हैं कि हिरासत का ढङ्ग क़ानून की दृष्टि से ग़ैर-क़ानूनी है।

हाईकोर्ट के सामने पेश की गई अर्ज़ी और हाईकोर्ट के फ़ैसले में कहा गया था कि अभियुक्त की हिरासत एकान्त कोठरी के दण्ड के बराबर है। वास्तव में सन् १९२५ में प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ४६ ( II ) के रद्द हो जाने से जेल के दण्ड में एकान्त कोठरी का दण्ड अब नहीं है। फिर भी दण्ड के रूप में ताज़ीरात हिन्द में उसका अस्तित्व मौजूद है। उसकी परिभाषा एक रद्द की हुई धारा में इस प्रकार दी हुई है—

"एकान्त कोठरी की हिरासत ऐसी हिरासत है, जिसमें क़ैदी दूसरे किसी क़ैदी के देखने और उससे बातचीत करने से वञ्चित कर दिया जाता है।" इस परिभाषा के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त कोठरी के दण्ड के बराबर नहीं है।

## विचाराधीन क़ैदी

इस प्रश्न पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। यद्यपि विचाराधीन क़ैदियों के सम्बन्ध में जेल के नियम हमें बहुत अस्पष्ट मालूम होते हैं फिर भी जेल के अन्य नियमों को देखने से पता लगता है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न श्रेणी के क़ैदियों के लिए अलग-अलग रखने का प्रबन्ध है, फिर भी एक ही श्रेणी के क़ैदी एक साथ रह सकते हैं। सरकार ने सन् १८९४ के प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ६० के अनुसार क़ैदियों और विचाराधीन क़ैदियों के साथ होने वाले व्यवहारों के विषय में जो नियम बनाए हैं, उनसे यह प्रश्न हल हो जाता है। दफ़ा ११ में कहा गया है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदियों के साथ ए और बी श्रेणी के क़ैदियों-सा व्यवहार होना चाहिए। दफ़ा ५ में कहा गया है, कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदियों को रहने के लिए सी श्रेणी के क़ैदियों से अच्छी जगह मिलनी चाहिए। इसका यही अर्थ हो सकता है कि उन्हें ए और बी श्रेणी के क़ैदियों की तरह जगह मिले। ए श्रेणी के क़ैदियों के विषय में जगह के सम्बन्ध में कहने के साथ ही यह साफ़-साफ़ लिखा है कि उनकी क़ैद किसी प्रकार से भी अलग हिरासत की क़ैद की तरह न होनी चाहिए। दफ़ा चार के नियम १ में यही हिदायत नहीं दी गई, परन्तु इसका कारण



हमारी राय से यह है, कि उसी बात के दुहराने की ज़रूरत नहीं समझी गई। बी श्रेणी के क़ैदियों के विषय में भी उपरोक्त नियम का व्यवहार किया जा सकता है। एकान्त हिरासत की, प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ४६ में जो परिभाषा दी गई है, वह इस प्रकार है—"यह एक ऐसी हिरासत है, जिसमें क़ैदी दूसरे क़ैदियों के सम्पर्क से वञ्चित कर दिया जाता है, परन्तु उनकी नज़रों से वञ्चित नहीं किया जाता और भोजन के समय एक या अधिक दूसरे क़ैदियों के साथ बैठ कर भोजन करने की इजाज़त रहती है।"

## "एकान्त हिरासत"

ऊपर ए श्रेणी के क़ैदियों के रहने की जगह और क़ैद के विषय में जो शब्द कहे गए हैं, वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि ए श्रेणी के क़ैदियों के रहने की जगह और क़ैद ऐसी न होनी चाहिए, जो किसी प्रकार से भी एकान्त हिरासत की तरह हो। अगर इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम बिल्कुल स्पष्ट न होता, तो अभियुक्त सुखदेवराज के सम्बन्ध में कहा जाता, कि यद्यपि उसे सम्बन्धियों और अपने मित्रों से मिलने की सुविधा है, फिर भी वह एकान्त हिरासत में है; क्योंकि एकान्त हिरासत की परिभाषा में सम्बन्धियों और मित्रों का ज़िक्र नहीं है, बल्कि क़ैदियों की ज़िक्र है। और विरुद्ध पक्ष की ओर से यह कहा जा सकता था, जैसा कि कहा भी गया है कि अभियुक्त के साथ दो क़ैदी-पहरेदार हैं, जो कि निस्सन्देह क़ैदी हैं; इसलिए दफ़ा ४६ की परिभाषा के अनुसार अभियुक्त की हिरासत एकान्त हिरासत नहीं है। इसके विरुद्ध कहा जा सकता है कि ऐक्ट की दफ़ा २७ के अनुसार विचाराधीन क़ैदी के साथ क़ैदियों का रखना ग़ैर-क़ानूनी है।



परन्तु इस सम्बन्ध में परिभाषा स्पष्ट होने के कारण उपरोक्त प्रकार के किसी तर्क का आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, कि अभियुक्त सुखदेवराज को मौजूदा हिरासत एकान्त हिरासत की तरह है। साप्ताहिक मुलाक़ात की सुविधा होने से उस हिरासत में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसका अर्थ तो केवल यह है कि उस दिन के लिए वह एकान्त हिरासत में नहीं रहता। हम इस बात को नहीं मानते, कि दो क़ैदी पहरेदारों की मौजूदगी से, जो कि अभियुक्त के साथ बराबरी के दर्जे से नहीं रह सकते, बल्कि केवल अधिकार-भाव से रहते हैं, अभियुक्त की एकान्त हिरासत में कोई परिवर्तन हो जाता है। यह ठीक है, कि अदालत के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के रोज़ पेश किए जाने के कारण उसको एकान्त हिरासत में और दण्ड में मिली हुई एकान्त हिरासत में कुछ अन्तर पड़ जाता है, परन्तु यह बहुत सम्भव है कि अनेक कारणों से अदालत की कार्रवाई कई-कई दिनों के लिए स्थगित होती रहे, उस हालत में तो निश्चय ही अभियुक्त को एकान्त हिरासत हो रहा करेगी। हमारा ख्याल है कि हिरासत के विषय में निर्णय करने के लिए जेल के अन्दर की परिस्थितियों का विचार करना चाहिए। अभियुक्त के जेल से बाहर लाए जाने की बाहरी परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए।

इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत को एकान्त हिरासत समझ कर हम फ़ैसला देते हैं, कि वह नियमों के विरुद्ध है और इसलिए ग़ैर-क़ानूनी है। इस फ़ैसले के अनुसार हम जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को आदेश देते हैं कि वह हिरासत बदल कर ऐसी कर दी जाय, जो ग़ैर-क़ानूनी न हो और दूसरे क़ैदियों के साथ, अभियुक्त को रहने की आज्ञा दे दी जाय।



हमारे आदेशों के अनुसार जो कार्य किया जाय, उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर इस अदालत के सामने पेश की जाय।

## ज़मानत का प्रश्न

ज़मानत के प्रश्न पर हाईकोर्ट ने कहा है, कि "ट्रिब्यूनल अगर अभियुक्त की शिकायतों के दूर करने में दूसरे किसी उपाय से असमर्थ हो, तो ज़मानत के प्रश्न पर विचार कर सकता है।" इसका मतलब यह नहीं है, कि हम अपनी असमर्थता के कारण ज़मानत स्वीकार कर लें। हम उसका अर्थ यह समझते हैं कि अगर हिरासत ग़ैर-क़ानूनी हो और अभियुक्त के स्वास्थ्य और मामले की सफ़ाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक हो, तो हम उसे ज़मानत पर छोड़ सकते हैं। हम इस विषय में ऊपर काफ़ी कह चुके हैं कि अभियुक्त की हिरासत, यद्यपि ग़ैर-क़ानूनी है, फिर भी वह अभियुक्त के स्वास्थ्य या मामले की सफ़ाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए हम ज़मानत नामञ्ज़ूर करते हैं।

इसके बाद सबूत-पक्ष की ओर से गवाही देने के लिए मुखबिर इन्द्रपाल पेश किया गया।

सुखदेवराज ने ट्रिब्यूनल से कहा, कि मेरे मामले की कार्रवाई तब तक न प्रारम्भ होनी चाहिए, जब तक कि मेरी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत न रोक दी जाय।

अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज की इस बात को स्वीकार नहीं किया और मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ करने की आज्ञा दे दी।

अदालत की शपथ लेने के पहले इन्द्रपाल ने अदालत से कहा कि मेरे साथ जेल में मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं हो



रहा है। मैं एक कोठरी के अन्दर बन्द कर दिया गया हूँ और इस गर्मी के ऋतु में मुझे वहीं सोना पड़ता है। मुझे किसी से मुलाक़ात करने की आज्ञा नहीं दी जाती। सम्बन्धियों द्वारा दी गई आराम की वस्तुएँ मुझे नहीं दी जातीं। इन कष्टों का मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा है। इस समय गवाही देने के लिए मेरी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है। अगर गवाही देने में कोई ग़लती हो जाय तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ।

अदालत ने इन्द्रपाल से इन शिकायतों को अर्ज़ी में लिख कर पेश करने के लिए कहा और उसे बतलाया कि हाईकोर्ट के एक नए फ़ैसले के अनुसार अदालत को अभियुक्त के साथ उचित व्यवहार के लिए आज्ञा देने का अधिकार है।

इसके बाद इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ होने वाली ही थी कि अभियुक्त सुखदेवराज के वकील मि० श्यामलाल ने गवाही प्रारम्भ होने का विरोध किया। आपने कहा, कि इस बात में अभियुक्त का भी हित है कि मुखबिर गवाही के समय ग़ैर-क़ानूनी हिरासत में न हो। मालूम होता है कि मुखबिर इन्द्रपाल और अन्य अभियुक्तों के बीच पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह धारणा हो गई है, चाहे वह ग़लत हो या ठीक, कि उन अभियुक्तों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, जो सरकारी बातों का पूर्ण समर्थन नहीं करते। यह कठोर व्यवहार जेल-अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार किया जाता है। अदालत को चाहिए कि वह इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार को रोक दे और जेल-अधिकारियों को आज्ञा दे कि इन्द्रपाल के साथ दण्ड पाए हुए क़ैदी का-सा व्यवहार न करें।

अदालत ने इन्द्रपाल से अपनी शिकायतों को लिख



कर पेश करने के लिए कहा। इन्द्रपाल ने अपनी शिकायतों को लिख कर पेश किया।

इस पर अदालत ने कार्रवाई स्थगित कर दी और अभियुक्त और इन्द्रपाल से कहा, कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से रिपोर्ट मँगाई जायगी। रिपोर्ट आ जाने पर उचित आज्ञा जारी की जायगी।

२१ जुलाई, १६३१: आज स्पेशल ट्रिब्यूनल ने मुखबिर इन्द्रपाल की उस अर्ज़ी पर अपना हुक्म सुनाया, जोकि उसने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में कल ट्रिब्यूनल के सामने पेश की थी। मुखबिर ने अर्ज़ी में कहा था, कि उसे उसके सम्बन्धियों से मिलने नहीं दिया जाता, वह एक ही कोठरी में दिन-रात रक्खा जाता है और सम्बन्धियों द्वारा भेजी हुई चीज़ें उसे नहीं दी जातीं।

ट्रिब्यूनल ने सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को आज्ञा दी कि मुखबिर इन्द्रपाल के साथ विचाराधीन क़ैदियों-सा व्यवहार किया जाय, दूसरे क़ैदियों के साथ रहने दिया जाय, उसके सम्बन्धियों से उसे मिलने दिया जाय, एकान्त हिरासत से हटा दिया जाय, सोने के लिए चारपाई दी जाय, और वे सभी सुविधाएँ दी जाएँ, जो कि विचाराधीन क़ैदियों को दी जाती हैं।

अदालत ने इन्द्रपाल से कहा कि जेल के व्यवहार में परिवर्तन न होने पर वह दूसरी अर्ज़ी पेश कर सकता है। अदालत इस बात का प्रबन्ध करेगी कि उसके साथ उचित व्यवहार हो।

इसके बाद उससे गवाही देने के लिए कहा गया, परन्तु उसने कहा कि मेरा मस्तिष्क ठीक नहीं है। उसने कहा कि जेल की कोठरी की कठोर भूमि पर सोने के कारण मैंने कई रातें बिना सोए हुए बिताई हैं। इस वक्त पङ्खे के नीचे बैठे होने के



कारण मुझे नींद आ रही है और मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि बयान दे सकूँ।

इस पर रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा कि उसकी बातचीत ऐसी है, जैसी कि किसी होश-हवास के आदमी की होती है।

मि० ब्लैकर ने कहा कि मुखबिर लचर दलीलें पेश कर रहा है। आपने मुखबिर को सावधान करते हुए कहा कि अगर वह आज गवाही न देने का हठ करेगा, तो उसके साथ क़ानूनी कार्रवाही की जायगी।

इन्द्रपाल ने उत्तर में कहा कि मैं गवाही देने से इन्कार नहीं करता, परन्तु मौजूदा मानसिक स्थिति में अगर मुझसे कोई ग़लती हो जायगी, तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार न रहूँगा।

इसके बाद मुखबिर इन्द्रपाल ने षड्यन्त्र का क़िस्सा कहना प्रारम्भ कर दिया।

## मुख़बिर इन्द्रपाल का बयान

उसने यशपाल से अपने परिचय होने की बात बतलाई और कहा कि यशपाल षड्यन्त्रकारी विचारों का था और उसने मुझे हिंसात्मक सिद्धान्त की ओर परिवर्तित किया था।

इसके बाद मुखबिर ने लाहौर में अक्टूबर सन् १६२८ में साइमन कमीशन के आगमम और लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस सङ्गठित किए जाने का हाल बतलाया। उसने कहा, कि रेलवे स्टेशन के पास जुलूस के लोग प्रदर्शन करने के लिए रुक गए थे, इस पर पुलीस ने उन पर लाठियों का आक्रमण किया। मैंने देखा कि एक यूरोपियन पुलिस-अफ़सर ने लाला लाजपतराय पर लाठियों की वर्षा की। इस घटना के



क़रीब एक महीना बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। लोगों को विश्वास था, की पुलीस की लाठियों के प्रहार से लाला जी की मृत्यु हुई। लाला लाजपतराय की मृत्यु के ठीक एक साल बाद, २७ दिसम्बर, सन् १९२९ को मुझे मालूम हुआ कि जिस पुलीस अफ़सर ने लाला जी पर लाठियों की वर्षा की थी, वह मार डाला गया। मैं उस समय 'भीषम' में नक़लकार की हैसियत से कार्य कर रहा था। मैं उपरोक्त घटना सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ।

८ एप्रिल, सन् १९२९ को मैंने एसेम्बली बम-घटना और उसके सम्बन्ध में भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ़्तारी का समाचार पढ़ा। इसके बाद मुझे यशपाल मिले, जिन्होंने मुझ से बतलाया कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त इस कार्य के लिए षड्यन्त्रकारी दल की ओर से नियुक्त किए गए थे। यशपाल ने कहा था कि वे अदालत के सामने हिन्दुस्तान के लाखों आदमियों के भूखों मरने की दयनीय दशा के सम्बन्ध में एक सनसनीदार बयान देंगे। उसी समय यशपाल ने मुझे दल का सदस्य बनाया था। यशपाल ने मुझे दल के सिद्धान्त बतला दिए थे।

## साधू के वेष में

इसके बाद मुख़बिर ने कहा कि मैं २५ अगस्त, सन् १९२९ को दिल्ली बुलाया गया। वहाँ वॉयसरॉय की स्पेशल ट्रेन उड़ाने के सम्बन्ध में मुझसे दिल्ली से ६ मील दूर पियाऊ के स्थान पर साधू के वेष में मौजूद रहने के लिए कहा गया। परन्तु हंसराज "वायर्लेस" के न पहुँचने के कारण और मोटर साइ-किल से गिर जाने से यशपाल के चोट लग जाने के कारण



वॉयसरॉय की ट्रेन उड़ाने का कार्य स्थगित कर देना पड़ा था। वॉयसरॉय की ट्रेन उड़ाने का दूसरा प्रयत्न इसलिए स्थगित करना पड़ा, कि वॉयसरॉय इङ्गलैण्ड से लौट कर आए थे और एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले थे। पियाऊ में क़रीब सवा दो महीने रहने के बाद मैं यशपाल के यहाँ से हंसराज के पास ख़बर ले जाने के लिए लायलपूर गया। सुखदेवराज ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। हंसराज ने मकान के बाहर आकर उससे बातचीत की। इसके बाद मैंने हंसराज को ख़बर दी और रेलवे-स्टेशन चला आया। लायलपूर से लाहौर तक मैंने और सुखदेवराज ने एक ही ट्रेन से सफ़र किया था।

इसके बाद मैंने सुखदेवराज को भगवतीचरण के मकान पर देखा था। दल के सब सदस्य सुखदेवराज को सिराजुद्दौला कहा करते थे। उसका कार्य दल के सदस्यों के लिए साइकिल का प्रबन्ध करना था।

मई महीने के बीच में मैं अमीरचन्द और हंसराज "वायर्लेस" के साथ लायलपूर से २३ बम लाया था।

## सदस्यों पर सङ्कट

२८ मई को मुझे ख़बर मिली, कि भगवतीचरण बम की परीक्षा करने में घायल हो गए। मैं और शिव रावी के किनारे घटनास्थल पर पहुँचे और देखा कि उनकी दशा आशङ्काजनक है।

इसके बाद मुख़बिर ने, जेल से भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त के छुड़ाने के लिए जो प्रबन्ध सोचा गया था, उसका हाल बतलाया। मुख़बिर ने कहा, कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को बोर्स्टल जेल से अदालत ले जाने के लिए जो जेल की लॉरी तैनात की गई थी, उसके बोर्स्टल जेल में आने की सूचना

देने के कार्य पर मैं नियुक्त किया गया था। जेल की लॉरी को बोर्स्टल जेल की ओर आते हुए देख कर मैंने दल को जाकर सूचना दे दी।

यशपाल से मुझे २ जून को ६ बजे सबेरे मालूम हुआ, कि कि भावलपूर रोड के मकान में बम फटने की घटना हो गई थी, इसलिए दल के सदस्य खतरे में हैं। मैंने यशपाल और चन्द्रशेखर आज़ाद को, जिनका नाम प्रकट नहीं किया गया था, अपने पास रख लिया था। उनको लोग "बड़ा दादा" कहते थे।

इसके बाद मुखबिर ने २३ दिसम्बर, सन् १६३० को वॉयसरॉय की ट्रेन उड़ाने की घटना का वर्णन किया।

२२ जुलाई, १६३१ : आज सुखदेवराज के विरुद्ध मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही समाप्त होने पर ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त के वकील मि० श्यामलाल से मुखबिर से जिरह करने के लिए कहा।

इसी बीच में अभियुक्त सुखदेवराज ने अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें कहा गया था कि मैं दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त धन्वन्तरि, वैशम्पायन, जिनका दूसरा नाम शिव है और विद्याभूषण से बिना मिले मुखबिर से जिरह नहीं करना चाहता। दो मुखबिरों ने अपने बयानों में कहा है, कि उपरोक्त अभियुक्तों ने उन मुखबिरों से किसी विषय में बयान दिए हैं। मैं उन अभियुक्तों से मिल कर यह जानना चाहता हूँ, कि उन्होंने मुखबिरों से कोई बात कही थी या नहीं।

इस अर्ज़ी पर दोनों तरफ़ के वकीलों की बहस सुन लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि मैं हाईकोर्ट से सिफ़ारिश करूँगा कि वह अभियुक्त सुखदेवराज के दिल्ली षड्यन्त्र के उपरोक्त अभियुक्तों से मिलने का प्रबन्ध कर दे।

ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट को इस सम्बन्ध में एक आवश्यक पत्र



लिखा। सुखदेवराज और दिल्ली षड्यन्त्र के अभियुक्तों से मिलने के समय तक मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित कर दी गई।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से मुखबिर मदनगोपाल को पेश करने के लिए कहा। सरकारी वकील ने कहा कि मैं मुखबिर मदनगोपाल को इन्द्रपाल की जिरह के बाद पेश करूँगा।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से दूसरे गवाहों को पेश करने के लिए कहा।

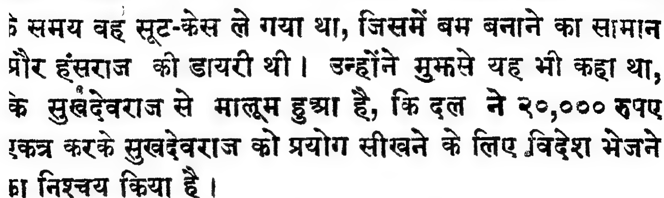
सुखदेवराज ने कहा कि जो गवाह दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में पेश हुए हैं, वही मेरे विरुद्ध भी पेश किए जायँगे। इसलिए उनकी जिरह तब तक न होनी चाहिए, जब तक कि मैं दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से मिल न लूँ।

अदालत ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त देने के लिए लिखा।

मुख़बिर इन्द्रपाल के गवाही देने के पहले ट्रिब्यूनल ने उससे कहा कि उसे प्रति सप्ताह अदालत में लाने का और अदालत में अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिलने का प्रबन्ध रहेगा। उसी समय वह अदालत के सामने अपनी शिकायतें भी पेश कर सकता है। इसके बाद उससे कुछ चीज़ों और काग़ज़ों की शनाख़्त करने के लिए कहा गया, जोकि भावलपूर रोड के बँगले पर पाए गए थे। उसने एक धोती की शनाख्त करके कहा कि यह मेरी है।

सुखदेवराज ने कहा कि यह धोती इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वह औरत की धोती है।

मुख़बिर इन्द्रपाल ने कहा कि हंसराज "वायर्लेस" ने मुझसे कहा था, कि अभियुक्त अमरीकसिंह मीठा-बाज़ार की बम-घटना



के समय वह सूट-केस ले गया था, जिसमें बम बनाने का सामान और हंसराज की डायरी थी। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था, कि सुखदेवराज से मालूम हुआ है, कि दल ने २०,००० रुपए एकत्र करके सुखदेवराज को प्रयोग सीखने के लिए विदेश भेजने का निश्चय किया है।

मि० सलीम के प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि मैंने पुलीस के अत्याचारों से बचने के लिए माफ़ी स्वीकार कर ली थी।

२२ जुलाई, १९३१ : आज मि० देवराज साहनी एडवोकेट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के मुखबिर इन्द्रपाल की ओर से ज़मानत पर छोड़ने के लिए एक अर्ज़ी पेश की। अर्ज़ी इस प्रकार थी :

"( १ ) मुख़बिर इन्द्रपाल एक कोठरी में रक्खा गया है और उसे दूसरे विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। यद्यपि वह एक अच्छी श्रेणी का क़ैदी है, फिर भी उसे इस गर्मी की ऋतु में अपनी छोटी कोठरी के अन्दर ही सोना पड़ता है। वह एक ऐसी कोठरी में रक्खा गया है, जिसमें जेल-नियमों के भङ्ग करने वाले अपराधी क़ैदी रक्खे जाते हैं। दिन के समय भी उसे अपनी कोठरी के हाते के बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। जेल में उसे अपने सम्बन्धियों या क़ानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किल के बाद अदालत के सामने अर्ज़ी पेश करने पर मुख़बिर को अपने क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त मिली, जिसे कि जेल के अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। विचाराधीन क़ैदी होने के कारण उसे अपना भोजन जेल के बाहर से मँगाने का अधिकार है। उसके सम्बन्धी उसके लिए किताबें और दूसरी



आराम की चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, परन्तु जेल के अधिकारी उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते।

( २ ) जेल के अधिकारियों का यह कार्य ग़ैरक़ानूनी है और अदालत को इन मामलों में, जैसा कि हाईकोर्ट ने सरकार बनाम सुखदेवराज के मामले में निर्णय किया है, हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

( ३ ) मुख़बिर इन्द्रपाल से कहा जाता है कि तुम्हारे साथ यह सब व्यवहार गवर्नमेण्ट के आदेशों के अनुसार किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेण्ट का खयाल है कि मुख़बिर ने सबूत-पक्ष का समर्थन पूर्णतया सन्तोषजनक रीति से नहीं किया। मुख़बिर को यह भी मालूम हुआ है, कि उसके और अन्य मुख़बिरों के बीच में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। दूसरे मुख़बिरों को लोगों से मिलने और खुले में सोने के लिए पूरी सुविधा दी जाती है। वास्तव में उन्हें जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएँ दी जाती हैं।

( ४ ) इस ग़ैरक़ानूनी हिरासत से मुख़बिर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।

( ५ ) इसलिए मुख़बिर की प्रार्थना है कि अदालत उसकी गवाही लेने के लिए अधिकारियों को आज्ञा दे कि मुख़बिर ग़ैर-क़ानूनी हिरासत से हटा दिया जाय और उसके साथ विचाराधीन क़ैदियों का-सा व्यवहार हो। निम्न-लिखित सुविधाओं के लिए उसकी विशेष प्रार्थना है :

( १ ) खुले में सोने की इजाज़त दी जाय।



( २ ) दूसरे विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी जाय।

( ३ ) दूसरे विचाराधीन क़ैदियों की तरह उसे अपने सम्बन्धियों और क़ानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाज़त दी जाय।

( ४ ) प्रिज़न ऐक्ट के अनुसार उसके सम्बन्धियों को किताबें और दूसरी आराम की चीज़ों के भेजने की इजाज़त मिले।

( ५ ) पहले की तरह उसे एक चारपाई दी जाय। जेल-अधिकारियों ने उसकी चारपाई हटा दी है, इसलिए उसे ज़मीन पर ही सोना पड़ता है। अब तक वह अपनी कोठरी में तीन बिच्छुओं को मार चुका है।

( ६ ) मुख़बिर की प्रार्थना है कि वह ज़मानत पर छोड़ दिया जाय। अब तक किसी अदालत ने उसकी ज़मानत की दरख़्वास्त नामञ्ज़ूर नहीं की, इसलिए अब तक किसी अदालत ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ३३७ दफ़ा के अनुसार मुख़बिर को ज़मानत पर छोड़ने के विषय में विचार नहीं किया।"

ट्रिब्यूनल ने जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट से इस विषय में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

२० जुलाई, १६३१ : आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त सुखदेवराज के कहने से मि० श्यामलाल ने उन सबूत के गवाहों से जिरह नहीं की, जिसकी गवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल ने आज दर्ज की थी। अभियुक्त सुखदेवराज का कहना था, कि सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने, अन्य अभियुक्तों से मिलने देने और ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के हटा लेने के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो आज्ञा दी थी, उसका पालन नहीं किया।



ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० ब्लैकर ने मि० श्यामलाल से कहा कि जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत के पास सूचना भेजी है, कि हम अदालत के हुक्मों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वे हुक्म पुलीस के इन्स्पेक्टर जेनरल की आज्ञाओं के विरुद्ध हैं।

२५ जुलाई, १९३१ : अभियुक्त सुखदेवराज को ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो फ़ैसला सुनाया था, उसका प्रान्तीय सरकार ने पालन नहीं किया। इसके विरोध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कल सबूत के गवाहों से जिरह करने से इन्कार कर दिया था और आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने उसने निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की :

"कल मैंने अपने वकील लाला श्यामलाल को सबूत के गवाहों से जिरह न करने की सलाह दी थी, जिसके निम्न-लिखित कारण थे :

"( १ ) लाहौर सेण्ट्रल जेल में ग़ैर-क़ानूनी हिरासत में होने के कारण मैं अपने केस की तैयारी नहीं कर सकता।

"( २ ) यद्यपि अदालत ने न्याय की दृष्टि से मुझे अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त दे दी थी, फिर भी लाहौर सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत के हुक्मों को पालन करने से इन्कार कर दिया।

"( ३ ) मैंने अदालत से तब तक के लिए अपनी कार्रवाई स्थगित कर देने के लिए कहा, जब तक कि मेरी शिकायतें न दूर हो जायँ और सफ़ाई के लिए मुझे उचित सुविधाएँ न दे दी जायँ, परन्तु अदालत ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और कार्रवाई प्रारम्भ कर दी।

"कल अदालत से जेल लौटने पर जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण-



डेण्ट ने मुझसे मिल कर कहा कि मेरी कोठरी के दरवाज़े के पास सुबह से शाम तक तीन सी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी मेरे साथ रहने के लिए बैठे रहा करेंगे। रात के वक़्त वे क़ैदी विचाराधीन क़ैदियों के वॉर्ड में अपनी बैरकों में चले जाया करेंगे।

"इधर कुछ हफ़्तों से सरकार का जैसा हठपूर्ण रुख रहा है, उसे देख कर मेरे सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मेरे साथ न्याय नहीं किया जायगा। सरकार ने अदालत के फ़ैसलों की अवज्ञा करने में कोई सङ्कोच नहीं किया। जब उसने मामला अधिक गम्भीर देखा, तो उसने अदालत के हुक्मों का अर्थ पक्षपातपूर्ण भाव से करना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमान, मेरे साथ पर्दे के आड़ में जैसा खेल खेला जा रहा है, वह गन्दा है। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, न मैं किसी के प्रति असम्मान प्रकट करना चाहता हूँ, चाहे वह मेरा कैसा ही कट्टर दुश्मन क्यों न हो। परन्तु कुछ कारणों से मुझे यह विश्वास हो गया है कि पञ्जाब-सरकार मेरे मामले से दिलचस्पी रखती है और वह दिलचस्पी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। मेरे सामने जो बातें मौजूद हैं, उनको देखते हुए मैं अपने विश्वास को बदल नहीं सकता। मैंने अपनी आँखों से उस पत्र को पढ़ा है, जोकि गवर्नमेण्ट के गृह-विभाग से इन्स्पेक्टर जेनरल ऑफ़ प्रिज़न्स के पास भेजा गया है और जिसमें मेरी हिरासत के सम्बन्ध में पूरे विवरण के साथ आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार कार्रवाई होने से अदालत के हाथ में कुछ नहीं रह जाता।

## मैं न्याय चाहता हूँ

"आपने जो निर्णय किया है कि मेरी हिरासत ग़ैर-क़ानूनी



है, वह बिल्कुल उचित है। हाईकोर्ट ने क़ैदियों की शिकायतों की जाँच करने और उन्हें दूर करने के प्रबन्ध करने के लिए आप लोगों को अधिकार दिया है, इसलिए न्याय की आशा से आपके सामने मैं अपना मामला पेश कर रहा हूँ। मैं दया नहीं चाहता, श्रीमान, मैं फिर से दुहराता हूँ कि मैं न्याय चाहता हूँ। अगर अदालत न्याय करने में असमर्थ है, अगर अदालत के हुक्म पालन करने के लिए नहीं हैं, तो कोई कारण नहीं है कि मैं अपनी सफ़ाई में समय और धन को नष्ट करूँ। मुझे खेद है कि अदालत ने अपने हुक्मों की अवज्ञा देख कर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात से मेरे मन में अत्यन्त गम्भीर आशङ्काएँ हुई हैं। मैं यह अनुभव करने के लिए विवश हूँ कि न्याय नहीं हो रहा है।

"मेरी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत ६ जून, सन् १९३१ से प्रारम्भ हुई थी। अब क़रीब दो महीने के हो रहे हैं। जो कुछ मैंने कष्ट सहन किए हैं, उनको कहना मेरा काम नहीं है। मैं एक सिपाही हूँ, मेरा कर्तव्य कहना नहीं, बल्कि मार दिया जाना है। सिपाही का सम्मान देश की सेवा में अपने जीवन के समर्पण कर देने की दृढ़ता में है। मैं साधारण भारतीयों में से ही एक हूँ, जोकि कष्ट सहन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। सौभाग्यवश हम लोग कष्ट सहन करते-करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं, कि उनकी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है।

## कष्ट के साथ अपमान

"ऐसे समय, जबकि मैं अपनी शिकायतों के दूर होने की आशा कर रहा था, जेल-अधिकारियों ने कष्ट के साथ अपमान जोड़ दिया। मैं अच्छी श्रेणी का क़ैदी हूँ और मैं अपने साथ



के लिए अच्छी श्रेणी के क़ैदी चाहता हूँ, जैसा कि क़ानून का मतलब है। परन्तु सरकार ने क़ानून की पूर्ति बहुत ही विचित्र तरीक़े से करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने क़ानून का ऐसा मतलब लगाया है कि क़ानून बनाने वाले अपनी क़ब्रों में हिल उठेंगे।

"मैं अदालत से प्रार्थना करता हूँ, कि वह गवर्नमेण्ट के ग़ैर-क़ानूनीपन को रोके।"

अर्ज़ी पढ़ लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से अदालत के हुक्मों के पालन किए जाने का विवरण पेश करने के लिए कहा।

इसके बाद सबूत-पक्ष की ओर से एक मैजिस्ट्रेट, एक भङ्गी, एक दूध वाले और एक भिश्ती की गवाही हुई।

२६ जुलाई, १६३१ : आज भागराम के बीमार हो जाने के कारण दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई फिर स्थगित कर दी गई। भागराम मेयो अस्पताल में भेज दिए गए थे।

अभियुक्त-पक्ष के वकील ने अभियुक्त से अस्पताल में भेंट की थी। आपने अदालत से कहा कि अभियुक्त को बीमारी की हालत में भी हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं और हथकड़ियाँ चारपाई से बाँध दी गई हैं।

जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरल ने स्पेशल ट्रिब्यूनल की आज्ञा होने पर भी अभियुक्त सुखदेवराज को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। इस सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने मि० श्यामलाल से कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के पत्र के उत्तर में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने लिखा है, कि जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरल ने ट्रिब्यूनल की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना स्वीकार कर लिया है।



सुखदेवराज को सप्ताह में चार बार दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से मिलने की इजाजत रहेगी; परन्तु सुखदेवराज के अन्य क़ैदियों के साथ रहने के विषय में जेल-अधिकारियों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अभियुक्त सुखदेवराज को सी क्लास के विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाजत रहेगी।

अदालत ने मि० श्यामलाल से उपरोक्त विषय में अपना विरोध पेश करने के लिए कहा। उस पर ता० ३१ को बहस की जायगी।

## अदालत में इन्द्रपाल

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुखबिर इन्द्रपाल पेश किया गया। अदालत ने उससे कहा, कि जेल-अधिकारियों ने उसे उसके सम्बन्धियों से मिलने की इजाजत देना और अन्य शिकायतों को दूर करना स्वीकार कर लिया है। उसको सुरक्षा के विचार से केवल उसे बाहर सोने की इजाजत न मिलेगी।

अदालत ने इन्द्रपाल से यह भी कहा, कि वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को अदालत के सामने पेश किया जायगा, उस समय वह अपनी शिकायतें पेश कर सकता है।

मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि जो व्यक्ति मेरे साथ रहने के लिए भेजे गए हैं, वे निरक्षर हैं और उनमें से एक को नेत्र-रोग है।

इसके बाद अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले की सुनाई प्रारम्भ की।



## सबूत की गवाही

लाहौर के खाँ साहब मोहम्मद खाँ तहसीलदार ने कहा, कि ५ सितम्बर, सन् १९३० को मैं तिब्बी पुलीस चौकी में बुलाया गया था। नन्दलाल नाम का एक व्यक्ति कुछ जगहें बतलाना चाहता था उसी सम्बन्ध में मेरी उपस्थिति की आवश्यकता थी। नन्दलाल मुझे और कुछ अन्य व्यक्तियों को बुढ्ढा नदी के पुल के पास मिण्टो पार्क में ले गया और मुझसे कहा कि दो-एक रोज़ पहले मैंने यहाँ पानी में १४ बम फेंके थे।

मि० श्यामलाल ने ज़बानी गवाही पर आपत्ति करते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट उस विषय में ज़बानी गवाही नहीं दे सकता, जिस विषय को वह ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १६४ के अनुसार लिख कर दर्ज कर सकता है।

अदालत ने मि० श्यामलाल की बात अस्वीकार कर दी।

इसके बाद गवाह ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा, कि वे चौदह बम पानी से निकाले गए। उनमें से बारह एक प्रकार के थे। उनमें नीचे की तरफ़ एक छेद और एक पेंच कसा हुआ था। बाक़ी दो बमों में घोड़े बने हुए थे, वे बम पुलीस को दे दिए गए थे। उस समय वहाँ मि० रसेल और खाँ साहब सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० मौजूद थे।

अदालत के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं द्वितीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेट हूँ। अमृतसर में रहने के समय मैंने दफ़ा १६४ के अनुसार कार्य किया था, परन्तु लाहौर तबादला हो जाने पर मुझे निश्चय नहीं था कि उस दफ़ा के अनुसार कार्य करने का मुझे अधिकार था या नहीं।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि



जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे लाहौर ज़िले में ज़ाब्ता फ़ौज़दारी की दफ़ा १६४ के अनुसार बयानों के दर्ज करने का अधिकार नहीं था। आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे सी० आई० डी० के साथ जाने के लिए नहीं कहा था। मैं वहाँ पुलीस के कहने से सरकारी नौकर की हैसियत से गया था। मैं वहाँ मैजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं गया था। नन्दलाल ने बुढ्ढा नदी का ओर सब लोगों को ले जाने के समय थाने में पुलीस से उसका उद्देश्य नहीं बतलाया था। पानी कमर तक गहरा था जहाँ से बम निकाले गए थे। कुछ कॉन्स्टेबिल ताँगे पर नन्दलाल के साथ पुल पर पहुँच गए थे परन्तु कोई कॉन्स्टेबिल नन्दलाल के पहले वहाँ नहीं पहुँचा था।

दूसरे गवाह पञ्जाब यूनिवर्सिटी लायब्रेरी के लायब्रेरियन मि० लाभूराम थे। आपने अपनी गवाही में विद्यार्थियों को पुस्तकें देने के नियम बतलाए। आपने कहा, कि मैं सुखदेवराज को पहचानने में असमर्थ हूँ। इसके बाद गवाह ने सुखदेवराज नाम के एक व्यक्ति की अर्ज़ी पेश की जिस पर डी० ए० वी० कॉलेज के प्रिन्सिपल लाला साईंदास की सिफ़ारिश थी। सिफ़ारिश के अनुसार मैंने सुखदेवराज को लायब्रेरी का सदस्य नियुक्त कर लिया था। सुखदेवराज ने लायब्रेरी से २२ एप्रिल, सन् १९३० को दो किताबें पढ़ने के लिए ली थीं। मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके बाद गवाह ने किताबों की शनाख्त की।

३० जुलाई, १९३१ : आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत के अन्य गवाहों की गवाही दर्ज हुई।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल और अमोलकराम कपूर-



ने पी० डबल्यू० दीवानचन्द से जिरह की, जिन्होंने गूजरानवाला में बम फटने के विषय में गवाही दी थी।

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि मैं एक विवाह के लिए बर्तन और कपड़े खरीदने गूजरानवाला गया था। शाम को मैंने सुना कि पण्डित मदनमोहन मालवीय का एक व्याख्यान होगा। इसलिए मैंने उस रात को ठहर जाने का निश्चय कर लिया। मैं और दयालसिंह सभा में गए थे, लेकिन भीड़ बहुव अधिक होने कारण हम लोग कुछ सुन नहीं सकते थे, इसलिए लौट आए।

गवाह ने कहा कि मैंने अभियुक्त अमरीकसिंह को उस कमरे के जीने पर चढ़ते हुए नहीं देखा था जिसमें बम फटा था। मेरा बयान पुलीस चौकी में दर्ज किया गया था। वहाँ मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उन दोनों सिक्खों की शनाख्त कर सकता हूँ जिनको मैंने बम फटने के एक रात पहले ब्रह्म-अखाड़े में देखा था। मैंने केवल यह कहा था, कि मैं उनमें से एक की शनाख्त कर सकता हूँ। पुलीस के यह पूछने पर कि क्या ब्रह्म-अखाड़े में मैंने किसी सन्दिग्ध व्यक्ति को देखा था, मैंने उत्तर में कहा था कि नहीं।

## देवीदयाल का बयान

गूजरानवाला के फ़ोटोग्राफ़र पण्डित देवीदयाल ने कहा कि १६ जून, सन् १६३० को सवेरे क़रीब नौ बजे पुलीस ने मुझे ब्रह्म-अखाड़े के घटनास्थल की फ़ोटो लेने के लिए बुलाया था, जहाँ बम फटा था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुआ।



पञ्जाब यूनिवर्सिटी लायब्रेरी, लाहौर के मि० बाबूराम सूद ने कहा कि नं० ५६७८ के नाम मैंने दो किताबें "प्रिन्सिपल्स ऑफ क्रिमिनॉलोजी" और "प्लेज़ैण्ट एण्ड अनप्लेज़ैण्ट" लायब्रेरी से दी थीं। गवाह ने कहा कि मैंने लायब्रेरी में अभियुक्त सुखदेवराज को देखा था, परन्तु यह नहीं कह सकता कि यह वही व्यक्ति है जिसने किताबें ली थीं।

## एक मल्लाह की गवाही

मोहम्मदद्दीन नाम के मल्लाह ने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त करते हुए कहा, कि यह भी उन व्यक्तियों में थे जो कि डी० ए० वी० कॉलेज से रावी के किनारे नौका-विहार करने के लिए आया करते थे। क़रीब एक साल पहले अभियुक्त ने मेरी नाव का उपयोग किया था। इनके साथ दो व्यक्ति और थे। वे तीन साइकिलें मेरे पास छोड़ गए थे और नाव उस पार ले गए थे। परन्तु वे उस रात को लौटे नहीं। दूसरे दिन एक व्यक्ति ने, जिसने अपने आपको एक अभियुक्त का भाई बतलाया था, मुझसे साइकिलें माँगीं। उसने कहा, कि सुखदेवराज एक पेड़ से गिर गए थे और अपने घर चले गए हैं। मैंने सब साइकिलें उसे लौटा दीं और उससे एक रसीद ले ली, मैंने उस रसीद को अपने झोंपड़े में रख लिया था। लेकिन बाढ़ में झोंपड़ा बह गया।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि मैंने अभियुक्त से पास लिया था, परन्तु बाढ़ में वह झोपड़े के साथ बह गया।

प्र०—क्या गर्मी की छुट्टी में तुम्हें नाव उपयोग के लिए देने का अधिकार था?


उ०—कॉलेज गर्मी की छुट्टी के लिए बन्द हो गया था या बन्द होने ही वाला था। मैंने उन्हें नाव दे दी थी, क्योंकि कॉलेज के अधिकारियों से नावों के न देने के लिए कोई हुक्म नहीं मिला था।

## सी० आई० डी० कॉन्स्टेबिल की गवाही

सी० आई० डी० कॉन्स्टेबिल नसीरउद्दीन ने कहा कि १६ जुलाई, सन् १६३० को शिमला में सब प्रान्तों के गवर्नरों के एकत्र होने के कारण मैं धरमपूर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था। क़रीब आठ बजे सवेरे रेल-मोटर बर्मा-गवर्नर को लेकर पहुँची। जब वह सुरङ्ग से होकर जा रही थी, उस समय मैंने अभियुक्त को दो या तीन व्यक्तियों के साथ, जिनमें लाहौर के अमीरचन्द को मैं जानता था, सुरङ्ग के किनारे खड़े हुए देखा। बर्मा-गवर्नर को लेकर जब रेल-मोटर निकल गई तब सब अभियुक्त चले गए। मैं उनके साथ-साथ चला। पास के एक मकान में उन्होंने प्रवेश किया, जिस पर लिखा था "किराए के लिए खाली है।" थोड़ी देर के बाद मैंने अमीरचन्द को बाहर निकलते हुए देखा, तो मुझे निश्चय हो गया कि वे यहीं रहते हैं। मैंने एक विशेष दूत को उच्च अफ़सरों के पास उनके वहाँ रहने के विषय में खबर देने के लिए भेजा। मैं छिपा हुआ रहा। अफ़सर क़रीब ५ बजे शाम को पहुँचे। मैंने उनसे कहा कि अभियुक्त यहाँ हैं, लेकिन तलाशी लेने पर मकान खाली था।

मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि सुखदेवराज गवाह से स्वयं जिरह करना चाहता है।

सरकारी वकील ने इसका विरोध किया, परन्तु अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज को जिरह करने की इजाज़त दे दी।



सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि मैंने अभियुक्त की जाँच गिरफ़्तारी के वॉरएट निकलने के क़रीब दो महीने पहले ही की थी। मैंने धरमपुरा में अभियुक्त की जाँच की थी क्योंकि वह सन्दिग्ध था।

## अभियुक्त की अर्ज़ी

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की :

"अत्यन्त आदर के साथ प्रार्थना है कि—

"(१) जेल-अधिकारियों ने अभियुक्त की ग़ैर-क़ानूनी हिरासत दूर करने और अभियुक्त को क़ैदियों के साथ रखने के मामले में जो उपाय ग्रहण किया है वह क़ानून की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। वह उपाय केवल ग़ैर क़ानूनी ही नहीं है, बल्कि उपहास के योग्य और अत्यन्त अनुचित है। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि सरकार के उत्तरदाई अफ़सर क़ानून को धोखा देने का प्रयत्न करें और एक विचाराधीन क़ैदी को इस प्रकार कष्ट दें। क़ानून की ऐसी स्पष्ट अवज्ञा किसी साधारण मुक़दमा लड़ने वाले के लिए तो शोभनीय हो ही नहीं सकती, शक्ति-सम्पन्न गवर्नमेण्ट के लिए कैसे शोभनीय हो सकती है, जो कि देश में अमन और क़ानून की रक्षा का दावा करती है।

"(२) जेल-अधिकारी स्वभावतः, अदालत के हुक्मों के पालन करने के लिए जो विचित्र उपाय ग्रहण किए गए हैं, उनकी सम्पूर्ण सूचना भी अदालत को नहीं देना चाहते।

"(३) सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अभियुक्त के साथ रहने वाले क़ैदियों के सम्बन्ध में निम्न-लिखत आज्ञा निकाली है :



(१) वे बुड्ढे हों, (२) अपढ़ हों (३) लाहौर ज़िले के न हों।

"अभियुक्त जो कि पञ्जाब युनिवर्सिटी का एक विशेष योग्यता प्राप्त ग्रेजुएट है, उपरोक्त योग्यता वाले क़ैदियों के साथ रह कर मुश्किल से साथ रहने का कोई सुख अनुभव कर सकता है।

"(४) अभियुक्त की प्रार्थना है, कि जेल अधिकारियों का उपाय निम्न-लिखित कारणों से ग़ैर-क़ानूनी और अनुचित है :

"(क) क़ानून का अभिप्राय है, कि सब विचाराधीन क़ैदी एक साथ रहें। वे परस्पर एक-दूसरे से अदालत के कहने से ही अलग किए जा सकते हैं।

"(ख) जेल इस ढङ्ग से बने हैं, कि उनमें विचाराधीन क़ैदियों के लिए अलग ब्लॉक रहता है।

"(ग) अभियुक्त को बिना किसी क़ानूनी औचित्य के दण्ड-कोठरी में रक्खा गया है। क़ानून के अनुसार अभियुक्त को विचाराधीन क़ैदियों के ब्लॉक में ही रखना चाहिए। ग़ैर-क़ानूनी हिरासत कुछ क़ैदी साथ रहने के लिए भेज देने से नहीं दूर हो सकती, वह क़ैदी को दण्ड-कोठरी से उस स्थान में हटा देने से ही दूर हो सकती है जहाँ विचाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं।

"(घ) प्रिज़न ऐक्ट की दफ़ा ६० में प्रान्तीय गवर्नमेण्ट ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें पहले नियम की दूसरी दफ़ा में, जिसको ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त समझ कर अपने २० जलाई के हुक्म में उद्धृत किया है, स्पष्ट लिखा है, कि ए क्लास के क़ैदी, जहाँ जगह हो, दूसरे क़ैदियों से



अलग रक्खे जायँ। नए नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के क़ैदी ए क्लास के क़ैदी हैं और जैसा कि ट्रिब्यूनल ने अपने २० जुलाई के हुक्म में निर्णय किया है। कानून का अभिप्राय है कि क़ैदियों को अपनी-अपनी श्रेणी में एक साथ रहना चाहिए। नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के क़ैदियों और साधारण श्रेणी के क़ैदियों का साथ नहीं हो सकता।

"( ङ ) जेल-अधिकारियों ने जो उपाय ग्रहण किया है, वह असाधारण है और क़ानून के किसी नियम के अनुसार नहीं है।

"( च ) यह उपाय केवल अभियुक्त पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाता, बल्कि उन तीनों विचाराधीन क़ैदियों पर भी प्रतिबन्ध लगाता है जो कि अभियुक्त के साथ रहने के लिए भेजे जाते हैं। यह प्रतिबन्ध किसी क़ानून के अनुसार उचित नहीं है। ये तीनों विचाराधीन क़ैदी जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट की आज्ञाओं को मानने से इन्कार कर सकते हैं। वे अदालत से इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कठिनाई हल करने का यह कोई क़ानूनी उपाय नहीं है, बल्कि निरुपाय विचाराधीन क़ैदियों पर ग़ैर-क़ानूनी प्रतिबन्ध है, यह ग़ैर-क़ानूनी है और अमानुषिक भी है।

"( छ ) क़ैदियों के साथ रहने का तात्पर्य इच्छानुकूल और स्वतन्त्रता के साथ रहने से है। साथ का तात्पर्य यह नहीं है, कि किसी निश्चित समय पर उसका प्रबन्ध कर दिया जाय।

"( ज ) जेल-अधिकारियों ने जिस प्रकार के साथ रहने का प्रबन्ध किया है, उसमें साथ भोजन करने तक का अवसर नहीं दिया। साथ भोजन करने के अधिकार से वे भी वञ्चित नहीं किए जाते जो अलग कोठरी में रक्खे जाते हैं।

"( क ) अभियुक्त और उसके साथ रहने वालों के बीच में कोई समता नहीं है। अभियुक्त उनके साथ रहने का सुख मुश्किल से अनुभव कर सकता है।

"क़ैदियों के साथ रहने की इस व्यवस्था में प्रतिहिंसा का भाव है, अभियुक्त को उसमें अधिक कष्ट अनुभव हुआ है। अभियुक्त को उससे छुटकारा मिलने में प्रसन्नता होगी।

"( ख ) अभियुक्त अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ बैडमिण्टन, वॉलीबॉल आदि खेलों के खेलने से भी वञ्चित है।

"( ५ ) सुपरिन्टेण्डेण्ट ने ट्रिब्यूनल की २५ जुलाई की आज्ञा के अनुसार ट्रिब्यूनल को आवश्यक सूचना नहीं दी, उन्होंने अभियुक्त को सेन्ट्रल जेल के अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ न रखने का कोई कारण नहीं बतलाया। और उन्होंने अभियुक्त और उसके साथ रहने वाले क़ैदियों की कोई समता नहीं दिखलाई।

"( ६ ) अभियुक्त बहुत समय से ग़ैर-क़ानूनी हिरासत में है। इसलिए प्रार्थना है, कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को आज्ञा दी जाय कि वे अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रक्खें, उसकी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत हटा दें और अभियुक्त पर लगाए गए अनुचित प्रतिबन्ध हटा दें। प्रार्थना है कि इसके अनुसार कार्य न होने पर अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया जाय और हाईकोर्ट से यह ट्रिब्यूनल सिफ़ारिश करे कि ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के लिए जेल के उत्तरदाई अफ़सरों को अदालत के अपमान करने के अपराध में दण्ड दिया जाय। अदालत को किसी भी हालत में अब इस ग़ैर-क़ानूनी हिरासत को बढ़ाना न चाहिए।"



३१ जुलाई, १९३१ : सबूत के गवाह मि० दुर्गाप्रसाद ने, जो शिमला के पास धरमपुर के रहने वाले हैं, षड्यन्त्र केस के नौ अभियुक्तों के बीच में अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त की। गवाह ने कहा कि अभियुक्त ने पिछले साल धरमपुर में मेरा मकान किराए पर लिया था। किराएनामे पर उसने अपना नाम कुन्दनलाल और पूरा पता लिखा था। अभियुक्त के साथ एक और व्यक्ति था, जिसने अपना नाम रतनचन्द्र बतलाया था। जब अभियुक्त ने किराए पर मकान लिया था, उस समय वह लँगड़ाता हुआ आया था। पूछने पर अभियुक्त ने मुझसे कहा, कि मेरे पैर में मोच आ गई है।

## गिरदावर क़ानूनगो की गवाही

लाहौर के गिरदावर क़ानूनगो सरदार करतारसिंह ने अपनी गवाही में कहा कि मेरे ससुर का एक मकान गवर्नमेण्ट प्रेस के पीछे है। उसी जगह मुसम्मात धनदेवी का भी एक मकान है। मुसम्मात धनदेवी का मकान इन्द्रपाल नाम का एक व्यक्ति किराए पर लिए हुए था, जिसको मैं जानता था।

इस पर मुख़बिर इन्द्रपाल दस अभियुक्तों के बीच में शनाख्त के लिए खड़ा कर दिया गया। गवाह ने कहा कि इन अभियुक्तों में इन्द्रपाल नहीं है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने इन्द्रपाल से खड़े हो जाने के लिए कहा, तब गवाह ने तुरन्त कहा कि "यह इन्द्रपाल है।" इसके बाद गवाह ने कहा कि इन्द्रपाल अपनी स्त्री और तीन भाइयों के साथ रहा करता था। कुछ समय के बाद अभियुक्त जहाँगीरी और कुन्दनलाल भी वहाँ आए और मकान के ऊपरी के हिस्से में रहने लगे। कुछ दूसरे व्यक्ति भी उन लोगों के पास आया करते थे, जिनको मैं देख सकता



था। इस पर गवाह से अभियुक्तों की ओर देखने और यह बतलाने के लिए कहा गया कि इनमें से कौन व्यक्ति उस मकान में रहते थे या वहाँ जाया करते थे। गवाह ने कृष्णगोपाल, कुन्दनलाल, भीमसेन, इन्द्रपाल, जयप्रकाश, हरनामसिंह और सुखदेवराज की ओर इशारा किया।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि सुखदेवराज का नाम मुझे लाहौर फ़ोर्ट में शनाख्त की परेड के बाद मालूम हुआ था।

जिरह के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने सुखदेवराज को इन्द्रपाल के मकान पर मई और जून सन् १९३० में ५ या ६ बार जाते हुए देखा था। गवाह के यह कहने पर, कि मैंने सुखदेवराज के साथ एक और सज्जन को इन्द्रपाल के मकान में जाते हुए देखा था, अदालत में हँसी हुई।

मि० सलीम के एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि वह सज्जन अच्छे कपड़े पहने हुए थे। गवाह को यशपाल का फ़ोटो दिखलाया गया। फ़ोटो देख कर पहले गवाह ने कहा कि मैंने उस मकान में ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था, लेकिन फ़ोटो की ओर फिर देख कर उसने कहा, कि मुझे याद आ गया कि यह यशपाल है, जोकि अपनी माँ को देखने के लिए उस मकान में आया करता था। गवाह ने कहा कि मैंने पुलीस को सुखदेवराज की हुलिया नहीं बतलाई थी। मुझे पुलीस ने सुखदेवराज का नाम बतलाया था और मुझसे सुखदेवराज की शनाख्त करने के लिए कहा था, जोकि शालामार बाग़ में गिरफ़्तार किया गया था। दूसरे व्यक्तियों के नाम भी, जिनकी मैंने शनाख्त की थी, पुलीस ने शनाख्त के बाद मुझे बतलाए थे। गवाह ने कहा, कि पुलीस ने मुझे सुखदेवराज की हुलिया नहीं बतलाई थी, परन्तु



मैंने वे विज्ञापन देखे थे, जिनमें फ़रार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए इनाम की घोषणा हुई थी। उन विज्ञापनों में फ़रार अभियुक्तों के चित्र भी प्रकाशित हुए थे। मैंने विज्ञापनों में सुखदेवराज का चित्र भी देखा था। परन्तु मैंने उस चित्र की शक्ल को सुखदेवराज की उस शक्ल से तुलना नहीं की थी जो कि मुझे याद थी।

इस गवाह की गवाही लगातार मनोरञ्जक रही। वह प्रश्नों का उत्तर तुरन्त हाँ कह कर दिया करता था, परन्तु बाद में अपना उत्तर बदल दिया करता था।

मि० सलाम और रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने गवाह से प्रश्न पर विचार करने के बाद उत्तर देने के लिए सावधान किया।

इसके बाद अदालत की कारवाई स्थगित हो गई।

ता० ३१ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की भी सुनवाई हुई। सबूत की ओर से केवल गूजरानवाला के दयालसिंह नाम के व्यक्ति की गवाही हुई थी। उसने अपनी गवाही में कहा कि मैंने १८ जून, सन् १९३० की रात को ब्रह्म-अखाड़ा में दो सिक्ख नवयुवकों को देखा था। गवाह अभियुक्त अमरीकसिंह और गुलाबसिंह की शनाख्त नहीं कर सका, जोकि ११ बाहरी व्यक्तियों के साथ मिला दिए गए थे।

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने गवाह से जिरह की।

१ अगस्त, १९३१ : आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्ज़ी पर बहस हुई, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त सुखदेवराज के साथ रहने के लिए अच्छी श्रेणी के क़ैदियों का प्रबन्ध होना चाहिए।



मि० श्यामलाल ने बहस में कहा कि यद्यपि अदालत ने निर्णय किया था कि सुखदेवराज की ग़ैर-क़ानूनी हिरासत हटा देनी चाहिए, फिर भी जेल-अधिकारियों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने अभियुक्त को केवल साधारण क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त दी और अदालत के साने उन कारणों को बतलाने से इनकार कर दिया, जिनसे अभियुक्त को ट्रिब्यूनल की आज्ञानुसार उसी की श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकी।

मि० सलीम—आपका तात्पर्य यह है, कि अभियुक्त की गिनती ए क्लास के क़ैदियों में होनी चाहिए और उसके अनुसार उसे अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त होनी चाहिए और उसके रहने का स्थान दूसरे क़ैदियों से अलग होना चाहिए?

मि० श्यामलाल—जी हाँ।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के सदस्य १५ मिनट तक परस्पर सलाह करते रहे।

मि० सलीम ने सरकारी वकील से कहा—यदि आप यह नहीं बतलाते कि अभियुक्त सुखदेवराज से आपको क्या आशङ्का है, तो हम उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय देने के लिए बाध्य हैं। हम आशङ्काओं का अनुमान नहीं लगा सकते।

सरकारी वकील पण्डित ज्वालाप्रसाद ने कहा—मैं उन कारणों को केवल मि० श्यामलाल की उपस्थिति में बतला सकता हूँ, परन्तु अभियुक्त सुखदेवराज की उपस्थिति में नहीं बतला सकता।

मि० सलीम—परन्तु मि० श्यामलाल उन्हें अभियुक्त सुखदेवराज़ से छिपा नहीं सकते।



मि० श्यामलाल—मेरा सम्पूर्ण अधिकार अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से प्राप्त है।

सरकारी वकील पं० ज्वालाप्रसाद—ऐसी परिस्थिति में अदालत के सामने उन कारणों के प्रकट करने के पहले मुझे गवर्नमेण्ट से सलाह कर लेना जरूरी है। इसके लिए मैं समय चाहता हूँ।

अदालत ने सरकारी वकील को समय देना स्वीकार कर लिया और ता० ६ अगस्त तक के लिए बहस स्थगित कर दी। अभियुक्त सुखदेवराज की प्रार्थना पर मामले की कार्रवाई भी तब तक के लिए स्थगित कर दी गई।

३ अगस्त, १९३१: आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई अभियुक्त भागराम के बीमार हो जाने के कारण, जिसकी दवा मेयो अस्पताल में हो रही है, स्थगित हो गई। अभियुक्त भागराम ने ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट के पास पत्र लिखा था कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी ओर से कोई पैरवी न करे। इसलिए अदालत की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।

अभियुक्त सुखदेवराज का मामला भी नहीं पेश हो सका, क्योंकि सुखदेवराज अपनी सफ़ाई के सम्बन्ध में सलाह करने के लिए हाईकोर्ट की इजाज़त से दिल्ली में दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त धन्वन्तरि, विद्याभूषण और वैशम्पायन से मिलने के लिए गए थे।

४ अगस्त, १९३१: आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में अभियुक्त भागराम की बीमारी के कारण अदालत की कार्रवाई फिर स्थगित हो गई।

भागराम ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आज एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें उसने कहा है कि मैं दो महीने से कठिन हिस्टीरिया



रोग से पीड़ित हूँ। इसी बीच में मुझे लक़वा भी हो गया था, जिससे मेरा बायाँ अङ्ग बेकाम हो गया है। उस समय मैं मेयो अस्पताल में था। जेल-अधिकारियों द्वारा यह विश्वास दिलाए जाने पर, कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से दवा करने के लिए लाया गया हूँ, मैंने अदालत में अपनी अनुपस्थिति के लिए अपनी पैरवी कराना स्वीकार कर लिया था। परन्तु बाद में मैंने देखा कि मैं केवल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया था, स्थायी रूप से दवा कराने के लिए नहीं। मैं पहली अगस्त को अस्पताल से जेल भेज दिया गया था।

मेयो अस्पताल में ठीक तरह से और सहानुभूति के साथ औषधि होने से मेरी हालत निश्चय रूप से सुधरती हुइ दिखलाई पड़ने लगी थी। मेरा बायाँ हाथ हिलने लगा था, यद्यपि वह एक बार फिर बेकाम हो गया था। मुझे विश्वास है, कि मैं अच्छा हो गया होता, अगर वही दवा कुछ समय तक जारी रहती। जेल की औषधि फिर प्रारम्भ होने पर कष्ट भी पूर्ण रूप से प्रारम्भ हो गया। इस समय मुझे बेहोशी के दौरे आ जाया करते हैं और मेरा बायाँ अङ्ग हरकत करने में असमर्थ है। बिना सहायकों के सहारे मैं पेशाब तक नहीं कर सकता।

## "पानी के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है"

तीन पहरेदार, जो मेरी देख-रेख रखने के लिए तैनात किए गए हैं, सहानुभूति के साथ और ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वे शुश्रूषा करना नहीं जानते, इसलिए पानी तक के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है, विशेषकर रात के समय, जबकि वे गहरी नींद में सो जाते हैं।

मैं अदालत को यह बतला देना चाहता हूँ कि मेरा विचार

अदालत की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा डालने का नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इस विषय में जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है। मेरा विश्वास है कि मेरे लिए अच्छा ही है, अगर अदालत की कार्रवाई में जल्दी हो। परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जेल के अधिकारियों और सरकार की यह ज़बरदस्त कोशिश है कि मैं अपनी अनुपस्थिति में अपनी पैरवी वापस ले लूँ।

उपरोक्त परिस्थितियों से विवश होकर मैं अपनी अनुपस्थिति में दूसरे किसी को अपनी पैरवी का अधिकार नहीं दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं अपने क़ानूनी सलाहकार को, शरीर और मन की ऐसी हालत में ठीक तरह से सलाह नहीं दे सकता। मैं अपने क़ानूनी सलाहकार को तब तक पैरवी करने का अधिकार नहीं देता, जब तक कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से औषधि कराने के लिए न भेज दिया जाऊँ, या जब तक मैं ठीक तरह से दवा कराने के लिए ज़मानत पर न छोड़ दिया जाऊँ।

अर्ज़ी पर बाद में किसी समय विचार होगा।

## गम्भीर दोषारोपण

जो अभियुक्त अदालत में हाज़िर हुए थे, उन्होंने एक दूसरी अर्ज़ी ट्रिब्यूनल के सामने पेश की, जिसमें कहा गया था कि सेण्ट्रल जेल के हाते के अन्दर अत्यन्त नियम-विरुद्ध और अमानुषिकता का व्यवहार किया जाता है। पञ्जाब सरकार ने सी० आई० डी० और जेल-अधिकारियों से मिल कर हम लोगों को अपनी उचित सफ़ाई से वञ्चित करने के लिए एक षड्यन्त्र बना लिया है। यह बात मुखबिर मदनगोपाल और इन्द्रपाल ने जेल-अधिकारियों के विरुद्ध जो दोषारोपण किए थे और प्रमाण में



जो काग़ज़ी सबूत पेश किए थे, उनसे स्पष्ट है। हम लोगों को यह स्वीकार करते हुए लज्जा मालूम होती है कि विदेशी गवर्नमेण्ट के ग़ैर-क़ानूनी कार्यों को कार्य-रूप में परिणत करने के षड्यन्त्र में हिन्दुस्तानियों ने बहुत बड़ा भाग लिया है।

हम लोगों को जो भोजन दिया जाता है, वह ऐसा रहता है जो मनुष्य खा नहीं सकता, न हज़म कर सकता है। हम लोगों को धूल में मिला हुआ गेहूँ का आटा दिया जाता है। इधर कुछ दिनों के अन्दर हम लोग दो बार उसे लौटा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से अच्छा आटा दिया गया। तरकारी बिल्कुल सड़ी हुई होती है।

हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हँसी में दिए जाते हैं। जेल-अधिकारियों ने इस बात पर हम लोगों का बाहर के लोगों से मिलना बन्द कर दिया, कि एक अभियुक्त के पास एक काग़ज़ निकला, जोकि उसने जेल-अधिकारियों को देना अस्वीकार कर दिया। उस अभियुक्त ने सुपरिण्टेण्डेण्ट से कहा कि उस काग़ज़ में मामले की सफ़ाई के सम्बन्ध में कुछ सलाहें लिखी हैं। इसलिए मैं उसे जेल-अधिकारी को नहीं दे सकता। इस पर भी अगर जेल अधिकारी सन्तुष्ट नहीं थे, तो वे उसे दण्ड दे सकते थे। परन्तु एक की ग़लती के लिए सबको कष्ट दिया जाय, इसका कोई कारण नहीं है। परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इस उचित प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ग़ैर-क़ानूनी और मनमाना हुक्म निकाल दिया कि एक की ग़लती के लिए सबको कष्ट सहन करना होगा।

अदालत से हम लोगों की प्रार्थना है कि वह मामले की जाँच करे और जेल-अधिकारियों को, क़ानून के अनुसार सफ़ाई के लिए हम लोगों को पूर्ण सुविधा देने की आज्ञा दे।



५ अगस्त, १६३१ : आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में दो और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

लाहौर के फ़र्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट सय्यद बशीर हैदर ने अपनी गवाही में कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त-परेड मैंने की थी। आपने कहा कि मेहरचन्द, देबिया मेहतर, फ़जलदीन ताँगा हाँकने वाले, सोहनी भिश्ती, शेर मोहम्मद और लाभामल ने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त की थी। उन लोगों ने कहा था कि अभियुक्त को हमने भावलपुर रोड के बँगले में देखा था।

अभियुक्त सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के अनुसार शनाख्त परेड की थी। फ़ोर्ट पहुँचने पर पुलीस ने मुझसे कहा कि गवाह बारहदरी में है। मैंने वहाँ सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० को देखा था। मैंने सी० आई० डी० के दफ़्तर में शनाख्त की परेड की थी। परन्तु परेड के समय यहाँ कोई पुलीस-अफ़सर नहीं था। मैंने वहाँ सब-इन्स्पेक्टर खड्गसिंह का देखा था। परन्तु वे उस कमरे में उपस्थित नहीं थे, जिसमें परेड हुई थी। मैंने पुलीस अफ़सरों के गवाहों से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं डाली थी, न मैंने उन लोगों के नाम और पते लिखे, जोकि अभियुक्त के साथ मिला दिए थे, क्योंकि मैंने उसे आवश्यक नहीं समझा। मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त ने वैसा करने के लिए मुझसे कहा था या नहीं।

इसके बाद फ़जलदीन ताँगा हाँकने वाले की गवाही हुई, जिसने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त की और कहा कि मैं अभियुक्त को भावलपुर रोड के मकान से तार के दफ़्तर ले गया था।



६ अगस्त, १६३१ : अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज को षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की इजाज़त देने में क्या हानि है ?

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवर्नमेण्ट की आशङ्काओं को नहीं बतला सकता, परन्तु यह कह सकता हूँ कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से अलग रखना जेल की डिसिप्लिन की रक्षा के लिए आवश्यक है। जेल-मैनुअल के ६८ और ६६ पैरा का हावाला देते हुए, आपने कहा कि सुपरिण्टेण्डेण्ट इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। आपने कहा कि जेल स्वतन्त्र व्यक्ति का मकान नहीं है। क़ैदियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

सुखदेवराज अपने साथी क्रान्तिकारियों के साथ रहने की आवश्यकता पेश कर सकते हैं, परन्तु जेल के विनयन की दृष्टि से उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।

साथ रहने का तात्पर्य यह नहीं है, कि साथ रहने वालों की रुचियों में समानता हो। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी केवल अच्छी ही श्रेणी के क़ैदियों के साथ रक्खे जायँ।

अभियुक्त सुखदेवराज ने सरकारी वकील की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि सरकारी वकील ने जेल-मैनुअल के ६८ और ६६ पैराग्राफ़ों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है। सुपरिण्टेण्डेण्ट उन पैराग्राफ़ों के अनुसार, तब तक कोई हुक्म नहीं निकाल सकते, जब तक कि उस हुक्म का जेल-मैनुअल की अन्य दफ़ाओं से सामञ्जस्य न हो।

गवर्नमेण्ट की आशङ्का के प्रश्न के सम्बन्ध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि जब तक सरकारी वकील उस विषय


में पूरी बात अदालत के सामने न पेश कर दें, तब तक अदालत का कर्तव्य है कि वह सरकारी वकील की कही हुई बातों पर कोई ध्यान न दे। गवर्नमेण्ट को स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए और उन सब बातों को अदालत के सामने प्रकट कर देना चाहिए जो कि उससे पास हों। अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि मैं जीवन में प्रथम बार सेण्ट्रल जेल में लाया गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे विरुद्ध जेल के नियम भङ्ग होने की आशङ्का किस आधार पर की जा रही है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा है, कि अभियुक्त सुखदेवराज को क्रान्तिकारी साथियों के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह बात स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों से हम लोग साथ रहने की बात नहीं सोचते। मैं राजनीतिक कारणों के आधार पर किसी सुविधा की प्रार्थना नहीं करता। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेण्ट ऐसे कारणों के आधार पर हुक्म निकाल रही है जो कि उपयुक्त नहीं हैं। सुखदेवराज ने गवर्नमेण्ट के बनाए नियमों का हवाला देकर यह दिखलाया कि साथ रहने का अर्थ यह है कि साथियों में रुचि की समानता हो। साथ रहने वालों में परस्पर साथ रहने की इच्छा हो। जो तीन 'सी' क्लास के विचाराधीन कैदी मेरे साथ रोज रहने के लिए भेजे जाते हैं, वे मेरे पास आने से इन्कार कर सकते हैं। सम्भव है वे मेरा साथ न चाहते हों।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि सरकारी वकील ने कई दिन तक अदालत की कार्रवाई स्थगित रहने के बाद, अदालत के सामने आज जो बात बतलाई है वह कोई विशेष बात नहीं है। वास्तव में गवर्नमेण्ट ने इस विषय में कुछ बतलाने से इन्कार कर दिया है। यही बात हाईकोर्ट के सामने और इस अदालत के सामनें आज से बहुत दिन पहले कही जा चुकी है।



उस बात के कहने पर भी हाईकोर्ट और स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसलों में अभियुक्त की हिरासत ग़ैर-क़ानूनी बतलाया था।

प्रेज़िडेण्ट ने सुखदेवराज से पूछा कि क्या तुम 'सी' क्लास के विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहना स्वीकार करोगे ?

सुखदेवराज ने कहा कि यह बात पहले की अपेक्षा क़ानून के अधिक अनुकूल मालूम होती है।

अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं बोर्स्टल जेल में भेज दिया जा सकता हूँ, जहाँ अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी मिल सकते हैं।

७ अगस्त १९३१ : आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में सबूत-पक्ष की ओर से गवाहों की गवाहियाँ हुईं।

अभियुक्त सुखदेवराज ने सबूत की ओर के गवाह शेख मोहम्मद रशीद मैजिस्ट्रेट से जिरह की, अभियुक्त ने अदालत से कहा कि—"मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि ऐसे भी मैजिस्ट्रेट हैं जो सरकार के हाथ के अस्त्र हैं और वे उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। उपस्थित गवाह वैसे ही मैजिस्ट्रेटों में एक हैं।" मैजिस्ट्रेट की गवाही दो मिनट में समाप्त हो गई थी परन्तु जिरह में आधा घण्टा से अधिक लग गया।

अदालत की कार्रवाई के प्रारम्भ होने पर पहले स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त सुखदेवराज को अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी। फ़ैसला इस प्रकार था :

अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्ज़ी पेश की है, जिसमें कहा है कि ट्रिब्यूनल के २० जुलाई के हुक्म के पालन करने के लिए



जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मेरी ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में जो उपाय ग्रहण किए हैं, वे ग़ैर-क़ानूनी हैं। अभियुक्त ने प्रार्थना की है कि या तो मुझे अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या जमानत पर छोड़ दिया जाय।

"हम लोगों ने अभियुक्त और सरकार दोनों ओर की बहस सुन ली है। हमारी राय में जेल-अधिकारियों की कार्रवाई जेल के किसी क़ानून के किसी नियम के विरुद्ध नहीं हैं। न्याय की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जेल-अधिकारियों ने जिस ढङ्ग से क़ानून का पालन किया है, वह शाब्दिक अधिक है। परन्तु २० जुलाई के हुक्म के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की हिरासत केवल क़ानून के शब्दों के अनुसार ग़ैर-क़ानूनी थी। वास्तव में परिस्थितियों के अनुसार उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इस वक़्त अभियुक्त की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, क्योंकि जेल में अब वह षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों से सप्ताह में क़रीब चार बार मिल सकता है।

## दो मुख्य बातें

"अभियुक्त की ओर से दो मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात यह है, कि अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने का अधिकार है। दूसरी बात यह है, कि अभियुक्त के रहने के स्थान पर प्रतिदिन कुछ साधारण क़ैदियों को साथ रहने के लिए ले जाने से क़ानून के अनुसार साथ रहने की पूर्ति नहीं होती। अभियुक्त का दावा है कि उसे चौबीस घण्टा स्वतन्त्र और अबाधित साथ रहने का अधिकार होना चाहिए।

"दूसरी बात से हम असहमत हैं। जेल-मैनुअल के ५७७



नियम के अनुसार यह स्पष्ट है, कि साधारणतया क़ैदी सूर्यास्त से सूर्योदय तक अपनी कोठरियों या बैरकों में बन्द रक्खे जाते हैं। इस वक़्त के बीच में एकान्त कोठरियों में रहने वाले क़ैदी सम्भावतः अकेले रहते हैं। अभियुक्त किसी भी विचाराधीन क़ैदी के साथ रहने के लिए दावा नहीं पेश कर सकता। ऐसा असम्भव होगा, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि तीन बैरकों में ५०० विचाराधीन क़ैदी हैं। हमारी राय में यह मानते हुए भी, कि साधारण विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहना क़ानून से उचित है, अभियुक्त के रहने के स्थान पर तीन-चार क़ैदियों को उसके साथ सूर्योदय से सन्ध्या तक रहने के लिए भेज देने का नियम ग़ैर-क़ानूनी नहीं है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त को अर्ज़ी में ३रे पैराग्राफ़ में लिखी बातों का सरकारी वकील ने ज़िक्र किया है, जिनको अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वे सुनी हुई बातें हैं और उन हुक्मों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया।

"अब हम अभियुक्त की पहली बात पर विचार करते हैं। प्रिज़न ऐक्ट की ६० दफ़ा के अनुसार बने हुए विशेष नियमों की दफ़ा दो के आधार पर अभियुक्त ने कहा है कि मेरी हैसियत 'ए' क्लास के क़ैदियों की है। हम इस बात को निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हैं, परन्तु बहस के लिए माने लेते हैं। अभियुक्त का कहना है कि मैं दूसरे क़ैदियों से अलग, परन्तु अपनी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रक्खा जाऊँ। इसका अर्थ यह है, कि अभियुक्त एकान्त कोठरी में अच्छी श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहना चाहता है। सेण्ट्रल जेल में अच्छी श्रेणी के क़ैदी केवल इस षड्यन्त्र केस के क़ैदी हैं। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त उनके साथ रहे।



"परन्तु जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट के उस हुक्म को बदल दिया है, जिसके अनुसार अभियुक्त को अन्य क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त मिल गई थी। जेलों के इन्स्पेक्टर-जेनरल ने हुक्म दिया है कि अभियुक्त सुखदेवराज उनसे अलग रक्खा जाय। अगर यह हुक्म ठीक है तो अभियुक्त के लिए जेल में अच्छी श्रेणी के क़ैदियों का प्रश्न ही नहीं रहता। ग़ैर-क़ानूनी हिरासत से बचाने के लिए अभियुक्त को साधारण विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाज़त रहनी चाहिए।

## इन्स्पेक्टर-जनरल का हुक्म

"हम नहीं समझते कि इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म का विरोध करना कहाँ तक क़ानून की दृष्टि से उचित हो सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है, कि ऐसे निश्चित कारण मौजूद हैं, जिनसे सन्देह होता है कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों के साथ रखने से जेल का विनयन भङ्ग होने की आशङ्का है। हमें इस बात से मतलब नहीं है, कि सरकार उन कारणों को या जहाँ से वे मालूम हुए हैं, उन ज़रियों को बतलाना नहीं चाहती। अभियुक्त-पक्ष की ओर से ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, जिससे सरकारी वकील के इस कथन में, कि इन्स्पेक्टर-जनरल ने जो कुछ किया है, वह क़ानून के अनुसार किया है, हम कोई सन्देह कर सकें। मैनुअल के ६८ नियम में "आवश्यक और उपयुक्त" शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों का तात्पर्य यह है कि जिस अधिकारी ने हुक्म निकाला हो उसकी दृष्टि में वह आवश्यक और उपयुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और दूसरा उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो सकता। हमारी राय में जेल-अधिकारी द्वारा निकाले गए हुक्म में



अदालत तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि यह न प्रमाणित कर दिया जाय, कि वह हुक्म अधिकारी ने मन की तरङ्ग में आकर निकाल दिया है या उस हुक्म को उसने अपनी सम्मति से नहीं निकाला। यह बात इस मामले में प्रमाणित नहीं की गई। हम समझते हैं कि सरकार ने जिन कारणों से अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खा है, उनको प्रकट करने के लिए जोर देने और उनके आधार पर यह निर्णय करने से कि अधिकारी के सामने हुक्म निकालने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद थीं या नहीं, कोई मतलब न सिद्ध होगा। वैसा करने का तात्पर्य यह होगा कि इस अदालत की सम्मति में उस हुक्म का निकालना आवश्यक नहीं था। परन्तु अधिकारी को अपनी सम्मति के अनुसार हुक्म निकालने का अधिकार है, अदालत की सम्मति के अनुसार नहीं। किसी भी अदालत को ऐसे हुक्म को केवल इस कारण से नामञ्ज़ूर कर देना चाहिए कि यदि उसे सरकार की ओर के कारण मालूम होते तो उसने उस हुक्म का निकालना उचित न समझा होता।

## क़ानूनन् उचित है

"इसलिए हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इन्स्पेक्टर-जनरल ने सरकार की ओर के कारणों के जाने बिना हुक्म निकाल दिया है या उन्होंने ६८ नियम के अनुसार हुक्म निकालना आवश्यक नहीं समझा। हम इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म को क़ानूनन् उचित समझते हैं। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में, जब कि यह नहीं प्रमाणित किया गया कि वह किस क़ानून के विरुद्ध है।



"इसलिए हमारा निर्णय है कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने हमारे २६ जुलाई के हुक्म को जिस तरह से पालन किया है, वह किसी प्रकार ग़ैर-क़ानूनी नहीं है और पहले क़ानून के शब्दों के अनुसार जो ग़ैर-कानूनीपन था, वह भी दूर कर दिया जा चुका है।

"निस्सन्देह अभियुक्त के अन्य अभियुक्तों के साथ रखने के लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वह साधारण विचाराधीन क़ैदियों के बैरक में रक्खा जा सकता है, परन्तु यह देखते हुए कि जो उपाय ग्रहण किया गया है उसमें कोई ग़ैर-क़ानूनीपन नहीं है, हमें कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है।

"जमानत के विषय में जोर नहीं दिया गया। हम जमानत के लिए कोई कारण नहीं देखते।

"इसलिए हम अर्ज़ी नामञ्जूर करते हैं।"

अर्ज़ी पर फ़ैसला सुना देने के बाद ट्रिब्यूनल ने सबूत के गवाहों की गवाहियाँ दर्ज करना प्रारम्भ किया।

सनातन-धर्म कॉलेज के प्रोफ़ेसर कैलाशनाथ की गवाही के बाद लाहौर के फ़र्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट मि० मोहम्मद रशीद ने कहा कि १६ मई, सन् १६३१ को एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने मुझे अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त की कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। लाहौर के कर्तारसिंह ने अभियुक्त की शनाख्त की थी और कहा था कि मैंने अभियुक्त को मुखबिर इन्द्रपाल के यहाँ आते हुए देखा था।

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि शनाख्त के लिए मुझे एडिशनल मैजिस्ट्रेट के पास से टेलीफ़ोन से खबर मिली थी या लिखा हुआ हुक्म मिला था। अगर टेलीफ़ोन से खबर मिला



होगी तो या तो मैं अदालत में रहा हूँगा या घर से लाहौर फ़ोर्ट चला गया हूँगा। शनाख्त की परेड के पहले मैंने अभियुक्त के पास शनाख्त के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं भेजी थी। मैं यह नहीं कह सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने ऐसी कोई सूचना भेजी थी या नहीं। मुझे यह मालूम नहीं कि अभियुक्त ने शनाख्त के समय अपने वकील की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की थी। अगर अभियुक्त ने ऐसी प्रार्थना की होती तो यह सम्भव नहीं है कि मैंने उसे नामञ्जूर कर दिया होता।

गवाह ने कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ अभियुक्त मिला दिया गया था वे बाद में लाए गए थे। मैंने उन व्यक्तियों और पुलीस के आदमियों के बीच बातचीत रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं कह नहीं सकता कि उन व्यक्तियों के भी अभियुक्त की तरह छोटी-छोटी मूँछें और दाढ़ियाँ थीं, या नहीं।

गवाह ने कहा कि लाहौर में उसी कमरे में मैंने पुलीस को अभियुक्त की हिरासत के लिए १५ दिन की मोहलत दी थी। गवाह ने कहा कि मुझे वह केस नहीं मालूम, जिसमें मैंने अभियुक्त को पुलीस की हिरासत में रखने के लिए मोहलत दी थी। अभियुक्त के यह बतलाने पर, कि वह केस ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३०७ और आर्म्स-ऐक्ट का था। गवाह को केस की याद आ गई। गवाह ने कहा कि एक सी० आई० डी० अफ़सर के साथ मैं अभियुक्त की कोठरी में मोहलत देने के लिए गया था।

१० अगस्त, १९३१: अभियुक्तों की ओर से मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि अभियुक्तों को जेल में अर्ज़ी लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए उन्हें अदालत में लिखने की इजाज़त दी जाय। अदालत ने इजाज़त दे दी।

अभियुक्तों ने अदालत से यह भी शिकायत की कि हम



लोग कोठरियों में बन्द कर दिए गए हैं और सफ़ाई देने की सम्पूर्ण सुविधाएँ हटा ली गई हैं।

इस पर ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को लिखा कि जहाँ तक संम्भव हो, अभियुक्तों को सफ़ाई की सुविधा देनी चाहिए।

इसके बाद अभियुक्तों ने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में शपथ-पत्र पेश किए। अर्ज़ी पहले ही दी जा चुकी थी। अदालत ने सरकारी वकील को सूचना देते हुए अर्ज़ी पर बहस करने के लिए ता० १५ अगस्त नियत की।

भागराम ने बीमार होने के कारण अपनी तरफ़ से पैरवी के लिए किसी को नियुक्त करने से इन्कार कर दिया और अपने लिए उपयुक्त रीति से औषधि के प्रबन्ध करने के लिए प्रार्थना की।

इसके बाद डॉक्टरी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का विरोध किया गया। अभियुक्त-पक्ष ने अदालत से कहा कि भागराम का एक पैर और एक हाथ लक़वे के कारण बेकाम हो गया है, ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि भागराम बीमार नहीं है। भागराम की डॉक्टरी-परीक्षा किसी दूसरी डॉक्टरी के विशेषज्ञ से कराई जाय।

निश्चय हुआ कि अभियुक्त की जाँच करने के लिए डॉ० निहालचन्द सीकरी नियुक्त किए जायँ।

इसके बाद सरकारी वकील से जाँच के लिए इजाज़त प्राप्त करने के लिए कहा गया। अभियुक्त भागराम की अनुपस्थिति में मामले की कार्रवाई प्रारम्भ न हो सकने के कारण ता० १५ अगस्त के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० १० अगस्त को सय्यद बशीर हैदर मैजिस्ट्रेट के सामने



दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त भागराम का मामला पेश हुआ। अनशन करने के अपराध में अभियुक्त भागराम के विरुद्ध सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर एस० डी० सोंधी ने प्रिज़न एक्ट की दफ़ा ५२ के अनुसार यह मामला चलाया है।

जबकि मैजिस्ट्रेट रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद और सी० आई० डी० के डी० एस० पी० सरदार प्रतापसिंह मेजर सोंधी से बातचीत करने में लगे हुए थे, उसी समय सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल, अमोलकराम कपूर और अमरनाथ मेहता भागराम से मुलाक़ात कर रहे थे। मामले की कार्रवाई डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट के कमरे में प्रारम्भ हुई।

प्रारम्भ में अभियुक्त-पक्ष ने क़ानून का हवाला देते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की आज्ञा के बिना जेल के अन्दर अदालत की कार्रवाई नहीं प्रारम्भ कर सकता।

सरकारी वकील ने कहा कि यह बात ठीक है, परन्तु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए कि इस प्रकार की कोई आज्ञा आई है या नहीं।

इसी समय मेजर सोंधी अदालत से चले गए और कुछ मिनटों के बाद वापस आ गए आपने मैजिस्ट्रेट से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने टेलीफ़ोन से आवश्यक इजाज़त दे दी है।

मि० अमोलकराम कपूर ने कहा कि मेजर सोंधी द्वारा लाई गई टेलीफ़ोन की ख़बर प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की उपयुक्त और क़ानूनी आज्ञा नहीं है।

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बिल्कुल काफ़ी है।

इस पर सफ़ाई के वकील ने एक अर्ज़ी पेश की, जिसमें इस प्रकार से प्राप्त प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की आज्ञा के औचित्य का विरोध किया गया और टेलीफ़ोन द्वारा उपरोक्त आज्ञा के सम्बन्ध



में मेजर सोंधी से शपथ लेकर गवाही देने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि मि० सोंधी से शपथ लेकर पूछा जाय कि अभियुक्त अदालत में हाज़िर होने लायक़ है या नहीं।



# कुछ फुटकर सामग्री

## इतिहास के विद्यार्थियों के लिए—

स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के पूज्य पिता ने स्पेशल ट्रिब्यूनल को इस आशय की एक अर्ज़ी दी थी, कि मेरा पुत्र सर्वथा निर्दोष है और सॉण्डर्स-हत्या काण्ड के समय वह कलकत्ते में था। उसके राजनैतिक विचार उग्र अवश्य हैं, पर इसके लिए उसे फाँसी पर लटका देना अङ्गरेज़ी जाति का एक ऐसा कलङ्क होगा, जिसे सारे समुद्रों का जल भी न धो सकेगा। अन्त में उन्होंने न्याय तथा सरदार भगत सिंह के जीवन-दान की भिक्षा माँगी थी जो स्वर्गीय सरदार भगत सिंह-जैसे आत्माभिमानी नवयुवक के लिए एक असह्य-अपमान था अतएव पुत्र के प्यार तथा पिता के ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करते हुए सरदार भगत सिंह ने जैसा तीखा पत्र अपने पिता को लिखा था, उसका जवाब वह स्वयं है। नवयुवकों के लाभार्थ वह ऐतिहासिक पत्र यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किया जा रहा है। इस सिलसिले में शायद यह न बतलाना होगा, कि प्रस्तुत पत्र स्पेशल ट्रिब्यूनल के फ़ैसले तथा फाँसी की सज़ा मिलने के पूर्व लिखा गया था :

### पिता के नाम सरदार का पत्र

"मैं यह जान कर आश्चर्य-चकित हो गया, कि आपने



स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों के पास मेरे बचाव के सम्बन्ध में एक अर्ज़ी भेजी है। यह समाचार मेरे लिए एक ऐसी असह्य-चोट के समान है, जिसे मैं शान्तिपूर्वक सहन नहीं कर सकता। इसने मेरे मस्तिष्क की समस्त शान्ति को भङ्ग कर दिया है। मैं यह समझ सकने में असमर्थ हूँ कि आपने इस अवसर पर और इस परिस्थिति में इस प्रकार की अर्ज़ी पेश करना किस तरह उचित समझा। एक पिता की हैसियत से मेरे प्रति आपके जो भाव और ममता होगी, उसका ध्यान रखते हुए भी, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे सलाह लिए बिना ही इस प्रकार का कोई कार्य करने का क्या अधिकार था? आप जानते हैं कि राजनीतिक मामलों में मेरे विचार सदैव आपसे भिन्न रहे हैं, और मैंने इस बात का विचार छोड़ कर, कि आप मेरे कामों को पसन्द करते हैं या नापसन्द, सदैव स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य किया है।

"सम्भवतः आपको स्मरण होगा, कि इस अभियोग के आरम्भ से ही आप मुझे यह समझाने की चेष्टा करते रहे थे कि मुझे यह मुक़दमा गम्भीरतापूर्वक लड़ना चाहिए और अपना अच्छी तरह से बचाव करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि मैंने आपकी बात का सदैव विरोध किया था। मुझे अपने बचाव करने की इच्छा नहीं थी और न मैंने कभी इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार किया, फिर चाहे मेरा यह काम भ्रान्तिपूर्ण आदर्शवाद समझा जाय और चाहे मेरे पास इसको उचित सिद्ध करने के लिए युक्तियाँ हों; यह प्रश्न सर्वथा पृथक् है और इसे यहाँ उठाना अनावश्यक है।

## कर्तव्य-पालन

"आप जानते हैं कि इस अभियोग में हम एक निश्चित



नीति का पालन कर रहे हैं। मेरा हर एक काम उस नीति, मेरे सिद्धान्त और प्रोग्राम के अनुकूल होना चाहिए। वर्तमान समय में तो समस्त परिस्थिति ही भिन्न थी, पर यदि परिस्थिति अन्य प्रकार की भी होती, तो भी मैं अपना बचाव कदापि न करता। इस समस्त अभियोग-काल में मेरे सामने सिर्फ़ एक विचार रहा है, और वह यह कि अपने ऊपर गम्भीर आरोपों के होते हुए भी इस मुक़द्दमे की तरफ़ मुझे पूर्णतया उपेक्षा का भाव दिखलाना चाहिए। मेरी सदा से यही सम्मति रही है कि तमाम राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को अदालतों की क़ानूनी कार्रवाई की तरफ़ सदैव उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, कभी उनके विषय में चिन्तित न होना चाहिए, और उनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाय उसको वीरतापूर्वक सहना चाहिए। वे अपना बचाव कर भी सकते हैं, पर केवल राजनीतिक कारणों से ऐसा करना उचित है, व्यक्तिगत कारणों से नहीं। इस अभियोग में हमारी नीति सदैव इस सिद्धान्त के अनुकूल रही है। हम इस कार्य में सफल हुए या नहीं, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। हम सदैव निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे हैं।

"वॉयसरॉय ने 'लाहौर कॉन्सपिरेसी केस ऑर्डिनेन्स' के साथ जो बयान प्रकट किया था, उसमें कहा गया है, कि हम क़ानून और न्याय दोनों को बेइज़्ज़त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति ने हमको एक ऐसा अवसर प्रदान किया है, जिससे हम जनता को दिखला सकते हैं, कि क़ानून की बेइज़्ज़ती हम कर रहे हैं या दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं? इस विषय में लोग हमसे असहमत हो सकते हैं और सम्भव है कि आप भी उन्हीं में से एक हों। पर इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि आप बिना मुझसे परामर्श किए, इतना ही नहीं, वरन्


मुझे किसी प्रकार की इत्तला भी न देकर, ऐसा कोई काम कर सकें। मेरा जीवन कम से कम मेरे लिए इतना अधिक मूल्यवान नहीं है, जैसा कि सम्भवतः आप उसे समझते हों। वह इस लायक़ तो कभी भी नहीं है कि मैं उसे अपने सिद्धान्तों को बेच कर ख़रीदूँ। मेरे और भी कितने ही साथी ऐसे हैं, जिनका अभियोग मेरे बराबर ही सङ्गीन है। हमने एक ही नीति का अवलम्बन करना निश्चित किया है और अब तक उसी पर जमे हुए हैं, और अन्त तक उसी प्रकार जमे रहेंगे, फिर चाहे हमको व्यक्तिगत रूप से इसके लिए कितना भी अधिक मूल्य क्यों न चुकाना पड़े।

"पिता जी, मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ। मुझे भय है, कि मैं सभ्यता के साधारण नियमों का भी उल्लङ्घन कर रहा हूँ और मेरी माया आपके इस कार्य की आलोचना करते हुए कुछ अधिक कठोर हो गई है। मैं साफ़ करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो किसी ने पीछे से छुरी मार दी हो। अगर किसी और व्यक्ति ने ऐसा काम किया होता तो मैं इसे घोर विश्वासघात से कम नहीं समझता। पर आपके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि यह आपकी कमज़ोरी है—सबसे ख़राब कमज़ोरी।

"यह ऐसा समय है जब कि मनुष्य—हर एक मनुष्य—की असलियत की परीक्षा होती है। पर पिता जी, मैं स्पष्ट कहूँगा कि आप इसमें अनुत्तीर्ण हुए। मैं जानता हूँ कि आप वास्तव में एक सच्चे देशभक्त हैं। मैं जानता हूँ कि आपने अपने जीवन को भारत की स्वाधीनता के लिए अर्पित कर दिया है। पर आपने इस अवसर पर कमज़ोरी क्यों दिखलाई, मैं इसे समझ सकने में असमर्थ हूँ।

अन्त में मैं आपको, अपने दूसरे दोस्तों को और उन तमाम



लोगों को, जो इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं, बतला देना चाहता हूँ कि मैंने आपके कार्य को स्वीकृत नहीं किया है! मैं अभी तक किसी तरह का बचाव पेश करने के पक्ष में बिलकुल नहीं हूँ। अगर अदालत ने उस अर्जी को मञ्जूर भी कर लिया होता, जो मेरे कुछ साथी अभियुक्तों ने बचाव पेश करने आदि के सम्बन्ध में दी थी तो भी मैं अपनी तरफ़ से किसी तरह का बचाव नहीं करता। मैंने अपने अनशन के समय मुलाक़ात के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल को जो अर्जी दी उसका यह मतलब ग़लत समझ लिया गया था, कि मैं अपना बचाव पेश करना चाहता हूँ। पर वास्तव में मैं कभी किसी प्रकार का बचाव पेश करना नहीं चाहता था। मैं अब भी पूर्ववत् उसी विचार पर दृढ़ हूँ। मेरे दोस्त जो बोर्स्टल जेल में बन्द हैं, आपकी इस अर्जी से समझ रहे होंगे कि मैंने उनके साथ विश्वासघात किया। मुझे इसका अवसर भी नहीं मिलेगा कि मैं उनके सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकूँ।

"मेरी आकांक्षा है कि जनता इस पेचीदा मामले की सब बातों से परिचित हो जाय और इसलिए मैं अपने इस पत्र को प्रकाशित करने की प्रार्थना करता हूँ।"

## अधिकारियों की हृदयहीनता

स्वर्गीय श्री० सुखदेव के चचा लाला चिन्तराम थापड़ ने पञ्जाब-सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी के पास निम्न-लिखित प्रार्थना-पत्र भेजा था :

"मैं सुखदेव से लाहौर सेण्ट्रल जेल में २री मार्च को मिला था। उसने मुझसे कहा था, कि मैंने अपनी माता के पास हिन्दी में एक चिट्ठी लिखी है, जो डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब के पास



है। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा, कि बातचीत समाप्त कर, जब आप जाने लगेंगे, तो वह चिट्ठी मैं आपको दे दूँगा।

"बातचीत समाप्त कर जब मैंने उनसे चिट्ठी माँगी, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि चिट्ठी में कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे वह रोकी जा सके, तो भी हैं सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब को दिखा कर दे दूँगा; आप दूसरे दिन किसी आदमी को भेज दीजिएगा। दूसरे दिन मैंने अपने पुत्र मथरादास को चिट्ठी के लिए भेजा। उससे कहा गया कि चिट्ठी अभी सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब को नहीं दिखलाई गई है। सुखदेव की वह चिट्ठी प्राप्त करने में इस प्रकार असफल हो मैं लाहौर से लायलपूर चला आया। कुछ दिनों के बाद जेल के अधिकारियों ने मुझे सूचना दी कि २३वीं मार्च तक सुखदेव से मैं मिल सकता हूँ। यह सूचना पाकर मैं २३वीं मार्च को सेण्ट्रल जेल में गया, और डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट से सुखदेव की चिट्ठी लौटा देने के लिए फिर कहा। उन्होंने कहा कि क़ैदी से मिलने की बात पहले तय हो जानी चाहिए, उसके बाद चिट्ठी लौटा दी जायगी। किन्तु सुखदेव से अन्तिम बार भेंट करने में भी इतनी बाधाएँ उपस्थित की गईं कि मुझे तथा सुखदेव के अन्य सम्बन्धियों को, बिना उससे भेंट किए ही लौट आना पड़ा। २४वीं मार्च को डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट से मैं फिर मिला और मैंने एक टाईप की हुई चिट्ठी उन्हें दी, जिसमें सुखदेव की किताबें तथा उसकी चिट्ठी माँगी गई थी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ कर कहा कि चिट्ठी तथा किताबें बहुत शीघ्र लायलपूर के पते से लौटा दी जायँगी।

"डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के यहाँ से मैं सीधे जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के बङ्गले पर गया, और सुखदेव की चिट्ठी तथा किताबें लौटा दी जाने के सम्बन्ध में उनसे प्रार्थना की, सुखदेव की माता



इस चिट्ठी के लिए बड़ी उत्सुक थीं। सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब ने मुझे विश्वास दिलाया, कि ये चीजें बहुत जल्द लायलपुर भेज दी जायँगी। ३१वीं मार्च तक प्रतीक्षा करता रहा; किन्तु जेल के अधिकारियों ने मुझे कोई सूचना नहीं दी। १ली अप्रैल को मैंने जेल के अधिकारियों के पास इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा और होम सेक्रेटरी के पास भी मैंने एक लम्बी चिट्ठी लिखी।

"इतनी कोशिश-पैरवी के बाद २१वीं अप्रैल को मुझे यह रूखा जवाब मिला कि सुखदेव ने कोई चिट्ठी लिख कर नहीं दी है। इस उत्तर से मानो मेरे पैर के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। मैं बहुत ही क्षुब्ध हुआ। फाँसी के दिन सरदार भगतसिंह, श्री० सुखदेव और श्री० राजगुरु ने जो चिट्ठियाँ लिखी थीं, उनके सम्बन्ध में भी आपका ध्यान आकर्षित करना अनुचित नहीं होगा।

"इन चिट्ठियों के सम्बन्ध में मुझे एक उच्च कर्मचारी के सम्बन्धी से पता चला है। मैं अपनी बातों के प्रमाण में काग़ज़ात पेश कर सकता हूँ। मैंने २६वीं मार्च को होम सेक्रेटरी के पास इन चिट्ठियों के सम्बन्ध में लिखा था, किन्तु उन्होंने यह रूखा जवाब दिया था, कि क़ैदियों ने कोई पत्र नहीं लिखा था।

"मैं प्रार्थना करता हूँ, कि इस मामले की जाँच की जाय और उसका जो नतीजा निकले उसकी सूचना मुझे दी जाय।"

## फाँसी किन शर्तों पर स्थगित हुई ?

फाँसी स्थगित करने के सम्बन्ध में मेहता अमरनाथ ने पञ्जाब गवर्नमेण्ट के नाम जो चिट्ठी भेजी थी; गवर्नमेण्ट ने उसका निम्न उत्तर देने की कृपा की :

महाशय जी,

गवर्नर-इन-कौन्सिल की आज्ञानुसार मैं आपको १६वीं



अक्टूबर, सन् १९३० के भेजे हुए पत्र की स्वीकृति भेजता हूँ और उत्तर में यह इत्तला देना चाहता हूँ कि किशनसिंह के लड़के भगतसिंह, हरिराज गुरु के लड़के शिवराम राजगुरु और रामलाल के लड़के सुखदेव की फाँसी स्थगित करने के ऑर्डर पास हो गए हैं।

आपको ६ नवम्बर, १९३० तक इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि आपने आवश्यक क़ाग़ज़ात, जिनमें छपी हुई काग़ज़ों की पुस्तक की दो प्रतियाँ और ट्रिब्यूनल के फ़ैसले की एक सर्टिफ़ाइड कॉपी सम्मिलित हैं—लन्दन के किसी सॉलिसिटर के स्वीकृत फ़र्म को प्रिवी-कौन्सिल की जुडीशियल कमेटी से अपील की आज्ञा लेने के लिए भेज दी है। गवर्नमेण्ट को सॉलिसिटर का नाम और पता भेजना अत्यन्तावश्यक है और यह ध्यान में रक्खा जाय कि बैरिस्टर के पास क़ाग़ज़ात सीधे नहीं भेजे जा सकते; वे सॉलिसिटर के फ़र्म को ही भेजे जाने चाहिएँ।

मैं आपको यह भी इत्तला करता हूँ कि आपको इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि लन्दन में सॉलिसिटरों को ५० गिन्नियों (५२ पौण्ड १० शिलिङ्ग, या भारतीय सिक्के में क़रीब ८०० रुपए) अपील के लिए भेज दिए गए हैं; क्योंकि यह प्रायः निश्चित हो गया है कि जब प्रिवी कौन्सिल में अपील दायर करने के लिए केवल एक कौन्सिल नियुक्त किया जाता है, तब कम से कम इतना ही ख़र्च होता है। सबूत में या तो तार के मनीऑर्डर की रसीद और या बैङ्क के ड्राफ़्ट की दूसरी प्रति या इसी प्रकार का दूसरा सबूत पेश करना चाहिए, जिससे इस बात का पता लग जावे कि रुपया भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि जब मामला आगे बढ़ेगा तब ३० से ५०



गिन्नियाँ (या ५०० रुपया तक) के खर्चे की और भी आवश्यकता पड़ेगी।

यदि पहिले पैराग्राफ़ में उल्लिखित तारीख तक इस प्रकार का सबूत पेश न किया जायगा तो ७वीं नवम्बर, १६३० को अपराधियों की फाँसी का आॅर्डर निकाल दिया जायगा।

## सरदार भगतसिंह की अपील नामञ्जूर

लन्दन का ११वीं फ़रवरी का समाचार है, कि लाहौर षड्यन्त्र-केस ट्रिब्यूनल द्वारा सन् १९३० की ७वीं अक्टूबर को किए गए १२ अभियुक्तों के फ़ैसले के विरुद्ध प्रिवी कौन्सिल में जो अपील की गई थी, वह रद्द कर दी गई। अपील में यह कारण दिखाया गया था, कि ट्रिब्यूनल का निर्माण तथा उसकी कार्यवाई 'गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट' की ७२वीं धारा के विरुद्ध थी। उसमें यह भी बतलाया गया था कि इस मामले में ऐसी कोई विशेषता न थी, जिसके कारण ऑर्डिनेन्स लगाने की आवश्यकता प्रतीत हो और इसलिए इस मामले में ऑर्डिनेन्स लगाना गवर्नर-जनरल के अधिकार के बाहर था। दरख्वास्त के सम्बन्ध में मि० के० सी० प्रिट का वक्तव्य समाप्त होने पर सरकारी वकील को बिना बुलाए ही प्रिवी कौन्सिल ने अपील रद्द कर दी। अपील का पूरा फ़ैसला भी उस समय नहीं सुनाया गया। इस मामले के १२ अभियुक्तों में से सर्दार भगतसिंह, श्री० सुखदेव, और श्री० राजगुरु को फाँसी को सज़ा, श्री० किशोरी लाल, महावीरसिंह, विजय कुमार सिनहा, शिव वर्मा, गयाप्रसाद जयदेव और कमलनाथ तिवारी को आजन्म कालेपानी की सज़ा और कुन्दनलाल तथा प्रेमदत्त को क्रमशः सात और पाँच वर्ष की सख्त कैद की सज़ा दी गई थी।



## महामना मालवीय जी का वॉयसरॉय को तार

१४वीं फ़रवरी को इलाहाबाद से पण्डित मदनमोहन मालवीय ने वॉयसरॉय को एक तार भेजा था, जिसमें उन्होंने सरदार भगतसिंह और श्री० राजगुरु की फाँसी की सज़ाएँ रद्द करने की अपील की थी।

## श्री० सेन गुप्ता का वक्तव्य

इलाहाबाद में १४वीं फ़रवरी को श्री० जे० एम० सेन गुप्त ने एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि से मुलाक़ात में कहा है, कि चाहे महात्मा गाँधी और लॉर्ड इर्विन में सन्धि हो या न हो; परन्तु जब कभी काँङ्ग्रेस और गवर्नमेण्ट में सन्धि की आयोजना होगी तभी पञ्जाब और बङ्गाल के क्रान्तिकारियों की फाँसी से उसमें भयङ्कर बाधा आएगी। और यद्यपि कॉङ्गरेस उनके हिन्सात्मक सिद्धान्तों से सहमत नहीं है, तो भी सन्धि के योग्य शान्त वातावरण बनाने के लिए उनकी फाँसी की सज़ा रद्द कर देना अतीव आवश्यक है।

## अमृतसर के १०,००० नागरिकों की प्रार्थना

अमृतसर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 'भगतसिंह अपील कमिटी' के सेक्रेटरी ने पत्रों को सूचित किया है कि वहाँ के १०,००० नागरिकों ने उस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वॉयसरॉय से सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और श्री० सुखदेव की फाँसी की सज़ा रद्द करने की प्रार्थना की गई है। सेक्रेटरी ने यह भी सूचित किया है, कि इस सम्बन्ध में वॉयसरॉय और राष्ट्रपति पंडित जवाहर लाल को यहाँ की बहुत सी संस्थाओं ने ७० से भी अधिक तार भेजे हैं।



## ६ घण्टे में १५,००० व्यक्तियों के दस्तखत

दिल्ली का १५वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ के १५,००० व्यक्तियों ने वॉयसरॉय से सरदार भगतसिंह, श्री० सुखदेव, श्री० राजगुरु की फाँसी की सजा रद्द कर देने की प्रार्थना की है। इतने व्यक्तियों के दस्तखत प्रार्थना-पत्र पर केवल छः घण्टों में लिए गए थे। दस्तखत करने वालों में असेम्बली के मेम्बर, वकील, बैरिस्टर, म्युनिसिपैलिटी के सदस्य, विद्यार्थी और अन्य सभी श्रेणियों के लोग सम्मिलित हैं। मि० चमनलाल स्वयं प्रार्थना-पत्र वॉयसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी को देंगे। मालूम हुआ है कि १५,००० और व्यक्ति उस पर दस्तखत करेंगे। मङ्गलवार को दिल्ली के नागरिकों की एक सभा हुई थी, जिसमें असेम्बली के कई सदस्यों ने इस बात की घोषणा की कि वे सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और सुखदेव की फाँसी की सजा रद्द करने पर असेम्बली में विशेष जोर देंगे।

## एसेम्बली में सर जेम्स का ऊटपटाङ्ग उत्तर

नई देहली का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि आज श्री० भगतराम पुरी ने प्रिवी कौन्सिल से सरदार भगतसिंह की अपील रद्द किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो सर जेम्स क्रेरर सरकारी मेम्बर ने उत्तर दिया, कि ५वीं फ़रवरी को सर जॉर्ज रेनी ने सरकार की नीति की व्याख्या कर दी है। ( पाठकों को स्मरण होगा, सर जॉर्ज रेनी ने ५वीं फ़रवरी को एसेम्बली में वक्तृता देते हुए कहा था, कि सरकार हिंसात्मक क्रान्ति के अभियुक्तों के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है ) सरकार को यदि कोई दया के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया तो उस पर विचार किया जाएगा।



श्री० कबीरुद्दीन अहमद—क्या सरकार वकीलों की उस राय का ध्यान रख कर, जिसमें यह कहा गया है, कि फाँसी के हुक्म पर केवल निर्णय करने वाले ट्रिब्यूनल को ही हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रर्याप्त था, फाँसी रोकेगा ?

कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री० कबीरुद्दीन अहमद—क्या सरकार अपने हित का ध्यान रखते हुए फाँसी की सज़ा रोकेगी, क्योंकि अन्यथा इस काण्ड का ज़िम्मा सरकार पर रहेगा, और क्या सरकार लॉ-मेम्बर तथा दूसरे क़ानूनज्ञों से इस विषय में सलाह लेगी ?

सर जेम्स क्रेरर ने कहा कि मैंने जो उत्तर दिया है वही पर्याप्त है।

श्री० गयाप्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताएगी, कि फाँसी किस तारीख़ को दी जायगी ?

सर क्रेरर—मैं कुछ भी और बताने में असमर्थ हूँ।

श्री० जी० पी० सिंह—क्या अगिनत प्रार्थना-पत्रों का ध्यान रखते हुए सरकार फाँसी की सज़ा रोकेगी ?

सर जेम्स क्रेरर—मुझे दुःख है कि मैं कुछ भी और कहने में असमर्थ हूँ।

## काले 'बैज' लगाकर अदालत में प्रवेश

लाहौर में ११वीं फ़रवरी को जब नए लाहौर षड्यन्त्र-केस की कार्यवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख पुनः प्रारम्भ हुई। उस दिन केस के सभी अभियुक्त पण्डित मोतीलाल की मृत्यु के शोक में अपनी बाँहों पर शोक-सूचक काला कपड़ा बाँध कर अदालत गए थे।

मुख़बिर इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, कि



चन्द्रशेखर ने मुझसे हंसराज उर्फ़ 'वायरलेस' से जाकर यह कहने को कहा, कि निश्चित षड्यन्त्र की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद वे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' के नाम से इश्तहार न निकाला करें, वरन् पञ्जाब के दूसरे षड्यन्त्रकारी दल के नाम से निकाला करें। श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद ने मुझसे हंसराज से उन सब सदस्यों के नाम भी बतला देने के लिए कहा, जो मेरे नीचे कार्य कर रहे थे; क्योंकि हंसराज पञ्जाब के दल का सञ्चालक था। सरनदास मुखबिर और प्रेमनाथ मेरे नीचे कार्य करते थे। मैं इसके बाद बैठक में आया और मैंने गुलाबसिंह और अन्य अभियुक्तों को बहावलपुर रोड पर एक घर में बम फटने का समाचार दिया। मैं बहावलपुर रोड के घर पर गया और वहाँ देखा कि पुलिस तहक़ीकात कर रही थी। मैंने पुलिस के वहाँ पहुँचने की सूचना चन्द्रशेखर और यशपाल को दी।

## "आतिशी चक्कर"

१ली जून को यशपाल 'दीदी' नाम की स्त्री के साथ मेरे घर आया और २री जून को चला गया। पुलिस की तहक़ीकात के समय मुझे मालूम हुआ, कि उसका नाम सुशीला है।

३री जून को जब मैं बैठक में गया, तब मैंने हंसराज, अमीरचन्द और रूपचन्द को वहाँ बैठा हुआ पाया। मैं हंसराज और आज़ाद को एक कोने में ले गया और वहाँ मैंने उससे चन्द्रशेखर का सन्देश कह सुनाया। सलाह हो जाने के पश्चात् उन्होंने पार्टी का नाम "आतिशी चक्कर" रक्खा। हंसराज ने मुझसे कहा कि 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' ने बड़े मार्के के कार्य किए हैं—उदाहरणार्थ वॉयसरॉय की गाड़ी


पर बम फेंकना। परन्तु उसका पुलिस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके दमन का बाज़ार गर्म है और वह अपनी जेलें खचाखच भरती जाती है। हंसराज ने यह भी कहा, कि मैं बम बना कर भिन्न-भिन्न शहरों के मकानों में रक्खूँगा। एक-एक घर में दो-दो बम रक्खे जायँगे। पहिले एक बम फोड़ा जायगा और जब पुलिस तहक़ीकात के समय दूसरे बम में हाथ लगाएगी तब वह उसी समय फट जायगा और उससे पुलिस-ऑफ़िसर घायल होंगे। उसने कहा कि बम बहुत खतरनाक न रहेंगे; परन्तु हाँ, उनसे मृत्यु हो जाने की सम्भावना अवश्य है। उन बमों में अधिक खतरनाक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जायगा।

## पार्टी का समाचार-पत्र

हंसराज ने यह भी कहा, कि दल की ओर से 'बग़ावत' नाम का एक पत्र प्रकाशित किया जायगा और उसे छापने के लिए एक प्रेस खोला जायगा। उसने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा है, जिसे यदि इस बात का पता चल जाय कि षड्यन्त्रकारी दल में हंसराज भी सम्मिलित है, तो वह हर प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हो जायगा। परन्तु हंसराज ने मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं बतलाया। पुलिस ऑफ़िसरों को घायल करने के लिए बम छोटे-छोटे सन्दूकों में रक्खे गए थे, जो सन्दूक छूते ही फूट जाने वाले थे। हंसराज ने सन्दूकें बनाने का भार लिया था और मैंने पाउडर पीसने का। इसके उपरान्त हंसराज चला गया और मैंने उसके घर जाकर वह मज़मून तैयार किया, जो काग़ज़ में लिख कर बम के साथ सन्दूक में रक्खा जाने वाला था। मुखबिर ने वह मज़मून अदालत में पढ़ा और उसने कहा कि मैंने वह हंसराज को



दिखा दिया था और उसने उसे मञ्जूर भी कर लिया था। हंसराज ने यह भी कहा कि मैं वह मज़मून दल के दूसरे लोगों को भी दिखाऊँगा।

## मन्दिर की यात्रा

मुखबिर ने कहा, कि ५वीं जून को हंसराज और मैं मुखबिर खैरातीलाल से मिलने शहदरा गए। वहाँ उसने कहा कि यदि हंसराज इस बात का विश्वास दिलावे कि वह षड्यन्त्रकारी दल में है तो मैं आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार हूँ। खैराती-लाल को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए हंसराज और मैं सत्यनारायण के मन्दिर में कुछ खाली बम ले गए और वहाँ उन्हें दिखा कर खैरातीलाल को विश्वास दिलाया। मुखबिर खैरातीलाल ने रुपया देने का वचन दिया। हंसराज शहदरा में रह गया और मैं खाली बम लेकर वापस चला आया। इसके बाद मैं जहाँगीरीलाल के घर एक ट्रङ्क में बम रखने गया। वहाँ से मैं उसकी बैठक में गया।

६ठी जून को जब मैं 'शेर खालसा' के ऑफिस में कार्य कर रहा था, तब रूपचन्द मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि कृष्णगोपाल ( अभियुक्त ) आ गया है। मैंने देखा कि कृष्णगोपाल के साथ सरनदास ( मुखबिर ) भी आया है। मैं उन्हें अपनी बैठक में ले गया और वहाँ सरनदास ने अकेले में ले जाकर मुझसे कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बम तैयार कर सकता हूँ, परन्तु तुम्हें नमूने के लिए कुछ बमों के खोल देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं सञ्चालक से पूछ कर जवाब दूँगा। मैंने हंसराज से सब वृत्तान्त कह सुनाया और उसने मुझे सरनदास को एक बम-शैल देने की आज्ञा दी।



उनकी आज्ञानुसार मैंने सरनदास को एक बम की खोल देकर बिदा किया ; परन्तु कृष्णगोपाल नहीं गया।

७वीं जून को मैं बड़े सवेरे बैठक में गया। हंसराज यहाँ मौजूद थे। हम दोनों ने बम का प्रयोग करने का इरादा किया। हम दोनों बैठक से एक घी के कनस्टर में बम लेकर रावी के किनारे गए। वहाँ हमने बम एक झाड़ी के नोचे रख दिया और उसके साथ एक तार जोड़ कर हमने बैटरी द्वारा उसमें बिजली का करण्ट पहुँचाया, जिससे बम तुरन्त फूट पड़ा। इस प्रकार बम के उस प्रयोग में हम लोग सफल रहे।

सरनदास ने हमसे कहा कि रावलपिण्डी में बम फट जाने से हम वहाँ बम नहीं बना सके। जब मैंने उससे बम के खोल वापस माँगे, तब उसने कहा कि मुझे इस बात का सन्देह था कि खुफ़िया पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं लाया। वह रात्रि सरनदास ने मेरी ही बैठक में गुज़ारी। दूसरे दिन सबेरे वह हंसराज के पास गया। इसके बाद मामला दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

## सरदार भगतसिंह से सहानुभूति-प्रदर्शन

१२वीं फ़रवरी को, जब लाहौर का नया षड्यन्त्र-केस फिर आरम्भ हुआ, तब अभियुक्तों ने अदालत से कहा कि प्रिवी-कौन्सिल से सरदार भगतसिंह की अपील रद्द होने के समाचार सुन कर उनका हृदय बिल्कुल विचलित हो गया है और ऐसी परिस्थिति में, न तो वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और न अदालत में बैठ ही सकते हैं। इसलिए अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए। किन्तु कोर्ट के ऐसा करने से इनकार करने पर सारे "अभियुक्त" अदालत की ओर पीठ फेर



कर खड़े हो गए और उन्होंने कार्यवाही में किसी भी प्रकार का भाग लेने से इनकार कर दिया। अतएव अदालत को बाध्य होकर डेढ़ घण्टे के लिए कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी।

## बम्बई षड्यन्त्र-केस

### लापता अभियुक्त श्रीमती दुर्गादेवी की खोज

१२वीं फ़रवरी को बम्बई षड्यन्त्र-केस में कार्यवाही फिर आरम्भ हुई और उस दिन लेमिङ्गटन रोड पुलिस-स्टेशन के सब-इन्स्पेक्टर गावदे की गवाही ली गई। उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि १४वीं अक्टूबर को इन्स्पेक्टर लॉयन्स ने मुझे कुछ टिकटों के नम्बर दिए और मुझसे कहा कि लेमिङ्गटन रोड गोली-काण्ड के कुछ लापता अभियुक्त कल्याण से चालीसगाँव गए हैं। बाद में उन्होंने मुझे चालीसगाँव जाकर अभियुक्तों का पता लगाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञानुसार मैं चालीसगाँव गया, परन्तु वहाँ पहुँचने पर मुझे मालूम हुआ कि अभियुक्त कानपुर की ओर गए हैं। मैं भी उनके पीछे कानपुर गया। वहाँ मुझे लाहौर की खुफ़िया पुलिस से यह मालूम हुआ, कि श्री० भगवतीचरण की स्त्री श्रीमती दुर्गादेवी की हुलिया 'शारदा' से मिलती-जुलती है। वहाँ मुझे अजयकुमार घोष और विजय-कुमार सिंह के नाम भी मालूम हुए, परन्तु दुर्गादेवी का कुछ पता न लग सका। २०वीं अक्टूबर को मैं बम्बई लौट आया, और २७वीं को फ़ोटो लेकर लाहौर गया। वहाँ से मैं कानपुर और दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने दिल्ली बम-केस के अभियुक्त कैलाशपति को फ़ोटो दिखाए। उसने बुद्धिमान के फ़ोटो को श्री० सुखदेवराज का फ़ोटो बतलाया। शारदा और हरि के सम्बन्ध में, कैलाशपति ने कहा कि मरते समय श्री० भगवतीचरण ने



उन्हें श्री० विश्वनाथ राव वैशम्पायन के सुपुर्द कर दिया था। गवाह ने कहा कि कैलाशपति ने मुझे यह भी कहा था, कि श्रीमती दुर्गादेवी और हरि उसके साथ दिल्ली की हिमालयन टॉयलेट फ़ैक्टरी, में ठहरे थे। उसने यह भी कहा, कि १०वीं अगस्त को वे उसके पास से चले गए थे। मुझे दिल्ली को ख़ुफ़िया से यह भी मालूम हुआ था, कि श्रीमती दुर्गादेवी और श्री० भगवतीचरण लाहौर के नए षड्यन्त्र-केस के अभियुक्त हैं। मैंने श्री कैलाशपति को लाहौर की ख़ुफ़िया पुलिस का वह पत्र दिखाया जिसके अक्षर उससे मिलते-जुलते थे, जो पुलिस को तलाशी लेते समय विद्या विला ( शान्ता कुञ्ज ) में प्राप्त हुआ था। मैं शीघ्र बम्बई लौटा आया और वहाँ मैंने कैलाशपति के वक्तव्य के अनुसार उन कपड़ों की जाँच की, जो पुलिस ने विद्या बिला ( शान्ता कुञ्ज ) की तलाशी लेते समय ज़ब्त किए थे। जाँच करने पर कपड़ों में दो पत्र मिले थे। कपड़े कैलाशपति की शनाख़्त के लिए दिल्ली भेज दिए गए थे। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

## वैलाएट और भगतसिंह

भगतसिंह के मामले में प्रिवी कौन्सिल के दृश्य का पटाक्षेप जिस शीघ्रता से हुआ है, वह आश्चर्यजनक है। यह कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कि पहले-पहल षड्यन्त्र-केस ऑर्डिनेन्स के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले स्वर्गीय पं० मोतीलाल जी नेहरू थे। वह प्रिवी कौन्सिल की अपील में पूरा योग दे रहे थे। और यह भी कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कि उनकी यह प्रबल इच्छा थी, कि सरकार से समझौता करते समय इन तीनों नवयुवकों का जीवन बचाने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया जाय। जब पण्डित जी



ने मसूरी में लाहौर से टेलिफ़ोन द्वारा यह समाचार सुना, कि ट्रिब्यूनल ने तीन अभियुक्तों को फाँसी-दण्ड दिया है। तो इन्होंने इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया कि सरकार से प्रिवी-कौन्सिल में अपील करने के लिए अवधि ली जाय। उस समय, जब कि सारा देश उनके स्वास्थ्य के लिए चिन्तित था, वे ट्रिब्यूनल के इस निर्णय पर इतनी अधीरता प्रकट कर रहे थे।

सुना जाता है, फाँसी १८वीं फ़रवरी को लगेगी। "भगतसिंह" आज हमारे कोष का एक नया शब्द है, किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं। राजनैतिक वक्तृताओं और सभाओं में लोग इस शब्द का उच्चारण करते हैं। कोई उसकी तारीफ़ करता है तो कोई उसे कोसता है। थोड़े ही दिन की बात है, सर हैनरी क्रेक ने कौन्सिल-चेम्बर में बार-बार भगतसिंह का नाम अपने भाषण में रटा था। हम समझते हैं, कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर हैनरी क्रेक का यह कथन ठीक था, कि भारतवर्ष ने हिंसात्मक साधन पश्चिम से सीखे हैं।

जी हाँ, निश्चय ही भारतवर्ष इस के लिए पश्चिम का आभारी है। कभी-कभी तो पश्चिम का भारतवासियों ने ऐसा अनुकरण किया है, कि देख कर आश्चर्य होता है। भगतसिंह का एसेम्बली-काण्ड ही लीजिए। इसमें छोटी-छोटी बातें भी फ़्रान्स की घटना से मिलती हैं। फ़्रान्स के भगतसिंह का नाम 'वैलॉण्ट' था, जिसको सन् १८९४ में फाँसी पर लटकाया गया था। सभ्यता की व्यथाओं से व्यथित, वह दक्षिण अमेरिका में गया, परन्तु वहाँ भी उसे वही अन्याय दिखाई दिया। वह अपने स्वदेश को वापस लौट आया, और फिर उसे अन्यायपूर्ण समाज की याचना करनी पड़ी। उस दुखित जीवन से तङ्ग आकर उसने एक भयङ्कर आयोजना की और वह बम लेकर उन व्यक्तियों के पास पहुँचा,



जिनको वह सारे अन्याय की जड़ समझता था। पैरिस की चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज़ में उसने बम गिराया। अदालत में उसने अपना बयान उसी प्रकार का दिया था, जैसा कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिया है। उसने कहा—"मेरे बम का धड़ाका केवल विद्रोही वैलॉण्ट का ही चीत्कार नहीं है, अपितु यह एक उस श्रेणी का चीत्कार है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है, और जो शीघ्र ही अपने शब्दों को कार्य-रूप में परिणत करेगी।" भगतसिंह और दत्त द्वारा दुहराए गए ये शब्द भी इसी क्रान्तिकारी के हैं। "बहरों को सुनाने के लिए ऊँची आवाज़ की आवश्यकता होती है।" भाषण में केवल हिंसावाद ही नहीं था, कहीं-कहीं पर बड़े सुन्दर भाव दिखाई देते हैं—"विचारों की गति रोकने से नहीं रुकती, जिस प्रकार गत शताब्दी में सरकारी शक्तियाँ डिडरोट और वॉल्टेयर के स्वतन्त्र विचारों को सर्व-साधारण तक पहुँचने से नहीं रोक सकीं, इसी प्रकार आजकल की सारी सरकारी शक्तियाँ, रेकल्यूज़, डारविन, स्पैन्सर और मिराब्यू के वह विचार, जिनके द्वारा सर्व-साधारण का अज्ञानान्धकार दूर करके न्याय और स्वतन्त्रता का उदय होता है, नहीं रोक सकतीं।"

फ़्रान्स के विद्वानों ने इन्हीं भावों से प्रेरित होकर प्रेज़िडेण्ट करनौर से उसकी जीवन-भिक्षा माँगी। परन्तु देश की यह याचना प्रेज़िडेण्ट द्वारा ठुकरा दी गई। फाँसी लगाई गई। बहुत दिनों के पश्चात्, जब किसी ने प्रेज़िडेण्ट कारनौर का क़त्ल कर दिया, तो संसार ने देखा कि घातक के खञ्जर की मूठ पर खुदा हुआ था 'वैलॉण्ट'।

एक मित्र ने हमें बताया है, कि सरदार भगतसिंह ने एसेम्बली बम-काण्ड से पहिले वैलाण्ट की कहानी पढ़ी थी। इस



साक्षी के बिना भी कोई पश्चिम के इस एहसान से इन्कार नहीं कर सकता।

—"पीपुल" ( अंग्रेज़ी )

## प्रिवी कौन्सिल की अपील !

शोक है कि प्रिवी कौन्सिल ने सरदार भगतसिंह तथा लाहौर के दूसरे अभियुक्तों की अपील रद्द कर दी। इस समय, जब कि ब्रिटिश साम्राज्य की सब से बड़ी अदालत ने सरदार भगतसिंह इत्यादि की अपील रद्द कर दी है, हम आशा करते हैं, कि हिज़ एक्सेलेन्सी लॉर्ड इरविन भारतीय भावों की क़द्र करते हुए सरदार भगतसिंह और उनके साथियों के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करेंगे। ऐसी परिस्थिति में, जबकि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव कर लिया है, कि नीति बदलने की आवश्यकता है और भारतवासियों की माँगें पूरी की जा रही हैं, आवश्यकता है, कि लॉर्ड इरविन अपने विशेष अधिकारों द्वारा सरदार भगतसिंह और उनके सहयोगियों की रक्षा करें। हमें विश्वास है, कि वॉयसरॉय के सहानुभूतिपूर्ण कार्य से भारतवर्ष के राजनैतिक वातावरण पर बहुत सुखदायक असर पड़ेगा। हम जानते हैं, कि लाहौर के अभियुक्तों को अपने प्राणों की कुछ भी परवा नहीं। फाँसी की रस्सी कुछ ही मिनटों में जीवन-मृत्यु की कशमकश समाप्त कर सकती है। परन्तु सरदार भगतसिंह की मृत्यु प्रलय तक भारतीय हृदयों में घाव बन कर रहेगी। ब्रिटिश मान का भेद सरदार भगतसिंह की मृत्यु में नहीं, किन्तु उनकी जीवन-रक्षा में छिपा है !

—"रियासत" ( उर्दू )



## स्वर्गीय हरिकिशन के सम्बन्ध में—

स्वर्गीय हरिकिशन, जिनकी चर्चा पहिले आ चुकी है, के विचाराधीन मामले को, दृष्टि में रखते हुए स्वर्गीय सरदार भगतसिंह ने जेल से अपने एक मित्र को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा था जिससे स्वदेश प्रिय नवयुवकों के रोष का सहज ही पता चलता है। हरिकिशन तथा भगतसिंह दोनों ही के फाँसी पर लटक जाने से इस पत्र का महत्व और भी बढ़ गया है। इतिहास-प्रिय पाठकों के लाभार्थ उसे ज्यों का त्यों यहाँ दिया जा रहा है। जिन मित्र के नाम यह पत्र लिखा गया था, वह हमें स्मरण नहीं आ रहा है :

## सरदार भगतसिंह का पत्र

"मुझे बहुत दुःख है कि इस सम्बन्ध में लिखा हुआ मेरा पिछला पत्र अपने निर्दिष्ट स्थान पर ठीक समय से नहीं पहुँच सका और इसलिए वह निरर्थक हुआ अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति में सर्वथा असफल रहा! अतएव मैं तुम्हारे पास यह पत्र इसलिए भेज रहा हूँ; कि तुम साधारणतः सारे राजनीतिक मामलों तथा विशेषतः षड्यन्त्र-सम्बन्धी मामलों में सफ़ाई के सम्बन्ध में मेरे क्या विचार हैं, जान जाओ। पिछले पत्र में मैंने जिन बातों की विवेचना की है उनके अतिरिक्त इससे एक बात यह भी सिद्ध होगी; कि इस घटना के बाद मेरी बुद्धि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और यह पत्र इस बात का लिखित प्रमाण भी रहेगा।

"जो हो, मैंने उस पत्र में लिखा था कि वकीलों का बताया हुआ सफ़ाई का रास्ता हमें अख्तियार नहीं करना चाहिए। परन्तु हमारे-तुम्हारें विरोध करने पर भी वही हुआ। तथापि



अब हम उस विषय पर अधिक गवेषणापूर्वक विचार कर सकते हैं और भविष्य में सफ़ाई के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर सकते हैं।

"तुम जानते हो, कि मैं सारे राजनीतिक अपराधियों के मामलों की सफ़ाई का समर्थक रहा हूँ। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है, कि इसके द्वारा वास्तविक युद्ध का 'सौन्दर्य' सर्वथा नष्ट हो जाय। (ध्यान रहे यहाँ 'सौन्दर्य' का अर्थ कार्य के उस मूल अभिप्राय से है, जिसकी प्रेरणा से हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं) जब मैं यह कहता हूँ, कि सभी राजनीतिक अभियुक्त अपने-अपने मामलों में सफ़ाई दें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि इसमें कोई अपवाद नहीं है। उदाहरण द्वारा मैं इसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। किसी खास उद्देश्य को लेकर कोई व्यक्ति कुछ कर बैठता है। उसकी गिरफ़्तारी के पश्चात् उस कार्य का राजनीतिक महत्त्व घट नहीं जाना चाहिए! उस कार्य की अपेक्षा वह कार्यकर्त्ता ही अधिक प्रसिद्ध न हो जाय! एक उदाहरण द्वारा मैं इसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। श्री० हरिकिशन गवर्नर की हत्या करने आया। इस कार्य का मैं नैतिक विवेचन नहीं करना चाहता! मैं इस मामले के केवल राजनीतिक पहलू पर विचार प्रकट करना चाहता हूँ! वह गिरफ़्तार कर लिया गया! दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में कुछ पुलिस के अफ़सर हताहत हुए। अब सफ़ाई का प्रश्न उपस्थित होता है। खैर, जब भाग्यवश गवर्नर बच गए, तो इस मामले में सच्ची घटनाओं का बहुत सुन्दर बयान दिया जा सकता था, जैसा कि नीचे की अदालत में दिया गया था, और इससे क़ानूनी उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता। इसके बाद वकील की



बुद्धिमत्ता और योग्यता सब-इन्स्पेक्टर की मृत्यु के कारण का अर्थ निकालने पर निर्भर थी। वकील के इस कहने-मात्र से, कि वह गवर्नर को सिर्फ घायल करना चाहता था, और मारने की मन्शा उसकी न थी, तथा ऐसी-ऐसी अन्य बातों से अभियुक्त को लाभ हुआ ? क्या ऐसी मन्शा की सम्भावना का अनुमान कोई भी समझदार व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर सकता है ? क्या इसका कुछ क़ानूनी महत्व भी था ? बिल्कुल नहीं; तब इस कार्य-विशेष का ही नहीं, वरन् सारे आन्दोलन के सौन्दर्य को नष्ट करने से क्या लाभ हुआ ? चेतावनियों और सारहीन विरोधों से हमारा काम कब तक चल सकता है ? चेतावनी तो बहुत पहले ही दे दी गई थी ! षड्यन्त्रकारी-दल द्वारा शक्ति के अनुसार क्रान्तिकारी-युद्ध पूर्ण उत्साह से प्रारम्भ कर दिया गया था ! वॉयसरॉय की रेल-दुर्घटना असफल होने पर भी चेतावनी का स्वरूप नहीं थी ! चटगाँव की घटना, न तो चेतावनी थी और न विरोध ही। इसी प्रकार श्री० हरिकिशन का यह कार्य भी युद्ध का एक अंश ही था—न कि चेतावनी ! कार्य में चूक जाने पर अपराधी कार्य के परिणाम को एक खिलाड़ी की तरह निर्द्वन्दतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। काम कर चुकने पर उसे गवर्नर के भाग्यवश बच जाने पर प्रसन्न होना चाहिए था। किसी व्यक्ति की हत्या से हमारा कोई मतलब नहीं सधता। इन कार्यों का राजनीतिक महत्व है। क्योंकि ये एक ऐसी मनोवृत्ति और वायु-मण्डल की रचना करते हैं, जो कि अन्तिम युद्ध के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अस्तु! वैयक्तिक कार्यों की सार्थकता इसी में है, कि जन-साधारण की नैतिक सहानुभूति अपनी ओर आकृष्ट कर सके। कभी-कभी हम इन कार्यों को "क्रियात्मक प्रचार" (Propaganda) कह कर पुकारते हैं।

इस सम्पूर्ण विवेचन का आशय यह है, कि उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए ही लोगों को अपनी सफ़ाई देनी चाहिए। यह एक साधारण सिद्धान्त है, कि पारस्परिक प्रतिद्वन्दी दल सदैव अधिक प्राप्त करने और कम खोने की कोशिश करता है। कोई भी जनरल ऐसी नीति अख्तियार नहीं कर सकता, जिसमें उसे प्राप्त करने की अपेक्षा खोने की अधिक सम्भावना हो! मुझसे बढ़ कर हरिकिशन की मूल्यवान ज़िन्दगी को बचाने की चिन्ता किसी को न होगी; परन्तु मैं तुम्हें जता देना चाहता हूँ, कि जो वस्तु उसके जीवन को अमूल्य बना देती है, उसे हमें किसी प्रकार भी विस्मरण नहीं कर देना चाहिए। किसी भी भाँति जान बचा लेना हमारी नीति नहीं है! यह कॉंग्रेस की या आराम-कुर्सी पर बैठने वाले राजनीतिज्ञों (Arm-chair politicians) की नीति भले ही हो; परन्तु हमारी नीति यह कदापि नहीं है!

"सफ़ाई की नीति अधिकांशतः स्वयं अपराधी के विचार पर ही निर्भर है। परन्तु यदि स्वयं अपराधी भयभीत और विचलित नहीं है, बल्कि पहले की तरह ही उत्साहपूर्ण है, तो उसके उस कार्य का, जिसके लिए उसने अपने जीवन को सङ्कट में डाला है, पहले विचार होना चाहिए। उसके व्यक्तिगत प्रश्न का विचार उसके बाद होना चाहिए। फिर भी कुछ भ्रम हो सकता है। अर्थात् ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनका स्थानीय महत्व अधिक और सार्वदेशिक महत्व कुछ भी न हो, वहाँ अपराधी को मायावेश में अपने अपराध को कदापि स्वीकार न कर लेना चाहिए।

"श्री० निर्मलकान्त राय का सुप्रसिद्ध मामला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। परन्तु इस प्रकार के महत्वपूर्ण राजनैतिक मामलों



में व्यक्तिगत पहलू का खयाल राजनीतिक पहलू की अपेक्षा अधिक (नहीं ?) होना चाहिए। यदि तुम हरीकिशन वाले मामले के सम्बन्ध में मेरे निष्पक्ष और स्वतन्त्र विचार जानना चाहते हो, तो मेरा स्पष्ट कथन यह है कि यह मुक़दमा क़ानूनी पेशे की दम्भपूर्ण बलिदेवी पर अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की राजनीतिक हत्या है !!

"यहाँ मैं एक और बात का ज़िक्र भी कर देना चाहता हूँ, वह यह, कि जिन लोगों पर इस मामले के गला घोंट डालने का उत्तरदायित्व है, वे मुक़दमे के परिणाम के बाद अपनी ग़लती समझ लेने पर भी अपनी ज़िम्मेदारी को सम्भाल न सकने के कारण, हमारे नवयुवक साथी के महान् चरित्र के सौन्दर्य को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

"यह अत्यन्त लज्जाजनक झूठ है। वास्तव में आज तक जितने ऐसे युवक मुझे मिले, उन सब में वह अत्यन्त बहादुर लड़का था। लोगों को हम पर दया रखनी चाहिए। अच्छा हो कि वे लोग हमें भूल जायँ, इसकी अपेक्षा, कि हमारी रक्षा के नाम पर हमें अन्ध-पतित और निन्दित बना दें।

"वकीलों को भी इतना निःशङ्क नहीं हो जाना चाहिए, कि ऐसे नवजवानों के जीवन, नहीं-नहीं, मृत्यु का भी दुरुपयोग करें, जो अपने को विपन्न मानव-समाज की मुक्ति जैसे उत्तम उद्देश्य के लिए निछावर कर देते हैं! वास्तव में मुझे यह देख कर अपार वेदना होती है, कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं में भी हम सत्तावाद का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। अन्यथा क्यों कोई वकील इतनी अधिक फ़ीस माँगे, जितना कि उपरोक्त मामलों में दिया गया है ?

"राजविद्रोहात्मक मामलों में तुम्हें बता देता हूँ, कि किस



सीमा तक हम सफ़ाई पेश कर सकते हैं। पिछले साल हमारा एक साथी जब साम्यवादी भाषण देने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया था और जब उसने अपने को निर्दोष बताया, तब हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे मामलों में हमें अपने उसूल और सिद्धान्त के प्रचार की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए और स्वतन्त्र भाषण का अधिकार माँगना चाहिए! परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जुर्म लगाया जा रहा हो, जिसने वैसी बातें नहीं कही हों, और वे बातें आन्दोलन के हित की विरोधिनी हों, तो उस दशा में हमें अवश्य अभियोग अस्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि वर्तमान आन्दोलन में कॉङ्ग्रेस को इसलिए, कि बिना सफ़ाई पेश किए अपने आदमियों को जेल जाने की अनुमति दी है, उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा है—मेरे विचार से यह एक भूल थी। जो हो, मेरा अनुमान है कि तुम मेरे पिछले पत्र के साथ-साथ यह पत्र पढ़ रहे हो; तुम राजनीतिक मामलों में सफ़ाई के सम्बन्ध में मेरे विचार जान गए होगे! श्री० हरीकिशन के मुक़द्दमे के सम्बन्ध में मेरी राय यह है, कि हाईकोर्ट में अवश्य ही उसकी अपील की जाय और उसे बचाने की पूरी चेष्टा की जाय।

आशा है, ये दोनों पत्र मेरे इस विषय के सम्बन्ध में सही बातों पर पर्याप्त प्रकाश डालेंगे।

तुम्हारा.............

## सर्दार की सरदारी

—पञ्जाब-सरकार ने सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और श्री० सुखदेव को ३ मार्च तक दया की प्रार्थना कर देने की मोहलत दी थी। इन्होंने दया की प्रार्थना नहीं की, मगर



सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल की इजाजत से एक पत्र पञ्जाब-सरकार को लिखा। उस पत्र में लॉर्ड इर्विन और महात्मा गाँधी के दरम्यान सुलह की बातचीत का भी जिक्र है। महात्मा जी की बातों पर निराशा प्रकट की गई है।

पत्र में लिखा है, कि महात्मा जी हमें तो क्या छुड़वाएँगे, यदि वे उन निर्दोष लड़कियों को जिन पर बमबाजी का अभियोग लगाया गया है और जो डर के मारे शहर-शहर भागती फिरती हैं, छुड़वा सकें, तो बड़ी बात होगी।

सरकार को सम्बोधन करते हुए इस चिट्ठी में लिखा गया है, कि हम युद्ध के क़ैदी हैं। इन अर्थों में हम राजबन्दी ( शाही क़ैदी ) हैं। हमारे साथ वही सलूक होना चाहिए जो युद्ध के क़ैदियों के साथ होता है। या तो युद्ध के समाप्त होने पर हमें छोड़ दिया जाय या गोली से उड़ा दिया जाय। राष्ट्रीय सैनिकों को कोई सरकार फाँसी पर नहीं चढ़ाती। सरकार हमें गोली से उड़ाने के लिए फ़ौजी सिपाहियों को जेल में भेज सकती है। हमें फाँसी के तख्ते पर लटकाने का कोई अर्थ नहीं।

## स्व० सुखदेव की चिट्ठी

"यङ्ग इण्डिया" में स्वर्गीय सुखदेव का एक पत्र छपा था, जो उन्होंने फाँसी के कुछ ही पूर्व महात्मा जी के पास भेजा था—जिसका उत्तर भी महात्मा जी के "यङ्ग इण्डिया" में प्रकाशित हुआ था। दोनों इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री० सुखदेव का पत्र हिंसात्मक विचार के पक्षपातियों के सिद्धान्त जनता के सामने उपस्थित करता है और महात्मा जी का उत्तर अहिंसात्मक सिद्धान्तों का परिचायक है, अतएव पाठकों के विवेचनार्थ दोनों ही पत्रों का अविकल अनुवाद नीचे दिया जा रहा है :

अत्यन्त सम्माननीय महात्मा जी,

आजकल के नए समाचारों से मालूम होता है, कि आपने सन्धि-चर्चा के बाद से क्रान्तिकारियों के नाम कई एक अपीलें निकाली हैं, जिनमें आपने उनसे कम से कम वर्तमान समय के लिए अपने क्रान्तिकारी आन्दोलन को रोक देने के लिए कहा है। वास्तविक बात यह है, कि किसी आन्दोलन को रोक देने का काम कोई सैद्धान्तिक या अपने वश की बात नहीं है। समय-समय की आवश्यकताओं का विचार करके आन्दोलन के नेता अपने और अपनी नीति में परिवर्तन किया करते हैं।

हमारा अनुमान है, कि सन्धि के वार्तालाप के समय आप एक क्षण के लिए भी यह बात न भूले होंगे, कि यह समझौता कोई अन्तिम समझौता नहीं हो सकता। मेरे खयाल से इतना तो सभी समझदार व्यक्तियों ने समझ लिया होगा, कि आपके सब सुधारों के मान लिए जाने पर भी देश का अन्तिम लक्ष्य पूरा न हो जायगा। काँङ्गरेस, लाहौर काँङ्गरेस के प्रस्तावानुसार स्वतन्त्रता का युद्ध, तब तक लगातार जारी रखने के लिए बाध्य है, जब तक पूर्ण स्वाधीनता न प्राप्त हो जाय। बीच-बीच की सन्धियाँ और समझौते क्षणिक विराम-मात्र हैं। जिनमें अगली लड़ाई के लिए अधिकाधिक शक्ति सङ्गठित करने का अवसर मिलता है। उपरोक्त सिद्धान्त पर ही किसी प्रकार का समझौता या विराम-सन्धि की कल्पना की जा सकती है।

समझौते के लिए उपयुक्त अवसर का तथा शर्तों का विचार करना नेताओं का काम है। यद्यपि लाहौर के पूर्ण स्वाधीनता वाले प्रस्ताव के होते हुए भी आपने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है, फिर भी वह प्रस्ताव ज्यों का त्यों बना हुआ है। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के क्रान्तिकारियों का



ध्येय इस देश में सोशलिस्ट प्रजातन्त्र प्रणाली स्थापित करना है। इस ध्येय में संशोधन के लिए ज़रा भी गुञ्जाइश नहीं है। वे तो अपना संग्राम, जब तक कि ध्येय न प्राप्त हो जाय और आदर्श की पूर्ण स्थापना न हो जाय, तब तक बराबर जारी रखने के लिए बाध्य हैं। परन्तु वे परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ अपनी युद्ध-नीति भी बदलते रहना जानते हैं। क्रान्तिकारियों का युद्ध भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण कर लेता है। कभी वह प्रकट रूप रखता है, कभी गुप्त रूप धारण कर लेता है; कभी केवल आन्दोलन के रूप में हो जाता है और कभी जीवन और मृत्यु का भयानक संग्राम करने लग जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में क्रान्तिकारियों के सामने आन्दोलन रोक देने के लिए कुछ विशेष कारणों का होना तो आवश्यक ही है। परन्तु आपने हम लोगों के सामने ऐसा कोई निश्चित कारण उपस्थित नहीं किया, जिस पर विचार करके हम अपना आन्दोलन रोक दें। केवल भावुक अपीलें क्रान्तिकारियों के संग्राम में कोई प्रभाव नहीं पैदा कर सकतीं।

समझौता करके आपने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है, जिसके फल-स्वरूप आपके आन्दोलन के सब बन्दी छूट गए हैं। परन्तु क्रान्तिकारी बन्दियों के विषय में आप क्या कहते हैं? सन्, १६१५ के ग़दर पार्टी वाले राजबन्दी अब भी जेलों में सड़ रहे हैं, यद्यपि उनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं। कोड़ियों मार्शल-लॉ के बन्दी अब भी जीवित ही क़ब्रों में गड़े हैं! इसी प्रकार दर्जनों बब्बर अकाली क़ैदी जेल-यातना भोग रहे हैं। देवगढ़, काकोरी, मछुआ बाज़ार और लाहौर षड्यन्त्र-केस के अनेकों राजबन्दी अब भी जेलों में बन्द हैं। आधे दर्जन से अधिक षड्यन्त्र-केस लाहौर, दिल्ली, चटगाँव, बम्बई,



कलकत्ता आदि स्थानों में चल रहे हैं। दर्जनों क्रान्तिकारी फ़रार हैं, जिनमें बहुत-सी तो स्त्रियाँ हैं। आधे दर्जन से अधिक क़ैदी अपनी फाँसियों की बाट जोह रहे हैं। इन सब के विषय में आप क्या कहते हैं? लहौर षड्यन्त्र-केस के तीन राजबन्दी, जिन्हें फाँसी देने का हुक्म हुआ है और जिन्होंने संयोगवश देश में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है, क्रान्तिकारी दल के सब कुछ नहीं हैं। दल के सामने केवल इन्हीं के भाग्य का प्रश्न नही है। वास्तव में इनकी सज़ाओं के बदल देने से देश का उतना कल्याण न होगा, जितना कि इन्हें फाँसी पर चढ़ा देने से होगा।

परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी आप इनसे अपना आन्दोलन खींच लेने की सार्वजनिक अपीलें कर रहे हैं। वे अपना आन्दोलन क्यों रोक लें, इसका आपने कोई निश्चित-कारण नहीं बतलाया? ऐसी परिस्थिति में आपकी इन अपीलों के निकालने का मतलब तो यही है, कि आप क्रान्तिकारियों के आन्दोलन को कुचलने में नौकरशाही का साथ दे रहे हैं। आप इन अपीलों के द्वारा स्वयं क्रान्तिकारी दल में विश्वासघात और फूट की शिक्षा दे रहे हैं। अगर यह बात न होती, तो आपके लिए सब से अच्छा उपाय यह था कि आप कुछ प्रमुख क्रान्तिकारियों से मिल कर इस विषय की सम्पूर्ण बातचीत कर लेते। आपको उन्हें आन्दोलन खींच लेने की सलाह देने के पहले अपने तर्कों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए था। मेरा ख्याल है, कि साधारण जन-समुदाय की तरह आपकी भी यह धारणा न होगी; कि क्रान्तिकारी तर्कहीन होते हैं और उन्हें केवल विनाशकारी कार्यों में ही आनन्द आता है। हम आपको बतला देना चाहते हैं, कि यथार्थ में बात इसके बिल्कुल

विपरीत है। वे प्रत्येक क़दम आगे बढ़ाने के पहले अपनी चतुर्दिक् परिस्थितियों का विचार कर लेते हैं। उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का ज्ञान हर समय बना रहता है। वे अपने क्रान्तिकारी विधान में रचनात्मक अंश की उपयोगिता को मुख्य स्थान देते हैं, यद्यपि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें केवल विनाशात्मक अंश की ओर ध्यान देना पड़ा है।

गवर्नमेण्ट क्रान्तिकारियों के प्रति पैदा होने वाली सार्वजनिक सहानुभूति तथा सहायता को नष्ट करके किसी तरह उन्हें कुचल डालना चाहती है। अकेले में वे सहज ही कुचल दिए जा सकते हैं। ऐसी हालत में किसी प्रकार की भावुक अपील निकाल कर उनमें विश्वासघात और फूट पैदा करना, बहुत ही अनुचित और क्रान्ति-विरोधी कार्य होगा। इसके द्वारा गवर्नमेण्ट को, उन्हें कुचल डालने में प्रत्यक्ष सहायता मिलती है।

इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, कि या तो आप कुछ क्रान्तिकारी नेताओं से, जो कि जेलों में हैं, इस विषय में कोई बातचीत करके कुछ निर्णय कर लीजिए या फिर अपीलें बन्द कर दीजिए। कृपा करके उपरोक्त दो मार्गों में से किसी एक का अनुसरण कर लीजिए और जिसका अनुसरण कीजिए, उसे पूरे दिल से कीजिए। अगर आप उनकी सहायता नहीं कर सकते, तो कृपा करके उन पर रहम कीजिए। और उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। वे अपनी रक्षा अपने आप कर लेंगे। वे अच्छी तरह से जानते हैं, कि भविष्य के राजनीतिक युद्ध में उनका नायकत्व निश्चित है। जनसमुदाय उनकी ओर बराबर बढ़ता आ रहा है और वह दिन दूर नहीं है, जब कि उनके नेतृत्व में और उनके झण्डे के नीचे जन-समुदाय उनके सोशलिस्ट प्रजातन्त्र के उच्च ध्येय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा।



या, यदि आप सचमुच उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो उनका दृष्टिकोण समझने के लिए उनसे बातचीत कीजिए और सम्पूर्ण समस्या पर विस्तार के साथ विचार कर लीजिए।

आशा है, आप उपरोक्त प्रार्थना पर कृपया विचार करेंगे और अपनी राय सर्व-साधारण के सामने प्रकट कर देंगे।

आपका,
'अनेकों में से एक'

## अनेकों में से एक (१)

### ( महात्मा गाँधी का उत्तर )

'अनेकों में से एक' द्वारा लिखित यह पत्र, सुखदेव का पत्र है। श्रीयुत सुखदेव सर्दार भगतसिंह के साथी थे। उपरोक्त पत्र उनकी मृत्यु के बाद मुझे मिला था। समयाभाववश मैं इस पत्र को इससे पहले नहीं प्रकाशित कर सका। पत्र ज्यों का त्यों छाप दिया गया है।

पत्र का लेखक "अनेकों में से एक" नहीं है। अनेकों राजनीतिक स्वाधीनता के लिए फाँसी नहीं स्वीकार करते। राजनीतिक हत्या चाहे कितनी ही निन्दनीय क्यों न हो, परन्तु ऐसे भयानक कार्यों के लिए प्रेरित करने वालों से, उनका देश-प्रेम और साहस छिपाए नहीं छिप सकता। हमें इस बात की आशा करनी चाहिए कि राजनीतिक हत्या का पन्थ बढ़ने न पावे। यदि स्वाधीनता प्राप्त करने का भारतीय प्रयोग सफल हो गया, जिसकी सफलता में कोई सन्देह नहीं है, तो राजनीतिक हत्या का पेशा दुनिया से सदैव के लिए उठ जायगा। जो हो, मैं तो इसी विश्वास को लेकर अपना काम कर रहा हूँ।



पत्र-लेखक का यह कहना ठीक नहीं है, कि मैंने क्रान्तिकारियों से उनके आन्दोलन स्थगित कर देने के लिए केवल भावुक अपीलें की हैं, विपरीत इसके मेरा तो दावा है, कि मैंने उन्हें वैसा करने के ठोस कारण बतलाए हैं। यद्यपि उन कारणों को मैं कई बार इस पत्र के कॉलमों में प्रकाशित कर चुका हूँ, फिर भी उन्हें यहाँ दुहराता हूँ :

(१) क्रान्तिकारी कार्रवाइयों से हम ध्येय के निकट नहीं पहुँचे।

(२) इनके कारण देश का सैनिक व्यय बढ़ गया है।

(३) इनके कारण सरकार का दमन-चक्र बढ़ गया है, जिससे देश का कोई लाभ नहीं हुआ।

(४) जब-जब कहीं क्रान्तिकारियों द्वारा कोई हत्या हुई है, तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है।

(५) क्रान्तिकारी कार्रवाइयों द्वारा जन-समुदाय की जागृति में कोई सहायता नहीं पहुँची।

(६) जन-समुदाय पर इनके कामों का असर दो तरह से बुरा पड़ा है। एक तो जनता को अतिरिक्त व्यय का भार सहन करना पड़ा है, दूसरे सरकार के अप्रत्यक्ष क्रोध का निशाना बनना पड़ा है।

(७) भारत की भूमि तथा उसकी परम्परा क्रान्तिकारी हत्याओं के उपयुक्त नहीं है। इस देश के इतिहास से जो शिक्षा मिलती है, उससे मालूम होता है कि राजनीतिक हिंसा यहाँ उन्नति नहीं कर सकती।

(८) यदि क्रान्तिकारी, जनसमुदाय को अपने मत में परिवर्तित कर लेने का विचार करते हैं, तो उस हालत में हमें



स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा तथा अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

(९) यदि जनसाधारण हिंसात्मक उपाय का समर्थक हो भी जाय, तो उसका परिणाम अन्त में अच्छा नहीं हो सकता। यह उपाय, जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है, स्वयं उस उपाय के सञ्चालकों को ही नष्ट कर देता है।

(१०) क्रान्तिकारियों के सामने उनके विपरीत उपाय अहिंसा की सार्थकता का भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन हो चुका है। उन्होंने देखा होगा, कि अहिंसात्मक आन्दोलन, क्रान्तिकारियों की स्फुट हिंसा तथा कुछ-कुछ स्वयं अहिंसात्मक आन्दोलन वालों की हिंसा के होते हुए भी, कैसे बराबर अपनी गति पर चलता रहा।

(११) क्रान्तिकारी मेरी इस बात को मान लें, कि उनके आन्दोलन ने अहिंसात्मक आन्दोलन को कोई लाभ नहीं पहुँचाया, बल्कि हानि ही पहुँचाई है। यदि देश का वातावरण पूर्ण रीति से शान्त रहता तो हम अपने लक्ष्य को अब से पहले ही प्राप्त कर चुके होते।

मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि उपरोक्त बातें ठोस सत्य हैं, केवल भावुक अपीलें नहीं हैं। पत्र-लेखक ने, मैंने क्रान्तिकारियों से अब तक जो सार्वजनिक अपीलें की हैं, उनका विरोध किया है। लेखक का कहना है कि इन सार्वजनिक अपीलों को निकाल कर मैंने नौकरशाही को क्रान्तिकारियों के आन्दोलन दबाने में सहायता की है। नौकरशाही को क्रान्तिकारी आन्दोलन दबाने के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह तो अपने अस्तित्व के लिए क्रान्तिकारियों से और मुझसे दोनों से



पत्र-लेखक का यह कहना ठीक नहीं है, कि मैंने क्रान्तिकारियों से उनके आन्दोलन स्थगित कर देने के लिए केवल भावुक अपीलें की हैं, विपरीत इसके मेरा तो दावा है, कि मैंने उन्हें वैसा करने के ठोस कारण बतलाए हैं। यद्यपि उन कारणों को मैं कई बार इस पत्र के कॉलमों में प्रकाशित कर चुका हूँ, फिर भी उन्हें यहाँ दुहराता हूँ :

( १ ) क्रान्तिकारी कार्रवाइयों से हम ध्येय के निकट नहीं पहुँचे।

( २ ) इनके कारण देश का सैनिक व्यय बढ़ गया है।

( ३ ) इनके कारण सरकार का दमन-चक्र बढ़ गया है, जिससे देश का कोई लाभ नहीं हुआ।

( ४ ) जब-जब कहीं क्रान्तिकारियों द्वारा कोई हत्या हुई है, तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है।

( ५ ) क्रान्तिकारी कार्रवाइयों द्वारा जन-समुदाय की जागृति में कोई सहायता नहीं पहुँची।

( ६ ) जन-समुदाय पर इनके कामों का असर दो तरह से बुरा पड़ा है। एक तो जनता को अतिरिक्त व्यय का भार सहन करना पड़ा है, दूसरे सरकार के अप्रत्यक्ष क्रोध का निशाना बनना पड़ा है।

( ७ ) भारत की भूमि तथा उसकी परम्परा क्रान्तिकारी हत्याओं के उपयुक्त नहीं है। इस देश के इतिहास से जो शिक्षा मिलती है, उससे मालूम होता है कि राजनीतिक हिंसा यहाँ उन्नति नहीं कर सकती।

( ८ ) यदि क्रान्तिकारी, जनसमुदाय को अपने मत में परिवर्तित कर लेने का विचार करते हैं, तो उस हालत में हमें

लड़ रही है। उसे अहिंसात्मक आन्दोलन हिंसात्मक आन्दोलन की अपेक्षा अधिक भयानक मालूम होता है। वह हिंसात्मक आन्दोलन का सामना करना तो जानती है; परन्तु अहिंसात्मक से घबराती है, जिसने उसकी जड़ बहुत पहले ही हिला दी है।

राजनीतिक हत्या करने वाले व्यक्ति अपने भीषण जीवन-पथ पर पैर रखने के पहले ही समझ लेते हैं, कि उन्हें अपने कार्यों का कौन सा मूल्य देना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में सम्भवतः मेरा कोई भी कार्य उनकी स्थिति को किसी प्रकार से अधिक आशङ्का-जनक नहीं बना सकता।

यह जान कर, कि क्रान्तिकारी दल अपनी कार्रवाइयों को छिप कर करता है, मेरे पास उस दल के अज्ञात सदस्यों तक अपील पहुँचाने का, सिवा सार्वजनिक रूप से लिखने के और कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। मैं कह सकता हूँ, कि मेरी सार्वजनिक अपीलें बिल्कुल निरर्थक नहीं गईं। मेरे सहयोगियों में पहले के बहुत से क्रान्तिकारी हैं।

पत्र-लेखक की शिकायत है कि सत्याग्रही राजबन्दियों के अतिरिक्त दूसरे राजबन्दी नहीं छोड़े गए। 'यङ्ग इण्डिया' के पृष्ठों में लिख कर मैं बतला चुका हूँ कि किन कारणों से अन्य राजनीतिक बन्दियों के छोड़ने के विषय में मैं ज्यादा ज़ोर नहीं दे सका। स्वयं मैं तो सब बन्दियों के छूट जाने के पक्ष में हूँ, और मैं उनके छुटकारे के लिए कोई प्रयत्न उठा न रक्खूँगा। मुझे मालूम है, कि कुछ बन्दियों को तो अब से बहुत पहले ही छूट जाना चाहिए था। कॉङ्ग्रेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया है। उसने श्रीयुत नैरीमन को अब तक के न छूटे हुए राजबन्दियों की नामावली बनाने का काम सौंप दिया


है। नामावली तैयार हो जाते ही उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न किया जायगा। परन्तु जो लोग छूट चुके हैं उन्हें क्रान्तिकारी हत्याओं को रोक कर हमारी सहायता करनी चाहिए। हत्या और छुटकारा दोनों बातें साथ-साथ नहीं हो सकतीं। निस्सन्देह ऐसे भी राजबन्दी हैं, जिन्हें तो हर हालत में छुड़ाना पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में लोगों को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ, कि राजबन्दियों के छुटकारे में देरी का कारण हमारी इच्छा की कमी नहीं है, वरन् योग्यता की कमी है। यह भी याद रहे, कि यदि स्थायी समझौता हो गया तो सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दियों को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि स्थायी समझौता न हुआ, तो अभी जो लोग बाहर उनके छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे उन्हीं के साथ जेल के अन्दर दिखलाई पड़ेंगे !!

## स्वर्गीय सुखदेव का कथित-पत्र

स्वर्गीय श्री० सुखदेव के पास एक ऐसी चिट्ठी पाई जाने के विषय में—जिससे मि० सॉण्डर्स की हत्या करने की बात स्वीकार की गई बतलाई जाती है—गवर्नमेण्ट की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसे पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे उद्धृत किया जाता है :

लाहौर और युक्त प्रान्त की क्रान्ति के मामले में सज़ा पाने के पहले भगतसिंह को छोड़ कर सभी अभियुक्त बोर्स्टल जेल के एक हिस्से में रक्खे गए थे, जहाँ साधारणतया विचाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं। भगतसिंह को एसेम्बली बम-केस में सजा मिल चुकी थी, इसलिए वे लाहौर सेण्ट्रल जेल में रक्खे गए थे।

७वीं अक्टूबर, १९३० को सज़ा सुनाई जाने के बाद नियमानुसार अभियुक्तों को सेण्ट्रल जेल में भेजे जाने की आज्ञा दी गई। यह स्थान-परिवर्तन पुलिस के पहरे में किया जाता है, अतः यहाँ

लड़ रही है। उसे अहिंसात्मक आन्दोलन हिंसात्मक आन्दोलन की अपेक्षा अधिक भयानक मालूम होता है। वह हिंसात्मक आन्दोलन का सामना करना तो जानती है; परन्तु अहिंसात्मक से घबराती है, जिसने उसकी जड़ बहुत पहले ही हिला दी है।

राजनीतिक हत्या करने वाले व्यक्ति अपने भीषण जीवन-पथ पर पैर रखने के पहले ही समझ लेते हैं, कि उन्हें अपने कार्यों का कौन सा मूल्य देना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में सम्भवतः मेरा कोई भी कार्य उनकी स्थिति को किसी प्रकार से अधिक आशङ्का-जनक नहीं बना सकता।

यह जान कर, कि क्रान्तिकारी दल अपनी कार्रवाइयों को छिप कर करता है, मेरे पास उस दल के अज्ञात सदस्यों तक अपील पहुँचाने का, सिवा सार्वजनिक रूप से लिखने के और कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। मैं कह सकता हूँ, कि मेरी सार्वजनिक अपीलें बिल्कुल निरर्थक नहीं गई। मेरे सहयोगियों में पहले के बहुत से क्रान्तिकारी हैं।

पत्र-लेखक की शिकायत है कि सत्याग्रही राजबन्दियों के अतिरिक्त दूसरे राजबन्दी नहीं छोड़े गए। 'यङ्ग इण्डिया' के पृष्ठों में लिख कर मैं बतला चुका हूँ कि किन कारणों से अन्य राजनीतिक बन्दियों के छोड़ने के विषय में मैं ज्यादा ज़ोर नहीं दे सका। स्वयं मैं तो सब बन्दियों के छूट जाने के पक्ष में हूँ, और मैं उनके छुटकारे के लिए कोई प्रयत्न उठा न रक्खूँगा। मुझे मालूम है, कि कुछ बन्दियों को तो अब से बहुत पहले ही छूट जाना चाहिए था। कॉङ्ग्रेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया है। उसने श्रीयुत नैरीमन को अब तक के न छूटे हुए राजबन्दियों की नामावली बनाने का काम सौंप दिया



है। नामावली तैयार हो जाते ही उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न किया जायगा। परन्तु जो लोग छूट चुके हैं उन्हें क्रान्तिकारी हत्याओं को रोक कर हमारी सहायता करनी चाहिए। हत्या और छुटकारा दोनों बातें साथ-साथ नहीं हो सकतीं। निस्सन्देह ऐसे भी राजबन्दी हैं, जिन्हें तो हर हालत में छुड़ाना पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में लोगों को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ, कि राजबन्दियों के छुटकारे में देरी का कारण हमारी इच्छा की कमी नहीं है, वरन् योग्यता की कमी है। यह भी याद रहे, कि यदि स्थायी समझौता हो गया तो सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दियों को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि स्थायी समझौता न हुआ, तो अभी जो लोग बाहर उनके छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे उन्हीं के साथ जेल के अन्दर दिखलाई पड़ेंगे !!

## स्वर्गीय सुखदेव का कथित-पत्र

स्वर्गीय श्री० सुखदेव के पास एक ऐसी चिट्ठी पाई जाने के विषय में—जिससे मि० सॉण्डर्स की हत्या करने की बात स्वीकार की गई बतलाई जाती है—गवर्नमेण्ट की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसे पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे उद्धृत किया जाता है :

लाहौर और युक्त प्रान्त की क्रान्ति के मामले में सज़ा पाने के पहले भगतसिंह को छोड़ कर सभी अभियुक्त बोर्स्टल जेल के एक हिस्से में रक्खे गए थे, जहाँ साधारणतया विचाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं। भगतसिंह को एसेम्बली बम-केस में सज़ा मिल चुकी थी, इसलिए वे लाहौर सेण्ट्रल जेल में रक्खे गए थे।

७वीं अक्टूबर, १९३० को सज़ा सुनाई जाने के बाद नियमानुसार अभियुक्तों को सेण्ट्रल जेल में भेजे जाने की आज्ञा दी गई। यह स्थान-परिवर्तन पुलिस के पहरे में किया जाता है, अतः यहाँ

भी पुलिस का प्रबन्ध किया गया। पुलिस के अफ़सर ने नियमानुसार अपने अधीन क़ैदियों की तलाशी ली। सुखदेव के हाथ में एक असमाप्त चिट्ठी पाई गई, जो हिन्दी में थी। इसे वह नष्ट कर देने का प्रयत्न कर रहा था, किन्तु नष्ट होने के पहले ही वह छीन ली गई। यह पत्र प्राप्त होने के बाद से ही एक जबाबदेह सरकारी अफ़सर के पास रक्खा गया। लेखक की अन्तिम अपील के फ़ैसले तक के लिए पत्र का प्रकाशन रोक लिया गया था। जनता की जानकारी के लिए पत्र का मज़मून यहाँ दिया जाता है :

"प्यारे भाई, बहुत दिनों से मेरे हृदय में कुछ ऐसे भाव उठ रहे थे, जिन्हें कतिपय कारणों से मुझे अब तक दबाना पड़ा था; किन्तु मैं अब अधिक उन्हें नहीं दबा सकता और अब ऐसा करना ठीक भी नहीं समझता हूँ। मैं नहीं कह सकता, मेरे इस प्रकार के भावों को आप किस दृष्टि से देखेंगे। न मालूम आप उन पर ध्यान देंगे या नहीं, और आप उन्हें पसन्द करेंगे या नहीं। किन्तु मैं जो ठीक समझता हूँ वही कर रहा हूँ। उनके अनुसार कार्य करना आप की इच्छा पर है। यदि आप इस पत्र का उत्तर दें तो बहुत अच्छी बात हो। इससे लाभ यह होगा, कि मेरा भ्रम-निवारण हो जायगा। और मुझे इस बात का पता चल जावेगा कि जेल की चहारदीवारी के भीतर बन्द रहने से मेरी विचारशक्ति तो नष्ट नहीं हो गई है, जिससे मैं व्यवहारिक क्षेत्र से दूर हट कर केवल हवाई क़िले बनाने में मस्त हूँ।

## कार्य

"हम लोगों के जेल में आने के बाद से, बाहर की आबहवा कुछ गर्म रही है। 'कार्य' के विषय में अख़बारों से यह पता



चलता है, कि प्रत्येक प्रान्त में विशेष कर पञ्जाब और बङ्गाल में, परिस्थिति कठिन है। वहाँ बम तो खेल-सा हो गया है। पहले कभी इतने "कार्य" नहीं किए गए थे। इन्हीं कार्यों के विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ; और इन "कार्यों" के सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट करने के उपरान्त मैं अपनी संस्था की इस "कार्य" विषयक नीति को बताऊँगा।

"हम लोगों ने केवल दो "कार्य" किए, एक तो सॉण्डर्स की हत्या और दूसरा असेम्बली में बम-काण्ड। इससे पहले भी हम लोगों ने दो-तीन बार प्रयत्न किया था, किन्तु सफलता नहीं मिली थी। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कि हम लोगों के कार्य तीन प्रकार के थे—(१) प्रचार, (२) धन, (३) विशेष। इन तीनों में हमारा विशेष ध्यान, प्रचार-कार्य की ओर था। अन्य दो पर आवश्यकता पड़ने पर ही ध्यान दिया जाता था। इससे मेरा मतलब यह नहीं है, कि उनका महत्व कम था, किन्तु हमारे अस्तित्व का उद्देश्य था, प्रचार-कार्य। अन्य दो प्रकार के कार्य हमारे उद्देश्य नहीं थे। इन तीनों विषयों को साफ़-साफ़ समझाने के लिए मैं आपके सामने ये तीन घटनाएँ रखता हूँ—(१) असेम्बली-काण्ड, (२) पञ्जाब नेशलन बैङ्क की डकैती, (३) जगदीश चटर्जी को छुड़ाने का प्रयत्न।

## प्रचार

"मैं पिछले दोनों प्रकार के 'कार्यों' को छोड़ कर यहाँ पर प्रचार-कार्य के ऊपर विचार करना चाहता हूँ। प्रचार शब्द से शायद इस प्रकार के कार्यों का बोध नहीं होता है। असल में ये कार्य जनता की इच्छा के अनुकूल ही होते थे। उदाहरणार्थ सॉण्डर्स की हत्या का ही कार्य ले लीजिए। जब लाला जी पर



लाठी चलाई गई, तो सारे देश में बहुत ही खलबली मच गई। सरकार आग में और भी घी छिड़कने लगी। जनता बहुत ही असन्तुष्ट हो गई। जनता का ध्यान विप्लववादियों की ओर आकर्षित करने का यह अच्छा मौक़ा हम लोगों के हाथ में था।

"सब से पहले हम लोगों ने सोचा कि एक आदमी पिस्तौल लेकर जाए और स्कॉट को मार कर अपना आत्म-समर्पण कर दे। अपने बयान में वह कहे कि जब तक विप्लववादी जीवित हैं; तब तक राष्ट्रीय अपमान का बदला इसी प्रकार लिया जाएगा। यह भी सोचा गया था कि तीन आदमी भेजे जाएँ, क्योंकि मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है। इसमें भी अपने बचाने का हमारा कोई प्रधान उद्देश्य नहीं था। ऐसा करने की इच्छा भी नहीं थी। हमारा विचार था कि हत्या के बाद यदि पुलिस हमारा पीछा करे तो उसका मुक़ाबला किया जाय। और जो जीता बचे और गिरफ़्तार किया जाय, वह अपना बयान दे।

## प्रयत्न

"यह विचार कर, हम लोग डी० ए० वी० कॉलेज के होस्टल में आए। कार्य के समय ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि भगतसिंह, जो स्कॉट को पहचान सकता था, पहली गोली दाग़े और राजगुरु थोड़ी दूर पर खड़ा होकर भगतसिंह की रक्षा करे, और यदि कोई भगतसिंह पर आक्रमण करे तो राजगुरु उसका मुक़ाबला करे। इसके बाद भगतसिंह और राजगुरु दोनों भाग जाएँ। भागते समय पीछा करने वालों का मुक़ाबला करना सम्भव नहीं है; इसलिए पण्डित जी उन पीछा करने वालों से उनकी रक्षा करने के लिए तैनात रहें। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निश्चय किया था कि अपनी जान बचाने की अपेक्षा उसके मारने की


ओर ही विशेष ध्यान दिया जाय। हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारी गोली का शिकार अस्पताल में मरे। इसी कारण राजगुरु के गोली दागने पर भी भगतसिंह ने तब तक गोली छोड़ना बन्द नहीं किया जब तक कि उसे विश्वास नहीं हो गया कि उसका कार्य सिद्ध हो गया।

## राजनैतिक हत्या

"हत्या के बाद भागना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम लोग जनता में यह विचार उत्पन्न कर देना चाहते थे कि यह एक राजनैतिक हत्या थी, और इसमें भाग लेने वाले मलङ्गी के साथी नहीं, बल्कि विलपववादी थे इसलिए हम लोगों ने इसके बाद पर्चे चिपकाए, और कुछ पर्चे प्रकाशनार्थ भी भेजे।

"दुःख है कि उस समय न तो हमारे नेताओं ने और न प्रेस वालों ने ही हमें कोई सहायता पहुँचाई, और सरकार को धोका देने के लिए उन लोगों ने अपने देशवासियों को धोखा दिया। हम लोग चाहते थे कि वे ज़रा घुमा-फिरा कर यह लिखें कि यह हत्या एक राजनैतिक हत्या थी और यह सरकार की नीति का फल था, और सरकार ही ऐसे कार्यो के लिए उत्तरदायी थी। किन्तु यह सब बातें जानते हुए भी और मेरे बार-बार कहने पर भी उन लोगों ने ऐसा कहने का साहस नहीं किया। यह अच्छा हुआ कि हम लोग गिरफ़्तार हो गए और जनता के सामने सारा भेद खुल गया। प्यारे भाई, केवल इसी कारण मैं अपनी गिरफ़्तारी को अहोभाग्य समझता हूँ। इस कार्य के विषय में कह चुकने के बाद अब मैं उसकी नीति पर कुछ कहना चाहता हूँ।



(नोट—ठीक इसी समय हमें मालूम हुआ है कि आज मामले का फ़ैसला हो जायगा! खाँ साहब और बख़्शी जी यह पूछने के लिए आए कि हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं। हम लोगों ने इन्कार कर दिया।)

## सार्वजनिक सहायता

"मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा विचार था कि जनता की इच्छा के अनुकूल ही हमारा कार्य हो, और वे सरकार के अत्याचारों के विरोध में किए जायँ, जिससे जनता इस ओर अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करे, और सहातता दे। इसी विचार से हम लोग जनता में विप्लववादियों का आदर्श और उनकी चालों का प्रचार करना चाहते थे। ऐसे विचारों का उसके मुख से प्रकट होना, जो इन्हीं विचारों के लिए अब फाँसी पर लटकने वाला है, अधिक गौरवप्रद है।

"हमारा यह विचार था, कि सरकार से प्रकट रूप से मुक़ाबला पड़ने पर, हम लोग अपने सङ्गठन के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे।

## धन-व्यवस्था

"मैं अन्य दो प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में, उसके लिए डकैतियाँ करने में अधिक ध्यान और शक्ति ख़र्च करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि बङ्गालियों ने किया है। अनेक छोटी-मोटी डकैतियाँ सफल नहीं हुई हैं। हम लोगों ने विचार करने के पश्चात् अपने को जुएबाज़ी के लिए तैयार किया, जिसमें यदि हम सफल होकर निकल आवें तो एक बार ऐसा


करके हम अपना कार्य ठीक तरह से कर सकेंगे, और धन को समस्या भी हल हो जाएगी।

"सॉण्डर्स की हत्या के बाद, धन के लिए हमें बहुत सोच-विचार नहीं करना पड़ा। हम लोग शान्तिपूर्वक जितना धन इकट्ठा कर सकते थे, डकैतियों से उतना नहीं मिलता था। आजकल यह बहुत आसान हो गया है।

"विशेष कार्य अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर ही किए जाने चाहिएँ। उसकी संख्या भी परिमित ही होनी चाहिए।"

ः ः ः

श्री० सुखदेव के चाचा लाला चिन्ताराम थापर को विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि फाँसी से पहले भगतसिंह और उनके साथियों ने अपने सम्बन्धियों के पास पत्र लिखा था, किन्तु वे उनके सम्बन्धियों को नहीं मिले। लाला चिन्तराम ने पञ्जाब सरकार के होम सेक्रेटरी से पास दो पत्र भेजे हैं। पहली चिट्ठी में वे लिखते हैं:

## पत्र नं० १

"मुझे विश्वस्त-सूत्र से यह पता चलता है कि सरदार भगतसिंह श्री० सुखदेव और श्री० राजगुरु ने फाँसी होने के पहले अपने सम्बन्धियों के लिए पत्र लिखा था। ये तीनों पत्र उपस्थित मैजिस्ट्रेट को दे दिए गए और वहीं उसी समय उन पर मुहर दे दी गई। ये पत्र अभी तक उनके सम्बन्धियों को नहीं दिए गए हैं। यह प्रार्थना की जाती है कि वे चिट्ठियाँ हम लोगों को बहुत शीघ्र दे दी जायँ।"

## पत्र नं० २

दूसरी चिट्ठी में लाला चिन्तराम लिखते हैं:

"स्वर्गीय श्री० सुखदेव के पास एक अधूरी चिट्ठी मिलने के सम्बन्ध में, जो उनकी लिखी हुई बताई जाती है, आपने जो विज्ञप्ति प्रकाशित


की है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सुखदेव का एकमात्र छोटा भाई मथरादास बिल्कुल ही हिन्दी नहीं जानता, और यह सोचने की बात है कि यदि सुखदेव मथरादास के पास पत्र लिखना चाहता तो वह कदापि जान-बूझ कर उस भाषा में चिट्ठी न लिखता, जिस भाषा को उसका भाई नहीं जानता है।"

## सरदार एकदम निश्चिन्त थे

२३ मार्च, सन् १९३१ ई० को सरदार और उनके साथियों से अन्तिम भेंट करने के लिए उनके घर वालों को सूचना तो दी गई थी, पर वे भेंट नहीं कर सके। पर उस दिन सरदार भगतसिंह अपनी कोठरी में बैठे हुए ऊँचे स्वर से गा रहे थे। केवल यही पद सुनाई पड़ा—

मेरा रँग दे बसन्ती चोला;
इसी रङ्ग में रँग के शिवा ने—
माँ का बन्धन खोला!

## फाँसी कैसे दी गई?

जब हाईकोर्ट में दी हुई दोनों दरख्वास्तें नामञ्जूर हो गईं, तब लाहौर के सेण्ट्रल जेल में फाँसी देने का प्रबन्ध किया जाने लगा। साधारणतः फाँसी प्रातःकाल दी जाया करती है, पर सरदार को रात में ही खतम कर डालने का निश्चय कर लिया गया था। चार से छः बजे तक जेल का यह हाल था, कि जेल के जो वॉर्डर बाहर थे, वे बाहर ही रह गए और जो अफ़सर भीतर थे, वे भीतर ही! जेल के सभी दरवाज़े बन्द कर दिए गए। एक कमरे में जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट, एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट बैठे हुए थे। जेल के बाहर और भीतर जबर्दस्त पहरे


का प्रबन्ध था। ७ बज कर ३५ मिनट पर तीनों देशभक्त कोठरियों से निकाले गए। उनकी आँखों पर टोपी पहनाई गई और फाँसी के तख़्ते पर वे खड़े कर दिए गए। मालूम हुआ है, कि ठीक इसी समय 'डाउन-डाउन विद् यूनियन जेक' ( ब्रिटिश-झण्डे का क्षय हो ) के नारे लगाए गए, जो आधे मिनट तक लगते रहे। फिर आवाज़ें यकायक बन्द हो गईं ! उसके बाद तीनों लाशें स्ट्रेचर पर रक्खी गईं और दीवार के एक छेद से बाहर कर दी गईं। फाँसी लग चुकी, पर जो अफ़सर जेल के भीतर थे, वे बाहर नहीं हुए। कहा जाता है, कि भय के कारण उनका भोजन भी वहीं भेजा गया। फाँसी के समय सेन्ट्रल जेल के सभी क़ैदी बैरकों में बन्द कर दिए गए थे ! दूसरी रिपोर्ट थी, कि पहले ठीक सात बजे सरदार भगतसिंह के गले में फाँसी का फन्दा डाला गया। सरदार साहब ने बड़े ऊँचे स्वर में अपने दोनों साथियों से विदा ली। जवाब में उन्होंने 'भगतसिंह ज़िन्दाबाद' का नारा लगाया। इस तरह उनका नारा लगाना था, कि सेण्ट्रल जेल के राजनीतिक तथा साधारण क़ैदियों को सिगनल मिल गया। यद्यपि सभी क़ैदी अपनी-अपनी बैरकों में उस वक़्त बन्द किए जा चुके थे, तो भी उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से 'भगतसिंह ज़िन्दाबाद' के गगन-भेदी नारे लगाए। उनके नारे जेल के बाहर भी सुने जाते थे। सरदार के बाद श्रीयुक्त राजगुरु को और अन्त में श्रीयुक्त सुखदेव को फाँसी दी गई। शहीदों की भस्म भी नहीं दी गई। २४ मार्च को प्रातःकाल नगर के विभिन्न मुहल्लों में ज़िला मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से निम्न-लिखित पोस्टर चिपके हुए पाए गए—

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कल शाम को


भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी दे दी गई और इसके बाद जेल के बाहर लाश ले जाकर सतलज के किनारे भस्म कर दी गई और राख नदी में बहा दी गई।"

## लाश के टुकड़े

कहा जाता है, कि श्रीमती पार्वती देवी और भगतसिंह की बहिन को श्मशान के पास एक टूटे हुए पुल के नीचे लाश के अधजले टुकड़े मिले थे, जिन्हें लॉरी द्वारा लाहौर लाया गया। तब प्रायः एक लाख व्यक्तियों का एक जुलूस, जिसमें सभी नङ्गे सिर एवं नङ्गे पाँव थे, सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों का फूल लेकर निकला, जो सभी प्रमुख सड़कों पर घूमा। महिलाएँ गले में काला कपड़ा लपेटे हुए थीं। जुलूस ठीक वहाँ जाकर समाप्त हुआ, जहाँ लाला जी की अन्त्येष्टि हुई थी। लोगों के चलने से इतनी धूल आकाश में उड़ रही थी, कि दूर तक देखा तक नहीं जा सकता था तथा जहाँ तक दृष्टि जाती थी, नर-मुण्ड ही नर-मुण्ड दिखाई देता था। जब सारा जन-समुदाय रावी-तट पर बैठ गया, तो डॉ० पुरुषोत्तम शर्मा ने सरदार भगतसिंह की मृत्यु पर महात्मा जी के वक्तव्य को हिन्दी में पढ़ कर सुनाया। सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने बताया कि किस तरह और कब सरदार तथा उनके साथियों का अन्तिम संस्कार किया गया। शव के भस्मावशेष की चर्चा करते समय वे कई बार फूट-फूट कर रो पड़े थे, जिससे समस्त जनसमुदाय, खासकर महिलाएँ भी उसी तरह फूट-फूट कर रोने लगी थीं। सर्वत्र घोर उदासी छाई हुई थी !!



## पञ्जाब-सरकार की विज्ञप्ति

"पत्रों और अन्यान्य साधनों द्वारा भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु के अन्तिम संस्कार के विषय में भाँति-भाँति की झूठी अफ़वाहें फैल रही हैं। इसलिए सच्चे हालात प्रकाशित करना आवश्यक है। २३ मार्च को ८॥ बजे रात को लाहौर सेण्ट्रल जेल से एक लॉरी में लाद कर तीनों लाशें निकाली गईं। इनके साथ दो लॉरियाँ ईंधन आदि की थीं, उनमें पुलिस के प्रहरी भी सवार थे। सतलज के तट पर क़ैसरेहिन्द पुल के पास ये लॉरियाँ पहुँचीं। गण्डसिंहवाला के पास एक आचार्य और एक ग्रन्थी भी आ मौजूद हुए। पौने बारह बजे रात को चितारोहण हुआ और ४ बजे तक आग इतनी बुझ चुकी थी कि भस्म हटाई जा सके। दोनों शास्त्रज्ञों से परामर्श लेकर मङ्गलवार को सुबह ४ बजे भस्म एकत्रित करके एक लॉरी में रक्खी गई। वह लॉरी लाहौर के फ़िरोज़पूर-बृज के समीप पहुँची और सवेरे पौने ६ बजे सतलज की निम्न धारा में भस्म बहा दी गई। शव बिल्कुल जल चुके थे और उनका कोई अङ्ग न छूटने पाया था। उक्त आचार्य एवं ग्रन्थी ने सभी आवश्यक धार्मिक संस्कार किए थे। यह बयान बिल्कुल ग़लत है कि जलाने के पहले लाशों को टूक-टूक कर दिया गया था। यह भी सच नहीं है, कि भारतीय अथवा गोरी पलटन लाशों के साथ गई थीं। २४ तारीख़ की दोपहर को अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर ने जो विज्ञप्ति निकाली थी, वह उक्त कार्यक्रम को जानते हुए प्रकाशित की गई थी। जेल-विधान के अनुसार बन्दियों के शव उनके सम्बन्धियों को इसलिए नहीं दिए गए, कि अन्तिम संस्कार के अवसर पर


प्रदर्शन होंगे और जन-शान्ति भङ्ग होने की आशङ्का उत्पन्न हो जाएगी।"

## नेताओं ने समाचार किस तरह सुना

२३ मार्च को ९॥ बजे रात की गाड़ी से कराची कॉङ्ग्रेस में शामिल होने के लिए जब दिल्ली स्टेशन पर नेता लोग पहुँच चुके थे, तब सब के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। कारण टेलीफ़ोन से यह मालूम हो गया था, कि लाहौर में ७ बजे सरदार भगतसिंह; श्रीयुक्त सुखदेव और श्रीयुक्त राजगुरु को फाँसी दे दी गई। पं० जवाहरलाल नेहरू, मालवीय जी और महात्मा जी की आँखों में आँसू थे। प० जवाहरलाल नेहरू ट्रेन चलते हुए रोते-रोते गिरते-गिरते बचे, जो कठिनाई से सँभाले गए !

## श्रीयुक्त सेनगुप्त की राय

कराची में श्रीयुक्त सेनगुप्त ने कहा है, कि "तमाम राष्ट्र की पुकार की ओर ध्यान न देकर पुरानी सिविलियन मनोवृत्ति का परिचय दिया गया है। इस समय नौकरशाही ने जो नया बाण चलाया है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। एकता में अनेकता उत्पन्न न होनी चाहिए और न शत्रु की यही अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए कि महात्मा गाँधी के अविच्छिन्न नेतृत्व में आघात पहुँचे। शहीदों की आत्मा को शान्ति प्राप्त हो और भारत और भी अधिक शीघ्रता से अहिंसात्मक साधनों से स्वतन्त्रता प्राप्त करे।"

## एसेम्बली में शोक-प्रकाश

२४ मार्च को दिल्ली में प्रश्न काल के समाप्त होते ही श्री० रङ्गाचारियर ने एसेम्बली में निम्न-लिखित घोषणा की—"हार्दिक



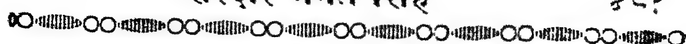
शोक और घोर क्रोध के साथ मैं यह बयान देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। गत ७ अक्टूबर को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगतसिंह और उनके दो सङ्गियों को जो प्राणदण्ड दिया था, कल रात को वह कार्यरूप में परिणित कर दिया गया। हम सरकार की इस हरकत पर शोक और रोष प्रकट करते हैं। इस मुक़द्दमे के हालात सबको मालूम हैं। उन कारणों को दुहराना अनावश्यक है, जिनसे प्रेरित होकर अभियुक्तों की पीठ पीछे ऑर्डिनेन्स द्वारा विशेष प्रबन्ध करके यह मामला चला था और इस कार्य-वाही का यह परिषद् सर्वदा विरोध करती रही है। जनसाधारण के बहुमत का विश्वास है, कि कम से कम भगतसिंह का तो उस अपराध से कोई सम्बन्ध न था, जिनके कारण उन्हें फाँसी पर टाँग दिया गया है। इस विषय में लोकमत का प्रदर्शन विभिन्न रुप से सरकार के आगे किया जा चुका है। जनता को पूर्ण विश्वास था और अहोरात्रि उसकी यही प्रार्थना थी, कि सरकार उस सबल लोकमत का ख़्याल करे, जिसे भारत की उस महान् आत्मा ने प्रकट कर दिया था। सरकार ने जनमत को ठुकरा दिया है और हमारे विचार में ऐसा कार्य किया है, जिसका भय-ङ्कर प्ररिणाम होगा। जनमत की इस उपेक्षा से सरकार ने स्वयं अपने और देश के लिए भी भीषण आपत्ति का आह्वान किया और कर रही है। न्याय के साथ दया भी दिखाई जाती, तो सरकार का सम्मान बढ़ जाता पर दुःख है कि सरकार नेक सलाह पर कोई विचार नहीं करती। इस समय जिस शान्त वातावरण की आवश्यकता थी, वह दूर हो गया है। हम इससे हार्दिक क्रोध और शोक प्रकट करते हैं। एसेम्बली की आज की कार्यवाही में हम कोई भाग न लेंगे।" श्रीयुक्त रङ्गाचारियर



के बयान के बाद सरदार भगतसिंह और उनके सङ्गियों के प्राण-दण्ड के प्रतिवादस्वरूप नेशनलिस्ट पार्टी के सब मेम्बर परिषद्-भवन से उठकर चले आए। इस बयान का जवाब देने के लिए सर जेम्स क्रेरार खड़े तो हुए, पर वाग्बाणों से जर्जर हो गए। उन्होंने सरकार की ओर से कहा कि "आप लोगों को कोई शिकायत तो न होनी चाहिए, क्योंकि सरकार यह बात कभी नहीं मान सकती कि इस मामले में बन्दियों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ। सरकार का निश्चित-मत है, कि प्रतिवादी पक्ष को अपने पक्ष में सभी प्रमाण देने का पूरा मौक़ा दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के, सबसे बड़े न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है। जिस कारण यह मामला चला, उससे तमाम भारत में हलचल मच गई थी, इसे कोई मेम्बर अस्वीकार नहीं कर सकता। सरकार ने मामले के सभी अङ्गों पर भली-भाँति विचार कर, दण्डाज्ञा को न्यायपूर्ण ही पाया। सरकार यदि इस मामले में दया-प्रदर्शन कर सकती, तो उसे सन्तोष होता, परन्तु सब बातों को ध्यान में रखते हुए दया-प्रदर्शन करने पर सरकार भारत के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने से वञ्चित हो जाती। क़ानून की रक्षा के लिए आवश्यक था, कि दण्डाज्ञा कार्य में परिणत कर दिखाई जाए।"

मेम्बर यह कह कर उठ कर बाहर चले गए कि "हमें यह उपदेश सुनने नहीं आए।" श्री० एस० सी० मित्र, श्री० डी० के० लाहिड़ी और मि० सादिक़ हुसेन, तीनों इण्डिपेण्डेण्ट मेम्बर भी उठ कर चले गए।

सर अब्दुर्रहीम ने कहा, कि विरोधी दल की अनुपस्थिति में इस वर्ष के सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव फ़ाइनेन्स बिल पर विचार



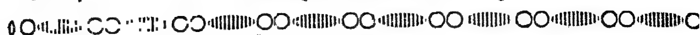
स्थगित रक्खा जाय, क्योंकि सरकार को अभी मनमानी करने का मौक़ा मिल गया है। सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए बिल का फ़ैसला करने पर ज़ोर दिया गया। अध्यक्ष ने कहा, कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को किसी दल-विशेष की इच्छा पर मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए दूसरे मामलों का निपटारा होने के बाद कल शाम तक फ़ाइनेन्स बिल का निर्णय कर लिया जाएगा। अतएव पोस्टल बिल पर वाद-विवाद होने के उपरान्त बैठक दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

## सरदार भगतसिंह का अन्तिम पत्र

फाँसी पर लटकाए जाने के पहले सरदार भगतसिंह, श्रीयुक्त शिवराम राजगुरु और श्रीयुक्त सुखदेव ने लाहौर सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के द्वारा पञ्जाब के गवर्नर को यह पत्र भेजा था।

"उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में उपस्थित करना चाहते हैं :

"हम लोगों को १९३० की ७वीं अक्टूबर को उस अङ्गरेज़ी अदालत अर्थात् स्पेशल ट्रिब्यूनल ने फाँसी की सज़ा दी थी, जो भारत में अङ्गरेज़ी शासन के प्रधान वॉयसरॉय द्वारा जारी किए हुए "स्पेशल लाहौर कॉन्सपिरेसी केस ऑर्डिनेन्स" के अनुसार नियुक्त हुआ था। हम लोगों के विरुद्ध प्रधान अभियोग महाराज पञ्चम जॉर्ज यानि इङ्गलैण्ड के महाराज के विरुद्ध युद्ध करने का लगाया गया था। उक्त अदालत के निर्णय से दो बातें निश्चित हो जाती हैं—पहली यह, कि अङ्गरेज राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के बीच युद्ध की अवस्था उपस्थित है और दूसरी यह, कि हम लोगों

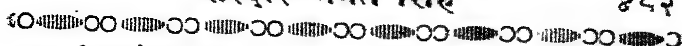


ने वास्तव में उस युद्ध में भाग लिया था, जिसके हम युद्ध के क़ैदी हैं।

"दूसरी बात कुछ आत्मश्लाघा-सी जान पड़ती है, किन्तु फिर भी हम इसे स्वीकार करने ही की नहीं, बल्कि इसके लिए अपने को महान् प्रतिष्ठा-प्राप्त समझने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सकते। पहली के सम्बन्ध में हम कुछ विस्तार में जाने को लाचार हैं। उक्त वाक्य से जैसा प्रकट होता है, वैसा युद्ध प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। हम नहीं जानते, कि 'युद्ध करने' का अर्थ अदालत ने क्या लगाया, किन्तु हम इसे यथार्थ अर्थों में स्वीकार करना चाहते हैं। पर अपना विचार स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता जान पड़ती है।

## युद्ध जारी है

"हम यह कहना चाहते हैं, कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्ठी भर शक्तिशाली लोगों ने मिहनत-मज़दूरी करने वाले भारतीयों और जन-साधारण के प्राकृतिक साधनों पर अपने स्वार्थ-साधन के लिए अधिकार जमा रक्खा है। इस प्रकार स्वार्थ साधने वाले चाहे अङ्गरेज़ पूँजी-पति हों या हिन्दुस्तानी, उन्होंने आपस में मिल कर लूट जारी कर रक्खी हो या शुद्ध भारतीय पूँजी से ही ग़रीबों का ख़ून चूसा जा रहा हो, इन बातों से अवस्था में कोई अन्तर नहीं आता। कुछ परवाह नहीं, यदि आपकी सरकार नेताओं वा भारतीय समाज के चौधरियों को थोड़े सुभीते देकर अपनी ओर मिला लेने में सफल हो जाए। किन्तु जन-साधारण पर इसका बहुत कम असर पड़ता है। इसकी कुछ परवाह नहीं, अगर एक



बार फिर नौजवानों से विश्वासघात किया गया है। इस बात का भी दुःख नहीं, अगर हमारे राजनीतिज्ञ फिसल गए हैं और वे सुलह की बातचीत में उन गृहहीन और दरिद्र देवियों को भूल गए हैं, जो दुर्भाग्यवश क्रान्तिकारी दल की मेम्बर समझी जाती हैं और हमारे राजनीतिज्ञ उन्हें अलग अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उनके विचार में वे 'हिंसा में विश्वास रखती हैं।' इन वीर देवीयों ने निस्सन्देह अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। उन्होंने अपने पतियों को बलिदान किया और बलिदान के लिए पेश किया, अपने भाइयों को भेंट चढ़ा दिया और जो कुछ उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, बल्कि अपने आप को भी निछावर कर दिया। लेकिन आपकी सरकार उन्हें बागी ख्याल करती है। आप के एजेण्ट भले ही झूठी कहानियाँ गढ़-गढ़ कर उन्हें बदनाम करें और पार्टी को बदनाम कर लें, लेकिन युद्ध तब भी जारी रहेगा।

## युद्ध के भिन्न-भिन्न रूप

"हो सकता है, कि युद्ध भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण कर ले। किसी समय यह प्रगट रूप धारण कर सकता है और कभी छिपे रूप में हो सकता है। कभी हलचल मचाने वाले आन्दोलन का रूप पकड़ सकता है और कभी-कभी भयङ्कर रूप धारण करके जीवन-मरण का दृश्य उपस्थित कर सकता है। चाहे जिस रूप में भी यह युद्ध हो, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह आप की इच्छा है, कि चाहे जो रूप पसन्द कर लें, लेकिन यह युद्ध जारी रहेगा। इसमें छोटी-छोटी बातों की परवाह नहीं की जायगी। बहुत सम्भव है कि यह युद्ध भीषण रूप धारण कर ले।



नए उत्साह, बढ़ी हुई दृढ़ता और अटल स्थिरतापूर्वक यह युद्ध तब तक चलता रहेगा, जब तक साम्यवादी प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हो जाती और वर्तमान समाज के स्थान में नए सिरे से समाज का ऐसा सङ्गठन नहीं हो जाता, जिससे स्वार्थियों के स्वार्थसाधन बन्द हो जायँ और समाज एवं मानव जाति को सच्ची शान्ति मिले।

## अन्तिम युद्ध

"बहुत शीघ्र ही अन्तिम युद्ध छिड़ेगा और उसमें आख़िरी फ़ैसला हो जायगा। साम्राज्यवाद और पूँजीवाद अब थोड़े ही दिनों के और मेहमान हैं। यही युद्ध है, जिसमें हमने खुल कर भाग लिया है और इसके लिए हमें गर्व है। हमने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है और न हमारे जीवन के साथ यह समाप्त ही होगा। यह तो ऐतिहासिक घटनाओं और वर्तमान समाज के परिणाम-स्वरूप है। हमारा बलिदान-तो इतिहास के उस अध्याय में वृद्धि करने वाला होगा, जिसे हमारे यतीन्द्र दास और कॉमरेड भगवतीचरण के अद्वितीय बलिदानों ने प्रकाशमान बना दिया है। अब रही अपनी बात, सो हम इस विषय में इतना ही कहेंगे, कि आपने जब हमें फाँसी पर लटकाने का निश्चय ही कर लिया है, तो आप ऐसा करेंगे। आप के हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धान्त आपके सामने है और आप इसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमारे मुक़दमे की कार्रवाई ही काफ़ी है। हमने कभी प्रार्थना नहीं की और न हम किसी से दया-भिक्षा माँगते हैं और न उस-


की आशा ही रखते हैं। हम केवल यही बताना चाहते हैं कि आपकी अदालत के निर्णय के अनुसार हम युद्ध में प्रवृत्त रहे हैं और इसलिए युद्ध-क़ैदी हैं। इसी से हम चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा ही बर्ताव किया जाय अर्थात् हमारा दावा यह है कि हमें फाँसी न देकर, गोली से उड़ा देना चाहिए। अब यह सिद्ध करना आपके हाथ है, कि आप गम्भीरतापूर्वक वैसा ही समझते हैं, जैसा आपकी अदालत ने कहा है और इसे कार्य द्वारा सिद्ध करें।

"हम बड़ी उत्सुकता से आपसे निवेदन करते और आशा रखते हैं, कि आप बहुत कृपा करके सेना-विभाग को हुक्म देंगे कि हमें प्राणदण्ड देने को वह एक सैनिक दस्ता या गोली मारने वालों की टुकड़ी भेजें। आशा है कि आप हमारी यह बात स्वीकार करेंगे, जिसके लिए हम आपको पहले ही से धन्यवाद दे देना चाहते हैं।"

## श्री० बटुकेश्वर दत्त का पत्र

सरदार भगतसिंह के साथ एसेम्बली बम-काण्ड में जन्म भर के लिए कालेपानी की सज़ा पाए हुए श्रीयुत बटुकेश्वर दत्त ने सलेम जेल से सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि, "मेरे जीवन में यह पहला ही अवसर है, कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। लेकिन इस नाज़ुक मौक़े पर जब मेरे प्यारे कॉमरेड सरदार भगत सिंह की क़िस्मत का फ़ैसला होने वाला है, यह बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है, कि मैं इस चिट्ठी को किस तरह शुरू करूँ। तो भी अवस्था मुझे कुछ शब्द लिखने को लाचार करता है। अगर


आपके दिल को इससे कुछ रञ्ज पहुँचे तो मैं आशा करता हूँ, कि आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। सरदार जी, यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा भगतसिंह से क्या सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध भ्रातृ-भाव के प्रेम और मित्रता का है, जिसे मानव-जाति के कल्याण के क्षेत्र में हमारे सम्मिलित दायित्व ने और भी मजबूत कर दिया है। प्रेम का यह स्रोत मेरे हृदय में उमड़ रहा है और इसने मुझे लाचार कर दिया है कि मैं उच्च अफ़सरों से यह प्रार्थना करूँ, कि यदि मेरा भाग्य साथ नहीं देता कि अपने उन मित्रों का, जिनके ऊपर काली घटाएँ घिर रही हैं, अन्त तक साथ दे सकूँ तो मुझे कम से कम इतना मौक़ा दे दिया जाय कि मैं उनका आख़िरी दर्शन कर सकूँ और इस अवसर पर अपने प्रेम-भाव का परिचय दे सकूँ और हम सदा के लिए एक दूसरे से पृथक् होने के पहले एक-दूसरे का अन्तिम अभिवादन कर सकें। लेकिन मुझे बहुत ही अफ़सोस है कि अफ़सरों ने एक ऐसे आदमी के भाव की परवाह नहीं की, जिसे अपने प्यारे मित्र के शोक-जनक वियोग के बाद जेल की चहारदीवारी के भीतर जिन्दा ही गड़ जाना है। सरदार से मिलने की मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है। और क्या लिखूँ? यदि सम्भव हो तो मेरे ये भाव मेरे साथी सरदार तक पहुँचा दें। मैं अनुभव करता हूँ:

आज़माइश है कड़ी, लब पर कोई शिकवा न हो।
फिर मिलेंगे जा यक़ीं, दिल में कोई धड़का न हो॥

आपका,

बटुकेश्वर दत्त



## अधिकारी अपने असली रूप में—

निम्न-लिखित तार लाहौर-स्थित 'फ्री प्रेस' के विशेष सम्वाद-दाता ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के लिए २३वीं मार्च को भेजा था, जो केवल 'सेन्सर' ही नहीं किया गया, वल्कि कहा जाता है, तार एकदम अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था। सरदार भगतसिंह आदि की फाँसी की सजा रुकवाने के लिए नेताओं ने जो-जो प्रयत्न किए थे, इस तार से सारी बातों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है; पाठकों की जानकारी के लिए तार की नक़ल नीचे उद्धृत की जा रही है:

"ऐसा प्रतीत होता है, कि महात्मा गाँधी ने सरदार भगत सिंह आदि की फाँसी की सजा रद्द कराने के लिए कोई उपाय-उठा नहीं रक्खा। वॉयसरॉय से बार-बार इस सम्बन्ध में जोर दिया गया। महात्मा जी का अन्तिम प्रयास २३वीं मार्च की सुबह किया गया था, जब कि वे महामना पं० मदनमोहन माल-वीय तथा अन्य कई कॉङ्गरेस के नेताओं सहित लॉर्ड इर्विन से मिलने गए थे। सुना है महात्मा गाँधी से वॉयसरॉय ने अन्त में कहा था कि फाँसी की सजाओं को वे कालेपानी में तो नहीं बदल सकते, पर अधिक से अधिक ३री या ४थी अप्रैल तक फाँसी को रोक सकते हैं। ताकि कॉङ्गरेस का अधिवेशन सकुशल समाप्त हो जाय। कहा जाता है, महात्मा जी ने एक सप्ताह के हेर-फेर में कोई लाभ नहीं देखा और अन्त में उन्हें यही कहना पड़ा


कि यदि वे फाँसी देना चाहते हैं तो निश्चित-तिथि को कॉङ्ग्रेस के अधिवेशन के पूर्व ही इन नौजवानों को फाँसी पर लटकाया जा सकता है, ताकि देश को भी इस बात का पता चल जाय कि देश कहाँ तक पहुँच पाया है। यदि पहले ही फाँसी लगा दी गई तो कॉङ्ग्रेस की परिस्थिति का अन्दाज़ा लगाने में भी सुविधा हो सकती है।

कहा जाता है वॉयसरॉय की इस मुलाक़ात के पूर्व ही महात्मा गाँधी ने अपने सामने ही एक वक्तव्य ( *Manifesto*) तैयार करा के श्री० आसफ़ अली के हाथ, इसलिए लाहौर भेजा था, ताकि वे इस पर स्वर्गीय सरदार भगतसिंह आदि के हस्ताक्षर करा लावें, जिससे उनकी फाँसी के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी करने में सुविधा हो सके। महात्मा जी ने इन नौजवानों के लिए एक सन्देश भी भेजा था लेकिन श्री० आसफ़ अली को इन स्वर्गीय नौजवानों से मिलने तक नहीं दिया गया।

लाहौर में ३ दिन ठहरने के पश्चात् उन्हें पञ्जाब गवर्नमेण्ट के होम-मेम्बर का एक पत्र इस आशय का मिला, कि जो वक्तव्य वे सरदार भगतसिंह आदि को दिखाने अथवा हस्ताक्षर कराने के उद्देश्य से अपने साथ लाए हैं, उसकी एक नक़ल यदि वे उन्हें भेजें तो उनसे भेंट कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। श्री० आसफ़ अली ने ऐसा करने से साफ़ इन्कार कर दिया और इस प्रकार आपकी अन्तिम मुलाक़ात स्वर्गीय सरदार भगतसिंह आदि से न हो सकी।

'फ्री प्रेस' को विश्वस्त सूत्र से इस बात का पता चला है, कि यद्यपि लॉर्ड इर्विन सरदार भगतसिंह आदि को फाँसी देने के


पक्ष में स्वयं नहीं थे किन्तु पञ्जाब-गवर्नमेण्ट के लगभग सभी अङ्गरेज़ अफ़सरों ने लॉर्ड इर्विन को इस बात की धमकी दी थी, कि यदि उन्होंने फाँसी की इस सज़ा को रद्द कर दिया, तो वे एक साथ अपने पदों से इस्तीफ़ा दे देंगे।

## ५० हज़ार स्त्री-पुरुष का रोमाञ्चकारी करुण-क्रन्दन

२३वीं मार्च सन् १९३१ की सन्ध्या के साढ़े सात बजे लाहौर सेण्ट्रल जेल में सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और श्री० सुखदेव फाँसी पर लटका दिए गए! सेण्ट्रल जेल के भीतर क़ैदियों द्वारा लगभग ७ बजे बड़ी देर तक 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' के नारे लगते रहे, जिससे आसपास के लोगों को इस बात का पता लग गया, कि सरदार भगतसिंह आदि फाँसी पर लटकाए जा रहे हैं!

स्व० भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने तार-द्वारा अधिकारियों से इस बात की प्रार्थना की थी कि भगतसिंह और उनके साथियों के मृतक शरीर अन्त्येष्टि क्रिया के लिए उन्हें दे दिए जायँ, परन्तु मृतक शरीर तक उन्हें नहीं दिए गए और आधी रात को सतलज नदी के किनारे जला दिए गए!

## सच्चा शाही-मातम

जेल के पदाधिकारियों ने उस दिन सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और श्री० सुखदेव के माता-पिता तथा भाइयों और बहिनों के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धियों को उनसे मुलाक़ात करने की आज्ञा नहीं दी। इस आज्ञा के विरोध में सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने वॉयसरॉय, गवर्नर और होम-

मेम्बर को तार भेजा था, परन्तु उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होने के पहले ही तीनों उसी दिन सन्ध्या को फाँसी पर लटका दिए गए !

भगतसिंह और उनके साथियों की फाँसी से लाहौर में बड़ी सनसनी फैल गई थी। अङ्गरेज़ी और कुछ मुसलमानी दूकानों को छोड़ कर, फाँसी के विरोध में २४वीं मार्च को पूरी हड़ताल रही। शहर के कोने-कोने में लोग नङ्गे सिर एकत्रित हो रहे थे। आकस्मिक घटना के भय से फ़ौज बिल्कुल तैयार रक्खी गई थी और शहर भर में सशस्त्र पुलिस का पहरा था। आकाश में वायुयान भी इसी उद्देश्य से उड़ रहे थे। नौजवान भारत सभा ने एक विराट सभा में फाँसी के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया और श्री० भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव का स्मृति-चिन्ह स्थापित करने का निश्चय किया तथा उसके लिए रुपए की अपील भी की गई। सबेरे इस सभा के अतिरिक्त काले झण्डों सहित एक विराट जुलूस निकाला गया और मिण्टो-पार्क में लगभग ५०,००० स्त्री-पुरुष की एक सभा हुई। सब के चेहरे पर उदासी छाई थी। जब सभा में सरदार भगतसिंह के पिता किशनसिंह रोते-चिल्लाते हुए उपस्थित हुए, तब सभा में उपस्थित स्त्री-पुरुषों के धैर्य का बाँध टूट गया और वे फूट-फूट कर रोने लगे। जब सभी बच्चों की नाईं रो रहे थे, तब सभा में से एक बच्चे ने उठकर कहा कि भगतसिंह मरे नहीं हैं, वे जिन्दा हैं।

२ बजे दिन को नील-गुम्बद से एक मौन जुलूस प्रारम्भ हुआ और ६ बजे शाम को मोरी-गेट के बाहर समाप्त हुआ। शहर कॉङ्ग्रेस दफ़्तर और पञ्जाब सेवादल के झण्डे आधे अन्तर पर ( *half mast* ) लहरा रहे थे !



## अन्तिम उद्गार

फाँसी के कुछ दिन पहले सरदार भगतसिंह और उनके साथियों ने दया-प्रार्थना के लिए इन्कार करते हुए पञ्जाब गवर्नर को लिखा था—"अन्त में हम केवल यह कहना चाहते हैं, कि आपकी अदालत के फ़ैसले के अनुसार हम पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग लगाया गया है और इस प्रकार हम युद्ध के शाही क़ैदी हैं। अतएव हमें फाँसी पर न लटका कर गोली से उड़ाया जाना चाहिए! इसका निर्णय अब आप के ऊपर है, कि जो कुछ अदालत ने निर्णय किया है, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे या नहीं। हमारी आप से विनम्र प्रार्थना है और हमें पूर्ण आशा है कि आप कृपा कर फ़ौजी महकमे को आज्ञा देकर हमारे प्राण-दण्ड के लिए एक फ़ौज या पल्टन के कुछ जवान बुलवा लेंगे।"

# फाँसी पर लोकमत

## महात्मा गाँधी

"भगतसिंह अमर-शहीद हो गए हैं। उनकी मृत्यु से आज लाखों व्यक्ति दुखी हैं। मैं इन नवयुवक देश-भक्तों की लगन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ; परन्तु मैं देश के नवयुवकों को इस बात की चेतावनी देता हूँ, कि वे उनके पथ का अवलम्बन न करें। हमें भरसक उनके अभूतपूर्ण त्याग, अदम्य उत्साह और विकट साहस का अनुकरण करना चाहिए, परन्तु उन गुणों का उपयोग उनकी तरह न करना चाहिए। देश की स्वतन्त्रता हिंसा

और हत्याओं से प्राप्त नहीं होगी। गवर्नमेण्ट के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कि उसने विप्लववादियों की सहानुभूति प्राप्त करने का यह स्वर्ण-अवसर खो दिया है। सन्धि की शर्तों के अनुसार उसका यह कर्तव्य था, कि उनकी फाँसी की सज़ा वह कुछ समय के लिए स्थगित कर देती। अपने इस कार्य से उसने सन्धि पर बड़ा आघात किया है और इस बात का परिचय दिया है, कि उसमें अभी भी जनता के मनोभावों को कुचलने की शक्ति है। पशुबल के इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि बड़ी-बड़ी घोषणाएँ और सहानुभूति-सूचक सन्देश देने के उपरान्त भी वह अपनी शक्ति और शासनाधिकार से ज़रा भी हाथ खींचना नहीं चाहती। परन्तु गवर्नमेण्ट की इस दुर्नीति से कॉङ्ग्रेस को अपने उद्देश्य और अपने निश्चय से तिल-मात्र भी न डिगना चाहिए। आवेश में आकर हमें पथ-भ्रष्ट न होना चाहिए। हमें यह समझ कर सन्तोष कर लेना चाहिए, कि फाँसी की सज़ाएँ रद्द करना सन्धि के प्रस्तावों में निहित न था। गवर्नमेण्ट पर हम गुण्डापन का दोष आरोपित कर सकते हैं, परन्तु हमें उस पर सन्धि भङ्ग करने का दोष न मढ़ना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय से भगतसिंह और उनके साथियों की फाँसी से हमारी शक्ति बढ़ गई है। हमें आवेश में आकर इस अवसर को व्यर्थ न खोना चाहिए। इस फाँसी के विरोध में देश भर में हड़तालें होना बिल्कुल स्वाभाविक हैं। इन देशभक्तों की फाँसी के विरोध में मौन-जुलूस निकालने से अधिक उनका सम्मान नहीं हो सकता। इस अवसर पर हमें देश पर और अधिक आहुति देने के लिए तैयार होना चाहिए।"



## सरदार पटेल

"अङ्गरेज़ी क़ानून इस बात पर अभिमान से झूमता था, कि वह गवाही में जिरह के द्वारा प्रमाणित किए बिना किसी अभियुक्त को सज़ा नहीं देता, परन्तु उसी क़ानून ने ऐसी गवाही के विश्वास पर, जो घटना के बहुत देर बाद प्राप्त हुई थी और जिसमें जिरह का नाम न था—भारत के एक श्रेष्ठ युवक की हत्या कर डाली। किसी व्यक्ति को ढीठता और उच्छृङ्खलता के अपराध में सज़ा दी जा सकती है, परन्तु उसे फाँसी पर लटका देना कहाँ का न्याय है?"

## पं० मदनमोहन मालवीय

पं० मदनमोहन मालवीय ने कराची को प्रस्थान करने के पहले मुलाक़ात में कहा—"इस फाँसी से मुझे इतना दुख हुआ है कि मेरे मुँह से शब्द नहीं निकलते।"

## पं० जवाहरलाल नेहरू

२४ ता० को नई दिल्ली में राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा—"मैंने इन देश-भक्तों के अन्तिम दिनों में अपनी ज़बान पर लगाम लगा रक्खी थी, क्योंकि मुझे सन्देह था, कि मेरे ज़बान खोलते ही कहीं फाँसी की सज़ा रद्द होने में बाधा न पहुँचे। यद्यपि मेरा हृदय बिलकुल पक गया था और ख़ून अन्दर से उबाल खा रहा था, परन्तु तिस पर भी मैं मौन था। परन्तु अब फ़ैसला हो गया। हम देश भर के लोग मिल कर भी भारत के ऐसे युवक की रक्षा न कर सके, जो हमारा प्यारा रत्न था और जिसका अदम्य उत्साह, त्याग और विकट



साहस भारत के युवकों को उत्साहित करता था। भारत आज अपने प्यारे बच्चों को फाँसी से छुड़ाने में असमर्थ है। इस फाँसी के विरोध में देश भर में हड़तालें होंगी और जुलूस निकलेंगे। हमारी इस परतन्त्रता और असहायता के कारण देश के कोने-कोने में शोक का अन्धकार छा जायगा। परन्तु उनके ऊपर हमें अभिमान भी होगा और जब इङ्गलैण्ड हम से सन्धि का प्रस्ताव करेगा, उस समय उसके और हमारे बीच में भगतसिंह का मृत-शरीर उस समय तक रहेगा, जब तक हम उसे विस्मृत न कर दें।"

## मौलाना ज़फ़रअली

"अभागे भारत ने अपने इतिहास में ऐसी असहायता का कभी अनुभव नहीं किया था, जैसी असहायता का अनुभव उसने २३ ता० को भगतसिंह की फ़ाँसी के अवसर पर किया है।"

## श्री० आसफ़अली

"मैं दिल्ली से लाहौर, पञ्जाब-गवर्नमेण्ट से आज्ञा लेकर भगतसिंह से इस आशा से मिलने आया था, कि मैं क्रान्तिकारी दल के नाम उनसे एक पत्र प्राप्त करूँ, जिसमें वे उन्हें इस बात का आदेश दें, कि जब तक महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक आन्दोलन से भारत के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने की आशा है, तब तक के लिए वह अपने हिंसात्मक कार्य स्थगित कर दें। मैंने उनसे मुलाक़ात करने के लिए हर एक उपाय से काम लिया, परन्तु चारों ओर से दरवाज़ा बन्द पाया। मैंने पदा-


धिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया था, कि भगतसिंह से मिलने का उद्देश्य केवल अहिंसात्मक आन्दोलन के लिए सहायता प्राप्त करना है और उन्हें यह विश्वास भी दिलाया था, कि उस मुलाक़ात से मुझे बहुत सफलता मिलने की आशा है, परन्तु मेरी अनुनय-विनय का मुझे जो उत्तर मिला, उसमें अधिकार का मद निहित था। यदि मुझे भगतसिंह से मुलाक़ात करने का अवसर दिया जाता, तो मुझे विश्वास है कि क्रान्तिकारी दल से महात्मा गाँधी के मार्ग का अनुकरण कराने में बहुत सहायता मिलती। ऐसे मामले में, जिसका सम्बन्ध लाखों भारतवासियों से है, भगतसिंह जैसा देश-भक्त उन लोगों को, जिनका यह विश्वास है कि राजनैतिक दोषों को पूरा करने के लिए राज्यक्रान्ति की आवश्यकता है—उपदेश देने में किञ्चित सङ्कोच न करता।

## कुछ समाचार पत्रों का असन्तोष

भगतसिंह और उसके साथियों को फाँसी पर लटकाने में जल्दबाज़ी कर गवर्नमेण्ट ने समस्त देश के मनोभावों को कुचलने का प्रयत्न किया है। उसने ऐसे अवसर पर जो भयङ्कर भूल की है, उसका सन्धि पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

—हिन्दू ( अङ्गरेज़ी )

राजनैतिक दृष्टि से इससे अधिक शैतानी कार्य की योजना नहीं की जा सकती।

—स्वराज्य ( अङ्गरेज़ी )

गवर्नमेण्ट ने विप्लववादियों की सहानुभूति प्राप्त करने का सुवर्ण-अवसर हाथ से खो दिया है।

—स्वदेश मित्रम् ( अङ्गरेज़ी )



भगतसिंह और उनके साथियों की फाँसी से देश के शिक्षित युवकों में भयङ्कर असन्तोष फैलने की सम्भावना है। उनके प्राणों की भिक्षा के लिए गवर्नमेण्ट के पास हज़ारों प्रार्थना-पत्र भेजे गए, सैकड़ों सभाएँ हुईं; परन्तु अन्त में उनका परिणाम कुछ भी न निकला। यद्यपि जनता ने इन वीर और अमर देश-भक्तों को, जिन्हें क़ानून ने अन्तिम दण्ड दिया था, जुलूस निकाल कर और अन्य प्रकार से बचाने का प्रयत्न किया था; परन्तु उनकी क़ानूनी कार्यवाही में इतनी भूलें थीं, कि यदि गवर्नमेण्ट चाहती तो उन्हें क़ानून के आधार पर ही मुक्त कर सकती थी। इसमें सन्देह नहीं, कि गवर्नमेण्ट ने कराची कॉङ्ग्रेस के अवसर पर उन्हें फाँसी पर लटका कर महात्मा गाँधी के मार्ग में काँटे बिखरा दिए हैं।

—लीडर ( अङ्गरेज़ी )

सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की फाँसी की सज़ा रद्द न कर, गवर्नमेण्ट ने जैसी भयङ्कर भूल की है, उसकी तुलना कई वर्षों की किसी भयावह घटना से नहीं की जा सकती। इस देश के इतिहास में इतनी सनसनी किसी मामले से नहीं फैली, जितनी इस मामले से; और न कभी किसी मामले से फाँसी की सज़ा रद्द करने के लिए देश ने इतनी अनुनय-विनय ही की है।

—ट्रिब्यून ( अङ्गरेज़ी )

सरदार भगतसिंह को फाँसी हो गई और सरकार समझती है, कि शायद इन देश-भक्तों को फाँसी देकर उसने विप्लववाद



का नाश कर दिया है, पर उसे मालूम होना चाहिए, कि इस एक ही घटना से उसकी कठिनाइयाँ हज़ार गुना बढ़ गईं और इससे केवल यही भय नहीं है, कि विप्लव की आग और भी भड़केगी, वरन् यह भी सम्भव है कि इस घटना से महात्मा गाँधी का प्रभाव भी एकदम कम हो जाय, जिसने देश को खून-ख़राबी से अब तक बचा रक्खा है।

—रियासत ( उर्दू )

सरदार भगतसिंह आदि को फाँसी देकर सरकार ने केवल अपने ही मार्ग में कठिनता का सामान पैदा नहीं कर लिया है, बल्कि कॉङ्ग्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया है।

—अवध अख़बार ( उर्दू )

हम यह तो नहीं कह सकते, कि सरकार ने यह काम बुद्धिमानी का किया है या मूर्खता का, क्योंकि यह तो समय ही बताएगा; परन्तु यह अनुमान करना कठिन नहीं, कि इससे देश में बेचैनी बढ़ेगी और महात्मा गाँधी-जैसे बुद्धिमान और प्रभावशाली नेताओं का स्थान नवयुवक छीन लेंगे।

—शेर ख़ालसा ( उर्दू )

× × × जहाँ तक देश में शान्ति की प्रतिष्ठा और भारत तथा इङ्गलैण्ड के सम्बन्ध को क़ायम रखने का प्रश्न है, हमारी राय में इस फाँसी से उसको असह्य चोट लगी है। लॉर्ड इरविन और मि० मैकडॉनल्ड ने एक से अधिक बार दोनों देशों में अच्छा सम्बन्ध करने की अपील की थी, जिसके उत्तर में महात्मा जी ने अपना सत्याग्रह बन्द कर दिया और सरकार को मौक़ा दिया......परन्तु शोक है कि इन्हीं लॉर्ड इरविन और मि०


मैकडॉनल्ड के शासन-काल में सरदार भगत सिंह आदि को फाँसी के तख्ते पर लटका कर देश की शान्ति के पर्दे पर बिजलियाँ गिराने की चेष्टा की गई है।

—वतन ( उर्दू )

× × × शासन-तन्त्र ने एक ऐसा क़दम बढ़ाया, जिसका परिणाम किसी दशा में अच्छा नहीं हो सकता। शासन-तन्त्र के सञ्चालकों को सोचना चाहिए, कि जिस भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के लिए पेशावर से बम्बई और काश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग मेमोरियल भेज रहे हैं, आख़िर कोई बात है, जिसकी वजह से देश उन्हें जीवित रखना चाहता है। अफ़सोस है कि नौकरशाही ने शासन को सर्व-प्रिय बनाने का एक नायाब मौक़ा सदा के लिए खो दिया।

—मिलाप ( उर्दू )

समस्त भारत के एक स्वर से प्रार्थना करने पर भी आख़िर भगतसिंह फाँसी पर लटका ही दिया गया और नौकरशाही ने अपनी अदूरदर्शिता से हिंसावादी दल को अहिंसावादी राजनीतिकों के विरुद्ध आन्दोलन करने तथा सर्वसाधारण को उत्तेजित करने का मौक़ा दे ही दिया।

—रोज़ाना ख़िलाफ़त ( उर्दू )

सरदार भगतसिंह को फाँसी देने में यदि सरकार क़ानून से मजबूर थी, तो क्या यह ग़ैर-क़ानूनी तौर पर फाँसी देने के लिए भी मजबूर थी ? जिस न्याय की नींव पर ब्रिटिश सरकार का दावा है, कि उसका महल खड़ा है, क्या वह यही है ?

—अर्जुन ( हिन्दी )



सरकार की ज़िद से यह बात सिद्ध होती है, कि उदारता के ढोल पीटने पर भी सरकार अपने हाथ की शक्ति कम नहीं करना चाहती।

—नवीन भारत ( हिन्दी )

सरकारी हलक़ों में इङ्गलैण्ड और भारत के सम्मानपूर्ण समझौते के शत्रु तो बहुत से हैं, परन्तु जिस व्यक्ति ने वॉयसरॉय को इस आख़िरी मौक़े पर इन नौजवानों को फाँसी पर लटकाने की सलाह दी है, वह सचमुच दोनों देशों का कट्टर दुश्मन भी है और अत्यन्त मूर्ख भी।

—पञ्जाब-केसरी ( हिन्दी )

समस्त राष्ट्र के आवेदन-निवेदन से भी भारत-सरकार विचलित नहीं हुई। भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी पर लटक कर प्राण दे देना पड़ा! ये जीवनाञ्जलि देकर मृत्यु का स्वागत करने को प्रस्तुत थे। इन्होंने क्षमा की प्रत्याशा नहीं की थी—प्रार्थना भी नहीं की थी, इनका अन्तिम पत्र इस बात का प्रमाण है। तब भी इनकी मृत्यु के कारण सारे देश पर विषाद की काली छाया पड़ गई है। यह शोक की स्तब्धता नहीं, क्षोभ का गाम्भीर्य है।............सरकार के मनोभावों में परिवर्तन हुआ है—ऐसा विश्वास न होता तो समस्त देश इस तरह क्षमा-प्रार्थना और प्रत्याशा न करता। विप्लवी और विप्लव के सन्देह में गिरफ़्तार व्यक्तियों को उत्पीड़ित न करके, अगर दया द्वारा उन्हें हिंसा के पथ से लौटा लाने की नीति का अवलम्बन किया जाता तो तोप व बन्दूक़ के बल से बलवान


बृटिश सरकार को कोई दुर्बल समझ कर उपहास नहीं करता !

—आनन्द बाज़ार पत्रिका ( बङ्गला )

## मि० होर्स जी० एलेकज़ेण्डर

लाहौर षड्यन्त्र-केस में सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई फाँसियों के सम्बन्ध में विलायत के "मैञ्चेस्टर गार्जियन" में लिखते हुए मि० होर्स जी० एलेकज़ेण्डर ने लिखा था :

ठीक ऐसे समय, जब कि लोग यह उम्मीद करने लग गए थे, कि महात्मा गाँधी अपनी समझौता वाली नीति में, नवयुवक-दल के प्रबल विरोध करने पर भी, कॉङ्गरेस में विजयी होंगे, भगतसिंह और उनके साथी फाँसी पर लटका दिए गए ! अगर लोगों को यह निश्चय हो गया होता, कि कैप्टेन सॉण्डर्स के असन्दिग्ध हत्याकारी ये ही व्यक्ति हैं, तो इनकी फाँसी के सम्बन्ध में, एक बार विरोध कर के मौन होकर बैठ रहते। लेकिन इस मामले में जैसी कार्रवाई की गई है, उसे देखते हुए, कोई मौन नहीं बैठ सकता, बल्कि इसका तीव्र प्रतिरोध आवश्यक था।

इस मामले की मुख्य बातें भारतवर्ष के लोगों पर बहुत अच्छी तरह प्रगट हैं; कि किस तरह साइमन कमीशन लाहौर आया, किस प्रकार उसके विरुद्ध सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विराट प्रदर्शन हुआ, किस प्रकार कैप्टेन सॉण्डर्स द्वारा, जैसा कि लोग कहते हैं, लाला जी पर वार किया गया और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई। लाला जी की मृत्यु के कारण के विषय में डॉक्टरों में यद्यपि मतभेद



था, लेकिन अधिकांश भारतीयों का यह दृढ़ विश्वास है, कि कैप्टन सॉण्डर्स के आक्रमण के आघात से ही उनकी मृत्यु हुई। इस मृत्यु के एक मास बाद, अनुमान है, कि प्रतिशोध की भावनाओं से प्रेरित होकर कैप्टन सॉण्डर्स की हत्या कर डाली गई। हत्याकारी लापता रहे। बहुत समय बाद भगतसिंह, जिन्हें एसेम्बली बम-काण्ड के मामले में सज़ा दी जा चुकी थी, और जिन्होंने स्वयं ही अपने को हिंसक क्रान्तिकारी स्वीकार किया था, अपने कुछ साथियों के साथ इस हत्या के लिए दोषी ठहराए गए। इस मामले के दौरान में कोर्ट में जो गवाहियाँ गुज़रीं, वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। भगतसिंह एक अत्यन्त साहसी, निर्भीक और स्पष्टवादी युवक था। अपनी मातृ-भूमि के कल्याण के लिए वह किसी क्षण जीवनोत्सर्ग कर सकता था। उसने स्वयं ही कहा था, कि इस हत्याकाण्ड से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन वह और उसके साथी अपराधी ठहराए गए और फ़ैसले में उन्हें मृत्यु का दण्ड दिया गया। सारी अपीलें और सज़ा कम करने की प्रार्थनाएँ रद्द कर दी गईं और ठीक ऐसे समय, जब कि गाँधी जी कॉङ्ग्रेस को इस बात का विश्वास दिलाने जा रहे थे, कि सरकार ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है, वे नवयुवक फाँसी पर चढ़ा दिए गए। हम इस मनोवृत्ति को किस बात का परिचायक समझें? मेरा पहला ख्याल यही हुआ, कि इर्विन-गाँधी समझौते के कुछ शत्रु-अधिकारी इस समझौते को किसी भी तरह भङ्ग करने पर तुले हुए हैं, इसीलिए इन फाँसियों के देने में इतनी जल्दी की गई है। ठीक ऐसे समय, जब कि लॉर्ड इर्विन ने पुलिस-जाँच की माँग


के सम्बन्ध में अपने मातहतों का समर्थन किया था, कुछ लोग, मालूम होता है, उन्हें गिरा देने के लिए ही तय्यार थे। इसीलिए उन्होंने उपर्युक्त अभियुक्तों को फाँसी दे देने में इतनी जल्दी की। लेकिन सम्भव है, यह बात न हो। हो सकता है, कि भारत-सरकार के कुछ विभागों को अपने दमन की घातक नीति पर ही पूरा विश्वास हो। ये महाशय पूर्वीय देशों के निवासियों की मनोवृत्ति को समझाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि पूर्वीय मनोवृत्ति तो केवल पशुबल का आदर करना जानती है, उस पर और किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। शायद, उनका ख्याल है कि कॉङ्ग्रेस इन फाँसियों से दब जायगी। परन्तु मेरा विश्वास है, कि पूर्व और पश्चिम के बीच विषाक्त और अप्रिय सम्बन्ध पैदा करने के लिए सब से अधिक उत्तरदायी यही नीति है।

यही अवसर है, कि इङ्गलैण्ड के निवासी चेत जायँ और समझ लें कि वास्तव में पूर्वीय और पश्चिमीय मनोवृत्ति में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। पूर्वीय या पश्चिमीय दोनों ही, चाहे थोड़े समय के लिए बल प्रयोग से भले ही दब जायँ, लेकिन याद रहे कि अवसर पाकर दबी हुई वस्तु अपने दूने वेग से उभड़ती है। मेरे और भी मित्रों का ऐसा ही अनुभव है, कि हिन्दुस्तानियों में अगर कोई विशेषता है, तो वह यही है, कि वे अल्प से अल्प उदारता, प्रेम और विश्वास से सहज ही वशीभूत हो जाते हैं। उनके ये लक्षण कमजोरी के चिन्ह कदापि नहीं हैं। वे थोड़े से विश्वास और सहानुभूति के आधार पर भी बड़ी शीघ्रता के साथ स्थायी मैत्री स्थापित कर लेते हैं। मेरा

विश्वास है, कि हिन्दुस्तान के लोग अब भी दोस्ती चाहने वाले इङ्गलैण्ड का साथ दे सकते हैं। लेकिन बात यह है, कि बार-बार अमृतसर-काण्ड की पुनरावृत्ति करने से दोनों देशों की मैत्री मुश्किल होती जा रही है। उन लोगों को, जो वास्तव में पूर्व और पश्चिम में प्रेम स्थापित करना चाहते हैं, चाहिए कि भारतीयों के प्रति उदारता और सहृदयता का व्यवहार करें और अपने पुराने कृत्यों के लिए प्रायश्चित्त कर डालें।

## सिक्खों में असन्तोष

यद्यपि गवर्नमेण्ट की विज्ञप्ति का कहना है कि सरदार भगतसिंह आदि की अन्त्येष्टि क्रिया धर्मानुसार और विधिपूर्वक सम्पन्न हुई थी; किन्तु पञ्जाब की जनता को जो प्रमाण अब तक अन्यथा प्राप्त हो सके हैं, उनके बल पर वह इस आश्वासन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेण्ट का कहना है, कि दाह-कर्म के पश्चात् फूलादि सतलज में डाल दिया गया था, किन्तु यह भी सत्य प्रतीत होता है कि अधजले (झौंसे हुए) कुछ लाश के टुकड़े उसी स्थान से पाए गए हैं, जहाँ इन नवयुवकों की अन्त्येष्टि किया की गई थी और लाहौर में इन्हीं टुकड़ों के शव का जुलूस निकाला गया था, जिसके पीछे एक लाख व्यक्तियों की भीड़ थी। इस सम्बन्ध में पञ्जाब के सुप्रसिद्ध सिक्ख-नेता ज्ञानी शेरसिंह जी ने, जो सिक्खों के धार्मिक नेता भी हैं, प्रेस के लिए एक वक्तव्य २७वीं मार्च सन् १९३१ को अमृतसर में दिया था जिसका सारांश यह है :

"मैंने सरकार द्वारा प्रकाशित उस विज्ञप्ति को पढ़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि सरदार भगतसिंह के शव की अन्त्येष्टि

क्रिया सिक्ख-धर्मानुसार की गई है। गवर्नमेण्ट की यह विज्ञप्ति सत्य से परे है, परन्तु यदि इसे सत्य भी मान लिया जाय तो यह तो स्पष्ट है कि अन्त्येष्टि क्रिया सिक्खों के धर्मानुसार नहीं हुई थी। किसी 'ग्रन्थी' को बिना ऐसे चार अन्य सिक्खों के, जो कि सिक्ख-धर्म को कड़ाई से मानने वाले हों, अन्त्येष्टि क्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है।

"अन्त्येष्टि क्रिया के साधारण नियम ये हैं कि श्मशान की ओर प्रस्थान करने से पूर्व शव को दही और दूध से स्नान कराया जाता है। अर्थी चार सिक्खों के कन्धों पर होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के शरीर पर पाँचों 'कक्का' (सिक्खों के धार्मिक चिह्न) मौजूद हैं या नहीं? 'रागियों' की एक सङ्गीत-मण्डली होनी चाहिए। इन रागियों को इस समय गुरु तेग़बहादुर की बानी के 'शब्द' गाना चाहिए जो इसी अवसर पर गाए जाते हैं। यदि शव किसी 'शहीद' का हो, तो विशेष 'शब्द' गाए जाने चाहिएँ, जैसे कि "जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनन्द" (अर्थात् जिस मृत्यु से संसार भयभीत होता है, उससे मुझे आनन्द प्राप्त होता है) इसके अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक बातें हैं, जिनकी उपेक्षा न होनी चाहिए।

"स्वयं गवर्नमेण्ट के वक्तव्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में इस प्रकार की कोई बात भी नहीं की गई थी। इस विज्ञप्ति का केवल इतना ही कहना है, कि अन्तिम संस्कार एक ऐसे 'ग्रन्थी' द्वारा सम्पन्न कराया गया, जिसका नाम और पता तक नहीं बतलाया गया!

"इस प्रकार के अधूरे वक्तव्य से सिक्ख-जनता कदापि सन्तुष्ट नहीं हो सकती और वह उन सारी बातों का गवर्नमेण्ट से प्रमाण



चाहती है, जिनका उल्लेख सरकारी वक्तव्य में किया गया है, और वह इस मामले में गवर्नमेण्ट से कैफ़ियत तलब करना चाहती है। गवर्नमेण्ट को सारी बातें स्पष्ट रूप से प्रकाशित करनी चाहिए।"

## लाशें कैसे जलाई गईं ?

सरदार भगतसिंह आदि के शव-दाह के विषय में जाँच करने के लिए कॉङ्ग्रेस की ओर से जो कमिटी नियुक्त की गई थी, उसने लाजपतराय हॉल में १२वीं अप्रैल से बयान लेना शुरू कर दिया है। १२वीं अप्रैल को बयान शुरू होने के पहले डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि हमने पञ्जाब-सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी से इस जाँच में सहायता देने का अनुरोध किया था, पर वहाँ से जवाब मिला, कि सरकार इस मामले की जाँच कर चुकी है और उसका नतीजा भी प्रकाशित कर दिया गया है; इसलिए अब वह और किसी जाँच में सहायता देना नहीं चाहती। इसके बाद फ़ीरोज़-पूर कॉङ्ग्रेस कमेटी के मन्त्री श्री० पृथ्वीचन्द वकील, मि० शफ़ा-अतुल्ला, श्रीमती पार्वती देवी और श्रीमती सोंधी की गवाहियाँ हुईं।

## श्री० पृथ्वीचन्द वकील का बयान

श्री० पृथ्वीचन्द ने अपने बयान में कहा, कि २४ मार्च को सवेरे ७ बजे मुझे मालूम हुआ, कि सरदार भगतसिंह आदि की लाशें, सतलज के किनारे, पुराने पुल के पास जलाई गई हैं। मैंने पृथ्वी राम और जगन्नाथ को इस समाचार की सचाई की जाँच करने को कहा। उन्होंने सवा नौ बजे वापस आकर कहा, कि ख़बर ठीक है। उन्होंने यह भी कहा, कि उस जगह से मिट्टी के तेल की बू आ रही है और ज़मीन अभी तक गरम है। सवा दस



बजे के क़रीब एक सिक्ख ठेकेदार ने भी आकर कहा कि रात ही को यहाँ लाशें दफ़ना दी गईं और ज़मीन से अभी तक मिट्टी के तेल की बू आ रही है।

थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हुआ कि सरदार भगतसिंह और उनके साथियों के रिश्तेदार मौक़े पर आए हैं। कुछ मित्रों के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा। मैंने देखा, कि जहाँ लाशें दफ़नाई गईं थीं, वहाँ से मिट्टी के तेल की गन्ध आ रही थी। कुछ अधजले कोयले के टुकड़े भी वहाँ पर पड़े हुए थे। मैंने मेहरचन्द फ़ोटोग्राफ़र को बुला कर उस स्थान का फ़ोटो खिंचवा लिया। एक आदमी ने जिसका नाम कृपाराम है, मुझे एक अधजला माँस का टुकड़ा दिखाया। वह अठन्नी के बराबर था और आध इञ्च के क़रीब मोटा था। उसने कहा कि चींटियाँ उस टुकड़े को घसीट कर ले जा रही थीं। वहाँ मुझे यह भी मालूम हुआ, कि वहाँ एक कटी हुई हड्डी मिली थी, जिसे भगतसिंह के घर वाले ले गए।

छुट्टी के दिन हम लोग फिर उस स्थान पर गए। ख़ाँ शफ़ा-अतुल्ला ने चिता-स्थान से क़रीब ३० क़दम के फ़ासले पर एक जगह दिखाई, जहाँ दाह-क्रिया के दूसरे दिन उस ने ख़ून देखा था। हम लोगों को वहाँ कुछ कङ्कड़ मिले, जिन पर ख़ून लगा हुआ था। वे कङ्कड़ फ़िरोज़पूर में मेरे पास रक्खे हुए हैं। पचास-साठ क़दम के फ़ासले पर एक झोपड़ी थी, जिसमें झोपड़ी वाले के सिवा एक और आदमी था। झोपड़ी वाले को कुछ मालूम न था, किन्तु उस दूसरे आदमी ने कहा, कि दाह-स्थल के पास एक जगह उसने ख़ून गिरा हुआ देखा था। रेलवे-फाटक पर



उस समय मौजूद, एक आदमी से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि रात को ४-५ लॉरियाँ वहाँ आई थीं, जिनमें अधिकतर अङ्गरेज़ थे। एक पर डेढ़-दो मन लकड़ी और मिट्टी के तेल के कनस्तर भी थे।

रायज़ादा हँसराज के प्रश्न करने पर गवाह ने कहा, कि जहाँ दाह-क्रिया की गई थी, वहाँ तीन अर्थियाँ अलग-अलग रख कर नहीं जलाई जा सकती थीं। अगर ऐसा किया जाता, तो पास वाली झाड़ियों तक आग का असर ज़रूर पहुँचता, और एक झाड़ी तो जल ही जाती।

## मौलवी शफ़ाअतुल्ला का बयान

मौलवी शफ़ाअतुल्ला ने कहा, कि मैं एक सभा में भाषण दे रहा था, कि कृपाराम ने मुझे माँस का टुकड़ा और दूसरे कई लोगों ने हड्डियाँ दिखाईं। मैंने उपस्थित लोगों को वे चीज़ें दिखा दीं। २५ तारीख़ को सवेरे मैं उस स्थान पर गया, जहाँ लाशें जलाई गई थीं। वह जगह रस्सी से घेर दी गई थी, जिसमें लोग जूते पहन कर उस पर न जायँ। उस घेरे के अन्दर ३-४ फ़ुट ऐसी जगह थी, जहाँ से किरोसिन तेल की बू आ रही थी। खुरेदने से, वहाँ हड्डी के छोटे-छोटे टुकड़े निकलते थे, मेरे सामने वह जगह खोदी गई। उसमें से हड्डी के टुकड़े और अधजले कोयले निकले। उन से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी। वहाँ से कोई दो सौ गज़ के फ़ासले पर एक जगह ख़ून लगे हुए कङ्कड़ पड़े थे। मेरे साथियों ने उन्हें चुन लिया।

हमें मालूम हुआ, कि पुलिस वाले कसूर से ग्रन्थी और आचार्य लाए थे। वहाँ जाकर तलाश करने पर हमें जगन्नाथ


आचार्य मिल गया, पर ग्रन्थी नहीं मिला। उसने साथ चल कर वह जगह दिखाई जहाँ लाश जलाई गई थी। उसने कहा, कि तीनों लाशें एक-एक बालिश्त के फ़ासले पर रक्खी गई थीं। वह इससे अधिक कुछ नहीं बतला सका। कसूर में खोज करने पर मालूम हुआ, कि डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट शिवदर्शनसिंह ने २३ मार्च की शाम को, एक दूकान से ४ टिन मिट्टी का तेल ख़रीदा था। डॉक्टर सत्यपाल की जिरह में गवाह ने कहा, कि जाँच करते समय कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला, जिसने लाशों को काटते हुए देखा हो।

## श्रीमती पार्वती देवी का बयान

श्रीमती जी ने कहा, कि २४ मार्च को मैं सरदार भगतसिंह की बहिन और दूसरी कई स्त्रियों के साथ, सतलज के किनारे उस स्थान पर गई, जहाँ भगतसिंह आदि की लाशें जलाई गई थीं। मुझे वह जगह मालूम न थी। मैं लोगों से पूछताछ कर ही रही थी, कि इतने में मेरा पाँव एक ऐसी जगह जा पड़ा, जहाँ की ज़मीन गरम थी। वहाँ से मिट्टी के तेल की सख़्त बू आ रही थी। मैंने उस स्थान को खुरेदा तो कई छोटे-छोटे माँस के टुकड़े मिले। एक टुकड़ा अब भी मेरे पास है। श्रीमती सोंधी ने भी श्रीमती पार्वती देवी के बयान का समर्थन किया।

## फ़िरोज़पूर में जाँच-कमिटी

१५वीं अप्रैल को, जाँच-कमिटी फ़िरोज़पूर पहुँची। वहाँ जाते समय सदस्यगण दाह-स्थान देखने के लिए भी गए। आज वह स्थान नहीं पहचाना जाता था, बालू से स्थान बराबर कर दिया गया था और स्वयंसेवकों द्वारा बनाया हुआ घेरा भी तोड़ डाला गया



था । दो खुफ़िया पुलिस के आदमी थोड़ी दूर से उस स्थान की निगरानी कर रहे थे। सड़क के दूसरी ओर क़रीब एक फ़र्लाङ्ग की दूरी पर तीन खीमे गड़े हुए थे, जिसमें १ दर्जन से अधिक पुलिस के सिपाही बैठे थे। ज़मीन के बराबर किए जाने के सम्बन्ध में पूछने पर सी० आई० डी० वालों ने अपनी अनभिज्ञता जतलाई।

फ़िरोज़पूर में गवाहियाँ लेने पर, फ़ोटोग्राफ़र लाला मेहरचन्द, जिन्होंने दाह-स्थान का फ़ोटो लिया था, और कृपाराम नामक एक दूकानदार ने पिछले बयानों का समर्थन किया। कृपाराम ने कमिटी के सामने एक बोतल पेश की, जिसमें चिता-स्थान पर पाया गया माँस का एक टुकड़ा रक्खा गया था। टुकड़े का वज़न १ छटाँक के लगभग था।

हरवंशलाल नामक एक मोटर-ड्राइवर ने कहा, कि कृपाराम ने उसके सामने माँस का टुकड़ा चितास्थान पर पाया था। गवाह ने उससे एक छोटा-सा टुकड़ा तावीज़ बनाने के लिए लिया।

नौजवान भारत-सभा के अध्यक्ष महाशय अमरनाथ ने कहा, कि उन्हें उस स्थान पर कुछ जली हुई हड्डियाँ मिलीं। गवाह ने हड्डियों को कमिटी के सामने पेश भी किया।

पं० चिरौञ्जीलाल ने भी माँस का एक टुकड़ा कमिटी के सामने पेश किया।

फ़िरोज़पूर के लाला मुकुन्दलाल, एडवोकेट ने कहा कि दाह-स्थान ४ वर्गफ़ीट से ज्यादा न होगा। इतने सङ्कीर्ण स्थान में तीन लाशें अलग-अलग नहीं जलाई जा सकती थीं। उन्होंने कहा



कि जान पड़ता है, कि लाशों के जलने में काफ़ी लकड़ी का व्यवहार नहीं किया गया था, और हिन्दू या सिक्ख किसी की भी लाश किरोसिन के तेल से जलाना धर्म के विरुद्ध है। मौलवी मुहम्मद हुसैन, दीवान दुर्गाप्रसाद, बाबा चरणसिंह, आदि वकीलों ने भी, जिन्होंने इस विषय की पूरी जाँच की थी, उक्त बयानों का समर्थन किया। डॉ० सत्यपाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए मौलवी मुहम्मद हुसैन ने कहा, कि लाशों के काटे जाने की बात उन्होंने सुनी है, किन्तु इस विषय का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास नहीं है।

## ग्रन्थी ने क्या किया ?

सरदार लाभसिंह ने कसूर में कमिटी के सामने अपना बयान देते हुए कहा कि नत्थासिंह ग्रन्थी ने उस से कहा कि २३वीं मार्च की रात को वह बड़ी मुश्किल में पड़ा था। ग्रन्थी ने गवाह को बतलाया कि २३वीं मार्च की शाम को ७ बजे के लगभग एक पुलिस का आदमी उसके पास आया और पुलिस के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट सुदर्शनसिंह के पास चलने को कहा। पुलिस के सिपाही ने कहा कि 'अखण्ड पाठ' के लिए ग्रन्थी की आवश्यकता है। वहाँ पहुँचने पर ग्रन्थी से कहा गया कि, गण्डासिङ्घवाला में पाठ की ज़रूरत है। इसके बाद आचार्य जगन्नाथ के साथ ग्रन्थी गण्डासिङ्घवाला लाया गया। उन लोगों के साथ किरोसिन तेल के ३ कनस्तर भी लाए गए। पुलिस के कुछ अफ़सर और कुछ कॉन्स्टेबिल भी उनके साथ थे। गण्डासिङ्घवाला स्टेशन पहुँचने पर उन्हें एक लॉरी मिली।

## लाहौर से भी लॉरियाँ आईं

इसके बाद लाहौर की ओर से भी ४ लॉरियाँ आईं। एक लॉरी से पुलिस के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट अमरसिंह उतरे और वे ग्रन्थी की लॉरी में जा बैठे। उनकी आज्ञानुसार लॉरी पुराने पुल के पास लाई गई। अन्य लॉरियाँ भी वहाँ आकर खड़ी हुईं। अमरसिंह ने ग्रन्थी और आचार्य से कहा, कि उनके साथ एक सिक्ख और दो हिन्दुओं की लाशें हैं, जिन्हें वे जलाना चाहते हैं। ग्रन्थी और आचार्य को उन मृतकों के नाम नहीं बतलाए गए। किन्तु तो भी ग्रन्थी को सन्देह हुआ कि ये लाशें, भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की हैं। जब टॉर्च की सहायता से उसने लाशों को देखा तो मालूम हुआ कि मृतकों के मुँह और नाक से खून बह रहा है। एक पुलिस कॉन्स्टेबिल ने लाशों की पोशाक फाड़ डाला और स्नान करा कर कपड़े में उन्हें लपेटा और एक ही चिता पर तीनों लाशों को रख दिया; लाश के ऊपर और नीचे लकड़ियाँ रक्खी हुई थीं। चिता पर मिट्टी का तेल डाल दिया गया। तब ग्रन्थी और आचार्य से अन्तिम संस्कार करने के लिए कहा गया। उन्होंने मिट्टी के तेल की सहायता से आग लगा दी। इसके बाद उन से लॉरी में चले जाने के लिए कहा गया। लॉरी में आकर वे क़रीब २½ घण्टे तक पुलिस वालों की इन्तज़ारी में बैठे रहे। इतनी देर के बाद चिता पर पानी डाल दिया गया और कुदाली से भस्म, हड्डी आदि वस्तुओं को इकट्ठा कर कम्बलों में बाँधा गया और नदी में छोड़ दिया गया। इसके बाद ग्रन्थी और आचार्य कसूर लाए गए। वे ५½ बजे सुबह कसूर पहुँचे

## सिक्खों का अन्तिम संस्कार

गवाह ने आगे कहा कि वह सरदार अमरसिंह और लाला मणिराम के साथ ११½ बजे दाह-स्थान देखने गया था। चिता-स्थान किरोसिन तेल से भीगा हुआ था। वहाँ चीड़ की लकड़ियों के कोयले पड़े हुए थे, जिससे पता चला, कि लाशों के जलाने में चीड़ की लकड़ी का ही व्यवहार किया गया है।

अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा, कि सिक्ख धर्म के अनुसार अन्तिम संस्कार के लिए एक घण्टे की आवश्यकता है। संस्कार खतम हो जाने के बाद चिता में आग लगाई जाती है। गवाह ने कहा कि उसकी राय में मृतकों का अन्तिम संस्कार उचित रीति से नहीं किया गया, क्योंकि न तो ग्रन्थी को उसके लिए समय ही दिया गया, और न वह अन्तिम संस्कार के लिए तैयार ही होकर आया था। इसके अतिरिक्त 'कढ़ाह प्रसाद' भी, जो इस संस्कार के लिए अत्यावश्क है, तैयार नहीं कराया गया था। ग्रन्थी ने गवाह से कहा था, कि उससे कोई संस्कार नहीं कराया गया था।

सिक्ख-धर्मानुसार लाश को रात में जलाना मना है। इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कम से कम गवाह ऐसी कोई घटना के विषय में नहीं जानता है।

डॉ० सत्यपाल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, गवाह ने कहा, कि किसी सिक्ख की लाश को, मृतक के किसी सम्बन्धी या पुरोहित को छोड़ कर और कोई नहीं छू सकता। उसकी लाश को हर एक मनुष्य नहीं छू सकता है। ग्रन्थी ने उससे कहा था कि वे पुलिस कॉन्स्टेबिल, जिन्होंने मृतकों को स्नान कराया, भिन्न

धर्मावलम्बी थे। ग्रन्थी ने यह भी कहा, कि अन्तिम संस्कार के सम्बन्ध में उससे कोई बात नहीं पूछी गई थी।

लाला मणिराम जैन ने अपना बयान देते समय डॉ० सत्यपाल के पूछने पर कहा कि तीन लाशों को अच्छी तरह जलाने के लिए ५० मन लकड़ी की आवश्यकता है। हिन्दू-धर्म के अनुसार भी, मृतक शरीर को उसके सम्बन्धी और पुरोहित के सिवा दूसरा कोई नहीं छू सकता और रात के समय लाश नहीं जलाई जा सकती। लाश जलाने के चौथे दिन भस्म इकट्ठा किया जाता है और वह हरद्वार भेजा जाता है।

## मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में

कसूर की म्यूनिसिपल कमिटी के वाइस प्रेजिडेण्ट डॉ० बोधराज ने कहा, कि वे 'ट्रिब्यून' के स्थानीय सम्वाददाता हैं। उन्होंने सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों ज़रिए से जाँच की है। आचार्य और ग्रन्थी के पास भी वे पता लगाने के लिए गए थे। ग्रन्थी ने यह स्वीकार किया है, कि लाशों के जलाने में मिट्टी का तेल काम में लाया गया है। गवाह ने तेल के ठेकेदार से भी इस बात की जाँच की थी। उसने यह बात स्वीकार की थी, कि पुलिस वाले उसके यहाँ से ४ टिन मिट्टी का तेल ले गए थे; किन्तु २४वीं तारीख़ को तेल लौटा दिया गया। इसके बाद सरदार नत्थासिंह कमिटी के सामने पेश किए गए।

सभापति ने सूचित किया कि उन्हें पता चला है कि पुलिस ने ग्रन्थी को बुला भेजा है। उन्होंने ग्रन्थी से पूछा कि वह अपना बयान देने के लिए तैयार है या नहीं? ग्रन्थी अपने मित्रों से इस